भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख

केन्द्रीय सरकार का बजट

-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I

-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II

-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)

0. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)

2. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन

3-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)

5. अनुदानों की मांगों का सारांश

-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)

. अनुदानों की मांगें-डाक और तार

-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.

4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.

6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.

8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)

10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.

11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).

12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.

13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).

15. Summary of Demands for Grants.

16-38. Demands for Grants (23 Volumes).

39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.

40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टैलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण--भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण--भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मागें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टैलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट

4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I

6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II

8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)

10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन

13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)

15. अनुदानों की मांगों का सारांश

16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)

39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार

40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.

4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.

6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.

8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)

10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.

13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).

15. Summary of Demands for Grants.

16-38. Demands for Grants (23 Volumes).

39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.

40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार
बजट, 1969-70
(28 फरवरी, 1969)
बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70
(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टैलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्युम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट, 1969-70

(28 फरवरी, 1969)

बजट पत्रों की सूची

1. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग क
2. उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—भाग ख
3. केन्द्रीय सरकार का बजट
4-5. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग I
6-7. बजट का व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) भाग II
8-9. वित्त विधेयक, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी)
10. वित्त विधेयक, 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन
11. आयकर सम्बन्धी कानून के उपबन्धों की रूपरेखा का विवरण (बजट भाषण का पैरा 43)
12. टेलीफोन और तार शुल्कों के प्रस्तावित संशोधन का ज्ञापन
13-14. सरकारी क्षेत्र उद्यम-ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी)
15. अनुदानों की मांगों का सारांश
16-38. अनुदानों की मांगें (23 खण्ड)
39. अनुदानों की मांगें-डाक और तार
40-41. रक्षा सेवाओं सम्बन्धी अनुमान (हिन्दी और अंग्रेजी)

GOVERNMENT OF INDIA

Budget, 1969-70

(28th February, 1969)

List of Documents

1. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part A.
2. Speech of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance — Part B.
3. Budget of the Central Government.
4-5. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part I.
6-7. Explanatory Memorandum on the Budget (Hindi & English) — Part II.
8-9. Finance Bill, 1969 (Hindi & English)
10. Memorandum Explaining the provisions in the Finance Bill, 1969.
11. Statement outlining the provisions to be made in Income-tax Law (Para 43 of Budget Speech).
12. Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph Tariffs.
13-14. Public Enterprises — A Memorandum (Hindi & English).
15. Summary of Demands for Grants.
16-38. Demands for Grants (23 Volumes).
39. Demands for Grants — Posts & Telegraphs.
40-41. Defence Services Estimates (Hindi & English).

भारत सरकार

बजट 1969-70

सत्यमेव जयते

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण

(भाग क)

28 फरवरी, 1969

बजट 1969-70

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त-मन्त्री का भाषण

28 फरवरी 1969

महोदय,

मैं चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि का पहला बजट पेश कर रहा हूं। इस काम में मेरी कठिनाई यह है कि आयोजना का प्रलेख अभी माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। इस समय तो मैं केवल सूत्रधार के रूप में आप के सामने उपस्थित हुआ हूं जिसका काम नाटक प्रारम्भ होने से पहले कुछ समय के लिए रंगमंच पर आकर नाटक में दर्शकों की रुचि बढ़ाना होता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य कम से कम इस कारण निराश नहीं होंगे कि मेरा भाषण छोटा है।

प्रस्तावना

2. चालू वर्ष, जो अब समाप्त हो रहा है, भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अच्छा वर्ष साबित हुआ है। अपने पिछले बजट-भाषण में मैंने यह आशा प्रकट की थी कि यदि सही नीतियां अपनायी जायं तो 1968-69 का वर्ष पुनरुत्थान का वर्ष हो सकेगा। यह आशा बहुत हद तक पूरी हो गयी है। इस वर्ष भी, पिछले वर्ष की तरह, अन्न की फसल सन्तोषजनक होने की उम्मीद है। औद्योगिक पुनरुत्थान के साफ चिह्न दिखाई दे रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में अनुमानतः लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिवहन का काम और व्यापार दोनों फिर बढ़े हैं। बिजली या कच्चे माल की ज्यादा कमी नहीं हुई है। मूल्यों का सामान्य स्तर इस समय पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है। निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। आयोजनाओं के दौरान जो प्रयत्न किये गये हैं उनके कारण अब देश में ही ऐसी बहुत-सी चीजें तैयार की जा रही हैं जो पहले विदेशों से मंगायी जाती थीं। यद्यपि 1967-68 की अपेक्षा ऋण-शोधन का भार अधिक है और विदेशी सहायता का उपयोग कुछ कम हुआ है, तो भी सम्भवतः चालू वर्ष में हमारी विदेशी मुद्रा की रकम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार, कृषि के काम में नयी चेतना आ गयी है, उद्योगों का पुनरुत्थान हो रहा है, मूल्य फिर स्थिर हो गये हैं और हम स्वावलम्बन के लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के आधार पर हम अब अगली पंचवर्षीय आयोजना का काम काफी आत्म-विश्वास के साथ शुरू कर सकते हैं। फिर भी, बहुत-

सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण अपनी इच्छा के अनुसार तुरन्त काम करने का हमारा दायरा बहुत-कुछ सीमित हो जाता है ।

3. यद्यपि अन्न की पैदावार बढ़ गयी है, तो भी देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए अन्न का सन्तोषजनक प्रबन्ध करने के लिए हमें अभी बहुत प्रयत्न करना है । कृषिजन्य कच्चे माल और अन्न का आयात अब भी काफी हो रहा है। इसलिए हमारे सीमित साधनों से कृषि में, जिसके अन्तर्गत अनुसन्धान, रासायनिक खाद और पानी जैसी खेती के लिए आवश्यक चीजें और किसानों को ऋण देने तथा अनाज के संग्रह की सुविधाएं भी आती हैं, पूंजी लगाने की प्रथम आवश्यकता है । इतनी आवश्यकता केवल परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में है ।

4. पूंजीगत माल बनाने के उद्योग-धन्धों का देश में काफी विकास हो चुका है । इसलिए अधिक निवेश करना आवश्यक और साथ ही सम्भव भी हो गया है । पर अनुचित मूल्य-वृद्धि हुए बिना निवेश का बढ़ते रहना इसी आधार पर सम्भव है कि आम खपत की जरूरी चीजों का उत्पादन बढ़ता रहे । इसके लिए यह जरूरी है कि कृषि की उत्पादकता के साथ साथ उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग-धन्धों में भी कुशलता और उत्पादन-क्षमता ज्यादा हो । इन उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान देना इसलिए विशेष रूप से आवश्यक है कि ऐसा करने से उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है और सरकार की आमदनी भी बढ़ती है ।

5. इस वर्ष हम राष्ट्र-पिता की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं और हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्थिक विकास का अन्तिम ध्येय कई वांछनीय सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करना है।इसलिए बुनियादी सुविधाओं, जैसे पीने के पानी की सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा-सहायता और काम करने के अवसर के सम्बन्ध में तथा वस्तुतः सामान्य समता की बढ़ती हुई मात्रा के सम्बन्ध में, जो समाजवादी समाज का आधार है, लोगों की जो स्वाभाविक आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना भी हमारे लिए आवश्यक है ।

6. वैदेशिक क्षेत्र में जो सुधार हुआ है वह उतना ही उल्लेखनीय है जितना वांछनीय है; फिर भी, निर्यात से होने वाली हमारी आमदनी इस समय आयात-सम्बन्धी हमारी वर्तमान आवश्यकता का केवल दो-तिहाई भाग है । इसलिए निर्यात बढ़ाने और विदेशों से मंगायी जाने वाली चीज़ों का देश में उत्पादन करने के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त होकर बैठे नहीं रह सकते । 1965-66

और 1966-67 की असाधारण परिस्थितियों के कारण अर्थ-व्यवस्था में बचत की दर कम हो गयी है। साधन जुटाने के बहुत प्रयत्न किये जाने और व्यय पर बहुत नियन्त्रण रखे जाने पर भी पिछले कुछ वर्षों में सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गयी है।

7. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अगली पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में विस्तृत क्षेत्र में फिर प्रगति शुरू करने के लिए देश की सामान्य आर्थिक स्थिति अनुकूल है। पर, खपत और निवेश के बीच, साधनों और परिव्यय के बीच, आर्थिक विकास और वैदेशिक भुगतान-क्षमता के बीच और वस्तुत: बड़े सामाजिक लक्ष्यों और विशुद्ध आर्थिक विचारों के बीच ठीक ठीक सन्तुलन बनाये रखने की भी आवश्यकता है। माननीय सदस्य अब यह देखेंगे कि प्राय: आर्थिक योजना बनाने वालों की गिनती सरकस में रस्सी पर चलकर तरह तरह के करतब दिखाने वालों की कला के सर्वोत्तम निदर्शकों में क्यों की जाती है।

1968-69 के संशोधित अनुमान

8. मैंने वर्तमान आर्थिक स्थिति की संक्षेप में चर्चा की है और थोड़े में यह भी बता दिया है कि भविष्य में कौन-से कार्य किये जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा करते हुए मैंने योजना-आयोग के अधिकार-क्षेत्र में दखल नहीं दिया है। अब मुझे ज्यादा दुनियावी बातों का जिक्र करना है जो वित्त मन्त्रियों के भाग्य में बदा होता है। 1968-69 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, सीमा-शुल्क-राजस्व में, पिछले फरवरी मास में प्रस्तुत किये गये अनुमानों की तुलना में, 94 करोड़ रुपये की कमी होगी। इसके विपरीत, उत्पादन-शुल्कों और आयकर से 54 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त होने की आशा है। कर से भिन्न राजस्व को जोड़ने पर, ऐसा अनुमान किया जाता है कि केन्द्र को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में 11 करोड़ रुपये की ही कमी होगी जब कि 2760 करोड़ रुपये की वसूली प्रत्याशित थी।

9. राजस्व-खाते का व्यय 2629-करोड़ रुपये के बजट-अनुमान से सम्भवतः 116 करोड़ रुपया बढ़ जायगा। इस वृद्धि का लगभग आधा भाग हिसाब-किताब में किये जाने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है और वह भी पूंजी खाते के उतने ही लाभ से प्रतिसन्तुलित हो जाता है। 49 करोड़ रुपये के और व्यय का कारण राजस्व-खाते का रक्षा-सम्बन्धी अधिक व्यय है। इस अधिक व्यय के ये कारण हैं — कुछ श्रेणियों के रक्षा-सेवा कर्मचारियों के भत्तों में वर्ष के दौरान

की गयी वृद्धि; मंहगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया था; महंगाई भत्ते का कुछ भाग वेतन में मिला देने का हाल का फैसला; और वर्तमान आर्डरों के आधार पर सामान का अधिक शीघ्रता से प्राप्त होना। पूंजी खाते में, रक्षा-सम्बन्धी व्यय में 13 करोड़ रुपये की कमी हुई है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि यदि रक्षा-सम्बन्धी व्यय में हुई वृद्धि को और केवल हिसाब-किताब में दिखाये जानेवाले व्यय को छोड़ दिया जाय, तो राजस्व-खाते का व्यय बजट-अनुमान की अपेक्षा एक प्रतिशत से भी कम बढ़ा है।

10. पूंजी-खाते में अधिक परिवर्तन हुए हैं। वास्तविक विदेशी सहायता में 121 करोड़ रुपये की और पी.एल.480 सम्बन्धी तथा दूसरी अन्न-सहायता में 43 करोड़ रुपये की कमी होगी। यह कमी कुछ हद तक इन बातों से प्रतिसन्तुलित हो जायगी—बाजार-ऋणों में होने वाली वृद्धि; अन्न और रासायनिक खाद की खरीद आदि के लिए की जाने वाली व्यवस्था में कमी और आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय में कुछ कमी। दूसरी मदों के अन्तर्गत भी बहुत-से परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण, कुल मिलाकर, साधनों सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ है।

11. कुल मिलाकर, अब यह अनुमान है कि इस वर्ष बजट-सम्बन्धी कमी, बजट अनुमान के 290 करोड़ रुपये के मुकाबले, 260 करोड़ रुपया होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य घाटे की वित्त-व्यवस्था में हुए इस 10 प्रतिशत के परिवर्तन को इस बात का सबूत नहीं मानेंगे कि मैंने बजट-अनुमान बहुत कम लगाये थे।

1969-70 के बजट-अनुमान

12. अब मैं 1969-70 के बजट-अनुमानों की चर्चा करता हूं। मैंने यह अनुमान लगाया है कि करों की वर्तमान दरों के अनुसार केन्द्र को कुल मिला कर 151 करोड़ रुपया अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मेरा अनुमान है कि सीमा-शुल्क-प्राप्तियों में और कमी हो जायगी, अर्थात् ये प्राप्तियां 1969-70 में 426 करोड़ रुपया ही होंगी जब कि इस वर्ष ये 445 करोड़ रुपया हैं। इस कमी का आधार यह अनुमान है कि जहां अन्न से भिन्न वस्तुओं के कुल आयात में कुछ वृद्धि होगी वहां पेट्रोलियम-पदार्थों जैसी उन वस्तुओं का आयात बहुत कम हो जायगा जिनपर शुल्क की अधिक ऊंची दरें लगी हुई हैं। अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से होनेवाली प्राप्ति में 101 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। निगम-कर और

आयकर से सम्भवतः 675 करोड़ रुपया प्राप्त होगा जब कि इस वर्ष उनसे 660 करोड़ रुपया मिलेगा। कर से भिन्न राजस्व में भी अनुमानतः 50 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

13. पर राजस्व में होनेवाली वृद्धि से राजस्व खाते के व्यय में अधिक वृद्धि होगी। राजस्व खाते के रक्षा-सम्बन्धी व्यय में 42 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। हिसाब-किताब में किये जानेवाले कुछ समायोजनों को छोड़ दिया जाय, तो आयोजना-व्यय से भिन्न असैनिक व्यय में 142 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसमें से 41 करोड़ रुपये की रकम ब्याज-प्रभारों की है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को 36 करोड़ रुपये की और रकम हस्तान्तरित करना आवश्यक हो गया है। आयोजना-गत जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनसे सम्बन्धित वचन-बद्ध व्यय में लगभग 35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों पर किये जानेवाले व्यय में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। शेष वृद्धि प्रशासनिक सेवाओं, कर-संग्रह और पड़ोसी देशों की सहायता समेत कई विविध मदों के अन्तर्गत हुई है। विस्तृत विवरण, हमेशा की तरह, व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

14. पूंजी खाते के सम्बन्ध में यह अनुमान है कि बाजार ऋणों से अगले वर्ष 106 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम प्राप्त होगी जबकि इस वर्ष 81 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई हैं। छोटी बचतें 135 करोड़ रुपया आंकी गयी हैं — अर्थात् चालू वर्ष की अपेक्षा 10 करोड़ रुपया अधिक। पर इस वृद्धि का लगभग दो तिहाई हिस्सा राज्यों को मिलेगा। लोक भविष्य निधि से इस वर्ष के 2 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष सम्भवतः 5 करोड़ रुपया मिलेगा। दूसरी ओर, अनिवार्य जमा की किसी समय प्रसिद्ध किन्तु अब प्रायः विस्मृत योजना का प्रवर्तक होने के नाते मैं 1963-64 में करायी गयी जमा की वापसी के लिए 25 करोड़ रुपये की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूं।

15. पी.एल.480 सम्बन्धी और दूसरी अन्न सहायता को छोड़ देने पर, वास्तविक विदेशी सहायता में 1969-70 में सम्भवतः कुछ वृद्धि होगी। इस वर्ष इस सहायता की रकम 459 करोड़ रुपया है; अगले वर्ष वह अनुमानतः 467 करोड़ रुपया हो जायगी। चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम बढ़ जायगी, पर हमारा अनुमान है कि सहायता की प्राप्ति भी मुख्यतः इस कारण बढ़ेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने फिर सहायता देना शुरू कर दिया है।

16. दिसम्बर 1968 में हमने 23 लाख मेट्रिक टन अन्न के आयात के लिए पी0 एल0 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ एक करार किया। इसके अलावा, हमें कनाडा से काफी अधिक परिमाण में अन्न-सहायता और आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन से भी अन्तर्राष्ट्रीय अन्न प्रबन्ध के अन्तर्गत कुछ सहायता मिलती रही। इस प्रकार, जो अन्न-सहायता मिलना तय हो गया है उसमें से अधिकतर सहायता का आयात अगले वर्ष ही होगा। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि अन्न और कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल के रियायती आयात का प्रबन्ध अभी और कुछ समय तक आवश्यक होगा। इसलिए पी0 एल0 480 सम्बन्धी अनुदानों को छोड़कर, जिनका जिक्र राजस्व-अनुमानों में किया गया है, पी0 एल0 480 सम्बन्धी लेन-देनों और दूसरी अन्न-सहायता के फलस्वरूप बजट के लिए वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली सहायता अगले वर्ष के लिए 224 करोड़ रुपया आंकी गयी है जबकि वह इस वर्ष के लिए 226 करोड़ रुपया आंकी गयी है।

17. देश के अन्दर लिये जाने वाले ऋणों और विदेशी सहायता से मिलने वाली रकम में 13 करोड़ रुपये की जो वृद्धि होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पूंजी खाते के रक्षा सम्बन्धी व्यय में 17 करोड़ रुपये की और सीमावर्ती सड़कों सम्बन्धी व्यय में 4 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

18. जहां तक अन्य पूंजीगत लेन-देनों का सम्बन्ध है, अन्न और रासायनिक खाद दोनों के लेन-देनों से 76 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होगी। अन्न निगम (फूड कारपोरेशन) के पास मार्च 1969 के अन्त में सम्भवतः कुल 35 लाख मेट्रिक टन अन्न का संग्रह हो जायगा। हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसमें और 15 लाख मेट्रिक टन अन्न की वृद्धि कर दी जाय। हमारा इरादा है कि इस काम के लिए 1969-70 के बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय। आवश्यक रकम का शेष भाग अन्न निगम को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिया जायगा।

19. अन्न और रासायनिक खाद के लेन-देनों से होने वाली अधिक प्राप्ति राजस्व खाते और पूंजी खाते में होने वाली पूर्वोक्त व्यय-वृद्धियों से और विभिन्न विविध ऋण-जमा शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली कम प्राप्तियों से समाप्त हो जायगी। मुझे राज्यों द्वारा केन्द्र को चुकायी जाने वाली रकमों में कुछ फेर-बदल करके उन्हें कुछ राहत पहुंचाने की और कुछ राज्यों के आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय के लिए धन की कमी दूर करने के लिए उनकी सहायता करने

की भी व्यवस्था करनी पड़ी है ताकि राज्य अगले वर्ष संतोषप्रद आयोजना का काम शुरू कर सकें। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि करों की वर्तमान दरों और देश के अन्दर लिये जाने वाले ऋणों तथा विदेशी सहायता से जितने साधन उपलब्ध हो सकेंगे उनसे केन्द्रीय सरकार के अगले वर्ष के बजट में आयोजना के लिए और अधिक व्यवस्था करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

20. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बजट-सम्बन्धी अंशदान में अगले वर्ष चालू वर्ष की तुलना में सम्भवतः कोई खास वृद्धि नहीं होगी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने और सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के और अच्छी तरह काम करने के प्रश्न की विस्तार से छानबीन की है। सरकार इन उपक्रमों के काम को सुधारने के लिए कई फैसले कर चुकी है। मैं इस विषय पर एक ज्ञापन माननीय सदस्यों में अलग से वितरित करा रहा हूं।

21. माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि क्या आयोजना के लिए उपलब्ध साधन, आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय कम करके, बढ़ाये नहीं जा सकते थे। मैंने अगले वर्ष के व्यय के अनुमान तैयार करते समय इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। पर माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय में कुछ वृद्धि होना तो अनिवार्य है क्योंकि वह संविदागत दायित्व (काण्ट्रैक्चुअल आब्लिगेशन) या पहले किये जा चुके फैसलों के कारण होती है। असैनिक व्यय में जो वृद्धि होती है उसमें से अधिकतर वृद्धि, पूरी की गयी आयोजनागत योजनाओं को आयोजना के क्षेत्र से अलग किये जाने से, ब्याज-प्रभारों से, निर्यात-प्रोत्साहन से, महंगाई भत्ते सम्बन्धी व्यय से, मंहगाई भत्ता वेतन में मिलाये जाने से और वित्त आयोग की सिफारिशों से होती है। ये सब बातें संविदागत दायित्व या पहले किये जा चुके फैसलों की कोटि में आती हैं। रक्षा-सम्बन्धी व्यय में होने वाली 59 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—वेतनों और पेंशनों में होने वाली सामान्य वृद्धि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जो पिछले सितम्बर में देय हो गया, मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाना, रक्षा-मन्त्रालय के अधिकार में स्थित उत्पादन-एककों में लगायी जाने वाली अतिरिक्त सामान्य शेयर पूंजी और पहले की गयी संविदाओं के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक सामान की प्राप्ति।

22. मुझे अब शायद इस बात की भी कुछ चर्चा करनी चाहिए कि अगले वर्ष घाटे की वित्त-व्यवस्था कितनी की जा सकती है। घाटे की वित्त-व्यवस्था का परिमाण बजट की आवश्यकताओं के रूप में नहीं निर्धारित किया जा सकता।

उसका निर्धारण उत्पादन की सम्भाव्य वृद्धि को और लोगों की बचत करने की आदत को देखते हुए अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के आधार पर करना पड़ता है। हर बात का विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि अगले वर्ष बजट सम्बन्धी घाटा मोटे तौर पर उतना ही रखा जाय जितना इस वर्ष रखा गया है तो मूल्यों को स्थिर रखने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने में सम्भवतः अधिक से अधिक तालमेल बैठेगा।

23. इसी भूमिका के आधार पर मैं अब अगले वर्ष के लिए साधन एकत्र करने के अपने प्रस्ताव पेश करता हूं। ये प्रस्ताव तैयार करने में मैंने आयोजना-परिव्यय का कोई वांछित स्तर पहले निश्चित करने और तब आवश्यक साधन जुटाने का आसान तरीका नहीं अपनाया है। कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनसे अधिक साधन, अर्थव्यवस्था का काम बिगाड़े बिना, थोड़ी अवधि में नहीं जुटाये जा सकते। वार्षिक बजट में किसी वर्ष की आवश्यकताओं का ही नहीं, बल्कि दीर्घकालीन विकास की आवश्यकताओं का भी, समान रूप से, विचार करना पड़ता है। अन्य शब्दों में, जो तरीका अपनाना आवश्यक है वह यह है कि सरकार में —बल्कि सामान्य अर्थव्यवस्था में-क्रमशः बढ़ते हुए विकास-व्यय का बोझ बरदाश्त करने की क्षमता पैदा करने के लिए करों के ढांचे में जो परिवर्तन करना आवश्यक और व्यवहार्य हों वे किये जायं और इस प्रकार कुल जितने साधन प्राप्त हो सकें उनकी सीमा के अन्दर छोटी अवधि के लिए व्यय के प्रस्ताव किये जायं।

24. माननीय सदस्य अब यह जानने के लिए स्वभावतः उत्सुक होंगे कि मैं अपनी ही कसौटियों पर कितना खरा उतरता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे मेरे बारे में अपनी राय कायम करते हुए मेरे प्रति वही उदारता का भाव रखेंगे जो वित्त-मन्त्रियों के प्रति आमतौर पर रखा जाता है तथा मुझे उससे केवल इस कारण वंचित नहीं करेंगे कि इस सभा में अपनी ही कसौटियों पर कसे जाने की यह कठिन स्थिति मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है।

भारत सरकार

बजट 1969-70

सत्यमेव जयते

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण

(भाग ख)

28 फरवरी, 1969

बजट भाषण 1969-70

भाग — ख

25. स्थूल रूप से मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों के ये उद्देश्य हैं —

(क) जहां तक जरूरी समझा जाय, खासकर निर्यात, बचत और मूल उद्योग-धन्धों के आधुनिकीकरण के काम में प्रोत्साहन; देना;

(ख) असंगतियों को दूर करना;

(ग) कर-प्रणाली को तर्कसंगत और सरल बनाने की और व्यवस्था करना;

(घ) करों से बचने और आमदनी छिपाकर या और किसी तरह से कर न देने के रास्ते बन्द करना;

(ङ.) जिन वस्तुओं या जिन आमदनियों पर अबतक कर नहीं लगाया गया है या बहुत कम कर लगाया गया है उन वस्तुओं की खपत की आवश्यकता या उन आमदनियों से कर देने की क्षमता का विचार करके उनपर कर लगाकर कर-भार को अधिक समान रूप से फैलाना;

(च) सामान्यतः करप्रणाली को आर्थिक विकास के हित में अधिक अनुकूल बनाना

इससे पहले कि माननीय सदस्य यह सोचें कि मैं अब उनके लिए भोजन परसने ही वाला हूं मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके लिए समय समय पर क्षुधा-वर्धक चीजें लाता रहूंगा। मैं यहां मुख्य मुख्य चीजें ही पेश करूंगा। छोटी छोटी चीजें व्याख्यात्मक ज्ञापन से ली जा सकती हैं।

सीमा-शुल्क

26. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूपी देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं उसके आगे नैवेद्य के रूप में निर्यात-शुल्क संबंधी रियायतें रखना चाहता हूं। मैं जूट

हेसियन के निर्यात-शुल्क को 500 रुपए प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 200 रुपया प्रति मेट्रिक टन करना चाहता हूं। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि जूट के टाट (जूट सैकिंग) का निर्यात-शुल्क 250 रुपए प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 150 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाय तथा वूल सैक और काटन बैगिंग का निर्यात-शुल्क हटा दिया जाय। चाय का निर्यात-शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत प्रति किलोग्राम से 15 प्रतिशत प्रति किलोग्राम किया जा रहा है और उसपर दी जानेवाली छूट बढ़ाकर 35 पैसे प्रति किलोग्राम से 55 पैसे प्रति किलोग्राम की जा रही है। चरबी रहित कच्चे ऊन पर और धातु के डिब्बों में बन्द चाय पर लगा हुआ निर्यात-शुल्क भी हटाया जा रहा है और दूसरे प्रकार के डिब्बों में बन्द चाय का निर्यात-शुल्क 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जा रहा है। जो अबरक छोटे खुले टुकड़ों के रूप में होता है उसका निर्यात-शुल्क 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जा रहा है। निर्यात-शुल्क में की जाने वाली इन कमियों से राजस्व में प्रतिवर्ष 23 करोड़ रुपए की कमी होगी।

27. हम शौकीनी की सभी चीजों पर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार आयात शुल्क लगाते हैं। विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटर-गाड़ियों पर 60 प्रतिशत आयात-शुल्क है। मेरा प्रस्ताव है कि विदेशों से मंगायी जाने वाली मोटर-गाड़ियों के आयात-शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करके हैसियत की निशानी के रूप में उनका मूल्य बढ़ा दिया जाय। जहां तक सुखाये हुए फलों का सम्बन्ध है, आयात-शुल्क निर्धारित करने के लिए किया जाने वाला उनका मूल्यांकन अवास्तविक है। मैं चाहता हूं कि उनके मूल्यांकन के लिए अधिक वास्तविक आधार अपनाया जाय जिसके परिणाम-स्वरूप शुल्क की वसूली बढ़ जायगी। लुब्रिकेटिंग तेलों का आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत से 27½ प्रतिशत किया जा रहा है ताकि यह मशीनों के आयात-शुल्क के बराबर हो जाय, जिनमें ये तेल इस्तेमाल किये जाते हैं, और देश में इस प्रकार के तेलों का उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिले। इन परिवर्तनों से 6.2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

28. जब किसी वस्तु पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है तब हम उसपर प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) आयात-शुल्क लगाते हैं। हमें उत्पादन-शुल्क वाली किसी वस्तु में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे माल और संघटक भागों पर उत्पादन-शुल्क के बदले प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाने का अधिकार है। पर जब वस्तु पर ही उत्पादन-शुल्क न लगा हो तब हमें ऐसा अधिकार नहीं है। मैं इस त्रुटि को दूर करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं ताकि विदेशों से मंगायी

जाने वाली चीजें देश में बनाने के लिए बढ़ावा मिले। बेयरिंग, जहाजों के सामान और व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाक या हवाई जहाज द्वारा बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों जैसे कुछ मामलों में, उपयोग के अनुसार दरें या वर्गीकरण बहुत ज्यादा होने के कारण, बेमतलब की देर और परेशानी होती है। मैं इस कठिनाई को भी दूर करना चाहता हूं।

उत्पादन-शुल्क

29. उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में अब सामान्यतः यह माना जाता है कि मूल्यानुसार शुल्क परिमाण-शुल्कों से अधिक युक्तिसंगत हैं क्योंकि परिमाण-शुल्कों का भार, जब मूल्य बढ़ते हैं तब घटता है और जब मूल्य घटते हैं तब बढ़ता है। मूल्यानुसार शुल्क लागत और कीमत घटाने के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सीमेण्ट, बनास्पती, बिजली के पंखों, बिजली के लट्टुओं और ट्यूबों, साबुन, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और सोडियम सिलिकेट पर लगे हुए वर्तमान परिमाण-शुल्कों को मूल्यानुसार शुल्कों में बदल दिया जाय। पूर्णांकन (राउंडिंग) की आवश्यकता के बावजूद मैंने ऐसा करके राजकोष के लिए काफी रकमें प्राप्त करने के लोभ का संवरण किया है।

30. पर प्रत्येक नियम का अपवाद होता है। इस नियम को सिद्ध करने के लिए अपवाद निश्चित करने में एक विशेष परिस्थिति से मुझे सहायता मिली है। इस समय, नियन्त्रित मूल्य पर दी जाने वाली चीनी की एक कीमत है और खुले बाजार में मिलने वाली चीनी की और कीमत है। यह स्पष्ट है कि जब चीनी के वर्तमान परिमाण-शुल्क को मूल्यानुसार शुल्क में बदल दिया जायगा तब शुल्क की दो दरें हो जायंगी। इन दो दरों में से एक दर चुनने में मैंने नियंत्रित मूल्य पर दी जाने वाली चीनी की कुछ तरफदारी की है जिस पर लगे हुए वर्तमान बुनियादी और अतिरिक्त शुल्कों की मूल्यानुसार दर औसतन लगभग 23 प्रतिशत निकलती है। मैंने यह दर सभी दानेदार चीनी पर लगायी है। इस प्रकार, नियंत्रित चीनी की औसत कीमत में कोई फेरबदल नहीं होगा और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी कीमत में बहुत थोड़े परिवर्तन होंगे। इसी प्रकार, खांडसारी पर 12.5 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर लगायी जा रही है और वर्तमान संयुत (कंपाउंडिंग) दरों में उपयुक्त फेरबदल किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि जिस मूल्यानुसार दर

से नियंत्रित चीनी पर शुल्क लगाने का विचार है उसी दर से खुले बाजार में मिलने वाली चीनी पर शुल्क लगाये जाने पर माननीय सदस्य सिर्फ इस कारण आपत्ति नहीं करेंगे कि इससे प्रसंगवश 27.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

31. मेरा प्रस्ताव है कि घरों में इस्तेमाल किये जाने वाले बिजली के उल्लिखित उपकरणों पर और परिरक्षित (प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों पर 10 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से उत्पादन-शुल्क लगाया जाय। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष क्राउन कार्कों पर (बोतलों आदि का मुंह बन्द करने के कार्गों पर) 1 पैसा प्रति कार्क शुल्क लगाया गया था। अब मेरा यह प्रस्ताव है कि यह शुल्क बोतलों और पात्रों का मुंह बन्द करने के अन्य प्रकार के ढकनों पर भी लगा दिया जाय। बिजली के उपकरणों, परिरक्षित खाद्य पदार्थों और चौर्यरक्षित (पिल्फर प्रूफ) ढकनों पर लगाये जाने वाले इन उत्पादन-शुल्कों से 4 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

32. माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों को कृषि तथा अनुसन्धान, सिंचाई की सुविधाओं और रासायनिक खाद के कारखानों में किये गये हमारे बड़े बड़े निवेशों, गावों में लगायी गयी बिजली, ऋण-सुविधाओं और मूल्यों को गिरने से रोकने की हमारी नीति से लाभ होता है उन्हें अपने लाभ का कुछ हिस्सा आम विकास के खर्च के लिए दे देना चाहिए। यह इस कारण और भी अधिक आवश्यक है कि अभी हमारे अधिकतर किसानों को, खास कर सूखे प्रदेशों में, जहां रासायनिक खाद और नये बीज इस्तेमाल करना आसान नहीं है, समुन्नत उद्योग-विद्या (टेक्नालाजी) का लाभ नहीं मिल सकता। इसी प्रकार, शक्ति-चालित पम्पों से पानी को ऊपर चढ़ा कर सिंचाई करने की सुविधाओं का विस्तार सर्वत्र समान रूप से नहीं हुआ है। यदि नयी कृषि उद्योग विद्या का लाभ क्रमशः हमारे अधिकाधिक किसानों को पहुंचाना है, तो इस काम के लिए आवश्यक साधन इस काम से लाभ उठाने वालों से, कम से कम अंशतः, प्राप्त होने चाहिएं। इस आधार पर मेरा यह प्रस्ताव है कि रासायनिक खादों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन-शुल्क और शक्ति-चालित पंपों पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन-शुल्क लगाया जाय। इन शुल्कों से 24 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा जिस में से 22 करोड़ रुपया रासायनिक खाद के शुल्क से मिलेगा।

33. अब मुझे फिर क्षुधावर्धक वस्तुएं पेश करनी चाहिएं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कठिनाई का समय है। इसलिए उत्पादन-शुल्क में कुछ राहत देना जरूरी है। सादी सीधी रीलों की लच्छियों के रूप में होने वाले सूत पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क कुछ सूत्रांकों (काउण्ट) के सम्बन्ध में हटा दिया जा रहा है और कुछ अन्य सूत्रांकों के सम्बन्ध में घटाया जा रहा है। इससे हथकरघा क्षेत्र को लाभ होना चाहिए। बिजली के करघे के क्षेत्र को, कलफ लगाने पर लगा हुआ भिन्नक शुल्क (डिफरेंशल डयूटी) हटा दिये जाने से लाभ होगा, यद्यपि कुछ सूत्रांकों के, बिना कलफ के बारीक (फाइन) और बहुत बारीक (सुपरफाइन) सूत का उत्पादन-शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि धूसर (ग्रे) कपड़े पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क हटा दिया जाए और परिष्करण (प्रोसेसिंग) सम्बन्धी अधिभार मीडियम ए और अनियंत्रित मीडियम बी की सभी किस्मों के कपड़े और मोटी किस्मों के कपड़े पर प्रति वर्ग मीटर पांच पैसे घटा दिया जाय। इस राहत से सूती कपड़े की कमजोर मिलों को बहुत लाभ होगा। कुल प्रस्तावित राहत की रकम 15.30 करोड़ रुपया होगी।

34. पर इस हानि में से 9.5 करोड़ रुपये की पूर्ति नियंत्रित किस्मों के छपे कपड़े को छोड़ बहुत बारीक तथा बारीक किस्म के छपे कपड़े पर 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर और दूसरी सब किस्मों के छपे कपड़े पर 2.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर का और ऊंचा शुल्क लगाकर तथा ज्यादा कीमती किस्मों के कपड़ों, जैसे 'सूट', के कपड़ों, परदे और सजावट के कपड़ों, टर्किश तौलियों और दूसरे कपड़ों पर, जिनपर इस समय उनकी कीमत को देखते हुए शुल्क का भार कम है, छंटाई के आधार पर, 15 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगाकर, की जायगी। इसके अलावा, बिजली के करघों के कपड़ों पर लगे हुए वर्तमान संयुत (कम्पाउण्डेड) शुल्क को दुगना करने और कपड़े के टुकड़ों (फेण्ट) पर लगे हुए शुल्कों को युक्ति-संगत करने का भी मेरा विचार है।

35. नीचे के 'डेनियरों' के नाइलन के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क घटाया जा रहा है और इससे होने वाली हानि की कुछ पूर्ति कतिपय ऊंचे 'डेनियरों' के नाइलन के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क कुछ बढ़ाकर की जायगी। इस घट-बढ़ का परिणाम यह होगा कि राजस्व 3.9 करोड़ रुपया कम

हो जायगा। इस रियायत से नाइलन के धागे का चोरी से देश में लाया जाना बंद करने में सहायता मिलेगी। नाइलन के धागे का चोरी से लाया जाना बड़ी चिंता का विषय हो गया है।

36. 'कनफेक्शनरी' पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क घटाकर 80 पैसे प्रति किलोग्राम से 30 पैसे प्रति किलोग्राम किया जा रहा है, पर चाकलैटों पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क नहीं घटाया जा रहा है। रेडियो-निर्माताओं द्वारा संघटकों के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले इलैक्ट्रानिक वाल्वों, ट्रान्जिस्टरों और सेमी-कण्डक्टर डायोडों पर लगा हुआ शुल्क घटाकर आधा कर दिया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के बड़े बड़े निर्माताओं द्वारा बनाये जाने वाले कम कीमत वाले रेडियो-सेटों पर 10 रुपया प्रति सेट शुल्क लगेगा। बिजली की भट्ठियों के मालिकों द्वारा रद्दी लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों और अन्य चीजों के सम्बन्ध में, डलों पर लगे हुए उत्पादन शुल्क की सीमा तक, छूट देने का मेरा विचार है। कसीदे पर लगाया गया उत्पादन-शुल्क घटाया जा रहा है क्योंकि उसका भार बहुत अधिक साबित हो रहा है। मैं अच्छे आधार पर इस विषय में आश्वस्त हूं कि सिनेमा की अस्त-व्यस्त दुनियां में अधिकतम निपुणता उन लोगों को प्राप्त है जो काले और सफेद का विचार करने के अभ्यस्त हैं। इसलिए मैं काली और सफेद सिनेमा फिल्मों को कुछ राहत देना चाहता हूं और रंगीन फिल्मों का शुल्क-भार बढ़ाना चाहता हूं। कच्ची सिनेमा फिल्मों पर भी दो पैसे प्रति मीटर का नाममात्र शुल्क लगाना चाहता हूं। कनफेक्शनरी, रेडियो के संघटक भागों, रद्दी लोहे से बनाये जाने वाले इस्पात के डलों, कसीदे और सिनेमा फिल्मों के सम्बन्ध में दी गई कई प्रकार की रियायतों का परिणाम कुल मिला कर यह होगा कि राजस्व 3.13 करोड़ रुपया कम हो जायगा।

37. अब फिर अधिक परिचित चीजों की चर्चा करता हूं। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है जब सर्वत्र और बहुत समय से अप्रत्यक्ष कर का बोझ इमानदारी से उठाने वाली चीजों में से कुछ को, जैसे सिगरेटों और मोटर स्पिरिटों को उन पर प्रति वर्ष लादे जाने वाले बोझ से मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि शुल्क यथेष्ट रूप से बढ़ाये जायं। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैंने अपने पिछले दो बजटों में इस सम्बन्ध में यथेष्ट कार्रवाई नहीं की। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि मोटर स्पिरिट पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 7 पैसे प्रति

लिटर बढ़ा दिया जाय और सिगरेटों पर लगे हुए उत्पादन-शुल्कमें, विभिन्न मूल्य खण्डों में, मूल्यानुसार 6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाय। इससे 29.84 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। बढ़िया किस्म का मिट्टी का तेल मोटर के ईंधन-तेल में अधिकाधिक मिलाया जा रहा है। इसलिए उस का उत्पादन शुल्क भी 4 पैसा प्रति लिटर बढ़ाया जा रहा है। इससे 14.40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

38. जूट की बनी चीजों पर लगा हुआ बुनियादी उत्पादन-शुल्क 100 रुपया प्रति मेट्रिक टन बढ़ाया जा रहा है। इस वृद्धि से 4.95 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। सेल्यूलोजी रेशे (स्टेपुल फाइबर) पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 20 पैसा प्रति किलोग्राम और गैर - सेल्यूलोजी रेशे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क 12 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ाया जा रहा है। रैयन के धागे पर लगा हुआ उत्पादन-शुल्क औद्योगिक डेनियरों को छोड़ अन्य सभी डेनियरों में वर्तमान दरों का लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और रेयन के धागे के बड़े उत्पादकों की तुलना में छोटे उत्पादकों को शुल्क की दरों में जो रियायत मिलती है वह भी घटायी जा रही है। कृत्रिम रेशों और धागे के सम्बन्ध में किये गये इन प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 9.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ऊन के धागे के शुल्क को वहां से हटाकर ऊन की पूनियों पर लगा देने का भी मेरा इरादा है; प्रारम्भ में मैं ऊन की पूनियों पर थोड़ा-सा शुल्क लगा रहा हूं जिससे 6 लाख रुपया प्राप्त होगा।

39. उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में किये गये सब प्रस्तावों और कुछ छोटी-मोटी विविध बातों का सम्मिलित परिणाम यह होगा कि पूरे वर्ष में 104.57 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से 79.95 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा और 24.62 करोड़ रुपया राज्यों का हिस्सा होगा। उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में किये गये प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्क से, मुख्यतः रासायनिक खाद के आयात पर लगे हुए प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से 26 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

40. निर्धारिती द्वारा उत्पादन-शुल्क की रकम स्वयं हिसाब लगाकर निकाले जाने और माल हटाये जाने की जो योजना जून 1968 से जारी की गयी है वह अच्छी तरह अमल में आयी है और मैं उसे यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र उत्पादन-शुल्कवाली अधिकतर वस्तुओं पर लागू करना चाहता हूं।

प्रत्यक्ष कराधान

41. निगम कराधान के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि नये औद्योगिक उपक्रमों और जहाजों को दी गयी कर-अवकाश सम्बन्धी रियायत (टैक्स हालिडे कंसेशन) की अवधि, 1 अप्रैल 1971 से 31 मार्च 1976 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दी जाय। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि विकास छूट सम्बन्धी सुपरिचित साधन को समाप्त करने या उसके स्थान पर कोई दूसरा नया साधन अपनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए विकास छूट सम्बन्धी रियायत दिया जाना जारी रहेगा, पर 31 मार्च 1970 से बाद लगायी जाने वाली मशीनों और संयंत्रों के सम्बन्ध में विकास छूट, कानून में पहले से निर्धारित की गयी कम दरों पर दी जायगी। बहुजनधारित देशी कम्पनी द्वारा अर्थात्— जिस देशी कम्पनी के शेयर अधिक लोगों के पास हों उसके द्वारा देय कुल निगमकर की अधिकतम सीमा, जो कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में उस कम्पनी की कुल आय का 70 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, अब अर्थहीन हो गयी है। पर लोगों को उससे गलतफहमी होती है जैसे यह अप्रभावी सीमा भी कोई प्रचलित दर हो। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सीमा अब समाप्त कर दी जाय। अब वे पब्लिक कम्पनियां जिनके शेयर मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों की सूचियों में दर्ज हों, बहुजनधारित कम्पनियां मानी जायंगी।

42. विदेशों से वही उद्योग-विद्या बार बार प्राप्त करने में ज्यादा से ज्यादा कमी करने और वस्तुतः देश में तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मेरा यह प्रस्ताव है कि उन भारतीय कम्पनियों की आय पर, जो ऐसे ज्ञान को बेचकर या उसके द्वारा सेवा करके कमाई करती हैं, रियायती आधार पर कर लगाया जाय। हमारे देश के दो महत्वपूर्ण निर्यात-सहायक उद्योगों अर्थात् — सूती और जूट वस्त्र उद्योगों को आधुनिक बनाने में प्रोत्साहन देने के लिए मैं इन दोनों उद्योगों को विकास छूट देने के उद्देश्य से प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

43. आयकर अधिनियम तथा उससे सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने के लिए एक विस्तृत विधेयक संसद के इस अधिवेशन में, बाद में, पेश करने का मेरा विचार है। इस विधेयक में मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि जिन भारतीय कम्पनियों को इस समय मूल्य-ह्रास सम्बन्धी छूट तथा अन्य छूटें पाने का अधिकार

नहीं है उनके द्वारा प्रोत्साहन, प्रायोजना रिपोर्ट, मंडियों की खोज आदि के लिए किया गया व्यय, 10 वर्ष की अवधि में, उनकी कर-योग्य आमदनी में से घटा दिया जाय। इस प्रकार घटायी जाने वाली रकम प्रायोजना की लागत के 2½ प्रतिशत भाग तक सीमित होगी। मूल्य-ह्रास के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों के वर्गीकरण करने का तरीका काफी सरल बनाया जा रहा है और मशीनों तथा संयंत्रों के मूल्य-ह्रास के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट की सामान्य दर बढ़ाकर 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की जा रही है।

44. व्यक्तिगत आय कर की दरों में क्रमिक वृद्धि करने के उद्देश्य से 10,001 रुपए से 15,000 रुपए तक की आमदनियों के कर की दर में 2 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि करने अर्थात् उसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने और 15,001 रुपए से 20,000 रुपए तक की आमदनियों के कर की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने अर्थात् उसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है। इन वृद्धियों का पूरा प्रभाव उन कर-दाताओं पर पड़ेगा जिनकी आय प्रतिवर्ष 20,000 रुपया या उससे अधिक होगी। बुनियादी आय-कर के 10 प्रतिशत के अधिभार (सरचार्ज) को मिलाने पर इस प्रकार के प्रत्येक मामले में अतिरिक्त कर की रकम 275 रुपया प्रतिवर्ष होगी। आय कर की दरों में किये गये इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 13.82 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

45. सहकारी समितियों पर लगाये जाने वाले करों को सरल और युक्ति-संगत बनाने का मेरा प्रस्ताव है। रजिस्टर्ड फर्मों के सम्बन्ध में 10,001 रुपए से 25,000 रुपए तक की आमदनियों का एक और खण्ड बना कर ऐसी फर्मों पर किये जाने वाले कराधान में थोड़ी सी वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। उपर्युक्त आयखण्ड की फर्मों पर लगने वाले बुनियादी आयकर की दर 4 प्रतिशत होगी। इस परिवर्तन से पूरे वर्ष में 4.32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

46. लेखकों, कलाकारों, नाट्यकारों, गायकों और अभिनेताओं को मैं विशेष प्रसन्नता का समाचार देना चाहता हूं। उनकी व्यावसायिक आय का, जो उन्हें विदेशी स्रोतों से विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त होगी, 25 प्रतिशत भाग कर-योग्य आय में से घटा दिया जायगा। यदि मेरे इस प्रस्ताव से माननीय सदस्य यह समझें कि इसके कारण हमारी सांस्कृतिक क्षति होगी तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि सर्वोत्तम वस्तुएं निर्यात के लिए होती हैं।

47. माननीय सदस्य जानते ही हैं कि वास्तविक निवेशकों में सामान्य शेयरों में धन लगाने की रुचि फिर से पैदा हुई है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कम्पनियों से लाभांश के रूप में होने वाली आय के लिए कर से छूट देने की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिवर्ष करने का मेरा प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से भारतीय कम्पनियों के शेयरों में लगायी जाने वाली पूंजी यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में लगायी जाने वाली पूंजी के बराबर हो जायगी। जीवन बीमा की किस्तों के सम्बन्ध में इस समय कर में दी जाने वाली राहत का क्षेत्र बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

48. कृषि-सम्बन्धी सम्पत्ति पर अभी तक सम्पत्ति कर नहीं लगता। इस सुविधा से अधिक धनी व्यावसायिक तथा व्यापारिक वर्गों को जमीन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिला है। माना कि इससे कभी कभी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु सामान्य अर्थ-व्यवस्था में यह कदापि न्याय-संगत नहीं है कि अन्य उत्पादनकारी सम्पत्ति पर तो कर लगाया जाय पर कृषि भूमि सम्बन्धी सम्पत्ति को कर से छूट दी जाय। महान्यायवादी ने मुझे परामर्श दिया है कि संसद् को कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तदनुसार सम्पत्ति कर अधिनियम में कृषि-भूमि के मूल्य पर, जिसमें उस भूमि पर या उसके पास स्थित इमारतों का मूल्य शामिल है, सम्पत्ति कर लगाने की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है। लेकिन खड़ी फसलों, औजारों, और ट्रैक्टरों जैसे उपकरणों पर कोई कर नहीं लगाया जायगा। निर्धारण-वर्ष 1970-71 से प्रचलित दरों पर कर-निर्धारण के लिए कृषि सम्बन्धी सम्पति दूसरी सम्पत्ति में जोड़ दी जायगी। इस तरीके से पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन, मैंने अभी जो कहा है, उसके कारण, आगामी वर्ष में राजस्व सम्बन्धी कोई लाभ नहीं होगा। कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर लगाये जाने से होने वाली वास्तविक राजस्व-प्राप्तियां राज्यों को सहायक अनुदानों के रूप में दे देने का मेरा विचार है।

49. अग्रिम कर अदायगी योजना को अधिक प्रभावकारी और छोटे छोटे आयकर-दाताओं पर अदायगी का भार कम करने के लिए भी मैं उक्त योजना में कई परिवर्तन करने के प्रस्ताव कर रहा हूं। सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन वास्तविक सम्पत्ति का विवरण न देने और हिसाब-किताब, कागजात आदि पेश न करने के लिए किये जाने वाले जुर्मानों में कुछ परिवर्तन करने का भी मैं

प्रस्ताव कर रहा हूं। एक और प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य कारबार के खर्च के लिए अदायगियां करने में बैंकों का अधिक इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की गयी व्यवस्था को ठीक ठीक चलाने का पक्का प्रबन्ध करना है।

50. माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपनी पत्नी/पति तथा छोटे बच्चों के नाम अन्तरित करके अपनी आय पर कर लगाये जाने से बच नहीं सकता। फिर भी, अलग एकक के रूप में हिन्दू अविभक्त परिवार पर कर लगाने के लिए बनाये गये विशेष कानूनों का इस्तेमाल कर के अक्सर इससे बचा जा सकता है। संशोधन विधेयक में उपयुक्त उपबन्ध करके कर न देने के इस रास्ते को बन्द करने का मेरा विचार है।

51. मैंने प्रत्यक्ष कराधान में जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है उनसे अगले वर्ष कुल मिलाकर केन्द्र को 11 करोड़ रुपये और राज्यों को 2.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

डाक और तार

52. डाक और तार विभाग को अगले वर्ष भी घाटा होगा। इसलिए स्थूल रूप से शुल्क दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर टेलीफोनों और तारों की कुछ शुल्क दरों में अधिसूचित की जाने वाली तारीखों से संशोधन करने का विचार है। बजट पत्रों के साथ एक ज्ञापन भी परिचालित किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्योरा दिया गया है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के चार बड़े शहरों में तथा दूसरे टेलीफोन केन्द्रों के लिए टेलीफोन का किराया बढ़ाया जायगा। डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा पर, जो अब तक निःशुल्क थी, अब शुल्क लगाया जायगा। विशेष व्यक्ति (पी.पी.) ट्रंक कालों और निर्धारित समय के ट्रंक कालों के लिए अतिरिक्त शुल्क अब समान रूप से बुनियादी शुल्क का 50 प्रतिशत होगा। बधाई के तारों, बहु-पता तारों और टैलेक्स तथा कुछ और सेवाओं के शुल्क में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 6.46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है और यह रकम प्रत्याशित राजस्व घाटे की रकम को पूरा करने के लिए काफी होगी। इन परिवर्तनों के प्रभाव को सरकारी उपक्रमों के कुल आन्तरिक साधनों का अनुमान लगाने के लिए हिसाब में लिया गया है।

सारांश

53. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मैंने करों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये हैं उनसे अगले वर्ष केन्द्र को लगभग 100 करोड़ रुपये का वास्तविक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से 11 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष करों से, 80 करोड़ रुपया उत्पादन-शुल्कों से और निर्यात-शुल्कों में होने वाली 23 करोड़ रुपए की कमी को हिसाब में लेने के बाद, 9 करोड़ रुपया सीमाशुल्कों से मिलेगा। इसके अलावा, 27 करोड़ रुपया राज्यों को प्राप्त होगा।

54. अब मैं संक्षेप में साधनों के सम्बन्ध में केन्द्र की अगले वर्ष की स्थिति बताना चाहता हूं। कर-सम्बन्धी अतिरिक्त प्रस्तावों को हिसाब में लेने के बाद कुल राजस्व अनुमानतः 3,519 करोड़ रुपया होगा जिसमें से 519 करोड़ रुपया राज्यों को और 3,000 करोड़ रुपया केन्द्र को मिलेगा। राजस्व खाते का आयोजना-व्यय से भिन्न व्यय, जिसमें राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान, ब्याज-प्रभार, और रक्षा-सम्बन्धी व्यय शामिल है, 2,558 करोड़ रुपया आंका गया है। इस प्रकार आयोजना से भिन्न राजस्व-अधिशेष 442 करोड़ रुपया रहेगा। अनुमान है कि चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम घटाने के बाद, बाजार-ऋणों और विदेशी ऋणों से अगले वर्ष क्रमशः 106 करोड़ रुपए और 691 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त होगी। विविध ऋण जमा शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों को हिसाब में लेने के बाद और आयोजना से भिन्न पूंजीगत व्यय और ऋणों के लिए — जिनमें संकट के समय काम आने वाले अन्न-भण्डार के लिए निर्धारित की जाने वाली रकम और सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की नकदी हानियां शामिल हैं — व्यवस्था करने के बाद, पूंजी खाते में 1,046 करोड़ रुपया उपलब्ध होगा। इस प्रकार, केन्द्र के बजट में आयोजना के लिए 1,738 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध होंगे जिनमें घाटे की वित्त-व्यवस्था का 250 करोड़ रुपया शामिल है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिनमें रेलें और डाक-तार शामिल हैं, अपने साधनों में से आयोजना के लिए अनुमानतः 165 करोड़ रुपया जुटायेंगे। इस प्रकार, राज्यों के साधनों को छोड़ देने पर, अगले वर्ष आयोजना के लिए कुल 1903 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध होगी। इसमें से 615 करोड़ रुपया राज्यों को दी जाने वाली आयोजना-सहायता के लिए और 65 करोड़ रुपया संघीय राज्य-क्षेत्रों को दी जाने वाली आयोजना-सहायता के लिए रखा गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय आयोजना के लिए, जिसमें केन्द्र-प्रवर्तित (सेण्ट्रली स्पानसर्ड) योजनाएं शामिल हैं, 1223 करोड़ रुपया रहेगा।

55. अगले वर्ष के बजट में आयोजना के लिए कुल 1738 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से 402 करोड़ रुपया राजस्व-बजट में और 1336 करोड़ रुपया पूंजी बजट में है। राजस्व-खाते में की गयी व्यवस्था में राज्यों की आयोजना-गत योजनाओं के लिए दिये जाने वाले सहायक अनुदानों के रूप में 185 करोड़ रुपये की रकम है। यह रकम अगले वर्ष से दी जाने वाली कुल आयोजना सहायता का 30 प्रतिशत भाग है जबकि इस समय दिये जाने वाले इन अनुदानों की रकम औसतन कुल आयोजना सहायता के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होती है। राजस्व-बजट में आयोजना के लिए की गयी व्यवस्था का शेष भाग संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजना और केन्द्रीय आयोजना के लिए है। केन्द्र-प्रवर्तित योजनाओं के लिए राजस्व खाते और पूंजी खाते दोनों में कुल मिलाकर 117 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

56. अगले वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में इस्पात के उत्पादन, बन्दरगाहों, पेट्रो-रासायनिक पदार्थों के लिए, रासायनिक खाद के कारखानों, लोहे के निर्यात के लिए, खानों के विकास और तांबे तथा एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए चालू वर्ष में की गयी व्यवस्था के मुकाबले अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। मुख्य रूप से परिव्यय में वृद्धि होना इस बात का सूचक है कि चालू योजनाओं का काम अधिक तेजी से किया जा रहा है। तब भी इससे निर्माण-कार्य में लगे उद्योगों, खासकर इंजीनियरी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अन्न रखने के लिये भण्डार बनाने का कार्यक्रम भी तेजी से चलाने का विचार है। किसानों को ऋण देने, खासकर रासायनिक खाद के वितरण और गांवों में बिजली लगाने के संस्थागत प्रबन्ध को, बजट में उस के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करके, सुदृढ़ किया जा रहा है। परिवार-नियोजन के लिए पहले से अधिक परिव्यय किया जायगा।

57. महोदय, मैं इस बात पर चाहे जितना जोर दूं वह कम ही होगा कि मेरे कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर और अगले वर्ष किये जाने वाले आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय में की जाने वाली कुछ वृद्धि पर इस पृष्ठभूमि से विचार किया जाना चाहिए कि हमारे साधनों पर बहुत अधिक बोझ है। पिछले कुछ वर्षों से राजस्व खाते के अधिशेष में कमी होती रही है। अगले वर्ष केन्द्र के बजट में, करों की वर्तमान दरों के अनुसार, राजस्व में 60 करोड़ रुपये की कमी आंकी गयी है। अतिरिक्त प्रस्तावित कर लगाये जाने पर भी, यह कमी केवल 40 करोड़ रुपये के अधिशेष में परिवर्तित होगी। पूंजी खाते में स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई केवल इस

कारण नहीं दिखाई देती कि इस वर्ष होने वाला कुछ आयात अगले वर्ष होने से अन्न-सहायता का स्तर ऊंचा बनाये रखा गया है। ज्यों ज्यों अन्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी त्यों त्यों यह साधन क्रमशः घटता जायगा और यदि विकास-सम्बन्धी परिव्यय अनुचित रूप से कम नहीं किया जाना है, तो साधन जुटाने के अन्य उपाय निकालने पड़ेंगे। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बनाये रखते हुए और स्वावलम्बन बढ़ाते हुए विकास का व्यापक लक्ष्य केवल बजट-सम्बन्धी नीति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के प्रत्येक क्षेत्र का सुव्यवस्थित सहयोग आवश्यक है। केवल इस प्रकार हम इस महान् राष्ट्र को जनसाधारण की गरीबी को मिटा देने के उस प्रयत्न के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं जो उतना ही फलदायक है जितना कठिन है। मैं इतनी ही आशा कर सकता हूं कि जो बजट पेश करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है वह इस लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ सहायता प्रदान करेगा।

धन्यवाद।

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय सरकार

का

1969-70

का

बजट

BUDGET

OF THE

CENTRAL GOVERNMENT

FOR

1969-70

(जैसा कि संसद के सम्मुख 1969 में प्रस्तुत किया गया)

(As laid before Parliament 1969)

वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1969

MINISTRY OF FINANCE,
New Delhi, the 28th February, 1969

टी० पी० सिंह,
सचिव, भारत सरकार

T. P. Singh,
Secretary to the Government of India.

CONTENTS

I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां RECEIPTS (हज़ार रुपयों में) (In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	ब्योरे के लिए विवरण देखिए For details *vide* Statement	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
राजस्व प्राप्तियां—	REVENUE RECEIPTS—					
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—	TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—	II				
सीमा-शुल्क . . .	Customs . . .	,,	5,13,34,79	5,39,27,00	4,45,00,00	4,26,00,00 +9,20,00*
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क . .	Union Excise Duties .	,,	11,48,52,32	12,79,24,00	13,20,45,00	14,21,63,00 +1,04,57,00* —24,62,00@
निगम-कर . . .	Corporation Tax .	,,	3,10,33,07	3,20,35,00	3,22,00,00	3,30,00,00 —3,80,00*
निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	Taxes on Income other than Corporation Tax.	,,	1,51,10,36	1,63,15,49	1,43,49,41	1,62,92,97 +14,80,00*
मृत-सम्पत्ति-शुल्क . .	Estate Duty . .	,,	—21,55	68,70	1,46,14	39,38
सम्पत्ति-कर . . .	Taxes on Wealth .	,,	10,67,01	11,00,00	11,00,00	12,00,00
व्यय-कर . . .	Expenditure Tax . .	,,	8	3,00	3,00	1,00
दान-कर . . .	Gift Tax	,,	1,29,73	1,75,00	1,75,00	1,50,00
अन्य शीर्षक . . .	Other Heads . .	,,	36,25,33	38,90,94	44,54,46	48,16,96
जोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक . .	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE .		21,71,31,14	23,54,39,13	22,89,73,01	24,02,63,31 +1,00,15,00*
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over . .		21,71,31,14	23,54,39,13	22,89,73,01	24,02,63,31 +1,00,15,00*

टिप्पणी—1967-68 का खाता अन्तिम रूप से बन्द नहीं किया गया है और यहां जो वास्तविक आंकड़े दिये गये हैं वे केवल अनन्तिम हैं।

NOTE.—The Accounts for 1967-68 have not been finally closed and the actuals given here are only provisional.

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव।

*Effect of Budget Proposals.

@केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से राज्यों को दिये जाने वाला हिस्सा जो राजस्व में से घटा दिया गया है।

@Share of Union Excise Duties payable to States which has been taken in reduction of Revenue.

भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd*

(हजारों रुपये में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	ब्योरे के लिए विवरण देखिए For details *vide* Statement	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I–भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
राजस्व से किया जाने वाला व्यय—	EXPENDITURE MET FROM REVENUE—					
करों, शुल्कों और अन्य मख्य राजस्वों का संग्रह	COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES .	II	35,19,74	39,90,07	40,10,79	44,59,52
ऋण व्यवस्था	DEBT SERVICES .	,,	5,01,43,18	5,50,32,13	5,27,69,08	5,68,81,85
प्रशासनिक सेवाएं	ADMINISTRATIVE SERVICES	,,	1,36,48,50	1,40,40,84	1,52,82,25	1,64,83,06
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	,,	2,19,05,58	2,52,17,23	2,41,38,96	2,72,32,57
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES .	,,	3,33,79	3,55,41	2,95,20	4,38,91
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over .		8,95,50,79	9,86,35,68	9,64,96,28	10,54,95,91

I —केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों

I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

(हजारों रुपये में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	ब्योरे के लिये विवरण देखिये / For details *vide* Statement	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 / Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 / Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 / Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 / Budget Estimate, 1969-70
I--भारत की समेकित निधि--	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
आगे लायी गयी रकम .	Forward Brought .	II	21,71,31,14	23,54,39,13	22,89,73,01	24,02,63,31 +1,00,15,00*
ऋण-व्यवस्था . . .	DEBT SERVICES . .	,,	4,25,37,98	4,49,18,71	4,96,03,25	5,40,07,06
प्रशासनिक सेवाएं . .	ADMINISTRATIVE SERVICES	,,	10,21,65	10,00,45	9,78,11	9,79,45
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं .	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES .	,,	29,88,01	25,95,23	30,47,08	30,17,50
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं . .	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	,,	1,82,85	1,96,76	1,04,79	3,74,90
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS . .	,,	6,23,41	5,86,57	6,46,78	7,50,42
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS) . .	,,	10,50,63	11,37,47	11,87,74	12,69,68
मुद्रा और टकसाल . .	CURRENCY AND MINT .	,,	78,92,54	86,05,00	87,18,62	94,93,36
विविध . . .	MISCELLANEOUS . .	,,	31,54,49	22,49,43	26,18,81	27,41,03
अंशदान और विविध समायोजन (रेलों तथा डाक और तार के अंशदानों से भिन्न) . . .	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS (OTHER THAN CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS AND P.&.T.)	,,	10,13,44	10,83,13	12,10,17	12,53,59
रेलों को अंशदान . . .	CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS . .	,,	30,29,91	30,52,01	29,31,57	30,26,99
डाक और तार का अंशदान .	CONTRIBUTIONS FROM POSTS AND TELEGRAPHS .	,,	5,55,08	3,11,97	2,68,25	2,99,61
असाधारण मदें . .	EXTRAORDINARY ITEMS .	,,	8,12,00	15,54,02	36,72,39	27,60,02
जोड़—राजस्व प्राप्तियां .	TOTAL—REVENUE RECEIPTS		28,19,93,13	30,27,29,88	30,39,60,57	32,02,36,92 +1,00,15,00*
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात कमी	EXCESS OF EXPENDITURE OVER REVENUE OR DEFICIT . . .		..	..	..	..
जोड़ . . .	TOTAL .		28,19,93,13	30,27,29,88	30,39,60,57	33,02,51,92

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव ।

*Effect of Budget Proposals.

और भुगतानों का सामान्य विवरण--जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान DISBURSEMENTS

(हजारों रुपये में)
(In thousands of Rupees)

		ब्यौरे के लिए विवरण देखिए For details *vide* Statement	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I–भारत की समेकित निधि— आगे लायी गयी रकम	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— Brought Forward	II	8,95,50,79	9,86,35,68	9,64,96,28	10,54,95,91
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS .	,,	23,87,11	32,08,84	36,38,93	37,93,35
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	,,	16,24,45	12,82,16	14,48,43	17,33,00
मुद्रा और टकसाल . . .	CURRENCY AND MINT .	,,	22,78,56	24,45,02	24,99,13	26,43,72
विविध . .	MISCELLANEOUS .	,,	1,72,07,18	1,82,37,05	2,03,57,61	2,26,69,36
अंशदान और विविध समायोजन .	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS	,,	7,14,34,77	7,52,36,67	8,36,61,91	9,07,31,16
असाधारण मदें . . .	EXTRAORDINARY ITEMS .		8,90,56	11,46,74	11,32,04	5,88,61
रक्षा सेवाएं (क) . . .	DEFENCE SERVICES(*a*) .	,,	8,62,21,16	8,94,46,00	9,43,63,42	9,85,78,00
जोड़—राजस्व से किया जाने वाला व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE .		27,15,94,58	28,96,38,16	30,35,97,75	32,62,33,11
व्यय से राजस्व की अधिकता अर्थात् अधिशेष . . .	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OR SURPLUS . . .		1,03,98,55	1,30,91,72	3,62,82	40,18,81*
जोड़ . .	TOTAL .		28,19,93,13	30,27,29,88	30,39,60,57	33,02,51,92

(क) शुद्ध आंकड़े; प्राप्तियां व्यय में से घटा दी गयी हैं।

(a) Figures shown net; the receipts have been deducted.

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव ।

*Effect of Budget Proposals.

I—केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों और

I—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां RECEIPTS

(हज़ारों रुपये में)
(In thousands of Rupees)

		ब्योरे के लिये विवरण देखिये For details *vide* Statement	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
राजस्व का अधिशेष (जैसा कि पृष्ठ 5 पर दिखाया गया है)	REVENUE SURPLUS (AS SHOWN IN PAGE 5)		1,03,98,55	1,30,91,72	3,62,82	40,18,81
राजस्व खाते से बाहर की पूंजीगत प्राप्तियां . . .	CAPITAL RECEIPT OUTSIDE REVENUE ACCOUNT . .	II	..	..	..	..
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—					
स्थायी ऋण—	PERMANENT DEBT—					
भारत में लिया जाने वाला ऋण	Debt raised in India.	,,	4,27,04,22	3,00,70,00	3,96,21,37	5,00,25,00
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	Debt raised outside India . .		7,88,93,16	10,19,00,00	8,68,54,39	8,50,00,04
अस्थायी ऋण—	FLOATING DEBT—					
राजकोष हुण्डिया (शुद्ध)	Treasury Bills (net).		89,86,25	2,90,00,00	1,71,00,00	2,50,00,00
अन्य अस्थायी ऋण (शुद्ध)	Other Floating Debt (net) . . .		53,00	1,48,75	—1,72,00	1,48,00
ऋणों और अग्रिमों का परिशोधन	REPAYMENT OF LOANS AND ADVANCES—					
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें . . .	State and Union Territory Governments	,,	3,78,04,04	4,25,00,00	5,75,00,00	5,40,00,00
अन्य ऋण और अग्रिम . .	Other Loans and Advances . .	,,	1,16,40,14	1,24,00,00	1,60,00,00	2,05,00,00
अन्तर्राज्यीय निपटारा . .	INTER-STATE SETTLEMENT . .	,,	17,09	..	14,33	..
जोड़–भारत की समेकित निधि—	TOTAL—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over .		19,04,96,45	22,91,10,47	21,72,80,91	23,86,91,85

भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजारों रुपये में)

(In thousands of Rupees)

		ब्यौरे के लिए विवरण देखिए For details *vide* Statement	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—	I.-CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
राजस्व की कमी (जो पृष्ठ 4 पर दिखाई गई है)	Revenue Deficit (as shown in Page 4)		..	..	..	..
राजस्व से किया जाने वाला पूंजीगत व्यय . . .	CAPITAL ACCOUNT NOT MET FROM REVENUE—					
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	II	1,83,23,72	2,36,92,31	2,50,82,71	3,40,86,10
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं . .	MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES .		19,51,68	24,08,99	26,91,43	58,25,48
लोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधार की विविध योजनाएं .	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS .	”	57,38,80	69,09,00	61,25,47	75,88,53
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS) .	”	6,80,56	16,29,25	17,43,48	25,54,56
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY & MINT .	”	14,29,59	14,05,08	13,41,65	6,27,85
विविध . . .	MISCELLANEOUS .		2,66,76,17	1,06,77,39	−90,71,52	−28,22,95
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय. .	DEFENCE CAPITAL OUTLAY . .	”	1,06,21,84	1,20,80,00	1,07,75,26	1,24,22,00
रेलों की पूंजी (जो रेलों के बजट में दिखायी गयी है)	RAILWAY CAPITAL (AS SHOWN IN THE RAILWAY BUDGET) .	”	1,35,92,77	1,43,00,00	1,34,09,03	1,32,60,00
डाक और तार . . .	POSTS AND TELEGRAPHS	”	26,44,49	30,45,54	30,44,75	34,16,41
जोड़—राजस्व से न किया जाने वाला पूंजीगत व्यय	TOTAL—CAPITAL ACCOUNT NOT MET FROM REVENUE .		8,16,59,62	7,61,47,56	5,51,42,26	7,69,57,98
ऋण परिशोधन	REPAYMENT OF DEBT—					
स्थायी ऋण	PERMANENT DEBT—					
भारत मे लिया जाने वाला ऋण	Debt raised in India		2,58,79,23	2,44,40,00	2,46,45,00	4,00,50,00
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	Debt raised outside India . .		1,87,77,96	1,94,47,44	1,69,62,70	2,07,60,31
केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY CENTRAL GOVERNMENT—					
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें	State and Union Territory Governments	”	8,91,94,41	8,55,68,17	9,15,16,06	7,93,74,23
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances . . .	”	4,71,82,60	4,60,73,66	5,94,26,68	4,56,59,91
अन्तर्राज्यीय निपटारा . .	INTER-STATE SETTLEMENT . . .	”	24,86	83	34,71	..
जोड़—I भारत की समेकित निधि आगे ले जायी गयी रकम	TOTAL—I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA . . Carried over		26,27,18,68	25,16,77,66	24,77,27,41	26,28,02,43

I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां — RECEIPTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

		ब्योरे के लिये विवरण देखिये For details vide Statement	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward .		19,04,96,45	22,91,10,47	21,72,80,91	23,86,91,85
II—भारत की आकस्मिकता निधि	II.—CONTINGENCY FUND OF INDIA .	II	2,50	..	58,72	..
III—सार्वजनिक खाता	III.—PUBLIC ACCOUNT—					
अनिधिबद्ध ऋण—	UNFUNDED DEBT—					
छोटी बचतें (शुद्ध)* . .	Small Savings (Net)@	"	1,23,40,81	1,20,20,00	1,25,20,00	1,35,25,00
राज्य भविष्य निधियां (शुद्ध) .	State Provident Funds (Net)	"	75,42,47	33,74,90	47,25,34	62,70,63
सार्वजनिक भविष्य निधि . .	Public Provident Fund .		..	10,00,00	2,00,00	5,00,00
आयकर वार्षिकी जमा (शुद्ध)	Income Tax Annuity Deposits (Net) . .	"	34,49,64	—9,00,00	—4,00,00	—10,25,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध) . .	Compulsory Deposits (Net)	"	—38,65	—25,00	—25,00	—25,00,00
अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवेश (शुद्ध) .	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	"	93,56,00	25,00,00	—59,55,00	40,11,00
अन्य मदें (शुद्ध) . .	Other Items (Net) .	"	25,84,33	1,69,36	—21,88,59	—9,57,64
जोड़ . . .	TOTAL .		3,52,34,60	1,81,39,26	88,76,75	1,98,23,99
जमा और अग्रिम . . .	DEPOSITS AND ADVANCES—					
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां (शुद्ध)	Depreciation and other Reserve Funds (Net) .	"	..	21,63,78	13,69,68	27,42,35
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिये विनियोग . .	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	"	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
अन्य जमा और अग्रिम (शुद्ध) .	Other Deposits and Advances (Net) . .	"	6,17,13,45	26,03,92	1,95,03,60	22,80,49
जोड़ . . .	TOTAL .		6,22,13,45	52,67,70	2,13,73,28	55,22,84
प्रेषणाएं (शुद्ध) . .	REMITTANCES (NET)	"	98,63,57	..	..	..
इंगलैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण (शुद्ध) . .	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA (NET) . .	"	..	..	..	..
जोड़–III–सार्वजनिक खाता	TOTAL—III—PUBLIC ACCOUNT . . .		10,73,11,62	2,34,06,96	3,02,50,03	2,53,46,83
जोड़—प्राप्तियां . . .	TOTAL—RECEIPTS .		29,78,10,57	25,25,17,43	24,75,89,66	26,40,38,68
पूर्व-शेष . . .	Opening Balance . .		1,05,99,82	51,06,91	64,56,86	50,90,36
जोड़ . . .	TOTAL		30,84,10,39	25,76,24,34	25,40,46,52	26,91,29,04

@टिप्पणी—इसमें "सरकारी ऋण" में सम्मिलित वार्षिकी-पत्र शामिल नहीं है।
@NOTE.—Excludes Annuity Certificates included under "Public Debt".

भुगतानों का सामान्य विवरण—समाप्त

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*concld.*

भुगतान	DISBURSEMENTS				(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)	
		ब्योरे के लिये विवरण देखिये For details *vide* Statement	वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward		26,27,18,68	25,16,77,66	24,77,27,41	26,28,02,43
II—भारत की आकस्मिकता निधि	II.—CONTINGENCY FUND OF INDIA		58,72	..	..	..
III—सार्वजनिक खाता—	III.—PUBLIC ACCOUNT—					
जमा और अग्रिम . . .	DEPOSITS AND ADVANCES—					
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां (शुद्ध) . . .	Depreciation and other Reserve Funds (Net)	"	3,57,45,96	..	..	..
अन्य जमा और अग्रिम (शुद्ध)	Other Deposits and Advances (Net)	"	..	..	..	..
जोड़	TOTAL		3,57,45,96	..	..	..
प्रेषणाएं (शुद्ध) . .	REMITTANCES (NET)	"	..	7,66,77	12,28,75	12,21,25
इंग्लैण्ड और भारत के बीच नगदी का अंतरण (शुद्ध)	Transfer of cash between England and India (Net)		34,30,17	..	..	..
रिजर्व बैंक में जमा (शुद्ध) .	RESERVE BANK DEPOSITS (NET)	"	..	..	..	..
जोड़—III—सार्वजनिक खाता .	TOTAL—III—PUBLIC ACCOUNT		3,91,76,13	7,66,77	12,28,75	12,21,25
जोड़—भुगतान	TOTAL—DISBURSEMENTS		30,19,53,53	25,24,44,43	24,89,56,16	26,40,23,68
इति शेष	Closing Balance		64,56,86	51,79,91	50,90,36	51,05,36
जोड़	TOTAL		30,84,10,39	25,76,24,34	25,40,46,52	26,91,29,04

8—140 Fin.

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I–भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—	TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—				
I—सीमा-शुल्क	I.—Customs	5,13,34,79	5,39,27,00	4,45,00,00	4,35,20,00
II—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	II.—Union Excise Duties	11,48,52,32	12,79,24,00	13,20,45,00	15,01,58,00
III—निगम-कर	III.—Corporation Tax	3,10,33,07	3,20,35,00	3,22,00,00	3,26,20,00
IV—निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	IV.—Taxes on Income other than Corporation Tax	1,51,10,36	1,63,15,49	1,43,49,41	1,77,72,97
V—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	V.—Estate Duty	—21,55	68,70	1,46,14	39,38
VI—सम्पत्ति-कर	VI.—Taxes on Wealth	10,67,01	11,00,00	11,00,00	12,00,00
VII—व्यय-कर	VII.—Expenditure Tax	8	3,00	3,00	1,00
VIII—दान-कर	VIII.—Gift Tax	1,29,73	1,75,00	1,75,00	1,50,00
IX—भू-राजस्व.	IX.—Land Revenue	13,38	18,33	30,75	20,04
X—राज्य उत्पादन-शुल्क	X.—State Excise Duties	3,74,21	3,96,60	4,66,49	4,94,18
XI—गाड़ियों पर कर	XI.—Taxes on Vehicles	1,54,84	1,60,91	1,67,02	1,81,02
XII—बिक्री-कर	XII.—Sales Tax	19,01,87	21,07,28	23,27,96	25,95,72
XIII—अन्य कर और शुल्क	XIII.—Other Taxes and Duties	5,51,26	6,21,41	8,05,64	8,49,32
XIV—स्टाम्प	XIV.—Stamps	6,15,40	5,68,20	6,42,99	6,60,87
XV—रजिस्ट्री फीस	XV.—Registration Fees	14,37	18,21	13,61	15,81
जोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE	21,71,31,14	23,54,39,13	22,89,73,01	25,02,78,31
ऋण व्यवस्था—	DEBT SERVICES—				
XVI—ब्याज—	XVI.—Interest—				
राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों से ब्याज	Interest from State and Union Territory Governments	2,00,01,86	2,05,00,00	2,27,00,00	2,49,00,00
रेलों से ब्याज	Interest from Railways	1,11,23,06	1,21,48,24	1,22,01,96	1,28,74,20
डाक और तार से ब्याज	Interest from Posts and Telegraphs	12,44,00	9,69,65	9,27,98	10,17,35
अन्य वाणिज्यिक विभागों से ब्याज	Interest from Other Commercial Departments	6,57,84			
अन्य ब्याज प्राप्तियां	Other Interest Receipts	95,11,22	1,13,00,82	1,37,73,31	1,52,15,51
जोड़—ऋण-व्यवस्था	TOTAL—DEBT SERVICES	4,25,37,98	4,49,18,71	4,96,03,25	5,40,07,06
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	25,96,69,12	28,03,57,84	27,85,76,26	30,42,85,37

और भुगतानों के अनुमान —जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupe

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–7 Budget Estimate 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह—	COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES—				
1–सीमा-शुल्क . . .	1.—Customs	5,40,86	6,92,28	6,89,05	8,29,2
2–केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क . .	2.—Union Excise Duties . . .	12,48,73	13,49,96	12,90,14	13,27,1
3–निगम-कर . . .	3.—Corporation Tax . . .	..	2,50,52	2,69,92	3,28,8
4–निगम-कर से भिन्न आय-सम्बन्धी कर	4.—Taxes on Income other than Corporation Tax	11,94,03	10,01,96	10,79,64	12,75,8
5–मृत-सम्पत्ति-शुल्क . .	5.—Estate Duty	..	14,93	14,41	18,2
6–सम्पत्ति-कर . . .	6.—Taxes on Wealth . . .	..	24,85	22,66	26,8
7–व्यय-कर . . .	7.—Expenditure Tax . . .	..	18	6	
8–दान-कर . . .	8.—Gift Tax	..	3,48	3,61	3,6
9–भू–राजस्व . . .	9.—Land Revenue	13,14	19,36	15,04	18,2
10–राज्य उत्पादन-शुल्क . .	10.—State Excise Duties . . .	4,47	4,93	5,79	5,7
11–गाड़ियों पर कर . .	11.—Taxes on Vehicles . . .	7,69	7,84	7,91	8,4
12–बिक्री कर . . .	12.—Sales Tax	31,44	43,75	40,75	43,2
13–अन्य कर और शुल्क . .	13.—Other Taxes and Duties . .	37,63	37,02	38,80	41,4
14–स्टाम्प . . .	14.—Stamps	4,40,25	5,37,31	5,31,25	5,30,5
15–रजिस्ट्री फीस . . .	15.—Registration Fees . . .	1,50	1,70	1,76	1,9
जोड़—करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह .	TOTAL—COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES .	35,19,74	39,90,07	40,10,79	44,59,5
ऋण-व्यवस्था—	DEBT SERVICES—				
16—ऋण और अन्य देनदारियों पर ब्याज	16.—Interest on Debt and Other Obligations	4,96,43,18	5,45,32,13	5,22,69,08	5,63,81,8
17–ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिये विनियोग . .	17.—Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt . . .	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,0
जोड़–ऋण व्यवस्था	TOTAL—DEBT SERVICES .	5,01,43,18	5,50,32,13	5,27,69,08	5,68,81,8
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,36,62,92	5,90,22,20	5,67,79,87	6,13,41,3

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 196 -70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	25,96,69,12	28,03,57,84	27,85,76,26	30,42,85,37
प्रशासनिक सेवाएं—	ADMINISTRATIVE SERVICES—				
XVII—न्याय प्रशासन . .	XVII.—Administration of Justice. .	43,02	42,11	47,48	50,57
XVIII—जेल . . .	XVIII.—Jails . . .	4,44	4,94	4,03	7,17
XIX—पुलिस . . .	XIX.—Police	1,08,96	74,83	1,00,81	91,26
XX—पूर्ति और निपटान .	XX.—Supplies and Disposals . .	6,73,10	6 93,20	6,35,99	6,41,94
XXI—विविध विभाग . .	XXI.—Miscellaneous Departments .	1,92,13	1,85,37	1,89,80	1,88,51
जोड़—प्रशासनिक सेवाएं	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	10,21,65	10,00,45	9,78,11	9,79,45
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं —	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
XXII—शिक्षा . .	XXII.—Education	1,16,62	97,19	1,08,92	1,03,54
XXIII—चिकित्सा . .	XXIII.—Medical	1,14,13	91,50	1,02,57	1,08,74
XXIV—लोक स्वास्थ्य . .	XXIV.—Public Health . . .	33,90	34,43	38,18	36,02
XXV—कृषि . .	XXV.—Agriculture	2,66,40	2,45,80	2,28,38	2,43,45
XXVI—ग्राम-विकास . .	XXVI.—Rural Development . .	..	..	..	..
XXVII—पशु-पालन	XXVII.—Animal Husbandry . .	20,10	15,56	23,82	21,50
XXVIII—सहकारिता .	XXVIII.—Co-operation . . .	1,92	2,14	2,74	2,72
XXIX—उद्योग . .	XXIX.—Industries	2,95,88	2,57,10	2,22,13	2,07,44
XXX—प्रसारण . .	XXX.—Broadcasting . . .	13,40,25	11,61,05	13,32,29	15,47,14
XXXI—सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास काय . .	XXXI.—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works	3,08	1,74	1,34	1,18
XXXII—सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन . .	XXXII.—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations . .	7,95,73	6,88,72	9,86,71	7,45,77
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं . . .	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	29,88,01	25,95,23	30,47,08	30,17,50
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over . . .	26,36,78,78	28,39,53,52	28,26,01,45	30,82,82,32

ानों के अनुमान—जारी

BURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
-भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,36,62,92	5,90,22,20	5,67,79,87	6,13,41,37
ासनिक सेवाएं—	ADMINISTRATIVE SERVICES—				
8–संसद्, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल	18.—Parliament, State and Union Territory Legislatures	4,19,90	3,79,31	3,98,60	4,54,15
9–सामान्य प्रशासन	19.—General Administration	30,40,18	26,62,70	27,78,69	27,50,59
20–लेखा-परीक्षा	20.—Audit	16,38,62	17,60,17	18,19,47	20,14,04
21–न्याय प्रशासन	21.—Administration of Justice	77,41	74,39	75,93	84,11
22–जेल	22.—Jails	25,70	15,65	19,22	17,27
23–पुलिस	23.—Police	61,27,21	62,48,09	71,90,71	74,71,24
24–वैदेशिक कार्य	24.—External Affairs	13,07,28	13,03,37	14,15,45	20,68,41
25–पूर्ति और निपटान	25.—Supplies and Disposals	4,47,34	4,54,09	4,58,57	4,63,00
26–विविध विभाग	26.—Miscellaneous Departments	5,64,86	11,43,07	11,25,61	11,60,25
जोड़—प्रशासनिक सेवाएं	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	1,36,48,50	1,40,40,84	1,52,82,25	1,64,83,06
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,73,11,42	7,30,63,04	7,20,62,12	7,78,24,43

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों
II—ESTIMATES OF RECEIPTS A

(हज़ार रुपयों
(In thousands of Rupe

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बज अनु 1969 Budge Estima 1969-7
I—भारत की समेकित निधि—जारी	—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम .	Brought Forward . .	26,36,78,78	28,39,53,52	28,26,01,45	30,82,82,
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
XXXIII—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं .	XXXIII.—Multi-purpose River Schemes	22,61	8,11	9,51	8,8
XXXV—सिचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जलनिकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक) . .	XXXV.—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) . . .	4,22	10	46	5
XXXVI—बिजली योजनाएं	XXXVI.—Electricity Schemes . .	1,56,02	1,88,55	94,82	3,65,5
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	1,82,85	1,96,76	1,04,79	3,74,9
आगे ले जायी गयी रकमें . .	Carried Over	26,38,61,63	28,41,50,28	28,27,06,24	30,86,57,2

तानों के अनुमान—जारी

ISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
-भारत की समेकित निधि-जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
ागे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,73,11,42	7,30,63,04	7,20,62,12	7,78,24,43
ामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
7—वैज्ञानिक विभाग	27.—Scientific Departments	50,28,34	60,47,92	55,99 30	64,41,22
28—शिक्षा	28.—Education	61,95,45	71,41,72	69,57,21	76,95,52
29—चिकित्सा	29.—Medical	12,94,56	14,29,82	13,83,42	15,41,69
30—लोक-स्वास्थ्य	30.—Public Health	6,10,75	11,44,04	9,53,29	11,84,78
31—कृषि	31.—Agriculture	16,20,58	21,53,92	18,24,44	23,57,93
32—ग्राम-विकास	32.—Rural Development	30	42	48	43
33—पशुपालन	33.—Animal Husbandry	1,52,51	2,06,25	1,75,95	2,13,54
34—सहकारिता	34.—Co-operation	5,06,73	2,32,50	2,32,22	2,28,20
35—उद्योग	35.—Industries	28,14,35	30,19,70	30,95,30	30,90,74
36—प्रसारण	36.—Broadcasting	8,31,32	9,18,80	9,98,25	10,67,92
37—सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	37.—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.	42,43	43,27	42,42	63,48
38—श्रम और नियोजन	38.—Labour and Employment	9,87,34	10,53,46	10,58,73	11,41,94
39—सामाजिक और विकास-सम्बन्धी विविध संगठन	39.—Miscellaneous Social and Developmental Organisations	18,17,09	18,21,95	18,15,03	21,97,27
40—राजस्व से किया जाने वाला औद्योगिक विकास सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	40.—Capital Outlay on Industrial Development met from Revenue	1,33	1,60	1,70	2,90
41—राजस्व खाते के अन्तर्गत प्रसारण सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	41.—Capital Outlay on Broadcasting within the Revenue Account	2,50	1,86	1,22	5,01
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	2,19,05,58	2,52,17,23	2,41,38,96	2,72,32,57
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,92,17,00	9,82,80,27	9,62,01,08	10,50,57,00

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों
II—ESTIMATES OF RECEIPTS A

(हज़ार रुपयों
(In thousands of Ru

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुम 1969– Budget Estimate, 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	26,38,61,63	28,41,50,28	28,27,06,24	30,86,57,
लोक निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं—	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
XXXVII—लोक निर्माण-कार्य	XXXVII.—Public Works	6,23,41	5,86,57	6,46,78	7,50,4
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
XXXIX—बन्दरगाह और नौचालन	XXXIX.—Ports and Pilotage	86,81	48,15	52,55	55,5
XL—व्यापारिक समुद्री बेड़ा	XL.—Mercantile Marine	16,20	15,60	18,49	18,63
XLI—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	XLI.—Lighthouses and Lightships	1,46,15	1,39,68	1,46,40	1,50,3
XLII—उड्डयन	XLII.—Aviation	3,93,11	4,48,29	4,38,85	5,09,8
XLIII—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	XLIII.—Road and Water Transport Schemes	23,69	29,58	30,98	34,8
XLIV—समुद्रपारीय संचार सेवा	XLIV.—Overseas Communications Service	3,84,67	4,56,17	5,00,47	5,00,47
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	10,50,63	11,37,47	11,87,74	12,69,68
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	26,55,35,67	28,58,74,32	28,45,40,76	31,06,77,32

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimates 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,92,17,00	9,82,80,27	9,62,01,08	10,50,57,00
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं—	MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
42—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	42.—Multipurpose River Schemes	1,28,66	1,74,26	1,53,82	1,74,05
44—सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक)	44. Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)	24,54	16,32	6,82	20,17
45—बिजली योजनाएं	45.—Electricity Schemes	1,80,59	1,64,83	1,34,56	2,44,69
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	3,33,79	3,55,41	2,95,20	4,38,91
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं—	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
50—लोक-निर्माण-कार्य	50.—Public Works	22,62,97	30,86,80	35,16,74	36,74,51
52—राजस्व से किये जाने वाले लोक निर्माण-कार्यों का पूंजी परिव्यय	52.—Capital outlay on Public Works met from Revenue	1,24,14	1,22,04	1,22,19	1,18,84
जोड़—लोक-निर्माण कार्य	Total—Public Works	23,87,11	32,08,84	36,38,93	37,93,35
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)—	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
53—बन्दरगाह और नौचालन	53.—Ports and Pilotage	1,28,65	58,75	67,03	72,10
54—व्यापारिक समुद्री बेड़ा	54.—Mercantile Marine	1,80,89	2,36,46	2,48,26	2,95,76
55—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	55.—Lighthouses and Lightships	1,47,58	1,39,40	1,39,42	1,44,00
56—उड्डयन	56.—Aviation	8,89,66	5,20,39	6,64,20	8,63,98
57—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	57.—Road and Water Transport Schemes	60,76	51,80	61,27	72,15
58—समुद्रपारीय संचार सेवा	58.—Overseas Communications Service	2,16,91	2,75,36	2,68,25	2,85,01
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	16,24,45	12,82,16	14,48,43	17,33,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	9,35,62,35	10,31,26,68	10,15,83,64	11,10,22,26

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—STATEMENT OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I-भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	26,55,35,67	28,58,74,32	28,45,40,76	31,06,77,32
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
XLV—मुद्रा और सिक्का-ढलाई	XLV.—Currency and Coinage	76,38,75	82,77,07	83,82,61	91,53,23
XLVI—टकसाल	XLVI.—Mint	32,83	97,24	77,37	75,71
XLVIक—कोलार की सोने की खान	XLVI.-A—Kolar Gold Mines	2,20,96	2,30,69	2,58,64	2,64,42
जोड़—मुद्रा और टकसाल—	TOTAL—CURRENCY AND MINT	78,92,54	86,05,00	87,18,62	94,93,36
विविध—	MISCELLANEOUS—				
XLVIII—पेंशनों और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	XLVIII.—Contributions and Recoveries towards Pensions and Other Retirement benefits	1,18,89	1,07,00	2,63,37	1,55,04
XLIX—लेखन-सामग्री और छपाई	XLIX.—Stationery and Printing	1,28,73	1,04,43	1,42,74	1,24,86
L—अफीम	L.—Opium	4,62,75	5,25,00	5,25,00	5,75,70
LI—वन	LI.—Forest	2,46,36	2,60,38	2,76,80	2,90,33
LII—विविध	LII.—Miscellaneous	21,97,76	12,52,62	14,10,90	15,95,10
जोड़—विविध	TOTAL.—MISCELLANEOUS	31,54,49	22,49,43	26,18,81	27,41,03
अंशदान और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS—				
LIII—रेलों का अंशदान	LIII—Contributions from Railways	30,29,91	30,52,01	29,31,57	30,26,99
LIV—डाक और तार का अंशदान	LIV.—Contributions from Posts and Telegraphs	5,55,08	3,11,97	2,68,25	2,99,61
LVII—केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	LVII.—Miscellaneous Adjustments between Central, State and Union Territory Governments	..	..	..	..
LVIII—वाणिज्यिक और अन्य प्रतिष्ठानों से लाभांश आदि	LVIII.—Dividends etc. from Commercial and other Undertakings	10,13,44	10,83,13	12,10,17	12,53,59
LIX—अन्य विविध अंशदान और समर्पण (असाइनमेंट)	LIX.—Other Miscellaneous Contributions and Assignments	..	..	..	..
जोड़—अंशदान और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS	45,98,43	44,47,11	44,09,99	45,80,19
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	28,11,81,13	30,11,75,86	30,02,88,18	32,74,91,90

भुगतानों के अनुमान--जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	9,35,62,35	10,31,26,68	10,15,83,64	11,10,22,26
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
62—मुद्रा और सिक्का-ढलाई	62.—Currency and Coinage	14,14,87	15,04,28	15,74,00	17,33,12
63—टकसाल	63.—Mint	3,36,08	3,95,12	3,74,11	3,30,06
63-क—कोलार की सोने की खानें	63-A.—Kolar Gold Mines	5,27,61	5,45,62	5,51,02	5,80,54
जोड़—मुद्रा और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT	22,78,56	24,45,02	24,99,13	26,43,72
विविध—	MISCELLANEOUS—				
64—दुर्भिक्ष सहायता	64.—Famine Relief	14,58	52	6	51
65—पेन्शनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	65.—Pensions and other retirement benefits	6,83,74	6,47,27	7,04,38	7,66,51
66—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	66.—Territorial and Political Pensions	18,66	18,76	21,25	18,93
67—भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	67.—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers	4,81,34	4,82,95	4,81,06	4,80,66
68—लेखन-सामग्री और छपाई	68.—Stationery and Printing	5,76,94	5,24,62	4,88,04	4,20,96
69—अफीम	69.—Opium	2,37,13	3,35,07	3,33,66	4,59,14
70—वन	70.—Forest	3,80,24	3,84,39	3,91,67	4,15,83
71—विविध	71.—Miscellaneous	1,48,14,55	1,58,43,47	1,79,37,49	2,01,06,82
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	1,72,07,18	1,82,37,05	2,03,57,61	2,26,69,36
अंशदान और विविध समायोजन—	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS—				
73—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों के हिस्से की अदायगी	73.—Payments of States' share of Union Excise Duties	2,34,63,81	2,67,52,83	2,90,92,67	3,02,39,91
74—राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	74.—Grants-in-aid to State and Union Territory Governments	4,73,52,43	4,78,27,57	5,36,65,66	5,96,18,11
75—केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	75.—Miscellaneous Adjustments between Central, State and Union Territory Governments	28,66	28,20	28,20	38,90
76—अन्य विविध अंशदान और समर्पण (असाइनमेंट)	76.—Other Miscellaneous Contributions and Assignments	5,89,87	6,28,07	8,75,38	8,34,24
जोड़—अंशदान और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS	7,14,34,77	7,52,36,67	8,36,61,91	9,07,31,16
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	18,44,82,86	19,90,45,42	20,81,02,29	22,70,66,50

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I-भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	28,11,81,13	30,11,75,86	30,02,88,18	32,74,91,90
असाधारण मदें—	EXTRAORDINARY ITEMS—				
LX—असाधारण प्राप्तियां	LX.—EXTRAORDINARY RECEIPTS	6,25,52	13,00,02	34,18,39	27,60,02
LXI—विभाजन-पूर्व की प्राप्तियां	LXI.—Prepartition Receipts	4	..	...	...
LXI-क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध प्राप्तियां	LXI-A.—Receipts connected with the National Emergency	1,86,44	2,54,00	2,54,00	...
जोड़—असाधारण मदें	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	8,12,00	15,54,02	36,72,39	27,60,02
रक्षा सेवाएं—	DEFENCE SERVICES—				
LXII—रक्षा सेवाएं—सक्रिय	LXII.—Defence Services—Effective	50,79,02	40,48,00	50,31,46	47,97,00
LXIII—रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	LXIII.—Defence Services—Non-effective	1,27,93	1,01,00	1,40,00	1,52,00
जोड़—रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	52,06,95	41,49,00	51,71,46	49,49,00
डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS				
LXIX—डाक और तार	LXIX.—Posts and Telegraphs	1,74,30,66	2,12,67,00	2,08,10,00	2,26,66,00
रेल—	RAILWAYS—				
रेल बजट के अनुसार रेलों का राजस्व	Railway Revenue as per Railway Budget	8,18,35,60	8,92,69,21	9,02,46,27	9,47,32,05
जोड़—राजस्व प्राप्तियां आगे ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 160 देखिए)	TOTAL—REVENUE RECEIPTS—Carried over (See page 26)	38,64,66,34	41,74,15,09	42,01,88,30	45,25,98,97
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् कमी	Excess of Expenditure over Revenue or Deficit	..	..	...	..

भुगतानों के अनुमान--जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT--*contd.*

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate 1969-70
I-भारत की समेकित निधि— जारी	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	18,44,82,86	19,90,45,42	20,81,02,29	22,70,66,50
असाधारण मदें--	EXTRAORDINARY ITEMS—				
77--असाधारण व्यय	77.—Extraordinary Charges	4,18,74	5,06,08	5,06,08	5,80,74
78--विभाजन-पूर्व की अदायगियां.	78.—Pre-partition Payments	6,92	9,59	7,19	7,87
78-क-राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	78-A.—Expenditure connected with the National Emergency	4,64,90	6,31,07	6,18,77	...
जोड़--असाधारण मदें--	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	8,90,56	11,46,74	11,32,04	5,88,61
रक्षा सेवाएं—	DEFENCE SERVICES—				
79-रक्षा सेवाएं-सक्रिय-स्थल-सेना	79.—Defence Services—Effective—Army	6,91,78,72	7,01,40,00	7,43,98,74	7,57,88,25
नौ-सेना	Navy	38,55,21	38,16,00	41,10,00	46,86,15
वायु-सेना	Air Force	1,56,94,13	1,68,14,00	1,80,26,14	1,97,72,60
82-रक्षा सेवाएं-निष्क्रिय	82.—Defence Services—Non-effective	27,00,05	28,25,00	30,00,00	32,80,00
जोड़--रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	9,14,28,11	9,35,95,00	9,95,34,88	10,35,27,00
डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS				
90--डाक और तार—	90.—Posts & Telegraphs				
कार्यचालन व्यय	Working Expenses	1,74,30,66	1,92,10,11	1,96,44,51	2,03,08,78
सामान्य राजस्व में लाभांश	Dividend to General Revenues	..	12,81,62	11,96,23	13,16,96
डाक और तार विभाग के अधिशेष से विनियोग	Appropriation from P. & T. Surplus	..	7,75,27	...	10,40,26
सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी	Repayment of loan from General Revenues	..	7,75,27	7,59,27	10,40,26
घटाइये--डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से किया जाने वाला व्यय	*Deduct*—Amount met from P & T Revenue Reserve Fund	..	—7,75,27	—7,90,01	—10,40,26
जोड़--डाक और तार	TOTAL—POSTS AND TELEGRAPHS	1,74,30,66	2,12,67,00	2,08,10,00	2,26,66,00
रेलें—रेलवे बजट के अनुसार रेलों का व्यय	RAILWAYS—Railway Expenditure as per Railway Budget	8,18,35,60	8,92,69,21	9,02,46,27	9,47,32,95
जोड़--राजस्व से व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE				
आगे ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 27 देखिये)	CARRIED OVER (SEE PAGE 27)	37,60,67,79	40,43,23,37	41,98,25,48	44,85,80,16
व्यय से राजस्व की अधिकता अथवा अधिशेष	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OR SURPLUS	1,03,98,55	1,30,91,72	3,62,82	40,18,81

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान—जारी

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

		वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता—	CAPITAL ACCOUNT OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT—				
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
94—लोक-स्वास्थ्य का सुधार . .	94.—Improvement of Public Health .	10,95	10,00	10,00	11,82
95—कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा .	95.—Agricultural Improvement and Research	58,84	4,73,72	1,08,85	4,38,57
96—औद्योगिक और आर्थिक विकास .	96.—Industrial and Economic Development . . .	1,78,44,58	2,27,86,17	2,45,50,27	3,32,67,00
97—प्रसारण . .	97.—Broadcasting . .	4,09,35	4,22,42	4,13,59	3,68,71
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं . . .	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	1,83,23,72	2,36,92,31	2,50,82,71	3,40,86,10
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं—	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
98—बहुप्रयोजनी नदी-योजनाएं	98.—Multi-purpose River Schemes	16,50,34	17,83,75	20,56,37	20,50,56
100—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक) . .	100.—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)	58,20	1,18,20	1,15,20	84,15
101—बिजली योजनाएं . .	101.—Electricity Schemes .	2,43,14	5,07,04	5,19,86	36,90,77
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं . .	TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	19,51,68	24,08,99	26,91,43	58,25,48
लोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
103—लोक-निर्माण-कार्य .	103.—Public Works .	42,76,90	47,88,47	47,27,32	55,99,90
104—दिल्ली पूंजी परिव्यय . .	104.—Delhi Capital Outlay .	5,80,92	11,13,00	9,29,00	17,83,05
105—चण्डीगढ़ पूंजी परिव्यय . .	105.—Chandigarh Capital Outlay .	71,63	13,30	48,28	86,05
108—दण्डकारण्य विकास योजनाएं .	108.—Dandakaranya Development Schemes	3,03,34	3,03,00	3,00,00	3,00,00
108-क—कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय . .	108A.—Capital Outlay on Free Trade Zone, Kandla	7,11	6,90	5,27	4,12
109—अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	109.—Capital Outlay on Other Works	4,98,90	6,84,33	1,15,60	—1,84,59
जोड़ लोक निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधार की विविध योजनाएं	TOTAL—PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS .	57,38,80	69,09,00	61,25,47	75,88,53
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over .	2,60,14,20	3,30,10,30	3,38,99,61	4,75,00,11

II केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियाँ और भुगतानों के अनुमान—

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)

भुगतान — DISBURSEMENTS — (In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Reivsed Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*Contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	2,60,14,20	3,30,10,30	3,38,99,61	4,75,00,11
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)—	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
110—बन्दरगाह .	110.—Ports	2,29,02	3,18,00	3,78,94	6,32,50
111—प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत .	11.—Lighthouses and Lightships	..	..	...	35,40
112—विमानन	1112.—Aviation	3,61,68	8,10,56	8,78,77	12,83,01
113—रेल-सड़क समन्वय योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	113.—Capital Outlay on Rail-Road Coordination Schemes . .	..	..	...	...
114—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	114.—Road and Water Transport Schemes	33,74	3,14	10,47	5,10
115—समुद्रपारीय संचार सेवा .	115.—Overseas Communications Service	23,35	4,38,48	3,48,82	3,35,00
116—जहाजों, तेलवाहक जहाजों आदि पर पूंजी परिव्यय	116.—Capital Outlay on Shipping Tankers, etc. . . .	32,77	59,07	1,26,48	2,63,55
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS) .	6,80,56	16,29,25	17,43,48	25,54,56
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
117—मुद्रा और सिक्का-ढलाई	117.—Currency and Coinage . .	13,68,38	12,46,04	2,11,12	4,83,56
118—टकसाल	118.—Mint	11,16	78,87	48,66	50,27
118क—कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	118A.—Capital Outlay on Kolar Gold Mines	50,05	80,17	81,87	94,02
मुद्रा जोड़— और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT .	14,29,59	14,05,08	13,41,65	6,27,85
विविध—	MISCELLANEOUS—				
93—सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस	93.—Security Printing Press . .	14,00	47,24	30,86	66,56
119—वन	119.—Forests	1,24	22,15	2,15	25,20
120—पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी . .	120—Payments of Commuted value of Pensions	3,46,01	3,79,34	4,08,75	4,79,86
121—स्टर्लिंग पेंशनों पर पूंजी परिव्यय .	121.—Capital Outlay on Sterling Pensions	—3,83,26	—3,92,62	—3,92,62	—3,96,55
124—सरकारी व्यापार की योजनाएं .	124.—Schemes of Government Trading . . .	79,51,80	78,73,78	—1,14,63,85	—36,13,11
जोड़	TOTAL . . .	79,29,79	79,29,89	—1,14,14,71	—34,38,04
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over . . .	2,81,24,35	3,60,44,63	3,69,84,74	5,06,82,52

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता— LXX अमरीकी और उधार पट्टे सम्बन्धी अधिशेष वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकम	Capital Accounts outside Revenue Account—LXX.—Sale Proceeds of American and Lease-Lend Surpluses	..	..	..	..
जोड़—राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता आगे ले जायी गयी रकम	Total—Capital Accounts outside the Revenue Account—Carried over.	..	..	..	..

ग्रौर भुगतानों के ग्रनुमान—जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट ग्रनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित ग्रनुमान 1968–6 Revised Estimate, 1968-69	बजट ग्रनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
ग्रागे लायी गयी रकम . .	Brought Forward	2,81,24,35	3,60,44,63	3,69,84,74	5,06,82,52
ग्रागे लायी गयी रकम . .	Brought Forward—	79,29,79	79,29,89	—1,14,14,71	—34,38,04
126—विकास ग्रनुदान . .	126.—Grants for Development . .	36,00,59	27,23,32	23,83,19	6,28,35
127—विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति ग्रौर पुनर्वास ग्रनुदान . .	127.—Compensation and Rehabilitation Grants to Displaced Persons	—7,45,31	—5,89,76	—6,53,94	—5,52,54
128—ग्रमरीकी सरकार से मिलने वाली विकास सहायता का ग्रन्तरण. .	128.—Transfer of Development Assistance from the Government of U.S.A.	1,50,00,00	..	..	..
129—सिंधु नदी जल सन्धि के ग्रनुसार ग्रदायगियों पर पूंजी परिव्यय. .	129.—Capital Outlay on Payments under Indus Water Treaty	8,91,10	6,13,94	6,13,94	5,39,28
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	2,66,76,17	1,06,77,39	—90,71,52	—28,22,95
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय—	DEFENCE CAPITAL OUTLAY—				
130—रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय .	130.—Defence Capital Outlay .	1,06,21,84	1,20,80,00	1,07,75,26	1,24,22,00
131/132—रेल पूंजी (जो रेलवे बजट में दिखाई गयी है)	131/132.—RAILWAY CAPITAL (AS SHOWN IN THE RAILWAY BUDGET) .	1,35,92,77	1,43,00,00	1,34,09,03	1,32,60,00
134—डाक ग्रौर तार	134.—POSTS AND TELEGRAPHS .	26,44,49	30,45,54	30,44,75	34,16,41
जोड़—राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता	TOTAL—CAPITAL ACCOUNTS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT Carried over	8,16,59,62	7,61,47,56	5,51,42,26	7,69,57,98
ग्रागे ले जायी गयी रकम	Carried over	8,16,59,62	7,61,47,56	5,51,42,26	69,57,98

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 / Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 / Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 / Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 / Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	..	..	..	..
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
क-भारत में लिया जाने वाला ऋण	*A.—Debt raised in India—*				
I—स्थायी ऋण	I.—PERMANENT DEBT—				
बाजार ऋण	Market Loans	4,25,48,68	3,00,00,00	3,95,67,37	5,00,00,00
स्वर्ण बांड	Gold Bonds	1,41,42	50,00	29,00	..
इनामी बांड	Prize Bonds	—33	..	..	..
वार्षिकी पत्र	Annuity Certificates . .	14,45	20,00	25,00	25,00
जोड़—स्थायी ऋण	TOTAL—PERMANENT DEBT .	4,27,04,22	3,00,70,00	3,96,21,37	5,00,25,00
II—अस्थायी ऋण—	II—FLOATING DEBT—				
राजकोष हुंडियां	Treasury Bills . .	82,10,46,00	92,90,00,00	84,76,31,50	96,50,00,00
अन्य मदें	Other Items	3,48,75	3,48,75	3,48,75	3,48,75
जोड़—अस्थायी ऋण	TOTAL—FLOATING DEBT .	82,13,94,75	92,93,48,75	84,79,80,25	96,53,48,75
ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	*B.—Debt raised outside India*	7,88,93,16	10,19,00,00	8,68,54,39	8,50,00,04
जोड़—सरकारी ऋण	TOTAL—PUBLIC DEBT .	94,29,92,13	1,06,13,18,75	97,44,56,01	1,10,03,73,79
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अग्रिम	Advances to State and Union Territory Governments . .	3,78,04 04	4,25,00,00	5,75,00,00	5,40,00,00
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances . .	1,16,40,14	1,24,00,00	1,60,00,00	2,05,00,00
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT . .	4,94,44,18	5,49,00,00	7,35,00,00	7,45,00,00
अन्तर्राज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT .	17,09	..	14,33	..
जोड़—राजस्व-प्राप्तियां—पृष्ठ 20 से आगे लायी गयी रकम	Total—Revenue Receipts—Brought Forward (From page 20)	38,64,66,34	41,74,15,09	42,01,88,30	45,25,98,97
जोड़—I-भारत की समेकित निधि—प्राप्तियां	TOTAL—I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—RECEIPTS	1,37,89,19,74	1,53,36,33,84	1,46,8,158,64	1,62,74,72,76

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
I.–भारत की समेकित निधि–जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,16,59,62	7,61,47,56	5,51,42,26	7,69,57,98
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
क—भारत में लिया जाने वाला ऋण—	*A.—Debt raised in India—*				
I—स्थायी ऋण—	I—PERMANENT DEBT—				
बाजार ऋण	Market Loans	2,57,13,01	2,39,00,00	2,42,00,00	3,97,00,00
इनामी बांड	Prize Bonds	1,24,02	5,00,00	4,00,00	3,00,00
वार्षिकी-पत्र	Annuity Certificates	42,20	40,00	45,00	50,00
जोड़—स्थायी ऋण—	TOTAL—PERMANENT DEBT	2,58,79,23	2,44,40,00	2,46,45,00	4,00,50,00
II—अस्थायी ऋण	II—FLOATING DEBT—				
राजकोषीय हुंडियां	Treasury Bills	81,20,59,75	90,00,00,00	83,05,31,50	94,00,00,00
अन्य मदें	Other Items	2,95,75	2,00,00	5,20,75	2,00,75
जोड़—अस्थायी ऋण	TOTAL—FLOATING DEBT	81,23,55,50	90,02,00,00	83,10,52,25	94,02,00,75
ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	*B.—Debt raised outside India*	1,87,77,96	1,94,47,44	1,69,62,70	2,07,60,31
जोड़—सरकारी ऋण	TOTAL—PUBLIC DEBT	85,70,12,69	94,40,87,44	87,26,59,95	1,00,10,11,06
केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अग्रिम	Advances to State and Union Territory Governments	8,91,94,41	8,55,68,17	9,15,16,06	7,93,74,23
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances	4,71,82,60	4,60,73,66	5,94,26,68	4,56,59,91
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT	13,63,77,01	13,16,41,83	15,09,42,74	12,50,34,14
अन्तर्राज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT	24,86	83	34,71	..
जोड़—राजस्व से व्यय (पृष्ठ 21 से आगे लायी गयी रकम)	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE-BROUGHT FORWARD (FROM PAGE 21)	37,60,67,79	40,43,23,37	41,98,25,48	44,85,80,16
जोड़—I—भारत की समेकित निधि-भुगतान	TOTAL—I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—DISBURSEMENTS	1,45,11,41,97	1,55,62,01,03	1,49,86,05,14	1,65,15,83,34

II—केन्द्रीय सरकार को प्राप्तियों
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार पयों म)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
II—भारत की आकस्मिकता निधि—	II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—				
भारत की आकस्मिकता निधि—	CONTINGENCY FUND OF INDIA—				
समेकित निधि या अन्य किसी प्रारक्षित निधि से विनियोग . . .	Appropriation from the Consolidated Fund or from any Reserve Fund .	2,50	..	58,72	..
जोड़—II—भारत की आकस्मिकता निधि–प्राप्तियां	TOTAL—II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—RECEIPTS . . .	2,50	..	58,72	..

भुगतानों के अनुमान —जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
II—भारत की आकस्मिकता निधि	II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—				
भारत की आकस्मिकता निधि—	CONTINGENC FUND OF INDIA—				
भारत की आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से व्यय	Expenditure out of advances from the Contingency Fund of India	58,72	..	..	..
जोड़-II—भारत की आकस्मिकता निधि-भुगतान	TOTAL—II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—DISBURSEMENTS	58,72	..	..	..

केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget, Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता	**III.—PUBLIC ACCOUNT—**				
अनिधिबद्ध ऋण—	UNFUNDED DEBT—				
छोटी बचत योजनाएं	SMALL SAVINGS SCHEMES—				
डाकघर बचत बैंक जमा	Post Office Savings Bank Deposits	4,48,94,60	4,50,00,00	4,50,00,00	4,58,00,00
डाकघर मियादी जमा	Post Office Fixed Deposit	4,64	..	1,00,00	1,00,00
सरकारी मियादी जमा योजना	Government Fixed Deposit Scheme	..	..	50,00	50,00
दश-वर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र	10-Year Treasury Savings Deposit Certificates	6	..	..	..
दश-वर्षीय रक्षा जमा-पत्र	10-Year Defence Deposit Certificates	,33,19	8,70,00	6,87,00	6,87,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत-पत्र	12-Year National Plan Savings Certificates	69	..	..	..
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र	12-Year National Defence Certificates	88,70,55	83,00,00	80,00,00	79,50,00
बढ़ने वाली मीयादी जमा	Cumulative Time Deposits	23,01,99	25,00,00	25,00,00	28,00,00
डाकघर नकदी-पत्र	Post Office Cash Certificates	4	..	..	..
राष्ट्रीय बचत-पत्र	National Savings Certificates	12,18,23	11,50,00	11,35,00	11,50,00
रक्षा बचत-पत्र	Defence Savings Certificates	−2	..	..	..
दश-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना-पत्र	10-Year National Plan Certificates	—2,35	..	..	..
जोड़—छोटी बचत योजनाएं	TOTAL—SMALL SAVINGS SCHEMES	5,81,21,62	5,78,20,00	5,74,72,00	5,85,37,00
राज्य भविष्य निधियां	State Provident Funds	1,51,10,18	1,26,10,00	1,42,23,38	1,54,10,98
लोक भविष्य निधि	Public Provident Fund	..	10,00,00	2,00,00	5,00,00
आयकर वार्षिकी जमा	Income Tax Annuity Deposits	41,17,92	5,00,00	10,00,00	7,00,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (net)	..	..	..	..
अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	93,56,00	25,00,00	..	40,11,00
अन्य मदें—	OTHER ITEMS—				
सेवा निधियों की जमा	Deposit of Service Funds	1,57	1,56	2,01	1,91
अन्य खाते	Other Accounts	28,87,01	4,47,04	4,51,51	4,58,66
जोड़—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS	28,88,58	4,48,60	4,53,52	4,60,57
जोड़—अनिधिबद्ध ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
अनिधिबद्ध ऋण—	UNFUNDED DEBT—				
छोटी बचत योजनाएं—	SMALL SAVINGS SCHEMES—				
डाकघर बचत बैंक जमा	Post Office Savings Bank Deposits	3,90,49,48	3,90,00,00	3,90,00,00	3,90,00,00
दश-वर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र	10-Year Treasury Savings Deposit Certificates	5,23,49	4,25,00	4,62,00	5,20,00
दश-वर्षीय रक्षा जमा पत्र	10-year Defence Deposit Certificates	74,94	70,00	87,00	87,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र	12-Year National Plan Savings Certificates	11,96,70	11,40,00	9,00,00	8,00,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र	12-Year National Defence Certificates	18,64,64	21,00,00	16,00,00	16,50,00
बढ़ने वाली मीयादी जमा	Cumulative Time Deposits	10,96,97	12,00,00	10,00,00	12,00,00
डाकघर नकदी-पत्र	Post Office Cash Certificates	2,86	2,00	2,00	2,00
रक्षा बचत पत्र	Defence Savings Certificates	4,01	3,00	6,00	3,00
राष्ट्रीय बचत पत्र	National Savings Certificates	18,27,00	18,10,00	18,35,00	17,00,00
दश-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना पत्र	10-Year National Plan Certificates	1,40,72	50,00	60,00	50,00
जोड़—छोटी बचत योजनाएं	TOTAL—SMALL SAVINGS SCHEMES	4,57,80,81	4,58,00,00	4,49,52,00	4,50,12,00
राज्य भविष्य निधियां	State Provident Funds	75,67,71	92,35,10	94,98,04	91,40,35
आयकर वार्षिकी जमा	Income Tax Annuity Deposits	6,68,28	14,00,00	14,00,00	17,25,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (net)	38,65	25,00	25,00	25,00,00
अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा रकम का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S Government Counterpart Funds (net)	..	..	59,55,00	..
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,40,55,45	5,64,60,10	6,18,30,04	5,83,77,35

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम . .	Brought Forward . . .	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
जमा और अग्रिम—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां—	Depreciation and other Reserve Funds—				
(क) ब्याजू:—	*(a) Interest bearing—*				
रेलवे पेंशन निधि . . .	Railway Pension Fund . . .	12,83,95	12,69,95	14,84,19	13,14,04
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्यह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियां .	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget	1,01,51,55	1,06,39,95	1,01,20,14	1,01,33,98
रलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि.	Railway Development Fund as per Railway Budget . . .	11,42,88	21,23,84	15,97,17	20,59,53
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि . . .	P. & T. Renewals Reserve Fund .	..	..	..	..
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलीफोन विकास निधि . .	P. & T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund . .	*22,09,89	7,75,27	7,90,01	10,40,26
	P & T Capital Reserve Fund	..	12,65	7,39	2,96
अन्य प्रारक्षित निधियां . .	Other Reserve Funds . . .	1,80,14	1,86,22	1,57,49	1,70,01
(ख) गैर-ब्याजू—	*(b) Non-Interest bearing—*				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि .	P&T Renewals Reserve Fund	14,77,05	16,47,22	16,58,48	18,30,89
अन्य प्रारक्षित निधियां . .	Other Reserve Funds . . .	78,48	86,40	98,28	71,35
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग . .	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt . . .	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
अन्य जमा रकमें और अग्रिम—	Other Deposits and Advances—				
(क) ब्याजू—	*(a) Interest bearing—*				
जहाज विकास निधि . .	Shipping Development Fund .	14,50,61	23,68,95	23,68,95	23,68,95
आयकर, अधिकर, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमा . .	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	13,75	21,00	14,00	14,00
भारतीय राजाओं के निमित्त न्यासों में जमा	Deposits of Trusts for Indian Princes	3,29	3,06	5,87	2,84
अन्य जमा रकमें . . .	Other Deposits	1,49	..	..	..
आगे ले जायी गयी रकम . .	Carried Over	1,84,93,08	1,96,34,51	1,88,01,97	1,95,08,81
आगे ले जायी गयी रकम . .	Carried Over	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55

*केवल डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से सम्बद्ध लेनदेन

*Represents transactions pertaining to P &T Revenue Reserve Fund only.

ुगतानों के अनुमान—जारी

ISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
		(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,40,55,45	5,64,60,10	6,18,30,04	5,83,77,35
अन्य मदें—	OTHER ITEMS—				
सेवा-निधियों की जमा	Deposits of Service Funds	3,17	3,00	2,60	2,01
विशेष ऋण	Special Loans	2,40	3,13	..	..
अन्य खाते	Other Accounts	2,98,68	2,73,11	26,39,51	14,16,20
जोड़—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS	3,04,25	2,79,24	26,42,11	14,18,21
जोड़—अनिबिद्ध ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56
जमा और अग्रिम—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां	Depreciation and Other Reserve Funds—				
(क) ब्याजू	*(a) Interest bearing—*				
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund	5,33,53	5,35,05	6,14,18	6,29,11
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्यह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियां	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget	1,27,50,37	1,01,36,08	1,05,55,49	95,28,26
रेलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि	Railway Development Fund as per Railway Budget	19,38,70	21,23,84	20,41,94	20,59,53
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P.&T. Renewals Reserve Fund	..	..	..	..
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलीफोन विकास निधि	P. & T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund	£ 26,33,69	7,75,27	7,90,01	10,40,26
डाक और तार पूंजी प्रारक्षित निधि	P. & T. Capital Reserve Fund	..	4,65,00	1,00,00	1,20,00
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	79,96	2,00,96	1,95,30	97,49
(ख) गैर-ब्याजू	*(b) Non-Interest bearing—*				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund	1,90,94	3,24,46	2,21,75	3,83,59
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	22,87	17,06	24,80	22,43
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,81,50,06	1,45,77,72	1,45,43,47	1,38,80,67
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56

£केवल डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से सम्बद्ध लेन-देन

£Represents transactions pertaining to P&T Revenue Reserve Fund only

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
		(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	1,84,93,08	1,96,34,51	1,88,01,97	1,95,08,81
(ख) गैर ब्याज—	*(b) Non-Interest bearing—*				
केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	3,60,00	4,00,00	4,00,00	4,00,00
कपास खेतिहर हितकारी निधि	Fund for the Benefit of Cotton Growers	90,00	90,00	..	..
सूती वस्त्र उद्योग निधि	Cotton Textiles Fund[a]	..	..	..	..
विपणन विकास निधि	Marketing Development Fund	22,69,05	40,00,00	34,00,00	44,00,00
असैनिक उड्डयन निधि	Civil Aviation Fund	1,00,00	70,00	1,00,00	2,50,00
विशेष विकास निधि—	Special Development Fund—				
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि	Fund from other Assistance under the Colombo Plan	3,35,41	2,82,55	91,82	87,00
भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Cooperation Agreement	83,08	1,23,08	87,65	75,57
अन्य निधियां	Other Funds	1,76,19,08	..	..	..
जोड़	TOTAL	1,80,37,57	4,05,63	1,79,47	1,62,57
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	3,93,49,70	2,46,00,14	2,28,81,44	2,47,21,38
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,95,94,30	7,48,78.60	7,33.48,90	7,96,19,55

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	1,81,50,06	1,45,77,72	1,45,43,47	1,38,80,67
अन्य जमा और अग्रिम—	OTHER DEPOSITS AND ADVANCES—				
(क) ब्याजू	*(a) Interest bearing*—				
जहाज विकास निधि	Shipping Development Fund	15,82,72	23,68,95	23,68,95	23,68,95
आय-कर, अधिकर, अतिरिक्त लाभ-कर और अधिभार की जमा	Deposits of Income-tax, Super Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	20,04	21,39	21,23	16,60
अन्य जमा रकमें	Other Deposits	88,87	..	..	..
भारतीय राजाओं के निमित्त न्यासों में जमा	Deposits of Trusts for Indian Princes	27,04	21,04	21,04	21,04
(ख) गैर-ब्याजू	*(b) Non-Interest bearing*—				
केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	3,07,95	4,31,04	4,36,16	4,36,41
कपास खेतिहर हितकारी निधि	Fund for the Benefit of Cotton Growers	..	5,00	..	..
सूती वस्त्र निधि	Cotton Textiles Fund	4,37	..	5,00	5,00
चीनी उद्योग संरक्षण निधि	Fund for the Protection of Sugar Industry	..	1,06	48	58
विपणन विकास निधि	Marketing Development Fund	23,18,99	40,00,00	33,19,50	42,84,95
असैनिक उड्डयन निधि	Civil Aviation Fund	79,78	1,13,00	1,43,00	2,50,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	2,25,79,82	2,15,39,20	2,08,58,83	2,12,64,20
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम . .	Brought Forward	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
आगे लायी गयी रकम . .	Brought Forward . . .	3,93,49,70	2,46,00,14	2,28,81,44	2,47,21,38
कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याण निधि .	Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund . .	4,29,82	3,78,08	4,13,67	3,98,66
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा केन्द्र निधि	Coal Mines Central Rescue Station Fund	21,15	19,10	19,60	19,60
लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि .	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	66,94	69,02	69,02	72,00
अबरक खान श्रमिक कल्याण निधि .	Mica Mines Labour Welfare Fund .	31,23	30,00	30,00	35,00
लोहा और इस्पात समकरण निधि .	Iron and Steel Equalisation Fund .	78,93	1,00,00	25,00	50,00
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मियादी जमा से संबद्ध बोनस निधि	Post Office Certificates Cumulative Time Deposits Bonus Fund	32,33,74	37,59,77	38,74,68	44,06,93
राष्ट्रीय रक्षा कोष . . .	National Defence Fund . . .	61,76	..	2,30,00	1,80,00
संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा निधियां . .	Emergency Risks (Goods and Factories) Insurance Funds . .	1,84,65	2,00,00	2,00,00	2,70,00
स्थानीय निधियों की जमा रकमें .	Deposits of Local Funds . . .	3,05,35	7,96,73	41,48,85	30,55,85
असैनिक जमा . . .	Civil Deposits	6,48,39,78	4,79,42,86	6,24,67,28	5,04,72,90
अन्य जमा रकम . . .	Other Deposits	98,92,74	99,00,64	1,01,33,22	1,01,63,13
आगे ले जायी गयी रकम . .	Carried Over	11,84,95,79	8,77,96,34	10,44,92,76	9,38,45,45
आगे ले जायी गयी रकम .	Carried Over	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हज़ार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम . .	Brought Forward	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56
आगे लायी गयी रकम .	Brought Forward	2,25,79,82	2,15,39,20	2,08,58,83	2,12,64,20
विशेष विकास निधि—	Special Development Fund—				
भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि . .	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Co-operation Agreement	43,25	52,81	34,52	60,18
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि . .	Fund from Other Assistance under the Colombo Plan . . .	3,33,68	35,75	35,75	20,00
अन्य निधियां . . .	Other Funds	5,45,61,14	..	..	..
जोड़	TOTAL	5,49,38,07	88,56	70,27	80,18
कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याण निधि .	Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund .	4,01,51	5,25,56	4,99,89	5,14,99
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा केन्द्र निधि .	Coal Mines Central Rescue Station Fund	22,35	23,07	20,42	26,24
लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि .	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	18,21	37,53	36,82	65,64
अबरक खान श्रमिक कल्याण निधि .	Mica Mines Labour Welfare Fund	37,90	46,15	44,17	50,45
लोहा और इस्पात समकरण निधि .	Iron and Steel Equalisation Fund	1,10,35	1,52,00	59,88,00	86,00
आगे ले जायी गयी रकम . . .	Carried over	7,81,08,21	2,24,12,07	2,75,18,40	2,20,87,70
आगे ले जायी गयी रकम .	Carried over	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II.—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget, Estimate 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	11,84,95,79	8,77,96,34	10,44,92,76	9,38,45,45
ब्याज और अधिभार सहित आयकर, अधिकर और अतिरिक्त लाभ-कर की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax including Interest and Surcharge	25	..	..	..
शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund	5,94	10,00	10,00	1,00
युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा निधि	War Risks (Marine Hulls) Re-Insurance Fund	24,20	44,00	74,00	66,00
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	Railway Safety Works Fund	1,47,14	1,72,00	1,64,43	1,88,19
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation	3,83	25,00	5,00	5,00
अन्य खाते	Other Accounts	40,27,97	23,48,46	35,17,27	26,68,37
श्रमिक कल्याण निधि	Workmen's Benefit Fund	..	..	..	..
बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Government of Burma	..	1	3	3
रिजर्व बैंक के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Reserve Bank	3,18	4,73,94	5,42,92	5,04,09
अन्य अग्रिम	Other Advances	3,42,95,25	3,41,46,64	3,86,24,23	3,91,12,29
रोकड़ बाकी निवेश खाता (शुद्ध)	Cash Balance Investment Account (net)	..	6,95	..	..
बट्टा-शोधन निधि	Discount Sinking Fund	1,89,74	1,65,88	1,65,88	1,52,06
अन्य उचन्त खाते (शुद्ध)	Other Suspense Accounts (net)	..	40,65	29,08,96	7,68,55
धनादेश (चैक) और हुंडियां (शुद्ध)	Cheques and Bills (net)	49,16,01	..	49,96,08	..
विभागीय और दूसरे ऐसे ही खाते (शुद्ध)	Departmental and Similar Accounts (net)	5,54,02	..	..	..
विविध	Miscellaneous	5,67,93,99	76	1,35,92,20	9,02,08
जोड़—जमा और अग्रिम	TOTAL—DEPOSITS AND ADVANCES	21,94,57,31	12,52,30,63	16,90,93,76	13,82,13,11
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	30,90,51,61	20,01,09,23	24,24,42,66	21,78,32,66

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान, 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान, 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान, 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*				
आगे लायी गयी रकम . .	Brought Forward . . .	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	7,81,08,21	2,24,12,07	2,75,18,40	2,20,87,70
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मीयादी जमा से सम्बद्ध बोनस-निधि	Post Office Certificates and Cumulative Time Deposits Bonus Fund .	5,98,79	6,73,60	6,92,00	7,51,28
राष्ट्रीय रक्षा कोष .	National Defence Fund . .	10,25	3,00,00	18,10,00	2,00,00
संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा निधियां .	Emergency Risks (Goods and Factories) Insurance Funds	73,29	1,75,12	1,01,30	83,35
स्थानीय निधियों की जमा रकमें	Deposits of Local Funds .	2,35,80	7,85,73	41,22,60	30,67,82
असैनिक जमा . .	Civil Deposits	5,23,76,05	4,80,88,72	6,06,21,04	5,01,50,77
अन्य जमा रकमें . .	Other Deposits	1,03,08,55	90,49,25	94,07,28	96,59,18
ब्याज और अधिभार सहित आयकर, अधिकर और अतिरिक्त लाभ-कर की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax including Interest and Surcharge . .	10,14	25	3,47	50
शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund . . .	80	3,55	2,37	20
युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा निधि	War Risks (Marine Hulls) Re-Insurance Fund . . .	22	5,14	4,17	4,19
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि .	Railway Safety Works Fund .	..	3,60,43	..	5,00,00
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता .	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation . .	9	3,52	2,39	3,02
अन्य खाते .	Other Accounts	37,90,40	23,12,75	32,35,59	25,87,17
श्रमिक कल्याण निधि .	Workmen's Benefit Fund . .	..	2	..	..
बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Government of Burma	67	..	—2	3
रिजर्व बैंक के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Reserve Bank	1,06,41	4,77,63	5,43,18	5,04,61
अन्य अग्रिम . .	Other Advances	3,53,28,30	3,40,07,25	3,87,33,88	3,91,30,10
रोकड़ बाकी निवेश खाता (शुद्ध)	Cash Balance Investment Account (net)	8,48,80	..	14,57	20,73
बट्टा शोधन निधि . .	Discount Sinking Fund .	..	..	..	..
अन्य उचंत खाते (शुद्ध)	Other Suspense Accounts (net)	79,40,35	..	..	..
धनादेश (चैक) और हुंडियां (शुद्ध)	Cheques and Bills (net) . .	..	12,48,71	..	39,32,46
विभागीय और दूसरे ऐसे ही खाते (शुद्ध)	Departmental and Similar Accounts (net)	..	55,43	9,05,17	4,78
विविध .	Miscellaneous . . .	32,52,70	3,76	3,09	2,38
जोड़—ऋण और अग्रिम	TOTAL—DEPOSITS AND ADVANCES .	19,29,89,82	11,99,62,93	14,77,20,48	13,26,90,27
आगे ले जायी गयी रकम .	Carried Over	24,73,49,52	17,67,02,27	21,21,92,63	19,24,85,83

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—समाप्त	III.—PUBLIC ACCOUNT—*concld.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	30,90,51,61	20,01,09,23	24,24,42,66	21,78,32,66
प्रेषणाएं—	REMITTANCES—				
I—भारत में प्रेषणाएं—	I.—REMITTANCES WITHIN INDIA—				
अंतर्देशीय मनी आर्डर	Inland Money Orders	5,55,37,34	5,80,00,00	5,80,00,00	6,00,00,00
अन्य प्रेषणाएं	Other Remittances	85,46,34	20,13,23	19,65,57	19,85,55
II—इंगलैण्ड और भारत के बीच प्रेषणाएं—	II.—REMITTANCES BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
इंगलैंड और भारत के बीच प्रेषण—खाता	Remittance Accounts between England and India	4,30,24,29	3,40,26,21	3,14,79,75	2,69,17,99
जोड़—प्रेषणाएं	TOTAL—REMITTANCES	10,71,07,97	9,40,39,44	9,14,45,32	8,89,03,54
इंगलैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
रिजर्व बैंक की मार्फत प्रेषणाएं	Remittances through the Reserve Bank	2,73,21,09	1,31,77,47	1,65,60,80	1,46,96,12
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSITS—				
रेलें	Railways	—1,42,44,65	—1,03,47,10	—1,12,29,89	—89,18,93
डाक और तार	Posts and Telegraphs	36,47,22	42,03,82	50,83,85	50,48,22
रक्षा सेवाएं	Defence Services	—9,82,10,93	—10,39,06,36	—10,57,26,70	—11,03,50,79
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—प्राप्तियां	TOTAL III.—PUBLIC ACCOUNT—RECEIPTS	33,46,72,31	19,72,76,50	23,85,76,04	20,72,10,82
घटाईए—वित्तीय संस्थाओं और आकस्मिक व्यय के लिए व्यवस्था	*Deduct*—Provision for Financial Institutions and Contingencies	..	..	..	..
जोड़—(I+II+III)	TOTAL—(I+II+III)	1,71,35,94,55	1,73,09,10,34	1,70,67,93,40	1,83,46,83,58
	OPENING BALANCE	1,05,99,82	51,06,91	64,56,86	50,90,36
	GRAND TOTAL	1,72,41,94,37	1,73,60,17,25	1,71,32,50,26	1,83,97,73,94

भुगतानों के अनुमान—समाप्त

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*concld.*

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

		वास्तविक भुगतान 1967–68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968–69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968–69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969–70 Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—समाप्त	III—PUBLIC ACCOUNT—*concld.*				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	24,73,49,52	17,67,02,27	21,21,92,63	19,24,85,83
प्रेषणाएं—	REMITTANCES—				
I—भारत में प्रेषणाएं—	I.—REMITTANCES WITHIN INDIA—				
अन्तर्देशीय मनी आर्डर	Inland Money Orders	5,70,40,60	5,80,00,00	5,80,00,00	6,00,00,00
अन्य प्रेषणाएं	Other Remittances	..	27,80,00	31,94,32	32,06,80
II—इंगलैंड और भारत के बीच प्रेषणाएं	II.—REMITTANCES BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
इंगलैंड और भारत के बीच प्रेषण-खाता	Remittance Account between England and India	4,02,03,80	3,40,26,21	3,14,79,75	2,69,17,99
जोड़—प्रेषणाएं	TOTAL—REMITTANCES	9,72,44,40	9,48,06,21	9,26,74,07	9,01,24,79
इंगलैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
रिजर्व बैंक की मार्फत प्रेषणाएं	Remittances through the Reserve Bank	3,07,51,26	1,31,77,47	1,65,60,80	1,46,96,12
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSITS—				
	CIVIL	..	..	..	..
रेलें	RAILWAYS	—1,42,44,65	—1,03,47,10	—1,12,29,89	—89,18,93
डाक और तार	POSTS AND TELEGRAPHS	36,47,22	42,03,82	50,83,85	50,48,22
रक्षा सेवाएं	DEFENCE SERVICES	—9,82,10,93	—10,39,06,36	—10,57,26,70	—11,03,50,79
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—भुगतान	TOTAL — III — PUBLIC ACCOUNT—DISBURSEMENTS	26,65,36,82	17,46,36,31	20,95,54,76	18,30,85,24
जोड़—(I+II+III)	TOTAL (I+II+III)	1,71,77,37,51	1,73,08,37,34	1,70,81,59,90	1,83,46,68,58
इति शेष	Closing Balance	64,56,86	51,79,91	50,90,36	51,05,36
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,72,41,94,37	1,73,60,17,25	1,71,32,50,26	1,83,97,73,94

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सरकार के

(संसद में प्रस्तुत)

1969–70 के बजट

का

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भाग 1

महाप्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड नई दिल्ली, द्वारा मुद्रित

केन्द्रीय सरकार का

1969-70

का

व्याख्यात्मक-ज्ञापन

भाग I

बजट 1969–70

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भाग 1

सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना

व्याख्यात्मक ज्ञापन दो भागों में प्रस्तुत किया गया है। भाग 1, में, 1968–69 और 1969–70 के राजस्व तथा पूंजी बजट में शामिल अनुमानों में होने वाले परिवर्तन दिखाये जाते हैं। 1961–62 के बाद हर वर्ष के सम्बन्ध में बजट सम्बन्धी स्थिति दिखाने वाले विवरण, और 1961–62 के बाद के हर वर्ष के सम्बन्ध में कर-राजस्व, कर-राजस्व से भिन्न राजस्व तथा राजस्व और पूंजी खाते का विकास सम्बन्धी और अन्य व्यय दिखाने वाले तथा 1968–69 और 1969–70 में राज्यों को अन्तरित साधनों के विवरण भी साथ दिये गये हैं।

2. व्याख्यात्मक ज्ञापन के दूसरे भाग के भी दो विभाग है। पहले विभाग में राजस्व और राजस्व से किये जाने वाले व्यय के अनुमान और दूसरे में ऋणों, अग्रिमों, उधार, जमा और अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों सहित पूंजीगत लेनदेनों का विवरण दिया गया है। परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए सदा की भांति, अलग-अलग शीर्षकों के अन्तर्गत अनुमानों संबंधी टिप्पणियां दी गयी हैं। ज्ञापन के अन्त में जो अनुबन्ध हैं उनमें बजट विवरण में खाते के शीर्षकों के अनुसार दिखलाये गये व्यय का विनियोग और अनुदानों की मांगों के अनुसार वितरण, सरकारी क्षेत्र के मुख्य प्रतिष्ठानों को दी गयी पूंजी और ऋणों, मित्र देशों और अन्य संस्थाओं से मिलने वाली सहायता का विवरण, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लगायी गयी पूंजी और उनसे होने वाली आय का ब्योरा, भारत में जनता से लिये गये ऋणों की वास्तविक प्राप्तियां के क्रमिक आंकड़े, अनिधिबद्ध (अनफण्डेड) ऋण की वास्तविक प्राप्तियां, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिये गये अंशदानों का इकट्ठा विवरण, देय आयकर को कुल आय के प्रतिशत भाग के रूप में दिखाने वाली सारणी और सरकार द्वारा दी गयी और 1967 के अन्त में बकाया रही प्रतिभूतियां, दी गयी हैं।

3. विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगें अलग–अलग पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रस्तुत मांगों में से हर एक मांग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में टिप्पणी दी जाती है। विभिन्न सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों और निगमों तथा महत्वपूर्ण योजनाओं की टिप्पणियां, आयोजना सम्बन्धी व्यवस्थाओं तथा प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्थाओं की मांगों के अनुसार तैयार की गयी अनुसूचियां, आयोजना से भिन्न योजनाओं के व्यय की महत्वपूर्ण मदों की सूचियां, जिन पर 5 लाख रुपये या ज्यादा (कम खर्च होती है) और "नयी सेवा" तथा "सेवा के नये माध्यम" की सीमा के अन्तर्गत आने वाली मदों की सूचियां, बाद में भेजी जायंगी, और राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों से भिन्न पार्टियों को दिये जाने वाले उन सहायक अनुदानों के विवरण, जिन पर एक लाख रुपये से ज्यादा खर्च होगा और जिन्हें 1969–70 के बजट में शामिल कर लिया गया है, बाद में प्रस्तुत किये जायंगे।

4. इस ज्ञापन में "चालू वर्ष" और "अगले वर्ष" से तात्पर्य क्रमश: 1968–69 और 1969–70 के वित्तीय वर्षों से है। जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, सब रकमों को लाख रुपयों में दिखाया गया है। चालू वर्ष में स्टर्लिंग सम्बन्धी लेन-देनों को 100 रुपये के बदले 5.528 पौण्ड के हिसाब से रूपांतरित किया गया है। प्रचलित प्रणाली के अनुसार 1969-70 के बजट में सम्मिलित लेन-देनों को 18 रुपये के बदले एक पौण्ड की प्रतिमानित दर (स्टैंडर्ड रेट) के अनुसार रुपयों में बदला गया है। चालू और अगले, दोनों वर्षों में, स्टर्लिंग से भिन्न लेन-देनों, का रूपांतरण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की समता दरों (पैरिटी रेट) के हिसाब से किया गया है। इस दर और समय पर प्रचलित दरों के अन्तर के लिए स्थिति के अनुसार—"71/LII विविध—विनिमय से लाभ या हानि" शीर्षक के अन्तर्गत स्थिति के अनुसार व्यवस्था की गयी है।

5. 1967–68 के खाते अन्तिम रूप से बन्द नहीं किये गये हैं। इसलिए व्याख्यात्मक ज्ञापन में और अन्यत्र दिखाये गये वास्तविक आंकड़े अनन्तिम हैं और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

1968-69 के संशोधित अनुमान

राजस्व बजट

चालू वर्ष के बजट में 131 करोड़ रुपये का राजस्व-अधिशेष आंका गया था, जो अब घट कर सम्भवतः 4 करोड़ रुपया रह जायगा। यह वास्तविक राजस्व-प्राप्तियों में 11 करोड़ रुपये की कमी और राजस्व खाते के व्यय में 116 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का परिणाम है।

राजस्व-प्राप्तियां

चालू वर्ष का कुल राजस्व अब 3240 करोड़ रुपया आंका गया है, जब कि बजट में वह 3197 करोड़ रुपया आंका गया था।

बजट बनाते समय यह आशा की गयी थी कि आयात-शुल्कों से 434 करोड़ रुपया प्राप्त होगा, पर अब यह अनुमान है कि उनसे लगभग 343 करोड़ रुपया ही प्राप्त होगा। यह कमी अनुमान से कम आयात होने के कारण होगी। निर्यात शुल्कों से 100 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान था। अब उनसे सम्भवतः 97 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि वर्ष के दौरान चाय, जूट, निर्मित वस्तुओं, अबरक और खनिज लोहे के निर्यात-शुल्कों में रियायतें दी गयी थीं। इस प्रकार, सीमा-शुल्कों से 94 करोड़ रुपया कम प्राप्त होगा।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के बारे में, बजट प्रस्तावों के परिणाम को हिसाब में लेने के बाद, यह अनुमान किया गया था कि उनसे 1286 करोड़ रुपया मिलेगा। अब उनसे 1320 करोड़ रुपया मिलने की सम्भावना है। 34 करोड़ रुपये की यह वृद्धि मुख्यत: पेट्रोलियम से बनी वस्तुओं, सिगरेटों और रेयन और नकली रेशों के उत्पादन शुल्कों से हुई है।

निगम-कर और आयकर दोनों से कुल मिलाकर 660 करोड़ रुपया प्राप्त होने की सम्भावना है, जब कि बजट अनुमान यह था कि उनसे 640 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। 20 करोड़ रुपये की इस वृद्धि में से, 2 करोड़ रुपये की वृद्धि निगम कर के अन्तर्गत और शेष 18 करोड़ रुपये की वृद्धि आय सम्बन्धी करों के अन्तर्गत होगी। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि बकाया रकमों की वसूली के प्रयत्न किये गये हैं।

ब्याज और लाभांश से होने वाली प्राप्तियां 494 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की अपेक्षा 46 करोड़ रुपया ज्यादा होने का अनुमान है। इस वृद्धि में से 22 करोड़ रुपये की वृद्धि, राज्यों द्वारा की जाने वाली ब्याज की अदायगियों के अन्तर्गत होगी और शेष 24 करोड़ रुपये की रकम, रेलों तथा डाक तार समेत, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से, मुख्यतः हिन्दुस्तान स्टील के पहले के वर्ष के ब्याज की वसूली होने के कारण, मिलेगी।

शेष वृद्धि कई शीर्षकों से होगी जिनमें उल्लेखनीय ये हैं--राष्ट्रीय रक्षा निधि से मिलने वाले अनुदान (18 करोड़ रुपया), पब्लिक लॉ 480 सम्बन्धी अनुदान (3 करोड़ रुपया) बिक्री कर, चुंगी, और प्रसारण (दो-दो करोड़ रुपया)।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में राज्यों का हिस्सा इस वर्ष, बजट बनाते समय आंके गये 274 करोड़ रुपये के मुकाबले, 291 करोड़ रुपया होगा। यह वृद्धि इस वर्ष ज्यादा वसूलियां होने के कारण और पिछले वर्षों की बकाया रकमों के कारण होगी।

आयकर में राज्यों का हिस्सा बजट अनुमान से 38 करोड़ रुपया ज्यादा होगा जिसमें पिछले वर्षों की बकाया रकमें भी शामिल हैं। इसका कारण यह है कि इस वर्ष भी और पिछले वर्षों में भी आय-कर की ज्यादा वसूलियां विभाज्य राशि में शामिल हुईं। मृत-सम्पत्ति शुल्क में राज्यों का हिस्सा 1 करोड़ रुपया कम होगा।

इस प्रकार, यदि राजस्व-प्राप्तियां में से राज्यों का हिस्सा घटा दिया जाय, तो उनमें 11 करोड़ रुपये की कमी होती है।

राजस्व खाते का व्यय

राजस्व खाते का व्यय, अब 2745 करोड़ रुपया आंका गया है जब कि बजट अनुमान में वह 2629 करोड़ रुपया आंका गया था। इस प्रकार उसमें 116 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

राजस्व-खाते के रक्षा-सेवा-सम्बन्धी वास्तविक व्यय के अनुमान में 49 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके मुख्य कारण ये हैं--एक विभागीय कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कुछ श्रेणियों के रक्षा-सेवा-कर्मचारियों के भत्तों में मंजूर की गयी वृद्धियां, 1 सितम्बर 1968 से मंहगाई भत्ते में मंजूर की गयी वृद्धियां, और मंहगाई भत्ते के कुछ भाग का वेतन में मिलाया जाना जिसकी स्वीकृति वर्ष के दौरान दी गयी थी और उसके परिणामस्वरूप हुई भत्तों की वृद्धियां। इस वृद्धि में से कुछ वृद्धि सामान की अनुमान की अपेक्षा अधिक प्राप्ति होने के परिणामस्वरूप सामान सम्बन्धी व्यय में हुई है।

असैनिक व्यय के अनुमान में 67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस में से 58 करोड़ रुपये की वृद्धि राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों में हुई है और शेष वृद्धि कई अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत हुई है।

सहायक अनुदानों में हुई 58 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः इस कारण हुई है कि 1966–67 और 1967–68 में कुछ राज्यों को दिये गये ऋणों को अनुदानों का रूप दे दिया गया है (33.40 करोड़ रुपये) और इस वर्ष आयोजना-ऋणों के बदले आयोजना अनुदानों के रूप में 16.70 करोड़ रुपये की अदायगी की गयी है। यह परिवर्तन करने की आवश्यकता इस कारण पैदा हुई, कि चौथे वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग दरों पर राजस्व खाते में ऋण-परिशोध की व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी थी। यह तय किया गया कि सभी राज्यों के लिए इसी आधार पर इसके लिए व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी जाय और जहां चौथे वित्त आयोग ने अपर्याप्त व्यवस्थाओं की अनुमति दी हो, वहां पिछले दो वर्षों में दिये जा चुके ऋणों और चालू वर्ष में दिये जाने वाले ऋणों को अनुदानों का रूप दिया जाय। ये सब लेखे में किये जाने वाले फेरबदल मात्र हैं। इनका बजट पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों में हुई शेष वृद्धि इन कारणों से हुई है —राज्यों को, कुल केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा के अन्दर, अनुदानों (5 करोड़ रुपया) के रूप में गांवों की सड़कों के लिए की गयी सहायता की अदायगी ; और केन्द्रीय सरकार से लिये गये कुछ ऋणों के ब्याज के सम्बन्ध में राजस्थान को सहायक अनुदान के रूप में की गयी 3 करोड़ रुपये की अदायगी, जिसका विचार चौथे वित्त आयोग ने नहीं किया।

प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत 12 करोड़ रुपये की व्यय वृद्धि हुई है, जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के पुनः संगठन और सीमा-सुरक्षा-दल के विस्तार के परिणाम-स्वरूप पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत पहले से अधिक व्यय (9 करोड़ रुपया) होने के कारण और महंगाई भत्ते में वृद्धियां होने के कारण हुई है।

देशी गेहूं के सम्बन्ध में दी गयी उपभोक्ता-राजसहायता की वापसी के कारण, जो शुरू में अन्न निगम ने दी थी, 20 करोड़ रुपये की व्यय वृद्धि हुई है।

विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की छुट के कारण 4 करोड़ रुपये की काल्पनिक व्यय वृद्धि हुई है।

पड़ोसी देशों को दी जाने वाली सहायता और दिल्ली में स्थानीय निकायों को की जाने वाली निर्दिष्ट करों की अदायगी की रकम भी क्रमशः दो दो करोड़ रुपया ज्यादा होगी।

ऋण व्यवस्था में 23 करोड़ रुपया कम व्यय हुआ है जिस का मुख्य कारण, राजकोष–हुण्डियों के सम्बन्ध में बट्टे की दर में की गयी कमी, डाकघर बचत बैंक की जमा के ब्याज की दर में की गयी कमी और विदेशी ऋणों के ब्याज की अदायगी में मिली राहत है।

"विकास-व्यय" में 14 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ है। यह कमी कुल मिलाकर इन बातों का परिणाम है—शिक्षा और वैज्ञानिक विभागों पर (6 करोड़ रुपया) ; कृषि और तत्सम्बन्धी कार्यों (4 करोड़ रुपया) ; चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य पर (2 करोड़ रुपया) और निर्यात-प्रोत्साहन के उपायों पर (6 करोड़ रुपया) कम व्यय होना और राष्ट्रीय राजपथों सहित सड़कों के रखरखाव पर (4 करोड़ रुपया) अधिक व्यय होना।

6 करोड़ रुपये की बाकी रकम बहुत सी मदों के अन्तर्गत बंटी हुई है अर्थात् कर जमा-पत्रों के आधार पर अदायगियां (उत्पादन-शुल्क योजना) और दिल्ली नगर निगम को अनुदान।

पूंजी बजट

पूंजी खाते की प्राप्तियां

भारत में लिये गये बाजार-ऋणों मे (75 करोड़ रुपये की तदर्थ राजकोष हुंडियों के दिनांकित प्रतिभूतियों मे किये गये परिवर्तन को छोड़ कर) बजट अनुमानों के मुकाबले 21 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

पी० एल० 480 सम्बन्धी ऋणों से भिन्न विदेशी सहायता से होने वाली बजट सम्बन्धी प्राप्तियां 629 करोड़ रुपया आंकी गयी हैं, जब कि उनका बजट अनुमान 775 करोड़ रुपया था। इस प्रकार इन में 146 करोड़ रुपये की कमी हुई है। यदि ऋण चुकाने का जो नया कार्यक्रम वर्ष के दौरान तय हुआ है उसको हिसाब में लिया जाय तो इन प्राप्तियों में 121 करोड़ रुपये की ही कमी रह जायगी।

पी० एल० 480 सम्बन्धी प्राप्तियों (राजस्व विभाग में हिसाब में शामिल उस अंश को छोड़ कर जिस का समायोजन अनुदानों के रूप में किया गया है) और पी० एल० 480 सम्बन्धी परिवर्तनीय मुद्रा ऋण की प्राप्तियों से बजट में 181 करोड़ रुपये की प्राप्ति आंकी गयी हैं जब कि इन का बजट अनुमान 269 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार, इन में 88 करोड़ रुपये की कमी हुई है। पर यदि वर्ष के दौरान उपहार के रूप में मिले अन्न का मूल्य (45 करोड़ रुपया) हिसाब में लिया जाय, तो यह कमी घटकर 43 करोड़ रुपया ही रह जायगी।

राज्यों द्वारा तथा अन्य पार्टियों द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम में 186 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। इसमें से 47 करोड़ रुपये की रकम काल्पनिक समायोजनों की रकम है क्योंकि राज्यों को दिये गये 33 करोड़ रुपये के ऋणों और विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये 4 करोड़ रुपये के ऋणों को अनुदानों का रूप दिया गया है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिये गये 10 करोड़ रुपये के ऋणों को हिन्दुस्तान कापर के सामान्य शेयरों में निविष्ट रकमों का रूप दिया जा रहा है। कुछ वृद्धि बकाया रकमों की तथा वर्ष के दौरान दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली के कारण होगी।

विविध ऋण जमा शीर्षकों में 97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो सरकारी खाते की कई एक मदों के अन्तर्गत बंटी हुई है ।

पूंजीगत भुगतान

पूंजीगत व्यय—चालू वर्ष के बजट में 737 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की गयी थी । इस व्यय का संशोधित अनुमान 530 करोड़ रुपये का है । इस प्रकार इसमें 207 करोड़ रुपये की कमी हो जाती है जो कई मदों के अन्तर्गत है ।

रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय 13 करोड़ रुपया कम होगा ।

रेलों सम्बन्धी पूंजी परिव्यय 9 करोड़ रुपया कम होगा ।

अन्न सम्बन्धी राज्य व्यापार योजना क अन्तर्गत, जिसके सम्बन्ध में बजट में 101 करोड़ रुपये के वास्तविक परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, 64 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा है अर्थात् अन्न निगम को स्टाक सौप दिये जाने के कारण, 165 करोड़ रुपया कम व्यय होगा । रासायनिक खाद सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत आयात कम होने और बिक्री की रकम बढ़ने से 30 करोड़ रुपया कम व्यय होगा ।

राज्यों को दिये जाने वाले विकास-सम्बन्धी पूंजीगत अनुदानों की रकम, सड़कों के लिए कम जरूरत होने के कारण, 3 करोड़ रुपया कम हो जायगी ।

उपर्युक्त कमी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से तांबे की खानें खरीदने के लिए हिन्दुस्तान कापर के अन्तर्गत और फरक्का प्रायोजना के अन्तर्गत व्ययवृद्धि होने से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जाती है ।

ऋण और अग्रिम

राज्यों को ऋण और अग्रिम देने के लिए चालू बजट में 828 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी । इसके लिए संशोधित आवश्यक रकम ज्यादा अर्थात् 891 करोड़ रुपया आंकी गयी है । इसका मुख्य कारण यह है कि दैवी विपत्तियों के कारण सहायता की पहले से अधिक व्यवस्था जरूरी हो गयी है ।

संघीय राज्य-क्षेत्रों को ऋण और अग्रिम देने के लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इसके लिए मूल बजट में 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तथा अन्य पार्टियों को ऋण देने के लिए चालू वर्ष के बजट में 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी । इसके लिए संशोधित आवश्यक रकम 595 करोड़ रुपया आंकी गयी है, अर्थात् 134 करोड़ रुपया ज्यादा आंकी गयी है । इसका मुख्य कारण यह है कि अन्न निगम को संकट के समय काम आने वाले भण्डार से सम्बन्धित कार्य करने के लिए अतिरिक्त ऋण (बजट में दिखाये गये 40 करोड़ रुपये के ऋणों के स्थान पर) 190 करोड़ रुपये के ऋण देने आवश्यक हो गये हैं । यह वृद्धि अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले ऋणों, मुख्यतः रेजिमेण्टल ऋणों और विदेशों की सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए की गयी कम व्यवस्थाओं से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो गयी है । अन्न निगम को दी जाने वाली अतिरिक्त रकम (150 करोड़ रुपया) अन्न के सरकारी व्यापार के लिए की गयी व्यवस्था में हुई कमी (165 करोड़ रुपया) से न सिर्फ पूरी हो जायगी, बल्कि कुछ रकम बची रहेगी ।

ऋण परिशोधन

चालू वर्ष के बजट में, भारत में लिये गये 244 करोड़ रुपये के ऋण और भारत से बाहर लिये गये 194 करोड़ रुपये के ऋण चुकाने की व्यवस्था की गयी थी । भारत में लिये गये ऋणों की रकम में इनामी बाण्डों से सम्बन्धित 5 करोड़ रुपये की रकम शामिल थी । भारत से बाहर लिये गये ऋण चुकाने के लिए 170 करोड़ रुपये की संशोधित व्यवस्था की गयी है । इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ देशों ने ऋण परिशोध का नया कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है ।

कुल मिलाकर स्थिति

चालू वर्ष के बजट में, उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप कुल मिलाकर 260 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

1969–70 के बजट-अनुमान

राजस्व-बजट

अगले वर्ष के राजस्व-बजट में, करों की वर्तमान दरों के अनुसार, 60 करोड़ रुपये का घाटा रहता है जब कि चालू वर्ष में 4 करोड़ रुपये का अधिशेष है। 64 करोड़ रुपये की यह कमी होने का कारण वास्तविक राजस्व-प्राप्तियों में 151 करोड़ रुपये की वृद्धि और राजस्व खाते के भुगतान में 215 करोड़ रुपये की वृद्धि होना है।

राजस्व प्राप्तियां

अगले वर्ष का कुल राजस्व 3392 करोड़ रुपया आंका गया है, अर्थात् वह चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 152 करोड़ रुपया ज्यादा आंका गया है।

सीमा शुल्क राजस्व में संशोधित अनुमान की तुलना में 19 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण यह है कि पैट्रोलियम-पदार्थों और लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं का आयात, देश में उत्पादन बढ़ने के कारण, अनुमानतः कम होगा।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से प्राप्त होने वाला राजस्व 1421 करोड़ रुपया आंका गया है, अर्थात वह संशोधित अनुमान से 101 करोड़ रुपया ज्यादा आंका गया है। यह वृद्धि कई मदों के अन्तर्गत, खासकर पेट्रोलियम पदार्थों, लोहे और इस्पात की वस्तुओं, सिगरेटों रेयन और नकली रेशों, सूत और प्लास्टिक की चीजों और चीनी के अन्तर्गत होगी।

निगम-कर और आयकर से 15 करोड़ रुपया ज्यादा प्राप्त होने का अनुमान है, अर्थात् उनसे प्राप्त होने वाली रकम 660 करोड़ रुपये से 675 करोड़ रुपया हो जाने का अनुमान है।

ब्याज और लाभांश से होने वाली प्राप्तियां 46 करोड़ रुपया ज्यादा होंगी क्योंकि सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों तथा पूंजी की रकम बढ़ती जा रही है। सरकार को मिलने वाला रिजर्व बैंक का अधिशेष लाभ 5 करोड़ रुपया बढ़ जायगा। शेष वृद्धि कई मदों के अन्तर्गत, खास कर बिजली योजनाओं (तारापुर परमाणु बिजलीघर), प्रसारण, बिक्री कर और पी० एल० 480 सम्बन्धी अनुदानों के अन्तर्गत होगी, पर यह वृद्धि राष्ट्रीय रक्षा कोष के अनुदानों के अभाव से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायगी।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में राज्यों का हिस्सा (वर्तमान दरों के अनुसार), अनुमानतः ज्यादा वसूली होने के कारण, संशोधित अनुमान से 12 करोड़ रुपया अधिक होगा। पर यह वृद्धि बकाया रकमों की अदायगी के लिए व्यवस्था न होने के कारण कुछ कम हो जायगी।

आयकर और मृत सम्पत्ति शुल्क में राज्यों का हिस्सा, बकाया रकमों की अदायगी के लिए व्यवस्था न होने के कारण, चालू वर्ष के 200 करोड़ रुपये के मुकाबले, 189 करोड़ रुपया आंका गया है, अर्थात् संशोधित अनुमान की अपेक्षा 11 करोड़ रुपया कम आंका गया है।

इस प्रकार, यदि राजस्व-प्राप्तियों में से राज्यों का हिस्सा घटा दिया जाय, तो उसमें संशोधित अनुमान की अपेक्षा 151 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

राजस्व खाते का भुगतान

अगले वर्ष राजस्व खाते से किया जाने वाला कुल व्यय 2960 करोड़ रुपया आंका गया है, अर्थात् संशोधित अनुमान से 215 करोड़ रुपया ज्यादा आंका गया है।

अगले वर्ष राजस्व खाते से किया जाने वाला रक्षा-सम्बन्धी वास्तविक व्यय 986 करोड़ रुपया होगा, अर्थात् संशोधित अनुमान से 42 करोड़ रुपया अधिक होगा। इस वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—वेतनों और पेंशनों में होने वाली सामान्य वृद्धि; वर्ष के दौरान मंजूर किया गया अतिरिक्त महंगाई भत्ता, वेतन में महंगाई भत्ता मिलाया जाना; और पहले की गयी संविदाओं के आधार पर सामान की अधिक प्राप्ति।

अगले वर्ष असैनिक व्यय 173 करोड़ रुपया ज्यादा होगा। लेकिन, यदि हिसाब-किताब सम्बन्धी कुछ समायोजनों को, जैसे ऋणों को अनुदानों का रूप देना, ऋणों के स्थान पर अनुदानों की अदायगी करना आदि, को हिसाब में शामिल न किया जाय, तो यह वृद्धि 222 करोड़ रुपया होगी—अर्थात् गैर-आयोजना विभाग में 142 करोड़ रुपया और आयोजना विभाग में 80 करोड़ रुपया।

इसमें से 41 करोड़ रुपया 'ब्याज-प्रभारों' के अन्तर्गत होगा।

राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों में 60 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिसमें से 58 करोड़ रुपये की वृद्धि राज्यों के लिए और 2 करोड़ रुपये की वृद्धि संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए की जायगी। लेकिन यदि लेखा सम्बन्धी पूर्वोक्त समायोजनों को हिसाब में शामिल न किया जाय, तो राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों में 108 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि राज्यों को अगले वर्ष से दी जाने वाली कुल केन्द्रीय आयोजना सहायता (70 करोड़ रुपया) में अनुदानों का अंश बढ़ा दिया गया है (अर्थात् वह इस समय के औसतन 20–25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया गया है) और वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के अनुसार राज्यों को आयोजना-सम्बन्धी अनुदानों से भिन्न अनुदान

पहले से अधिक (36 करोड़ रुपया) दिये जाने हैं। संघीय राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले अनुदानों की वृद्धि, सम्पूर्ण रूप से, गैर-आयोजना सम्बन्धी कारणों से हुई है ।

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 46 करोड़ रुपये की व्यय वृद्धि होगी । इसमें से अधिकतर वृद्धि निर्यात-प्रोत्साहन के उपायों के अन्तर्गत (इस वर्ष के 34 करोड़ रुपये के मुकाबले 44 करोड़ रुपया); शिक्षा और वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत (16 करोड़ रुपया) और कृषि तथा तत्सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत (6 करोड़ रुपया) होगी ।

अन्य व्यय 26 करोड़ रुपया ज्यादा होगा जिसमें से 11 करोड़ रुपया प्रशासनिक सेवाओं (मुख्यतः वदेशिक कार्य, लेखापरीक्षा और पुलिस) के अन्तर्गत, 4 करोड़ रुपया कर-संग्रह के अन्तर्गत और 10 करोड़ रुपया विविध शीर्षकों के अन्तर्गत, मुख्यतः नेपाल, भूटान और सिकिम की सहायता के लिए (चार चार करोड़ रुपया)।

उपर्युक्त अनुमानों में, वचनबद्ध व्यय की लगभग 35 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है, जो केन्द्रीय तथा संघीय राज्य-क्षेत्रों की आयोजना की पूर्णतया क्रियान्वित उन योजनाओं के कारण है, जो अगले वर्ष आयोजना के भिन्न वर्ग के अन्तर्गत आ जायंगी ।

पूंजी बजट

पूंजीगत प्राप्तियां

भारत में लिये जाने वाले बाजार ऋणों की रकम 500 करोड़ रुपया और पी० एल० 480 सम्बन्धी ऋणों से भिन्न विदेशी ऋणों से प्राप्त होने वाली रकम 675 करोड़ रुपया आंकी गयी है ।

अनुमान है कि पी० एल० 480 सम्बन्धी प्राप्तियों से (अनुदानों के रूप में समायोजित की गयी रकम, अर्थात् 20 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 8 करोड़ रुपये की रकम को छोड़कर, जिसे राजस्व विभाग में दिखाया गया है) और परिवर्तनीय मुद्रा ऋण की प्राप्तियां, इस वर्ष के 181 करोड़ रुपये के मुकाबले, अगले वर्ष 215 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति होगी। इसके अलावा, अन्य देशों से उपहार के रूप में मिलने वाले अन्न का मूल्य, इस वर्ष के 45 करोड़ रुपये के मुकाबले, 9 करोड़ रुपया आंका गया है ।

छोटी बचतों से इस वर्ष की 125 करोड़ रुपये की रकम के मुकाबले 135 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है।

राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम इस वर्ष के 575 करोड़ रुपये के मुकाबले 540 करोड़ रुपया और अन्य पार्टियों द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणों की रकम इस वर्ष के 160 करोड़ रुपये के मुकाबले 205 करोड़ रुपया आंकी गयी है। राज्यों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों के समेकन की योजना के फलस्वरूप उन्हें दी जाने वाली सम्भाव्य सहायता हिसाब में ले ली गयी है। अन्य पार्टियों के अन्तर्गत होने वाली वृद्धि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की जाने वाली ऋणों की काल्पनिक अदायगी हुई है (इस वर्ष के 4 करोड़ रुपये के मुकाबले 39 करोड़ रुपया) जिसके लिए, आयोग को नये ऋण दिये जायंगे।

पूंजी खाते का भुगतान

पूंजीगत व्यय

अगले वर्ष के बजट में 765 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की व्यवस्था है जबकि इस वर्ष 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

आर्थिक-सेवाओं का व्यय, अगले वर्ष 146 करोड़ रुपया ज्यादा होगा । इसका मुख्य कारण यह है, कि इन उपक्रमों के लिए ज्यादा रकमों की व्यवस्था की गयी है; अर्थात् बोकारो स्टील (इस वर्ष के 110 करोड़ रुपये के मुकाबले 170 करोड़ रुपये); हिन्दुस्तान कापर (इस वर्ष के 6 करोड़ रुपये के मुकाबले 17 करोड़ रुपये—जिसमें से परिसम्पत्तियों के अन्तरणों से सम्बन्धित काल्पनिक समायोजनों को छोड़ दिया गया है); रासायनिक खाद निगम (इस वर्ष के 5 करोड़ रुपये के मुकाबले 24 करोड़ रुपया) और खाद्य निगम, (इस वर्ष के 12 करोड़ रुपये के मुकाबले 18 करोड़ रुपये)। रेलों और डाक-तार पर कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये का और ज्यादा पूंजीगत-परिव्यय होगा जिसमें वह परिव्यय शामिल नहीं है जिसे वे अपने आन्तरिक साधनों से पूरा करेंगे।

अन्न सम्बन्धी राज्य व्यापार योजना के अन्तर्गत, इस वर्ष के 64 करोड़ रुपये के अधिशेष के मुकाबले सिर्फ 5 करोड़ रुपये का अधिशेष होगा, क्योंकि अगले वर्ष के हिसाब किताब सम्बन्धी क्रियाकलाप, मार्च के महीने में होने वाले माल के लदानों और उन उपहारों तक ही सीमित रहेंगे, जिनका शुमार केन्द्रीय बजट में बराबर होता रहेगा ।

रासायनिक खाद से सम्बन्धित व्यापार योजना के अनुसार कुल 221 करोड़ रुपये का व्यय होगा और खाद की बिक्री से 234 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी; इस प्रकार वास्तविक रूप से 13 करोड़ रुपये का लाभ होगा, जब कि इसके मुकाबले इस वर्ष 37 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था ।

अगले वर्ष रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय, इस वर्ष के 107 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 124 करोड़ रुपया होगा, जिस का मुख्य कारण यह है कि रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन चलने वाले प्रतिष्ठानों में पूंजी लगाने के लिए ज्यादा रकम की व्यवस्था की गयी है और समुद्री जहाजों सम्बन्धी अदायगी के लिए भी ज्यादा रकम की व्यवस्था की गयी है ।

विकास के लिए राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों से सम्बन्धित वास्तविक पूंजी परिव्यय में 17 करोड़ रुपये की कमी होगी, जिसका मुख्य कारण यह है कि अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए कम रकमों की व्यवस्था की गयी है और राजस्व खाते में ज्यादा रकमों को वापस डाला गया । राज्यों की योजनाओं से सम्बन्धित कुछ अनुदान, जिन्हें इस स्थान पर रखने की जरूरत है अगले वर्ष से राजस्व विभाग में, सामूहिक अनुदानों के भाग के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे ।

ऋण और अग्रिम

राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए अगले वर्ष ऋणों के लिए 794 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि इस वर्ष 915 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी; अर्थात् यह रकम 121 करोड़ रुपया कम है । इसके मुख्य कारण ये हैं: अगले वर्ष से अदा की जाने वाली केन्द्रीय आयोजना सहायता में ऋणों का अंश कम होगा और अनुदानों का अंश उतना ही ज्यादा होगा और दैवी विपत्तियों के लिए कम सहायता की व्यवस्था को गयी है अर्थात् इस वर्ष के 83 करोड़ रुपये के मुकाबले 35 करोड़ रुपये । राज्यों को आयोजना से भिन्न दूसरी सहायता (अर्थोपाय सहित) दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है ।

विधान मंडलों वाले संघीय राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों के लिये, इस वर्ष के 24 करोड़ रुपये के मुकाबले 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो मुख्यत: आयोजना सम्बन्धी उनकी योजनाओं के लिये है :

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों (वित्तीय उपक्रमों से भिन्न) को दिये जाने वाले ऋणों के लिये 198 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि इसके मुकाबले संशोधित अनुमान में 383 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । कमी के मुख्य कारण ये हैं: संकट के समय काम आने वाले अन्न के भंडार के सम्बन्ध में खाद्य निगम के लिये कम रकम की व्यवस्था करना (25 करोड़ रुपये की व्यवस्था जब कि इसके मुकाबले चालू वर्ष में अदायगी करने के बाद कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपया और वास्तविक रूप से 184 करोड़ रुपये की शुद्ध रकम रखी गयी थी) । बाकी कमी हिन्दुस्तान स्टील के अन्तर्गत हुई है, जिसके सम्बन्ध में आगे किसी रकम की व्यवस्था नही की जा रही, है जबकि इस वर्ष 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी ।

विभिन्न वित्तीय प्रतिष्ठानों के लिये अगले वर्ष में 55 करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है; इसमें अद्योगिक वित्त निगम, तथा औद्योगिक विकास बैंक के संबंध में निर्धारित 17 करोड़ रुपये कृषि पुर्नवित्त निगम सम्बन्धी 13 करोड़ रुपये और नौवहन विकास निधि के 18 करोड़ रुपये की रकम शामिल है ।

ऋणों का परिशोधन

जिन ऋणों की मीयाद पूरी हो चुकी है, उनकी वापसी के लिये 397 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इनमें, इनामी बांडों सम्बन्धी 3 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है । दूसरे ऋणों की वापसी के लिये भी 208 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

आयोजना सम्बन्धी व्यवस्थायें

अगले वर्ष के बजट में आयोजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित रकमों की व्यवस्था की गयी है :

राज्यों की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	615 करोड़ रुपया, जिसमें से 185 करोड़ रुपया राजस्व विभाग के अन्तर्गत है ।
संघीय राज्यक्षेत्रों की आयोजना	65 करोड़ रुपया, जिसमें से 20 करोड़ रुपया राजस्व विभाग के अन्तर्गत है ।

आयोजना की केन्द्र-समर्थित व योजनायें जिनके लिये राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है।	117 करोड़ रुपया जिसमें से 89 करोड़ रुपया राजस्व विभाग के अन्तर्गत है।
केन्द्रीय आयोजना	1106 करोड़ रुपया, जिसमें रेलों तथा डाक-तार समेत सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा अपने साधनों से जुटायी जाने वाली 165 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है।

जोड़ : 1903 करोड़ रुपया

कुल मिलाकर स्थिति

अगले वर्ष के बजट में, करों की मौजूदा दरों के आधार पर, कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपये का घाटा होगा, जिसमें राजस्व खाते का 60 करोड़ रुपये का घाटा भी शामिल है। कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, राजस्व खाते में इस घाटे के स्थान पर 40 करोड़ रुपये का अधिशेष हो जायगा और घाटे की कुल रकम कम होकर 250 करोड़ रुपया रह जायगी।

विवरण

I. राजस्व

प्राप्तियां	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
क. कर-राजस्व			
(क) आय और व्यय पर कर			
(1) निगम कर	320.35	322.00	330.00 –3.80*
(2) निगम कर से भिन्न आय-सम्बन्धी कर	319.65	338.00	345.00 +17.30*
(3) व्यय-कर	0.03	0.03	0.01
(ख) सम्पत्ति और पूंजीगत लेनदेनों पर व्यय			
(1) मृत सम्पत्ति-शुल्क	7.50	7.00	7.50
(2) सम्पत्ति कर	11.00	11.00	12.00
(3) दान-कर	1.75	1.75	1.50
(4) भू-राजस्व	0.18	0.31	0.20
(5) स्टाम्प और रजिस्ट्री	1.81	2.47	2.76
(ग) वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय			
(1) सीमा-शुल्क	539.27	445.00	426.00 +9.20*
(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	1286.08	13,20.45	1421.63 +104.57*
(3) राज्यीय उत्पादन शुल्क	3.97	4.66	4.94
(4) मोटरगाड़ियों पर कर	1.61	1.67	1.81
(5) बिक्री कर	21.07	23.28	25.96
(6) अन्य कर और शुल्क	6.21	8.06	8.49
जोड़—कुल राजस्व	2520.48	2485.68	2587.80 +127.27*
घटाइए—अन्तरण			
(क) राज्यों को			
(1) आय-कर	156.50	194.51	182.07 +2.50*
(2) मृत सम्पत्ति-शुल्क †	6.81	5.54	7.11
(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	274.37	290.93	302.40 +24.62*
(ख) राज्यों को			
कुल अन्तरण	437.68	490.98	491.58 +27.12*
वास्तविक कर-राजस्व	2082.80	1994.70	2096.22 +100.15*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

†इसमें 1968–69 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों और 1969–70 के बजट अनुमानों में विधान मण्डल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए 0.4 लाख रुपये की रकम शामिल है।

I
बजट

(करोड़ रुपयों में)

भुगतान	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
क —विकास सम्बन्धी व्यय			
(क) सामाजिक सेवाएं :			
(1) शिक्षा, वैज्ञानिक गवेषणा और सर्वेक्षण . .	131.90	125.57	141.37
(2) चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य	25.74	23.37	27.26
(3) श्रम और नियोजन	10.53	10.59	11.42
(4) प्रसारण	9.21	9.99	10.73
(ख) आर्थिक सेवाएं :			
(1) कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	30.21	26.67	32.79
(2) उद्योग	30.21	30.97	30.95
(3) निर्यात-प्रोत्साहन	40.00	34.00	44.00
(4) सिंचाई और बिजली	3.55	2.95	4.39
(5) लोक निर्माण कार्य	15.73	16.00	17.09
(6) परिवहन और संचार	29.18	34.87	38.17
(7) अन्य सेवाएं	22.73	19.53	22.12
जोड़—विकास सम्बन्धी व्यय . . .	348.99	334.51	380.29
ख– रक्षा-व्यय (शुद्ध)	894.46	943.62	985.78
अन्य व्यय :			
(1) कर-संग्रह	34.56	34.83	39.32
(2) प्रशासनिक सेवाएं	150.99	162.98	174.31
(3) ब्याज-अदायगियां	550.32	527.69	568.82
(4) मुद्रा और टकसाल	24.45	24.99	26.44
(5) अन्य सेवाएं	146.80	179.76	188.79
जोड़—अन्य व्यय	907.12	930.25	997.68
कुल व्यय	2150.57	2208.39	2363.75
II राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों को सहायता :			
(1) अनुच्छेद 275 (1) के मूल उपबन्ध के अधीन अनुदान .	140.61	140.61	176.81
(2) अन्य अनुदान	337.67	396.05	419.37
जोड़—राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों को सहायता .	478.28	536.66	596.18
जोड़—राजस्व सम्बन्धी भुगतान . .	2628.85	2745.05	2959.93

विवरण

राजस्व

प्राप्तियां	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनमान 1969-70
ख. कर से भिन्न राजस्व :			
(1) ब्याज प्राप्तियां			
(क) राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों से . .	205.00	227.00	249.00
(ख) औरों से	113.01	137.73	152.16
(2) लाभांश :			
(क) रेलों से	152.00	151.34	159.01
(ख) डाकतार से	12.82	11.96	13.17
(ग) अन्य प्रतिष्ठानों से	10.83	12.10	12.54
(3) मुद्रा और टकसाल	86.05	87.19	94.93
(4) अन्य प्राप्तियां	97.26	126.66	122.94
जोड़—कर से भिन्न राजस्व	676.97	753.98	803.75
कुल राजस्व प्राप्तियां (शुद्ध)	2759.77	2748.68	2899.97 +100.15*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

I

बजट

भुगतान	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70

विवरण

पूंजी

प्राप्तियां	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
क—भारत में लिया जाने वाला ऋण			
प्राप्तियां	300.50	320.96*	500.00
घटाइये—वापसियां	244.01	246.00	400.00
शुद्ध	56.49	74.96	100.00
ख—विदेशी ऋण			
पी० एल० 480 रुपया ऋण } पी० एल० 480 डालर ऋण }	244.00	240.00	175.00
अन्य ऋण	775.00	228.54	675.00
कुल प्राप्तियां	1019.00	868.54	850.00
घटाइये—वापसियां	194.47	169.62	207.60
शुद्ध	824.53	698.92	642.40
ग—अस्थायी ऋण (शुद्ध)	1.49	1.72	1.48
घ—ऋणों और अग्रिमों की वापसी			
(1) राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा	425.00	575.00	540.00
(2) औरों द्वारा	124.00	160.00	205.00
ङ—छोटी बचतें (शुद्ध)	120.00	125.00	135.00
च—भविष्य निधियां (शुद्ध)	33.75	47.25	62.71
छ—लोक भविष्य निधियां	10.00†	2.00	5.00
ज—अनिवार्य जमा (वास्तविक)	−0.25	−0.25	−25.09
झ—आयकर वार्षिकी जमा रकमें (शुद्ध)	−9.00	−4.00	−10.25
ञ—पी० एल० 480 जमा रकमें (शुद्ध)	25.00	−59.55	40.11
ट—मूल्यह्रास प्रारक्षित निधियां और अन्य शीर्षक (शुद्ध)††	46.69	179.45	33.43
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	1657.70	1797.56	1729.88
कुल प्राप्तियां	4411.19	4546.24	{ 4629.85 { +100.15†
राजस्व घाटा	..	..	59.96
कुल घाटा	289.27	259.67	{ 350.00 { −100.15†

*इसमें 75 करोड़ रुपये की तदर्थ राजकोष हुण्डियों का रूपान्तरण शामिल नहीं है।

†बजट प्रस्तावों का प्रभाव।

I

बजट

भुगतान	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
I क—विकास सम्बन्धी व्यय			
(क) सामाजिक सेवाएं :			
(1) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	0.52	0.30	0.47
(2) प्रसारण	4.22	4.14	3.69
(ख) आर्थिक सेवाएं :			
(1) कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	10.47	6.86	26.68
(2) उद्योग :			
(क) लोहा और इस्पात	115.00	115.00	170.00
(ख) अन्य धातुकर्मक उद्योग	17.90	22.48	38.40
(ग) मशीनें और इंजीनियरी उद्योग	9.80	9.58	3.46
(घ) कोयला	7.10	8.44	15.80
(ङ) पेट्रोलियम	0.09	4.90	1.79
(च) रासायनिक पदार्थ और रासायनिक खाद	14.62	17.20	28.92
(छ) दूसरी मदें	11.47	16.21	23.80
(3) परमाणु शक्ति विकास	12.92	8.71	18.54
(4) सिंचाई और बिजली	49.73	57.29	58.46
(5) लोक निर्माण कार्य	30.54	22.51	30.60
(6) परिवहन और संचार	62.23	62.83	80.20
(7) रेलवे	143.00	134.09	132.60
(8) डाक और तार	30.46	30.45	34.16
(9) विकास के लिए अनुदान (राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों से भिन्न)	2.39	2.12	1.48
जोड़—विकास सम्बन्धी व्यय	522.46†	523.11	669.05
ख—रक्षा सम्बन्धी व्यय	120.80	107.75	124.22
ग—अन्य व्यय	93.38	−101.14	−28.49
कुल व्यय	736.64	529.72	764.78

विवरण

I. पूंजी

प्राप्तियां	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70

I

बजट

भुगतान	बजट अनुमान 1968—69	संशोधित अनुमान 1968—69	बजट अनुमान 1969—70
II—राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता :			
(1) विकास सम्बन्धी अनुदान . .	24.84	21.71	4.80
(2) अन्य ऋण और अग्रिम . .	855.68	915.16	793.74
जोड़—राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों को सहायता	880.52	936.87	798.54
III—सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम	460.73	594.27	456.60
कुल पूंजी भुगतान	2077.89	2060.86	2019.92@
कुल भुगतान	4706.74	4805.91	4979.85
राजस्व अधिशेष	130.92 +50.73*	3.63	40.19*
सम्पूर्ण अधिशेष	..	..	..

@इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, जिनमें रेलें और डाकतार शामिल है, अपने निजी साधनों से 165 करोड़ रुपये का विकास-सम्बन्धी व्यय करेंगे ।

*बजट-प्रस्तावों का प्रभाव

विवरण
बजट सम्बन्धी स्थिति का

प्राप्तियां	वास्तविक रकम			
	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65
1. राजस्व				
क. कर-राजस्व (ब्योरा अनुबंध 1 में)	872.57	1057.42	1370.76	1559.39
ख. कर से भिन्न राजस्व (ब्योरा अनुबंध 2 में) . .	316.57	402.97	498.16	542.35
जोड़—राजस्व-प्राप्तियां . .	1189.14	1460.39	1868.92	2101.74
2. पूंजी				
क. भारत में लिये गये ऋण* .	206.02	286.56	376.41	298.69
घटाइये—वापसियां . .	137.62	182.30	175.97	189.04
शुद्ध . .	68.40	104.26	200.44	109.65
ख. विदेशी ऋण : . .				
पी०एल० 480 रुपया ऋण पी० एल० 480 डालर ऋण	54.71	79.74	66.17	170.38
अन्य ऋण . .	259.62	259.83	318.40	399.35
जोड़—प्राप्तियां . .	314.33	339.57	384.57	569.73
घटाइये—वापसियां . .	65.62	46.30	63.73	84.42
शुद्ध . .	248.71	293.27	320.84	485.31
ग. ऋणों और अग्रिमों की वापसी :				
(i) राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा .	133.91	144.75	179.33	216.02
(ii) औरों द्वारा . .	66.92	26.12	35.05	73.04
घ. छोटी बचतें (शुद्ध) . .	87.77	74.10	126.99	127.43
ङ. लोक भविष्यनिधि .	..	..	..	..
च. अनिवार्य जमा . .	..	..	30.12	1.61
छ. आयकर-वार्षिकी जमा (शुद्ध)	..	..	..	40.28
ज. पी०एल० 480 जमा (शुद्ध) .	54.13	48.07	87.38	—1.57
झ. विविध अन्य शीर्षक (शुद्ध)† .	66.48	209.31	154.44	206.02
जोड़—प्राप्तियां . .	1915.46	2360.27	3003.51	3359.53
राजस्व घाटा . .	..	..	..	..
कुल घाटा . .	114.51	156.14	166.86	171.84

*इसमें 1961-62 और 1962-63 में पचास-पचास करोड़ रुपये की, 1963-64 में 75 करोड़ रुपये की और 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में पचास-पचास करोड़ रुपये की और 1967-68 और 1968-69 में 75-75 करोड़ रुपये की तदर्थ हुंडियों का रूपान्तरण शामिल नहीं है।

†इसमें विशेष विकास निधि में किया जाने वाला पी०एल० 480 ऋणों का काल्पनिक (नोशनल) अंतरण शामिल नहीं है।

††इसमें बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 100.15 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी।

**बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप यह घाटा 0.19 करोड़ रुपये के अधिशेष में बदल जायगा।

II

सारांश

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1965–66	वास्तविक बजट 1966–67	वास्तविक बजट 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
1780.91	1929.97	1932.49	2082.80	1994.70	2096.22
563.49	570.17	652.80	676.97	753.98	803.75
2344.40	2500.14	2585.29	2759.77	2748.68	2899.97
283.85	278.55	351.90	300.50	320.96	500.00
173.36	182.75	258.37	244.01	246.00	400.00
110.49	95.80	93.53	56.49	74.96	100.00
80.00	350.00	280.58	244.00	240.00	175.00
489.97	514.26	508.35	775.00	628.54	675.00
569.97	864.26	788.93	1019.00	868.54	850.00
88.08	159.42	187.78	194.47	169.62	207.60
481.89	704.84	601.15	824.53	698.92	642.40
276.25	281.30	378.04	425.00	575.00	540.00
97.24	137.25	116.40	124.00	160.00	205.00
151.19	118.12	123.13	120.00	125.00	135.00
..	..	—	10.00	2.00	5.00
−1.61	−0.75	−0.39	−1.25	−0.25	−25.00
37.34	27.63	34.45	−9.00	−4.00	−10.25
133.06	—2.66	93.56	25.00	−59.50	40.11
117.41	466.99	280.17	81.93	225.48	97.62
3747.66	4328.66	4305.38	4417.47	4546.24	4629.85
..	..	..	..	..	59.96**
172.76	295.29	206.29	289.27	259.67	350.00††

विवरण

बजट सम्बन्धी स्थिति का

(करोड़ रुपयों में)

भुगतान	वास्तविक रकम 1961-62	वास्तविक रकम 1962-63	वास्तविक रकम 1963-64	वास्तविक रकम 1964-65
राजस्व				
I. क. विकास सम्बन्धी व्यय (ब्योरा अनुबन्ध III में) . .	174.44	206.71	183.50	205.20
ख. रक्षा व्यय (शुद्ध) .	289.54	425.30	704.15	692.85
ग. अन्य व्यय (ब्योरा अनुबन्ध IV में) . . .	405.33	519.91	563.69	661.14
II राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता .	194.98	195.03	229.97	268.68
जोड़—राजस्व भुगतान .	1064.29	1346.95	1681.31	1827.87
पूंजी				
I. क. विकास सम्बन्धी व्यय (ब्योरा अनुबन्ध VI में) .	332.54	481.37	597.16	612.62
ख. रक्षा व्यय . .	22.95	48.61	111.97	112.95
ग. अन्य व्यय . .	11.04	−13.99	23.01	29.76
II. राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों को सहायता :				
(i) अनुदान . .	10.94	13.74	16.44	19.46
(ii) ऋण . .	443.47	511.09	583.60	678.70
III. अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम . .	144.74	128.64	156.88	250.01
जोड़—भुगतान . .	2029.97	2516.41	3170.37	3531.37
राजस्व अधिशेष . .	124.85	113.44	187.61	273.87
कुल अधिशेष . .	..	..	..	..

II—(समाप्त)

सारांश

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1965-66	वास्तविक रकम 1966-67	वास्तविक रकम 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
238.44	279.57	306.22	348.99	334.51	380.20
762.18	797.80	862.21	894.46	343.63	985.78
699.95	789.07	839.35	907.12	930.25	997.68
324.07	405.89	473.52	478.28	536.66	596.18
2024.64	2272.33	2481.30	2628.85	2745.05	2959.93
540.20	476.47	432.29	523.46	523.11	669.05
122.57	110.79	106.22	120.80	107.75	124.22
−5.83	322.07	95.04	93.38	—101.14	—28.49
38.82	35.01	33.05	24.84	21.71	4.80
828.92	930.89	891.94	855.68	915.16	793.74
371.10	476.39	471.83	460.73	594.27	456.60
3920.42	4623.95	4511.67	4706.74	4805.91	4979.85
319.76	227.81	103.99	130.92	3.63	
..	..	..	..	..	

विवरण III

विवरण I में दिखाये गये व्यय से अनुदानों की मांगों के सारांश में दिखाये गये व्यय का सामंजस्य स्थापित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
I. राजस्व बजट :			
अनुदानों की मांगों के सारांश में दिखाया गया व्यय .	3308.51	3443.27	3715.57
घटाइए			
(i) व्यय में से घटायी जाने वाली वसूलियां . .	—157.97	—147.48	—177.09
(ii) डाक और तार विभाग का व्यय जो विवरण I में शामिल नहीं किया गया है	—212.67	—208.10	—226.66
(iii) रक्षा विभाग की प्राप्तियां जो विवरण I में व्यय में से घटा दी गयी हैं	—41.49	—51.71	—49.49
(iv) केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो विवरण I में व्यय में से घटा दिया गया है . . .	—267.53	—290.93	—302.40
जोड़—विवरण I में दिखाया गया भुगतान . . .	2628.85	2745.05	2959.93
II. पूंजी बजट			
अनुदानों की मांगों के सारांश में दिखाया गया व्यय . . .	12153.50	11562.17	12357.31
घटाइये			
(i) व्यय में से घटायी गयी वसूलियां . . .	—777.73	—908.46	—459.88
(ii) ऋण-परिशोधन जो विवरण I में प्राप्तियों में से घटाकर दिखाया गया है	—9440.88	—8726.94	—10010.11
जोड़िये			
(i) रेलवे पूंजी जो अनुदानों की मांगों के सारांश में शामिल नहीं की गयी है	143.00	134.09	132.60
जोड़—विवरण I में दिखाया गया भुगतान . . .	2077.89	2060.86	2019.92

अनुबन्ध

S/154 M. of Fin.—4.

अनुबन्ध

विवरण II में सम्मिलित

(करोड़ रुपयों में)

ब्योरा	वास्तविक रकम 1961–62	वास्तविक रकम 1962–63	वास्तविक रकम 1963–64
1. आय और व्यय पर कर :			
(क) निगमकर	160.81	220.06	287.30
(ख) निगम कर से भिन्न आय पर कर	161.03	187.40	245.58
(ग) व्यय कर	0.84	0.20	0.13
2. सम्पत्ति और पूंजी के लेन-देनों पर कर :			
(क) मृत सम्पत्ति शुल्क	4.21	3.94	4.64
(ख) सम्पत्ति कर	8.26	9.54	10.50
(घ) दान कर	1.01	0.97	1.13
(ङ) भू-राजस्व	0.56	0.58	0.30
(च) स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन	1.26	1.44	1.38
3. वस्तुओं और सेवाओं पर कर :			
(क) उत्पादन शुल्क	212.25	245.96	334.75
(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	489.31	598.83	729.58
(ग) राज्यीय उत्पादन शुल्क	2.02	2.26	1.62
(घ) गाड़ियों पर कर	0.60	0.69	1.12
(ङ) बिक्री-कर	5.99	6.65	9.01
(च) अन्य कर और शुल्क	2.80	2.96	3.22
जोड़—कुल कर राजस्व	1050.95	1281.48	1630.26
घटाइये :—			
राज्य सरकारों को अन्तरण :			
(1) आय-कर	93.85	95.27	119.29
(2) मृत सम्पत्ति शुल्क	3.88	3.88	4.22
(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	80.65	124.91	135.99
जोड़—अन्तरण	178.38	224.06	259.50
वास्तविक कर-राजस्व	872.57	1057.42	1370.76

I

कर-राजस्व का विश्लेषण

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1964–65	वास्तविक रकम 1965–66	वास्तविक रकम 1966–67	वास्तविक रकम 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
313.64	304.84	330.80	310.33	320.35	322.35	330.00
266.93	271.80	306.63	325.62	319.65	338.00	345.00
0.44	0.42	0.08	..	0.03	0.03	0.01
5.43	6.66	6.26	6.33	7.50	7.00	7.50
10.52	12.06	10.73	10.67	11.00	11.00	12.00
2.22	2.27	1.75	1.30	1.75	1.75	1.50
0.15	0.26	0.18	0.14	0.18	0.31	0.20
1.57	1.67	1.93	2.12	1.81	2.47	2.76
397.50	538.97	585.37	513.35	539.27	445.00	426.00
801.51	897.92	1033.77	1148.52	1286.08	1320.45	1421.63
1.44	1.67	2.49	3.74	3.97	4.66	4.94
1.18	1.26	1.37	1.55	1.61	1.67	1.81
11.23	12.54	15.97	19.02	21.07	23.28	25.96
3.52	4.62	5.19	5.51	6.21	8.06	8.49
1817.28	2056.96	2302.52	2348.23	2520.48	2485.68	2587.80
123.77	123.34	137.10	174.52	156.50	194.51	182.07
6.78	6.79	4.54	6.58	6.81	5.54	7.11
127.34	145.92	230.31	234.64	274.37	290.93	302.40
257.89	276.05	372.55	415.74	437.68	490.98	491.58
1559.39	1780.91	1929.97	1932.49	2082.80	1994.70	2096.22

अनुबन्ध

विवरण II में सम्मिलित करों

ब्योरा	वास्तविक रकम 1961–62	वास्तविक रकम 1962–63	वास्तविक रकम 1963–64
I. कर की प्राप्तियां :			
(क) राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों से	68.75	68.36	118.75
(ख) औरों से	16.17	19.08	47.58
II. लाभांश :			
(क) रेलवे से	75.35	81.26	92.95
(ख) डाक और तार से	4.98	5.67	7.32
(ग) अन्य प्रतिष्ठानों से	0.80	3.74	4.38
III. उद्योग	28.53	35.04	16.05
IV. मुद्रा और टकसाल	54.44	54.24	56.18
V. पी० एल० 480 सम्बन्धी अनुदान	13.32	54.52	62.81
VI. जोखिम बीमा योजनाएं	..	11.17	16.43
VII. अन्य प्राप्तियां	54.23	69.89	75.71
जोड़—कर से भिन्न राजस्व	316.57	402.97	498.16

II

से भिन्न राजस्व का विश्लेषण

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1964-65	वास्तविक रकम 1965-66	वास्तविक रकम 1966-67	वास्तविक रकम 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
114.53	151.75	184.68	200.02	205.00	227.00	249.00
53.81	60.12	81.81	101.69	113.01	137.73	152.16
104.93	116.28	132.39	141.53	152.00	151.34	159.01
8.71	6.57	9.36	17.99	12.82	11.96	13.17
6.89	6.65	7.86	10.13	10.83	12.10	12.54
12.72	6.51	4.12	2.96	2.57	2.22	2.07
53.72	63.67	68.30	78.93	86.05	87.19	94.93
122.01	60.17	5.27	6.20	13.00	16.47	27.60
0.56	21.68	2.72	1.86	2.54	2.54	3.37
64.47	70.09	73.90	91.49	79.15	105.43	89.90
542.35	563.49	570.16	652.80	676.97	753.98	803.75

अनुबन्ध

विवरण II में सम्मिलित राजस्व खाते के

ब्योरा	वास्तविक रकम 1961–62	वास्तविक रकम 1962–63	वास्तविक रकम 1963–64
I—सामाजिक सेवाएं:—			
(क) शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा और सर्वेक्षण . . .	49.01	55.38	62.75
(ख) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	9.91	10.33	11.38
(ग) श्रम और नियोजन	4.80	5.32	7.06
(घ) प्रसारण	4.39	5.27	5.11
II—आर्थिक सेवाएं:—			
(क) कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	16.76	18.87	16.69
(ख) उद्योग	44.08	56.46	33.95
(ग) निर्यात प्रोत्साहन	5.50	14.20	7.22
(घ) सिंचाई और बिजली	1.43	1.36	1.05
(ङ) लोक-निर्माण कार्य	8.18	6.10	5.43
(च) परिवहन और संचार	20.00	21.67	20.85
(छ) अन्य सेवाएं	10.38	11.75	12.01
जोड़—विकास सम्बन्धी व्यय	174.44	206.71	183.50

III

विकास-सम्बन्धी व्यय का विश्लेषण

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1964–65	वास्तविक रकम 1965–66	वास्तविक रकम 1966–67	वास्तविक रकम 1967-68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
75.54	87.24	96.38	112.24	131.90	125.57	141.37
12.32	15.11	17.48	19.05	25.74	23.37	27.26
6.45	7.85	8.77	9.87	10.53	10.59	11.42
5.68	6.66	7.46	8.34	9.21	9.99	10.73
19.05	18.38	21.63	27.03	30.21	26.67	32.79
37.43	32.86	27.78	28.15	30.21	30.97	30.95
2.10	19.89	42.55	22.68	40.00	34.00	44.00
1.12	1.28	2.04	3.34	3.55	2.95	4.39
6.40	7.84	11.77	9.22	15.73	16.00	17.09
25.15	26.47	27.03	30.90	29.18	34.87	38.17
13.96	14.86	16.68	35.40	22.73	19.53	22.12
205.20	238.44	279.57	306.22	348.99	334.51	380.29

अनुबन्ध

विवरण II में सम्मिलित राजस्व खाते के

ब्योरा	वास्तविक रकम 1961-62	वास्तविक रकम 1962-63	वास्तविक रकम 1963-64
I—कर संग्रह:	18.65	20.55	20.87
I—प्रशासनिक सेवाएं—			
(क) पुलिस	18.76	23.44	25.07
(ख) सामान्य प्रशासन	16.04	16.64	16.73
(ग) लेखा परीक्षा	8.51	9.09	9.60
(घ) वैदेशिक कार्य	8.45	8.05	7.99
(ङ) अन्य	19.87	20.90	21.04
जोड़—प्रशासनिक सेवा	71.63	78.12	80.43
III. ब्याज की अदायगी	214.44	245.43	278.35
IV. मुद्रा और टकसाल	11.69	22.03	15.50
V. अन्य सेवाएं (ब्योरा अनुबन्ध V में दिया गया है।)	88.92	153.78	168.54
जोड़—अन्य व्यय	405.33	519.91	563.69

IV

अन्य व्यय का विश्लेषण

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1964–65	वास्तविक रकम 1965–66	वास्तविक रकम 1966–67	वास्तविक रकम 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968—69	बजट अनुमान 1969—70
23.16	26.28	28.44	30.82	34.56	34.83	39.32
25.27	31.83	48.27	61.27	62.48	71.91	74.71
17.75	20.00	22.34	24.83	24.55	25.17	27.51
10.93	12.66	14.55	16.39	17.60	18.19	20.14
8.11	9.65	13.59	14.56	15.11	16.77	20.68
21.83	23.42	27.98	29.58	31.25	30.94	31.26
83.89	97.56	126.73	146.63	150.99	162.98	174.31
316.41	370.62	463.45	591.43	550.32	527.69	568.82
14.72	17.19	20.22	22.79	24.45	24.99	26.44
222.96	188.30	150.23	137.68	146.80	179.76	188.79
661.14	699.95	789.07	839.35	907.12	930.25	997.68

अनुबन्ध

अनुबन्ध IV में सम्मिलित

	ब्योरा	वास्तविक रकम 1961–62	वास्तविक रकम 1962–63	वास्तविक रकम 1963–64
1	विदेशों को राजसहायता और सहायता	5.89	6.32	8.00
2	संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम को अंशदान . . .	1.20	1.39	1.44
3	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	12.30	10.79	12.56
4	पेंशनें और निजी थैलियां	10.24	10.63	10.30
5	राजस्व से पूरा किया जाने वाला अन्न का व्यापारिक घाटा . .	9.99	13.27	13.14
6	भारतीम खाद्य निगम को राजसहायता	..	..	..
7	राजस्व से पूरी की गयी सिन्धु नदी जल सन्धि सम्बन्धी रकम . .	0.55	1.10	1.66
8	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को दिया जाने वाला सेवा सम्बन्धी व्यय .	1.63	2.02	2.73
9	कोयला बोर्ड को अदायगी	3.80	3.95	4.50
10	रेल और समुद्र मार्ग से ले जाये जाने वाले कोयले पर राजसहायता .	2.13	3.56	4.72
11	आयल इण्डिया को राजसहायता	..	..	0.72
12	अफीम	3.74	4.37	3.47
13	गोआ और पाण्डीचेरी में किया गया व्यय . . .	4.42	9.08	4.11
14	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान	1.82	1.92	1.70
15	तकनीकी सहायता की स्थानीय लागत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को अदायगी	..	..	..
16	फोर्ड और राकफेलर फाउंडेशन के भारतीयों से भिन्न कर्मचारियों के वेतनों पर आय कर	0.36	0.72	1.39
17	राजस्व का स्थानीय निकायों को अन्तरण	2.79	3.28	3.16
18	पी० एल० 480 सम्बन्धी अनुदानों का विशेष विकास निधि में अन्तरण	13.08	54.00	63.47
19	जोखिम बीमा किस्तों का बीमा निधियों में अन्तरण . .	..	9.00	16.95
20	रेलवे सुरक्षा कार्य निधि में अन्तरण	..	..	..
21	अन्य मदें	14.98	18.38	14.52
	जोड़ . .	88.92	153.78	168.54

V

अन्य सेवाओं का ब्योरा

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1964–65	वास्तविक रकम 1965–66	वास्तविक रकम 1966–67	वास्तविक रकम 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
11.27	14.01	14.08	15.34	19.22	20.90	25.33
1.44	1.45	2.27	2.27	2.65	2.33	2.68
14.00	11.68	13.38	14.25	14.11	19.17	18.90
10.42	10.65	11.10	11.84	11.49	12.07	12.66
15.66	18.75	18.78	22.53	19.79	19.71	20.19
..	..	..	..	..	20.00	20.00
2.21	2.76	3.31	4.19	5.06	5.06	5.81
3.23	4.11	20.42	9.95	11.33	11.60	11.50
5.60	7.00	10.43	9.50	9.00	9.30	10.00
3.75	2.70	2.15	1.84	2.50	1.90	2.50
3.93	7.22	6.34	2.61	..	..	..
3.23	3.18	2.32	2.37	3.35	3.34	4.59
..	..	..	..	..	..	..
1.97	1.79	1.47	1.74	2.22	2.20	2.51
..	..	5.00	6.20	8.00	8.00	7.60
2.42	2.26	1.12	2.74	3.60	3.78	3.44
3.97	4.47	5.68	5.90	6.28	8.75	8.34
122.01	60.00	0.29	..	..	..	..
2.02	15.88	8.02	2.15	2.54	2.84	3.37
..	..	1.41	1.47	1.72	1.64	1.88
15.83	20.39	22.66	20.79	23.94	27.17	27.49
222.96	188.30	150.23	137.68	146.80	179.76	188.79

अनुबन्ध

विवरण II में सम्मिलित पूंजी खाते के

ब्योरा	वास्तविक रकम 1961-62	वास्तविक रकम 1962-63	वास्तविक रकम 1963-64
क. सामाजिक सेवाएं—			
(i) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	0.30	0.47	0.04
(ii) प्रसारण	1.12	1.27	1.48
ख. आर्थिक सेवाएं—			
(i) कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	5.31	3.99	1.70
(ii) उद्योग—			
(क) लोहा और इस्पात	7.15	60.00	80.00
(ख) अन्य धातु कर्मक उद्योग	2.38	4.21	2.95
(ग) मशीनें और इंजीनियरी उद्योग	16.54	34.50	39.06
(घ) कोयला	32.06	9.28	9.40
(ङ) पेट्रोलियम	29.42	41.24	41.60
(च) रासायनिक पदार्थ और रासायनिक खादें	1.05	7.79	16.80
(छ) अन्य उद्योग	4.75	5.38	8.64
(iii) परमाणु शक्ति विकास	2.73	3.89	0.51
(iv) सिंचाई और बिजली	2.65	3.56	8.91
(v) लोक निर्माण कार्य	19.12	19.71	19.90
(vi) परिवहन और संचार	51.75	48.59	72.70
(vii) रेलवे	144.91	214.89	260.52
(viii) डाक और तार	11.25	20.96	31.48
(ix) राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों से भिन्न पार्टियों को विकास के लिए अनुदान	0.05	1.64	1.47
जोड़	332.54	481.37	597.16

VI

विकास सम्बन्धी व्यय का विश्लेषण

(करोड़ रुपयों में)

वास्तविक रकम 1964—65	वास्तविक रकम 1965—66	वास्तविक रकम 1966—67	वास्तविक रकम 1967—68	बजट अनुमान 1968—69	संशोधित अनुमान 1968—69	बजट अनुमान 1969—70
0.04	0.07	0.23	0.46	0.52	0.30	0.47
1.32	1.16	1.36	4.09	4.22	4.14	3.69
2.86	2.65	2.46	6.85	10.47	6.86	26.68
85.80	15.05	20.34	79.00	115.00	115.00	170.00
0.52	3.84	9.56	15.43	17.90	22.48	38.40
23.56	55.71	50.11	5.84	9.80	9.58	3.46
8.90	8.67	14.03	10.21	7.10	8.44	15.80
43.16	13.73	18.66	6.88	0.09	4.90	1.79
8.35	6.32	8.02	20.58	14.62	17.20	28.92
9.11	13.22	13.62	6.55	11.47	16.21	23.80
14.64	31.13	56.69	25.54	12.92	8.71	18.54
14.13	20.62	17.18	19.52	49.73	57.29	58.46
24.06	21.94	15.08	21.40	30.54	22.51	30.60
67.13	66.35	54.24	44.61	62.23	62.83	80.20
275.37	245.09	160.70	135.93	143.00	134.09	132.60
30.54	31.38	29.77	26.44	30.46	30.45	34.16
3.13	3.27	4.42	2.96	2.39	2.12	1.48
612.62	540.20	476.47	432.29	522.46	523.11	669.05

राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को अन्तरित साधन

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
I राज्य सरकारें			
क करों और शुल्कों का हिस्सा :			
(i) आयकर	156.50	194.51	182.07
(ii) मृत सम्पत्ति शुल्क	6.81	5.53	7.10
(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	274.37	290.93	302.40
जोड़—करों और शुल्कों का हिस्सा	437.68	490.97*	491.57††
ख आयोजना से भिन्न सहायता			
(i) सहायक अनुदान :			
(क) अनुच्छेद 275(1) के स्थायी अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुदान	140.61	140.61	176.81
(ख) अन्य अनुदान@	83.79	119.11	89.51
जोड़—सहायक अनुदान	224.40	259.72	266.32
(ii) ऋण और अग्रिम	297.30	371.25	322.70
जोड़—आयोजना से भिन्न सहायता . . .	521.70	630.97	589.02
घटाइए—ऋण और अग्रिमों की वापसी . . .	423.62	573.63@	537.86
वास्तविक	98.08	57.34	51.16
जोड़—क+ख	535.76	548.31	542.73††
ग राज्य की आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिए सहयता			
(i) सहायक अनुदान	118.10	137.75†	183.00
(ii) ऋण और अग्रिम@	490.88	480.83	426.00
जोड़—	608.98	618.58	609.00
(iii) इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा वितरित अनुदान और ऋण इस प्रकार हैं:—			
अनुदान	1.47	1.47	1.50
ऋण	4.55	4.57	4.50
जोड़	6.02	6.04	6.00
राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए सहायता	615.00	624.62	615.00

*इसमें 30.53 करोड़ रुपये की बकाया रकम शामिल है।

@इसमें 1966–67 और 1967–68 में कुछ राज्यों को ऋण के सम्बन्ध में दी गयी 33.40 करोड़ रुपये की रकम शामिल है जिसे अनुदान में बदला गया।

†इसमें 16.70 करोड़ रुपये की रकम शामिल है जो ऋण की बजाय सहायक अनुदान के रूप में दी गयी।

††करों की मौजुदा दरों पर।

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
घ केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए सहायता			
(i) सहायक अनुदान@	115.77	109.76	103.94
(ii) ऋण और अग्रिम	39.64	38.74	18.21
केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए कुल सहायता	155.41	148.50	122.15
II संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारें			
क आयोजना से भिन्न सहायता			
(i) सहायक अनुदान@	38.72	40.87	42.83
(ii) ऋण और अग्रिम	5.30	2.62	3.46
जोड़—आयोजना से भिन्न सहायता . . .	44.02	43.49	46.29
घटाइए—ऋणों और अग्रिमों की वापसी . . .	1.38	1.37	2.14
वास्तविक	42.64	42.12	44.14
ख संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए सहायता			
(i) सहायक अनुदान	10.99	11.49	11.05
(ii) ऋण और अग्रिम	22.35	21.55	23.20
संघीय राज्य क्षेत्रकी आयोजनाओं के लिए सहायता . .	33.34	33.04	34.25
ग केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए सहायता			
(i) अनुदान	3.11	2.78	2.84
(ii) ऋण और अग्रिम	0.24	0.20	0.17
केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए कुल सहायता	3.25	2.98	3.01

@ राजस्व और पूंजी दोनों ही से पूरे किये गये अनुदान इसमें शामिल हैं।

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सरकार के

(संसद में प्रस्तुत)

1969-70 के बजट

का

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भाग 2

महाप्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड नई दिल्ली, द्वारा मुद्रित

1969-70 का बजट

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भाग-II

सूची

S/155 M. of Fin.—1.

अनुबन्ध

विषय-प्रवेश

संविधान के उपबन्धों के अनुसार संसद् के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाने वाला "वार्षिक वित्तीय विवरण" केन्द्रीय सरकार का बजट है। इस विवरण में केन्द्रीय सरकार के चालू और अगले वर्ष के सब लेन-देनों का ब्योरा दिया जाता है। भारतीय रेलों का बजट संसद् में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उसके सम्बन्ध में वह अलग कार्रवाई करती है। पर चूंकि रेलों की प्राप्तियां और व्यय भारत की ही प्राप्तियां और व्यय हैं, इसलिए इनसे सम्बन्ध रखने वाले आंकड़े भी सामान्य बजट में राशि के रूप में सम्मिलित कर लिये जाते हैं।

2—"वार्षिक वित्तीय विवरण" नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित, खाते के मुख्य शीर्षकों के अनुसार तैयार किया जाता है। ये शीर्षक या तो भारत की समेकित निधि या सरकार के सार्वजनिक खाते के अन्तर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 267 (1) के अधीन स्थापित एक आकस्मिकता निधि भी भारत सरकार के पास होती है, जिसमें 15 करोड़ रुपये की रकम रहती है। इस निधि से अत्यावश्यक और अप्रत्याशित व्यय के लिए धन दिया जाता है, और इस व्यय के लिए संसद् की मंजूरी लेने के बाद यह धन भारत की समेकित निधि में व्यय के रूप में दिखा कर इस निधि में फिर जमा कर दिया जाता है। सरकार की प्राप्तियां और व्यय वर्गीकरण के विहित नियमों के अनुसार या तो समेकित निधि या सार्वजनिक खाते के किसी मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं।

3—भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, राजकोष-हुंडियां जारी करके सरकार द्वारा लिया जाने वाला सारा ऋण, अन्य ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋण के परिशोधन में भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन समेकित निधि में जमा किया जाता है और इसमें से केवल विधि के अनुसार और संविधान के अनुसार निर्धारित प्रयोजनों के लिए तथा उनमें निर्धारित रीति से ही, धन का विनियोग किया जाता है। भारत सरकार को या भारत सरकार के निमित्त प्राप्त होने वाला सब सार्वजनिक धन सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है। सरकारी व्यय, जिसमें ऋणों और अग्रिमों पर सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय तथा ऋणों, राजकोष-हुंडियों और अर्थोपाय अग्रिमों का परिशोधन सम्मिलित है, समेकित निधि से किया जाता है। व्यय-सम्बन्धी अनुमानों में उस व्यय के लिए जिसे संविधान ने समेकित निधि पर "प्रभारित" किया है और अन्य व्यय के लिए आवश्यक रकमें अलग अलग दिखलानी पड़ती हैं। इन अनुमानों में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से पृथक भी दिखलाना पड़ता है। उक्त अन्य व्यय में पूंजी परिव्यय, सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तथा ऋणों, राजकोष-हुंडियों और अर्थोपाय अग्रिमों का परिशोधन सम्मिलित है।

4—समेकित निधि से किये जाने वाले व्यय के उस अंश को छोड़ कर, जिसके समेकित निधि पर "प्रभारित" होने के कारण उसके लिए लोक सभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, शेष समस्त व्यय के अनुमान अनुदानों की मांगों के रूप में लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं। इन मांगों में सामान्यतः प्रत्येक पृथक प्रशासनिक सेवा की आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरणार्थ, किसी मंत्रालय के अपने व्यय के लिए अलग मांग होती है और उस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले विभिन्न विभागों में से प्रत्येक विभाग के व्यय के लिए अलग मांग होती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर किसी मांग का सम्बन्ध एक से अधिक विभागों से या खाते के एक से अधिक शीर्षकों से नहीं होता। इस नियम का मुख्य अपवाद यही है कि विधानमंडल रहित प्रत्येक संघीय राज्य क्षेत्र के प्रधान द्वारा नियंत्रित सारा राजस्व व्यय एक ही मांग के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इसी तरह से विधान-मंडल रहित सभी संघीय राज्य क्षेत्रों के पूंजीगत व्यय को, जो इन क्षेत्रों के शीर्षकों के अधीन है, एक अलग मांग में दिखाया गया है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय की अपने विविध व्यय के लिए एक मांग होती है, जिसमें खाते के एक से अधिक शीर्षक शामिल किये जा सकते हैं। सब मंत्रालयों और विधान-मंडल रहित संघीय राज्य क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं, चाहे वे ऋण राज्यों को दिये जाने हों या दूसरों को, संयुक्त मांग में शामिल की जाती हैं जिसे वित्त मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह राज्यों और विधान-मंडल वाले संघीय राज्यक्षेत्रों को सब मंत्रालयों द्वारा दिये जाने वाले सहायक अनुदानों की व्यवस्था एक संयुक्त मांग में शामिल की जाती है। राजस्व से किये जाने वाले व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए अलग-अलग मांग प्रस्तुत की जाती हैं। किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाला, "प्रभारित" व्यय, जिसके लिए स्वीकृत मांग होती है, उस मांग में सम्मिलित तो किया जाता है, पर अलग दिखलाया जाता है और जैसा ऊपर बतलाया गया है, संसद् की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब व्यय पूर्णतः प्रभारित होता है, तब मांग पुस्तक में उसके लिए एक पृथक विनियोग सम्मिलित कर लिया जाता है।

5.—प्रत्येक मांग के अन्तर्गत अनुमान, उपर्युक्त उप-शीर्षकों के अनुसार रखे जाते हैं, जो उस मांग में सम्मिलित व्यय की श्रेणियों और उसके स्वरूप का निर्देश करते हैं। जब तक कुल मांग से व्यय अधिक न हो जाय तब तक सरकार (या उसके अधीनस्थ

प्राधिकारी जिन्हें अधिकार दिया गया हो) किसी उप–शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले अधिक व्यय को दूसरे उप–शीर्षक में होने वाली बचत से पूरा कर सकती है। इस नियम का अपवाद यह है कि "प्रभारित" व्यय के अन्तर्गत होने वाला अधिक व्यय स्वीकृत शीर्षकों में होने वाली बचत से और स्वीकृत शीर्षकों में होने वाला अधिक व्यय "प्रभारित" व्यय में होने वाली बचत से पूरा नहीं किया जा सकता।

6—अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय एक विशेष बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये। यद्यपि सामान्यतः मांग मुख्य शीर्षकों के अनुसार होती है, तो भी ऐसा हो सकता है कि किसी मुख्य शीर्षक से सम्बद्ध सभी मांगों और उसी शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित "प्रभारित" व्यय का जोड़ वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाये गये जोड़ से न मिले। इसका कारण यह है कि खातों में तो कुछ वसूलियां व्यय में से घटा दी जाती है, पर मांगों में, जिनके पारित होने पर व्यय की उस विशेष मद में खर्च करने का अधिकार प्राप्त होता है, ये वसूलियां हिसाब में नहीं ली जाती। प्रायः इन वसूलियों का सम्बन्ध अन्तर्विभागीय समायोजनों या अन्य सरकारों, तदर्थ निधियों आदि से होने वाली वसूलियां से होता है। इस प्रकार यदि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग सीमा-शुल्क विभाग के लिए कोई काम करे, तो कुल व्यय 'केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क" नामक मांग में दिखलाया जायेगा जब कि खातों में मुख्य शीर्षक 'केन्द्रीय उत्पादन शुल्क' के अन्तर्गत केवल शुद्ध व्यय (अर्थात् सीमा-शुल्क विभाग से होने वाली वसूली को बाद देने पर बचा हुआ व्यय) दिखलाया जायगा।

7—जब लोक-सभा मांगों के लिए स्वीकृति दे देती है, तब इस प्रकार स्वीकृत अनुदानों के लिये तथा समेकित निधि पर "प्रभारित" और संसद् में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित व्यय के लिये आवश्यक धन, संसद् द्वारा पारित विनियोग-अधिनियम के प्राधिकार से समेकित निधि से निकाला जाता है।

8—सार्वजनिक खाते से अदायगी करने के लिये, संसद् में मांग प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता और समय–समय पर, जैसे जैसे आवश्यकताएं उपस्थित होती हैं वैसे-वैसे उनकी पूर्ति की जाती है। ये अदायगियां अधिकांश में बैंकों के लेन-देनों जैसी होती हैं। राज्यों की भविष्य निधियां, सरकारी विभागों की मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां, डाकघर बचत बैंक, डाकघर नकदी पत्र और बचत-पत्र, डाकघर जीवन बीमा निधि, राजस्व से किये जाने वाले विनियोग से या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा निर्मित तदर्थ निधियां विविध जमा और प्रेषणाएं, सार्वजनिक खाते में सम्मिलित की जाती हैं। स्थूल रूप से यह कहना ठीक ही है कि सार्वजनिक खाते का कोई भी रुपया सरकार का रुपया नहीं है। वह किसी न किसी समय या तो जनता को लौटा दिया जाता है, जैसा राज्यों की भविष्य-निधियों डाकघर बचत बैंक, डाकघर नकदी पत्रों, डाकघर जीवन बीमा निधियों आदि के सम्बन्ध में होता है, या सरकार किसी सन्मत रीति से उसका उपयोग करती है, जैसा कि उन तदर्थ निधियों के सम्बन्ध में किया जाता है जो विशेष प्रयोजनों के लिये स्थापित की जाती हैं। विषय को पूरी तरह से समझने के लिये इतना और जान लेना चाहिये कि किसी निधि के निर्माण के हेतु राजस्व से कोई विनियोग करने के लिये संसद् का अनुमोदन आवश्यक होता है तथा यदि इस प्रकार निहित धन-राशियां निगमित संस्थाओं को, जिनकी अपनी पृथक वैध स्थिति हो, दे दी जायें, तो ऐसी निधियों के बाद में व्यय करने के लिये भी संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। जब कोई रकम इस प्रकार की निधि में अन्तरित कर दी जाती है तो जिस वर्ष वह रकम इस प्रकार अन्तरित की जाती है, उस वर्ष के अनुमान में वह व्यय के रूप में दिखलाई जाती है। इसी प्रकार इन निधियों से होने वाली व्यय उस वर्ष के अनुमानों में दिखलाया जाता है जिसमें वह किया जाता है, किन्तु इस व्यय को पूरा करने के लिए निधि से बराबर की रकम अन्तरित कर दी जाती है। इस प्रकार ऐसी निधियों के निर्माण तथा उन निधियों के धन के उपयोग, दोनों पर संसद् का नियंत्रण स्थापित हो जाता है।

विभाग 1

राजस्व और राजस्व से किये जाने वाले व्यय का अनुमान

विभाग

राजस्व

1968–69 के बजट में राजस्व खाते में 131 करोड़ रुपये का अधिशेष माना गया था। अब अनुमान है कि इस अधिशेष की और राजस्व से किया जाने वाला व्यय 3262 करोड़ रुपया होगा और इस तरह 66 करोड़ रुपये की कमी

खाते के मुख्य शीर्षकों के अनुसार अनुमानित राजस्व और व्यय, केन्द्रीय सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के विवरण 'II' में अनुबन्ध 1 में यह दिखाया गया है कि अगले वर्ष का अनुमानित व्यय अनुदानों की विभिन्न मांगों और विनियोगों में किस प्रकार विभाजित

विवरण
राजस्व और
(लाख

राजस्व

राजस्व के शीर्षक	वास्तविक राजस्व 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
कर-राजस्व				
सीमा-शुल्क	5,13,35	5,39,27	4,55,00	4,26,00
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	11,48,52	12,79,24	13,20,45	14,21,63
निगम कर	3,10,33	3,20,35	3,22,00	3,30,00
आय सम्बन्धी कर	3,25,62	3,19,65	3,38,00	3,45,00
मृत-सम्पत्ति-शुल्क	6,37	7,50	7,00	7,50
सम्पत्ति कर	10,67	11,00	11,00	12,00
व्यय कर		3	3	1
दान कर	1,30	1,75	1,75	1,50
अन्य शीर्षक	36,25	38,91	44,55	48,17
जोड़—	23,52,41	25 17,70	24,89,78	25,91,81
करों से भिन्न राजस्व				
ऋण-व्यवस्था	4,25,48	4,49,19	4,96,03	5,40,07
प्रशासनिक सेवाएं	10,22	10,00	9,78	9,79
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	29,88	25,95	30,47	30,17
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	1,83	1,97	1,05	3,75
लोक निर्माण-कार्य आदि	6,23	5,87	6,47	7,51
परिवहन और संचार	11,51	11,38	11,88	12,70
मुद्रा और टकसाल	78,93	86,05	87,19	94,93
विविध	31,54	22,49	26,19	27,41
अंशदान और विविध समायोजन	45,98	44,47	44,10	45,81
असाधारण मदें	8,12	15,54	36,72	27,60
जोड़—	6,48,62	6,72,91	7,49,88	7,99,74
जोड़—कुल राजस्व	30,01,03	31,90,61	32,39,66	33,91,55
घटाइए—राज्यों का हिस्सा—आयकर	(—)1,74,52	1,94,51	(—)1,95,51	(—)1,82,07
घटाइए—राज्यों का हिस्सा—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	(—)6,58	(—)6,81	(—)5,54	(—)7,11
जोड़	(—)1,81,10	1,63,31	(—)2,00,05	(—)1,89,18
जोड़—शुद्ध राजस्व	28,19,93		30,39,61	32,02,37
राजस्व खाते में कमी			..	59,96
जोड़	28,19,93	30,27,30	30,39,61	32,62,33

बजट

रकम कम होकर 4 करोड़ रुपया रह जायगी। चालू वर्ष के करों के स्तर के आधार पर अनुमान है कि अगले वर्ष का राजस्व 3202 करोड़ रह जायगी।

दिखाया गया है। नीचे दिये गये विवरण 1 में स्थूल श्रेणियों के अन्तर्गत अनुमानित राजस्व और व्यय का सारांश दिया गया है। किया गया है।

1

व्यय का सारांश

रुपयों में)

व्यय

व्यय के शीर्षक	वास्तविक व्यय 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
करों और शुल्कों का संग्रह	3,520	39,90	40,11	44,59
ऋण-व्यवस्था	5,01,43	5,50,32	5,27,69	5,68,82
प्रशासनिक सेवाएं	1,36,48	1,40,41	1,52,82	1,64,83
सामाजिक और विकास सम्बधी सेवाएं	2,19,06	2,52,17	2,41,39	2,72,33
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	3,34	3,55	2,95	4,39
लोक-निर्माण-कार्य आदि	23,87	32,09	36,39	37,93
परिवहन और संचार	16,24	12,82	14,49	17,33
मुद्रा और टकसाल	22,79	24,45	24,99	26,44
विविध	1,72,07	1,82,37	2,03,58	2,26,69
अंशदान और विविध समयोजन	7,14,35	7,52,37	8,36,62	9,07,31
असाधारण मदें	8,90	11,47	11,32	5,89
रक्षा सेवाएं (वास्तविक)	8,62,21	8,94,46	9,43,63	85,78
जोड़—व्यय	27,15,94	28,96,38	30,35,98	32,62,33
राजस्व खाते में अधिशेष	1,03,99	1,30,92	3,63	..
जोड़	28,19,93	30,27,30	30,39,61	32,62,33

राजस्व अनुमानों पर टिप्पणियां

सीमा-शुल्क—चालू वर्ष में और अगले वर्ष सीमा-शुल्क से जितना राजस्व संग्रह होने का अनुमान है उसका स्थूल विभाजन नीचे दिया गया है :

विवरण—2
सीमा-शुल्क से प्राप्त राजस्व का ब्योरा

(लाख रुपयों में)

	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
I—आयात-शुल्क				
(1) राजस्व शुल्क				
सुरासार और शराब	2,66	1,94	2,00	2,00
मसाले	65	2,32	18	18
तम्बाक	1,45	1,15	90	90
मिट्टी का तेल	11,67	10,00	10,00	4,00
मोटर-स्पिरिट	3,37	4,30	3,44	3,50
कताई में सुविधा पहुंचाने वाले, चिकनाने वाले और दूसरे खनिज तेल .	16,45	20,50	21,00	15,00
तीव्र गति पैदा करने वाला डीजल तेल और उड़ने वाला तेल	3	..	3	..
औद्योगिक ईंधन तेल	52	..	42	..
मोटर गाड़ियां, साइकिलें, स्कूटर, बसें, मोटर गाड़ियों के नीचे के ढांचे, लारियां और उन के पुर्जे . .	2,23	2,00	2,10	2,10
मोटर गाड़ियों के पुर्जे	..	..	4,45	16,50
बिजली के बल्ब	24	20	16	16
संवाद ग्रहण करने के वितन्तु (वायरलेस) यन्त्र और उपकरण	1,49	1,26	1,60	2,00
अलकतरे से बने रंग और अलकतरे से बने पदार्थ .	2,05	1,20	2,20	2,60
मशीनें	98,16	1,23,24	1,10,00	1,16,00
लोहा और इस्पात	46,84	45,50	36,00	26,50
लोहा और इस्पात तथा चांदी से भिन्न धातुएं . .	12,83	13,80	12,00	12,10
रेलवे संयंत्र (प्लाण्ट) और रेल के डिब्बे आदि . .	84	1,15	95	56
लकड़ी की लुगदी, कागज और लेखन-सामग्री . .	8,30	7,50	5,30	4,80
कृत्रिम रेशम का धागा और तागा . . .	10,09	17,00	7,20	9,00
सूती धागा और अन्य सूती वस्त्र . . .	4	4	5	5
सिनेमा फिल्म	1,55	1,50	1,20	1,20
रबड़ के हवादार टायर और ट्यूब . . .	63	60	60	60
सुपारी	4	2	4	..
भारी रासायनिक पदार्थ	45	50	10	..
रासायनिक पदार्थ, भेषज (ड्रग्स) और औषध (मेडिसिन)	23,89	28,20	24,70	23,00
कृत्रिम रेशम का कपड़ा	11	10	10	10
कपास	1,49	1,20	90	1,00
अन्य सब वस्तुएं	1,30,64	1,40,00	1,06,61	1,11,26
जोड़—राजस्व-शुल्क . . .	3,78,71	4,25,22	3,54,23	3,55,11

(लाख रुपयों में)

	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
(ii)—संरक्षण-शुल्क				
लोहे और इस्पात से भिन्न धातुएं	6,01	6,50	1,90	60
कच्चा रेशम	33	35	17	17
सिलाई की मशीनों से भिन्न मशीनें	3,84	4,00	2,25	@
साइकिलें (मोटर साइकिलों से भिन्न) और उन के पुर्जे	4	4	1	@
अलकतरे से बने पदार्थ और रंग	66	45	50	@
मोटर गाड़ियों के पुर्जे	16,91	17,25	12,80	@
अन्य सब वस्तुएं	1,58	1,75	1,08	2
जोड़—संरक्षण-शुल्क	29,37	30,34	18,71	79
जोड़—कुल आयात शुल्क	4,08,08	4,55,56	3,72,94	3,55,90
घटाइये—प्रत्यर्पण और शुल्क वापसी	−25,18	−21,40	−30,60	−31,40
जोड़—आयात-शुल्क (शुद्ध)	3,82,90	4,34,16	3,42,34	3,24,50
II—निर्यात शुल्क				
जूट से बनी वस्तुएं	51,80	34,58	31,00	31,00
कपास	3,34	3,00	1,90	1,90
रद्दी कपास	71	64	75	75
कच्ची ऊन	62	53	50	50
चाय	28,28	28,50	23,00	21,00
कहवा (काफी)	1,68	1,70	1,55	1,55
काली मिर्च	3,18	2,35	3,00	3,00
मूंगफली की खली	60	55	32	32
तेल निकली मूंगफली का आटा	7,31	5,70	9,50	9,50
अनिर्मित तम्बाकू	3,62	3,99	3,15	4,00
खालें और चमड़ा	5,84	5,25	6,90	6,90
नारियल का रेशा और उससे बनी वस्तुएं	1,92	1,50	1,20	1,40
अबरक	4,69	4,30	4,70	5,00
खनिज मैंगनीज	1,13	1,11	1,70	1,90
अन्य वस्तुएं	13,98	12,00	12,30	12,50
निर्यात पर उप-कर				
कपास	1	..	..	..
कृषि उत्पादन	84	80	95	95
चाय	8	..	..	..
अनिर्मित तम्बाकू	11	11	1	1
तेल निकली मूंगफली का आटा	7	4	36	45

@ ये मदें और "अन्य सब वस्तुएं" के अन्तर्गत आने वाली अधिकतर मदें संरक्षण शुल्कों से राजस्व-शुल्कों में अन्तर्गत कर दी गयी हैं।

	वास्तविक अनुमान 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
कहवा (काफी)	17	17	17	17
लाख	4	4	4	4
अबरक	29	25	29	29
नारियल के रेशे से बनी वस्तुएं	4	4	4	4
अन्य वस्तुएं	7	5	8	8
जोड़—निर्यात-शुल्क (कुल)	1,30,42	1,06,11	1,03,41	1,03,25
घटाइये—प्रत्यर्पण और शुल्क वापसी	−5 96	−6,00	−6,00	−6,00
जोड़—निर्यात-शुल्क (शुद्ध)	1,24,46	1,00,11	97,41	97,25
III—विविध				
(कुल)	6,88	5,50	5,75	5,75
घटाइये—प्रत्यर्पण और शुल्क वापसी	−89	−50	−50	−1,50
विविध : (शुद्ध)	5,99	5,00	5,25	4,25
कुल जोड़—सीमा-शुल्क राजस्व (कुल)	5,45,38	5,67,17	4,82,10	4,64,90
घटाइय—कुल प्रत्यर्पण और शुल्क वापसी	−32,03	−27,90	−37,10	−38,90
कुल जोड़—सीमा शुल्क राजस्व (शुद्ध)	5,13,35	5,39,27	4,45,00	4,26,00

निर्यात शुल्कों के अधीन वास्तविक आंकड़े मख्यतः विभागीय आंकड़ों पर आधारित हैं ।

आयात शुल्क : आयात-शुल्क सूची को वस्तु अनुसूची का रूप दिया गया है । आयात–शुल्क सूची में, जिसे अगस्त, 1965 में युक्ति-संगत बनाया गया था, जून, 1966 में रुपया का अवमूल्यन कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप उचित संशोधन करना जरूरी हो गया । आयात की जाने वाली वस्तुओं पर से विनियमनकारी शुल्क (रेग्युलेटरी ड्यूटी) हटा लिया गया और मशीनों, कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर मूल्यानुसार लगाये जाने वाले आयात शुल्क घटा दिये गये । अशोधित पेट्रोलियम पर से आयात-शुल्क हटा लिया गया और पेट्रोलियम से बनी वस्तुओं के आयात पर लगाये जाने वाले शुल्क की दरें घटा दी गयीं ताकि उपभोक्ता मूल्य बढ़ने न पायें । अन्न, रासायनिक खाद, गन्धक, कच्चा जूट, कच्चा काजू, कच्चो ऊन, छपी हुई पुस्तकों, परिवार नियोजन सम्बन्धी उपकरणों आदि जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्कों से बराबर छूट मिलनी रही ।

आयात-निर्यात शुल्क अधिनियम, 1934 में आयात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं पर उतना अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था है, जितना उत्पादन-शुल्क भारत में बनने वाली उन्हीं जैसी वस्तुओं पर लगता हो ताकि देशी उत्पादक घाटे में न रहे । लेकिन देशी उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये कुछ प्रकार के कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों आदि जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क से छूट दे दी गयी है । सीमा शुल्क अधिनियम 962 की धारा 75 के अधीन तैयार की गयी शुल्क वापसी की विभिन्न योजनाओं के अधीन आयात की जाने वाली उन चीजों पर लगने वाले [illegible]-शुल्क की छूट दी जाती है जिन्हें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है ।

आयात शुल्कों से चालू वर्ष के बजट में 434.16 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें वित्त अधिनियम 1968 के अधीन रासायनिक पदार्थों, मसालों, इस्पात के डलों और कुछ मिश्र इस्पातों सुरासार, शराब तथा अन्य वस्तुओं पर लगाये जाने वाले बुनियादी आयात-शुल्क की दरों में वृद्धि किये जाने से प्राप्त होने वाले 15.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की रकम और खनिज तेलों, प्रशीतन सम्बन्धी मशीनों तथा वातानुकूलन मशीनों और ट्रांजिस्टरों आदि पर लगाये गये प्रतिसन्तुलनकारी (काउंटरवेलिंग) शुल्कों में वृद्धि किये जाने से प्राप्त होने वाले 3.8 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

चालू बजट में बाहर से अधिक संख्या में मशीनें मंगाये जाने की कल्पना की गयी थी लेकिन कुछ हद तक आयात लाइसेंस इस्तेमाल नहीं किये गये और मशीनों के आयात के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में कम मशीनें आयात की गयीं। लोहा और इस्पात जैसी अन्य वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में भी जितना अनुमान लगाया गया था उससे कम मात्रा में आयात किया गया और इस प्रकार आयात शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान 342.34 करोड़ रुपया लगाया गया है जिससे यह पता चलता है कि चालू बजट में इसके लिए लगाये गये अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में 91.82 करोड़ रुपये की कमी हुई है। मशीनों, लोहे और इस्पात, कृत्रिम रेशम के धागे और तागे और 'अन्य सभी वस्तुओं' को मिलाकर 68.35 करोड़ रुपये की कमी हुई और इसके अलावा विशेषकर रासायनिक पदार्थों, औषध और भेषजों, मसालों, लकड़ी की लुगदी, कागज और लेखन सामग्री, लोहे और इस्पात से भिन्न धातुओं आदि के सम्बन्ध में भी कमी होने की सम्भावना है। संशोधित अनुमान में आयात शुल्कों से प्राप्त होने वाली वास्तविक रकम में कमी का एक और कारण वापसियों और प्रत्यर्पण की रकमों में वृद्धि होने की सम्भावना है। चालू वर्ष में आयात-शुल्कों की वापसी और प्रत्यर्पणों के सम्बन्ध लगाये गये 21.4 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के स्थान पर मुख्य रूप से अपीलों और पुनरीक्षण के मामलों के निपटाये जाने के काम की गति तेज होने के कारण अब 30.6 करोड़ रुपये की रकम की वापसियां और प्रत्यर्पण किये जाने की सम्भावना है।

अगले वर्ष आयात-शुल्कों से राजस्व के रूप में 324.5 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है अर्थात् चालू वर्ष के अनुमान की तुलना में इसमें 17.84 करोड़ रुपये की और कमी होने की सम्भावना है। देश में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण, अगले वर्ष मिट्टी के तेल, कताई में सुविधा पहुंचाने वाले तेल, चिकनाने वाले तेल और दूसरे खनिज तेल तथा औद्योगिक ईंधन तेल के भी कम मात्रा में आयात किये जाने की सम्भावना है। चालू वर्ष में कम संख्या में जारी किये गये आयात लाइसेंसों के आधार पर अगले वर्ष कम मात्रा में लोहे और इस्पात का आयात किये जाने की सम्भावना है और रासायनिक पदार्थों, औषध और भेषजों, लकड़ी की लुगदी आदि का भी कम मात्रा में आयात किये जाने की सम्भावना है। लेकिन यह कमी अगले वर्ष पूरी हो जाने वाली नयी प्रायोजनाओं के लिए किये जाने वाले आयातों के कारण मशीनों के आयात तथा "अन्य सभी वस्तुएं" शीर्षक के अन्तर्गत कृत्रिम रेशम के धागे और तागे आदि के आयात में वृद्धि होने के कारण कुछ हद तक पूरी हो जायगी।

निर्यात शुल्क : अवमूल्यन से पूर्व बहुत कम वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगाया जाता था। लेकिन रुपये का अवमूल्यन हो जाने के बाद जून, 1966 से जूट की वस्तुओं, चाय, मूंगफली की खली, तेल निकली मूंगफली के आटे, अनिर्मित तम्बाकू, अबरक, खालों और चमड़े, खनिज मेंगनीज, कच्चे लोहे आदि जैसी कई वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगा दिया गया। यह कार्रवाई मुख्य रूप से इसलिए की गई थी कि विदेशों में बेचे जाने वाले माल से वसूल होने वाली अधिक रकमों का निर्यातकों को जो आकस्मिक लाभ हो उसे सरकार अपने अधिकार में ले ले। लेकिन ऐसा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में वस्तुओं की प्रतियोगितात्मक स्थिति का पूरा ध्यान रखा गया।

देश के निर्यात-व्यापार पर निर्यात-शुल्कों का जो प्रभाव पड़ता है उस पर बराबर नजर रखी जाती है। निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर निर्यात शुल्क लगाते समय अन्य बातों के साथ-साथ देश में उन वस्तुओं के उत्पादन और सम्भावित निर्यात-योग्य माल, विदेशों में वस्तुओं की माँग, विदेशी मुद्राओं का अवमूल्यन आदि पर विचार किया जाता है। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अवधि में कई वस्तुओं पर, कुछ मामलों में दो या तीन बार, निर्यात-शुल्कों की दरें काफी कम की गयीं। इस सम्बन्ध में जूट की वस्तुओं, चाय, खालें और चमड़े, नारियल रेशे के धागे, नारियल रेशे की वस्तुओं, खनिज मेंगनीज और कच्चे लोहे पर लगने वाले निर्यात-शुल्कों में कमी/छूट का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

चालू वर्ष के लिए बजट में निर्यात शुल्कों से 101.11 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। चालू वर्ष में अबरक पर लगे निर्यात शुल्क में कमी की गयी और चाय, जूट की वस्तुओं तथा कच्चे लोहे पर लगे निर्यात शुल्क में और कमी की गयी। इन परिवर्तनों से चालू वर्ष के राजस्व में 1.52 करोड़ रुपये की और कमी हो जायगी। इन कमियों तथा वर्ष के दौरान की जाने वाली वसुलियों की प्रवृत्तिको देखते हुए निर्यात-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का संशोधित अनुमान 97.41 करोड़ रुपया और अगले वर्ष 97.25 करोड़ रुपया लगाया गया है।

सीमा-शुल्क राजस्व : चालू वर्ष में सभी सीमा शुल्कों से कुल मिला कर 445 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है जबकि बजट में 539.27 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। अगले वर्ष का बजट अनुमान 426 करोड़ रुपया रखा गया है। बजट अनुमानों में कमी पेट्रोलियम उत्पादों और लोहे तथा इस्पात के आयात में सम्भावित कमी के कारण आयात शुल्कों के अधीन कम रकम प्राप्त होने का अनुमान लगाये जाने के कारण हुई।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त राजस्व की वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा विवरण 3 में दिया गया है। सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
खाद्य और पेय पदार्थ	1,03,21	93,59	94,37	1,00,58
तम्बाकू	1,55,34	1,73,42	1,88,73	1,94,38
पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं	3,96,81	4,40,63	4,54,90	4,95,00
वनस्पति तेल और चिकनाई	8,72	9,05	10,45	11,35
रासायनिक पदार्थ	43,71	50,99	53,56	59,95
धातुएं	87,32	1,03,57	92,82	1,06,20
निर्मित वस्तुएं	3,00,30	3,31,21	3,43,19	3,65,12
मशीनें और परिवहन सम्बन्धी उपकरण	47,90	60,46	59,78	64,50
विभिन्न वस्तुओं पर उपकर	20,13	30,04	30,50	32,20
विविध	1,21	80	1,00	1,10
जोड़—सब उत्पादन शुल्कों से प्राप्त कुल राजस्व	11,64,65	12,93,76	13,28,70	14,30,38
घटाइये—प्रत्यर्पण और शुल्क वापसी	–16,13	—7,68	–8,25	–8,75
जोड़—सब शुल्कों से प्राप्त शुद्ध राजस्व	11,48,52	12,86,08	13,20,45	14,21,63
उपर्युक्त मदों का अलग-अलग ब्यौरा :				
(1) बुनियादी उत्पादन शुल्क (शुद्ध)	10,34,38	11,58,62	11,88,90	12,86,13
(2) विशेष उत्पादन शुल्क (शुद्ध)	65,70	74,28	77,62	78,83
(3) बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (शुद्ध)	48,42	53,18	53,93	56,67
(4) विनियमनकारी शुल्क (शुद्ध)	2	..	..	..

वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा उत्पादन-शुल्कों की दरों में किये गये परिवर्तनों और इसी अधिनियम द्वारा लगाये गये नये उत्पादन शुल्कों के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद कुल मिलाकर उत्पादन शुल्कों से चालू वर्ष के बजट अनुमान में 1286.08 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। मुख्य रूप से अनिर्मित तम्बाकू पेट्रोलियम से बने पदार्थों, सूती वस्त्रों और धागे, जूट की बनी वस्तुओं, एल्यूमिनियम और प्रशीतक तथा वातानुकूलक सम्बन्धी उप-साधनों पर लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्कों में किये गये परिवर्तनों में तथा कन्फेक्शनरी आदि, कृत्रिम चमड़े के वस्त्रों, कसीदे के काम, वायरलेस सेटों के कुछ पुर्जों, लोहे के फर्नीचर क्राउन कार्कों पर लगाये गये नये उत्पादन शुल्कों से चालू वर्ष में लगभग 36.4 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। वर्ष के दौरान हुए उत्पादन, माल की निकासी और राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति के आधार पर, चालू वर्ष में, कुल मिलाकर उत्पादन-शुल्कों से राजस्व के रूप में 1320.45 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

राजस्व प्राप्ति में होने वाली यह वृद्धि मुख्यत: पेट्रोलियम से बने पदार्थों, सिगरेटों, रेयन, कृत्रिम रेशों और धागे के अन्तर्गत हुई, लेकिन लोहे और इस्पात, एल्यूमिनियम तथा सीमेंट के अन्तर्गत होने वाली प्रत्याशित कमी से यह अंशत: प्रतिसन्तुलित हो जायगी।

अगले वर्ष के बजट में सभी केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से 14,21.70 करोड़ रुपये का जो अनुमान लगाया गया है उसमें चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में, 101.25 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी गयी है। जिन वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है उन में से कुछ वस्तुओं, विशेषत: पेट्रोलियम से बने पदार्थों, लोहे और इस्पात की वस्तुओं, सिगरेटों, रेयन, कृत्रिम रेशे और धागे सूती धागा और कपड़े, पलास्टिक सामग्री, टायर और ट्यूबों, मोटर गाड़ियों, सीमेंट आदि के सम्बन्ध में अधिक उत्पादन और निकासी होने की सम्भावना है। चालू वर्ष में, पहले की अपेक्षा मिलों से चीनी की अधिक निकासियों और चीनी के उस स्टाक की निकासी के पूरा हो जाने की सम्भावना के कारण, जिसके सम्बन्ध में 1967-68 के गन्ना पेरने के मौसम में अधिक उत्पादन पर छूट मिलनी है चीनी से अधिक उत्पादन-शुल्क प्राप्त होने की सम्भावना है।

बुनियादी उत्पादन शुल्क : चालू वर्ष में बुनियादी उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का संशोधित अनुमान अब 11,88,90 करोड़ रुपया लगाया गया है। इसमें खनिज पदार्थ (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत खनिज पदार्थों के उत्पादन शुल्क से और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित विभिन्न उपकरों से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल है। बजट अनुमान में, वित्त अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत बुनियादी उत्पादन शुल्कों की दरों में किये गये परिवर्तनों और लगाये गये नये उत्पादन-शुल्कों से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल किया गया था। अनिर्मित तम्बाकू, सूती वस्त्रों, जूट की बनी वस्तुओं और प्रशीतक तथा वातानुकूलक उप-साधनों पर लगाये जाने वाले शुल्कों की मौजूदा दरों में वृद्धि किये जाने तथा कन्फेक्शनरी, कृत्रिम चमड़े के वस्त्रों, कसीदे के काम, रेडियो के कुछ पुर्जों, इस्पात के फर्नीचर और क्राउन कार्कों पर नये उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण 27.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा, खनिज पदार्थ (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पेट्रोलियम से बने पदार्थों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में और वृद्धि किये जाने के कारण 10.13 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। किन्तु सूती धागा, एल्यूमिनियम और कागज पर बुनियादी उत्पादन शुल्कों में कमी होने के कारण उपर्युक्त वृद्धि में 3.74 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी।

चालू वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में, संशोधित अनुमान में 30.28 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है वह मुख्यत: सिगरेटों, साफ किये हुए डीजल तेल, उड़ने वाले तेलों मोटर स्पिरिट, मिट्टी के तेल,. रेयन और कृत्रिम रेशों, धागे और प्लास्टिक से बनी चीजों में हुई है। अगले वर्ष के 12,86.13 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में चालू वर्ष के संशोधन अनुमान की तुलना में 97.23 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी गयी है। अगले वर्ष का अनुमान यह मान कर तैयार किया गया है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष अच्छी फसल होने के कारण अगले वर्ष उत्पादन में वृद्धि होगी। तेल साफ करने के मौजूदा कारखानों में अधिक उत्पादन किये जाने और मार्च, 1969 में चालू किये जाने वाले मद्रास स्थित तेल साफ करने के कारखाने में उत्पादन शुरू होने से पेट्रोलियम से बने पदार्थों से अधिक राजस्व मिलने की सम्भावना है। रेयन, कृत्रिम रेशे और धागे, कृत्रिम बिरोजा (सिन्थेटिक रेजिन) और प्लास्टिक के अन्तर्गत प्रत्याशित वृद्धि में नये कारखानों से और मौजूदा कारखानों के विस्तार के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हिसाब में ले लिया गया है। लोहा और इस्पात की बनी चीजों की मांग में फिर से प्रत्याशित वृद्धि होने के कारण पहले की अपेक्षा अधिक निकासियों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त वस्तुओं से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

पहली अप्रैल, 1966 से राज्यों के बीच बुनियादी उत्पादन-शुल्क का वितरण चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1965 के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अधीन लगाये गये और संगृहीत उत्पादन-शुल्कों से होने वाली वास्तविक प्राप्तियों का 20 प्रतिशत और खनिज पदार्थ (अतिरिक्त उत्पादन और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1944 के अधीन लगाये गये और संगृहीत सभी उत्पादन शुल्क, राज्यों के बीच वितरित किये जाते हैं। इस प्रकार राज्यों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित शुल्कों और उप-करों, विशेष उत्पादन शुल्कों और विनियमनकारी उत्पादन-शुल्कों को छोड़ कर सभी वस्तुओं पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन कुछ खनिज पदार्थों पर जो विनियमन उत्पादन-शुल्क लगाये गये थे, उन्हें 6 जून, 1966 से हटा दिया गया है। वास्तविक विभाज्य रकम में से प्रत्येक राज्य का प्रतिशत भाग विवरण

4 के कालम 3 में दिखाया गया है। संयुक्त पंजाब को दिये जाने वाले हिस्से की रकम पहली नवम्बर, 1966 से भूतपूर्व पंजाब के उत्तराधिकारी राज्यों और केन्द्र के बीच पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार पांचवें वित्त आयोग की अक्टूबर, 1968 की अन्तरिम रिपोर्ट की स्वीकृति सिफारिशों के अनुसार अगले वर्ष के बुनियादी उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों के हिस्सों का वितरण वर्तमान कानून के अन्तर्गत ही किया जायगा किन्तु, आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में की जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने के बाद वितरण-प्रणाली में किये जाने वाले संशोधनों के अनुसार उनके हिस्सों में परिवर्तन किया जा सकता है।

चालू वर्ष में बुनियादी उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों को देय रकम अब 2,29. 12 करोड़ रुपया आंकी गयी है जब कि बजट अनुमान 2,23. 31 करोड़ रुपये का था। यह वृद्धि राजस्व संग्रह में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि के कारण है। बजट अनुमान और साथ ही संशोधित अनुमान, दोनों में वित्त अधिनियम, 1968 के परिवर्तनों के कारण दिये जाने वाला अतिरिक्त हिस्सा शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों को 13. 57 करोड़ रुपये की रकम भी दी जायगी। यह रकम प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर 1962–63 से 1966–67 तक की गयी कम अदायगियों की द्योतक है। लेकिन विभागीय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 1966–67 के सम्बन्ध में की गयी अधिक अदायगियों के कारण, राज्यों से 0. 98 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जानी है। संयुक्त पंजाब राज्य को देय हिस्से में से, केन्द्रीय सरकार चालू वर्ष में 0. 93 करोड़ रुपया रख लेगी और बाकी रकम पंजाब और हरियाणा को दी जायगी।

अगले वर्ष के अनुमान के अनुसार राज्यों का हिस्सा 248. 2 करोड़ रुपये है। इसमें यह मान लिया गया है कि अगले वर्ष बुनियादी शुल्कों के संग्रह में सम्भावित वृद्धि के परिणामस्वरुप चालू वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले 18. 90 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। संयुक्त पंजाब राज्य को देय रकम में से केन्द्रीय सरकार 0. 94 करोड़ रुपया रख लेगी।

राज्यों का हिस्सा इस प्रकार आंका गया है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
उपकरों को छोड़कर बुनियादी उत्पादन शुल्कों से कुल प्राप्तियां . .	11,35,01	11,65,20	12,61,03
घटाइए—प्रत्यर्पण	–7,23	–7,80	–8,20
घटाइए—संग्रह व्यय	–11,23	–11,79	–12,72
उपकरों को छोड़ कर सब वस्तुओं से शुद्ध प्राप्ति . . .	11,16,55	11,45,61	12,40,11
राज्यों के हिस्से की रकम (20 प्रतिशत)	2,23,31	2,29,12	2,48,02
प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर 1962–63 से 1966–67 तक के वर्षों की कम अदायगियों के कारण समायोजन	..	13,57	..
विभाग के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 1967–68 के सम्बन्ध में की गयी राज्यों से वसूली योग्य अधिक अदायगियों के कारण समायोजन . .	..	(–) 98	..
घटाइयें—संयुक्त पंजाब राज्य को देय रकमों में केन्द्र का हिस्सा . .	–85	(–) 93	–94
जोड़—राज्यों का हिस्सा . . .	2,22,46	2,40,78	2,47,08

चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान, हर एक राज्य को देय रकमें, विवरण V के कालम संख्या 7 और 11 में दिखायी गयी हैं।

विशेष उत्पादन-शुल्क : वित्त अधिनियम, 1963 के अधीन, कुछ वस्तुओं, खास तौर पर, तम्बाकू, मोटर स्प्रिट, डीजल तेल, सीमेंट टायरों और ट्यूबों, मोटरगाड़ियों, रेयन, कृत्रिमधागों और रेशों, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और कागज पर, जिन पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत शुल्क लग सकता है, बुनियादी शुल्क के 10 प्रतिशत से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक का विशेष उत्पादन-शुल्क लगाया गया है। इस शुल्क की सारी रकम केन्द्र के लिए होनी है, इसलिए इस में से राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता। वनस्पति, साइकिल के टायरों और ट्यूबों, टीन की चादरों, पेट्रोलियम से बने पदार्थों तथा सूत आदि जैसी चीजों पर से विशेष उत्पादन-शुल्क हटा लिया गया है। 1 अक्टूबर, 1968 से चाय पर से विशेष शुल्क भी हटा लिया गया था चालू वर्ष का बजट अनुमान, अब 74.28 करोड़ रुपया है जिसमें तम्बाकू, कागज, जूट और प्रशीतकों (रेफ्रिजिरेटर्स) पर विशेष-उत्पादन शुल्क में वृद्धि और एल्यूमिनियम के विशेष शुल्क में, कमी के वास्तविक प्रभाव से 2. 09 करोड़ रुपये की प्रत्याशित प्राप्ति शामिल है। अब चालू वर्ष का संशोधित अनुमान 74. 28 करोड़ रुपया है और अगले वर्ष का बजट अनुमान 78. 83 करोड़ रुपया है।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क—अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में, भारत में तैयार की जाने वाली, चीनी तम्बाकू, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े रेशमी कपड़े, रेयन या नकली रेशम के कपड़े पर, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने और उनका संग्रह करने की व्यवस्था है । ये शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 या इस समय लागू, किसी अन्य कानून के अन्तर्गत दिये जाने वाले शुल्कों के अतिरिक्त है, और ये इन वस्तुओं पर राज्य सरकारों, द्वारा लगाये गये बिक्री-कर के स्थान पर, उनकी सहमति से लगाये गये हैं । लेकिन वित्त अधिनियम 1965, के अधीन रेशमी कपड़ों से उत्पादन-शुल्क हटा लिया गया है और इस प्रकार रेशमी कपड़ों पर कोई अतिरिक्त-उत्पादन शुल्क नहीं दिया जाता ।

चालू वर्ष का बजट अनुमान 53.18 करोड़ रुपये रखा गया था । तम्बाकू के अधीन होने वाली वृद्धि का, जो चीनी के अन्तर्गत हुई कमी से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो गयी है, हिसाब में लेने के बाद अब संशोधित अनुमान में 53.93 करोड़ रुपये का अनुमान है । जहां चीनी के बुनियादी शुल्क में पिछले नवम्बर से काफी कमी कर दी गयी थी, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में कोई कमी नहीं की गयी है । ज्यादा उत्पादन और निकासियों की सम्भावना के कारण, अगले वर्ष का अनुमान 56.67 करोड़ रुपया है ।

पहली अप्रैल, 1966 से इन अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की वास्तविक प्राप्तियां, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार राज्यों में बाँट दी जाती है । इस अधिनियम के अनुसार वास्तवक प्राप्तियों का एक प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, संघीय राज्य क्षेत्रों के संबंध में, अपने पास रखेगी, 1.5 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत क्रमशः जम्मू और कश्मीर तथा नागालैण्ड के राज्यों को दिया जायगा और शेष भाग अन्य राज्यों के बीच, कुछ तो इन वस्तुओं का बिक्री कर समाप्त कर देने से हानि के बदले गारंटी शुदा रकमों के रूप में और शेष अधिनियम में निर्दिष्ट प्रतिशतों के अनुसार बाँटा जायगा । संयुक्त पंजाब राज्य के लिए निर्धारित हिस्सा 1 नवम्बर, 1966 से, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार उत्तराधिकारी राज्यों को दिया जायगा । पांचवें वित्त आयोग की अक्टूबर, 1968 की अन्तरिम रिपोर्ट की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार अगले वर्ष के सम्बन्ध में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का राज्यों का हिस्सा भी वर्तमान कानून के अनुसार इन राज्यों में अस्थायी रूप से बाँटा जायगा पर इस में आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर किये गये संशोधनों के अनुसार फेर-बदल किया जा सकेगा । जम्मू और कश्मीर तथा नागालैण्ड को छोड़कर कर, बाकी राज्यों में बाँटी जाने वाली गारन्टीशुदा रकमें और प्रतिशत विवरण 4 के चौथे और पाँचवे कालम में दिखाया गया है ।

अब अनुमान है, कि होने वाली प्राप्तियों में से चालू वर्ष में राज्यों को 52.85 करोड़ रुपया दिया जायगा । 1967–68 के सम्बन्ध में की गयी अधिक अदायगियों के कारण, विभागीय वास्तविक आँकड़ों के आधार पर, राज्यों से 2.25 करोड़ रुपया वसूल किया जायगा । इसके अलावा, राज्यों से, चालू वर्ष में प्रमाणित आँकड़ों के आधार पर 1962–63 से 1966–67 के वर्षों के सम्बन्ध में की गयी अधिक अदायगियों के कारण, 0.25 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जायगी । इन वसूलियों में से, संघ, संयुक्त पंजाब राज्य से वसूल किये जाने वाले अंश के रूप में, एक लाख रुपया देगा । 1968–69 में संयुक्त पंजाब के हिस्से में से, संघीय सरकार, 0.21 करोड़ रुपये की रकम अपने पास रखेगी । अगले साल, राज्यों का हिस्सा 55.54 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, और संयुक्त पंजाब से हिस्से में से संघ का हिस्सा 0.22 करोड़ रुपया बैठता है ।

चालू और अगले वर्षों में राज्यों को देय कुल रकम निम्नलिखित सारणी में दिखायी गयी है :— (लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
जोड़—कुल प्राप्तियां	53,38	54,13	56,92
घटाइए—प्रत्यर्पण	−20	−20	−25
संग्रह का व्यय	−53	−55	−57
अतिरिक्त शुल्कों पर व्यय	52,65	53,38	56,10
राज्यों का हिस्सा	52,12	52,85	55,54
प्रमाणित आँकड़ों के आधार पर 1962–63 से 1966–67 तक के वर्षों के संबंध में की गई अधिक अदायगियों के कारण समायोजन	..	−25	..
राज्यों के वास्तविक आकड़ों के आधार पर 1967–68 के संबंध में की गयी अधिक अदायगियों के कारण समायोजन	..	2,25	..
घटाइए—संयुक्त पंजाब राज्य को देय या उससे वसूल की जाने वाली रकमों में से केन्द्रीय सरकार का हिस्सा	−21	−20	−22
	51,91	50,15	55,32

चालू वर्ष और अगले वर्ष प्रत्येक राज्य को देय रकमें विवरण 5 के कालम 8 और 12 में दिखायी गई हैं।

निगम कर सहित आय संबंधी कर

राजस्व का स्थूल ब्योरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
I निगम कर				
अग्रिम कर संग्रह सहित साधारण संग्रह	2,97,12	3,06,50	3,06,25	3,14,10
अधिलाभ-कर	38	55	50	50
अति-कर	12,30	13,00	15,00	15,00
विविध	53	30	25	40
जोड़—I	3,10,33	3,20,35	3,22,00	3,30,00
II निगम कर से भिन्न आय संबंधी कर				
अग्रिम कर संग्रह (वास्तविक)	51,44	69,30	60,00	52,00
साधारण संग्रह	2,60,10	2,29,01	2,55,50	2,70,50
अधिभार (केन्द्रीय)		11,10	12,00	12,00
अधिभार (विशेष)	6,08	5,00	5,00	5,00
अतिरिक्त अधिभार (केन्द्रीय)	2,24	2,00	2,00	2,00
अतिरिक्त लाभ कर	..	..	..	..
विविध	5,76	3,24	3,50	3,50
जोड़—II	3,25,62	3,19,65	3,38,00	3,45,00
कुल जोड़—निगम कर और आय सम्बन्धी कर I+II	6,35,95	6,40,00	6,60,00	6,75,00

चालू वर्ष की वास्तविक वसूलि की प्रवृत्तियों के आधार पर, निगम कर और आय संबंधी करों से चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में अब 660 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखायी ग है जब कि वित्त अधिनियम, 1968 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बजट में 640 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था । वित्त अधिनियम 1968 के द्वारा किये गये परिवर्तनों से राजस्व में निगम कर के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये की कमी और आय सम्बन्धी कर के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना थी । आय कर में उपर्युक्त वृद्धि, चालू वर्ष से वार्षिकी जमा योजना को बन्द कर देने के परिणामस्वरूप होने वाली 14 करोड़ रुपये की वृद्धि और व्यक्तिगत आय सम्बन्धी कर के सम्बन्ध में किये गये अन्य परिवर्तनों के कारण होने वाली 4 करोड़ रुपये की कमी, का वास्तविक परिणाम है ।

चालू वर्ष में निगम कर से उतनी ही आय होने का अनुमान है जितने का अनुमान बजट अनुमानों में लगाया गया था। अब संशोधित अनुमान 322 करोड़ रुपया है । अगले वर्ष के 33 करोड़ रुपये के बजट-अनुमान में बेहतर आर्थिक स्थिति के कारण कुछ वृद्धि होने की सम्भावना है ।

आय संबंधी करों से प्राप्तियों का 338 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान चालू बजट में दिखायी गयी प्राप्तियों से 18.35 करोड़ रुपया अधिक है । राज्यों में बांटे जाने वाले "साधारण संग्रह" के अन्तर्गत वृद्धि, पिछले वर्षों में अदा किये गये अग्रिम करों का अधिक समायोजन रने, छोटी आय वाले मामलों के शीघ्र निपटाये जाने और स्रोत से काटे जाने वाले करों तथा अग्रिम करों के अधिक संग्रह होने के कारण हुई यह वृद्धि स्वेच्छापूर्वक आमदनी बताने पर लगने वाले कर से कम प्राप्तियां होने से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो गयी है । अगले वष आय करों से 345 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान है ।

निगम-कर से प्राप्त सारी रकम केन्द्र को मिलती है लेकिन केन्द्रीय उपलब्धियों, संघीय राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय अधिभार से प्राप्त होने वाले कर को छोड़ कर आयकर की वास्तविक प्राप्तियां केन्द्र और राज्यों के बीच बांट दी जाती है। संविधान (राजस्व वितरण) आदेश 1965, में जो चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, यह व्यवस्था की गई है कि संघीय राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले आय संबंधी करों की प्राप्तियां अर्थात् 2.5 प्रतिशत भाग और केन्द्रीय उपलब्धियों से प्राप्त होने वाले करों को छोड़ कर आय संबंधी करों की वास्तविक प्राप्तियों का 75 प्रतिशत भाग, विवरण 4 के दूसरे कालम में दिखाये गये प्रतिशत अनुपातों के अनुसार राज्यों में बांट दिया जायेगा। संयुक्त पंजाब राज्य को दिया जाने वाला अंश पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में निर्धारित सूत्र (फार्मूला) के अनुसार 1 नवम्बर, 1966 से उत्तराधिकारी राज्यों और केन्द्र में बांट दिया जाता है। पांचवें वित्त आयोग की अक्टूबर, 1968 की अन्तरिम रिपोर्ट की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार अगले वर्ष के लिए राज्यों का हिस्सा भी, अस्थायी रूप से, वर्तमान आधार पर ही बांट दिया जायगा पर इस में आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार फेर-बदल किये जा सकेंगे।

चालू वर्ष के बजट में आय संबंधी विभाज्य करों में से राज्यों की शुद्ध प्राप्तियों को उनके हिस्से के रूप में 132.03 करोड़ रुपये की अदायगी करने की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें वित्त अधिनियम, 1968 में किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप दिये जाने वाले 8.16 करोड़ रुपये शामिल थे। अब अनुमान है कि राज्यों को 195.17 करोड़ रुपये की अदायगी की जायेगी। इस रकम में (नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा दिये गये प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर) 1966–67 में और (विभागीय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर) 1967–68 में की गयी कम अदायगियों की 21.72 करोड़ रुपये की रकम शामिल है अनुमान है कि अगले वर्ष आयकर में राज्यों का हिस्सा 182.69 करोड़ रुपया होगा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार केन्द्रीय सरकार संयुक्त पंजाब राज्य को दिये जाने वाले हिस्से में से चालू वर्ष में 0.66 करोड़ रुपया और अगले वर्ष में 0.62 करोड़ रुपया अपने हिस्से के रूप में रख लेगी इसे छोड़कर राज्यों को दिये जाने वाला हिस्सा चालू वर्ष के लिए 194.51 करोड़ रुपया और अगले वर्ष के लिए 182.07 करोड़ रुपया बैठता है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
निगम कर से भिन्न आय सम्बन्धी कुल कर, जिनमें केन्द्रीय अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, विविध प्राप्तियां और अग्रिम अदायगियां शामिल नहीं हैं .	2,34,01	2,60,50	2,75,50
घटाइये—केन्द्रीय उपलब्धियों से प्राप्त हुआ माना जाने वाला अंश .	−9,50	−12,50	−12,50
घटाइये—संग्रह व्यय	−9,77	−10,80	−13,16
शुद्ध	2,14,74	2,37,20	2,49,84
घटाइये—संघीय राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ माना जाने वाला अंश . .	−5,37	−5,93	−6,25
कुल विभाज्य कोष . . .	2,09,37	2,31,27	2,43,59
राज्यों को दी जाने वाली रकम (संशोधित और बजट अनुमानों के आधार पर)	1,57,03	1,73,45	1,82,69
प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर 1966–67 के सम्बन्ध में किया जाने वाला समायोजन	..	+2,75	..
विभागीय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 1967–68 के सम्बन्ध में राज्यों को की गयी कम अदायगियों के कारण समायोजन	..	+18,97	..
घटाइये—संयुक्त पंजाब राज्य को देय रकम में से केन्द्र का हिस्सा	−53	−66	−62
समायोजन के बाद राज्यों को देय रकम	1,66,50	1,94,51	1,82,07

चालू वर्ष और अगले वर्ष प्रत्येक राज्य को देय रकमें विवरण 5 के छठे और दसवें कालमों में दिखायी गयी हैं।

मृत-सम्पत्ति शुल्क : खेती के काम आने वाली भूमि के संबंध में प्राप्त मृत-सम्पत्ति शुल्क की पूरी वास्तविक प्राप्तियां उन राज्यों और विधान मंडल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों को दे दी जाती हैं, जिन में वे इकट्ठी की जाती हैं । खेती के काम आने वाली भूमि से भिन्न सम्पत्ति पर लगने वाले मृत-सम्पत्ति शुल्क के संबंध में यह व्यवस्था है कि किसी एक वित्त वर्ष में इकट्ठी की जाने वाली मृत सम्पत्ति शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों में से संघीय राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई मानी जाने वाली रकम का भाग घटा कर बाकी रकम राज्यों में बांट दी जाती है ।

(क) अचल सम्पत्ति से प्राप्त हुई मानी जाने वाली रकम सम्बद्ध राज्य. में स्थित अचल सम्पत्ति के कुल मूल्य के अनुपात से राज्यों के बीच बांट दी जाती है ।

(ख) बाकी रकम तत्सम्बन्धी अधिनियम में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार बांट दी जाती है ।

चालू वर्ष के लिए मृत-सम्पत्ति शुल्क के अन्तर्गत संगृहीत-रकम का वितरण, मृत संम्पत्ति शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1966 के अनुसार किया जाता है। यह अधिनियम पहली अप्रैल, 1966 से लागू किया गया है । इस अधिनियम के अनुसार, जो चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, खेती के काम आने वाली भूमि से भिन्न भूमि पर मृत-सम्पत्ति-शुल्क की कुल शुद्ध रकम में से 2 प्रतिशत रकम संघीय राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई मानी गयी है और बाकी 98 प्रतिशत राज्यों में बांट दी जाती है । अचल सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली रकम के हिस्से को सम्बद्ध राज्यों में स्थित सम्पत्ति के कुल मूल्य के अनुपात में राज्यों के बीच बांटने के बाद, शेष रकम विवरण 4 के कालम 6 में बताये गये प्रतिशत अनुपात के अनुसार बांट दी जाती है । संयुक्त पंजाब राज्य को दिया जाने वाला हिस्सा पहली नवम्बर, 1966 से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार उत्तराधिकारी राज्यों और केन्द्र के बीच बांटा जाता है ।

पांचवे वित्त आयोग ने अक्तूबर, 1968 में, अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में, पहली अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों में मृत-सम्पत्ति शुल्क के वितरण के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम सिफारिश की है । इस सिफारिश के अनुसार खेती के काम आने वालीभूमि से भिन्न भूमि पर मृत-सम्पत्ति-शुल्क से प्राप्त होने वाली शुद्ध रकम में से 3 प्रतिशत के बराबर की रकम, संघीय राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए माने जाने वाले हिस्से के रूप में केन्द्र को रख लेनी चाहिये और शेष 97 प्रतिशत रकम राज्यों में बांट दी जानी चाहिये । अचल सम्पत्ति से प्राप्त हुई मानी जाने वाली रकम के हिस्से को प्रत्येक राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के कुल मूल्य के अनुपात में, जिस पर प्रत्येक वर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है राज्यों के बीच बांटने के बाद शेष रकम विवरण 4 के कालम 7 में बताये गये प्रतिशत के अनुपात में पुनर्गठित पंजाब और हरियाणा सहित अन्य राज्यों के बीच बांट दी जानी चाहिये । यह सिफारिश स्वीकार करली गयी है और वर्तमान कानून में इसके अनुसार संशोधन करने के लिए संसद में जल्दी ही विधेयक प्रस्तुत किया जायगा ।

चालू वर्ष के बजट अनुमान में मृत-सम्पत्ति-शुल्क से प्राप्तियों के रूप में 7.5 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया था लेकिन अब संशोधित अनुमान में 7 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है । अगले वर्ष राजस्व के रूप में 7.5 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है । चालू वर्ष के लिए राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से का हिसाब वर्तमान व्यवस्था के अनुसार और अगले वर्ष के लिए पांचवे वित्त आयोग की सफिारशों के अनुसार लगाया गया है ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(हजार रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
I–खेती के काम आने वाली भूमि :			
क. राज्यों को देय हिस्सा			
कुल प्राप्तियां (वापसियों को घटाकर)	31,06	30,79	32,39
घटाइये—संग्रह व्यय	—62	—64	–79
घटाइये—संघीय राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में शुद्ध प्राप्तियां . .			
(i) विधान मंडल वाले संघीय राज्य क्षेत्र . . .	—39	—43	–43
(ii) बिना विधान मंडल के संघीय राज्य क्षेत्र . . .	—11	—11	–11

(हजार रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
राज्यों में बांटी जाने वाली शुद्ध रकम	22,94	29,61	31,06
निम्नलिखित वर्षों के सम्बन्ध में अधिक या कम अदायगियों के कारण समायोजन :			
(i) विभागीय वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 1966–67 के लिए	−21,74	..	..
(ii) खातों के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 1966–67 के लिए .	+17	−2,35	..
(iii) विभागीय वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 1967-68 के लिए .	..	−51	.
खेती के काम आने वाली भूमि के सम्बन्ध में राज्यों को दी जाने वाली शुद्ध रकम	8,20	26,75	31,06
ख. विधान मण्डल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों को देय हिस्सा . .	..	..	..
विधान मण्डल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों से शुद्ध प्राप्तियां . .	39	43	43
जोड़िये—(i) खातों के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 1966–67 की बकाया रकमों का समायोजन . . .	..	+14	..
(ii) विभागीय वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 1967–68 की बकाया रकमों का समायोजन	..	−13	..
जोड़—विधान मण्डल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों को देय कुल हिस्सा .	39	44	43
जोड़—खेती के काम आने वाली भूमि के सम्बन्ध में राज्यों और विधान मण्डल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों को देय हिस्सा	8,59	27,19	31,49
II—खेती के काम आने वाली भूमि से भिन्न सम्पत्ति			
कुल संग्रह	7,18,94	6,69,21	7,17,61
घटाइये—संग्रह व्यय	—14,29	−13,79	—17,48
शुद्ध प्राप्तियां	7,04,65	6,55,42	7,00,13
घटाइये—संघीय राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ माना जाने वाला हिस्सा (1968-69 में 2 प्रतिशत और 1969-70 में 3 प्रतिशत) .	−14,09	−13,11	−21,00
राज्यों में बांटी जाने वाली शुद्ध रकम	6,90,65	6,42,31	6,79,13
प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर 1965–66 के सम्बन्ध में की गयी अधिक अदायगियों के कारण समायोजन . .	−15,32	−15,32	..
विभागीय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 1967–68 में की गयी कम अदायगियों के कारण समायोजन	..	—98,33	..
घटाइये—संयुक्त पंजाब राज्य को देय और उससे वसूल की जाने वाली रकम में से केन्द्रीय सरकार का हिस्सा	−2,53	−1,99	..
कृषि-भूमि से भिन्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में राज्यों को दी जाने वाली शुद्ध रकम	6,72,71	5,26,67	6,79,13
राज्यों और विधान मण्डलों वाले संघीय राज्य क्षेत्रों को दिया जाने वाला हिस्सा (जोड़ I+II)	6,81,30	5,53,86	7,10,62

चालू वर्ष और अगले वर्ष प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली रकमें, विवरण 5 के कालम 9 और 13 में दी गयी हैं।

सम्पत्ति कर:—सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 में, प्रत्येक व्यक्ति और अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति पर कर लगाने की व्यवस्था है। पहली अप्रेल, 1964 से जो दरें लागू हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(क) प्रतिव्यक्ति—

(i) वास्तविक सम्पत्ति के पहले 1 लाख रुपये पर	शून्य
(ii) वास्तविक सम्पत्ति के अगले 4 लाख रुपयों पर	0.5 प्रतिशत
(iii) वास्तविक सम्पत्ति के अगले 5 लाख रुपयों पर	1 प्रतिशत
(iv) वास्तविक सम्पत्ति के अगले 10 लाख रुपयों पर	2 प्रतिशत
(v) बाकी वास्तविक सम्पत्ति पर	2.5 प्रतिशत

(ख) अविभक्त हिन्दूपरिवार—

(i) वास्तविक सम्पत्ति के पहले 2 लाख रुपयों पर	शून्य
(ii) वास्तविक सम्पत्ति के अगले 3 लाख रुपयों पर	0.5 प्रतिशत
(iii) वास्तविक सम्पत्ति के अगले 5 लाख रुपयों पर	1 प्रतिशत
(iv) वास्तविक सम्पत्ति के अगले 10 लाख रुपयों पर	2 प्रतिशत
(v) बाकी वास्तविक सम्पत्ति पर	2.5 प्रतिशत

वित्त अधिनियम, 1968 के अधीन वास्तविक सम्पत्ति के 10 लाख रुपये से अधिक के अगले भागों पर लगने वाले सामान्य सम्पत्ति के अनुपात में, प्रत्येक भाग के सम्बन्ध में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। 1969-70 के कर निर्धारण वर्ष से यह बढ़ी हुई दर लागू होगी और राजस्व में वृद्धि भी उसी वर्ष से होने लगेगी।

वित्त अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत अकेले व्यक्तियों और अविभक्त हिन्दू परिवारों के एक लाख से ज्यादा जनसंख्या के क्षेत्रों में भूमि और इमारतों (व्यापारिक स्थानों से भिन्न) के मूल्य पर, और उनमें निहित अधिकारों पर, अतिरिक्त सम्पत्ति कर लगाया गया है। किसी सम्पत्ति का मूल्य आरम्भिक छूट की रकम से जितना ज्यादा हो, उस अधिक रकम के अगले क्रमिक भागों पर लागू होने वाली वृद्धिशील दरों के अनुसार इस कर का हिसाब लगाया जाता है। दरों और दरों में दी जाने वाली छूट का ब्योरा इस प्रकार है :—

जिस मामले में करदाता की कोई सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में हो जिसकी जन संख्या—

(i) 16 लाख से अधिक हो	5 लाख रुपये
(ii) 8 लाख से अधिक, किन्तु 16 लाख से अधिक न हो और उपयुक्त भाग (i) में उल्लिखित क्षेत्र में कोई सम्पत्ति न हो	4 लाख रुपये
(iii) 4 लाख से अधिक, किन्तु 8 लाख से अधिक न हो और उपर्युक्त भाग (i) और (ii) में उल्लिखित क्षेत्र में कोई सम्पत्ति न हो	3 लाख रुपये
(iv) एक लाख से अधिक, किन्तु 4 लाख से अधिक न हो और उपर्युक्त भाग (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित क्षेत्रों में कोई सम्पत्ति न हो	2 लाख रुपये

अधिक रकम पर लागू दरें इस प्रकार हैं :—

(i) अधिक रकम के पहले 2 लाख रुपयों पर	शून्य
(ii) अधिक रकम के अगले 5 लाख रुपयों पर	1 प्रतिशत
(iii) अधिक रकम के अगले 5 लाख रुपयों पर	2 प्रतिशत
(iv) अधिक रकम के अगले 5 लाख रुपयों पर	3 प्रतिशत
(v) बाकी अधिक रकम पर	4 प्रतिशत

चालू वर्ष में हुई वसूली की वृद्धि के आधार पर, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में सम्पत्ति कर से प्राप्त होने वाले राजस्व की रकम मूल बजट के 11 करोड़ रुपये की रकम के बराबर मान ली गयी हैं। वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा सम्पति कर की बढ़ायी गयी दरों के कारण जो राजस्व प्राप्त होगा उसको मिलाकर अगले वर्ष में 120 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है।

व्ययकर :—वित्त अधिनियम, 1966 के अनुसार, व्यय कर अधिनियम, 1957 को पहली अप्रैल, 1966 से निरसित कर दिया गया है। चालू वर्ष के बजट और संशोधित अनुमानों में तीन-तीन लाख रुपये और अगले वर्ष 1 लाख रुपये की रकम पिछले वर्षों की बकाया वसूली के तौर पर दिखाई गयी है।

दानकर :—दानकर अधिनियम, 1958 में व्यवस्था की गयी है कि प्रति वर्ष उससे पहले वर्ष में किये गये दान पर कर लगाया जाये। वित्त अधिनियम, 1966 के अनुसार, 1966–67 और उसके पश्चात् के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी है और साथ ही दान के विभिन्न खण्डों में और दानकर की दरों में भी संशोधन किये गये हैं। पहली अप्रैल, 1966 से लागू की गयी दानकर की दरें इस प्रकार हैं :—

दान के मूल्य के खण्ड	खण्ड के अनुसार कर की दरें
रुपये	प्रतिशत
1—10,000	शून्य
10,001—25,000	5
25,001—50,000	8
50,001—1,00,000	10
1,00,001—1,50,000	15
1,50,001—2,00,000	17.5
2,00,001—3,50,000	20
3,50,001—5,00,000	25
5,00,001—10,00,000	30
10,00,001—15,00,000	40
15,00,000 से अधिक	50

चालू वर्ष के बजट में दान कर से प्राप्त होने वाले राजस्व की 1.75 करोड़ रुपये की रकम का अनुमान लगाया गया है। वसूली की प्रगति के आधार पर संशोधित अनुमान भी उतना ही रखा गया है। पहली अप्रैल, 1966 से पहले की लागू दरों पर कर निर्धारण के मामलों का जो काम शेष है उसके क्रमिक रूप से पूरा होने की बात को ध्यान में रख कर अगले वर्ष के अनुमानों में 1.5 करोड़ रुपये की रकम का अनुमान किया गया है।

अन्य शीर्षक

सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
भू राजस्व (लगान)	18	31	20
राज्यीय उत्पादन शुल्क	3,97	4,66	4,94
गाड़ियों पर कर	1,61	1,67	1,81
बिक्री कर	21,07	23,28	25,96
अन्य कर और शुल्क	6,22	8,06	8,49
स्टाम्प	5,68	6,43	6,61
रजिस्ट्रेशन फीस	18	14	16
जोड़	38,91	44,55	48,17

भू राजस्व (लगान) :– संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्य रूप से उन ग्राम सभाओं की बकाया रकम मिल जाने के कारण हुई है जिन्हें भंग कर दिया गया है। किन्तु यह रकम अगले वर्ष नहीं मिलेगी इस कारण 1969–70 में कमी हुई है।

राज्जीय उत्पादन शुल्क :—ये प्राप्तियां मुख्य रूप से दिल्ली और चण्डीगढ़ की है। अनुमान वास्तविक आंकड़ों की प्रवृति के आधार पर लगाया गया है।

गाड़ियों पर कर :–यह प्राप्तियां मुख्य रूप से दिल्ली की हैं। गाड़ियों की संख्या में सामान्य वार्षिक वृद्धि को मानकर, अगले बजट में व्यवस्था की गई है।

बिक्री-कर :—ये प्राप्तियां मुख्य रूप से दिल्ली और चण्डीगढ़ की हैं। देसी शराब, रेशम आदि जैसी कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्माण के स्थान की बजाय, उपभोक्ताओं को बिक्री करते समय वसूली किये जाने की व्यवस्था करने और दिल्ली में कर की वसूली के काम को तेजी से किये जाने के कारण संशोधित अनुमानों में वृद्धि हुई है। अगले वर्ष काम का और विस्तार करने और प्राप्तियों में सामान्य वृद्धि होने की कल्पना की गई है।

अन्य कर और शुल्क :—इस शीर्षक की प्राप्तियां दिल्ली में मनोरंजन-कर, पणक्रिया सम्बन्धी कर, (बटिंग) और चुंगी की वसूलियों और चण्डीगढ़ में मनोरंजन शुल्क अधिनियम, यात्री और सामानकर अधिनियम और व्यवसाय कर के अन्तर्गत होने वाली वसूलियों की द्योतक है। संशोधित अनुमानों में पहले से अधिक प्राप्तियों का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली में मनोरंजन कर की दर में वृद्धि से और नये सिनेमा घरों के चालू होने से मनोरंजन कर में वृद्धि होगी और चुंगी की दरों में वृद्धि होने से चुंगी से अधिक प्राप्तियां होंगी। अगले वर्ष के बजट में चुंगी और मनोरंजन कर से और अधिक प्राप्तियां होने की कल्पना की गयी है। दिल्ली में चुंगी की वसूली दिल्ली नगर निगम के मारफत की जाती है, और इससे होने वाली वास्तविक प्राप्तियां नगर निगम सहित स्थानीय निकायों में बांटी जाती हैं। मनोरंजन कर की प्राप्तियां और पणक्रिया सम्बन्धी कर की अधिकांश वसूली की रकम भी स्थानीय निकायों को दी जाती है। इन अदायगियों की और चुंगी वसूली के व्यय की अदायगी की भी व्यवस्था व्यय अनुमानों में की जाती है।

स्टाम्प :—वृद्धि का मुख्य कारण इंडिया सिक्योरिटी प्रैस द्वारा डाक-टिकटों और अन्य सामग्री तथा डाक टिकटों से भिन्न टिकट और स्टाम्प से वसूल की जाने वाली रकम के पहले से अधिक प्राप्त होने के कारण हुई है, जो दियासलाई के बन्ध-रोलों की छपाई बन्द करने से अंशतः प्रतिसंतुलित हो जायेगी।

ऋण व्यवस्था : ब्याज से प्राप्तियां—

सम्बद्ध ब्यौरा इस प्रकार है:—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
(1) राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों से ब्याज	2,05,00	2,27,00	2,49,00
(2) रेलों से ब्याज	1,21,48	1,22,02	1,28,47
(3) डाक और तार से ब्याज	9,70	9,28	10,17
(4) अन्य ब्याज प्राप्तियां	1,13,01	1,37,73	1,52,16
जोड़ . . .	4,49,19	4,96,03	5,40,07

सब से हाल के अनुमानों के आधार पर अब राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों से चालू वर्ष में ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली रकमों का अनुमान 227 करोड़ रुपया लगाया गया है। अगले बजट में हुई वृद्धि से राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये गये ऋणों में वृद्धि होने का पता चलता है।

रेल से ब्याज प्राप्तियों मे वृद्धि मुख्यतः वाणिज्यिक विभागों से वसूली योग्य ब्याज की दरें संशोधित अनुमान में 4.29 प्रतिशत से बढ़ कर 4.35 प्रतिशत हो जाने और अगले वर्ष 4.40 प्रतिशत हो जाने के कारण है। अगले वर्ष और वृद्धि चालू वर्ष में लगी पूंजी (कैपिटल एट चार्ज) में और अधिक रुपया लगाये जाने के कारण है।

डाक और तार के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान में कुछ कमी होने का कारण यह है कि बजट बनाते समय जितनी पूंजी लगाये जाने का अनुमान लगाया गया था उस की तुलना में 1–4–1968 को लगी पूंजी की रकम कम थी। अगले वर्ष देय ब्याज में वृद्धि चालू वर्ष में लगी पूंजी में और रुपया लगाये जाने और अगले वर्ष वाणिज्यिक विभागों से वसूली योग्य ब्याज की दरें ऊंची होने के कारण हुई।

'ब्याज की अन्य प्राप्तियां' नामक शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये गये अनुमान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निगमों, पत्तन न्यासों (पोर्ट-ट्रस्ट) और अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों के ब्याज और वाशिंगटन के इण्डिया सप्लाई मिशन और ब्रिटेन के उच्चायुक्त कों रोकड़ बाकी के निवेश से प्राप्त ब्याज के द्योतक हैं। संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सम्बन्ध में पहले के वर्षों से सम्बद्ध ब्याज की अदायगी के कारण हुई हैं। अगले वर्ष के बजट अनुमानों में और वृद्धि वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋणों की बढ़ती हुई रकम के ब्याज की द्योतक है। ।

प्रशासनिक सेवाएं

खाते के मुख्य शीर्षकों के अनुसार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–7
		(लाख रुपयों में)	
न्याय प्रशासन	42	47	51
जेल	5	4	7
पुलिस	75	1,01	91
पूर्ति और निपटान	6,93	6,36	6.42
विविध विभाग	1,85	1,90	1,88
जोड़	10,00	9,78	9,79

न्याय प्रशासन : अनुमान में वृद्धि का कारण दिल्ली में यातायात-अभियान शुरू किये जाने के परिणामस्वरूप दण्डाधिकारियों द्वारा किये गये जुर्मानों से अधिक रकम की प्राप्ति हुई है।

जेलें : अगले वर्ष वृद्धि, जेल-कारखाने में और उत्पादन कार्य शुरू किये जाने के परिणामस्वरूप अधिक प्राप्तियां होने की सम्भावना के कारण हुई।

पुलिस : इस शीर्षक के अधीन अधिकांश प्राप्तियां, शस्त्रास्त्र अधिनियम (आर्म्स् ऐक्ट) के सम्बन्ध में हैं जिसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इससे होने वाली शुद्ध प्राप्तियां प्रशासन-व्यय के रूप में उन्हें दे दी जाती हैं जिसके लिए व्यय अनुमानों में व्यवस्था की जाती है। संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः सीमा सुरक्षा दल की प्राप्तियों और उन्हें की गयी वर्दियों और राशन आदि की सप्लाई के सम्बन्ध में वसूलियों के कारण है। अगले वर्ष के अनुमान में कमी का कारण वसूलियों के लिए व्यवस्था का न किया जाना है।

पूर्ति और निपटान : इस शीर्षक के अन्तर्गत मुख्य रूप से इंडिया सप्लाई मिशन, लन्दन द्वारा सामान और सामान के निरीक्षण के सम्बन्ध में अधिभार((सरचार्ज) से होने वाली प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, जों विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय के माध्यम से की गयी खरीद पर निर्भर रहती हैं।

विविध विभाग : वृद्धि मुख्यतः परीक्षा शुल्कों, समवाय अधिनियम के अधीन फीस और पेटेंटों तथा ट्रेड मार्क्स की रजिस्ट्री की फीस के सम्बन्ध में अधिक प्राप्ति के कारण है।

सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं

खाते के मुख्य शीर्षकों के अनुसार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपयों में)	
शिक्षा	97	1,09	1,04
चिकित्सा	91	1,03	1,09
लोक–स्वास्थ्य	34	38	36
कृषि	2,46	2,28	2,43
पशु–पालन	16	24	21
सहकारिता	2	3	3
उद्योग	2,57	2,22	2,07
प्रसारण	11,61	13,32	15,47
सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	2	1	1
सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन	6,89	9,87	7,46
जोड़	25,95	30,47	30,17

शिक्षा : इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से दिल्ली और चण्डीगढ़ से सम्बन्धित हैं। चालू संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा अनुदान के इस्तेमाल न किये जाने के कारण और उनकी वापसियों से हुई। इसके लिए व्यवस्था न किये जाने के कारण अगले वर्ष के बजट अनुमानों में कमी हुई।

चिकित्सा : संशोधित और बजट अनुमानों में वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से अधिक प्राप्तियों का होना है।

कृषि : संशोधित अनुमान में कमी मुख्यतः भारत-नार्वे मीन क्षेत्र प्रायोजना और कपास को धुआं देने आदि तथा जेतसर के केन्द्रीय मशीनी फारम से कम प्राप्तियां होने के कारण है जो सूरतगढ़ के केन्द्रीय मशीनी फारम में मेक्सिकन गेहूं आदि की अधिक उपज होने के कारण उस फारम से अधिक प्राप्तियां होने के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हो गयी।

पशु-पालन : संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः जर्सी प्रजनन केन्द्र (ब्रिडिंग फारम) हसरघट्टा में अनुमान से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई है।

उद्योग : संशोधित अनुमान में जो कमी हुई है वह कई मदों के अन्तर्गत हुई वृद्धि और कमी का वास्तविक परिणाम है। यद्यपि वस्त्र आयुक्त (टैक्सटाइल कमिश्नर) की प्राप्तियां और औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय मन्त्रालय द्वारा दी गयी गारण्टियों के लिए प्राप्त होने वाली फीस की रकमों में कुछ वृद्धि हुई है, फिर भी लोहा और इस्पात के अधिभार (सरचार्ज) की बकाया रकमों की वसूली में लगातार कमी होने से उपर्युक्त वृद्धि न केवल प्रतिसन्तुलित हो गयी है बल्कि प्राप्तियां और घट गयी हैं। अगले वर्ष की प्राप्तियों में और कमी होने का भी यही कारण है।

प्रसारण : अनुमानों में वृद्धि रेडियो लाइसेंसों के शुल्क से होने वाली प्राप्तियों में लगातार वृद्धि होने और वाणिज्यिक प्रसारण से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित आय के कारण हुई है।

विविध सामाजिक और विकास सम्बन्धी संगठन

इस शीर्षक में आयात और निर्यात सम्बन्धी फीस, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, परमाणु शक्ति विभाग (इसके औद्योगिक एककों को छोड़ कर), भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग, फिल्म डिवीजन, पुरातत्व, प्रदर्शनियों और मेलों, केन्द्रीय जल और बिजली आयोग, दिल्ली के भूमि और विकास कार्यालय और छोटे बन्दरगाहों में मिट्टी निकालने तथा सर्वेक्षण संगठन आदि से सम्बद्ध प्राप्तियां दिलायी जाती हैं। संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः परमाणु शक्ति विभाग द्वारा तैयार किये गये कच्चे वैदूर्य (बेरिल) के निर्यात तथा उस विभाग द्वारा भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम को मुहैया किये जाने वाले सामान की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकमों के कारण

हुई है। संशोधित अनुमान में और वृद्धि भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग की पहले से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई है। अगले वर्ष के बजट अनुमान में कमी इलेक्ट्रानिक निगम के हाथ बेचे जाने वाले सामान के सम्बन्ध में उक्त निगम से कोई वसूली न होने और 1969-70 में कच्चे वद्वर्य (बेरिल) के लिए और करार न किये जाने के कारण हुई है।

बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं

ब्योरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
			(लाख रुपयों में)
(1) बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं और सिंचाई, नौपरिवहन आदि, निर्माण-कार्य . .	8	10	9
(2) बिजली सम्बन्धी योजनाएं	1,89	95	3,66
जोड़ . .	1,97	1,05	3,75

मद संख्या 1 के अन्तर्गत अनुमानों का सम्बन्ध मुख्यतः केन्द्रीय जल और बिजली गवेषणा केन्द्र पूना से है। संशोधित अनुमान में, मद संख्या (2) में जो कमी हुई है वह लगभग तारापुर परमाणु बिजली घर को चालू किये जाने में विलम्ब होने के कारण हुई है। अगले वर्ष के अनुमान में वृद्धि तारापुर परमाणु बिजली घर से जो अब जुलाई, 1969 से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू कर देगा, मिलने वाली अनुमानित प्राप्तियों के कारण हुई है।

लोक निर्माण कार्य

लोक निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्राप्तियां मुख्य रूप से सरकारी सम्पत्ति के किराये आदि की वसूलियों की द्योतक है। मूल बजट की 5.87 करोड़ रुपयों की प्राप्तियों के अनुमान के मुकाबले इस वर्ष के संशोधित अनुमान में 6.47 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के बजट अनुमान में 7.61 करोड़ रुपये की प्राप्तियां आंकी गयी हैं। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में होने वाली वृद्धि मुख्यतः किराये और विविध प्राप्तियों में हुई वृद्धि के कारण हुई है। अगले वर्ष के अनुमानों में और अधिक वृद्धि, प्राप्तियों में होने वाली सामान्य वृद्धि और पंजाब और हरियाणा की सरकारों द्वारा चण्डीगढ़ में इस्तेमाल की जाने वाली केन्द्रीय सरकार की इमारतों के किराये की प्रत्याशित वसूलियों के कारण हुई है।

परिवहन और संचार

सम्बद्ध ब्योरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
			(लाख रुपयों में)
बन्दरगाह और नौचालन	48	53	56
व्यापारिक बेड़ा	16	19	19
प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाशपोत	1,40	1,46	1,50
उड्डयन	4,48	4,39	5,10
सड़क और जल परिवहन योजनाएं	30	31	35
समुद्रपारीय संचार सेवा	4,56	5,00	5,00
जोड़	11,38	11,88	12,70

"बन्दरगाह और नौचालन" शीर्षक के अन्तर्गत वृद्धि, अण्डमान में यात्रियों और माल के यातायात में प्रत्याशित वृद्धि होने के कारण हुई है "प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत" के अन्तर्गत वृद्धि होने का कारण यह है कि अधिक संख्या में जहाजों के आने जाने से प्रकाश सम्बन्धी शुल्क की प्राप्ति अधिक हुई। वायुयान द्वारा विदेश जाने वाले यात्रियों पर, वायुयान नियमावली, 1937 के अन्तर्गत लगाये जाने वाले यात्री सेवा शुल्क को भी उड्डयन के चालू बजट में, हिसाब ले में लिया गया था। लेकिन उपर्युक्त शुल्क केवल पहली अप्रैल, 1969 से वसूल की जायगी। इसी कारण संशोधित अनुमान में कमी हुई है। अगले वर्ष के अनुमान में वृद्धि, हवाई जहाजों की उड़ानों में वृद्धि होने से हवाई जहाजों के उतरने और उनके ठहरने के शुल्कों और माल आदि की अधिक बिक्री होने से विविध मदों के अर्न्तगत प्रत्याशित अधिक प्राप्तियों तथा प्रस्तावित यात्री सेवा-शुल्क की प्रत्याशित प्राप्तियों के कारण हुई है। संशोधित अनुमानों में, "समुद्रपारीय संचार सेवा" के अन्तर्गत जो वृद्धि हुई है वह टेलेक्स संवादों से प्राप्त होने वाली बकाया रकमों को शामिल करने के कारण है। आशा है कि अगले वर्ष कोई रकम, बकाया नहीं रहेगी लेकिन संवादों में प्रत्याशित वृद्धि होने के कारण बजट अनुमान में उतनी ही प्राप्तियां दिखायी गयी हैं।

मुद्रा और टकसाल :

मुद्रा और टकसाल की प्राप्तियां इन मुख्य मदों के अन्तर्गत आती हैं :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
मुद्रा और सिक्का ढलाई			
(1) रिजर्व बैंक का अधिशेष लाभ	65,00	65,00	70,00
(2) एक रुपये के नोट–पत्रों का मूल्य	4,20	4,20	4,56
(3) करेंसी नोट प्रेस से अन्य प्राप्तियां	5,03	5,18	5,14
(4) चालू छोटे सिक्कों के चलन से लाभ	4,25	4,25	5,00
(5) सिक्योरिटी पेपर मिल	4,29	5,20	6,83
जोड़	82,77	83,83	91,53
टकसाल			
टकसाल से विविध प्राप्तियां	97	77	76
कोलार की सोने की खानें	2,31	2,59	2,64
जोड़	3,28	3,36	3,40
कुल जोड़	86,05	87,19	94,93

रिजर्व बैंक का अधिशेष लाभ जो सरकार को अन्तरित किया जाता है, चालू वर्ष के लिए 65 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के लिए 70 करोड़ रुपये आंका गया है। एक रुपये के नोट पत्रों म प्रत्याशित वृद्धि होने के कारण अगले वर्ष के अनुमान में वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों की मांग में वृद्धि होने के कारण, करेंसी नोट प्रेस, की प्राप्तियों में वृद्धि हुई है।

चालू वर्ष में, छोटे सिक्कों के चलन से होने वाला लाभ मूल बजट अनुमानों के स्तर पर अर्थात् 4.25 करोड़ रुपया आंका गया है। अगले वर्ष के बजट में 5 करोड़ रुपये की रकम दिखायी गयी हैं। ये अनुमान विभिन्न मूल्यों के उन सिक्कों की संख्या पर आधारित हैं, जिन के चलन के लिए जारी किये जाने की संभावना है। 1956–57 से हिसाब-किताब की जो प्रणाली अपनायी जा रहा है, उसके अनुसार, सिक्का ढलाई के लिए खरीदी और प्राप्त की जाने वाली धातु पर होने वाले व्यय को पूंजी खाते में दिखाया जाता है और सिक्कों के अंकित मूल्य और उनमें लगी धातु के मूल्य के अन्तर को लाभ के रूप में समायोजित

कर दिया जाता है । इसी प्रकार, दुबारा चलन के योग्य न होने के कारण लौटाये और पिघलाये गये सिक्कों के धातु के मूल्य और उन के अंकित मूल्य के अन्तर को हानि मान लिया जाता है और उसे व्यय अनुमानों में नामे डाल दिया जाता है ।

सिक्योरिटी पेपर मिल द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कागज के मूल्य के सम्बन्ध में, बजट में करेंसी नोट प्रेस से वसूली के रूप में 5.03 करोड़ रुपये की रकम तदर्थ जमा मान ली गयी थी । संशोधित अनुमान और बजट अनुमान सप्लाई किये जाने वाले कागज की प्रत्याशित मात्रा को ध्यान में रख कर तैयार किये गये हैं ।

टकसाल : अनुमानों में कमी, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के हाथ बेची जाने वाली चांदी से मिलने वाली प्रत्याशित रकमों में कमी होने के कारण है ।

कोलार की सोने की खानें : कोलार की सोने की खानों से निकाले गये और सरकारी भण्डार में शामिल किये गये सोने का मूल्य .995 शुद्धता के प्रति दस ग्राम सोने के 84.40 रुपये की सरकारी दर के अनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में समायोजित कर लिया जाता है और इतनी ही रकम और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय में नामे डाल दी जाती है । इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में समायोजन और 'मुद्रा और सिक्का ढलाई पर 'पूंजी परिव्यय' में नामे डालने के लिये इस वर्ष तथा अगले वर्ष क्रमशः 2.59 करोड़ रुपये और 2.36 करोड़ रुपये की रकम दिखायी गयी है जब कि मूल अनुमान 2.31 करोड़ रुपये का था । इस वृद्धि का कारण सोने का अधिक उत्पादन होना है ।

विविध

ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
पेंशनों और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	1,07	2,63	1,55
लेखन-सामग्री और छपाई	1,04	1,43	1,25
अफीम	5,25	5,25	5,76
वन	2,60	2,77	2,90
विविध	12,53	14,11	15,95
जोड़	22,49	26,19	**27,41**

पेंशनों और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां : इस शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये अनुमान बाहरी निकायों में, जिनमें सरकारी स्वायत्त उपक्रम भी शामिल हैं, सेवा के लिये प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में की जाने वाली वसूलियों और बर्मा सरकार से उसके हिस्से की विभाज्य पेंशनों की वसूली के द्योतक होते हैं । संशोधित अनुमान में वृद्धि का कारण बर्मा सरकार से पिछले वर्षों की बकाया रकम की वसूली होना है । बजट अनुमान में कमी वसूल होने वाली बकाया रकम न होने के कारण हुई हैं ।

लेखन-सामग्री और छपाई : संशोधित अनुमान में लेखन सामग्री विभाग, चण्डीगढ़ की अधिक प्राप्तियों को हिसाब में ले लिया गया है । इन प्राप्तियों में कमी का पता अगले वर्ष के बजट अनुमान से चलता है ।

अफीम : 'अफीम' से चालू वर्ष में 5.25 करोड़ रुपया और अगले वर्ष म 5.76 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है । अगले वर्ष वृद्धि मुख्यतः अफीम के निर्यात मूल्य में जनवरी 1969 से वृद्धि किये जाने और अधिक मात्रा में अफीम के निर्यात किये जाने की आशा के कारण हुई है ।

वन : इन प्राप्तियों का सम्बन्ध मुख्यतः अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से है।

विविध : इस शीर्षक के अधीन मुख्य मदें नीचे दी गयी हैं :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
पुनर्वास सम्बन्धी प्राप्तियां	2,65	2,38	2,20
अन्य विविध प्राप्तियां	9,88	11,73	13,75
जोड़	12,53	14,11	15,95

पुनर्वास सम्बन्धी प्राप्तियों में मुख्यतः निष्क्रान्त सम्पत्ति की बिक्री और किराये आदि से हुई प्राप्तियां, क्षतिपूर्ति कोष में अन्तरित अभिरक्षकों (कस्टोडियन) की रोकड़ बाकी और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान में क्रमशः 2.38 करोड़ रुपये और 2.20 करोड़ रुपये की प्राप्तियां दिखायी गयी हैं जबकि चालू वर्ष के बजट अनुमानों में 2.65 करोड़ रुपये की प्राप्तियां दिखायी गयी थीं। ये अनुमान वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्तियों पर आधारित हैं।

संशोधित अनुमान में "अन्य विविध प्राप्तियां" नामक शीर्षक के अन्तर्गत वृद्धि कई मदों में होने वाली घट बढ़ का वास्तविक परिणाम है। राज्य सरकारों द्वारा काम में न लाये गये अनुदानों की रकमों की वापसी, डालरों के लेन-देन सम्बन्धी विनिमय से हुआ लाभ, ऋणों की अदावी (अंनक्लेम्ड), बट्टे खाते डाली गयी, बाकी रकमें, अदावो (अनक्लेम्ड) जमा और सरकारी लेखा–परीक्षा की फीस के सम्बन्ध में मूल अनुमानों से अधिक प्राप्तियां होने और अन्य देशों से उपहार के रूप में प्राप्त होने वाले पार्सलों से कम प्राप्तियां होने की आशा है। संशोधित अनुमानों में विनिमय से होने वाला 68 लाख रुपये का लाभ शामिल है जिसे पहले बजट अनुमान में नहीं दिखाया गया था। भारत सरकार और अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के बीच विशेष ऋण की अदायगी की प्रक्रिया के सम्बन्ध में किये गये करार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा गैर-सरकारी उपक्रमों को दिये गये ऋणों की रकमें ऋण लेने वालों द्वारा मूल ऋण करार की शर्तों के अनुसार भारत सरकार को रुपयों में किस्तों में अदा की जाती हैं। ऋण लेने वाले अपने पास बकाया रकम पर भारत सरकार को $2\frac{3}{4}$ से 5 प्रतिशत तक की दर पर एक विशेष अधिभार की और ऋण करारों में निर्धारित दर से ऋण–शुल्क की रुपयों में अदायगी भी करते है। विशेष अधिभार की रकम सरकार द्वारा अपने पास रख ली जाती है और ऋण-शुल्क की रकम संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को डालरों में दे दी जाती है। अनुमान है कि विशेष अधिभार की प्राप्तियां जिन्हें इस शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जाता है इस वर्ष 2.74 करोड़ और अगले वर्ष 2.73 करोड़ रुपया होंगी।

अगले वर्ष से संकटकालीन जोखिम (माल) और (कारखाने) बीमा अधिनियम तथा युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा योजना के अन्तर्गत देय जोखिम बीमा की किस्तों से होने वाली प्राप्तियां इस शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायंगी, "राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध प्राप्तियां" शीर्षक के अन्तर्गत नहीं, जो समाप्त कर दिया जायगा। 1969–70 के बजट में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह अन्तरण है, जो विनिमय सम्बन्धी लाभ न होने के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायगा।

अंशदान और विविध समायोजन

ब्योरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
(1) रेलों से अंशदान	30,52	29,32	30,27
(2) डाक और तार से अंशदान	3,12	2,68	3,00
(3) वाणिज्यिक और दूसरे उपक्रमों से लाभांश आदि	10,83	12,10	12,53
जोड़	44,47	44,10	45,80

रेलों से अंशदान : रेलवे अभिसमय प्रस्ताव 1960 के अनुसार जो पहली अप्रैल, 1961 से लागू किया गया था, रेल विभाग अतिपूंजीकरण और उत्तर-पूर्वी, सीमा रेलवे, सामरिक महत्व की घाटे वाली रेल लाइनों तथा नयी लाइनों पर खर्च की गयी पूंजी को छोड़कर, अपनी ब्याज देय पूंजी पर प्रतिवर्ष 4.25 प्रतिशत के हिसाब से सामान्य राजस्व में समेकित लाभांश देता है। रेलों की पूंजी के अतिपूंजीकरण पर और उत्तर-पूर्वी सीमा रेलवे पर खर्च की गयी पूंजी पर जब तक इससे लाभ न होने लगे वाणिज्यिक विभागों से लिये जाने वाली ब्याज की दर से ब्याज लिया जाता है। जबकि सामरिक महत्व की लाइनों के कार्यचालन की हानि सामान्य राजस्व से पूरी करनी होती है, नयी लाइनों पर खर्च की जाने वाली पूंजी पर निर्माण की अवधि और उससे आगे की पांच साल की अवधि तक के लिए ऋण की अदायगी स्थगित रखी जाती है और सामान्य लाभांश की अदायगी छठे वर्ष से शुरू की जाती है जिसमें विलम्बित अवधि के ब्याज की रकम वाणिज्यिक विभागों से लिये जाने वाले ब्याज की दर से ली जाती है।

पहली अप्रैल, 1963 से रेलों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की दर बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दी गयी। पहली अप्रैल 1964 से रेलवे को दी गयी नयी पूंजी के सम्बन्ध में लागू होने वाली दर को बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया गया।

रेल किराया कर की समाप्ति कर दिये जाने के कारण और पहली अप्रैल, 1961 से इसे बुनियादी किरायों में मिला दिये जाने के कारण, रेल विभाग हर साल 12.5 करोड़ रुपये का निश्चित अंशदान दे रहा था। यह निश्चित अंशदान राज्यों में कर की समाप्ति से उनको होने वाले घाटे के बदले में दिये जाने वाले तदर्थ अनुदान के रूप में बांटा जाता रहा।

रेलवे अभिसमय समिति 1965 की सिफारिशों के अनुसार 31 मार्च 1964 के बाद लगायी पूंजी के लाभांश की दर 1966–67 से 5.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी। 1963–64 तक लगायी गयी पूंजी की 4.5 प्रतिशत की लाभांश की दर को जारी रखा गया लेकिन रेल विभाग को कहा गया कि वह हर साल यात्री किराया कर के बदले की जाने वाली 12.5 करोड़ रुपये की रकम के बदले एक प्रतिशत की अतिरिक्त रकम अदा करे। इस रकम में से 16.25 करोड़ रुपये की रकम यात्री किराया कर के बदले राज्यों को दी जा रही है और बाकी रकम को राज्यों को सहायता देने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी रकम राज्यों के अपने अपने क्षेत्र के सुरक्षा कार्यों अर्थात् रेलों के फाटकों, ऊपरी पुलों और रेलवे लाइनों से नीचे के पुलों आदि के निर्माण की वित्त-व्यवस्था के लिये उनकी सहायता के लिए इस्तेमाल की जाती है।

सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों के संचालन के सम्बन्ध में घाटे के समायोजन के मौजूदा प्रबन्धों को जारी रखा जायगा, पर शर्त यह है कि यदि सामरिक महत्व की इन लाइनों के कार्यचालन से लाभ हुआ तो उस रकम को सामान्य लाभांश के स्तर तक सामान्य राजस्व में अन्तरित कर दिया जायगा।

नयी लाइनों के आस्थगित लाभांश का खाता उसके खोले जाने के 20 वर्ष बाद बन्द कर देना होगा और उस अवधि में न चुकायी गयी आस्थगित लाभांश की देनदारी भी समाप्त हो जायगी।

अब अनुमान है कि सामरिक महत्व की लाइनों का घाटा कम करके इस वर्ष रेलों द्वारा देय लाभांश की रकम 151.34 करोड़ रुपया होगी, जब कि मूल बजट में 152.00 करोड़ रुपये की कल्पना की गयी थी। ब्याजदेय पूंजी की वृद्धि के कारण अगले वर्ष 159.01 करोड़ रुपये के लाभांश का अनुमान है। कुल लाभांश में से ब्याज की रकम का हिसाब वाणिज्यिक विभागों से लिये जाने वाले ब्याज की दर के अनुसार लगाया जाता है और नयी लाइनों के विलम्बित ब्याज की राशि तथा पूंजी के अतिकरण पर ब्याज की राशि और उत्तरपूर्वी सीमा रेलवे पर लगी पूंजी के ब्याज की रकम "ब्याज" शीर्षक में समायोजित कर दी जाती है। सामरिक महत्व की लाइनों के घाटे की रकम कम कर देने के बाद बकाया रकम को, जिसमें रेल किराया के बदले दिया जाने वाला अंशदान और रेलवे सुरक्षा कार्य सम्बन्धी रकम शामिल होती है, इस शीर्षक के अन्तर्गत समायोजित कर दिया जाता है।

ब्योरा इस प्रकार है :

	बजट अनुमान 1968-69 ब्याज	अंशदान	संशोधित अनुमान 1968-69 ब्याज	अंशदान	बजट अनुमान 1969-70 ब्याज	अंशदान
					(करोड़ रुपयों में)	
(1) ब्याजदेय पूंजी पर लाभांश . .	108.93	16.45	109.23	14.64	117.00	15.35
(2) अतिपूंजीकरण और उत्तर-पूर्व सीमा रेलवे की पूंजी पर ब्याज . .	10.50	..	10.81	..	11.09	..
(3) विलम्बित ब्याज और अन्य बकाया समायोजन	2.05	..	1.99	..	0.65	..
(4) बकाया लाभांश का समायोजन .	..	..	−0.01	..	..	..
(5) रेल किराया सम्बन्धी कर के बदले अदायगी	..	16.25	..	16.25	..	16.25

(6) रेलवे सुरक्षा कार्यों में राज्यों को सहायता देने के लिए अदायगी	..	1.73	..	1.61	..	1.88
(7) घटाइये—सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों पर हुई हानि	..	(–)3.91	..	(–)3.18	..	(–)3.21
जोड़	121.48	30.52	122.02	29.32	128.74	30.27

चालू वर्ष के लिए रेल किराया सम्बन्धी कर के बदले राज्यों को दिये जाने वाले 16.25 करोड़ रुपये का हिस्सा चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। अगले वर्ष के लिए अनुदान में से प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण पांचवें वित्त आयोग की अक्टूबर, 1968 में दी गयी अन्तरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार किया जाना है। ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। अगले वर्ष के लिए 16.25 करोड़ रुपये के अनुदान में से प्रत्येक राज्य का आनुपातिक हिस्सा और चालू और अगले वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को देय रकमों का विवरण नीचे दी गयी सारणी में दिया गया है :—

राज्य	1968–69 में देय रकम (करोड़ रुपयों में)	1969–70 में देय हिस्सा	
		16.25 करोड़ रुपये का प्रतिशत अनुपात	रकम (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1.47	8.56	1.39
असम	0.45	2.88	0.47
बिहार	1.62	10.86	1.77
गुजरात	1.16	6.91	1.12
हरियाणा	*0.45	2.46	0.40
जम्मू और कश्मीर	..	0.01	@
केरल	0.30	1.78	0.29
मध्य प्रदेश	1.60	9.92	1.61
महाराष्ट्र	1.46	9.12	1.48
मैसूर	0.65	3.83	0.62
नागालैण्ड	@	0.01	@
उड़ीसा	0.35	2.36	0.38
पंजाब	*0.67	4.76	0.77
राजस्थान	1.04	6.43	1.05
तमिलनाडु	0.94	5.54	0.90
उत्तर प्रदेश	2.96	19.06	3.10
पश्चिम बंगाल	1.04	5.51	0.90
	16.16	100.00	16.25

*इस कालम में हरियाणा और पंजाब के सामने दिखायी गयी रकम संयुक्त पंजाब के हिस्से के क्रमशः 37.38 प्रतिशत और 54.84 प्रतिशत भाग की द्योतक है। बकाया 7.78 प्रतिशत भाग केन्द्र के पास है।

@केवल हजारों में।

रेलवे सुरक्षा कार्यों के खर्च की पूर्ति के लिये राज्यों को सहायता देने के लिये अलग रखी गयी रकम भी उसी अनुपात में राज्यों को बांटी जाती है जिस अनुपात में यात्री किराया कर के बदले राज्यों के हिस्से की अदायगियां की जाती हैं। इन दोनों प्रकार की अदायगियों की व्यवस्था व्यय शीर्षक "74—राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान" के अन्तर्गत की गयी है।

डाक और तार से अंशदान : पहली अप्रैल, 1960 से ले कर डाक और तार विभाग प्रथानुसार, अपनी लगी हुई मध्यमान पूंजी पर 1 अप्रैल, 1960 से पहले के संचित अधिशेष की रकम में विभाग के हिस्से के बराबर की रकम (29.79 करोड़ रुपये) कम करने के बाद समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार रेलवे को सामान्य राजस्व में लाभांश देता आ रहा है। दूसरी ओर सामान्य राजस्व डाक-तार नवीकरण प्रारक्षित निधि में वाणिज्यिक विभागों से लिये जाने वाले ब्याज की प्रतिवर्ष निर्धारित की जाने वाली दरों पर ब्याज देता था। डाक-तार विभाग और सामान्य राजस्व के आपसी सम्बन्धों के बारे में समझौते का, उक्त समझौते से उत्पन्न होने वाले परिणामों और सम्बद्ध कारणों का हिसाब लगाने के बाद पुनरीक्षण किया गया है। यह फैसला किया गया है कि पहली अप्रैल 1967 से ले कर—

(1) डाक और तार विभाग 1963-64 तक दी गयी शुद्ध पूंजी पर 4.75 प्रतिशत लाभांश (29.79 करोड़ रुपये) देगा जिसमें से डाक और तार विभाग 31 मार्च, 1960 तक संचित अधिशेष के अपने हिस्से की रकम और विभाग की नवीकरण प्रारक्षित निधि में 1963-64 के अन्त तक शेष रकम घटा दी जायगी (52.72 करोड़ रुपये);

(2) नवीकरण प्रारक्षित निधि की शेष रकम में 1963-64 से बाद जो रकम बढ़ेगी उसे 1964-65 में और उसके बाद अग्रिम दी गयी पूंजी में से घटा कर बाकी रकम पर 6.75 प्रतिशत की दर से लाभांश देगा ;

(3) सामान्य राजस्व से नवीकरण प्रारक्षित निधि को कोई ब्याज नहीं दिया जायगा ;

(4) लाभांश की ये दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक रेलवे पर लागू होने वाली लाभांश की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। सामान्यतः 1964 के बाद डाक और तार विभाग पर लागू होने वाली लाभांश की दरें रेलवे की लाभांश दरों से 0.75 प्रतिशत अधिक होंगी चाहे रेलवे की दरें समय-समय पर निर्धारित की गयी हों ;

(5) यदि डाक और तार विभाग देय लाभांश की रकम अदा करने में असमर्थ रहे तो सामान्य राजस्व कमी को पूरा करने के लिए तथा विभाग के कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि को ब्याज अग्रिम देगा।

विवरण 6 में डाक और तार विभाग के कार्य के वित्तीय परिणामों का ब्योरा दिया गया है। संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
कुल प्राप्तियां	2,12,67	2,08,10	2,26,66
कार्यचालन व्यय	1,92,10	1,96,75	2,03,09
शुद्ध प्राप्तियां	20,57	11,65	23,57

संशोधित अनुमान में "कुल प्राप्तियों" के अन्तर्गत कमी का मुख्य कारण स्टाम्पों की खरीद और "अपने टेलीफोन के मालिक बनिये योजना" के अधीन अग्रिम किरायों के सम्बन्ध में कम रकम वसूल किया जाना है। अगले वर्ष के बजट में प्राप्तियों में होने वाली सामान्य वृद्धि को हिसाब में लिया गया है।

कार्यचालन व्यय में वृद्धि मुख्यतः डाक टिकटों की अधिक संख्या में छपाई, दरों के संशोधन और डाक लाने ले जाने पर अधिक व्यय किये जाने के कारण हुई। अगले वर्ष के बजट में व्यय में सामान्य वृद्धि, मंहगाई भत्त की दरों में 1 सितम्बर, 1968 से मंजूर की गई वृद्धि के पूरे वर्ष के प्रभाव के कारण है।

चालू वर्ष में विभाग के कार्यसंचालन में 11.65 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्तियां होने का अनुमान है जबकि लाभांश सम्बन्धी देनदारी का अनुमान 11.96 करोड़ रुपया लगाया गया है जिसमें 0.31 करोड़ रुपये का घाटा होगा। 1967–68 में सामान्य राजस्व से लिए ऋण और उस पर व्याज की वापसी सम्बन्धी कुल दायित्व की रकम का अनुमान 7.59 करोड़ रुपया लगाया गया है। 1 अप्रैल, 1967 से चालू नयी प्रणाली के अनुसार, कुल दायित्व को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से 7.90 करोड़ रुपये का ऋण लिया जायगा।

अगले वर्ष के बजट में 23.57 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियों और 13.17 करोड़ रुपये की लाभांश सम्बन्धी देनदारियों का अनुमान लगाया गया है। 10.40 करोड़ रुपये का सारा अधिशेष 1967–68 मे लिए गये ऋण के सम्बन्ध में मूल और व्याज की वापसी की दूसरी किस्त और 1968–69 में सामान्य राजस्व से लिए गये दूसरे ऋण के सम्बन्ध में मूल और व्याज की वापसी की पहली किस्त की अदायगी के काम में लाया जायेगा।

अदा किये जाने वाले कुल लाभांश में से 9.28 करोड़ रुपया इस वर्ष और 10.17 करोड़ रुपया अगले वर्ष व्याज प्राप्तियों के रूप में समायोजित किया जायेगा और बाकी 2.68 करोड़ रुपये और 3.00 करोड़ रुपये की रकमों को सामान्य राजस्व में किये जाने वाले अंशदान के रूप में दिखाया जायेगा।

वाणिज्य और अन्य प्रतिष्ठानों के लाभांश आदि : वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय प्रतिष्ठानों की पूंजी से सरकार द्वारा प्राप्त लाभांश की रकमें इस शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जाती हैं। संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया से लाभांश (117.25 लाख रुपये) प्राप्त होने और दामोदर घाटी निगम से पिछले वर्षों के अधिशेष के हिस्से की संभावित प्राप्ति के कारण हुई है। संशोधित अनुमान में हिन्दुस्तान केबल्स, जेसप ऐण्ड कम्पनी, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से प्राप्त होने वाले लाभांशों में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन अनुमानों का ब्योरा अनुबन्ध 4 में दिया गया है।

असाधारण मदें

(लाख रुपयों में)

ब्यौरा इस प्रकार है :

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
असाधारण प्राप्तियां	13,00	34,18	27,60
राष्ट्रीय संकट से सम्बन्धित प्राप्तियां	2,54	2,54	..
जोड़	15,54	36,72	27,60

असाधारण प्राप्तियां इस प्रकार हैं :—

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनुदान	13,00	16,47	27,60
राष्ट्रीय रक्षा कोष से अंशदान	..	17,75	..
सिन्धु नदी जल सन्धि के अन्तर्गत प्राप्तियां	..	(—)4	..
जोड़	13,00	34,18	27,60

पी० एल० 480 के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान : पी0 एल0 480 के अन्तर्गत कृषि वस्तुओं के आयात के लिये अमरीकी सरकार को रुपयों में की जाने वाली अदायगी का अधिकांश भाग स्वीकृत प्रायोजनाओं के उपयोग में लाने के लिए भारत सरकार को देने के लिए होता है। इस प्रकार मिलने वाली रकम यदि अनुदान के रूप में हों तो 'राजस्व' के अन्तर्गत और यदि वह ऋण के रूप में हों तो 'सरकारी ऋण' के अन्तर्गत जमा की जाती है। इस प्रबन्ध के अधीन मूल बजट में अनुदानों के अन्तर्गत दिखायी गयी 5 करोड़ रुपये की रकम के मुकाबले संशोधित अनुमान में 8.47 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के बजट अनुमान में 20 करोड़ रुपये की रकमें दिखायी गई हैं ;

भारत अमरीकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रबन्ध करती है और संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीयों के लिए प्रशिक्षण की सुविधायें प्रस्तुत करती है। 1959 से इस संबंध में होने वाला रुपयों का व्यय उन रुपयों से पूरा किया जाता है जो अमरीकी सरकार की पब्लिक ला 665 के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं। चूंकि पब्लिक ला 665 के अधीन प्राप्त रुपयों की रकमें वास्तव में समाप्त हो गयी थीं, इसलिये यह मान लिया गया कि यह व्यय, पब्लिक ला 480 की जमा रकम के उस भाग को पूरा किया जाये, जो भारत सरकार को अनुदान दिये जाने के लिये निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार पी० एल० 480 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली 34.7 करोड़ रुपये की रकम भारत अमरीकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के संबंध में रुपये में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये अलग से रखी गयी थी। संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार उस वर्ष में आवश्यक अनुमानित रकमों की अदायगी के लिए हर वर्ष पेशगी अनुदान देगी और पेशगी दी गई रकमें संयुक्त राज्य अमेरीका के अन्तर्रष्ट्रीय विकास अभिकरण को उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये वापस दे दी जायेंगी और इस प्रयोजन के लिए व्यय अनुमानों में व्यवस्था की जायेगी। संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत चालू वर्ष के मूल बजट में, अनुदानों के अन्तर्गत 8 करोड़ रुपये की रकम की प्राप्ति दिखायी गयी थी। संशोधित अनुमान में भी इतनी रकम दिखायी गई है जबकि अगले वर्ष के बजट अनुमान में 7.6 करोड़ रुपया रखा गया है।

राष्ट्रीय रक्षा कोष से अंशदान : संशोधित अनुदान में दिखाई गयी रकम राष्ट्रीय रक्षा कोष समिति द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष से चालू वर्ष में अधिकृत रकम से रक्षा सम्बन्धी उपकरणों की खरीद की द्योतक है। इस प्रकार दी गयी रकम रक्षा अनुमानों में की गयी व्यवस्था में से दिये गये व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए इस शीर्षक में समायोजित की जाती है।

सिन्धु नदी जल सन्धि से सम्बद्ध प्राप्तियां : ये प्राप्तियाँ कुछ हैडवकर्स और जल मार्गों के अनुपाती कार्य-संचालन के व्यय के लिए सिन्धु नदी सन्धि के अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार से प्राप्त होने वाली रकम की द्योतक है। सन्धि के अधीन पाकिस्तान सरकार को जल-मार्गों की बजाय नदी से पानी लेने का अधिकार है। उस सरकार ने 1 अप्रैल, 1968 से इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। इस लिये चालू वर्ष के संशोधित अनुमान या अगले बजट के अनुमान में इस सम्बन्ध में कोई प्राप्तियाँ नहीं दिखायी गई हैं। संशोधित अनुमान में दिखायी गई (—4 लाख रुपये) की रकम 1966—67 में पाकिस्तान से प्राप्त अधिक अदायगियों की वापसी की द्योतक है।

राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध प्राप्तियां : राष्ट्रीय संकट से सम्बन्धित प्राप्तियों का व्योरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968—69	संशोधित अनुमान 1968—69	बजट अनुमान 1969—70
			(लाख रुपयों में)
(1) संकटकालीन जोखिम बीमा सम्बन्धी प्रीमियम			
(क) माल	60	60	70
(ख) कारखाने	1,40	1,20	2,00
(2) युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा योजना के अधीन बीमे की किस्तें	44	64	66
(3) शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) योजना	10	10	1
जोड़	2,54	2,54	3,37

संकटकालीन जोखिम बीमा योजनाएं : संकटकालीन जोखिम बीमा के प्रीमियमों की रकम संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अदा किये जाने वाले प्रीमियमों के रूप प्राप्त होने वाली रकमों की द्योतक है। ये अधिनियम 1962 में संकटकालीन परिस्थितियों में पास किये गये थे और इस में कुछ वस्तुओं को छोड़ कर सब वस्तुओं, कारखानों, देश की नदियों में चलने वाले जहाज़ों के अनिवार्य बीमे की व्यवस्था की गयी। बीमे की यह व्यवस्था अन्य प्रकार के किसी सामान्य बीमे के अतिरिक्त थी। सारे भारत में ये बीमा योजनाएं पहली जनवरी, 1963 से लागू की गयी थीं। पहली तिमाही (1 जनवरी से 31 मार्च, 1963 तक) के बाद प्रीमियम की दरों में क्रमिक रूप से कमी की गयी और 1 जनवरी, 1964 से प्रीमियमों की वसूली बन्द कर दी गयी। 1964 में यह फैसला किया गया था कि 31 दिसम्बर, 1963 को जिस व्यक्ति की कोई पालिसी नहीं रही है उस के माल या कारखाने के संबंध में हर सौ रुपये के पीछे क्रमशः पांच पैसे या दस पैसे के हिसाब से सांकेतिक प्रीमियम लिया जाय पर इस प्रकार वसूल की जाने वाली रकम 25 रुपये से अधिक नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के कारण प्रीमियमों की दरें बदल कर पहली सितम्बर, 1965 से हर सौ रुपये के माल पर 10 पैसे और कारखानों के सम्बन्ध में 15 पैसे प्रति सैकड़ा कर दी गयी। जो पालिसियां 31 मार्च, 1966 को चालू थीं पहली अप्रैल, 1966 से इन पालिसियों के सम्बन्ध में प्रीमियमों का संग्रह रोक दिया गया। अन्य मामलों में ऊपर लिखी दरों के अनुसार, नाम मात्र का प्रीमियम वसूल किया जाता रहा।

10 जनवरी, 1968 से संकटकालीन स्थिति समाप्त कर दिये जाने से इन योजनाओं को समाप्त कर दिये जाने के बाद नाममात्र के प्रीमियमों की वसूली का काम बन्द कर दिया गया है। चालू वर्ष के अनुमान पिछली बकाया रकमों की सम्भावित वसूली के द्योतक हैं।

युद्ध-जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा योजना:—सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष होने पर विदेशी बीमा कम्पनियों ने भारतीय जहाज़ों के बीमे के सम्बन्ध में युद्ध का जोखिम उठाना अस्वीकार कर दिया था। इसलिए भारत सरकार ने भारतीय रजिस्टर में दर्ज समस्त जहाज़ों और मशीनी नौकाओं का युद्ध जोखिम संबंधी बीमा करने के लिए एक योजना शुरू की। लेकिन यह योजना ऐच्छिक है। ऐजेंट का काम भारतीय जीवन बीमा निगम करता है पर बीमा पालिसियों का भारत सरकार के पास फिर से बीमा कराया जाता है। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर, और 31 दिसम्बर, को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रीमियम हर तीसरे महीने अदा करना होता है। प्रीमियमों से प्राप्त रकमें शुरु में सरकार के राजस्व के तौर पर जमा कर ली जाती है और बाद में एक निधि में अन्तरित कर दी जाती है। 30 सितम्बर, 1965 को समाप्त तिमाही के लिये 2.5 प्रतिशत के प्रीमियम की निर्धारित दर धीरे धीरे घटा दी गयी है। संकटकालीन स्थिति के समाप्त कर दिये जाने के बावजूद भी योजना को जारी रखा जायेगा। पहली अक्तूबर, 1967 से प्रीमियम की दर को 0.15 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ा कर 0.2 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया था। संशोधित अनुमान में वृद्धि अंशतः दरों की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रीमियम मिलने और अंशतः नयी जहाज़ी कम्पनियों के इस योजना में शामिल होने के कारण हुई है।

शारीरिक क्षति (क्षति पूर्तिबीमा) योजना:—शारीरिक क्षति (क्षति पूर्ति बीमा) योजना 1965 शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम, 1963 के अधीन, अत्यावश्यक सेवाओं, कारखानों, खानों आदि में काम करने वाले ऐसे असैनिक कर्मचारियों की सहायता देने के लिए बनायी गयी थी जिन्हें शत्रु की कार्रवाई से क्षति पहुंची हो। योजना के अधीन नियोजकों के लिए केन्द्र सरकार से बीमे की पालिसी लेना आवश्यक कर दिया गया है। प्रीमियम की अदायगी, हर तिमाही ऐसी दरों पर करनी होती है जिन का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इस योजना को 10 जनवरी, 1968 से समाप्त कर दिया गया है। चालू और अगले वर्ष के अनुमान प्रीमियमों की बकाया रकमों के संग्रह के द्योतक हैं।

जैसाकि "विविध" नामक शीर्षक के अन्तर्गत बताया गया है, "राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध प्राप्तियां" नामक शीर्षक अगले वर्ष से समाप्त कर दिया जायगा और सभी बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकमें "विविध" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई जायगी। अगले वर्ष के बजट में कोई रकम न दिखाने का यही कारण है।

विवरण 3

विवरण

वस्तुओं के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों

क्रम संख्या	वास्तविक 1967–68 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967–68 विशेष उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967–68 जोड़	बजट अनुमान 1968–69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1968–69 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969–70 जोड़
I. बुनियादी उत्पादन-शुल्क, विशेष उत्पादन-शुल्क और उप-कर						
क. खाद्य और पेय						
1. चीनी	60,45	..	60,45	45,59	..	45,59
2. चाय	22,66	3,25	25,91	22,91	3,92	26,83
3. कहवा	2,37	44	2,81	2,80	56	3,36
4. कन्फैक्शनरी	5	..	5	2,40	..	2,40
जोड़—खाद्य और पेय	85,53	3,69	89,22	73,70	4,48	78,18
ख. तम्बाकू						
5. अनिर्मित तम्बाकू	1,17,32	22,94	1,40,26	61,02	11,61	72,63
6. सिगार और सिगरेट				69,91	13,99	83,90
जोड़ ख—तम्बाकू	1,17,32	22,94	1,40,26	1,30,93	25,60	1,56,53
ग. पैट्रोलियम से बने पदार्थ						
7. साफ किये हुये डीजल तेल और उड़ने वाले तेल	1,69,65	..	1,69,65	1,92,20	..	1,92,20
8. मोटर स्पिरिट	1,09,04	..	1,09,04	1,17,62	..	1,17,62
9. मिट्टी का तेल	64,65	..	64,65	67,39	..	67,39
10. भट्ठियों के काम आने वाला तेल	23,94	..	23,94	30,25	..	30,25
11. डीजल तेल, जिस का अन्यथा उल्लेख नहीं है	21,30	..	21,30	21,20	..	21,20
12. एस्फाल्ट, बिटुमिन और कोलतार	3,80	..	3,80	4,37	..	4,37
13. पैट्रोलियम से बने पदार्थ, जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं है	4,41	..	4,41	7,60	..	7,60
जोड़ ग—पैट्रोलियम से बने पदार्थ	3,96,79	..	3,96,79	4,40,63	..	4,40,63
घ. वनस्पति तेल और चिकनाईयां						
14. वनास्पति	7,83	..	7,83	8,20	..	8,20
15. असारीय निर्गंध वनस्पति तेल	89	..	89	85	..	85
जोड़ घ—वनस्पति तेल और चिकनाईयां	8,72	..	8,72	9,05	..	9,05

3

से प्राप्त होने वाले राजस्व का व्यौरा

(लाख रुपयों में)

संशोधित अनुमान 1968-69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 विशेष उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 जोड़	बजट अनुमान 1969-70 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 जोड़	क्रम संख्या
48,87	..	48,87	54,06	..	54,06	1
24,00	2,30	26,30	26,00	..	26,00	2
2,70	54	3,24	2,85	57	3,42	3
1,20	..	1,20	1,50	..	1,50	4
76,77	2,84	79,61	84,41	57	84,98	(क)
62,00	12,40	74,40	62,50	12,50	75,00	5
80,05	16,02	96,07	83,55	16,52	1,00,07	6
1,42,05	28,42	1,70,47	1,46,05	29,02	1,75,07	(ख)
2,02,00	..	2,20,00	2,22,00	..	2,22,00	7
1,23,00	..	1,23,00	1,30,00	..	1,30,00	8
71,00	..	71,00	78,00	..	78,00	9
27,00	..	27,00	30,00	..	30,00	10
20,00	..	20,00	22,00	..	22,00	11
4,60	..	4,60	5,00	..	5,00	12
7,30	..	7,30	8,00	..	8,00	13
4,54,90	..	4,54,90	4,95,00	..	4,95,00	(ग)
9,20	..	9,20	10,00	..	10,00	14
1,20	..	1,25	1,35	..	1,35	15
10,45	..	10,45	11,35	..	11,35	(घ)

क्रम संख्या	वास्तविक 1967-68 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967-68 विशेष उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967-68 जोड़	बजट अनुमान 1968-69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1968-69 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 जोड़
ङ—रासायनिक पदार्थ						
16. प्लास्टिक की सामग्री और कृत्रिम बेरोजा	8,26	1,69	9,95	11,34	2,66	14,00
17. पेटेण्ट या मालिकाना हक वाली दवाएं .	9,40	..	9,40	10,00	..	10,00
18. साबुन	4,68	93	5,61	5,25	1,05	6,30
19. रंग रोगन और वार्निश . .	4,17	84	5,01	4,25	85	5,10
20. कृत्रिम कार्बनिक रंग . .	3,51	1	3,52	4,00	..	4,00
21. प्रसाधन-सामग्री . . .	2,67	53	3,20	2,92	58	3,50
22. सोडियम सिलीकेट . .	1,25	1	1,26	1,45	..	1,45
23. गैसें	95	..	95	1,20	..	1,20
24. कास्टिक सोडा . . .	1,03	..	1,03	1,25	..	1,25
25. सोडा एश . . .	65	..	65	75	..	75
26. सैलोफेन . . .	1,26	..	1,26	1,45	..	1,45
27. तेजाब	63	..	63	70	..	70
28. तेल पर क्रिया करने वाले कार्बनिक सक्रिय पदार्थ . . .	60	..	60	65	..	65
29. प्रकाशीय विरंजक पदार्थ . .	49	..	49	45	..	45
30. ग्लिसरीन . . .	15	..	15	19	..	19
जोड़—रासायनिक पदार्थ .	39,70	4,01	43,71	45,85	5,14	50,99
च—धातु						
(क) लोहा और इस्पात						
31. किसी भी रूप में कच्चा लोहा .	4,40	..	4,40	6,50	..	6,50
32. इस्पात के डले . . .	55	..	55	1,40	..	1,40
33. लोहे और इस्पात की बनी वस्तुएं .	64,89	..	64,89	73,00	..	73,00
34. टीन की प्लेटें . . .	2,03	..	2,03	2,50	..	3,50
जोड़ (क)—लोहा और इस्पात .	71,87	..	71,87	83,40	..	83,40

(लाख रुपयों में)

संशोधित अनुमान 1968–69 बनियादी उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968–69 विशेष उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968–69 जोड़	बजट अनुमान 1969–70 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969–70 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969–70 विशेष	क्रम संख्या
13,00	260	15,60	51,15	3,03	18,18	16
10,75	..	10,75	12,00	..	12,00	17
5,25	1,05	6,30	5,75	1,15	6,90	18
4,50	90	5,40	5,00	1,00	6,00	19
4,20	..	4,20	4,60	..	4,60	20
2,92	58	3,50	3,15	63	3,78	21
1,25	..	1,25	1,35	..	1,35	22
1,25	..	1,25	1,30	..	1,30	23
1,25	..	1,25	1,35	..	1,30	24
75	..	75	80	..	80	25
1,30	..	1,30	145	..	145	26
70	..	70	80	..	80	27
65	..	65	70	..	70	28
50	..	50	55	..	55	29
16	..	16	19	..	19	30
48,43	5,13	53,56	54,14	5,81	59,95	(ङ)
4,00	..	4,00	4,50	..	4,50	31
1,00	..	1,00	1,10	..	1,10	32
67,50	..	67,50	78,00	..	78,00	33
2,20	..	2,20	2,60	..	2,60	34
74,70	..	74,70	86,20	..	86,20	(च)

	वास्तविक 1967–68 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967–68 विशेष उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967–68 जोड़	बजट अनुमान 1968–69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1968–69 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1968–69 जोड़
(ख) अलोह धातुएं :						
35. एल्यूमिनियम . . .	9,87	1,03	10,90	13,11	1,39	14,50
36. ताँबा और ताँबा मिश्रित धातु . .	4,01	..	4,01	4,40	..	4,40
37. जस्ता	44	..	44	1,15	..	1,15
38. अनपिटा सीसा . . .	10	..	10	12	..	12
जोड़ (ख)—अलोह धातुएं . .	14,42	1,03	15,45	18,78	1,39	20,17
जोड़ च—धातु . .	86,29	1,03	87,32	1,02,18	1,39	1,03,57
छ—निर्मित वस्तुएं						
(क) वस्त्र और जूट						
39. सूती कपड़ा . .	51,12@	..	51,12@	53,18	..	53,18
40. सूत . . .	36,46@	75	37,21	36,42	..	36,42
41. ऊनी कपड़ा . . .	1,12@	16	1,28@	1,33	27	1,60
42. ऊनी सूत . . .	3,08	84	3,92	3,58	1,20	4,78
43. रेशम या कृत्रिम रेशम के कपड़े .	3,56@	29	3,85@	1,36	26	1,62
44. रेयन और कृत्रिम रेशम और सूत .	31,36	8,66	40,02	35,77	8,40	44,17
45. जूट से बनी वस्तुएं . .	9,91	1,00	10,91	13,34	1,34	14,68
46. कसीदे का काम . .	1	..	1	2,40	..	2,40
47. कृत्रिम चमड़े का कपड़ा, रेक्सीन आदि .	4	..	4	1,52	..	1,52
जोड़ (क)—वस्त्र और जूट .	1,36,66	11,70	1,48,36	1,48,90	11,47	1,60,37

@उपकर की वसूलियां भी शामिल हैं।

*विभागीय आंकड़े

संशोधित अनुमान 1968-69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 विशेष उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 जोड़	बजट अनुमान 1969-70 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 जोड़	क्रम संख्या
11,00	1,00	12,00	12,50	1,10	13,60	35
4,40	..	4,40	4,50	..	4,50	36
1,00	..	1,00	1,70	..	1,70	37
12	..	12	20	..	20	38
16,52	1,00	17,52	18,90	1,10	20,00	ख च (ख)
91,22	1,00	92,22	1,05,10	1,10	1,06,20	च(क)और(ख)
53,10	..	53,10	55,30	..	55,30	39
38,00	..	38,00	40,00	..	40,00	40
1,33	27	1,60	1,38	28	1,66	41
3,60	1,20	4,80	3,75	1,25	5,00	42
1,35	27	1,62	1,45	29	1,74	43
42,40	11,20	53,60	47,00	11,70	58,70	44
13,50	1,35	14,85	14,00	1,40	15,40	45
1,25	..	1,25	1,75	..	1,75	46
2,10	..	2,10	2,50	..	2,50	47
1,56,63	14,29	1,70,92	1,67,13	14.92	1,82,05	छ(क)

	वास्तविक 1967–68 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967–68 विशेष उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967–68 जोड़	बजट 1968–69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट 1968–69 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट 1969–70 जोड़
(ख) अन्य निर्मित वस्तुएं						
48. टायर और ट्यूब . . .	31,64	6,24	37,94	35,85	7,07	42,92
49. रबड़ से बनी वस्तुएं . .	*3,28	66	3,94	3,34	66	4,00
50. सीमेण्ट . . .	27,06	5,07	32,13	30,00	6,00	36,00
51. ऐस्बेस्टास सीमेण्ट से बनी वस्तुएं .	1,21	..	1,21	1,30	..	1,30
52. दियासलाई . . .	25,70	..	25,70	26,80	..	26,80
53. कागज	17,36	2,28	19,64	18,36	2,79	21,15
54. शीशा और शीशे का सामान . .	4,21	23	4,44	4,45	15	4,60
55. चीनी मिट्टी और पोर्सिलेन का सामान .	2,13	20	2,33	2,75	..	2,75
56. प्लाई लकड़ी . . .	1,56	..	1,56	1,60	..	1,60
57. सिनेमा की फिल्में . . .	1,05	21	1,26	1,10	22	1,32
58. जूते	1,99	..	1,99	2,70	..	2,70
59. ग्रामोफोन और रिकार्ड . .	10	..	10	12	..	12
60. इस्पात का फर्नीचर . .	12	..	12	3,00	..	3,00
61. क्राउन कार्क . .	9	..	9	1,50	..	1,50
जोड़ (ख)—अन्य निर्मित वस्तुएं .	1,17,50	14,89	1,32,39	1,32,87	16,89	1,49,75
जोड़ (छ)—निर्मित वस्तुए .	2,54,16	26,59	2,80,75	2,81,77	28,36	3,10,13
ज—मशीनें और परिवहन सम्बन्धी उपकरण						
62. मोटर गाड़ियां . . .	17,00	4,05	21,05	19,65	4,85	24,50
63. बिजली की बैटरियां और उनके हिस्से .	4,20	64	4,84	4,63	67	5,20
64. बिजली की तारें और केबल . .	6,11	..	6,11	7,00	..	7,00
65. बिजली की मोटरें . . .	3,21	59	3,80	3,67	73	4,00
66. वायरलेस रिसीविंग सेट . .	2,38	80	3,18	2,55	85	3,40
67. बेतार रिसीविंग सेट के कुछ पुर्जे	..	..	..	2,90	..	2,90
68. अन्दर से जलने वाले इंजन (इण्टर्नल कम्बशन इंजन) . . .	97	10	1,07	1,20	12	1,32
69. रेफ्रीजरेटर की वातानुकूलन मशीनें .	2,91	98	3,89	5,50	1,83	7,33
70. बिजली के पंखे . . .	1,65	33	1,98	1,80	36	2,16
71. बिजली के बल्ब और ट्यूबें . .	1,80	18	1,98	2,10	15	2,25
जोड़ 'ज'—मशीनें और परिवहन सम्बन्धी उपकरण . . .	40,23	7,67	47,90	50,90	9,56	60,46

(लाख रुपयों में)

संशोधित अनुमान 1968-69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 विशेष उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 जोड़	बजट अनुमान 1969-70 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 विशेष उत्पादन शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 जोड़	क्रम संख्या
37,50	7,30	44,80	39,60	7,70	47,30	48
4,20	84	5,04	4,60	92	5,52	49
28,00	5,60	33,60	30,00	6,00	36,00	50
1,30	..	1,30	1,40	..	1,40	51
29,00	..	29,00	30,50	..	30,50	52
18,35	2,73	21,08	19,30	2,85	22,15	53
4,45	15	4,60	4,70	16	4,86	54
2,25	..	2,25	2,50	..	2,50	55
1,90	..	1,90	2,10	..	2,10	56
1,10	22	1,32	1,15	23	1,38	57
2,45	..	2,45	2,17	..	2,17	58
17	..	17	20	..	20	59
2,40	..	2,40	3,00	..	3,00	60
1,25	..	1,25	1,45	..	1,45	61
1,34,32	16,84	1,51,16	1,43,20	17,86	1,61,06	छ (ख)
2,90,95	31,13	3,22,08	3,10,33	32,78	3,43,11	छ (क) और (ख)
19,65	4,85	24,50	20,50	4,90	25,40	62
5,23	77	6,00	5,75	85	6,60	63
7,00	..	7,00	8,00	..	8,00	64
3,50	70	4,20	3,75	75	4,50	65
2,55	85	3,40	2,70	90	3,60	66
2,20	..	2,00	2,40	..	2,40	67
1,20	12	1,32	1,30	13	1,43	68
4,50	1,50	6,00	5,10	1,70	6,80	69
1,80	36	2,16	1,95	39	2,34	70
2,80	20	3,00	3,20	23	3,43	71
50,43	9,35	59,78	54,65	9,85	64,50	(ज)

क्रम संख्या	वास्तविक 1967-68 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967-68 विशेष उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967-68 जोड़	बजट अनुमान 1968-69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1968-69 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 जोड़
झ :—वस्तुओं पर उपकर						
72. कोयला और कोक . .	15,38	..	15,38	16,60	..	16,60
73. सूती कपड़ों पर हथकरघा उपकर .	@	..	@	6,40	..	6,40
74. ऊनी कपड़ों पर हथ करघा उपकर .	@	..	@	4	..	4
75. रेयन या कृत्रिम रेशम के रेशों पर हथकरघा उपकर . .	@	..	@	73	..	73
76. रबड़	1,62*	..	*1,62	1,80	..	1,80
77. नमक	1,06	..	1,06	1,00	..	1,00
78. खनिज लोहा . . .	67	..	67	65	..	65
79. तेल और तिलहन . . .	53	..	53	50	..	50
80. खोपरा . . .	9	..	9	10	..	10
81. चाय . . .	78*	..	78	1,60	..	1,60
82. रूई	..	..	..	62	..	62
जोड़—'झ'—वस्तुओं पर उपकर .	20,13	..	20,13	30,04	..	30,04
ञ:—विविध						
83. विविध	1,21	..	1,21	80	..	80
जोड़—कुल राजस्व . . .	10,50,08	65,93	11,16,01	11,65,85	74,53	12,40,38
घटाइए—राजस्व और प्रत्यार्पण . .	(—)15,70	(—)23	(—)15,93	—7,23	—25	—7,48
जोड़ I—वास्तविक राजस्व . .	10,34,38	65,70	11,00,08	11,58,62	74,28	12,32,90
II—अतिरिक्त उत्पादन शुल्क						
1. चीनी	13,99	..	13,99	15,41	..	15,41
2. वस्त्र	19,55	..	19,55	21,08	..	21,08
3. तम्बाकू	15,08	..	15,08	16,89	..	16,89
जोड़ II—कुल राजस्व . .	48,62	..	48,62	53,38	..	53,38
घटाइए—वापसी, आदि . .	—20	..	—20	—20	..	—20
जोड़ II—वास्तविक राजस्व . .	48,42	..	48,42	53,18	..	53,18

@उपर्युक्त बुनियादी शुल्कों में सम्मिलित

*[illegible]

(लाख रुपयों में)

संशोधित अनुमान 1968-69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 विशेष उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968-69 जोड़	बजट अनुमान 1969-70 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969-70 जोड़	क्रम संख्या
16,70	..	16,70	17,80	..	17,80	72
6,40	..	6,40	6,65	..	6,65	73
4	..	4	4	..	4	74
73	..	73	76	..	76	75
2,00	..	2,00	2,00	..	2,00	76
1,06	..	1,06	1,11	..	1,11	77
69	..	69	72	..	72	78
60	..	60	65	..	65	79
10	..	10	10	..	10	80
1,68	..	1,68	1,75	..	1,75	81
50	..	50	62	..	62	82
30,50	..	30,50	32,20	..	32,20	"झ"
1,00	..	1,00	1,10	..	1,10	83
11,96,70	77,81	12,74,57	12,94,33	79,13	13,73,46	
−7,80	−25	−8,05	−8,20	−30	−8,50	
11,88,90	77,62	12,66,52	12,86,13	78,83	13,64,96	जोड़–झ
14,76	..	14,76	15,60	..	15,60	
21,11	..	21,11	22,01	..	22,01	
18,26	..	18,26	19,31	..	19,31	
54.13	..	54,13	56,92	..	56,92	
−20	..	−20	−25	..	−25	
53,93	..	53,93	56,67	..	56,67	जोड़–II

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	वास्तविक 1967–68 बुनियादी उत्पादन शुल्क	वास्तविक 1967–68 विशेष -उत्पादन-शुल्क	वास्तविक 1967–68 जोड़	बजट अनुमान 1968–69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1968–69 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969–70 जोड़
III:—विनियमनकारी उत्पादन-शुल्क						
1. मोटर स्पिरिट	2	..	2	..	..	..
2. साफ किया हुआ डीजल तेल और उड़ने वाल तेल	..	..	..	..	..	..
3. डीजल तेल जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं है	..	..	..	..	..	..
4. भट्ठियों के काम आने वाला तेल .	..	..	..	..	..	..
टाईये—वापसी आदि	..	..	..	..	..	..
जोड़ III—वास्तविक राजस्व . .	2	..	2	..	..	..
कुल जोड़—केंद्रीय उत्पादन-शुल्क (वास्तविक) I+II+III	10,82,82	65,70	11,48,52	12,11,80	74,28	12,86,06

विभागीय आंकड़े ।

@ बुनियादी उत्पादन शुल्क सहित

संशोधित अनुमान 1968–69 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968–69 विशेष उत्पादन-शुल्क	संशोधित अनुमान 1968–69 जोड़	बजट अनुमान 1969–70 बुनियादी उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969–70 विशेष उत्पादन-शुल्क	बजट अनुमान 1969–70 जोड़	क्रम संख्या
..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	2
..	..	..	..	..	..	3
..	..	..	..	..	..	4
..	..	..	..	..	..	जोड़ III
11,42,83	77,62	13,20,45	13,42,80	78,83	14,21,63	जोड़ I+II+III (वास्तविक)

विवरण 4

आयकर, बुनियादी और अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों और मृत-सम्पत्ति शुल्क के राज्यों के अनुसार वितरण का विवरण—1968-69 और 1969-70 के लिए प्रतिशत हिस्सा और गारंटीशुदा रकम

राज्य	आयकर का प्रतिशत हिस्सा	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बुनियादी) प्रतिशत हिस्सा	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क: गारंटीशुदा रकम (लाख रुपयों में)	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क: बाकी रकम का प्रतिशत हिस्सा	अचल सम्पत्ति कर मृत-सम्पत्ति शुल्क (प्रतिशत हिस्सा)	
	1968-69 और	1969-70 का हिस्सा			1968-69	1969-70
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश . . .	7.37	7.77	235.24	7.42	8.34	8.37
असम . . .	2.44	3.32	85.08	1.98	2.75	2.76
बिहार . . .	9.04	10.03	130.16	6.17	10.70	10.80
गुजरात . . .	5.29	4.80	323.45	7.43	4.78	4.80
हरियाणा@ . . .	..	..	..	..	..	1.76
जम्मू और कश्मीर . .	0.73	2.26	..	..	0.83	0.83
केरल . . .	3.59	4.16	95.08	5.65	3.92	3.93
मध्य प्रदेश . . .	6.47	7.40	155.17	4.62	7.50	7.53
महाराष्ट्र . .	14.28	8.23	637.77	19.87	9.16	9.20
मैसूर . . .	5.14	5.41	100.10	5.21	5.46	5.48
नागालैंड . . .	0.07	2.21	..	..	0.09	0.09
उड़ीसा . . .	3.40	4.82	85.10	2.58	4.07	4.08
(पंजाब) पुनर्गठित@ . .	..	..	..	..	..	2.59
पंजाब संयुक्त†† . .	4.36	4.86	175.19	5.01	4.70	2.59
राजस्थान . . .	3.97	5.06	90.10	3.17	4.67	4.68
तामिल नाडु . . .	8.34	7.18	285.34	11.13	7.80	7.83
उत्तर प्रदेश . . .	14.60	14.93	575.81	7.83	17.08	17.15
पश्चिम बंगाल . .	10.91	7.51	280.41	11.93	8.09	8.12
जोड़ . . .	100.00	100.00	3254.00	100.00	100.00	100.00

@पुनर्गठित पंजाब और हरियाणा के सम्बन्ध में 1968-69 और 1969-70 के लिये आयकर, बुनियादी उत्पादन शुल्कों और अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों और 1968-69 के लिए चल सम्पत्ति के बारे में मृत सम्पत्ति शुल्क का हिस्सा संयुक्त पंजाब के सम्बन्ध में दिये जाने वाले हिस्से के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, जैसा कि नीचे दिया गया है, के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

††ये आंकड़े संयुक्त पंजाब को 1 नवम्बर 1966 से पहले दिये जाने वाले हिस्सों के द्योतक हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार भूतपूर्व पंजाब का हिस्सा 1 नवम्बर, 1966 के बाद से पंजाब और हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्यों और केन्द्र के बीच क्रमशः 54.84 : 17.38 : 7.78 के अनुपात से बांटा जाना है।

विवरण 5

S/155 M. of Fin.—7.

विवरण

आयकर, बुनियादी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क,

राज्य	बजट अनुमान, 1968-69			
	आयकर	बुनियादी उत्पादन शुल्क	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	मृत सम्पति शुल्क
1	2	3	4	5
आंध्रप्रदेश	11,57	17,35	3,74	62
असम	3,83	7,41	1,22	19
बिहार	14,19	22,40	2,46	43
गुजरात	8,32	10,72	4,63	34
हरियाणा	2,56	4,05	1,01	13
जम्मू और काश्मीर	1,15	5,05	79	6
केरल	5,64	9,29	2,01	29
मध्य प्रदेश	10,16	16,53	2,42	52
महाराष्ट्र	22,42	18,38	10,10	65
मैसूर	8,07	13,08	1,98	46
नागालैंड	10	4,94	3	1
उड़ीसा	5,30	10,76	1,33	24
पंजाब पुनर्गठित	3,76	5,95	1,48	19
राजस्थान	6,27	11,30	1,50	32
तमिल नाडु.	13,09	16,03	4,94	62
उत्तर प्रदेश	22,94	33,45	7,23	1,18
पश्चिम बंगाल	7,13	16,77	5,04	56
जोड़—सब राज्य . .	1,56,50	2,22,46	51,91	6,81

5

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क, मृत-सम्पत्ति शुल्क का राज्यों के अनुसार वितरण

(लाख रुपयों में)

संशोधित अनुमान, 1968–69				बजट अनुमान, 1969–70			
आयकर	बुनियादी उत्पादन शुल्क	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	मृत सम्पत्ति शुल्क	आयकर	बुनियादी उत्पादन शुल्क	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	मृत सम्पत्ति शुल्क
6	7	8	9	10	11	12	13
14,38	18,84	3,61	50	13,46	9,27	3,99	61
4,76	8,21	1,17	15	4,46	8,23	1,29	19
17,64	24,44	2,24	26	16,52	24,88	2,67	74
10,32	11,82	4,56	29	9,66	11,90	4,88	34
3,18	4,48	97	10	2,98	4,51	1,07	13
1,43	5,43	75	5	1,33	5,61	84	6
7,01	10,23	1,95	26	6,56	10,32	2,26	29
12,63	18,02	2,27	42	11,82	18,35	2,57	51
27,87	19,57	10,03	62	26,09	20,41	10,77	65
10,03	13,13	1,89	36	9,39	13,42	2,15	45
14	5,07	2	1	13	5,48	3	1
6,64	11,94	1,24	18	6,21	11,95	1,42	28
4,67	6,57	1,43	15	4,37	6,61	1,57	19
7,75	12,34	1,42	25	7,25	12,55	1,60	32
16,28	17,21	4,81	55	15,24	17,81	5,32	61
28,49	35,65	6,87	94	26,67	37,15	7,49	1,17
21,29	17,83	4,92	44	19,93	18,63	5,44	55
1,94,51	2,40,78	50,15	5,53	1,82,07	2,47,08	55,34	7,10

विवरण 6

डाक और तार

भारतीय डाक और तार विभाग की विभिन्न शाखाओं के कार्यों के वित्तीय परिणामों का विवरण

(हज़ार रुपयों में)

शीर्षक	डाक			
	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
कुल प्राप्तियां				
(1) डाक और सन्देश राजस्व	64,72,72	85,35,00	77,32,00	81,67,00
(2) विविध राजस्व	9,50,61	14,03,19	13,42,16	14,32,33
जोड़	14,33,33	99,38,19	90,74,16	95,99,33
व्यय				
सामान्य प्रशासन	77,73	79,35	1,04,85	1,05,90
सामान और कारखाने	..	..	..	..
लेखा और लेखा-परीक्षा	1,88,01	2,00,48	1,93,43	2,22,51
दूर संचार लेखे	..	..	..	..
नियंत्रण-सर्किल आफिस	2,05,26	1,98,90	2,24,16	2,27,70
इंजीनियरी व्यय	..	..	..	..
असैनिक इंजीनियरी प्रशाखा	15,70	16,08	21,70	28,85
पेंशन संबंधी व्यय	2,35,84	2,26,38	2,37,78	2,59,31
स्टाम्प, पोस्टकार्ड, छपाई और लेखन-सामग्री	4,71,39	5,58,62	5,41,18	6,26,04
परिसम्पत्ति का रख-रखाव	46,44	45,64	48,70	50,25
छोटे और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च	1,41,80	1,29,60	1,31,21	95,29
डाक व्यय (सम्मिलित कार्यालयों के खर्च सहित)	82,99,01	91,26,18	92,99,20	97,51,88
तार यातायात व्यय (सम्मिलित कार्यालयों का खर्च निकाल कर)	..	..	..	..
रेडियो व्यय	..	..	..	..
टेलीफोन व्यय	..	..	..	..
टेलीफोन विकास निधि में अंशदान	..	..	..	..
नवीकरण प्रारक्षित निधि में अंशदान				
"अपने टैलीफोन के मालिक बनिए" योजना के अधीन अग्रिम	28,70	31,14	31,11	34,37
किराये का अन्तरण और पूंजी खाते की अन्य योजनायें	..	..	..	..
विभिन्न शाखाओं के बीच सामायोजन	(–)1,98,19	(–)3,02,33	(–)2,25,03	(–)2,27,20
जोड़	95,11,69	1,03,10,04	1,07,07,29	1,11,74,90
घटाइए—कार्य संचालन व्यय में जमा	7,60,19	7,73,86	8,07,03	8,21,02
वास्तविक कार्य चालन व्यय	87,51,50	95,36,18	99,00,26	1,03,53,88
वास्तविक प्राप्तियां	(–)13,28,17	+4,02,01	(–)8,26,10	(–)7,54,53
घटाइए—सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश	1,30,28	92,03	97,52	1,16,72
शेष	(–)14,58,45	3,09,98	(–) 9,23,62	(–)8,71,27

विवरण 6

डाक और तार

भारतीय डाक और तार विभाग की विभिन्न शाखाओं के कार्यों के वित्तीय परिणामों का विवरण—जारी

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	तार			
	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
कुल प्राप्तियां				
(1) डाक और सन्देश राजस्व	12,75,84	13,83,70	13,33,80	14,28,10
(2) विविध राजस्व	7,18,99	7,38,52	7,66,84	7,33,11
जोड़	19,94,83	21,22,22	21,00,64	21,61,21
व्यय				
सामान्य प्रशासन	38,12	38,69	48,24	49,03
सामान और कारखाने	1,11,96	1,15,25	1,49,20	1,48,46
लेखा और लेखा परीक्षा	58,92	62,18	60,59	69,85
दूर संचार लेखे	..	..	26,93	35,42
नियन्त्रण-सर्किल आफिस	39,60	31,81	26,93	41,49
इंजीनियरी व्यय	4,92,74	5,19,86	5,61,72	6,17,52
असैनिक इंजीनियरी प्रशाखा	98	1,08	2,56	2,88
पेंशन संबंधी व्यय	59,08	57,59	60,28	65,97
स्टाम्प, पोस्टकार्ड, छपाई और लेखन सामग्री	40,92	62,76	52,48	52,97
परिसम्पत्ति का रख-रखाव	1,32,60	1,27,08	1,46,82	1,53,96
छोटे और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च	4,44,61	3,33,37	3,32,94	2,33,35
डाक व्यय (सम्मिलित कार्यालयों के खर्च सहित)	..	..	..	..
तार यातायात व्यय (सम्मिलित कार्यालयों का खर्च निकाल कर)	8,34,13	8,75,60	9,30,49	9,73,23
रेडियो व्यय	..	..	..	..
टेलीफोन व्यय	..	..	..	..
टेलीफोन विकास निधि में अंशदान	..	..	..	..
नवीकरण प्रारक्षित निधि में अंशदान	2,46,07	2,62,69	2,68,39	2,89,49
"अपने टेलीफोन के मालिक बनिए" योजना के अधीन अग्रिम किराये का अन्तरण और पूंजी खाते की अन्य योजनाएं	..	..	..	..
विभिन्न शाखाओं के बीच समायोजन	(–)54,50	–50,25	(–)21,80	(–)17,85
जोड़	24,45,23	24,37,71	26,59,23	27,16,07
घटाइए—कार्य संचालन व्यय में जमा	@1,28,95	1,26,58	1,40,13	1,56,03
वास्तविक कार्य चालन व्यय	23,16,28	23,11,13	25,19,10	25,60,04
वास्तविक प्राप्तियां	(–)3,21,45	(–)1,88,91	(–)4,18,46	(–)3,98,83
घटाइए—सामान्य राजस्व को दिये जाने वाला लाभांश	5,97,90	4,19,89	4,07,50	4,44,30
शेष	(–)9,19,35	(–)6,08,80	(–)8,43,13	(–)8,43,13

@इसमें 1,62,47 हजार रुपये के घाटे की रकम शामिल नहीं है जिसे राजस्व प्रारक्षित निधि से धन निकाल कर पूरा किया गया है।

विवरण 6

डाक और तार

भारतीय डाक और तार विभाग की विभिन्न शाखाओं के कार्यों के वित्तीय परिणामों का विवरण—जारी

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	टेलीफोन			
	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
कुल प्राप्तियां				
(1) डाक और सन्देश राजस्व	..	..	..	..
(2) विविध राजस्व	79,76,37	91,72,18	95,79,01	1,08,49,05
जोड़	79,76,37	91,72,18	95,79,01	1,08,49,05
व्यय				
सामान्य प्रशासन	68,59	69,10	74,53	75,28
सामान और कारखाने	2,75,94	3,11,03	2,98,41	2,96,92
लेखा और लेखा परीक्षा	56,65	60,40	58,25	67,31
दूर संचार लेख	..	..	6,48	12,39
नियन्त्रण—सर्किल आफिस	49,59	80,38	59,69	63,44
इंजीनियरी व्यय	2,19,68	2,34,39	2,45,25	2,74,64
असैनिक इंजीनियरी प्रशाखा	44,65	46,01	45,73	40,39
पेंशन संबंधी व्यय	96,27	1,10,80	1,18,05	1,30,12
स्टाम्प, पोस्टकार्ड, छपाई और लेखन-सामग्री	36,50	61,37	46,84	47,38
परिसम्पत्ति का रख रखाव	3,72,00	3,19,52	4,20,57	4,35,40
छोटे और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च	13,27,59	10,40,71	10,88,27	8,60,88
डाक व्यय (सम्मिलित कार्यालयों के खर्च सहित)	..	..	..	..
तार यातायात व्यय (सम्मिलित कार्यालयों का खर्च निकाल कर)	..	..	..	..
रेडियो व्यय	..	..	..	..
टेलीफोन व्यय	25,84,80	28,32,23	29,42,31	31,29,34
टेलीफोन विकास निधि में अंशदान	2,44,65	..	..	..
नवीकरण प्रारक्षित निधि में अंशदान	11,92,28	13,42,11	13,48,33	14,94,84
"अपने टेलीफोन के मालिक बनिए" योजना के अधीन अग्रिम किराये का अन्तरण और पूंजी खाते की अन्य योजनाएं	..	8,65,00	5,00,000	5,00,00
विभिन्न शाखाओं के बीच समायोजन	(+) 3,35,22	4,32,22	(+) 3,32,47	(+) 3,36,19
जोड़	69,04,41	78,05,27	75,85,18	77,62,52
घटाइए—कार्य संचालन व्यय में जमा	3,93,23@	4,63,01	3,79,80	3,87,63
वास्तविक कार्य-चालन व्यय	65,11,18	73,42,26	72,05,38	73,75,89
वास्तविक प्राप्तियां	14,65,19	(+) 18,29,92	23,73,63	34,76,16
घटाइए—सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश	10,49,32	7,53,51	6,75,88	7,39,67
शेष	4,15,87@	10,76,41@	16,97,75	27,34,49

@इसमें 1,82,47 हजार रुपये के घाटे की रकम शामिल नहीं है जिसे राजस्व प्रारक्षित निधि के धन से धन निकाल कर पूरा किया गया है।

विवरण 6

डाक और तार

भारतीय डाक और तार विभाग की विभिन्न शाखाओं के कार्यों के वित्तीय परिणामों का विवरण—जारी

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	रेडियो			
	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
कुल प्राप्तियां				
(1) डाक और सन्देश राजस्व	10,72	9,52	11,20	11,40
(2) विविध राजस्व	25,41	24,89	44,99	45,01
जोड़	36,13	34,41	56,19	56,41
व्यय				
सामान्य प्रशासन	99	1,09	1,55	1,59
सामान और कारखाने	1,08	2,14	4,52	4,50
लेखा और लेखा परीक्षा	55	99	56	64
दूर संचार लेखे	..	..	5	10
नियन्त्रण—सर्किल आफिस	1,45	1,70	2,08	2,13
इंजीनियरी व्यय	13,18	13,85	14,53	16,10
असैनिक इंजीनियरी प्रशाखा	25	12	11	..
पेंशन संबंधी व्यय	3,91	2,38	2,51	2,75
स्टाम्प, पोस्टकार्ड, छपाई और लेखन सामग्री	41	63	53	53
परिसम्पत्ति का रख रखाव	8,98	7,76	9,91	10,39
छोटे और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च	11,19	11,32	12,58	10,48
डाक व्यय (सम्मिलित कार्यालयों के खर्च सहित)	..	..	..	..
तार यातायात व्यय (सम्मिलित कार्यालयों का खर्च निकाल कर)	..	..	..	..
रेडियो व्यय	46,46	51,20	50,55	53,68
टेलीफोन व्यय	..	..	..	..
टेलीफोन विकास निधि में अंशदान	..	..	..	..
नवीकरण प्रारक्षित निधि में अंशदान	10,00	11,28	10,65	12,19
"अपने टेलीफोन के मालिक बनिए" योजना के अधीन अग्रिम किराये का अन्तरण और पूंजी खाते की अन्य योजनाएं	..	..	..	..
विभिन्न शाखाओं के बीच समायोजना	82,53	(–)79,64	(–)85,64	(–)19,14
जोड़	15,92	24,82	24,49	23,94
घटाइए—कार्य संचालन व्यय में जमा	1,75@	4,28	4,72	3,97
वास्तविक कार्य-चालन व्यय	14,17	20,54	19,77	19,97
वास्तविक प्राप्तियां	21,96	13,87	36,42	36,44
घटाइए—सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश	21,58	16,19	15,33	16,27
शेष	38@	(–)2,32	21,09	20,17

@इसमें 1,62,47 हजार रुपये के घाटे की रकम शामिल नहीं है, जिसे राजस्व प्रारक्षित निधि से धन निकाल कर पूरा किया गया है।

विवरण 6

डाक और तार

भारतीय डाक और तार विभाग की विभिन्न शाखाओं के कार्य के वितीय परिणामों का विवरण—समाप्त

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	जोड़			
	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
कुल प्राप्तियां				
(1) डाक और सन्देश राजस्व	77,59,28	99,28,22	90,77,00	96,06,50
(2) विविध राजस्व	96,71,38	1,13,38,78	1,17,33,00	1,30,59,50
जोड़	1,74,30,66	2,12,67,00	2,08,10,00	2,26,66,00
व्यय				
सामान्य प्रशासन	1,85,43	1,88,23	2,29,17	2,31,80
सामान और कारखाने	3,88,98	4,28,42	4,52,13	4,49,88
लेखा और लेखा परीक्षा	3,04,13	3,24,05	3,12,83	3,60,31
दूर संचार लेखे	..	..	33,46	47,91
नियन्त्रण—सर्किल आफिस	2,95,90	3,12,79	3,26,32	3,35,06
इंजीनियरी व्यय	7,25,60	7,68,10	8,21,50	9,06,26
अतनिक इंजीनियरी प्रशाखा	61,58	63,29	70,10	72,12
पेंशन संबंधी व्यय	3,95,10	3,97,15	4,18,62	4,58,15
स्टाम्प, पोस्टकार्ड, छपाई और लेखन सामग्री	5,49,22	6,83,38	7,41,03	7,26,92
परिसम्पत्ति का रख रखाव	5,60,02	5,00,00	6,25,00	6,50,00
छोटे और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च	19,25,19	15,15,00	15,65,00	12,00,00
डाक व्यय (सम्मिलित कार्यालयों के खर्च सहित)	82,99,01	91,26,18	92,99,20	97,51,88
तार यातायात व्यय (सम्मिलित कार्यालयों का खर्च निकाल कर)	8,34,13	8,75,60	9,30,49	9,73,23
रेडियो व्यय	46,46	51,20	50,55	53,68
टेलीफोन व्यय	25,84,80	28,32,23	29,42,31	31,29,34
टेलीफोन विकास निधि में अंशदान	2,44,65	..	..	..
नवीकरण प्रारक्षित निधि में अंशदान	14,77,05	16,47,22	16,58,48	18,30,89
"अपने टेलीफोन के मालिक बनिये" योजना के अधीन अग्रिम किराये का अन्तरण और पूंजी खाते की अन्य योजनाएं	..	8,65,00	5,00,00	5,00,00
विभिन्न शाखाओं के बीच समायोजन	..	..	..	..
जोड़	1,88,77,25	2,05,77,84	2,09,76,19	2,16,77,43
घटाइए—कार्य चालन व्यय में जमा	12,84,12@	13,67,73	13,31,68	13,68,65
वास्तविक कार्य चालन व्यय	1,75,93,13	1,92,10,11	1,96,44,51	2,03,08,78
वास्तविक प्राप्तियां	1,62,47	20,56,89	11,65,49	23,57,22
घटाइए—सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश	17,99,08*	12,81,62	11,96,23	13,16,96
शेष	(—)19,61,55	7,75,27	(—)30,34	10,40,26

@इसमें 1,62,47 हजार रुपये के घाटे की रकम शामिल नहीं है, जिसे राजस्व प्रारक्षित निधि से धन निकाल कर पूरा किया गया है।

*इसमें 1965-66 से 9666-67 तक वर्षों के लाभांश की बकाया रकमें शामिल हैं।

राजस्व से किये जाने वाले व्यय के अनुमान

विषय प्रवेश के भाग 1 के पैरा 6 में बताया गया है कि अनुदानों की मांगों में दिखाये गये आंकड़ों और वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गये आंकड़ों में, जैसे विवरण 1 में संक्षेप में दिये गये हैं, व्यवहार की दृष्टि से क्या अन्तर है। अनुदानों की मांगें वास्तविक व्यय के लिये होती हैं जिनमें वसूलियां हिसाब में नहीं ली जातीं, जब कि विवरण 1 के आंकड़े वसूलियां को घटाने के बाद बचे हुए वास्तविक व्यय के सूचक होते हैं। नीचे के विवरण में, मांगों में दिये गये आंकड़ों और विवरण में 1 दिये गये आंकड़ों में सामंजस्य स्थापित किया गया है—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
राजस्व से किया जाने वाला कुल व्यय, जैसा अनुदानों की मांगों में दिखाया गया है	33,08,51	34,43,27	37,15,57
घटाइये—			
(क) कुल व्यय में से घटायी गयी और विवरण 1 मे दिखाया गया। वास्तविक व्यय निकालने के लिए हिसाब में ली गयी (अनुबन्ध 1 में दिखायी गयी) वसूलियां	1,52,57	1,47,48	1,77,09
(ख) विवरण 1 में रक्षा-सेवाओं के सम्बन्ध में दिखाया गया व्यय निकालने के लिये हिसाब में ली गयी रक्षा-सेवाओं की प्राप्तियां . .	41,49	51,71	49,49
(ग) डाक और तार विभाग पर व्यय, (लाभांश और अधिशेष से विनियोग सहित)	2,12,67	2,08,10	2,26,6
जोड़—कटौती	4,12,13	4,07,29	4,53,24
इस ज्ञापन के विवरण 1 में दिखाया गया कुल व्यय . . .	28,96,38	30,35,98	32,62,33

स्थूल श्रेणियों के अनुसार व्यय-अनुमानों का सारांश इस विभाग के आरम्भ में विवरण 1 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त खातों के शीर्षकों के अनुसार विस्तृत विवरण और चालू बजट, संशोधित अनुमान तथा अगले बजट के अन्तर्गत होने वाली घट-बढ़ की व्याख्या करने वाली टिप्पणियां नीचे दी गयी हैं।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, ये आंकड़े अलग अलग मांगों में दिखाये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इसके दो कारण हैं: एक तो यह है कि अधिकतर मामलों में, एक ही मुख्य शीर्षक एक से अधिक मांगों के अन्तर्गत आता है और दूसरा यह कि खातों में वसूलियां व्यय में से घटा दी जाती हैं किन्तु मांगों में दिये गये आंकड़े कुल व्यय के लिये होते हैं जिनमें से वसूलियां घटायी नहीं जातीं।

करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह

इस समूह शीर्षक के अन्तर्गत मुख्यतः वह व्यय दिखाया जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा और संघीय राज्य क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी के सम्बन्ध में कर-संग्रह पर किया जाता है।

खातों के शीर्षकों के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
सीमा-शुल्क	6,92	6,89	8,29
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	13,50	12,90	13,27
निगम-कर	2,51	2,40	3,29
आय-कर	10,02	10,79	12,76

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
मृत सम्पत्ति शुल्क	15	15	18
सम्पत्ति-कर	25	23	27
व्यय-कर	—	—	—
दान-कर	3	3	4
भू-राजस्व	19	15	18
राज्य उत्पादन-शुल्क	5	6	6
गाड़ियों पर कर	8	8	8
बिक्री-कर	44	41	43
अन्य कर और शुल्क	37	39	42
स्टाम्प	5,37	5,31	5,31
रजिस्ट्री फीस	2	2	2
जोड़	39,90	39,81	44,60

सीमा शुल्क : संशोधित अनुमान में थोड़ी कमी का कारण, कुछ खाली पदों का न भरा जाना, और सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए की गयी व्यवस्था में से कम खर्च का किया जाना है । परन्तु यह बचत, 543 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 1 सितम्बर, 1968 से वृद्धि कर दिये जाने और चोरी छिपे माल लाने ले जाने की रोकथाम के लिए की गयी गाड़ियों की खरीद के कारण कुछ कम हो गयी है। चालू वर्ष में बढ़ाये गये महंगाई भत्ते के पूरे वर्ष के प्रभाव और चोरी छिपे माल लाने ले जाने की रोकथाम के लिए उपकरणों की खरीद तथा सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बजट अनुमान में अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है । चालू वर्ष के बजट में, बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय के लिए किराये पर जगह लेने के लिए भी व्यवस्था कर दी गयी है ताकि मौजूदा इमारत में केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत की जा सके ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क : संशोधित अनुमान में कमी मुख्यतः कुछ खाली पदों के न भरे जाने, यात्रा भत्ते की दरों में कमी कर दिये जाने के कारण, इस पर हुए कम व्यय, और मितव्ययता सम्बन्धी उपाय किये जाने तथा दियासलाई की डिब्बियों पर पट्टियों और तम्बाकू शुल्क राजस्व लेबल के इस्तेमाल न किये जाने के कारण हुई है । परन्तु यह बचत महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण कुछ हद तक कम हो जायगी । अगले वर्ष के बजट में, सामान्य वेतन-वृद्धियों, महंगाई भत्ते की दरों में हुई वृद्धि के पूरे वर्ष भर के प्रभाव और मुद्रण और प्रकाशन सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था कर दी गयी है । इसके अलावा चोरी छिपे माल लाने ले जाने की रोकथाम के लिए मोटर गाड़ियों की खरीद से सम्बन्धित व्यय के लिए भी बजट में व्यवस्था कर दी गयी है।

निगम कर, आय कर, मृत-सम्पत्ति शुल्क, सम्पत्ति कर, व्यय कर, और दान कर :—

इन सभी उपर्युक्त करों की व्यवस्था एक ही विभाग, अर्थात् आयकर विभाग द्वारा की जाती है। इसलिए, संग्रह पर होने वाला सारा खर्च उपयुक्त रूप से अन्य शीर्षकों में विभक्त कर दिया जाता है । नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से खर्च को विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत बांटने के लिए स्वीकार किये गये नये सूत्र के अनुसार संग्रह पर होने वाला सारा खर्च विभिन्न करों के अन्तर्गत प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत वसूल कुल राजस्व संग्रह के अनुपात से विभाजित कर दिया जाता है । इस प्रयोजन के लिए पहले आयकर और निगम कर को साथ मिला दिया जाता है और इन पर होने वाले कुल खर्च को, बाद में, 4 और 1 के अनुपात में इन दोनों में बांट दिया जाता है । संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः करों के संग्रह, और अपीलों के शीघ्र निपटारे के लिए, इस विभाग में कुछ अतिरिक्त पदों के बनाये जाने और कुछ खाली पदों के भरने के कारण हुई है। कुछ हद तक वृद्धि महंगाई भत्तों के बढ़ाये जाने के कारण भी हुई है । बजट अनुमान में सामान्य वेतन वृद्धियों, इस वर्ष बनाये गये पदों के वर्ष भर के खर्च और महंगाई भत्ते की बढ़ी दरों के लिए व्यवस्था की गयी है । अगले वर्ष के बजट अनुमान में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि

विभाग के मुद्रण और प्रकाशन के व्यय के लिए भी व्यवस्था की गयी है । लोक लेखा समिति की चौंतीसवीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिश के अनुसार इस विभाग को आमदनी देने वाला विभाग बना दिया गया है ।

भू-राजस्व, (लगान), राजस्व उत्पादन शुल्क, गाड़ियों सम्बन्धी कर, बिक्री कर, अन्य कर और शुल्क तथा रजिस्ट्री फीस :

इस खर्च का सम्बन्ध दिल्ली, चण्डीगढ़, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप तथा मिनिकोय द्वीपसमूहों से है। भू-राजस्व (लगान) बिक्री कर तथा अन्य करों और शुल्कों के अन्तर्गत अगले वर्ष के बजट में हुई कुछ वृद्धि सामान्य वेतन वृद्धियों, और चालू वर्ष में बढ़ायी गयी महंगाई भत्ते की दरों के वर्ष भर के खर्च की व्यवस्था करने के कारण हुई है ।

स्टाम्प : इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये गये खर्च का सम्बन्ध मुख्यतः इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक और केन्द्रीय स्टाम्प भण्डार से है । संशोधित अनुमान में कुछ कमी का मुख्य कारण प्रेस के लिए की जाने वाली सामान की खरीद पर कम व्यय होने और केन्द्रीय स्टाम्प कार्यालय, कलकत्ता के कुछ खाली पदों के न भरे जाने के कारण है ।

ऋण व्यवस्था

खाते के शीर्षकों के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शीर्षक	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
ऋण और अन्य देनदारियों पर ब्याज	5,45,32	5,22,69	5,63,82
ऋण में कमी या उस से बचाव के लिये विनियोग	5,00	5,00	5,00
जोड़	5,50,32	5,27,69	5,68,82

ऋण और अन्य देनदारियों पर ब्याज—स्थूल ब्योरा इस प्रकार है :—

शीर्षक	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
भारत में लिया जाने वाला ऋण	1,59,25	1,58,78	1,70,37
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	1,49,73	1,47,99	1,57,37
अस्थायी ऋण	82,00	64,50	71,00
बचत बैंक, नकदी पत्र, राष्ट्रीय रक्षा पत्र, आदि	81,79	78,84	85,74
राज्य भविष्य निधियां	32,59	32,22	35,48
रेलवे निधियां	6,51	6,36	6,72
अन्य मदें	33,45	34,00	37,14
जोड़	5,45,32	5,22,69	5,63,82

स्थायी ऋण

भारत में लिया जाने वाला ऋण—भारत में लिये गये बाजार ऋणों के ब्याज की अदायगी के लिए, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है और जो विभाग 2 के अन्त में दिये गये परिशिष्ट (क) में दिखाये गये हैं, व्यवस्था की गयी है।

मूल बजट में यह अनुमान लगाया गया था, कि चालू वर्ष में ब्याज की 5 प्रतिशत औसत वार्षिक दर के हिसाब से कुल 3,00 करोड़ रुपये के नये बाजार ऋण लिये जायेंगे। इस वर्ष ये ऋण लिये गये हैं: 4 1/2 प्रतिशत ऋण, 1975, और 5 1/2 प्रतिशत ऋण, 1995/ इन तीनों ऋणों से चालू वर्ष में वास्तविक प्राप्ति 320.67 करोड़ रुपये की हुई।

अगले वर्ष के बजट में वृद्धि का कारण यह है कि अगले वर्ष जारी किये जाने वाले 500 करोड़ रुपये के नये बाजार ऋणों के ब्याज के लिए और चालू वर्ष में जारी किये गये बाजार ऋणों पर देय ब्याज के सम्बन्ध में पूरे वर्ष के लिए ब्याज की व्यवस्था करने तथा 7 फरवरी, 1969 को 75 करोड़ रुपये की तदर्थ राजकोष हुंडियों को दिनांकित प्रतिभूतियों में बदलने के लिये व्यवस्था की गयी है।

अगले वर्ष वापस किये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में होने वाली बचत से ये वृद्धियां कुछ हद तक प्रतिसन्तुलित हो जायंगी क्योंकि इन ऋणों पर केवल एक छःमाही किस्त ही अदा की जानी है।

भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण: ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

व्यय-शीर्षक	बजट अनुमान 1968—69	संशोधित अनुमान 1968—69	बजट अनुमान 1969—70
1. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से प्राप्त ऋण	14,46	14,69	15,50
2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों के सम्बन्ध में सेवा प्रभार	5,29	4,65	4,90
3. ब्रिटेन से प्राप्त ऋण	14,71	14,46	13,44
4. अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक से प्राप्त ऋण	8,43	8,40	7,55
5. पी० एल० 480 के अमरीकी रुपया ऋण	29,00	29,93	33,10
6. अमेरीका से प्राप्त अन्य ऋण	25,83	23,42	26,76
7. सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ से प्राप्त ऋण	10,98	10,32	11,01
8. कनाडा से प्राप्त ऋण	2,59	2,41	2,68
9. जापान से प्राप्त ऋण	12,60	12,85	14,43
10. जर्मन संघीय गणराज्य से प्राप्त ऋण	17,85	18,35	18,33
11. कुवैत से प्राप्त ऋण	88	88	67
12. स्विट्जरलैंड से प्राप्त ऋण	1,40	1,35	1,40
13. चेकोस्लोवाकिया से प्राप्त ऋण	1,05	1,11	1,33
14. नीदरलैंड से प्राप्त ऋण	1,25	98	1,10
15. विलम्बित अदायगी के आधार पर प्राप्त विविध सामान का मूल्य	75	83	75
16. अन्य मदें	2,66	3,36	4,42
जोड़	1,49,73	1,47,99	1,57,37

विदेशों से प्राप्त ऋणों के ब्याज की अदायगी के लिए व्यवस्था की गयी है। ऋणों की रकम का ब्योरा, अनुबन्ध 2 में दिया गया है।

चालू वर्ष का संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से 1.74 करोड़ रुपया कम है। संशोधित अनुमान में जो कमी हुई है वह मुख्यत: (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों (64 लाख रुपये); (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य ऋणों--खास कर अमरीकी गेहूं--ऋण (2.01 करोड़ रुपये) और (ग) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के ऋणों (66 लाख रुपये) के सम्बन्ध में हुई है। किन्तु यह कमी जर्मन संघीय गण-राज्य से मिलने वाले ऋणों (50 लाख रुपये) के अन्तर्गत वृद्धि होने से अंशत: प्रतिसन्तुलित हो गयी है।

संशोधित अनुमान के मुकाबले में अगले वर्ष के बजट अनुमान में मुख्यत: इन मदों में 9.38 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रकट होनी है :--

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (81 लाख रुपये)

(ख) पी० एल० 480 अमरीकी रुपया ऋण (3.17 करोड़ रुपये)

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य ऋण (3.34 करोड़ रुपये)

(घ) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से ऋण (69 लाख रुपये)

(ङ) जापान से ऋण (1.58 करोड़ रुपये)

वृद्धि का मुख्य कारण चालू ऋणों और नये ऋणों से अधिक निकासियों का अनुमान है।

अलग अलग घट-बढ़ के कारण ये हैं :--

(1) संशोधित अनुमान में कुछ वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा दिये गये विभिन्न ऋणों की मूल रकमों के परि-शोधन के कार्यक्रम को उनके द्वारा फिर से निर्धारित किये जाने के कारण, ब्याज सम्बन्धी देन-दारियों में वृद्धि होने से हुई है। अगले वर्ष के संशोधित अनुमान में वृद्धि, बिजली प्रेषण ऋण और कोठागुडम ऋण--II के अन्तर्गत ली जाने वाली अधिक रकमों के कारण हुई है।

(2) संशोधित अनुमान में कमी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ किये जाने वाले ऋण करारों पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब होने और चालू ऋणों का उपयोग पहले की अपेक्षा कम होने के कारण हुई है। हाल में हस्ताक्षरित नये ऋण करारों के अन्तर्गत ली जाने वाली रकमों के कारण अगले वर्ष के अनुमान में वृद्धि हुई है।

(3) संशोधित अनुमान में कमी, मुख्यत: ब्रिटेन से प्राप्त ऋणों पर देय ब्याज की दरों में घट-बढ़ होने और दुर्गापुर विस्तार ऋण 1962 तथा पंचवर्षीय आयोजना ऋण--1962 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग कम होने के कारण हुई है। अगले वर्ष के अनुमान में और अधिक कमी, ब्रिटेन से प्राप्त कुछ ब्याजू ऋणों पर बकाया रकमों के क्रमिक शोधन के परिणामस्वरूप, कम ब्याज की अदायगी किये जाने के कारण है। ब्रिटेन से 1963-64 में और उसके बाद प्राप्त ऋणों पर चालू वर्ष और अगले वर्ष कोई ब्याज देय नहीं है।

(4) संशोधित अनुमान में कुछ कमी, डीजल रेल इंजन वाराणसी सम्बन्धी तीसरे ऋण के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकमों का उपयोग पहले के अनुमान से कम होने के कारण है।

अगले वर्ष के बजट अनुमान में और कमी, बकाया रकमों के क्रमिक शोधन के परिणामस्वरूप कुछ ऋणों पर कम ब्याज की अदायगियां किये जाने के कारण है लेकिन यह कमी, निर्यात-आयात पांचवें ऋण के अन्तर्गत अभी हाल में ली गयी रकमों के कारण अंशत: प्रति-सन्तुलित हो गयी है।

(5) संशोधित अनुमान में वृद्धि, लिये जाने वाले ऋणों पर में से एक ऋण पर, 1 प्रतिशत ब्याज की बजाय 2 प्रतिशत ब्याज लागू होने के कारण है। पहले इस ऋण पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का अनुमान लगाया गया था।

अगले वर्ष के बजट अनुमान की वृद्धि में 1968-69 में ली जाने वाली और रकमों तथा 1969-70 में ली जाने वाली प्रत्याशित रकमों को हिसाब में लिया गया है।

(6) इनमें विकास सहायता ऋण, एशियाई आर्थिक विकास ऋण निधि (जिसका नाम, अब अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण है) और अमरीकी गेहूं ऋण से लिये जाने वाले ऋण शामिल हैं।

संशोधित अनुमान में कमी मुख्यत: (i) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दिये गये कुछ ऋणों के सम्बन्ध में वापस की जाने वाली अनुमानित रकमों और वापस की गयी वास्तविक रकमों के आंकड़ों में घट-बढ़ होने और 1968-69 में हस्ताक्षरित बाद के गैर प्रायोजना ऋण-करारों के अन्तर्गत मिलने वाले ऋणों का उपयोग पहले की अपेक्षा कम होने और (ii) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा 1968-69 में, अमरीकी गहूं ऋण के सम्बन्ध में 2.02 करोड़ रुपये की ब्याज सम्बन्धी राहत दिये जाने के कारण है।

अगले वर्ष के बजट में वृद्धि इन कारणों से है :—(i) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दिये जाने वाले चालू गैर-प्रायोजना ऋणों में से अधिक रकमों की निकासियां जो विकास ऋण निधि के रुपया ऋणों का पहले से कम उपयोग होने तथा उक्त निधि को पहले से कम ऋणों की अदायगियां करने से अंशत: प्रतिसंतुलित हो गयी हैं ; और (ii) अगले वर्ष अमरीकी गेहूं ऋणों के सम्बन्ध में, ब्याज की अदायगियां ।

(7) संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यत: 3000 लाख रुबल ऋण, बोकारो ऋण, तीसरी आयोजना के लिए प्राप्त होने वाले पहले और दूसरे ऋण के अन्तर्गत पहले की अपेक्षा कम रकम दिये जाने और ऋणों के क्रमिक शोधन के आधार पर भिलाई ऋणों के सम्बंध में ब्याज सम्बन्धी देनदारियां कम होने के कारण है ।

अगले वर्ष के बजट की वृद्धि में बोकारो ऋण और 3000 लाख रुबल ऋण के अन्तर्गत ली जाने वाली प्रत्याशित अधिक रकमों को हिसाब में लिया गया है ।

(8) संशोधित अनुमान में कमी मुख्यत: राजस्थान परमाणु बिजली घर ऋण (दौर-1) वायु सुरंग प्रायोजना ऋण और कोटा पन-बिजली घर ऋण के अन्तर्गत मिलने वाले ऋणों का कम उपयोग होने के कारण है ।

अगले वर्ष के बजट में वृद्धि मुख्यत: कनाडा सरकार द्वारा (I) भारतीय रेलों के लिए, डीजल इंजनों, राजस्थान परमाणु बिजली घर और वायु सुरंग प्रायोजना के लिए दिये गये ऋणों की मूल रकमों की वापसी से सम्बन्धित कार्यक्रम को फिर से निर्धारित किये जाने के कारण है ।

(9) संशोधित अनुमान में कुछ वृद्धि, मुख्यत: पहले और दूसरे येन ऋणों की मूल रकमों की वापसी से सम्बन्धित कार्यक्रम के फिर से निर्धारित किये जाने तथा पांचवें, छठे और सातवें येन ऋणों और अन्न सहायता सम्बन्धी ऋण के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकमों का, पहले की अपेक्षा ज्यादा उपयोग होने के कारण है ।

अगले वर्ष के बजट में वृद्धि, कुछ ऋणों की मूल रकमों की वापसी से सम्बन्धित कार्यक्रम के फिर से निर्धारित किये जाने और चौथे, पांचवें छठे, सातवें येन-ऋणों तथा अन्न सहायता सम्बन्धी ऋण के अन्तर्गत प्रत्याशित अधिक रकमें ली जाने के कारण है ।

(10) संशोधित अनुमान में वृद्धि, मुख्यत: चालू ऋणों के अन्तर्गत मिलने वाली रकमों का, पहले से अधिक उपयोग होने और जिन नये ऋण-करारों पर बाद में हस्ताक्षर किये गये थे, उनकी ब्याज सम्बन्धी देनदारियों के कारण है ।

अगले वर्ष के बजट में और वृद्धि, ऋणों की रकमों का, पहले से अधिक उपयोग होने के कारण है ।

(11) अगले वर्ष के बजट में कमी का कारण ऋण की क्रमिक वापसी है ।

(12) संशोधित अनुमान में कमी का कारण पहले लगाये गये अनुमान की तुलना में कम ऋणों का इस्तेमाल किया जाना है ।

अगले वर्ष के बजट अनुमानों में थोड़ी सी वृद्धि का कारण यह है कि ऋणों के इस्तेमाल में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

(13) संशोधित-अनुमान में वृद्धि चेकोस्लोवाकिया से मिले दूसरे ऋण के अन्तर्गत ऋण के इस्तेमाल की गति में तेजी आने के कारण हुई है । यह वृद्धि पहले ऋण के इस्तेमाल की गति के अपेक्षिकृत धीमे होने के कारण कुछ हद तक प्रतिसन्तुलित हो गयी ।

अगले वर्ष के बजट में वृद्धि का कारण चालू वर्ष में निकाली गयी रकमों की तुलना में अधिक रकमें निकाले जाने की सम्भावना है ।

(14) संशोधित अनुमानों में कमी का मुख्य कारण नीदरलैण्ड की सरकार द्वारा ब्याज में राहत देना है अर्थात् ऋणों की पहले की किस्तों पर ब्याज दर को घटाकर 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत कर दिया गया है ।

अगले वर्ष के बजट में वृद्धि का कारण ऋण की सब से बाद की किस्तों के अन्तर्गत अधिक रकमें लेना तथा बकाया ऋणों की रकमों में वृद्धि होना है क्योंकि चालू वर्ष और अगले वर्ष मूल धन की कोई रकम वापस नहीं की जायगी ।

(15) विलम्बित अदायगियों के आधार पर प्राप्त सामान के सम्बन्ध में ब्याज सम्बन्धी अदायगियों के लिए व्यवस्था की गयी है । अगले वर्ष के बजट अनुमान में कमी ऋणों की बकाया रकमों में उन के क्रमिक परिशोधन के परिणामस्वरूप कमी हो जाने के कारण है ।

(16) इस शीर्षक के अन्तर्गत पोलड, यूगोस्लाविया, आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया, डेनमार्क न्यूज़ीलैंड, स्वीडन, बहरीन, इटली, फ्रांस, और बेल्जियम से प्राप्त ऋणों और पी० एल० 480 के परिवर्तनीय मुद्रा के सबम्न्ध में ब्याज के लिए व्यवस्था की गयी है । विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा रिहायशी प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति लेने के लिए जो ऋण लिए गए थे उन के ब्याज की अदायगी के लिए भी व्यवस्था की गयी है ।

अस्थायी ऋण : इस शीर्षक में सरकार की रोकड़ बाकी की पुनःपूर्ति के लिए जनता, राज्य सरकारों और स्टेट बैंक आफ इंडिया के नाम जारी की गयी राजकोष हुंडियों पर ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में व्यवस्था की जाती है।

संशोधित अनुमान में की गयी व्यवस्था वर्ष में होने वाले राजकोष हुंडियों के विस्तार और 4 मार्च, 1968 से हुंडियों के भुनाने की दर में की गयी $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी पर आधारित है। अगले वर्ष के बजट अनुमान में चालू वर्ष के अन्त में बकाया राजकोष हुंडियों को भुनाने की व्यवस्था की गयी है। इन राजकोष हुंडियों में 75 करोड़ रुपये के मूल्य की राजकोष हुंडियों को चालू वर्ष में दिनांकित प्रतिभूतियों में बदलने के कारण हुई बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार की रोकड़ बाकी की पुनःपूर्ति के लिए समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार जारी की जाने वाली राजकोष हुंडियां भी शामिल हैं।

बचत बैंक बचत पत्र आदि :---इस शीर्षक के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक में जमा रकमों पर ब्याज और बढ़ने वाली मीयादी जमा के खातों के सम्बन्ध में अर्जित बोनस तथा डाकघर और अन्य बचत पत्रों के ब्याज की अदायगी की व्यवस्था की जाती है।

संशोधित अनुमानों में कमी का कारण मुख्य रूप से बचत बैंक की जमा रकमों पर 1 अप्रैल, 1968 से ब्याज की दर में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कमी किया जाना है। अगले वर्ष के बजट अनुमान में चालू वर्ष के अन्त में बकाया जमा रकमों के ब्याज, बचत बैंक में अगले वर्ष अधिक रकम जमा होने की सम्भावना के कारण अधिक ब्याज और राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्रों तथा राष्ट्रीय रक्षा पत्रों के सम्बन्ध में अर्जित बोनस की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा बोनस के लिये अधिक रकम तथा बढ़ने वाली मीयादी जमा योजना के अन्तर्गत अधिक रकम के प्रत्याशित संग्रह के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की गयी है।

राज्य भविष्य निधियां : इन निधियों में जमा करने वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले ब्याज की दर भारत सरकार के ऋणों की औसत परिशोधन प्राप्ति के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है।

आशा है इस वर्ष भविष्य निधियों में जमा होने वाली वास्तविक रकम 33 करोड़ रुपये से बढ़ कर 47 करोड़ रुपया और अगले वर्ष 62 करोड़ रुपया हो जायगी। विभिन्न भविष्य निधियों में जमा होने वाली रकमों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने तथा 10,000 रुपये तक की जमा रकमों की ब्याज दर को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत कर देने के कारण अगले वर्ष के अनुमानों में वृद्धि हुई है।

रेलवे निधियां : इन निधियों में जमा रकमों पर सामान्य राजस्व से ब्याज दिया जाता है, जिसकी औसत दर सारे बकाया रुपया ऋणों पर, जिनमें पहले के वर्षों में जारी किये गये ऋण के बट्टे की राजस्व खाते में डाली गयी वार्षिक रकम और सरकारी ऋणों का प्रबन्ध व्यय भी शामिल है, दिये जाने वाले कुल ब्याज के आधार पर निश्चित की जाती है।

संशोधित अनुमान में कमी मुख्यतः राजस्व प्रारक्षित निधि पर ब्याज के सम्बन्ध में हुई है। चालू वर्ष के राजस्व के अनुमानित घाटे को पूरा करने के लिये रकमें निकाले जाने से बकाया रकम में कमी हो जाने, ब्याज की अन्तिम दर के 4.23 प्रतिशत से घट कर 4.22 प्रतिशत हो जाने और 1967-68 में लाभांश समीकरण के लिए रकमें निकाले जाने के कारण चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष में पहले के अनुमान से अधिक कमी हो जाने से संशोधित अनुमान के अन्तर्गत निधि को ब्याज की कम अदायगी करनी पड़ेगी। यह कमी मख्यतः ब्याज की दर बढ़ाकर 4.29 प्रतिशत से 4.35 प्रतिशत कर दिये जाने से रेलवे विकास निधि, मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि और रेलवे पेंशन निधि के लिए आवश्यक अधि,क व्यवस्था किये जाने से कुछ हद तक पूरी हो जायगी।

अगले वर्ष के बजट में वृद्धि मुख्यतः ब्याज की दर 4.35 प्रतिशत से बढ़कर 4.40 प्रतिशत हो जाने तथा मूल्यह्रास प्रतिशत निधि और रेलवे पेंशन निधि में वास्तविक वृद्धि हो जाने के कारण हुई है।

अन्य मदें :---इन मदों में मुख्यतः अमरीकी सरकार की पी० एल० 480 निधियों, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की विशेष जमा रकमों के निवेश पर ब्याज, राजकोष बचतजपत्रों और रक्षा जमा पत्रों, वार्षिकी जमा रकमों लोक भविष्य निधि पर ब्याज, राष्ट्रीय रक्षा निधि की जमा रकमों, डाक और तार विभाग की निधियों आदि पर ब्याज शामिल है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की पब्लिक ला 480 निधियों में जमा रकमों से, भारत सरकार की विशेष हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों में लगायी गयी रकमों पर इस वर्ष 11.00 करोड़ रुपया और अगले वर्ष 10.00 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में दिया जायगा जबकि चालू वर्ष के बजट में इसके लिये 12 करोड़ रुपया रखा गया है। संशोधित अनुमान में कमी का मुख्य कारण पी० एल० 480 निधियों का निवेश अनुमान से कम किया जाना है। अगले वर्ष के बजट में भारत सरकार और संयक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए, ऋणों और अनुदानों की अदायगी के लिए, अनुमानित निकासियों को हिसाब में लिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की विशेष जमा रकमों के भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निवेश पर उस वर्ष दिये जाने वाले ब्याज का अनुमान 88 लाख रुपया और अगले वर्ष का अनुमान 1,47 करोड़ रुपया लगाया गया है।

राजकोषीय बचत और रक्षा जमा पत्रों के ब्याज का अनुमान इस वर्ष के लिए 5.44 करोड़ रुपया और अगले वर्ष के लिए 5.53 करोड़ रुपया लगाया गया है, जबकि चालू बजट में 5.53 करोड़ रुपये का अनुमान था। इस वर्ष कभी पहले के अनुमान की अपेक्षा वास्तविक पूर्व-शेष (ओपनिंग बैलेंस) के कम होने और अगले वर्ष वृद्धि रक्षा बचत पत्रों के अन्तर्गत इस वर्ष अनुमानित से अधिक रकम के संग्रह के कारण है।

पिछले वर्ष के अन्त में जमा रकमों के वास्तविक बकाया के आधार पर अब अनुमान है कि वार्षिकी जमा के सम्बन्ध में इस वर्ष 5.94 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में दिया जायगा। अगले बजट में, 31 मार्च, 1969 का जमा रकमों की अनुमानित बाकी रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज के लिए 5.75 करोड़ रुपया शामिल किया गया है।

डाक और तार निधि के सम्बन्ध में दिये जाने वाले ब्याज के लिए इस वर्ष 7.39 करोड़ रुपया और अगले वर्ष के लिए 12.96 करोड़ रुपया रखा गया है। डाक तार और तथा सामान्य राजस्व के आपसी सम्बन्धों के लिए लागू होने वाले संशोधित समझौते के अनुसार 1967—68 के बाद नवीकरण प्रारक्षित निधि में शेष रकमों पर सामान्य राजस्व से ब्याज नहीं दिया जाता है।

पूंजी प्रारक्षित निधि से इस वर्ष और अगले वर्ष में की गयी निकासियां संशोधित और अगले बजट में कमी का मुख्य कारण हैं।

शेष व्यवस्था, ऋणों सम्बन्धी छूट, इनामी बांड के इनामों, अनिवार्य बचत जमा खातों, जिन की रकमें 1969—70 में वापस की जानी हैं, पर ब्याज अनिवार्य बचत जमा का काम करने के पारिश्रमिक, छोटी बचत योजनाओं के अधिकृत अभिकर्ताओं (एजेंट) को कमीशन, आयकर अधिनियम के अधीन जमा रकमों और जहाज विकास निधि की जमा रकमों आदि पर ब्याज के लिए है।

ऋण परिशोधन : दोनों वर्षों के बजटों में 5-5 करोड़ रुपये की सामान्य व्यवस्था की गयी है, जिसके बराबर की रकम, "ऋण में कमी के लिए या उससे बचाव के लिए विनियोग—अन्य विनियोग" नामक जमा शीर्षक में जमा कर दी जाती है।

प्रशासनिक सेवाएं

मोटे तौर पर, इस समूह-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रशासनिक और सहायक सेवाओं तथा केन्द्रीय और संघीय राज्य क्षेत्रों के दिन-प्रति-दिन का प्रशासन चलाने का खर्च दिखाया जाता है। इसमें कर-संग्रह पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है जो "करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह" नामक शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है। संसद्, राज्य-विधान मण्डलों और चुनावों का खर्च भी इसी समूह-शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है। स्थूल ब्योरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
संसद् और राज्य विधान-मंडल	3,79	3,99	4,54
सामान्य प्रशासन	26,63	27,78	27,51
लेखा-परीक्षा	17,60	18,19	20,14
न्याय प्रशासन	74	76	84
जेल	16	19	17
पुलिस	62,48	71,91	74,71
वैदेशिक-कार्य	13,04	14,15	20,68
पूर्ति और निपटान	4,54	4,59	4,63
विविध विभाग	11,43	11,26	11,60
जोड़	1,40,41	1,52,82	1,64,82

संसद और राज्य विधान मंडल : संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः राज्य सरकारों को चुनाव सम्बन्धी "अतिरिक्त" व्यय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के हिस्से की पहले से अधिक रकम अदा करने के कारण हुई है। अगले वर्ष के बजट में और अधिक वृद्धि चालू वर्ष में बढ़ायी गयी मंहगाई भत्ते की दरों के वर्ष भर पड़ने वाले प्रभाव, विभिन्न संसदीय समितियों और विदेशों को जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों के लिए पहले से अधिक रकम की व्यवस्था करने और छपाई के व्यय में वद्धि होने के कारण हुई है। बजट में चुनाव सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय के बारे में राज्यों को की जाने वाली केन्द्रीय सरकार के हिस्से की अदायगी के लिए भी अधिक रकम की व्यवस्था की गई है।

सामान्य प्रशासन : संशोधित अनुमानों में वृद्धि महगाई भत्ते की दरें बढ़ाई जाने और बजट के बाद दिये गये वचनों के कारण ऐच्छिक व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने कारण हुई है। बजट में सामान्य वेतन वृद्धियों और मंहगाई भत्ते में की गई वृद्धि के वर्ष भर पड़ने वाले प्रभाव की व्यवस्था की गयी है। किन्तु यह वृद्धि विदेश मंत्रालय के ऐच्छिक व्यय को इस शोर्षक से "वैदेशिक कार्य" शोर्षक में अन्तर्गत किये जाने के कारण न केवल पूरी हो जायेगी बल्कि इस मद में कुछ बचत भी होगी।

लेखापरीक्षा : इस शीर्षक में नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लेखे रखे जाने और उनकी परीक्षा किये जाने पर होने वाले व्यय के लिये व्यवस्था की जाती है। संशोधित अनुमानों में वृद्धि, मुख्यतः मंहगाई भत्ते की दरें बढ़ाये जाने और डाक की दरें बढ़ाई जाने के कारण डाक तथा तार पर अतिरिक्त व्यय होने के कारण हुई है। सामान्य वेतन वृद्धि और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विकास सम्बन्धी परिव्यय की बढ़ती हुई गति के परिणामस्वरूप लेखा विभाग के काम में वृद्धि होने के कारण अगले वर्ष के बजट अनुमान में और वृद्धि हुई है।

न्याय प्रशासन : इस व्यय का सम्बन्ध उच्चतम न्यायालय और दिल्ली तथा अन्य विधान मंडल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों से है। सामान्य वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते की दरें बढ़ाये जाने के वर्ष भर पड़ने वाले प्रभाव के कारण बजट में वृद्धि हुई है।

पुलिस :—संशोधित अनुमानों में पहले से अधिक वृद्धि, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने और सीमा सुरक्षा दल का विस्तार कराने के कारण हुई है। बजट अनुमान में हुई वृद्धि इस वर्ष केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल के सम्बन्ध में किये जाने वाले विस्तार के कारण हुई है। अगले वर्ष होने वाली कुछ वृद्धि का कारण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की स्थापना किया जाना है।

वैदेशिक-कार्य :—संशोधित अनुमानों में वृद्धि, भारत-बर्मा और भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किये जाने और बल्गारिया, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया में मिशन खोले जाने के लिए पहले से अधिक व्यवस्था करने के कारण हुई है। बजट अनुमान में और अधिक वृद्धि मुख्य रूप से, विदेश मंत्रालय के ऐच्छिक व्यय "सामान्य प्रशासन" नामक शीर्षक से इस शीर्षक में अन्तर्गत किये जाने के कारण हुई है।

पूर्ति और निपटान :—संशोधित अनुमान में वृद्धि वर्ष में स्वीकृत किये गये अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के कारण हुई है। बजट अनुमान में होने वाली वृद्धि अतिरिक्त पदों तथा कुछ रिक्त पदों के भरे जाने और इस वर्ष मंहगाई भत्ते की दरों में की गई वृद्धि का वर्ष भर पड़ने वाले प्रभाव के लिए व्यवस्था करने के कारण हुई है।

विविध विभाग :—इस शीर्षक के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन, विदेशी मुद्रा विनियमन एकक, संयुक्त पूंजी कम्पनियों के रजिस्ट्रार, समवाय अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी परिसमापक, बीमा-नियंत्रक, एकस्व, डिजाइन और व्यापारिक चिन्हों के महा नियंत्रक, आयात-निर्यात शुल्क आयोग और वायदा बाजार आयोग, पत्र सूचना कार्यालय, असैनिक पूर्ति संगठन और प्रकाशन प्रभाव आदि के लिए व्यवस्था की जाती है। संशोधित अनुमानों में कमी मुख्य रूप से कुछ रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई है। अगले वर्ष होने वाली वृद्धि बीमा संशोधन अधिनियम के पास हो जाने के परिणामस्वरूप बीमा नियंत्रक के कार्यालय का विस्तार किये जाने और इसके अलावा पत्र सूचना कार्यालय का विस्तार किये जाने और प्रकाशन प्रमाग का काम बढ़ जाने के कारण हुई है।

सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं

इस भाग के व्यय का स्थूल व्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
वैज्ञानिक विभाग	60,48	55,99	64,41
शिक्षा	71,42	69,57	76,96
चिकित्सा	14,30	13,84	15,42
लोक स्वास्थ्य	11,44	9,53	11,85
कृषि	21,54	18,25	23,58
पशु-पालन	2,06	1,76	2,14
सहकारिता	2,32	2,32	2,28
उद्योग	30,20	30,95	30,91
प्रसारण	9,19	9,98	10,68
सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	43	43	63
श्रम और नियोजन	10,53	10,59	11,42
सामाजिक और विकास संबंधी विविध संगठन	18,22	18,15	21,97
राजस्व से पूरा किया जाने वाला औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	2	2	3
र. स्व से पूरा किया जाने वाला प्रसारण संबंधी पूंजी परिव्यय	2	1	5
जोड़	2,52,17	2,41,39	2,72,33

वैज्ञानिक विभाग—व्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(i) परमाणु शक्ति गवेषणा	15,33	15,31	17,66
(ii) वैज्ञानिक गवेषणा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	19,11	17,51	19,49
(iii) भूगर्भ सर्वेक्षण	10,71	8,44	9,97
(iv) ऋतु विज्ञान	3,58	3,68	4,52
(v) भारतीय सर्वेक्षण विभाग	4,62	4,24	4,98
(vi) पुरातत्व विभाग	1,37	1,32	1,62
(vii) अन्य मदें	5,76	5,48	6,17
जोड़	60,48	55,99	64,41

(i) बजट में परमाणु शक्ति के विकास के कार्य-क्रम के लिए आवश्यक उपकरण और सामान की पहले से अधिक खरीद और अंतरिक्ष गवेषणा की विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए रुपये का प्रबंध करने की व्यवस्था की गयी है।

(ii) संशोधित अनुमानों में बचत का मुख्य कारण यह है कि निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण प्रयोग-शालाओं पर कम व्यय हुआ, विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण विदेशों को सप्लाई के आर्डर देने में देरी हुई और अन्य देशों से उपकरण प्राप्त होने में देर हुई। आंशिक बचत वैज्ञानिकों के पूल पर कम खर्च होने से भी हुई है। सामान्य वृद्धि के साथ साथ बजट में, निर्माण कार्य के लिए पहले से अधिक व्यवस्था और विदेशों से सामान मंगाने के लिए व्यवस्था की गयी है।

(iii) संशोधित अनुमानों में कमी का कारण कुछ रिक्त पदों का न भरा जाना और उपकरणों की कम खरीद का किया जाना है। बजट में वृद्धि मुख्य रूप से विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारियों और उपकरणों के लिए व्यवस्था किये जाने, भूमि की प्राप्ति और इमारतों के निर्माण के कारण हुई है। रूस के सहयोग से शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण के कारण भी बजट में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है।

(iv) संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्य रूप से महंगाई भत्ते की दरें बढ़ा दिये जाने और विश्व मौसम--देख रेख योजना के लिए पहले से अधिक व्यवस्था करने के कारण हुई है। विश्व मौसम-देखरेख योजना के लिए अधिक व्यवस्था किये जाने के साथ-साथ बजट में, वर्तमान ऋतु-विज्ञान केन्द्रों को चलाने के लिए अधिक सामान और उपकरणों को प्राप्त किये जाने और नये केन्द्रों की स्थापना किये जाने के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

(v) आयोजना सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने में धीमी गति होने और कुछ रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण संशोधित अनुमानों में कमी हुई है। बजट में आयोजना सम्बंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने की कल्पना की गयी है और रिक्त पदों को भरने का भी ध्यान रखा गया है।

(vi) संशोधित अनुमानों में बचत मुख्य रूप से बचत के लिए किये गये उपायों के कारण हुई है। बजट में कुछ प्राचीन स्मारक चिन्हों की विशेष मरम्मत और उनकी उचित सुरक्षा का प्रबन्ध करने के लिए व्यवस्था की गयी है। आयोजना में सम्मिलित खुदाई की नयी प्रायोजनाओं को शुरू करने के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

(vii) संशोधित अनुमानों में बचत मुख्य रूप से रिक्त पदों के न भरे जाने और भारतीय खान कार्यालय के लिए सामान की प्राप्ति में देर होने के कारण हुई है। की प्राप्ति में देर होने के कारण हुई है। 1969–70 के अनुमान में इलेक्ट्रानिक्स योजनाओं के लिए 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जो बजट अनुमान में वृद्धि का मुख्य रूप है, अगले वर्ष बजट अनुमान में खान कार्यालय और सामान्य वेतन वृद्धियों वृद्धियों तथा खाली पदों को भरने के लिए अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। यह वृद्धि हवाई सर्वेक्षण के लिए उपकरण और सामान के पहले ही प्राप्त हो जाने के कारण होने वाली बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हो जायगी।

शिक्षा :—संशोधित अनुमानों में बचत, इंजीनियरिंग कालेजों को और अन्य तकनीकी संस्थाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए और शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और युवक कल्याण के लिए भी पहले से कम अनुदान दिये जाने के कारण हुई है। कुछ कार्यक्रमों को समाप्त किये जाने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा-गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद् के लिए भी संशोधित अनुमानों में कम अनुदानों की व्यवस्था है। बजट में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय के समान मानी गयी संस्थाओं को, प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेजों जैसी तकनीकी संस्थाओं, राष्ट्रीय अकादमियों अन्य सांस्कृतिक संगठनों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अनुदान देने के लिए व्यवस्था की गयी है। अगले वर्ष हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए भी अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है।

चिकित्सा :—संशोधित अनुमानों में कमी मुख्य रूप से, स्थानीय निकायों और स्वयं सेवी संगठनों को देसी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए कम आवश्यकता होने और बम्बई में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को भरने में देरी होने और इलाहाबाद में योजना आरम्भ करने में देरी होने के करण हुई है। बजट में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा और गवेषणा की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ और भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए पहले से अधिक अनुदानों की व्यवस्था है। कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा चालू करने के काम सहित उसका विस्तार करने के लिए भी अधिक व्यवस्था की गयी है।

लोक स्वास्थ्य :—संशोधित अनुमानों में कमी, विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने की गति धीमी होने, परिवार नियोजन के लिए स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान सहित परिवार नियोजन पर पहले से कम व्यय होने के कारण हुई है। बजट में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत अधिक बढ़ाये जाने का अनुमान है।

कृषि :—संशोधित अनुमानों में कमी मुख्य रूप से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आयोजना सम्बन्धी कई योजनाओं के बारे में अंतिम निर्णय करने में देरी होने के कारण पहले से कम अनुदान दिये जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, पौधा संरक्षण तथा जोरदार जिला कृषि कार्यक्रम के लिए पहले से कम उपकरणों की खरीद किये जाने और नये मशीनी फारमों की स्थापना में धीमी प्रगति होने के कारण हुई है । बजट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सारी योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने और कृषि उत्पादन पर उपकर की रकम अधिक वसूल होने के कारण उपकर की वास्तविक रकम की पहले से अधिक अदायगी किये जाने के लिए भी व्यवस्था की गयी है । बजट में, छोटे किसानों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध किये जाने के लिए सहकारी बैंकों को अनुदान देने के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है ।

पशुपालन :—संशोधित अनुमानों में बचत मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चलायी जाने वाली कुछ योजनाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई है । बजट में इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की भी व्यवस्था है ।

सहकारिता :—राजकीय आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिए इकट्ठे अनुदान देने का निर्णय किये जाने के कारण सहकारी विकास निगम को दिये जाने वाले अनुदान की कुछ मदें बजट में शामिल न किये जाने के कारण अगले बजट में मुख्य रूप से बचत हुई है ।

उद्योग :—संशोधित अनुमानों में सूती वस्त्र के मिलों को प्रोत्साहन के लिए रुपया देने का निर्णय किये जाने के कारण वृद्धि हुई है जो भारतीय रबड़ बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर उसे पहले से कम अदायगी किये जाने के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हो जायगी ।

संशोधित और बजट अनुमानों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान देने के लिए क्रमशः 13.97 करोड़ रुपये और 13.58 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जब कि मूल अनुमानों में 13.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी । इन अनुदानों में, परम्परागत खादी और अम्बर चरखे के लिए इस वर्ष के अनुमान में 8.50 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के अनुमान में 7.64 करोड़ रुपये, ग्रामोद्योग के लिए संशोधित अनुमानों में 2 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के अनुमान में 2.26 करोड़ रुपये और ब्याज के बदले राज सहायता देने के लिये अगले वर्ष के अनुमानों में 3.68 करोड़ रुपये शामिल किये गये हैं ।

प्रसारण :—महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि और नये अभिकरणों को दिये जाने वाले दानों की अदायगी की रकम में वृद्धि, टेलीविजन सेवाओं के विस्तार और कुछ केन्द्रों को सेवा सम्बन्धी व्यय की बकाया रकमों की अदायगी और रक्षकों पर होने वाले व्यय की अदायगी के कारण संशोधित अनुमानों में वृद्धि हुई है । महंगाई भत्ते की दरें बढ़ाये जाने के कारण वर्ष भर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा दिल्ली, मद्रास और तिरुची में वाणिज्यिक सेवा का विस्तार किये जाने, सात और फारम तथा गृह एककों की स्थापना किये जाने और गांधी शताब्दी कार्यक्रम के व्यय के सम्बन्ध में व्यय की व्यवस्था बजट में की गयी है ।

सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं और स्थानीय विकास कार्य :—बजट में वृद्धि मुख्य रूप से, उत्तर-पूर्व सीमा एजेंसी में जोरदार विकास के बाद के ब्लाकों पर पहले से अधिक पूंजी परिव्यय किये जाने और युवकों को ग्रामीण धन्धों के प्रशिक्षण की संस्थाएं स्थापित किये जाने और विकास की क्षमता वाले ग्रामीण समुदायों के लिए प्रारम्भिक योजनाओं के लिए पहले से अधिक अनुदान दिये जाने के कारण हुई है ।

श्रम और नियोजन :—श्रम कार्यालय, मजदूर शिक्षा, सम्बन्धी योजनाओं में सम्मिलित नई योजनाओं और संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम की सहायता से तैयार की गयी औद्योगिक शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित किये जाने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है । बजट में महंगाई भत्ते की दरें बढ़ाये जाने से, वर्ष भर पड़ने वाले प्रभाव के कारण कुछ वृद्धि हुई है ।

सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन :—इस शीर्षक में, राष्ट्रीय और संदर्भ पुस्तकालयों, दुग्ध योजनाओं सहित दुग्ध शिक्षा और गवेषणा, चीनी उद्योग-विद्या की संस्था, जनगणना, अंक संकलन, फिल्म प्रभाग, विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय, व्यापार प्रदर्शन और प्रचार, केन्द्रीय जल और बिजली आयोग और पर्यटन संगठनों जैसे सरकार के विभिन्न विविध और विकास सम्बन्धी संगठनों के लिए व्यय की व्यवस्था की जाती है ।

अगले वर्ष पहले से अधिक वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार प्रदर्शन और प्रचार तथा पर्यटन विकास के अंतर्गत हुई है । 1970 में जापान में होने वाले ई० एक्स० पी० ओ० 70 में भाग लेने के निर्णय के कारण व्यापार प्रदर्शन और प्रचार में वृद्धि हुई और पर्यटन केन्द्रों के विकास पर होने वाले जो व्यय अभी राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है, उस सारे व्यय की जिम्मेदारी सरकार द्वारा लिये जाने के कारण पर्यटन सम्बन्धी विकास में वृद्धि हुई है । बजट में फिल्म-प्रभाग के लिए पहले से अधिक उपकरण आदि की खरीद के लिए भी व्यवस्था की गयी है ।

औद्योगिक विकास पर राजस्व से किया जाने वाला पूंजी परिव्यय :—इस अनुमान का सम्बन्ध नमक के कारखानों पर होने वाले व्यय से है जो राजस्व से पूरा किया जाता है ।

बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं

ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपयों में)	
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	1,74	1,54	1,74
सिंचाई, नौपरिवहन, आदि	16	7	20
बिजली योजनाएं	1,65	1,34	2,45
जोड़ :	3,55	2,95	4,39

बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं : संशोधित अनुमानों में बचत मख्यत: राज्य सरकारों आदि से अधिक वसूलियां होने और नदी बेसिन आयोजनाओं को तैयार करने की योजनाओं को क्रियान्वित न किये जाने के कारण हुई है। बजट में, देश में बाढ़ के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने और चेतावनी देने के केन्द्रों की स्थापना करने के लिए व्यवस्था की गयी है।

सिंचाई नौपरिवहन आदि : प्रतिष्ठान व्यय की प्रत्याशित से अधिक वसूली के कारण संशोधित अनुमानों में बचत हुई है। दिल्ली में जल निकासी सम्बन्धी एक कार्य को शुरू करने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है।

बिजली योजनाएं : संशोधित अनुमान में कमी मुख्यत: तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र को चालू करने में देरी होने के कारण हुई है। अब केन्द्र के जुलाई, 1969 में चालू होने की आशा है। जबकि पहले अक्तूबर, 1968 में शुरू किये जाने की आशा थी। बजट अनुमान में वृद्धि इस उद्देश्य के लिए की गयी व्यवस्था के कारण हुई है।

लोक निर्माण कार्य : इस समूह शीर्षक में राष्ट्रीय राजपथों, संघीय राज्य क्षेत्रों की सड़कों और उन अन्य सड़कों के रखरखाव पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की जाती है जिनकी देखभाल केन्द्रीय सरकार करती है और साथ ही सरकारी इमारतों सहित उन निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्था की जाती है जिनका खर्च राजस्व खाते से पूरा किया जाता है। मोटर स्पिरिट पर लगाये जाने वाले सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्कों से प्राप्त राजस्व का जो अंश, केन्द्रीय सड़क निधि में अतिरित किया जाता है, उसे भी लोक-निर्माण-कार्यों का खर्चा माना जाता है।

ब्योरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
1. संचार			
(क) केन्द्रीय सड़क निधि के लिए इकट्ठा अनुदान	4,00	4,00	4 00
(ख) अन्य व्यय	12,36	16,39	16,84
2. इमारत	15,73	16,00	17,09
जोड़	32,09	36,39	37,93

संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यत: बाढ़ से भारी टूट फूट होने से राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत पर किये गये खर्च और इन राजपथों के रखरखाव की एकक लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है। अंशत: यह वृद्धि जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम में राष्ट्रीय राजपथों से बर्फ हटाने पर हुए अधिक खर्च के कारण भी हुई है। अगले वर्ष के बजट में अधिक व्यवस्था राजपथों और इमारतों के रखरखाव के लिए की गयी है।

परिवहन और संचार :

ब्योरा इस प्रकार है—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
बन्दरगाह और नौचालन	59	67	72
व्यापारिक बेड़ा	2,36	2,48	2,96
प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	1,40	1,40	1,44
उड्डयन	5,20	6,64	8,64
सड़क और जल-परिवहन योजनाएं	52	61	72
समुद्रपारीय संचार-सेवा	2,75	2,68	2,85
जोड़	12,82	14,48	17,33

बन्दरगाह और नौचालन :—समुद्री विभाग के लिये एक ट्रक की खरीद के लिये व्यवस्था, गोदी के विकास पर अधिक व्यय और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में नौभरण के सम्बन्ध में काम के बढ़ जाने के कारण अगले बजट में और वृद्धि हुई। संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः मंहगाई भत्ते की दरों के बढ़ाये जाने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में गोदी सम्बन्धी निर्माण कार्य पर अधिक व्यय होने के कारण हुई है।

व्यापारिक बेड़ा :—संशोधित अनुमान में वृद्धि मख्यतः बजट के बाद किये गये निश्चय के अनुसार, भारतीय जहाजरानी निगम को, उस के द्वारा तुत्तुकुड़ी कोलम्बो सेवा के चलाये जाने से हुए घाटों की प्रतिपूर्ति के लिये राज सहायता दिये जाने के कारण हुई। जहाजरानी विकास निधि को दिये गये ऋणों के ब्याज के एक हिस्से को पूरा करने के लिये जहाजरानी विकास निधि समिति को राजसहायता देने के लिये अधिक व्यवस्था करने और जहाजरानी निगम को, उस के द्वारा टी० एस०एस० इर्विन के संचालन से हुए घाटे को पूरा करने के लिये दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि होने से अगले वर्ष के बजट में और वृद्धि होगी।

प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत : कार्यसंचालन और अन्य व्यय को पूरा करने के बाद विभाग के राजस्व खाते की बकाया रकम को सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित कर दिया जाता है जिस के लिये व्यय अनुमानों में आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है। संशोधित अनुमानों की रकम उतनी है जितनी चालू बजट में व्यवस्था की गयी थी। अगले वर्ष के बजट में वृद्धि मख्यतः सामान्य वेतनवृद्धियों के देय हो जाने और मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि हो जाने से प्रतिष्ठान के लिये अधिक व्यवस्था करने, प्रकाश-स्तम्भों के रखरखाव और मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि में अधिक अंशदान के कारण होगी। यह वृद्धि, सामान्य प्रारक्षित निधि में कम अन्तरण किये जाने से अंशतः प्रतिसंतुलित हो जायगी क्योंकि प्रतिष्ठान पर अधिक व्यय, प्रकाश-स्तम्भों के कार्य चालन व्यय में वृद्धि हो जाने से अगले वर्ष निधि को अन्तरित करने के लिये कम अधिशेष रकम उपलब्ध हो सकेगी।

उड्डयन : हवाई जहाजों के संचालन की सुरक्षा के लिये, हवाई उड़ानों की रेडियो दिक्चालन साधनों की उड्डयन सम्बन्धी पड़ताल के जोर-दार और व्यापक कार्यक्रम के लिये अधिक रकम की व्यवस्था करने, अतिरिक्त उड़ान घंटों / लांचों के कारण फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों को अतिरिक्त राज सहायता देने, तात्कालिक मरम्मत कार्यों को पूरा करने और मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि हो जाने से संशोधित अनुमानों में वृद्धि हुई है।

अगले वर्ष और वृद्धि, फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक रकम की व्यवस्था करने और महंगाई भत्तों की दरों में की गयी वृद्धि के पूरे वर्ष में पड़ने वाली प्रभाव तथा सामान्य वृद्धियों के कारण हुई है।

सड़क और नदी परिवहन योजनाएं :—इस शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले खर्च का सम्बन्ध अण्डमान, और निकोबार तथा लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप समूह और चण्डीगढ़ से है। संशोधित अनुमान में वृद्धि, अण्डमान और निकोबार द्वीपों के लिए डीज़ल से चलने वाले अतिरिक्त बसें खरीदे जाने और महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि किये जाने के कारण हुई है। अगले बजट में और वृद्धि मुख्यतः अण्डमान और निकोबार द्वीपों में आयोजनागत योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने के कारण है।

समुद्रपारीय संचार सेवा :—संशोधित अनुमान में कमी मुख्यतः संयंत्रों और मशीनों के मूल्यह्रास सम्बन्धी खर्च की बकाया रकमों के समायोजन के कारण है। संचार सेवा की बढ़ी हुई गतिविधियों के लिए बजट में पहले की अपेक्षा अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है :

इस समूह शीर्षक में मुद्रा और सिक्का ढलाई सम्बन्धी कार्यों तथा करेंसी नोट प्रेस और सरकारी टकसालों के कार्यचालन पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की जाती है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
मुद्रा और सिक्का ढलाई	15,04	15,74	17,33
टकसाल	3,95	3,74	3,30
कोलार की सोने की खानें	5,46	5,51	5,81
	24,45	24,99	26,44

संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः अधिक उत्पादन शुल्कों की अदायगी और सिक्योरिटी पेपर मिल में होने वाले अन्य व्यय, तथा प्रेस में काम करने वाले गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को, चालू वर्ष में, समयोपरि भत्ते की बकाया रकमों की अदायगी और कई प्रकार के अप्रचलित सिक्कों के विशेषकर निकेल के खालिस रुपयों, अट्ठन्नियों और चवन्नियों के अधिक संख्या में चलन से वापस लिये जाने के कारण उनकी जांच करने के बाद उन्हें रद्द करने से होने वाली अधिक हानि के कारण है। सिक्कों के अंकित मूल्य, और लौटाये गये तथा पिघलाये गये ऐसे सिक्कों की धातु के मूल्य का अन्तर, जो दुबारा जारी किये जाने के काबिल न हों, इस शीर्षक के अन्तर्गत हानि के रूप में समायोजित किया जाता है। सामान खरीदने और करेंसी नोट प्रेस को एक रुपया के नोटों पर होने वाले खर्च की अदायगी करने के लिए बजट में पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्था की गयी है। बजट में में कुछ वृद्धि, सामान्य विस्तार कार्य और अप्रचलित सिक्कों को रद्द किये जाने से होने वाली हानि के कारण हैं।

टकसाल :—संशोधित अनुमान में कमी, मुख्यतः टकसालों में काम के घण्टों में कमी किये जाने के कारण पहले की अपेक्षा कम समयोपरि भत्ते की अदायगी करने, खाली पदों के न भरे जाने, चांदी साफ करने के कारखाने की इमारतों की वार्षिक मरम्मतों पर कम खर्च होने तथा बम्बई स्थित टकसाल की कार्यालय प्रशाखा के विस्तार के लिए की गयी व्यवस्था को पूंजी बजट में अन्तरित किये जाने के कारण है। किन्तु यह कमी, चांदी साफ करने के कारखाने के संबंध में, नगरपालिका को देय करों की बकाया रकमों की अदायगी करने और मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले अधिक व्यय से अंशत : प्रति-सन्तुलित हो जायगी। काम के घण्टों में की गयी कमी के कारण वर्ष भर में पड़ने वाले प्रभाव के परिणामस्वरूप बजट में और कमी हुई है।

कोलार की सोने की खानें :—कोलार की सोने की खानों को, जिसे पहली दिसम्बर 1962 से, मैसूर सरकार से अपने हाथ में ले लिया गया था, अब विभागीय प्रतिष्ठानों के रूप में चलाया जा रहा है। इस के अनुसार कोलार की सोने की खानों के संचालन व्यय के लिए इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यवस्था की जाती है। संशोधित अनुमान और बजट अनुमान में वृद्धि, मुख्यत : मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि किये जाने के कारण हुई है बिजली की खपत और मूल्य ह्रास सम्बन्धी खर्च के लिए पहले से अधिक व्यवस्था करने के कारण अगले वर्ष के अनुमान में कुछ वृद्धि हुई है।

विविध

इस समूह शीर्षक में विविध प्रकार की वे मदें आती हैं जिन्हें अन्य किसी समूह शीर्षक के अन्तर्गत समुचितरूप से नहीं रखा जा सकता। खातों के मुख्य शीर्षकों के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है। असैनिक विभागों के लेन-देन जो अन्य विवरणात्मक मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत नहीं आते, मुख्य शीर्षक "विविध" के अंतर्गत दिखाये जाते हैं।

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
अकाल सहायता	1	..	1
पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	6,47	7,04	7,66
प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें	19	21	19
निजी थैलियां	4,83	4,81	4,80
लेखन सामग्री और छपाई	5,25	4,88	4,21
अफीम	3,35	3,34	4,59
वन	3,84	3,92	4,16
विविध	158,43	179,83	201,07
जोड़	182,37	203,58	226,69

पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ—पेंशनों, उपदानों और विभिन्न अंशदायी निधियों में अंशदानों की अदायगियों की वास्तविक रकमों की हाल की प्रवृत्तियों के आधार पर सामान्य रूप से व्यवस्था की गयी है। अधिवार्षिकी देय रकमों, उपदानों, और परिवार पेंशनों के सम्बन्ध में पूर्वानुमान से अधिक अदायगियां किये जाये के कारण संशोधित अनुमानों में वृद्धि हुई है। सेवा निवृत्तियों और मूल वेतन में मंहगाई भत्ते का भाग मिला दिये जाने से पेंशन बिलों में सामान्य वृद्धि होने के कारण अगले वर्ष और वृद्धि हुई है।

निजी थैलियां— इस शीर्षक के अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों को निजी थैलियां और उनके सम्बन्धियों को भत्ते दिये जाने की व्यवस्था की जाती है।

लेखन सामग्री और छपाई—संशोधित अनुमानों में कमी सामग्री की खपत में कमी और उपकरणों तथा मशीनों की प्राप्ति में देरी होने के कारण हुई है। लोक लेखा समिति की 34वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में उल्लिखित उस समिति की सिफारिशों के अनुसार अदायगी न करने वाले वर्तमान विभागों को, छपाई और प्रकाशनों पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने के एक उपाय के रूप में, अगले वर्ष से अदायगी करने वाले विभाग घोषित किया गया है। अगले वर्ष के अनुमानों में, मांग करने वाले विभिन्न विभागों की ओर से किये जाने वाले काम के लिये की जाने वाली वसूलियां पहले से अधिक मान ली गयी हैं। किन्तु, इस कारण होने वाली बचत सामान और उपकरणों की प्राप्ति के लिये पहले से अधिक व्यवस्था किये जाने के कारण अंशतः प्रति संतुलित हो जायगी।

अफीम—पोस्त की बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिये अगले वर्ष पोस्त की खेती अधिक क्षेत्रफल में किये जाने की आशा है। तदनुसार, बजट में किसानों को अदायगी किये जाने के लिये पहले से अधिक व्यवस्था करने के कारण बजट में वृद्धि हुई है।

वन:–अगले वर्ष भू-संरक्षण कार्य के लिये दामोदर घाटी निगम को अनुदान देने के लिये अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। अगले वर्ष कुछ वृद्धि उपकरणों की खरीद के लिये पहले से अधिक व्यवस्था किये जाने के कारण हुई है।

विविध: स्थूल ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
1. अन्य देशों को सहायता	19,22	20,90	25,33
(क) नेपाल	12,00	11,18	14,50
(ख) सिक्कम	2,06	3,07	2,48
(ग) भूटान	3,81	5,71	6,75
(घ) अन्य तकनीकी और आर्थिक सहायता	1,35	94	1,60
2. संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम में अंशदान	2,65	2,33	2,68
3. बाजार का विकास	40,00	34,00	44,00
4. अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को तकनीकी सहायता के स्थानीय खर्च की अदायगी	8,00	8,00	7,60
5. फोर्ड और राकफेलर फाउन्डेशन के गैर-भारतीय कर्मचारियों को दिये गये वेतन पर आयकर की अदायगी	3,60	3,78	3,44
6. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से डालरों की खरीद के सम्बन्ध में सेवा व्यय और अन्य व्यय	11,33	11,60	11,50
7. विस्थापित व्यक्तियों को सहायता और पुनर्वास	14,11	19,17	18,90
(क) सहायता और पुनर्वास पर व्यय	361	4,16	3,02
(ख) निष्क्रान्त सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम का अन्तरण	2,45	2,93	1,95
(ग) ऋणों को बट्टे खाते डालना	4,00	8,00	10,00
(घ) विस्थापित व्यक्तियों पर पूंजी परिव्यय की वापसी	405	4,08	3,93
8. अनाज के व्यापार से हुई हानि जो राजस्व से पूरी की गयी	19,79	19,71	20,19
9. खाद्य निगम को राजसहायता	..	20,00	20,00
10. कोयला बोर्ड को राजसहायता	9,00	9,30	10,00
11. रेल एवं समुद्री रास्ते से ढ़ोये गये कोयले के सम्बन्ध में राजसहायता	2,50	1,90	2,50
12. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2,22	2,20	2,51
13. रेल सुरक्षा कार्यनिधि को अन्तरण	1,72	1,64	1,88
14. निधि में जोखिम बीमे की किस्तों का अंतरण	..	..	3,37
15. अन्य मदें	24,29	24,83	27,17
जोड़	1,58,43	1,79,38	2,01,07

मद 1. संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्य रूप से, भूटान और सिक्किम को बाढ़ सहायता और अन्य प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के कारण हुई है, जो नेपाल द्वारा सहायक अनुदानों के उपयोग की धीमी गति होने से उसे पहले कम सहायक अनुदान दिये जाने के कारण अंशतः प्रति संतुलित हो गई है । बजट में, नेपाल और भूटान को दी जाने वाली सहायता की विभिन्न योजनाओं की गति में वृद्धि और भारत तथा अन्य विकासशील देशों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए व्यवस्था में भी वृद्धि की कल्पना की गयी है ।

मद 2. संयुक्त राष्ट्र की पूंजीगत विकास निधि में दिये जाने वाले अंशदान की व्यवस्था न होने के कारण संशोधित अनुमानों में बचत हुई है । निधि में अंशदान देने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है ।

मद. 3. बाजार विकास निधि 1963 में स्थापित की गयी थी ताकि निर्यात प्रोत्साहन और बाजार विकास योजनाओं के लिए दिए जाने वाले अनुदानों पर होने वाले व्यय के लिए वित्तपोषण किया जा सके । चालू बजट में निधि में अंतरण के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जबकि संशोधित अनुमानों में 34 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । निर्यातकों के, नकद सहायता आदि की अदायगी के दावों के निपटारे की प्राप्ति में धीमी गति होने के कारण बचत हुई है । बजट में चालू वर्ष के बकाया दावों का भी ध्यान रखा गया है ।

मद 4. अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को भारत-अमेरिका तकनीकी सहायता कार्य क्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में रुपयों में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए की जाने वाली अदायगियों की व्यवस्था की गयी है । ये अदायगियां अमेरिका से पी० एल० 480 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदानों से की जाती हैं ।

मद 5. फोर्ड और राकफेलर निधियों के गैर भारतीय कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों के अधीन, कर मुक्त वेतनों की अदायगी के हकदार हैं । तदनुसार, उनके द्वारा देय कर नामेंडाल कर "आय-कर" शीर्षक में जमा किया जाता है । इस खाते से की जाने वाली अदायगियों का अनुमान इस वर्ष 3.78 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 3. 44 करोड़ रुपये है ।

मद 6. इस शीर्षक के अंतर्गत, निधि से खरीद किये जाने वाले डालरों के लिए अंतरीष्ट्रीय मुद्रा निधि को देय सेवा तथा प्रतिधारण व्यय (रिटेंशन चार्ज) की व्यवस्था की जाती है । निधि के नियमों के अनुसार खरीद के समय 1/2 प्रतिशत सेवा व्यय देय है । इसके अतिरिक्त, किसी सदस्य देश के अंश से अधिक, निधि के पास रखी, मुद्रा पर भी प्रतिधारण व्यय प्रति तिमाही देय है । संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्य रूप से बकाया निकासियों की रकम पूर्वानुमान से अधिक अवधि तक रखने के कारण हुई है । अगले वर्ष इस खाते में 11.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान है ।

मद 7(क)—संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्य रूप से मोझाम्बिक से वापस आये भारतीयों को अनुग्रह-अनुदानों की अदायगी और शिविरवासियों को अन्न देने में होने वाली हानियों के समायोजन के कारण हुई है । केन्द्रीय सहायता शिविरों और राष्ट्रीय विकास दलों के लिए पहले से अधिक व्यवस्था किये जाने के कारण बजट में बचत हुई है ।

मद 7(ख)—निष्क्रांत सम्पत्ति का क्रय मूल्य इस शीर्षक में नामें डालकर पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है । पिछले वर्ष की बकाया रकमों के समायोजन के कारण संशोधित अनुमानों में अंतरण के लिये अधिक व्यवस्था की गयी है । बजट में बकाया रकमों के समायोजन के लिये व्यवस्था न किये जाने के कारण बचत हुई है ।

मद 7(ग)—पूर्वी पाकिस्तान से आये पुराने प्रत्येक प्रवासी को दिये गये कुछ वर्गों के 10,000 रुपये तक के ऋणों में छूट दी जाती है यदि उससे ज्यादा रकम बकाया हो । 2,000 रुपये से अधिक रकम की भी छूट दी जाती है । जिन ऋणों में छूट दी जाने की आशा है, उनके अनुमान की रकम लगभग 50 करोड़ रुपया है । प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण छूट का काम बढ़ गया है, इस कारण आशा की जाती है कि चालू वर्ष में 8 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 10 करोड़ रुपये के ऋणों में छूट दी जायगी जब कि चालू बजट में 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

मद 7(घ)—विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी के सम्बन्ध में निष्क्रांत सम्पत्ति के विक्रय मूल्य के समायोजन के पश्चात् वास्तविक पूंजीगत व्यय राजस्व में 15 वर्षों की अवधि में वापस डाला जायगा । वापस डाली जाने वाली रकम का अनुमान अब इस वर्ष 4.08 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 393 करोड़ रुपये है ।

मद 8.—1954 में नियंत्रण (कन्ट्रोल) हटाने के समय राज्य सरकारों से लिये गये चावल के और 1954 में बर्मा के साथ हुए वित्तीय करार के अंतर्गत आयात किये गये चावल के स्टाक पर कुल 35 करोड़ रुपये की हानि राजस्व में 15 वर्षों की अवधि में वापस डाली जाती है । इसके अतिरिक्त, हर साल खरीदे जाने वाले और आयात किये जाने वाले अनाज की हानि 10 वर्ष की अवधि में राजस्व में बट्टे खाते डाली जाती है । साथ ही, 1951 में अमेरिका से आयात किये गये गेहूं पर होने वाली हानि 30 वर्षों की अवधि में राजस्व में वापस डाली जाती है । बट्टे खाते डाली जाने वाली रकम की कुल व्यवस्था का अनुमान अब चालू वर्ष में 19. 71 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 20. 19 करोड़ रुपये है जब कि मूल अनुमान 19.79 करोड़ रुपये था ।

मद 9—दोनों संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमानों में देसी गेहूं की व्यवस्था करने के लिये खाद्य निगम की प्रति पूर्ति करने के लिये बीस बीस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह राज सहायता देसी गेहूं के आर्थिक मूल्य और सरकार द्वारा निश्चित किये गये बिक्री मूल्य के अन्तर की द्योतक है।

मद 10—कोयला और कोक पर लगाये गये विशेष उपकर से प्राप्त होने वाली वास्तविक रकम का एक भाग, कोयला बोर्ड के व्यय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर, कोयले के संरक्षण की और कोयला खानों में सुरक्षा की योजना पर खर्च करने के लिये कोयला बोर्ड को अंतरित कर दिया जाता है। संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में पहले से अधिक व्यवस्था की गयी है ताकि कोलियरियों में कोयला रखने और खनन की प्रतिकूल परिस्थितियों में बोर्ड को दी जाने वाली राजसहायता के सम्बन्ध में होने वाला व्यय पूरा किया जा सके।

मद 11—समुद्र के रास्ते से और रेल से ढोये गये कोयले के मूल्य बराबर रखने के उद्देश्य से 1962–63 में दक्षिणी राज्यों को तट के साथ–साथ जहाज़ों द्वारा (कोस्टलशिपिंग) कोयले की ढुलाई करने के लिए राज सहायता देना मंजूर किया गया था। राजसहायता के लिए, कोयले और कोक पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाकर की गयी व्यवस्था इस वर्ष 1.00 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 2.5 करोड़ रुपये है, जिसका आधार इस योजना के अंतर्गत ढोये गये कोयले की मात्रा है।

मद 12—बजट में, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अधिक परिवार और बाल कल्याण केन्द्र खोले जाने के लिए उसे पहले से अधिक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मद 13—इस शीर्षक के अंतर्गत रेल सुरक्षा कार्य निधि में उस अंशदान को अंतरित करने के लिए व्यवस्था की जाती है, जो इस संबंध में रेलों से प्राप्त होता है। स्वीकृत सुरक्षात्मक कार्यों के लिए राज्य सरकार को की गयी वास्तविक अदायगियाँ शीर्षक "राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान" में नामें डाली जाती हैं और साथ ही साथ निधि से वसूल दिखायी जाती है।

मद 14—अगले बजट में, संकट कालीन ज़ोखिम (माल) बीमा, संकट कालीन ज़ोखिम (फैक्टरी) बीमा, युद्ध ज़ोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा और व्यक्तिगत क्षति (क्षति पूर्ति बीमा) योजना के अंतर्गत वसूल किये गये प्रीमियमों का सम्बद्ध निधि में अंतरण किये जाने के लिए के लिए व्यवस्था की गयी है। उपर्युक्त योजना संबंधी व्यय का वर्गीकरण अभी तक "राष्ट्रीय संकट से संबन्धित व्यय" नामक शीर्षक के अंतर्गत किया जाता था। अगले वर्ष से इस व्यय को इस शीर्षक में दिखाये जाने का निर्णय किया गया है।

मद 15—अन्य मदों में वह व्यय आता है जो संघीय राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से सहायता कार्यों, संचार संबंधी उड़ानों और उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी क्षेत्र में हवाई जहाज से सामान गिराने, अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान, विनिमय से हानि और अन्य सहायक अनुदान तथा अदायगियों पर होता है। नागर सुरक्षा उपायों संबंधी व्यवस्था अभी तक "राष्ट्रीय संकट से संबंधित व्यय" नामक शीर्षक के अंतर्गत किया जाता था किन्तु अगले वर्ष से इस व्यय का वर्गीकरण इस शीर्षक के अंतर्गत किया जायगा। अगले वर्ष वृद्धि होने का यही कारण है।

रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय

ब्यौरा रक्षा बजट में दिया गया है। इस वर्ष के बजट में कुल व्यय के लिए 130,90 करोड़ रुपये और पूंजी खाते में वसूलियों के लिए 10.10 करोड़ रुपये की रकमें दिखायी गयी थीं। संशोधित अनुमान में अब 118.32 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के बजट में 130.90 करोड़ रुपये के कुल खर्च के लिए व्यवस्था की गयी है। पूंजीखाते में इस वर्ष 5.00 करोड़ रुपये की वसूली होगी और अगले वर्ष 10.10 करोड़ रुपये की।

अंशदान और विविध समायोजन

इस भाग में शामिल व्यवस्था का मुख्य शीर्षकों के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से राज्यों के हिस्से की अदायगी . .	2,67,53	2,90,93	3,02,40
राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान .	4,78,28	5,36,66	5,96,18
केन्द्रीय और राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों के बीच विविध समायोजन	28	28	39
अन्य विविध अंशदान और समर्पण	6,28	8,75	8,34
	7,52,37	8,36,62	9,07,31

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में राज्यों का हिस्सा : राज्यों में बुनियादी उत्पादन शुल्कों का वितरण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार, जो चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया है, किया जाता है । इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत लगाये गये और वसूल किये गये सभी उत्पादन शुल्कों तथा खनिज पदार्थ (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत लगाये गये और वसूल किये गये शुल्कों से प्राप्त वास्तविक रकमों का 20 प्रतिशत राज्यों में बांटा जाता है । अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों को, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन अधिनियम 1965 के अनुसार ,राज्यों में बांटा जाता है ।

संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यत: वित्त अधिनियम, 1968 के प्रभाव के कारण विभाज्य उत्पादन शुल्कों के संग्रह में अनुमान से अधिक रकम प्राप्त होने और संग्रह के ढंग में सुधार होने के कारण ही है । लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर 1962–63 से 1966–67 के वर्षों की बकाया रकम की अदायगी के कारण भी अंशत: वृद्धि हुई है जो 1967–68 में की गयी अधिक अदागियों की वसूली से अंशत: प्रतिसन्तुलित हो जायगी ।

पांचवें वित्त आयोग ने, अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि 1969–70 के वर्ष के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों और कपड़े, तम्बाकू और चीनी पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की शुद्ध प्राप्ति में से, अस्थायी आधार पर, राज्यों के हिस्सों के रूप में उन्हें दी जाने वाली रकमें उसी प्रकार निर्धारित की जांय जिस प्रकार वे इस समय निर्धारित की जाती हैं परन्तु आयोग द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जाएंगी उन के आधार पर इस में फेर-बदल किया जा सकेगा ।

अनुमान है अगले वर्ष संग्रह में वृद्धि होगी जिससे राज्य सरकारों को, उत्पादन शुल्क में उन के हिस्से के रुप में अधिक रकमें दी जायेंगी ।

राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(क) राज्य सरकारों को सहायक अनुदान			
I. आयोजना से भिन्न निश्चित अनुदान . . .	1,57,17	1,57,17	1,93,46
II. आयोजना से भिन्न अन्य अनुदान . . .	43,21	82,25	49,75
III. राज्य आयोजना . . .	1,09,55	1,29,96	1,83,00
IV. केन्द्रीय आयोजना . . .	6,72	5,90	6,12
V. केन्द्र द्वारा समर्थित आयोजना . . .	81,96	79,33	77,01
	3,98,61	4,54,61	5,09,34

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(ख) संघीय राज्य क्षेत्रों को अनुदान			
I. आयोजना से भिन्न प्रयोजन . . .	38,66	40,81	42,77
II. संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजना सम्बन्धी योजना . .	10,99	11,49	11,05
III. केन्द्र द्वारा समर्थित आयोजना सम्बन्धी योजना . .	3,10	2,78	2,84
	52,75	55,08	56,66
ग. प्रारम्भ में पूंजी खाते से ली जाने वाली अनुदानें जिन्हें बाद में राजस्व में अन्तरित कर दिया जाता है।	26,92	26,97	30,18
जोड़—	4,78,28	5,36,66	5,96,18

किये गये फेर बदल नीचे दिखाये गये हैं:—

क I—ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के मूल उपबन्ध के अन्तर्गत अनुदानें . . .	1,40,61	1,40,61	1,76,81
(ख) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे उपबन्ध की धारा (क) के अन्तर्गत असम को अनुदानें . . .	40	40	40
(ग) रेल किराया कर के बदले अनुदान . . .	16,16	16,16	16,25
	1,57,17	1,57,17	1,93,46

क।(क) : संविधान के अनुच्छेद 275(1) के मूल उपबन्ध के अधीन राज्यों को दिये जाने वाले उन अनुदानों के लिये यहां व्यवस्था की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार स्थापित चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आती हैं। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू बजट में 140.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। पांचवें वित्त आयोग ने, 31 अक्टूबर 1968 की अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में, 1969–70 में राज्यों को, अस्थायी आधार पर 176.81 करोड़ रुपये की रकम देने की सिफारिश की है। सरकार ने सिफारिश को मान लिया है और तदनुसार व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रत्येक राज्य को दिये जाने वाले अनुदान की रकम नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान	
	1968–69	1969–70
आंध्र प्रदेश	13,51	16,81
असम	16,52	19,90
बिहार	..	3,42
जम्मू और काश्मीर	6,57	12,02
केरल	20,82	20,82
मध्य प्रदेश	2,70	9,36
मैसूर	20,82	20,82
नागालैंड	7,07	10,88
उड़ीसा	29,18	29,18
राजस्थान	6,73	9,67
तमिल नाडू	6,84	6,84
उत्तर प्रदेश	9,85	9,85
पश्चिम बंगाल	..	7,24
	1,40,61	1,76,81

क 1(ख) : यह व्यवस्था सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासन पर हुए व्यय के परिणामस्वरूप राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे उपबन्ध के अधीन असम सरकार को की जाने वाली 40 लाख रुपए की निश्चित रकम की द्योतक हैं।

क 1(ग) : रेलवे अभिसमय (कन्वेंशन) समिति, 1965 की सिफारिशों के अनुसार 16.25 करोड़ रुपये की रकम जो 31 मार्च, 1964 तक लगी पूंजी के एक प्रतिशत लाभांश में से रेलों द्वारा दी जाती है, रेल किराया कर के बदले अनुदानों के रूप में, राज्यों को दी जाती है। भूतपूर्व पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर दिये जाने तथा चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के संघीय राज्य क्षेत्र को कुछ इलाके अन्तर्गत कर दिये जाने से, उस राज्य के सम्बन्ध में दिये जाने वाले हिस्से का एक भाग केन्द्रीय सरकार अपने पास रख लेती है चालू वर्ष में, राज्यों को 16.16 करोड़ रुपये की रकम दी जायगी। रकमों के वितरण के बारे में पांचवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत अनुपात के अनुसार अगले वर्ष से राज्यों को 16.25 करोड़ रुपये की रकम दी जायगी। इसके अनुसार राज्यों को दिये जाने के लिए 1969–70 के अनुमान में 16.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। दोनों वर्षों में अर्थात् चालू वर्ष और अगले वर्ष में, अनुदान में से प्रत्येक राज्य को देय उनके हिस्से की रकमों को इस अनुभाग की प्राप्तियों के अन्तर्गत "रेलों से अंशदान" नामक शीर्षक में दिखाया गया हैं।

क II :—संशोधित अनुमान में वृद्धि अधिकतर राज्यों को बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए दिये जाने वाले अनुदानों के कारण है। चौथे वित्त आयोग ने, अपने पूर्ववर्ती आयोग की सिफारिशों का अनुसरण न करके यह सिफारिश की, कि राज्यों द्वारा लिये गये बाजार ऋणों का परिशोधन, उनकी राजस्व सम्बन्धी देनदारियों के रूप में होना चाहिये इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली सहायता की जरूरतों का अन्दाजा लगाते समय आयोग ने, उपर्युक्त आवश्यकताओं के लिए भी, गुंजाइश रखी, लेकिन यह सुविधा राज्य सरकारों द्वारा अपनायी जाने वाली वास्तविक प्रणाली के आधार पर अलग अलग दरों के अनुसार दी जायगी। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ राज्यों के लिए मामूली दरों के हिसाब से और दूसरे राज्यों के लिए पर्याप्त दरों के हिसाब से व्यवस्था की गयी। इसलिए आयोग ने यह भी सिफारिश की, कि जिन राज्यों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गयी उन राज्यों को अपने व्यय के अनुमानों में संशोधन करने का अवसर दिया जाय। इस आधार पर यह निर्णय किया गया है कि छः राज्यों को अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान और तमिलनाडू को, 1966–67 से 1968–69 तक के तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में 16.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सहायक अनुदान दिया जाय। इसके बाद की अवधि पांचवें वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। किन्तु सहायक अनुदान नकद नहीं दिये जायेंगे और वे राज्यों को दिये गये या दिये जाने वाले ऋणों में समायोजित किये जायेंगे 50.10 करोड़ रुपये की कुल रकम में

से 33.40 करोड़ रुपये की रकम गैर-प्रायोजना सम्बन्धी अनुदानों के रूप में और बाकी राज्यों के आयोजना सम्बन्धी अनुदानों के रूप मे समायोजित की जायगी ।

संशोधित अनुमान में कुछ वृद्धि, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नहर प्रयोजना के सम्बन्ध में लिये गये ऋणों की ब्याज सम्बन्धी देनदारियों को पूरा करने के लिए उक्त सरकार को अनुदान देने की व्यवस्था करने और चावल की ढुलाई तथा उठाने धरने के सम्बन्ध में, जम्मू और कश्मीर राज्य को सहायता देने के अतिरिक्त राज्यों को, उनकी पुलिस के लिए पहले की अपेक्षा अधिक सहायता देने के कारण है । नागालैण्ड को भी पहले से अधिक सहायता देने के लिए व्यवस्था की गयी है । किन्तु उमीद है कि इन वृद्धियों में से 4.65 करोड़ रुपये तक की रकम, गैर-प्रायोजना अनुदानों के अन्तर्गत होने वाली रकमों से प्रतिसन्तुलिन हो जायगी । अगले वर्ष के बजट में जो कमी हुई है, वह राज्यों के बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए, तथा राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैण्ड को दी जाने वाली विशेष किस्म की सहायता के लिए, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, व्यवस्था न किये जाने तथा पिछले वर्षों में कश्मीर को दी गयी सहायता को खाते में वापस डालने के लिए व्यवस्था न किये जाने के कारण है । किन्तु ये बचतें, दैवी विपत्तियों, गैर-आयोजना सम्बन्धी शिक्षा योजनाओं आदि के लिए पहले की अपेक्षा अधिक रकमों की व्यवस्था किये जाने के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलिग हो जायंगी ।

कIII––जैसा ऊपर बताया गया है, संशोधित अनुमान में, राज्यों को, उनके बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए अनुदान देने के लिए 16.70 करोड़ रुपये की रकम शामिल की गयी है । संशोधित अनुमान में कुछ वृद्धि, देहातों की सड़कों के लिए सहायता दिये जाने के कारण है । अगले वर्ष के बजट में पहले की अपेक्षा जो अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है वह राज्यों को, उनकी आयोजनागत योजनाओं के लिए दी जाने वाली अधिक सहायता की द्योतक है । यह निर्णय किया गया है कि राज्यों को, उनकी आयोजनागत योजनाओं के लिए, अगले वर्ष से, आयोजना के लिए दी जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता के 30 प्रतिशत के हिसाब से अनुदान दिया जाय, जब कि इस समय औसतन 20 से 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है । इस कारण भी अगले वर्ष के अनुमान में कुछ वृद्धि हुई है।

कIV : राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और पाकिस्तान तथा श्रीलंका से आये विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास के लिए अनुदानों के लिए कम व्यवस्था किये जाने के कारण संशोधित अनुमान में बचत हुई है । लेकिन अगले वर्ष के बजट में विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के सम्बन्ध में राज्यों के लिए अधिक सहायता की व्यवस्था की गयी है । रेगिस्तान विकास की प्रारम्भिक प्रायोजना, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों और दिल्ली दुग्ध योजना के दूध प्राप्त करने के क्षेत्रों में पशुओं के सुधार से सम्बन्धित योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है । ये वृद्धियाँ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए कम व्यवस्था किये जाने के कारण आंशिक रूप से कम हो जायेंगी ।

क-V :––संशोधित अनुमान में कमी मुख्यतः अधिक उपज देने वाले कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और शिक्षा देने और सुधरे हुए कृषि उपकरणों के प्रदर्शन के प्रारम्भिक प्रायोजना आयाकाट विकास कार्यक्रम आदि जैसी कृषि उत्पादन की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कम व्यवस्था करने के कारण और किराये पर लेने की योजना के लिये व्यवस्था न करने के कारण हुई है शिक्षा, वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कारण भी संशोधित अनुमान में आँशिक रूप से बचत हुई है। लेकिन संशोधित अनुमान में पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए अनुदान देने के लिए अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है । परिवार नियोजन के लिए अनुदानों के लिए अगले वर्ष के बजट में अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। अगले वर्ष के बजट अनुमान में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों, मलेरिया उन्मूलन, चेचक उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों जैसे लोक-स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए राज्यों की आयोजनाओं के लिये की जाने वाली व्यवस्था का केन्द्र द्वारा समर्थित आयोजना गत योजनाओं की व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के कारण भी वृद्धि हुई है । लेकिन कृषि उत्पादन, वन विकास, सहकारिता, पिछड़े वर्गों का कल्याण और कारीगरों का प्रशिक्षण, जनशक्ति और उपकरणों आदि की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कम रकम की व्यवस्था किये जाने के कारण उक्त वृद्धि प्रति संतुलित हो जायगी ।

ख––संघीय राज्य क्षेत्रों को अनुदान : बिधानमण्डल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों को उनके गैर-आयोजना राजस्व सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें अधिक अनुदान देने के कारण संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान में वृद्धि हुई है ।

ग––राजस्व में अन्तरण : इस मद में स्वीकृत विकास प्रयोजनों के लिए राज्यों को दिये जाने वाले पूंजीगत अनुदानों के अन्तरण के लिए व्यवस्था की जाती है । शुरू में ये अनुदान पूंजी खाते में से दिये जाते हैं और बाद में ये अनुदान, उस वर्ष से शुरू कर के जिस में ये दिये जाते हैं, 15 वर्षों की अवधि में राजस्व खाते में वापस डाल दिये जाते हैं । ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन अनुदानों की रकम बहुत अधिक होती है । 1969–70 के अनुदानों में वृद्धि का कारण राज्य सरकारों को दिये जाने वाले पूंजीगत अनुदानों में क्रमिक बृद्धि होना है ।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन: इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को, केन्द्रीय सरकार की ओर से पेट्रोलियम, विस्फोटक पदार्थ तथा शस्त्र आदि अधिनियमों का प्रशासन करने के सम्बन्ध में अदायगी करने के लिए व्यवस्था की जाती है।

अन्य विविध अंशदान और समर्पण : दिल्ली नगर निगम तथा दूसरे स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले सीमा कर, मनोरंजन तथा अन्य करों की वास्तविक प्राप्तियों की रकम की अदायगी के लिए, इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यवस्था की जाती है। मनोरंजन कर की दरों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कर से प्राप्त अधिक रकम के कारण संशोधित अनुमान में निकायों को अधिक अदायगी की जायगी।

असाधारण मदें

इस विभाग में साधारण मदों से भिन्न असाधारण मदों का खर्च दिखाया जाता है।

खातों में शीर्षको के अनुसार ब्योरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
असाधारण व्यय	5,06	5,06	5,81
विभाजन-पूर्व की अदायगियां	10	7	8
राष्ट्रीय संकट की स्थिति से सम्बन्धित व्यय	6,31	6,19	..
जोड़	11,47	11,32	5,89

असाधारण व्यय : ये अनुमान सिन्धु नदी जल सन्धि के अन्तर्गत की जाने वाली अदायगियों की रकमों के हैं जो पहले पूंजीखाते में नामे डाली जाती हैं और जिन्हें बाद में राजस्व खाते में वापस डाल दिया जाता है। चालू वर्ष में अदा की गयी रकमों के राजस्व खाते में वापस डाले जाने के कारण अगले वर्ष वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति से सम्बन्धित व्यय : इस शीर्षक के अन्तर्गत मुख्यत: हाल की संकट कालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा और अन्य उपायों पर हुए खर्च को दिखाया जाता है। संकटकालीन जोखिम (वस्तुएं) बीमा, संकटकालीन जोखिम (कारखाना) बीमा, युद्ध जोखिम (मेरीन हल्स) पुनर्बीमा तथा शारीरिक क्षति (मुआवजा बीमा) योजनाओं के अन्तर्गत वसूल किये गये प्रीमियमों को सम्बन्धित निधियों में अन्तरित करने के लिए भी इसी शीर्षक में व्यवस्था की जाती है।

संकटकालीन स्थिति को समाप्त कर दिये जाने से, संकटकालीन जोखिम (वस्तुओं, कारखानों), बीमा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनायी गयी योजनाएं भी समाप्त कर दी गयी हैं। फिर भी सामान्य उपबन्ध अधिनियम 1897, की धारा 6 के साथ पठित उन अधिनियमों की धारा 1 (3) की शर्तों के अनुसार, प्रीमियम की, किसी बकाया रकम की अदायगी का, जो चूक से न दी जा सकी हो, दायित्व बना रहेगा और इसी प्रकार अदायगी न करने वालों के खिलाफ केन्द्रीय सरकार का दण्डात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी बना रहेगा। इसी तरह शत्रु की आक्रामक कार्रवाई के कारण उत्पन्न, दावों के सम्बन्ध में जिनकी अदायगी करनी बकाया है, सरकार का दायित्व भी बना रहेगा।

युद्ध जोखिम बीमा व समुद्री जहाज की सितम्बर, 1965 में शुरू की गयी योजना, जहाज के मालिकों के जोखिमों को पूरा करने के लिए बनायी गयी ऐच्छिक योजना है और संकटकालीन स्थिति के समाप्त कर दिये जाने के बाद भी जारी रही है। इस योजना के अनुसार प्रीमियम की दर पहली अक्टूबर, 1967 से 0.15 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत बढ़ा दी गयी थी और वही दर अभी तक जारी है। संशोधित अनुमान में बचत मुख्यत: "वस्तुएं" योजना के अन्तर्गत कम मुआवजे की अदायगी के कारण हुई है जो "कारखाना" योजना के अन्तर्गत की गयी अधिक अदायगियों से अंशत: प्रतिसन्तुलित हो गयीं।

अब यह फैसला किया गया है कि जिन मदों का वर्गीकरण अब तक इस शीर्षक के अन्तर्गत किया जाता था, पहली अप्रैल, 1969 से "विविध" शीर्षक के अन्तर्गत खातों में दिखाया जा सकता है। इस कारण अगले वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

रक्षा सेवाएं

ब्योरा नीचे दिया गया है। रक्षा सेवाओं के अनुमानों के ज्ञापन में, घट-बढ़ के बारे में व्याख्या की गयी है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
स्थल सेना	6,65,62	6,99,48	7,15,11
नौ-सेना	37,27	39,82	45,60
वायु-सेना	1,64,33	1,75,73	1,93,79
निष्क्रिय प्रभार	27,24	28,60	31,28
जोड़	8,94,46	9,43,63	9,85,78

विभाग 2

पूंजी खाते की प्राप्तियां और भुगतान

विभाग 2

परिचायक टिप्पणियां

इस विभाग में केन्द्रीय सरकार के पूंजी खाते की प्राप्तियों और भुगतानों की व्याख्या की जाती है। पूंजी खाते के भुगतान से या तो वास्तविक और वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है या आवर्तक दायित्वों में कमी होती है। इसी प्रकार, पूंजी खाते की प्राप्तियों से या तो दायित्व उत्पन्न होते हैं या वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी होती है। पूंजी खाते के भुगतानों में खर्च की ऐसी मदें भी शामिल होती हैं जैसे राज्यों को दिये जाने वाले पूंजीगत अनुदान, खाद्य सम्बन्धी हानि आदि। इन मदों का खर्च पहले पूंजी खाते में नामे डाल दिया जाता है और बाद के वर्षों में राजस्व खाते में वापस डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, पूंजी खाते की प्राप्तियों में इस प्रकार की मदें जैसे, ऋण, में कमी करने या उस से बचने के लिए की जाने वाली व्यवस्था, शामिल होती है, जिसे राजस्व बजट में नामे डाल कर पूंजी खाते में अन्तरित कर दिया जाता है।

पूंजी खाते के भुगतानों में, मुख्य रूप से, केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जाने वाली पूंजीगत योजनाएं और राज्य सरकारों तथा अन्य पार्टियों को दी जाने वाली ऋण सम्बन्धी सहायता और पूंजी अनुदान शामिल होते हैं। इस प्रकार इनसे, आयोजना के सभी पूंजीगत कार्यों का पता चलता है, चाहे वे केन्द्र द्वारा शुरू किये गये हों या केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋणों और पूंजीगत अनुदानों के रूप में दी जाने वाली सहायता से शुरू किये गये हों। पूंजी खाते की प्राप्तियों में इस प्रकार की मदें शामिल होती हैं, जैसे विदेशों से लिये जाने वाले ऋण, बाजार ऋण, राजकोष हुंडियों की बिक्री, छोटी बचतें, वार्षिकी जमा, राज्यों की भविष्य निधियां, पी० एल० 480 और आयकर अधिनियम के अधीन विविध जमा रकमें, रेलवे और डाक तार जैसे विभागों की मूल्यह्रास और प्रारक्षित निधियां और सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित की जाने वाली तदर्थ निधियां। इस छोटी सी टिप्पणी में विभिन्न प्रकार की इन जमा रकमों और अग्रिमों के क्षेत्र और स्वरूप का पूरा ब्यौरा देना कठिन है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के विवरण 'II' में इन का पूरा ब्यौरा दिया गया है।

संक्षेप में, पूंजी खाते से सरकार की पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताएं प्रकट होती हैं और यह पता चलता है कि उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार वित्त-व्यवस्था की जाती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के मुख्य साधनों में राजस्व-अधिशेष पहला साधन है। दूसरे, बाजार ऋण नियमित रूप से जारी किये जाते हैं। तीसरे, सरकार को छोटी बचतों, वार्षिकी जमा रकमों और राज्य भविष्य निधियों तथा विविध जमा रकमों और अग्रिमों से धन प्राप्त होता है। अन्ततः विदेशों से ऋण लिये जाते हैं। इन स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों में पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए जितनी कमी रह जाती है, उसे राजकोष हुंडियां जारी करके और रोकड़ बाकी से रुपया निकाल कर पूरा किया जाता है।

अगले पृष्ठों पर दिये गये विवरण में पूंजीगत लेन-देनों का सारांश दिया गया है।

विवरण

पूंजी विषयक लेन-देनों

1968–69 के बजट में कुल मिला कर 289.27 लाख रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया था। अब अनुमान है कि चालू नहीं हैं)। करों के मौजूदा स्तरों और पूंजी खाते की प्रत्याशित प्राप्तियों और भुगतानों के आधार पर अगले वर्ष के बजट में के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के विवरण II में दिखाये गये हैं। नीचे दिये गये विवरण में स्थूल श्रेणियां अनुमाननित व्यय किस प्रकार अनुदानों की विभिन्न मांगों और विनियोगों में बांटा गया है।

प्राप्तियां

	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)	
भारत में लिया जाने वाला ऋण . .	427,04	3,00,70	3,96,21	5,00,25
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण (पी० एल० 480 से भिन्न ऋण)	538,93	8,44,00	6,88,54	7,90,00
पी० एल० 480 सहायता . . .				
(1) रुपया ऋण . .	250,00	1,75,00	1,80,00	60,00
(2) रुपयों की जमा रकमें . .	93,56	25,00	−59,55	40,11
अस्थायी ऋण (राजकोष हुंडियों से भिन्न) (शुद्ध) (मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को दी गयी प्रतिभूतियां) . .	53	1,49	−1,72	1,48
ऋण और अग्रिमों का परिशोधन :				
(1) राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारें .	378,04	4,25,00	5,75,00	5,40,00
(2) अन्य ऋण और अग्रिम . . .	116,40	1,24,00	1,60,00	2,05,00
भारत की आकस्मिकता निधि . . .		..	59	..
अनिधिबद्ध ऋण :				
(1) छोटी बचत योजनाएं (शुद्ध) . .	123,41	1,20,20	1,25,20	1,35,25
(2) राज्य भविष्य निधियां (शुद्ध) . .	75,42	33,75	47,25	62,71
(3) लोक भविष्य निधि . .	..	10,00	2,00	5,00
(4) आयकर वार्षिकी जमा (शुद्ध) . .	34,50	(—) 9,00	—4,00	—10,25
(5) अनिवार्य जमा (शुद्ध) . . .	—39	(—) 25	—25	−25,00
(6) अन्य मद (शुद्ध) . . .	25,84	1,69	21,89	9,58
जमा, अग्रिम और प्रेषणाएं				
(1) रेलवे तथा डाक व तार मूल्यहास और अन्य प्रारक्षित निधियां (शुद्ध)	(−) 35,06	21,09	13,33	26,21
(2) अन्य मदें (शुद्ध) . . .	285,21	23,92	1,13,13	16,80
जोड़—पूंजीगत प्राप्तियां . . .	23,13,43	20,96,59	22,13,84	23,37,98
जोड़िए—राजस्व खाते का अधिशेष (+)/कमी (−)	(+) 103,99	(+) 130,92	(+) 3,63	(−) 59,06
कुल प्राप्तियां . .	24,17,42	22,27,51	22,17,47	22,78,02
सम्पूर्ण कमी . .	210,19	289,27	2,59,67	350,00
	26,27,61	25,16,78	24,77,14	26,28,02

7

का सारांश

वर्ष में 259 67 करोड़ रुपये की कमी होगी (इसमें दिनांकित प्रतिभूतियों में बदली गयी 75 करोड़ रुपये की तदर्थ राजकोष हुंडियां शामिल अब कुल मिला कर 350 करोड़ रुपयेकी कमी रहेगी। पूंजी खाते की अनुमानित प्राप्तियां और भुगतान खाते के मुख्य शीर्षकों के के अनुसार अनुमानित प्राप्तियों और भुगतानों का सारांश दिया गया है। अनबन्ध 2 में यह दिखाया गया है कि अगले वर्ष

भुगतान

	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
असैनिक		(लाख रुपयों में)		
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं :				
(क) औद्योगिक और आर्थिक विकास में निवेश :				
(1) सरकारी कम्पनियाँ और निगम	} 1,78,45	1,85,73	2,05,68	2,95,61
(2) अन्य निवेश		42,13	40,42	37,06
(ख) अन्य मदें	4,79	9,06	5,53	8,19
बहुप्रयोजनी नदी योजनायें				
सिंचाई और बिजली योजनायें	19,52	24,09	26,91	58,25
लोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और सुधार की विविध योजनाएं	57,39	69,09	61,25	75,88
परिवहन और संचार (सड़कों को छोड़ कर)	6,80	16,29	17,43	25,55
मुद्रा और टकसाल	14,29	14,05	13,43	6,28
विविध :				
(1) अन्न की खरीद और बिक्री	69,07	1,01,45	−64,10	(—) 5,36
(2) सामान्य राजस्व से पूरी की जाने वाली व्यापारिक हानियाँ	(—) 22,53	(—) 19,79	(—) 19,71	(—) 20,19
(3) रासायनिक खाद की खरीद और बिक्री	30,36	(—) 7,37	(—) 36,77	(—) 12,50
(4) सरकारी व्यापार की अन्य योजना	2,62	4,45	5,94	1,92
(5) अन्य	187,25	28,04	23,93	7,39
जोड़—असैनिक	5,48,01	4,67,22	2,79,14	4,78,60
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,06,22	1,20,80	1,07,75	1,24,22
रेल सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,35,93	1,43,00	1,34,09	1,32,60
डाक और तार सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	26,44	30,46	30,45	34,16
ऋण और अग्रिम				
(क) राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	8,91,94	8,55,68	9,15,19	7,93,74
(ख) अन्य ऋण और अग्रिम				
(1) सरकारी कम्पनियाँ और निगम	} 4,71,83	2,84,34	4,50,00	2,53,45
(2) अन्य पार्टियाँ		1,76,40	1,44,24	2,03,15
जोड़—ऋण और अग्रिम	13,63,77	13,16,42	15,09,43	12,50,34
ऋण परिशोध				
भारत में लिया जाने वाला ऋण	2,58,79	2,44,40	2,46,45	4,00,50
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	1,87,78	1,94,47	1,69,63	2,07,60
जोड़—ऋण परिशोध	4,46,57	4,38,63	4,16,08	6,08,10
अन्तर्राज्यीय निपटारा	8	1	20	..
भारत की आकस्मिक निधि	59			
जोड़—भुगतान	26,27,61	25,16,78	24,77,14	26,28,02
अधिशेष	..	..	..	
कुल जोड़	26,27,61	25,16,78	24,77,14	26,28,02

पूंजीगत प्राप्तियां

भारत में लिया जाने वाला सरकारी ऋण—चालू वर्ष के बजट में 300.70 करोड़ रुपये की रकम जमा के रूप में दिखायी गयी थी, जिसमें भारत में जारी किये जाने वाले बाजार ऋणों से 300 करोड़ रुपये, 15-वर्षीय वार्षिकी पत्रों से 0.20 करोड़ रुपये, और राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड, 1980 से सम्बन्धित समायोजन के 0.50 करोड़ रुपये शामिल किये गये थे। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक की 75 करोड़ रुपये के मूल्य की तदर्थ राजकोष हुण्डियों को दिनांकित प्रतिभूतियों में बदलने को हिसाब में लेने के बाद संशोधित अनुमान से यह रकम वास्तव में लिये गये ऋणों के आधार पर 396.21 करोड़ रुपया दिखायी गयी है। 1969-70 के बजट अनुमान में इस वर्ष भारत में जारी किये जाने वाले बाजार ऋणों के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपये की और वार्षिकी पत्रों के अन्तर्गत 0.25 करोड़ रुपय की रकम जमा में दिखायी गयी है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

ऋण का नाम	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
	(लाख रुपयों में)	
1. $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1995	178.56	..
2. $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1975	142.11	..
3. $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1974 (पुर्ननिर्गम)	25.00	..
4. $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1975 (पुर्ननिर्गम)	25.00	..
5. 4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1979 (पुर्ननिर्गम)	25.00	..
6. 15 वर्षीय वार्षिकी-पत्र	0.25	0.25
7. राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980	0.29	..
8. नये बाजार ऋण	..	500.00
जोड़ .	396.21	500.25

11 मई, 1968 को $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1995 जारी किया गया था जिसकी मीयाद सममूल्य पर 11 मई, 1995 को पूरी हो जायेगी। कुल 178.56 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जिसमें से 60.81 करोड़ रुपया नकद और शेष 117.75 करोड़ रुपया $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड—पांचवां क्रम ($3\frac{3}{4}$ प्रतिशत 1968) की प्रतिभूतियों के रूपान्तरण के रूप में प्राप्त हुआ। $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1975 से जिसके लिये अभिदान लेने का काम 26 जुलाई, 1968 को शुरू किया गया था, 142.11 करोड़ रुपया जमा हुआ जिसमें से 76.23 करोड़ रुपया नकद और 65.88 करोड़ रुपया $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1968 की प्रतिभूतियों के रूप में जमा हुआ। नये ऋण की वापसी, सममूल्य पर, 26 जुलाई, 1975 को की जायेगी। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के पास 75 करोड़ रुपये की जो तदर्थ राजकोष हुंडियां थीं, उन्हें 7 फरवरी, 1969 को उतने ही मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियों में यानी $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1974 पुर्ननिर्गम (25 करोड़ रुपया) $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1975 (25 करोड़ रुपया) और 4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1979 (25 करोड़ रुपया) में बदल दिया गया।

15 वर्षीय वार्षिकी-पत्रों की बिक्री से 1968–69 और 1969–70 में 25–25 लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इन पत्रों की बिक्री छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत आती है।

राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 की, जिनकी बिक्री 27 अक्तूबर, 1965 से 31 मई, 1966 तक खुली रही, जमा रकम का खातों में दिया गया मूल्य, अवमूल्यन से पहले की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की दर यानी .995 शुद्धता के सोने के रूप में 53.58 रुपये प्रति दस ग्राम के हिसाब से 6.95 करोड़ रुपये था। इसमें से 1965–66, 1966–67 और 1967–68 के तीन वर्षों में कुल 6.66 करोड़ रुपये की रकम "सरकारी ऋण" के अन्तर्गत जमा की गई और इतनी ही रकम "मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय—सोने की खरीद" के अन्तर्गत नामे डाल दी गयी। आशा है कि शेष 0.29 करोड़ रुपये का समायोजन चालू वर्ष में इसी प्रकार कर दिया जायेगा।

भारत से बाहर लिया जाने वाला सरकारी ऋण (पी० एल० 480 रुपया ऋणों से भिन्न)

संशोधित अनुमान में विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से लिये गये ऋण के अन्तर्गत जमा के रूप में 688.54 करोड़ रुपया दिखाया गया है जब कि बजट अनुमान में 844 करोड़ रुपये की रकम दिखायी गयी थी। 1969-70 के बजट में 790 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है । ब्योरा इस प्रकारा है :—

(लाख रुपयों में)

ऋण का स्रोत	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
आस्ट्रिया	3,02	1,50
बेल्जियम	1,68	1,05
बल्गारिया	..	4
कनाडा	23,61	24,64
चेकोस्लोवाकिया	14,30	17,03
डेनमार्क	1,91	2,11
फ्रांस	9,27	19,91
हंगरी	..	4
इटली	.	1
जापान	61,41	12,45
नीदरलैंड	5,00	4,18
पोलैंड	1,82	2,28
कातार	12,88	..
स्वीडन	2,17	4,86
स्विट्जरलैण्ड	3,00	4,44
ब्रिटेन	59,31	36,35
संयुक्त राज्य अमेरिका		
(i) विकास ऋण निधि/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋण	224,96	274,36
(ii) पी० एल० 480 रूपान्तरणीय स्थानीय मुद्रा	60,00	115,00
(iii) निर्यात आयात बैंक	7,02	9,00
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	55,92	66,18
पश्चिम जर्मनी	58,93	23,80
यूगोस्लाविया	3,42	67
अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक	17,88	9,99
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	61,03	79,69
नये रूप	..	81,82
जोड़	688,54	790,00

इन विदेशी स्रोतों से मिले ऋणों का और ब्यौरा अनुबन्ध 2 में दिखाया गया है ।

पी० एल० 480 रुपया सहायता

पी० एल० 480 रुपया ऋण और अनुदान.—पी० एल० 480 रुपया ऋणों के लिए मूल बजट में 175 करोड़ रुपये की रकम जमा के रूप में दिखायी गयी थी जबकि संशोधित अनुमान 180 करोड़ रुपये और अगले वर्ष का बजट अनुमान 60 करोड़ रुपये रखा गया है। अब अनुमान है कि इस वर्ष पी० एल० 480 की अनुदानों की रकम 8.47 करोड़ रुपया और अगले वर्ष 20 करोड़ रुपया होगी जब कि चालू बजट में यह रकम 5 करोड़ रुपया है।

पी० एल० 480 सम्बन्धी जमा : संयुक्त राज्य अमेरिका के पब्लिक ला 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किये गये पब्लिक करारों के अनुसार 1956 से अनाज और अन्य कृषि वस्तुएं जैसे रूई, तम्बाकू'सोयाबीन आदि संयुक्त राज्य अमरीका से वहां की सरकार को रुपयों में अदायगी करके मंगाई जाती है। लेकिन जून 1967 से दिसम्बर 1967 के बीच किये गये करारों में अन्न के आयात के 80 प्रतिशत व्यय की अदायगी रुपयों में और बाकी 20 प्रतिशत लम्बी अवधि के ऋण के रूप में परिवर्तनीय मुद्रा (डालर) में अदा किये जाने की व्यवस्था है। दिसम्बर, 1968 में किये गये करार में अन्न के आयात के 60 प्रतिशत व्यय की अदायगी रुपयों में और बाकी 40 प्रतिशत की अदायगी लम्बी अवधि के ऋण के रूप में परिवर्तनीय मुद्रा (डालर) में किये जाने की व्यवस्था है।

रुपयों में की गयी अदायगियां संयुक्त राज्य अमेरिका के भुगतान-अधिकारी (डिस्बर्सिंग आफिसर) के खाते में जमा किये जाने के लिए रिज़र्व बैंक में जमा की जाने लगी है। इसके साथ-साथ रिज़र्व बैंक इन रकमों को भारत सरकार की विशेष अ-हस्तांतरणीय सरकारी प्रतिभूतियों में लगा देता है। ये प्रतिभूतियां मांगते ही चुकाये जाने योग्य होती है और इन पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है। इसी प्रकार आयातकों द्वारा अन्न से भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में अदायगियों की रकम भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा कर दी जाती है जो इन्हें विशेष प्रतिभूतियों में लगा देता है। अमरीका की सरकार की ओर से भारत सरकार को दिये गये पी० एल० 480 विकास ऋण निधि/तकनीकी सहयोग मिशन ऋणों (जहां अदायगी रुपयों में की जानी है), कूले ऋणों और अन्य पार्टियों को दिये गये विकास ऋण निधि ऋणों की वापस की गयी रकम और इन के ब्याज की अदा की गयी रकमें तथा विशेष प्रतिभूतियों में लगायी गयी जमा रकमों का ब्याज रिज़र्व बैंक में जमा कराया जाता है और साथ ही साथ विशेष प्रतिभूतियों में लगा दिया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी भारत सरकार को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता देने के लिए या कूले ऋणों के अधीन भारत में भारत अमेरिकी संयुक्त उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए या भारत में अपने इस्तेमाल के लिए इन प्रतिभूतियों को समय-समय पर भुनाते रहते हैं।

पी० एल० 480 को लेनदेनों का बजट पर पड़ने वाला प्रभाव नीचे की सारणी में दिखाया गया है :—

पी० एल० 480 के आधार पर (रुपया भाग) भारत सरकार की बजट सम्बन्धी प्राप्तियां

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
(क) अनाज सम्बन्धी लेनदेन :			
1(क) अनाज की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को अदायगियां	(—)137.00	(—)85.00	(—)19.30*
(ख) संयुक्त राज्य की सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	+137.00	+85.00	+90.00
2(क)(i) भारत सरकार को सहायता देने के लिए संयुक्त राज्य की सरकार को विशेष प्रतिभूतियों की बिक्री	(—)180.00	(—)188.47	(—)80.00
(ii) संयुक्त राज्य की सरकार को उनके अपने व्यय (कूले ऋणों को छोड़ कर) के लिए विशेष प्रतिभूतियों की बिक्री .	(—)53.00	(—)61.00	(—)62.00
(ख) संयुक्त राज्य की सरकार द्वारा भारत सरकार को पी० एल० 480 ऋण और अनुदान	+180.00	+188.47	+80.00
3. अनाज की बिक्री से वसूल रकम	+137.00	+85.00	+19.30
पी० एल० 480 की अनाज सम्बन्धी लेनदेनों (रुपया भाग) से वास्तविक बजट सम्बन्धी समर्थन	84.00	24.00	28.00

(हज़ार रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
	रु०	रु०	रु०
ख. अन्न स भिन्न पी० एल० 480 आयात			
रूई, सोयाबीन और तम्बाकू जैसी अन्न से भिन्न आयात से बजट संबंधी समर्थन	+39.00	+24.35	+20.00
ग. अन्य लेन-देन			
(क) भारत सरकार द्वारा व्याज और मूल धन की अदायगीयां (पी० एल० 480 और विकास ऋण निधि/तकनीकी सहयोग मिशन के ऋणों और विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्त व्याज के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा वापस की गयी रकम और व्याज को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा फिर से निवेश से बजट को समर्थन मिलता है)			
(i) पी० एल० 480 ऋण	+31.00	+31.99	+36.21
(ii) विकास ऋण निधि/तकनीकी सहयोग मिशन द्वारा ऋण . .	+34.00	+33.88	+33.90
(iii) विशेष प्रतिभूतियों पर व्याज	+12.00	+10.70	+10.00
(ख) कूले लेन-देन			
(यह, कूले ऋणों के भुगतान के लिये विशेष प्रतिभूतियों से संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार की निकासियों और कूले ऋणों सहित प्रत्यक्ष रुपया ऋणों के संबंध में मूल और व्याज की वापसी की गयी रकमों के विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किये जाने का वास्तविक प्रभाव है)	+5.00	+4.00	—8.00
अन्य लेनदेनों से मिलने वाला वास्तविक ऋण सम्बन्धी समर्थन	82.00	80.57	72.11
पी० एल० 480 लेनदेनों (रुपया भाग) से मिलने वाला कुल बजट सम्बन्धी समर्थन .	205.00	128.92	120.11

* 31 मार्च, 1969 तक जहाजों पर लादे गये सामान के सम्बन्ध में अदायगियां। बाद में किये जाने वाले आयात लगभग (70.70 करोड़ रुपया) खाद्य निगम खाते से किया जायगा।

टिप्पणी :—

मद क 1(क) और क 3.—मद क 1(क) के अधीन अदायगियां "124– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय" के अन्तर्गत की खरीद के लिये योजनाएं" नामक शीर्षक में नामे डाल कर की जाती हैं। मद क–3 के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियां भी खरीद के समय नामे डाली गयी रकमों का शोधन करने के लिये इस शीर्षक में जमा की जाती हैं। अनाज की बिक्री की वसूली उसी आधार पर की जाती है जिस पर इस की खरीद की गयी थी। इस सम्बन्ध में उठाने धरने और परिवहन आदि पर होने वाले खर्च जैसे अन्य व्यय बजट में "124– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय" नामक शीर्षक में अलग से दिखाय गये हैं। 31 मार्च, 1969 तक जहांजों में लाये जाने वाले अनाज के सम्बन्ध में अगले वर्ष नामे और जमा की रकम लगभग 19.30 करोड़ रुपये तक होगी। इस के बाद 70.70 करोड़ों रुपये के मूल्य के आयात का वित्त पोषण खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा। खाद्य निगम द्वारा उपर्युक्त मूल्य को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करा देगा। बिक्री से होने वाली आय भी निगम को मिलेगी।

मद क 1(ख). यह सरकार द्वारा आयात किये गये अनाज के मूल्य की रकम प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवेष की धोतक है। अगले वर्ष के आंकड़ों में खाद्य निगम द्वारा जमा करायी जाने वाली रकमें भी शामिल हैं। इस खाते में जमा रकमों को भाग "ध" अनिधिवद्ध ऋण—विशेषऋण—संयुक्त राज्य सरकार प्रतिरूप निधियों में जमा रकमों का निवेश के अन्तर्गत समायोजित किया जाता है।

मद क2(क)(i) और क2(ख)—मद क2(क)(i) के अन्तर्गत नामे डाली गयी रकमें भाग "ध–अनिधिवद्ध ऋण––विशेष––ऋण संयुक्त राज्य सरकार प्रतिरूप निधियों में जमा रकमों का निवेश के अन्तर्गत समायोजित की गई हैं। रकमें, ऋणों के संबंध में भाग "सरकारी ऋण" में और अनुदान के संबंध म LX––असाधारण प्राप्तियां––संयुक्त राज्य अमेरिका से विकास कार्यक्रम के लिये अनुदान नामक शीर्षक के अन्तर्गत एक साथ जमा कर दी जाती हैं।

मद क2(क) (ii) और ख–और ग(ख)––उन लेनदेनों को भाग "ध––अनिधिवद्ध ऋण––विशेषऋण––संयुक्त राज्य सरकार प्रतिरूप निधियों में जमा रकमों का निवेश" के अन्तर्गत समायोजित किया जाता है। सरकारी खातों में उतनी रकम नहीं दिखायी गयी है।

मद ग(क) ऋणों को, जहां तक वापसी अदायगियों का सम्बन्ध है, भाग "ण––सरकारी ऋण" के अन्तर्गत नामे डालकर और ब्याज के मामले में "16–ऋण पर ब्याज और अन्य देनदारियां" नामक शीर्षक के अन्तर्गत नामे डाल कर भाग "ध" अनिधिवद्ध ऋण विशेष ऋण––संयुक्त राज्य सरकार प्रतिरूप निधियों में जमा रकमों का निवेश" के अन्तर्गत समायोजित किया जाता है।

इस प्रकार बजट तयैार करते समय विशेष प्रतिभूतियों में 25 करोड़ रुपये के परिकल्पित शुद्ध निवेश के मुकावले संशोधित अनुमानों में 59.55 करोड़ रुपये की निकासियां किये जाने का अनुमान है। अगले वर्ष प्रतिभूतियों में 40.11 करोड़ रुपये तक की शुद्ध प्राप्तियां होंगी।

पी० एल० 480 परिवर्तनीय मुद्रा ऋण :––चालू बजट में पी० एल० 480 परिवर्तनीय मुद्रा ऋण के वित्त पोषक आयातों से 65 करोड़ रुपये के ऋण की कल्पना की गयी थी। संशोधित अनुमानों और अगले बजट में क्रमशः 60 करोड़ रुपये और 115 करोड़ रुपये के ऋणों की कल्पना की गयी है।

अन्य अन्न सहायता : संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न देशों, जिन में कनाडा, आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन उल्लेखनीय हैं, से इस वर्ष और अगले वर्ष क्रमशः 45 करोड़ रुपये और 9 करोड़ रूपये की अन्न सहायता मिलने का अनुमान है।

अस्थायी ऋण (राजकोष हुण्डियों से भिन्न)

यह ऋण उस देनदारी के बारे में हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को भारत के अभिदान की और एशियाई विकास बैंक की शेयर पूंजी में भारत के अंशदान की अदायगी के लिये जारी की गयी विशेष रुपया प्रतिभूतियों से पैदा होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि में भारत का अभिदान 75.0 करोड़ डालर का है। इसमें से 11.5 करोड़ डालर सोने के रूप में और 63.5 करोड़ डालर अहस्तान्तरणीय गैर–ब्याजू रुपया प्रतिभूतियों (302.38 करोड़ रुपया) के रूप में दिया गया। 6 जून, 1966 को रुपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण, रुपया प्रतिभूतियों के रूप में दिये गये अभिदान में होने वाली कमी को अवमूल्यन के बाद की विनिमय दर के हिसाब से पूरा करना पड़ा। तदनुसार 1966–67 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के नाम 173.87 करोड़ रुपये की और प्रतिभतियां जारी की गयीं। इसके अतिरिक्त उसी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि की बकाया निकासियों के परिणामस्वरूप रुपयों के रूप में जमा रकम के सम्बन्ध में की जाने वाली अदायगियों और सेवा सम्बन्धी व्यय तथा अन्य खर्चों के लिये 142.50 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां जारी की गयीं।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की पूंजी में भारत का अभिदान 80 करोड़ डालर है जिसमें से अब तक केवल 8 करोड़ डालर की रकम मांगी गयी है। इसमें से 80 लाख डालर की रकम अमीरीकी डालरों में चुकायी गयी है और 7.2 करोड़ डालर की रकम अहस्तान्तरणी (गैर–ब्याजू रुपया प्रतिभूतियों) 34.27 करोड़ रुपये के रुप में चुकायी गयी है। रुपये के अवमूल्यन के कारण

1966–67 में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम 19.71 करोड़ रुपये की ऐसी ही और प्रतिभूतियां जारी की गयीं। अनुमान है कि बैंक द्वारा 1968–69 और 1969–70 के वर्षों में एक-एक करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां प्रतिवर्ष भुनायी जायेंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ में भारत के अभिदान के 4.035 करोड़ डालरों में से 40.35 लाख डालर की रकम अमीरीकी डालरों में और शेष 363.15 लाख डालरों की रकम अहस्तान्तरणीय गैर-व्याजू रुपया प्रतिभूतियों (17.20 करोड़ रुपया) में दी गयी थी, 1966 में रुपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण, पहले जारी की गयी प्रतिभूतियों के डालर मूल्य के अन्तर को पूरा करने के लिये 1966–67 में 9.94 करोड़ रुपये की और प्रतिभूतियां जारी की गयीं। संघ द्वारा प्रतिभूतियों को भुनाये जाने के लिये चालू वर्ष के अनुमानों में 4.20 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के अनुमानों में 1 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

एशियाई विकास बैंक की शेयर पूंजी में भारत का अंशदान 9.3 करोड़ डालर है जिसमें से अबतक 4.65 करोड़ डालर की रकम मांगी गयी है। यह रकम 93–93 लाख डालरों की पांच बराबर की किस्तों में चुकायी जानी है। प्रत्येक किस्त की आधी रकम विदेशी मुद्रा या सोने के रूप में और आधी रुपये में दी जानी है। रुपये में अदा की जाने वाली रकम अहस्तान्तरणीय गैर-व्याजू विशेष प्रतिभूतियों के रूप में चुकायी जा रही है। इस प्रकार 1966–67 और 1967–68 में चुकायी गयी अभिदान की किस्तों में से 93 लाख डालर की रकम (6.98 करोड़ रुपया) इन प्रतिभूतियों के रुप में चुकायी गयी थी। 1968–69 और 1969–70 में अभि-दान की तीसरी और चौथी किस्तों के सम्बन्ध में और प्रतिभूतियां जारी करने के लिये चालु वर्ष के अनुमान में 3.49 करोड़ रुपये की रकम और अगले वर्ष के बजट अनुमान में इतनी ही रकम जमा के रूप में मानी गयी है। अनुमान है कि बैंक द्वारा 1968–69 और 1969–70 में प्रतिवर्ष एक एक लाख रुपये की प्रतिभूतियां भुनायी जायेंगी।

इस प्रकार, इस समूह के अन्तर्गत सभी मदों के सम्बन्ध में चालू वर्ष में 1.72 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम नामें डाली जायगी और अगले वर्ष 1.48 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम जमा के रूप में दिखायी जायगी।

ऋणों और अग्रिमों का परिशोधन

व्योरा इस प्रकार है :–

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपयों में)	
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा परिशोधन	4,25,00	5,50,00	5,40,00
अन्य पार्टियों द्वारा परिशोधन	1,24,00	1,60,00	2,05,00
जोड़	5,49,00	7,10,00	7,45,00

ऋणों के मूलधन के परिशोधन की सभी रकमें इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखायी जाती हैं और व्याज सम्बन्धी प्राप्तियां "XVI व्याज" नामक शीर्षक के अन्तर्गत दिखायी जाती हैं। संशोधित अनुमान में राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा ऋणों की वापसी के संबंध में 150 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः वर्ष में राज्य सरकारों के नाम मंजुर किये गये 65 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिमों के कारण हुई है जिनका समायोजन चालू वर्ष में ही किया जाना है। 33.40 करोड़ रुपये की रकम के ऋणों को राज्यों के बाजार ऋणों के परिशोधन के लिये अनुदानों में बदलने के कारण भी संशोधित अनुमान में इतनी रकम के बराबर वृद्धि हुई है। जैसा कि विभाग 1 में "राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान" की नीचे दी गई टिप्पणी में बताया गया है, कुछ राज्य सरकारों को उनके द्वारा लिये गये बाजार ऋणों का परिशोधन करने के लिये अनुदान के रुप में 50.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इसमें से केवल 16.70 करोड़ रुपया नकद दिया गया और शेष रकम 1966–67 और 1967–68 में दिये गये ऋणों के बदले समायोजित कर ली जायगी। पहली छमाही में राज्य सरकारों के लिये रासायनिक खाद की खरीद के सम्बन्ध में अनुमान से अधिक अल्पावधिक ऋण दिये जाने जिनका परिशोधन वर्ष के दौरान ही किया जाना है पुनर्वास सम्बन्धी ऋणों की माफी के कारण खातों में दिखायी जाने वाली वसुलियां आदि के कारण प्राप्तियों में और वृद्धि हुई है।

ऋण परिशोधन के सम्बन्ध में सहायता देने के कारण अगले वर्ष मुख्य रूप से 35 करोड़ रुपये की कमी होगी ।

(ii) अन्य पार्टियों द्वारा इस वर्ष वापसियों के रूप में 160 करोड़ रुपया अदा करने का अनुमान लगाया गया है। यह वृद्धि सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा अधिक रकम चुकाये जाने और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा निगम की कुछ परिसम्पत्ति को हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के नाम अन्तरित कर दिये जाने से खातों में दिखाये गये 10.17 करोड़ रुपये के परि-शोधन के कारण हुई है। परम्परागत खादी, अम्बर चर्खा और ग्रामोद्योगों के लिये पहले दिये गये ऋणों (38.87 करोड़ रुपये) का नवीकरण कर दिये जाने से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की जाने वाली खातों में दिखायी जाने वाली वापसियों और डाक तार विभाग को चालू वर्ष में डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि के लिये 7.90 करोड़ रुपये के नये ऋण की पहली किस्त दिये जाने के कारण अगले वर्ष में और अधिक वृद्धि हुई है। ताकि विभाग सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश के अपने दायित्व को आंशिक रूप से पूरा कर सके तथा पिछले वर्ष दिये गये ऋण की पहली किस्त को चुका सके। खातों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा वापसी की कोई रकम नहीं दिखायी गयी है, लेकिन यह कमी अन्य औद्योगिक और वाणिज्य उपक्रमों को अधिक ऋण दिये जाने के परिणामस्वरूप अधिक वापसियों से न केवल पूरी हो जायगी वल्कि प्राप्तियों में कुछ वृद्धि भी होगी ।

भारत की आकस्मिकता निधि

भारत की आकस्मिकता निधि, संविधान के अनुच्छेद 267(1) के उपबन्धों के अनुसार भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के अन्तर्गत स्थापित की गयी थी । यह निधि एक अग्रदाय निधि के रूप में हैं । इस निधि से, उन मदों पर होने वाले खर्च के लिए जिनका वर्गीकरण अन्यथा भारत की समेकित निधि के अन्तर्गत किया जा सकता है, लेकिन जिनके बारे में न तो पहले से अनुमान किया जा सकता है और न ही बजट में व्यवस्था की जा सकनी है और न ही उन्हें संबंद्ध अनुदानों के अन्तर्गत होने वाली बचतों से पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा तब तक के लिए अग्रिम दिये जाते हैं, जब तक उनके सबंध में कानूनके अन्तर्गत ससद से स्वीकृत प्राप्त नहीं कर ली जानी। व्यय को पूरा करने के लिए, भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर जितनी रकम इस्तेमाल की जाती है उतनी रकम के लिए संसद के होने वाले तुरन्त अगले अधिवेशन में संसद की स्वीकृति लेकर उस रकम को निधि को वापस करना आवश्यक है।

1967—68 में, भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर जितनी रकम इस्तेमाल की गयी थी उसमें से 58.72 लाख रुपये की रकम निधि में वापस नहीं डाली जा सकी क्योंकि सम्बद्ध अग्रिम वर्ष के अन्त में दिये गये थे इस लिए उपर्युक्त रकम के लिए, संसद की स्वीकृति वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की जा सकी। इस संबंध में, संसद की स्वीकृति चालू वर्ष में प्राप्त की गयी है और उसके बाद अग्रिम की रकम निधि में वापस डाल दी गयी है। इस प्रकार, 1968—69 का संशोधित अनुमान निधि में वापस डाले जाने वाले अग्रिम की उस रकम का द्योतक है, जो इससे पिछले वर्ष के अन्त में बकाया थी ।

अनिधिबद्ध (अनफंडेड) ऋण

छोटी बचत योजनाएं (वास्तविक) :—बजट में यह अनुमान लगाया गया था कि वार्षिकी-पत्रों को छोड़ कर छोटी बचतों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 120.20 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम जमा होगी। वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्तियों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि नयी मीयादी जमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकमों समेत इस वर्ष 125.20 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। 1969—70 के बजट में 135.25 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। ब्योरा इस प्रकार है :—

योजना	संशोधित अनुमान 1968—69	बजट अनुमान 1969—70
	(लाख रुपयों में)	
(क) डाकघर बचत बैंक जमा	60,00	68,00
(ख) बढ़ने वाली मीयादी जमा	15,00	16,00
(ग) राष्ट्रीय रक्षा-पत्र	64,00	63,00
(घ) राष्ट्रीय बचत-पत्र (पहला निर्गम)	7,95	7,95
(ङ) राष्ट्रीय बचत-पत्र (पहला निर्गम-बैंक सीरीज)	5	5
(च) रक्षा जमा-पत्र	6,00	6,00
(छ) मीयादी जमा योजनाएं	1,50	1,50
(ज) राजकोष बचत जमा पत्र	—4,62	—5,20
(झ) अप्रचलित डाकखाना बचत पत्र	—24,68	—22,05
जोड़	125,20	135,25

(क) **डाकघर बचत बैंक जमा** :—डाकघर बचत बैंक जमा के अन्तर्गत चालू बजट में 60 करोड़ रुपये की रकम वास्तविक जमा के रूप में मान ली गयी थी। वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्तियों के अनुसार, अब अनुमान है कि कुल जमा रकमें 450 करोड़ रुपया होंगी जिसमें ब्याज की, जिसकी दर एक अप्रैल, 1968 से ½ प्रतिशत घटा दी गयी थी, 25.50 करोड़ रुपया शामिल है और निकासी 390 करोड़ रुपये की होगी। इस प्रकार मूल अनुमान के अनुसार 60 करोड़ रुपया वास्तविक जमा के रूप में होगा। इस सम्बन्ध में कुछ वृद्धि होने के अनुमान के आधार पर 1969–70 के बजट में 68 करोड़ रुपये की रकम वास्तविक जमा के रूप में मान ली गयी है जिसमें ब्याज की 26.50 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है।

(ख) **बढ़ने वाली सावधिक जमा योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के बजट में 13 करोड़ रुपये की वास्तविक जमा मान ली गयी थी। वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्तियों के अनुसार 1968–69 के संशोधित अनुमान में 15 करोड़ रुपये की प्राप्ति मान ली गयी है और 1969–70 के बजट अनुमान में 16 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम जमा मान ली गयी है।

10 रुपये (मासिक जमा) के बढ़ने वाले पंचवार्षिक मीयादी जमा के जो खाते पहली अप्रैल, 1968 को या उसके बाद खोले गये हैं, उनके पकने पर दिये जाने वाले बोनस की रकम 5 रुपया बढ़ा दी गयी है। इस प्रकार जमा रकमों पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज (कर-मुक्त) 4.2 प्रतिशत से बढ़ कर 4.5 प्रतिशत हो जायगा। जो खाते पहली मार्च 1968 से पहले खोले गये थे उन पर भी निर्धारित वर्गों के अनुसार उनकी मीयाद पूरी होने तक की बाकी अवधि के हिसाब से अतिरिक्त बोनस मिलेगा।

एक अकेले व्यक्ति के नाम पर खोले गये बढ़ने वाली मीयादी जमा के खाते में प्रति मास जमा की जाने वाली रकम की सीमा 300 से बढ़ा कर 500 रुपया और दो वयस्क व्यक्तियों के संयुक्त खाते में जमा की जाने वाली रकम की सीमा 600 रुपया से बढ़ा कर 1000 रुपया कर दी गयी है

(ग) **राष्ट्रीय रक्षा पत्र** :—चालू वर्ष के बजट में 62 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम जमा मान ली गयी थी। वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्तियों के आधार पर अनुमान है कि वर्ष में कुल बिक्री की रकम 80 करोड़ रुपया होगी और 16 करोड़ रुपये की निकासी होगी जिससे वास्तविक जमा 64 करोड़ रुपये की रह जायगी। अगले बजट में इन पत्रों की बिक्री से 63 करोड़ रुपये की वास्तविक जमा मान ली गयी है।

पहली मार्च 1968 के बाद जारी किये गये रक्षा-पत्रों में से 100 रुपये के पत्रों पर, उनकी अवधि पूरी होने पर, (कर मुक्त) 5 रुपये का अतिरिक्त ब्याज दिया जायगा। इससे साधारण ब्याज की दर 6.25 प्रतिशत से बढ़ कर (4.75 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज) 6.6 प्रतिशत (5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज) हो जायगी। जो रक्षा-पत्र पहली मार्च, 1968 से पहले खरीदे गये हों और उनकी अवधि पूरी होने तक रखे जायेंगे; उन पर भी निर्धारित वर्गों के अनुसार उनकी मीयाद पूरी होने तक की बाकी अवधि के हिसाब से अतिरिक्त ब्याज मिलेगा।

(घ) **राष्ट्रीय बचत पत्र (पहला निर्गम)** :—इन पत्रों की बिक्री से चालू वर्ष के बजट अनुमान में 9.40 करोड़ रुपये की रकम जमा में मान ली गयी थी लेकिन वर्ष के दौरान होने वाली वास्तविक बिक्री के वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्तियों के आधार पर 7.95 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। अगले वर्ष के बजट में इतनी ही रकम जमा मान ली गयी है।

(ङ) **राष्ट्रीय बचत पत्र** (पहला निर्गम) **बैंक सीरीज** :चालू वर्ष के बजट में 10 लाख रुपये की रकम जमा मान ली गयी थी लेकिन इन पत्रों की बिक्री कम हुई है और तदनुसार चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान में 5.5 लाख रुपया जमा मान लिया गया है।

(च) **रक्षा जमा पत्र** :—चालू वर्ष के बजट में 8 करोड़ रुपये की वास्तविक जमा मान ली गयी थी। वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्तियों के आधार पर संशोधित अनुमान में इस वर्ष और अगले वर्ष के बजट अनुमान में छः–छः करोड़ रुपये की रकम जमा मान ली गयी है।

पहली मार्च, 1968 को और उसके बाद खरीदे गये जमा-पत्रों के सम्बन्ध में, उनकी अवधि पूरी होने पर 5 रुपये का कर-मुक्त अतिरिक्त ब्याज देने की घोषणा की गयी है। जो जमा-पत्र पहली मार्च, 1968 से पहले खरीदे गये थे और जिन्हें उनकी अवधि पूरी होने तक रखा जायगा उन पर भी निर्धारित वर्गों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा।

(छ) **मीयादी जमा योजनाएं** :—15 मार्च, 1968 से एक नयी मीयादी जमा योजना शुरू की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष के लिए रकमें जमा की जायंगी जो आयकर से मुक्त होंगी और मीयाद पूरी होने पर उन पर 5 प्रतिशत की दर से साधारण (4.55 प्रतिशत चक्रवृद्धि) ब्याज मिलेगा उक्त योजना के अन्तर्गत 50 रुपये के गुणकों में रकमें जमा की जायंगी और एक व्यक्ति के नाम खोले गये खाते में 25,000 रुपये तक तथा दो व्यक्तियों के संयुक्त खातों में 50,000 रुपये तक की रकमें जमा की जा सकती हैं। पहली मई, 1968 से स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसकी सहायक शाखाओं को भी अधिकार दिया गया है कि वे सरकार की ओर से इस योजना के अन्तर्गत रकमें जमा कर सकते हैं। अनुमान है कि इन मीयादी जमा योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष और अगले वर्ष 1.50—1.50 करोड़ रुपया प्राप्त होगा।

राजकोष बचत जमा-पत्र : इनमें $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले राजकोष बचत जमा पत्र और 4 प्रतिशत ब्याज वाले राजकोष बचत जमा पत्र शामिल हैं जिनकी बिक्री क्रमशः पहली जून 1957 से और 10 जून, 1962 से बन्द कर दी गयी थी। इस वर्ष 4.62 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 5.20 करोड़ रुपये के पत्रों का भुगतान होने का अनुमान है।

अप्रचलित डाकघर बचत-पत्र : इनमें रक्षा बचत पत्र, डाक घर नकदी पत्र, राष्ट्रीय आयोजना पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र और बारह-वर्षीय, राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र शामिल है जिनकी बिक्री क्रमशः अक्टूबर 1943, जून 1947, जून 1957, और नवम्बर, 1962 से बन्द कर दी गयी थी। इन पत्रों के भुगतान के अनुमानों का ब्योरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
रक्षा बचत पत्र	6	3
डाकघर नकदी पत्र	2	2
राष्ट्रीय आयोजना पत्र	60	50
राष्ट्रीय बचत पत्र	15,00	13,50
12 वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र	9,00	8,00
जोड़	24,68	22,05

(ii) राज्य भविष्य निधियां (शुद्ध)

इस शीर्षक के अन्तर्गत किये जाने वाले लेन–देनों का संबंध, सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भविष्य निधियों से है। अनुमानों में जमा मान ली गयी रकम, निधि में जमा की जाने वाली वास्तविक रकमें हैं जिनमें, निधि में जमा रकमों, अस्थायी अग्रिमों समेत उससे निकाली जाने वाली रकमों के ब्याज शामिल हैं। इन भविष्य निधियों में दिये जाने वाले अंशदानों के ब्याज की दर हर साल निर्धारित की जाती है। 1967–68 के लिए ब्याज की दर 4.8 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी, लेकिन 1968–69 के लिए, ब्याज की दर निधि में जमा राशि में से प्रथम 10,000 रुपये की रकम पर 5.25 प्रतिशत और शेष रकम पर इससे पहले वर्ष की भांति 4.8 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी।

चालू वर्ष के अनुमान में, 126.10 करोड़ रुपये की जमा और 92.35 करोड़ रुपये की निकासी आदि को हिसाब में लेकर, 33.75 करोड़ की वास्तविक रकम जमा मान ली गयी है।

अब यह अनुमान लगाया गया है कि इस निधि में चालू वर्ष में, 32.22 करोड़ रुपये के ब्याज समेत कुल 142.23 करोड़ रुपये की रकम जमा होगी। अनुमान है कि इस वर्ष निधि से 94.98 करोड़ रुपये की रकम निकाली जायगी जिससे निधि में 47.25 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम जमा रहेगी। इन आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि निधि में मूल बजट अनुमान से 13.50 करोड़ रुपया अधिक जमा हुआ। 1969–70 के अनुमान में, इस निधि में, 35.46 करोड़ रुपये के ब्याज समेत 62.71 करोड़ रुपया जमा मान लिया गया है अर्थात् यह रकम चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 15.46 करोड़ रुपया ज्यादा है।

(iii) लोक भविष्यनिधि एक नयी भविष्य निधि, जो लोक भविष्य निधि कहलाती है, लोक भविष्य निधि अधिनियम 1968 के अन्तर्गत बनायी गयी लोक भविष्य निधि योजना के अनुसार एक जुलाई, 1968 से स्थापित की गयी थी। लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत बनायी गयी लोक भविष्य निधि योजनाओं का उद्देश्य यह था कि आम जनता इसमें रकमें जमा कर सके और निधियों में जमा की गयी रकमों पर कानून के अन्तर्गत मिलने वाले कर सम्बन्धी लाभ प्राप्त कर सके। इस निधि में, वित्तीय वर्ष में, एक व्यक्ति कम से कम 100 रुपया और अधिक से अधिक 15,000 रुपया जमा कर सकता है। इस निधि में, जिस वर्ष पहले पहल रकम जमा की गयी हो, उस वर्ष की समाप्ति के 15 वित्तीय वर्षों के बाद उसमें से कुल रकम निकाली जा सकती है। निधि से उपर्युक्त अवधि के अन्दर भी निर्धारित रकमें निकाली जा सकती हैं। निधि में जमा रकमों पर समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार ब्याज मिलता है 1968–69 के लिए ब्याज की दर 4.8 प्रतिशत घोषित की गयी है। इस निधि के अन्तर्गत, इस वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपये और अगले वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपये की रकमें जमा मान ली गयी हैं।

(iv) **आयकर वार्षिकी जमा**:—वित्त अधिनियम, 1964 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में कुछ नये उपबन्ध जोड़े गये थे, जिनके अनुसार विदेशियों, रजिस्टर्ड फर्मों, सहकारी संस्थाओं और कम्पनियों को छोड़ कर भारत में रहने वाले उन कर दताओं को, जिनकी आय, 15,000 रुपये से अधिक हो वार्षिकी जमा करानी होती है। इस प्रकार जमा की गयी रकमें मूल और ब्याज सहित बराबर-बराबर की दस किस्तों में लौटायी जायेंगी और इन रकमों पर ब्याज, प्रत्येक वर्ष की जमा रकमों के संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित दर के हिसाब से दिया जायगा। वार्षिकी की पहली किस्त उस तारीख से एक वर्ष बाद अदा की जायेगी जिस तारीख को वह रकम जमा करायी गई थी। वित्त अधिनियम, 1966 में 1967–68 के कर-निर्धारण वर्ष से ऐसी कुल आय की सीमा जिसके लिए वार्षिकी की रकम जमा करवाने से छूट दी गई है, 15,000 रुपये से बढ़ा कर 25,000 रुपये कर दी गई है लेकिन 15,000 रुपये से ले कर 25,000 रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी, यदि चाहें तो वार्षिकी जमा करा सकते हैं और इस प्रकार जमा करायी गयी रकम पर मिलने वाली रियायत प्राप्त कर सकते हैं। वित्त अधिनियम, 1968 के अनुसार यह योजना बन्द कर दी गयी है और 31 मार्च, 1968 के बाद की आय पर वार्षिकी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

अनुमान है कि इस योजना की बकाया रकमों की वसूलियों से इस वर्ष 10 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 7 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होगी। वार्षिकी जमा की रकमों से इस वर्ष 14 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 17.25 करोड़ रुपये जमा के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार 1968–69 और 1969–70 में क्रमशः 4 करोड़ और 10.25 करोड़ रुपये खर्च खाते में डाले जाने की संभावना है।

(v) अनिवार्य जमा (शुद्ध) 1964–65 के कर-निर्धारण वर्ष से आय कर पर लगे अतिरिक्त अधिभार के हटाये जाने से इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई रकमें जमा नहीं होती। 1963–64 में जमा की गयी रकमें सामान्यतः 1 अप्रैल, 1969 से वापस की जानी हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत चालू वर्ष में 25 लाख रुपये के लेन-देन होने का अनुमान है। इसलिए इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये गये लेन-देन, कुछ श्रेणियों के जमाकर्ताओं को अवधि पूरी होने से पहले वापस की गयी रकमों के द्योतक हैं। अगले वर्ष के बजट अनुमान में केवल 25 लाख रुपये की वापसी दिखायी गयी है।

(vi) अन्य मदें:—इस शीर्षक में विशेष ऋणों, सेवा निधियों की जमा, डाक, जीवन बीमा और वार्षिकी निधियों की प्राप्तियों और भुगतान की रकमें दिखायी जाती हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत अब 21.89 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 9.58 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान है जबकि चालू वर्ष के बजट में 1.69 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखायी गयी थी।

जमा, अग्रिम और प्रेषणाएं

(क) रेलें

(i) रेलवे और डाक तार मूल्यह्रास और प्रारक्षित निधियां (शुद्ध)

व्योरा इस प्रकार है।

		बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)	
रेल पेंशन निधि :				
	जमा	12,70	14,84	13,14
	खर्च	5,35	6,14	6,29
	शुद्ध	+7,35	(+) 8,70	(+) 6,85
रेल मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि :				
	जमा	1,05,52	1,00,92	1,01,29
	खर्च	1,00,00	1,94,36	95,00
	शुद्ध	(+) 5,52	(+) 6,56	(+) 6,29
रेल राजस्व प्रारक्षित निधि				
	जमा . .	88	28	5
	खर्च . .	1,36	11,19	28
	शुद्ध . .	(–) 48	(–) 10,91	(–) 23

(लाख रुपयों में)

		बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
रेल विकास निधि				
	जमा . .	21,24	15,97	20,60
	खर्च . .	21,24	20,42	20,60
	शुद्ध . .	..	(-) 4,45	..
	शुद्ध जोड़ .	(+) 12,39	(—) 10	+12.91

रेल कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी खर्च को पूरा करने के लिये रेल पेंशन निधि बनाई गई है। हर साल इस निधि में उपर्युक्त रकम अन्तरित की जाती है और वह रकम "कार्य चालन व्यय" में नाम डाल दी जाती है। पेंशन सम्बन्धी व्यय को शुरू में "कार्य चालन व्यय" के खर्च खाते में दिखाया जाता है और साथ ही उसे निधि से वसूली के रूप में दिखा दिया जाता है।

चालू वर्ष में, इस निधि में, 14.84 करोड़ रुपये की रकम जमा होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें रेल राजस्व से अन्तरित की जाने वाली 12.37 करोड़ रुपये की रकम और निधि की जमा रकमों पर, सामान्य राजस्व से प्राप्त होने वाला 2.47 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। अनुमान है कि 1969-70 में, इस निधि में, 2.84 करोड़ रुपये के ब्याज समेत 13.14 करोड़ रुपये की रकम जमा होगी। अनुमान है कि चालू वर्ष में और अगले वर्ष में इस निधि से क्रमशः 6.14 करोड़ रुपये और 6.29 करोड़ रुपये की रकमें निकाली जायेंगी।

रेल मुल्यह्रास प्रारक्षित निधि में परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण के लिये व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में, इसकी जमा रकमों पर सामान्य राजस्व से मिलने वाले व्याज समेत इस वर्ष 100.92 करोड़ रुपया और अगले वर्ष 101.29 करोड़ रुपया अंशदान के रूप में प्राप्त होगा। उपर्युक्त रकमों में, प्रत्याशित ब्याज की क्रमशः 3.52 करोड़ रुपये और 3.84 करोड़ रुपये की रकमें शामिल हैं : अनुमान है कि इस निधि से, इस वर्ष, 94.36 करोड़ रुपये की रकम निकाली जायेगी जब कि 100 करोड़ रुपये निकाले जाने का अनुमान था। अगले वर्ष, 95 करोड़ रुपये निकाले जाने का अनुमान है।

रेल राजस्व प्रारक्षित निधि में, चालू वर्ष में 28 लाख रुपया और अगले वर्ष में 5 लाख रुपया जमा होने का अनुमान है। चूंकि दोनों वर्षों में इस निधि में विनियोजन के लिए अधिशेष उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, इस लिए उपर्युक्त रकमें, निधि की जमा रकमों पर प्राप्त होने वाले ब्याज के रूप में होंगी। रेलों द्वारा सामान्य राजस्व निधि में देय लाभांश के सम्बन्ध में, इस वर्ष 10.01 करोड़ रुपये की जो कम रकम आंकी गयी हैं वह राजस्व प्रारक्षित निधि से पूरी की जायगी। अनुमान है कि चालू वर्ष में, निधि से 1.18 करोड़ रुपये की और रकम निर्धारित पूंजी से ज्यादा पूंजी के विनियोजन से संबंधित परिशोधन के लिए निकाली जायगी। अगले वर्ष में, निर्धारित पूंजी से ज्यादा पूंजी के विनियोजन से संबंधित पिरशोधन के लिए केवल 28 लाख रुपये की निकासी होने का अनुमान है।

रेल विकास निधि की स्थापना, रेल अभिसमय समिति, 1949 की सिफारिशों के आधार पर, 1950 में की गयी थी। इस निधि का उद्देश्य है,; यात्रियों, और रेलों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किये जाने वाले सभी निर्माण कार्यों का खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च तथा उन सभी गैर-आमदनी वाले सुधार कार्यों का खर्च पूरा करना जिनमें से प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित रकमों से अधिक खर्च होता हो। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था, रेलों के अधिशेष से की जाती है और इस प्रयोजन के लिए अधिशेष की रकम रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उसके विनियोजन की स्वीकृति संसद् द्वारा दी जाती है यदि रेल अधिशेष के एक भाग की रकम निधि में अन्तरित करने के बाद, इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम, उन कार्यों के खर्च को पूरा करने के लिए काफी न हों, जिनका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याजू ऋण लिये जाते हैं। अब यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष में, इस निधि में अन्तरित करने के लिए रेलों के पास अधिशेष उपलब्ध नहीं होगा और उन्हें 15.87 करोड़ रुपये के ऋण की आवश्यकता होगी तथा यह रकम, निधि की जमा रकमों पर प्राप्त होने वाले 10 लाख रुपये के ब्याज समेत, उस निधि में जमा की जायगी।

अनुमान है कि चालू वर्ष में, इस निधि से 20.42 करोड़ रुपये की रकम निकाली जायगी जिसमें सामान्य राजस्व निधि से लिये गये ऋणों पर देय ब्याज की 83 लाख रुपये की रकम शामिल है। इस प्रकार वर्ष के अन्त में, इस निधि में कोई रकम नहीं बचेगी। 1969-70 में, इस निधि में कुल मिला कर 20.60 करोड़ रुपये जमा होने का अनुमान है जिसमें रेल अधिशेष से विनियोजित की जाने वाली 1.92 करोड़ रुपये की प्रत्याशित रकम और सामान्य राजस्व से लिये जाने वाले 18.68 करोड़ रुपये के ऋण की रकम शामिल हैं। अनुमान है कि 20.60 करोड़ रुपये की रकम निधि से ली जाने वाली उस रकम को पूरा करने के लिए सिर्फ पर्याप्त सिद्ध होगी जिसमें सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों के ब्याज की अदायगी के लिए ली गयी 1.60 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है।

(ख) डाक-तार मूल्यह्रास और प्रारक्षित निधियां—ब्यौरा इस प्रकार है :—

		बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		(लाख रुपयों में)		
डाक-तार नवीकरण प्रारक्षित निधि :				
	जमा	16,47	16,58	18,31
	खर्च	3,24	2,22	3,84
	शुद्ध	(+) 13,23	(+) 14,36	(+) 14,47
डाक-तार राजस्व प्रारक्षित निधि :				
	जमा	7,75	7,90	10,40
	खर्च	7,75	7,90	10,40
	शुद्ध	..	..	..
डाक-तार पूंजी प्रारक्षित निधि	जमा	13	7	3
	खर्च	4,65	1,00	1,20
	शुद्ध	(–) 4,52	(–) 93	(–) 1,17
जोड़—शुद्ध जमा		(+) 8,71	(+) 13,43	(+) 13,30

डाक-तार नवीकरण प्रारक्षित निधि : नवीकरण प्रारक्षित निधि का उपयोग परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्राप्तियों की रकम का जो मूल्य ह्रास और नवीकरण की वार्षिक व्यवस्था की द्योतक है, चालू वर्ष का अनुमान 16.58 करोड़ रुपये और अगले वर्ष का अनुमान 18.31 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष में और अगले वर्ष में नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए निधि से निकाली गई रकमों का अनुमान 2.22 करोड़ रुपया और 3.84 करोड़ रुपया है। पहली अप्रैल, 1967 से, विभाग द्वारा जिस पूंजी पर सामान्य राजस्व को लाभांश किया जाता है उसका हिसाब लगाने के लिए निधि की शेष रकमों को हिसाब में लिया जाता है।

डाक-तार राजस्व प्रारक्षित निधि :—इस निधि में डाक और तार के कार्यचालन के अधिशेष यदि कोई हो, एक भाग अन्तरित किया जाता है और इस निधि का उपयोग, सामान्य राजस्व को लाभांश की अदायगी करने के लिए उस स्थिति में, किया जाता है जब डाक-तार विभाग चालू राजस्व से उसकी अदायगी करने की स्थिति में न हो।

विभाग के कार्यचालन से होने वाले घाटे को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए भी इस निधि से रकम निकाली जानी है। 1 अप्रैल, 1967 से लागू वर्तमान प्रबन्धों के अधीन, यदि डाक और तार विभाग देय लाभांश न अदा कर सके तो कमी को पूरा करने तथा विभाग के कार्यचालन परिणामों में होने वाले घाटे, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्वों द्वारा राजस्व प्रारक्षित निधि को ब्याजू अग्रिम दिया जाता है।

अनुमान है, चालू वर्ष में, सामान्य राजस्व को देय लाभांश की अदायगी के बाद डाक और तार विभाग को 0.31 करोड़ रुपये का घाटा होगा, इसके अलावा, पिछले पैरों में उल्लिखित प्रबन्ध के अधीन, 1967-68 में विभाग द्वारा लिए गये ऋण और उसके ब्याज की वापसी के

सम्बन्ध में चालू वर्ष के दायित्व की रकम 7.59 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार अनुमान है चालू वर्ष में डाक तार राजस्व प्रारक्षित निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व द्वारा कुल मिलाकर 7.90 करोड़ रुपये का एक और ऋण दिया जायेगा। अनुमान है 1969-70 में, समान्य राजस्व की देय लाभांश की अदायगी के बाद विभाग के पास 10.40 करोड़ रुपये का अधिशेष होगा जिसे अन्तरित कर के राजस्व प्रारक्षित निधि में जमा कर दिया जायेगा, परन्तु यह सारी रकम अर्थात् 1967-68 में लिए गये ऋण के सम्बन्ध में मूल रकम की वापसी और ब्याज की अदायगी के लिए 7.24 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में लिए गये ऋण के सम्बन्ध में 3.16 करोड़ रुपये की अदायगी के लिए, निकाल ली जायेगी।

डाक-तार पूंजी प्रारक्षित निधि : यह एक नयी निधि है जिसे टेलीफोन विकास निधि और डाक तार विकास निधि के स्थान पर पहली अप्रैल, 1968 में बनाया गया था। उपर्युक्त दोनों निधियों में 1967-68 के अन्त तक जमा 2.20 करोड़ रुपये की रकम को, नयी निधि में अन्तरित कर दिया गया था। इस निधि की पूर्ति डाक तार विभाग के कार्यचालन परिणामों के अधिशेष, यदि कोई हो, के उस हिस्से से भी की जाती है जिसका निश्चय समय-समय पर विभाग द्वारा किया जायगा। निधि में जमा रकम का इस्तेमाल ऐसे पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये किया जायगा जिसका निश्चय विभाग द्वारा, सामान्य राजस्व से ऐसी अतिरिक्त पूंजी लेने से बचने के उद्देश्य से किया जाय जिस पर लाभांश दिया जाता है।

चूंकि डाक और तार विभाग में चालू वर्ष में, और अगले वर्ष में, अधिशेष होने की सम्भावना नहीं है, इसलिए सामान्य राजस्व द्वारा निधि में बकाया रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की रकम जो इस बर्ष के लिए 7 लाख रुपया और अगले वर्ष के लिए 3 लाख रुपया है—के अलावा, इन दोनों वर्षों में निधि की रकम में वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसी मदों का खर्च पूरा करने के लिए, जिन पर पूंजीगत व्यय किया जा सकता है, निधि से इस वर्ष 1 करोड़ रुपया और 1969-70 में 1.20 करोड़ रुपया निकाले जाने का अनुमान है।

अन्य मदें (शुद्ध) : इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये जाने वाले अनुमान फुटकर जमा, उचन्त, प्रेषणाएं आदि उन शीर्षकों के अन्तर्गत लेनदेनों के वास्तविक परिणामों के द्योतक हैं जिन्हें अन्य किसी जगह नहीं दिखाया गया हैं। हर साल की भांति, ऋण में कमी करने या उससे बचने के लिए, राजस्व में किये जाने वाले अन्तरण के सम्बन्ध में इन अनुमानों में 5 करोड़ रुपये की रकम जमा में दिखायी गयी है।

भुगतान

जैसाकि परिचायक टिप्पणी के पैराग्राफ 6 में बताया गया है, यहां दिये गये पूंजी खाते के भुगतान और दिये गये ऋणों के आंकड़ों का अनुदान की मांगों के आंकड़ों से मेल नहीं बैठता क्योंकि अनुदानों की मांगों के आंकड़ों में वसूलियां शामिल नहीं होतीं जिन्हें खातों में व्यय में से घटा दिया जाता है। इसके अलावा, मांगों को मंत्रालयों के अनुसार बांटा जाता है और एक ही लेखा शीर्षक के अंतर्गत किये जाने वाले लेनदेन एक से अधिक अनुदानों की मांगों में हो सकते हैं। दोनों प्रकार के आंकड़ों को मिलाने के लिए इस ज्ञापन का अनुबन्ध 3 देखिये।

सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं

इस भाग में "लोक स्वास्थ्य सुधार", "कृषि सुधार और गवेषणा", "औद्योगिक और आर्थिक विकास" और "प्रसारण", पर पूंजी परिव्यय से सम्बन्धित लेनदेनों की व्यवस्था की जाती है। विवरण 7 में दिये गये सारांश में इस भाग के लेनदेन तीन वर्गों में दिखाये गये हैं अर्थात् (i) सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश (ii) औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अन्य निवेश और (iii) अन्य मदें। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत दिये गये अनुमानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:—

(i) सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
			(लाख रुपयों में)
	185,73	205,08	295,61

इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध में 6 कम्पनियों और निगमों की सूची दी गयी है, जिसमें प्रत्येक कम्पनी/निगम में 1968-69 और 1969-70 में सरकार द्वारा किये जाने वाले निवेश और दिये जाने वाले ऋण की रकमें दी गयी हैं।

अनुमान है कि इन कम्पनियों और निगमों में कुल निवेश की रकम अब चालू वर्ष के बजट में की गयी व्यवस्था से 18.39 करोड़ रुपये बढ़ जायगी।

वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(क) **भारतीय खाद्य निगम**—निगम की 5.73 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता, नये संग्रहण गोदामों के निर्माण का कार्य चालू करने के कार्यक्रम के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त निगम को उन सरकारी संग्रहण गोदामों के लिए रकम अदा करनी है जो उसे सौंप दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में वसूलियों की रकम चालू वर्ष में "लोक निर्माण (सड़कों सहित) और विविध सुधार की योजनाएं" शीर्षक के अंतर्गत संशोधित अनुमानों में हिसाब में ले ली गयी है जिसमें गोदामों के निर्माण का व्यय नामे डाला जाता है।

(ख) **तेल और प्राकृतिक गैस आयोग**—चालू वर्ष के बजट में आयोग में सरकार की ओर से पूंजी लगाने के लिए नये निवेश के रूप में 1.79 करोड़ रुपये और आयोग की कोयाली-अहमदाबाद पाइप लाइन को इस वर्ष इण्डियन आयल कारपोरेशन के हाथ बेचने के प्रस्तावित अन्तरण के परिणामस्वरूप आयोग में पहले लगायी गयी पूंजी की वसूली के रूप में 2.50 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। अब अनुमान है कि पाइप लाइन इस वर्ष नहीं सौंपी जायगी। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में आयोग में लगाई जाने वाली नयी पूंजी के रूप में 1.96 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है ताकि आयोग फारस की खाड़ी के अपने कार्मों तथा केलोल, नवगांव, लकवा आदि में उत्पादन सम्बन्धी अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। आयोग की आवश्यकताओं में होने वाली इस वृद्धि तथा बजट में किसी वसूली की सम्भावना न होने के कारण चालू वर्ष के बजट अनुमान में कुल 4.46 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(ग) **फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड**—फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की आवश्यकताएं चालू वर्ष में बढ़ने का मुख्य कारण कम्पनी की कोचीन फर्टिलाइजर प्रायोजना के काम की गति तेज किया जाना है और उस पर 1.64 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

(घ) **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड**—कम्पनी 10.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से खेतड़ी तांबा प्रतिष्ठान और राखा में काम की व्यवहार्यता क अध्ययन से सम्बद्ध परिसम्पत्तियां प्राप्त करेगी। सरकार यह रकम कम्पनी को चालू वर्ष में निवेश के रूप में देगी। किन्तु इस आवश्यकता में से 2.91 करोड़ रुपये तक की रकम उस बचत से प्राप्त हो जायगी जो कम्पनी के निर्माण कार्य के बारे में अंतिम निर्णय करने में देर हो जाने के कारण कम्पनी में लगाये जाने वाले 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था में होगी। तांबा प्रतिष्ठान और काम की व्यवहार्यता के अध्ययन सम्बन्धी परिसम्पत्तियों का हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के हाथ सौंप दिये जाने के कारण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को देय रकम निगम के बकाया ऋणों की वापसी के रूप में सरकार को दे दी जायगी।

1969—70 के लिए इस समूह के अन्तर्गत 295.61 करोड़ रुपये के अनुमान में सम्मिलित "उद्योग और खनिज क्षेत्र" की सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश के लिए की गयी व्यवस्था का ब्योरा इस प्रकार है :—

	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
	(करोड़ रुपयों में)	
(i) बोकारो स्टील लिमिटेड	110	170
(ii) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	8	16
(iii) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	1	12
(iv) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	16	17
(v) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	3	9
(vi) ड्रग्स कारपोरेशन लिमिटेड	1	2
(vii) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया	5	24
(viii) गुजरात पेट्रो केमिकल्स	1	3
(ix) फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	7	2
जोड़	152	255

अनुमानों में अन्य मदों के लिए भी व्यवस्था शामिल है, जिन में महत्वपूर्ण मदें ये हैं :—वस्त्र निगम के लिए 2 करोड़ रुपया, भारतीय खाद्य निगम के लिए 18 करोड़ रुपया, राज्य कृषि उद्योग निगमों के लिए 4 करोड़ रुपया, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के लिए 2 करोड़ रुपया। केन्द्रीय सरकार के विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले यांत्रिक फारमों के काम को हाथ में लेने के लिए स्थापित किये जाने वाले भारत सरकार के राज्य फारम निगम नामक प्रतिष्ठान में निवेश के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी है।

अन्य निवेश : इस शीर्षक के अन्तर्गत, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कम्पनियों और निगमों से भिन्न अन्य निकायों, सहकारी समितियों भूमि बन्धक बैंको और परमाणु शक्ति पर पूंजी परिव्यय के लिए किये जाने वाले निवेश शामिल हैं। चालू वर्ष में नाभिकीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना पर होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए इसी शीर्षक के अन्तर्गत व्यवस्था की जाती है, परन्तु 1969–70 के बजट अनुमानों में इन केन्द्रों के लिए की गयी व्यवस्था "बिजली योजनाएं" नामक शीर्षक के अन्तर्गत "बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं" से संबद्ध अगले भाग में शामिल की गयी है। नाभिकीय विद्युत केन्द्रों के लिए चालू और अगले वर्ष के अनुमानों का ब्योरा उस भाग में दी गयी टिप्पणी में दिया गया है।

इस समूह के अन्तर्गत अनुमानों का ब्योरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(i) शूगर कारपोरेशन आफ युगाण्डा	5	1	1
(ii) एलक्लाइड कारखाना	25	1	35
(iii) रासायनिक खाद ऋण और गारण्टी निगम	..	..	15
(iv) राज्य कृषि ऋण निगम	..	..	65
(v) सहकारी क्षेत्र में रासायनिक खाद संयंत्र	25	25	1,00
(vi) भूमि बन्धक बैंक	..	..	14,00
(vii) संघीय राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियां	26	9	19
(viii) कृषि ट्रैक्टर और औजार प्रायोजना	22	..	22
(ix) राष्ट्रीय सहकारी समिति संघ	5	5	..
(x) पम्प और संपीडक (कम्प्रेसर,)	60	10	20
(xi) नमक कारखाने	7	7	1
(xii) लघु उद्योग संस्थान	5	5	7
(xiii) गैस सिलेंडर प्रायोजना	..	..	22
(xiv) इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	95	95	48
(xv) दूसरे जहाज घाट की स्थापना	48	50	97
(xvi) परमाणु शक्ति विकास	12,92	8,71	18,54
(xvii) अन्य	29	75	..
जोड़	15,53	10,04	37,06
(xviii) नाभिकीय विद्युत केन्द्र	25,64	30,38	..
जोड़—अन्य निवेश	41,13	40,42	37,06

चूंकि कुछ योजनाओं विशेषतः भाभा परमाणु गवेषणा केन्द्र और भारी पानी प्रयोजनाओं के काम की गति अनुमान से कम रही इसलिए चालू वर्ष में परमाणु शक्ति विकास की योजनाओं पर होने वाले पूंजी गत व्यय का अनुमान अब बजट अनुमानों से 4.21 करोड़ रुपया कम होगा। इसके इलावा पम्प और सम्पीड़क प्रायोजना, एलक्लाइड कारखोने, कृषि ट्रेक्टर और औजार प्रायोजना और संघीय राज्य क्षेत्रों की सहकारी सीमितियों में निवेश के लिए भी कुल मिला कर 1.18 करोड़ रुपया कम खर्च होगा। प्लास्टिक और अन्य उद्योगों के लिए औजार, डाई और सांचे बनाने के लिए प्रशिक्षण और परामर्श सेवा शुरू करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से गुंडी में एक संस्थान की स्थापना करने के लिए, चालू वर्ष के बजट अनुमानों में शामिल पूंजी खाते की 25 लाख रुपये की रकम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंशदान अब राजस्व खाते में नामे डाला जायगा। 1968-69 के संशोधित अनुमानों में इस समूह के अन्तर्गत विभागीय तौर पर चलायी जा रही हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की परिसम्पत्तियों को, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को अतिरिक्त किये जाने के संबंध में खातों में दिखायी गयी 71 लाख रुपये की वसूली को समायोजन के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि समूह (I) की टिप्पणी में पहले बताया गया है, इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड में निवेश के लिए चालू वर्ष में की गयी 95 लाख रुपय की व्यवस्था को इस समूह के अन्तंत अनुमानों में शामिल कर लिया गया है।

1969-70 के अनुमानों में परमाणु शक्ति विकास की योजनाओं के काम की गति में सम्भावित वृद्धि के लिए व्यवस्था की गयी है। देश में भूमि बन्धक बैंकों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे निवेश के लिए भी 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस समय यह रकम राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दी जाती है। अनुमानों में असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में (प्रत्येक के मामले में शेयर पूंजी का 30 प्रतिशत) और मणिपुर और त्रिपुरा के संघीय राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक के मामले में 50 प्रतिशत, स्थापित किये जाने वाले कृषि ऋण निगमों में केन्द्रीय सरकार के निवेष के लिए 65 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। समवाय अधिनियम 1956 के अधीन, 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से, जिस में से 1.5 करोड़ रुपये के शेयर 1969-70 में जारी किये जायेंगे, एक रासायनिक खाद ऋण और गारण्टी निगम की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। 10 प्रतिशत शेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदे जाएंगे। तदनुसार 1969-70 के बजट अनुमानों में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

अगले वर्ष के अनुमानों में गैस सिलेंडर प्रायोजना की स्थापना के लिए भी 22 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(iii) अन्य मदें

इस समूह में दिखाये गये अनुमान, सामाजिक और विकास संबंधी सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित शीर्षकों के संबंध में हैं:—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
(क) लोक स्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी परिव्यय	10	10	12
(ख) कृषि सुधार और गवेषणा की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . .	4,74	1,09	4,38
(ग) प्रसारण पर पूंजी परिव्यय	4,22	4,14	3,69
जोड़—अन्य मदें	9,06	5,33	8,19

मद (क) संघीय राज्य क्षेत्रों में जलपूर्ति और सफाई योजनाओं पर किये जाने वाले पूंजी व्यय से संबंधित है।

मद (ख) में समुद्री मीन क्षेत्र के विकास की योजनाओं पर पूंजी व्यय की व्यवस्था शामिल है, जिस के लिए अब अनुमान लगाया गया है कि मूल बजट में 265 लाख रुपये के बदले चालू वर्ष में केवल 51 लाख रुपये की रकम ही काफी रहेगी। अगले वर्ष के अनुमानों में ऐसी योजनाओं के लिए 239 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मीन क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य बन्दरगाहों पर रुकने और ठहरने की सुविधाएं मुहैया करने के लिए 1968-69 में अब 15 लाख रुपये के खर्च होने का अनुमान है जबकि बजट में इस के लिए 125 लाख रुपये की व्यवस्था है। अनुमानों में चालू वर्ष के लिए मशीनी कृत फारमों के लिए 41 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि बजट में 83 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। जैसा कि पहले बताया गया है ये फारम सरकारी क्षेत्र के एक निगम को सौंप दिये जायेंगे। "अधिक अन्न उगाओ" योजनाओं के लिए चालू वर्ष में 2 लाख रुपये और 1969-70 के लिए 29 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मद (ग) में, जिसका संबंध प्रसारण पर पूंजी परिव्यय से है, आकाशवाणी के विभिन्न प्रसारण केन्द्रों की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था की गयी है जिसका ब्यौरा "सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय" की मांग में दिया गया है।

बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं

इस विभाग में "बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं" "सिंचाई नौ-परिवहन तटबन्ध और जल निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्य" नामक शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की जानी है। जैसा इस विभाग की "सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाओं" के सम्बन्ध में "अन्य निवेशों" के अन्तर्गत पूंजीगत अनुमानों के बारे में दी गयी टिप्पणी में पहले बताया गया है, बिजली घरों की स्थापना के लिए 1969–70 के अनुमानों को इस अनुभाग के "बिजली योजनाएं" नामक शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस विभाग के तीनों शीर्षकों के अनुमानों का ब्योरा मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :—

(क) बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपयों में)	
(i) फरक्का बराज प्रायोजना	16,40	19,37	18,00
(ii) दामोदर घाटी निगम	75	70	1,50
(iii) केन्द्रीय जल और बिजली गवेषणा केन्द्र	23	15	32
(iv) अन्य मदें	46	34	69
जोड़ :—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	17,84	20,56	20,51

(i) प्रायोजना के लिए, चालू वर्ष में जो 16.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस अनुमान के आधार पर की गयी थी कि बराज के 109 खण्डों में से जिन 40 खण्डों का निर्माण अभी होना है उनमें से केवल 20 खण्डों का निर्माण कार्य चालू वर्ष के काम के मौसम में शुरू किया जायगा, किन्तु काम के लिए नदी की स्थिति अनुकूल होने और अन्य कारणों से, इस मौसम में, काफर डाम को, जिसके अन्तर्गत सभी 40 खण्ड आ जाते हैं, कम से कम समय में बनाना संभव हुआ है और यह निर्णय किया गया था कि चालू वर्ष में ही सभी खण्डों का निर्माण, उतनी ऊंचाई तक कर लिया जाय जिससे वे सुरक्षित रहें। अनुमान है कि इस प्रायोजना के निर्माण कार्य में इस प्रकार विशेष रूप से वृद्धि होने के कारण चालू वर्ष में 2.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम की आवश्यकता होगी।

(ii) अनुमान है कि दामोदर घाटी निगम के आन्तरिक साधनों से पहले की अपेक्षा अधिक रकमों की उपलब्धि होने से निगम के पूंजीगत व्यय के लिए, जिसमें चन्द्रपुरा तापीय बिजली घर में 120–120 मेगावाट क्षमता वाले चौथे और पांचवें एककों की स्थापना के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रारम्भिक कार्यों और उपकरणों की खरीद के सम्बन्ध में होने वाले खर्च शामिल हैं; चालू वर्ष में, केन्द्र का अंशदान, मूल बजट अनुमान से कम होगा। काम की गति में वृद्धि होने, चौथे एकक के लिए पर्याप्त खर्च तथा चन्द्रपुरा तापीय बिजली घर के चौथे और पांचवे एककों और उस के प्रेषण तथा वितरण लाइनों के उपकरणों के सम्बन्ध में अदायगी की व्यवस्था करने से अगले वर्ष के अनुमान में वृद्धि होने की संभावना है।

(iii) चालू वर्ष के अनुमान में, कमी पूना स्थित केन्द्रीय जल और बिजली गवेषणा केन्द्र की कुछ योजनाओं में इस वर्ष के बजट अनुमान की अपेक्षा धीमी गति से काम होने के कारण है। अनुमान है कि काम की गति बढ़ जाने के कारण अगले वर्ष के अनुमान में वृद्धि होगी।

(iv) "अन्य मदें" शीर्षक के अन्तर्गत जो व्यवस्था की जानी है उसका सम्बन्ध इंजीनियरी संग्रहालय, बिजली गवेषणा-शाला, स्विचगियर परीक्षण और विकास प्रयोगशाला, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र और तापीय बिजली घर कर्मचारी प्रशिक्षण-शाला की भूमि, इमारतों, उपकरणों आदि पर होने वाले पूंजीगत व्यय से है। चालू वर्ष में, प्रशिक्षणशालाओं के लिए भूमि प्राप्त करने और प्रयोगशालाओं का निर्माण करने का काम कुछ धीमी गति से हुआ। किन्तु अनुमान है कि अगले वर्ष में, काम की गति तेज हो जायेगी।

(ख) सिंचाई, नौवहन तटबन्ध और जल निकासी कार्य :—इस शीर्षक के अन्तर्गत, संघीय राज्य क्षेत्र दिल्ली और दादरा तथा नगर हवेली में किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण के उन कार्यों के लिए व्यवस्था की जानी है, जो इन क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। चालू वर्ष में, दिल्ली में किये जाने वाले निर्माण कार्यों पर 111.20 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है जबकि बजट में 114.20 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस सम्बन्ध में, 1969-70 में, 83.15 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। दादरा और नगर हवेली में किये जाने वाले निर्माण-कार्यों पर, इस वर्ष, बजट अनुमान के अनुसार, 4 लाख रुपया और अगले वर्ष एक लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है ।

(ग) बिजली योजनाएं :—

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
			(लाख रुपयों में)
(I) निम्नलिखित क्षेत्रों की योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय :—			
अण्डनाम और निकोबार द्वीप समूह	10.00	10.00	10.00
चण्डीगढ़	16.00	23.00	12.68
दादरा और नगर हवेली	2.20	3.00	6.00
लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनद्वीप समूह . . .	5.00	5.00	4.50
उत्तर-पूर्व सीमा एजेंसी	20.00	30.00	30.00
जोड़	53.20	71.00	63.18
(II) भार प्रेषण प्रशिक्षण शाला . .	4.98	..	..
(III) दिल्ली के बदरपुर स्थित तापीय बिजली घर . .	448.86	448.86	1273.59
(IV) नाभिकीय बिजली घर :—			
(क) तारापुर बिजली घर	450.00*	1015.00*	400.42
(ख) राजस्थान बिजली घर	1750.00*	1763.63*	1423.19
(ग) कल्पक्कम बिजली घर	350.00*	199.01*	454.00
(घ) अन्य व्यय	14.00*	59.82*	76.39
जोड़—नाभिकीय बिजली घर	2564.00*	3037.50*	2354.00
जोड़—बिजली योजनाएं	507.04	519.86	3690.77

*चूंकि 1968—69 के आंकड़े, इस विभाग के "सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाओं" से सम्बद्ध वर्ग (II) "अन्य निवेशों" में दिखाये गये हैं इसलिये ये आंकड़े "बिजली योजनाओं" की रकमों के जोड़ में शामिल नहीं किये गये हैं।

(I) ये अनुमान, सम्बद्ध संघीय राज्य क्षेत्रों में बिजली लगाने और बिजली व्यवस्था में विस्तार करने के उद्देश्य से चलायी जाने वाली उन विभागीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय के हैं जो संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजना के अन्तर्गत आते हैं।

(II) वर्ष में विद्युत भार प्रेषण प्रशिक्षण-शाला की स्थापना होने की संभावना नहीं है। इस के लिये चालू वर्ष के बजट में 4.98 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

(III) अनुमान है कि वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, केन्द्रीय जल और बिजली आयोग द्वारा, दिल्ली के बदरपुर नामक स्थान पर 39.95 करोड़ रुपये की लागत से बनाये जाने वाले तापीय बिजली घर के 100-190 मेगावाट के तीन एककों में से पहला एकक 1971 के अन्त में चालू हो जायगा और उसके बाद [अन्य दो एकक भी छः छः महीने के बाद] चालू हो जायेंगे। 1969—70 में, कर्मचारियों की बस्ती प्रशासन के लिए आवश्यक इमारतों के निर्माण कार्य, इस्पात के ढांचों का निर्माण करने और उन्हें लगाने का काम और बिजली केन्द्र की मुख्य इमारत आदि के निर्माण-कार्य में काफी प्रगति होगी। आशा है कि बायलरों के लगाये जाने का काम भी वर्ष में शुरू हो

जायेगा। इसलिये प्रायोजना के निर्माण-कार्य में होने वाली, प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए 1969–70 के अनुमान में मुनासिब व्यवस्था कर दी गयी है।

(IV) तारापुर नाभिकीय बिजली घर जो लगभग तैयार होने वाला है, स्थापना के सम्बन्ध में होने वाले खर्च में चालू वर्ष में जो वृद्धि हुई है वह सीमा-शुल्क, उपयोग-खर्च और इंधन निर्माण खर्च की अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण है।

जहां तक राजस्थान बिजली घर का सम्बन्ध है, पहले एकक की परमाणु भट्टी (रिएक्टर) और टर्बाइन के लिए आवश्यक इमारतों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है और अन्य इमारतों के निर्माण का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। दूसरे एकक के निर्माण-कार्य में भी प्रगति हो रही है और 1969–70 में काम की गति और तेज हो जायगी। कल्पक्कम बिजली घर के प्रथम एकक के प्रारम्भिक निर्माण कार्यों में भी प्रगति हो रही है और आशा है कि 1969–70 में, इस एकक के निर्माण कार्य की गति और तेज हो जायगी। दूसरे एकक का निर्माण-कार्य भी जल्दी शुरू हो जायगा। चालू वर्ष में नाभिकीय बिजली घरों के लिए कुछ अधिक रकम की व्यवस्था, नांगल स्थित रासायनिक खाद बनाने के कारखाने में बनाये जाने वाले भारी पानी के स्टाक में वृद्धि किये जाने के कारण है।

लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और विविध सार्वजनिक सुधार की योजनाएं

इस शीर्षक के अन्तर्गत हिसाब में लिये गये निर्माण कार्यों पर पूंजी व्यय के अनुमान इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधन अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(क) सड़कें	38,55	38,74	45,28
(ख) इमारत, दिल्ली और चण्डीगढ़ से भिन्न	9,34	8,53	10,72
(ग) दिल्ली पूंजी परिव्यय	11,13	9,29	17,83
(घ) चण्डीगढ पर पूंजी परिव्यय	13	48	86
(ङ) दण्डकारण्य विकास योजना	3,03	3,00	3,00
(च) अवाध व्यापर क्षेत्र, काँडला	7	5	4
(छ) अन्य निर्माण-कार्य	6,84	1,16	–1,84
	69,09	61,25	75,89

(क) यह अनुमान राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और उनके विकास, जिसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है, सीमावर्ती सड़कों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली के संघीय प्रदेशों और उत्तर पूर्व सीमा ऐजेंसी की सड़कों के निर्माण और निकाय के लिए हैं। इन सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक-औजारों-और संयंत्रों के लिए व्यवस्था भी इन्हीं अनुमानों में की जाती है। ब्यौरा इस प्रकार है—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(1) राष्ट्रीय राजपथ	11,76	14,21	17,17
(2) सीमावर्ती सड़क	25,09	22,45	25,66
(3) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह,	40	40	40
दादरा और नगर हवेली, ...	5	8	10
पूर्वी सीमा एजेंसी की सड़कें	50	90	1,22
(5) औजार और संयंत्र	75	70	73
जोड़-सड़कें	38,55	38,74	45,28

(ख) चालू वर्ष और अगले वर्ष के अनुमान के आँकड़े रिहायशी और अन्य दोनों प्रकार की इमारतें बनाने के कार्यक्रम पर आधारित है। इन अनुमानों में विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी गयी इमारतों के मूल्य के रूप में वसूलियों, के लिए इस वर्ष 10 लाख रुपये और अगले वर्ष के बजट में 15 लाख रुपये की हिसाब में लिया गया है जबकि चालू वर्ष के बजट में इसके लिए 15 लाख रुपये रखे गये थे

(ग) दिल्ली में कार्यालयों और रिहायशी इमारतों पर और दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अभिग्रहण विकास और निपटारे की योजना और अन्य आवास योजनाओं, जिसमें झुग्गी और झोंपड़ी हटाने का काम शामिल है, पर होने वाला व्यय "दिल्ली पूंजी परिव्यय" नाम के एक अलग शीर्षक के अन्तर्गत खातों में दिखाया जाता है। चालू और अगले वर्षों के वास्तविक व्यय के अनुमान इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(i) कार्यालय और रिहायशी इमारतें	10,18	6,86	10,37
(ii) बड़े पैमाने पर भूमि का अभिग्रहण, विकास और निपटारा			
परिव्यय	7,88	11,18	9,68
बिक्री से आय	−7,88	−9,68	−3,42
वास्तविक	—	1,50	6,26
(iii) झुग्गी और झोंपड़ी हटाने की योजनाए	60	60	90
अन्य आवासन योजाएं	35	30	30
जोड़–दिल्ली पूंजी परिव्यय	11,13	9,29	17,83

(घ) निर्माण कार्यो पर पूंजीगत व्यय के अनुमान "चण्डीगढ़ पूंजी परिव्यय" नामक पूंजी शीर्षक के अन्तर्गत हिसाब में दिखाये जाते हैं जो इस प्रकार हैं:—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपये में)	
(i) इमारतें .	74	142	175
(ii) राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवासन योजना	2	2	1
(iii) सैक्टरों का विकास और रखरखाव	36	33	28
(iv) सम्पत्ति की बिक्री से वसूलियां	−99	−1 29	−1 18
जोड़—चण्डीगढ़ पूंजी परिव्यय	13	48	86

(ङ) इन अनुमानों में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए आंध्र प्रदेश उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सीमा पर दण्डकारण्य के विकास तथा उन क्षेत्रों के व्यक्तियों विशेषकर आदिमजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में किये जाने वाले वास्तविक खर्च के लिए व्यवस्था की गयी है।

(च) कांडला में अबाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क और आयात-निर्यात शुल्कों सम्बन्धी अन्य क्रियाविधियों के सम्बन्ध में सहायता दी जाती है ताकि ये उद्योग अपनी उत्पादन लागत कम कर सकें जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में मुकाबिला कर सकें। काम की गति धीमी रहने के कारण अब यह अनुमान है कि चालू वर्ष में की गयी व्यवस्था की रकम पूरी तरह उपयोग में लायी जायगी। फिर भी चालू वर्ष में निर्माण कार्यों पर होने वाला अधिकांश खर्च पूरा हो जाने की सम्भावना है

(छ) निर्माण कार्यों की ऐसी मदों का पूंजीगत व्यय जिन के लिए कोई अलग शीर्षक नहीं है। इस शीर्षक अर्थात् :—"अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय" के अन्तर्गत हिसाब में दिखाया जाता है। निर्माण-कार्य और उन के अलग-अलग अनुमान इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
(i) अनाज रखने के गोदामों का निर्माण निर्माण की लागत . .	83	99	181
गोदामों को भारतीय खाद्य निगम को अन्तरित किये जाने से वसूलियां	—	—5,27	—9,10
वास्तविक	83	—4,28	—7,29

मुख्यतः बजट बन जाने के बाद किये गये निश्चय के अनुसार 90,000 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों को निर्माण का काम हाथ में लेने के कारण अगले वर्ष में निर्माण पर होने वाले अनुमित व्यय में वृद्धि हुई है। 1969-70 के बजट-अनुमान में और वृद्धि उन सारे निर्माण कार्यों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के कारण होगी जिन के निर्माण का काम चालू वर्ष में अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना नहीं है। चूंकि वर्तमान गोदामों को धीरे-धीरे भारतीय खाद्य निगम को अन्तरित किया जा रहा है और भविष्य में सभी गोदामों का निर्माण उन के द्वारा किया जाना है इसलिए 1969-70 में किसी नये निर्माण की परिकल्पना नहीं है।

ii चावल के आधुनिक कारखाने की स्थापना .	4	5	—4
iii पुर्नवास के लिए जमीन को खेती योग्य बनाने की योजना .	87	110	100
iv विशेषक्षेत्र विकास योजना	53	25	50

चालू वर्ष में कमी मुख्यतः महाराष्ट्र के चांदा जिले में संचार कार्यक्रम पर व्यय के मुख्य भाग को पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाये जाने को बजाय "ऋण" के अन्तर्गत समायोजत किये जाने के कारण हुई हैं। अगले वर्ष के अनुमानों में अण्डमान और महाराष्ट्र के निर्माण कार्य की गति में सम्भावित वृद्धि के लिए व्यवस्था की गयी हैं :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
(v) परमाणु शक्ति विभाग भूमि और इमारतें . .	86	54	75
ट्रोम्बे में बस्ती	200	220	130
हैदराबाद कम्पलेक्स के लिए आवास बस्ती . .	65	39	60
जोड़	3,51	3,13	2,65
(vi) सीमावर्ती चौकियां और सीमा सुरक्षा दल के लिए स्थान .	70	72	43
(vii) पर्यटन विकास के लिए योजनाएं . . .	36	19	90
जोड़—अन्य निर्माण कार्य . . .	6,84	1,16	—1,85

परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)

इस भाग में निम्न मदों का पूंजी परिव्यय दिखाया जाता है।

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
(1) बन्दरगाह	3 18	3,79	6,33
(2) प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	..	..	35
(3) उड्डयन	8,11	8,79	12,83
(4) सड़क और जल परिवहन योजना	3	10	5
(5) समुद्रपारी संचार सेवा	4 38	3,49	3,35
(6) तेल वाहक जहाज आदि	69	1,26	2,64
जोड़	16,29	17,43	25,55

(1) इस शीर्षक में उन छोटे और बड़े बन्दरगाहों के निर्माण जिनका प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार द्वारा किया जाता है) और संघीय राज्य क्षेत्रों की बन्दरगाहों के निर्माण सम्बन्धी पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था की जाती है।

ब्यौरा इस प्रकार है	बजट अनमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनमान 1969-70
		(लाख रुपयों में)	
(क) मंगलौर बन्दरगाह, मैसूर	74	141	256
(ख) तुत्तकुड़ी बन्दरगाह, मद्रास	89	119	239
(ग) जोगीगोषा बन्दरगाह	16	9	8
(घ) लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समह में पत्तन और नौचालन सम्बन्धी सुविधाएं	30	10	20
(ङ) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह छोटी बन्दरगाह का विकास .	70	60	70
छोटे खातों का निर्माण	40	40	40

(क) और (ख) के अन्तर्गत अनमानों में वृद्धि होने का कारण निर्माण-कार्य की गति तेज होना है।

(2) प्रकाशस्तम्भों और प्रकाशपोतों के चालू खर्च की रकम घटाने के बाद जो अधिशेष बच रहता है उसे प्रकाशस्तम्भों और प्रकाशपोतों की सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित कर दिया जाता है। प्रकाशस्तम्भों और प्रकाशपोतों के पूंजीगत व्यय की व्यवस्था पूंजी खाते में की जाती है और यह रकम सामान्य प्रारक्षित निधि से उस हद तक वसूल करली जाती है जिस हद तक उस निधि में रकम उपलब्ध हो। संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनमान में प्रकाशस्तम्भों और प्रकाशपोतों के कुल पूंजीगत व्यय के लिए क्रमश: 63.37 लाख रुपये और 105.99 लाख रुपये की रकमें आंकी गयी हैं, जब कि चालू बजट में 53.41 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। 1969-70 के अनुमित व्यय में से केवल 70.59 लाख रुपये की रकम प्रारक्षित निधि से पूरी किये जाने का अनुमान है।

(3) इस शीर्षक के अन्तर्गत देश के अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य हवाई अड्डों के निर्माण और सुविधाओं के व्यय के लिए व्यवस्था की जाती है। अगले वर्ष के बजट में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं: (i) निर्माण-कार्य की गति में प्रत्याशित तेजो, (ii) अधिक शक्ति के निगरानी रेडारों की स्थापना, और (iii) विश्व ऋतु विज्ञान संगठन द्वारा चलायी गयी विश्व मौसम देख रेख योजना में भारत द्वारा

भाग लेना जिस के लिए उपर्युक्त संगठन के स्वेच्छा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.63 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(4) अनुमानों में चण्डीगढ़ में सरकारी सड़क, परिवहन सेवा पर पूंजी व्यय के लिए इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए क्रमशः 3.46 लाख रुपये और 3.10 लाख रुपये शामिल हैं। 1968-69 के संशोधित अनुमान की बकाया रकम और 1969-70 के बजट अनुमान की रकम उन रम्य नौकाओं और अन्य भार-नौकाओं की खरीद के लिए है जिन्हें राष्ट्रीय राजपथों के मार्ग में आने वाली नदियों के पुलों के नीचे सहायता के काम के लिए तैयार रखा जायगा ।

(5) संशोधित अनुमान में कमी का मुख्य कारण यह है कि उपग्रह प्रायोजना, जिसमें भू-मण्डलीय उपग्रह व्यवस्था ग्लोबल सेटेलाइट सिस्टम) के साथ कार्य करने के लिए पृश्वी पर एक केन्द्र की स्थापना की जायगी, क्रियान्वित करने में देरी हो गयी । अगले वर्ष उपग्रह प्रायोजना के लिए संयंत्र और मशीनों के आयात के लिए अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार केन्द्र और दोहराने वाले केन्द्रों के लिए भूमि लेने के लिए भी अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है। चालू वर्ष और अगले वर्ष के अनमानों में भू-मण्डलीय संचार उप-ग्रह व्यवस्था (ग्लोबल कम्यूनिकेशन सेटेलाइट सिस्टम) में भारत के अंशदान के लिए क्रमशः 30 लाख रुपये और 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(6) निम्नलिखित मदों के लिए व्यवस्था की गयी है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
(क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में अन्तर्द्वीपीय सेवा के लिए जहाजों और नौकाओं की खरीद	3	23	18
(ख) लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनद्वीप द्वीपसमूहों के लिए लांच और नौकाएं	5	11	1
(ग) छोटी बन्दरगाहों के लिए मिट्टी निकालने और सर्वेक्षण के बाद के नौका समूह	50	50	1,60
(घ) "डफरिन" के बदले प्रशिक्षण जहाज की खरीद . .	1	42	85
जोड़	59	1,26	2,64

मुद्रा और टकसाल :—

इस भाग में शामिल व्यवस्था का ब्यौरा प्रकार है—

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
	(लाख रुपयों में)		
(क) धातु की खरीद	2,20	2,473	-5,48
(ख) सोने की खरीद	2,66	2,72	2,37
(ग) सिक्योरिटी पेपर मिल्स	42	68	53
(घ) मुद्रा नोट प्रेस	30	14	29
(ङ) एशियाई विकास बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान . . .	6,98	6,98	6,98
(च) उस्मानिया सिक्के के नोटों के दायित्व के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को की गयी अदायगी की वापसी	-60	-60	-60
(छ) टकसालें	79	49	50
(ज) कोलार की सोने की खानें	80	82	94
जोड़—मुद्रा और टकसाल	14,05	13,43	6,28

(क) सिक्का ढलाई के लिए धातु की खरीद पर होने वाले व्यय और गलाये गये अप्रचलित सिक्कों की धातु के मूल्य का हिसाब इस शीर्षक में दिखाया जाता है। सिक्का ढलाई के लिए अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए वास्तव में उपयोग में लायी गयी अथवा बेची गयी धातु का मूल्य वसूलियों के रूप में माना जाता है।

(ख) कोलार की सोने की खानों से निकाले गये सोने का मूल्य तथा स्वर्ण बांडों की बिक्री से प्राप्त सोने के मूल्य और राष्ट्रीय रक्षा निधि में दिये गये सोने के मूल्य का हिसाब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि के भाव पर इस शीर्षक के अन्तर्गत लगाया जाता है। इसका ब्योरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(i) कोलार का सोना	2,03	2,30	2,36
(ii) स्वर्ण के बांडों का विक्रय मूल्य	50	29	..
(iii) राष्ट्रीय रक्षानिधि में अंशदान	13	13	1
जोड़—सोने की खरीद	2,66	2,72	2,37

यद्यपि कोलार की सोने की खानों से निकाले गये सोने की उतनी ही बराबर की सामने दिखायी जमा खातों की राजस्व प्राप्तियों के रूप में मानी जाती है किन्तु स्वर्ण बांडों की बिक्री के और राष्ट्रीय रक्षानिधि के अंशदान के सोने की जमा का समायोजन क्रमश: "सरकारी ऋण" और निधि में किया जाता है।

(ग) चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में वृद्धि 1967–68 में प्राप्त सामान का भुगतान किये जाने और कुछ सांचों के आवरण मिल जाने के कारण हुई है। यह वृद्धि इमारतों पर कम व्यय होने से अंशतः प्रति संतुलित हो जायगी। अगले वर्ष के अनुमानों में, सहयोगियों को की जाने वाली अदायगी सहित मिल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में व्यय की उन मदों की बकाया रकमों की अदायगी के लिये व्यवस्था की गयी है जिन के लिए वायदा किया गया था।

(घ) इमारतें बनाने और संयंत्र और मशीनों को प्राप्त करने पर होने वाला व्यय चालू वर्ष में बजट अनुमानों से अब कम होने की कल्पना है। 1969–70 के बजट अनुमानों में वृद्धि का कारण यह है कि कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण का काम पूरा होने की आशा है और संयंत्र और मशीनें प्राप्त की जानी हैं।

(ङ) एशियाई विकास बैंक की स्थापना किये जाने के समझौते के अनुसार बैंक की शेयर पूंजी में भारत का अंशदान 930 लाख डालर निर्धारित किया गया है, जिसमें से आधी रकम बराबर की पाँच वार्षिक किस्तों में अदा की जानी है और शेष आधी रकम बैंक द्वारा माँगें जाने पर देय होगी। बजट अनुमानों में, 1968–69 और 1969–70 में तीसरी और चौथी किस्तों के लिए प्रति किस्त 6.98 करोड़ रुपये की अदायगी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक वार्षिक किस्त की आधी रकम सोने के रूप में अथवा परिवर्तनीय मुद्रा में देनी होगी और बाकी आधी रकम, बिना ब्याज की अहस्तांतरणीय विशेष रुपया प्रतिभूतियों में दी जायगी।

(च) हैदराबाद के संघीय केन्द्रीय वित्त व्यवस्था में मिलाये जाने के कारण हैदराबाद की कागज की मुद्रा की प्रारक्षित निधि की परिसम्पत्तियों को जो अंशतः नकदी और भारत सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में और अंशतः निजाम सरकार द्वारा जारी की गयीं तदर्थ प्रतिभूतियों सहित उस सरकार के द्वारा जारी की गयी सामान्य प्रतिभूतियों के रूप में थीं, रिजर्व बैंक ने, उस्मानिया सिक्के के बदले भारतीय मुद्रा जारी करके अपने अधिकार में ले ली थी। चूंकि बैंक अपने चार्टर के अनुसार उसके द्वारा जारी किये गए नोटों के लिए उसमानिया सिक्के की प्रतिभूतियाँ नहीं रख सकता था, इसलिए सरकार ने उसमानियां सिक्के की प्रतिभूतियां बैंक से खरीद कर लीं थीं। इसके अतिरिक्त, प्रारक्षित निधि की अन्य प्रतिभूतियों के पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर सरकार ने बैंक को दिया। बैंक को कुल 8.96 करोड़ रुपये की अदायगी की गयी थी। जिसे आरम्भ में पूंजी शीर्षक "मुद्रा और सिक्का ढलाई" में नामें डाली गयी थी और इसे 1959–60 से आरम्भ होने वाली वार्षिक 15 किस्तों में राजस्व व्यय में डाला जा रहा है। इस शीर्षक के अन्तर्गत बतायी गयी वसूली इस शीर्षक के अन्तर्गत वापस डाली जाने वाली रकम की द्योतक है।

(छ) चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में बचत मुख्य रूप से रोलिंग मिल और धातु पर चमकदार पानी चढ़ाने की मट्टी प्राप्त न होने के कारण हुई है। आशा है कि इन दोनों की प्राप्ति 1969–70 में होगी।

(ज) भारत सरकार ने कोलार सोना खनन उपक्रम मैसूर सरकार से पहली दिसम्बर, 1962 को खरीद लिया। अब, इस उपक्रम को केन्द्रीय सरकार की एक विभागीय वाणिज्यिक कम्पनी के रूप में चलाया जा रहा है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों के थोड़ी सी वृद्धि उस खनन क्षेत्र को उपयोग में लाने के कारण हुई है, जिसमें चट्टानें फटती हैं और आग लगती है। 1969-70 में अधिक व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि चट्टानों के जमाव को जाहिर करने वाले केम्पिकोट के खनिज क्षेत्र का पता लगाने के कारण खानों के विकास की आयोजना से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके।

विविध

इस भाग में "सरकारी व्यापार की योजनाएं", सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस", "वन", पेशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी" और पहले के भागों में न दिये गये बाकी अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाये जाने वाले असैनिक विभागों के लेन-देने दिखाये जाते हैं। ब्यौरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
			(लाख रुपयों में)
सरकारी व्यापार की योजनाएं —			
(i) अनाज की खरीद और बिक्री	101,45	—64,10	—5,36
घटाइये (ii) राजस्व से पूरी की गयी व्यापार सम्बन्धी हानि . .	—19,79	—19,71	—20,19
वास्तविक	81,66	—83,81	—25,55
(iii) रासायनिक खाद की खरीद और बिक्री . . .	—7,37	—36,77	—12,50
(iv) सरकारी व्यापार की अन्य योजनाएं	4,45	5,98	1,92
जोड़—सरकारी व्यापार की योजनाएं	78,74	—114,60	—36,15
(v) अन्य—			
(क) सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस	47	31	67
(ख) वन	22	2	25
(ग) पेंशनों को राशीकृत मूल्य	3,79	4,09	4,80
(घ) स्टर्लिंग पेंशनें	(—) 3,92	—3,92	—3,97
(ङ) विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदान	27,23	23,83	6,28
(च) विस्थापित व्यक्तियों के मुआवजे और पुनर्वास अनुदानों की अदायगी	(—) 5,90	—6,54	—5,53
(छ) सिन्धु नदी जल सन्धि के अन्तर्गत अदायगियां .	6,14	6,14	5,39
	28,04	23,91	7,89

(i) और (ii) अनाज की खरीद और बिक्री तथा राजस्व से पूरी की जाने वाली व्यापार सम्बन्धी हानि—लेन-देनों के अनुमान इस प्रकार हैं :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
I. व्यय			
(क) अनाज की खरीद :			
(i) भारत में अदायगियां	311,77	283,46	30,12
(ii) विदेशों में अदायगियां	112,74	124,96	17,27
जोड़—अनाज की खरीद पर व्यय	434,51	408,42	47,39
(ख) पत्तन न्यासों आदि को अग्रिम की अदायगी	20	50	—
जोड़—व्यय	434,71	408,92	47,39
II—वसूलियां			
(क) अनाज की बिक्री से प्राप्त रकम	336,06	472,52	52,75
(ख) अग्रिम	20	50	—
जोड़—वसूलियां	336,26	473,02	52,75
वास्तविक—अनाज की खरीद और बिक्री . . .	101,45	—64,10	—5,36
राजस्व से पूरी की गयी व्यापार सम्बन्धी हानि . .	—19,79	—19,71	—20,19
वास्तविक	81,66	—83,81	—25,55

इस वर्ष अनाज की खरीद पर 408.42 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। यह रकम अनुमानित खर्च के मुकाबले 26.09 करोड़ रुपया कम है जिसका मुख्य कारण अनाज का कम आयात किया जाना है। चूंकि पहली अप्रैल, 1969 से अनाज के आयात काम भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायगा इसलिए 1969–70 से सरकारी खाते में अनाज की खरीद के लिए किसी रकम की व्यवस्था नहीं की गयी है। 1969–70 के बजट अनुमान में जो 47.39 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है वह मार्च, 1969 के अन्त तक अनाज के लदान के सम्बन्ध में सरकारी खाते से अदायगी करने और उपहार के रूप में मिले अनाज के बारे में समायोजन करने के लिए है।

17 जून, 1968 से आयातित गेहूं के मूल्य को, उसी किस्म के देसी गेहूं (मैक्सिकन और कामन ह्वाइट) के मूल्यों के साथ साथ मिला कर समान स्तर पर ले आया गया तथा आयातित और देसी गेहूं के बिक्री मूल्य में संशोधन कर दिया गया। आयातित माइलो सफेद गेहूं तथा देसी सामान्य सफेद गेहूं की कीमतों में 16 दिसम्बर, 1968 से फिर संशोधन कर दिया गया।

देसी और आयातित दोनों किस्म के मुख्य-मुख्य अनाजों के खरीद की औसत लागत (आर्थिक दृष्टि से उचित लागत) और उस पर इस समय दी जाने वाली राजसहायता की रकम नीचे दी गयी है :—

आयातित अनाज	खरीद की औसत लागत	राजसहायता
	(प्रति क्विंटल रुपयों में)	
गेहूं (लाल)	67.5	शून्य
गेहूं (सफेद)	66.0	शून्य
चावल	133.0	37
माइलो	58	7
देसी अनाज		
गेहूं (लाल/मैक्सिकन)	94.0*	24
गेहूं (सामान्य सफेद)	94.0*	9
गेहूं (बढ़िया)	99.0*	4
चावल (मोटा)	*71.0 से 86.0 तक	शून्य
चावल (बढ़िया)	*83.0 से 122.0 तक	शून्य

(*इनकी खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है)

अनुमान है अनाज की खरीद से चालू वर्ष में 5.68 करोड़ रुपये की हानि होगी । इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिए दी गई राजसहायता की रकम की प्रतिपूर्ति के लिए खाद्य निगम को लगभग 20 करोड़ रुपया दिया जाता है । निगम ने यह रकम अनाज की खरीद और विभिन्न राज्य सरकारों आदि को अनाज भेजने पर अपने पास से खर्च की थी । इस अदायगी के लिए माँग संख्या 33 के राजस्व खर्च में व्यवस्था कर दी गयी है ।

1967–68 में व्यापार से हुई हानि की रकम 93.69 करोड़ रुपया थी । इसमें खाद्य निगम द्वारा उपभोक्ताओं के लिए दी गयी राजसहायता जिसका भार निगम ने उठाया था, 1.25 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं है । 1967–68 में खरीदे गये अनाज की मुख्य मुख्य मदों (देसी और आयतित) की कुल मात्रा, उनका मूल्य और व्यापरिक हानि का संक्षिप्त व्यौरा नीचे दिया गया है :—

अनाज का नाम	खरीदी गयी मात्रा (लाख मेट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	औसत खरीद लागत (प्रति क्विंटल)	औसत कीमत (प्रति क्विंटल)	व्यापारिक हानि (करोड़ रुपयों में)
गेहूं	67.18	436.9	65.0	57.5	61.6
चावल	5.61	54.1	96.4	86.2	4.52
माइलो	14.23	84.4	59.3	40.0	27.38

पहली अप्रैल, 1969 से सभी प्रकार के अनाज का आयात और देसी अनाज की वसूली भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जायगी और भेजे जाने वाले अनाज की मात्रा खाद्य विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारण सम्बन्धी आदेशों के आधार पर की जायगी । सरकार की देनदारी, आयतित और देसी, दोनों किस्म के अनाजों के लेन-देनों को हिसाब में लेने के बाद निगम को हुई वास्तविक हानि की रकम तक सीमित है । 1969–70 में भारतीय खाद्य निगम को देय हानि की रकम 20 करोड़ रुपया है । इसके लिए राजस्व से किये जाने वाले व्यय के अनुमानों में व्यवस्था कर दी गयी है ।

(III) **रासायनिक खाद की खरीद और बिक्री** : चालू वर्ष और अगले वर्ष में रासायनिक खाद की खरीद पर क्रमशः 234.77 करोड़ रुपया और 221.34 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। चालू वर्ष के बजट में इसके लिए 267.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। केन्द्रीय रासायनिक खाद निकाय के लिए खरीदे गये माल में पहली अक्टूबर, 1968 से देश में उत्पादित रासायनिक खाद की 30 प्रतिशत मात्रा भी शामिल है, परन्तु पहली जनवरी, 1969 से निकाय द्वारा देश में की जाने वाली यह खरीद बन्द कर दी गयी है। निकाय द्वारा बेच जाने वाले रासायनिक खादों से चालू वर्ष में 271.54 करोड़ रुपया और 1969–70 में 233.84 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान।

(IV) **सरकारी व्यापार की अन्य योजनाएं**—इस मद में अन्न खरीद संगठन के खर्च का अनुमान शामिल है जिसके लिए चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 3.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि मूल अनुमानों में 4.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अगले वर्ष के बजट में इस संगठन के लिए 12 लाख रुपये की मामूली सी व्यवस्था की गयी है क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अन्न की वसूली का काम पहली अप्रैल, 1969 से भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायगा। सरकारी व्यापार की अन्य योजनाओं में जिनके लिए इस मद के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है, अधिक महत्वपूर्ण ये हैं—दिल्ली दुग्ध योजना, चिकित्सा सामग्री भण्डार और कारखाने, परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक उपकरणों आदि की खरीद और उनका वितरण, राष्ट्रीय मलेलिया और फीलपाँव उन्मूलन कार्यक्रमों को जोरदार बनाने के लिए सामग्री और उपकरणों की इकट्ठी खरीद, संघीय राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता और अन्य सामान की सप्लाई आदि। इन सब योजनाओं के वास्तविक व्यय के लिए चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 2.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जबकि मूल बजट में 44 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस वृद्धि में से 81 लाख रुपये की वृद्धि मुख्यतः दूध के मूल्यों में वृद्धि होने और कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत हुई है। अगले वर्ष के बजट अनुमान में इस योजना के खर्च के लिए 9.73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है तथा बिक्री आदि से 8.89 करोड़ रुपये की वसूली होने का अनुमान है।

(V) **अन्य**

(क) **सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस**—मुख्यतः क्वार्टर आदि के निर्माण कार्य की प्रगति प्रत्याशित से धीमी होने के कारण अब चालू वर्ष में होने वाले खर्च का अनुमान, मूल बजट में की गयी व्यवस्था से 16 लाख रुपये कम है। अगले वर्ष के बजट अनुमान में ऐसे निर्माण कार्यों के अधिक खर्च, अतिरिक्त मशीनें और उपकरणों जिनमें स्टाम्पों की छपाई के लिए कई रंगों को एक साथ छापने की मशीन शामिल है, प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गयी है।

(ख) वन—चालू वर्ष के बजट अनुमान में वन अनुसन्धान संस्थान के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। अनुमान है कि भूमि की प्रस्तावित प्राप्ति और उसके मुआवजे की अदायगी का काम इस वर्ष पूरा नहीं हो सकेगा। इस लिए चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में से यह रकम निकाल दी गयी है और अगले वर्ष के बजट अनुमान में व्यवस्था करदी गयी है।

(ग) **पेंशनों का राशीकृत मूल्य**—पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी का खर्च शुरू में इस शीर्षक में नामे डाला जाता है और बाद में 15 वर्ष की अवधि में फैलाकर राजस्व खाते में वापस डाल दिया जाता है। अनुमान है कि इस वर्ष और अगले वर्ष क्रमशः 5.14 करोड़ रुपये और 6.05 करोड़ रुपये की कुल अदायगियां की जायंगी, जबकि चालू वर्ष के बजट में 3.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। चालू वर्ष और अगले वर्ष में होने वाली वृद्धि मुख्यतः रक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों को पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अधिक अदायगी के कारण हुई है। राजस्व खाते में वापस डाले जाने और विभाज्य पेंशनों के कारण राज्य सरकारों से हुई वसूलियों से इस वर्ष 1.05 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 1.25 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। इस वर्ष के संशोधित अनुमान में और अगले वर्ष के बजट अनुमान में वास्तविक अदायगियों के लिए क्रमशः 4.09 करोड़ रुपये और 4.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(घ) **स्टर्लिंग पेंशनें**—स्टर्लिंग पेंशनों की अदायगी करने के लिए पौण्ड पावना करार, 1948 के अधीन भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन की सरकार से खरीदी जाने वाली स्टर्लिंग वार्षिकियों पर होने वाला खर्च "स्टर्लिंग पेंशनों पर पूंजी परिव्यय" नामक शीर्षक में नामे डाल दिया जाता था। पहली अप्रैल 1955 से उन स्टर्लिंग पेंशनों की अदायगी की जिम्मेदारी, पेंशनों का पूंजीकृत मूल्य चुका कर ब्रिटेन की सरकार को सौंप दी गयी थी, जो भारत, पाकिस्तान, अदन और बर्मा को छोड़कर अन्य देशों में दी जाती थीं। अन्तरित की गयी पेंशनों के पूंजीकृत मूल्य का समायोजन करने के बाद, खरीदी गयी स्टर्लिंग वार्षिकियों की बकाया रकम ब्रिटेन की सरकार द्वारा पहली अप्रैल, 1955 से शुरू करके दस बराबर वार्षिक किस्तों में वापस की जानी थी। ब्रिटेन की सरकार द्वारा अदा की गयी किस्तें इस शीर्षक के अन्तर्गत वसूलियों के रूप में दिखायी जाती थीं। ब्रिटेन द्वारा देय बकाया रकम अन्तिम रूप से 399.3 लाख पौण्ड आंकी गयी थी। 1964–65 में बकाया रकम को अन्तिम किस्त प्राप्त हो जाने पर ब्रिटेन सरकार से इस मद के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वसूलियां बन्द हो गयीं।

पूंजी शीर्षक के अन्तर्गत शेष रकम को, जो ब्रिटन की सरकार को अन्तरित की गयी पेंशनों के अनुमानित पूंजीगत मूल्य की अदायगी की द्योतक है, बर्मा सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक विभागों और रक्षा सेवाओं से प्राप्त होने वाले हिस्से की वसूली के बाद, 30 वर्षों की अवधि

में फैलाकर, मूलधन और ब्याज की वार्षिक समीकृत किस्तों में राजस्व में वापस डाला जाना है । अनुमानित वसूलियों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
			(लाख रुपयों में)
राज्य सरकारों से प्राप्तव्य अंश	(–)67	–68	–67
रक्षा सेवाओं के नामे डाला जाने वाला अंश	(–)258	–258	–261
डाक-तार विभाग से प्राप्तव्य अंश	(–)5	–5	–5
रेलों से प्राप्तव्य अंश	(–)5	–4	–5
राजस्व (असैनिक) से व्यय	(–)58	–58	–59
जोड़	(–)393	–393	–397

(ङ) विकास के लिए अनुदान—इस शीर्षक में राज्य सरकारों को और अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों की अदायगियों का खर्च दिखाया जाता है । चूंकि इस खर्च की रकम अधिक होनी है इसलिए उसे पहले पूंजी खाते में दिखाया जाता है और जिस वर्ष रकम अदा की जानी है उसे उसके बाद के वर्ष से शुरू करके 15 वर्ष की अवधि में राजस्व खाते में डाल दिया जाता है । दिये जाने वाले सहायक अनुदानों के प्रयोजनों और उनके सम्बन्ध में प्रत्येक के अनुमान इस प्रकार हैं :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
स्थानीय विकास कार्य	328	275	..
जन शक्ति के उपयोग की प्रायोजना	225	225	..
ग्रामीण उद्योगों का ज़ोरदार विकास	80	80	40
औद्योगिक आवासन और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना . .	384	344	24
राष्ट्रीय जल पूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम	340	351	37
सीमावर्ती सड़कों और सामरिक महत्व की सड़कों सहित अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कें	4238	3987	3751
जोड़ .	5595	5262	3852
घटाइए—राजस्व में वापस डाली गयी रकम	—2872	—2880	—3224
वास्तविक .	2723	2382	628

1969–70 के बजट अनुमानों में इस शीर्षक के अन्तर्गत राज्यों को उनके स्थानीय विकास-कार्यों, ग्रामीण जन शक्ति कार्यक्रम और आवासन योजनाओं, गन्दी बस्तियां हटाने की योजनाओं और राष्ट्रीय जल पूर्ति कार्यक्रम (केन्द्रीय अन्वेषण कक्षों को छोड़ कर) के लिए दिये जाने वाले अनुदानों की अदायगी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

ये योजनाएं 1969–70 से राज्य की आयोजनाओं का अंग बन जायेंगी और इसके परिणामस्वरूप इनके लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, राजस्व से दिये जाने वाले सहायक अनुदानों की इकट्ठी रकम का भाग बन जायगी । चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में

राजस्व में वापस डाली जाने वाली रकम के कारण होने वाली वसूली का अनुमान 1967-68 के अन्त तक की गयी और इस शीर्षक में नामे डाली गयी अदायगियों के आधार पर लगाया गया है। इसी प्रकार 1969-70 में राजस्व में वापस डाली जाने वाली रकम का अनुमान चालू वर्ष के अन्त तक की जाने वाली अदायगियों के आधार पर लगाया गया है।

(च) **विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास सम्बन्धी अनुदानों की अदायगी**—इस शीर्षक में विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में की जाने वाली अदायगी और जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों के विस्थापितों को की जाने वाली अदायगियां दिखायी जाती हैं। राजस्व से अन्तरित निष्क्रान्त सम्पत्ति का विक्रय मूल्य इस शीर्षक में जमा किया जाता है और वास्तविक पूंजीगत व्यय 15 वर्षों में राजस्व में वापस डाल दिया जाता है।

चालू बजट में पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की अदायगी किये जाने के लिए 40.10 लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 15 लाख रुपये सरकारी सम्पत्ति के अन्तरण, 18 लाख रुपये ऋणों के समायोजन और 7.10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के लिए हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्रों के विस्थापितों को अदायगी करने के लिए 60.10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को अदायगी किये जाने के लिए आवश्यक संशोधित रकम 32.10 लाख रुपये रखी गयी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों से आये विस्थापितों को अदायगी किये जाने के लिए 47.10 लाख रुपये की रकम का अनुमान है।

अगले बजट में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए 25.10 लाख रुपये की कुल व्यवस्था की गई है। जिस में से 8 लाख रुया अन्तरित की गई सरकारी सम्पत्ति के मूल्य के रूप में, 7 लाख रुपया ऋणों के समायोजन के रूप में और शेष 10.10 लाख रुपये नकद अदायगी के रूप में होगा। अगले बजट में पाकिस्तान अधिकृत, जम्मू और काश्मीर के क्षेत्रों से आये विस्थापितों को अदायगी करने के लिये भी 35.10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत लगाये गये अनमानों में राजस्व से अन्तरित निष्क्रान्त सम्पत्ति के विक्रय मूल्य से इस वर्ष 2.93 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 1.95 करोड़ रुपये कीं वसूली होने का अनुमान है जिस के लिए राजस्व मांग में "विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय" मांग के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है। राजस्व में वापस डाला जाने वाला वास्तविक पूंजीगत व्यय इस वर्ष 4.08 करोड़ रुपए और अगले वर्ष 3.93 करोड़ रुपये होगा। इन समायोजनों के परिणामस्वरूप इस शीर्षकके अतर्न्गत इस वर्ष 6.54 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 5.53 करोड़ रुपये की रकम जमा के रूप में दिखायी जायगी।

(छ) **सिन्ध नदी जल संधि के अन्तर्गत अदायगियां**:—सिन्धु नदी जल संधि, 1960 की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान के प्रतिस्थापन सम्बन्धी निर्माण कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिये, अन्तरर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा स्थापित और प्रशासित सिंधु घाटी विकास निधि में जमा करने के लिए की जाने वाली अदायगियां इस शीर्षक में नामे डाली जाती हैं। संधि के अनुसार भारत द्वारा देय अंशदान की रकम 6,20,60,000 डालर बैठती है। जो बराबर बराबर की दस किस्तों में प्रति वर्ष पहवी नवम्बर को दी जानी है और पहली किस्त 1960-61 में दी गयी थी। आरम्भ में ये अदायगयां लेखों के पूंजी मांग में नामे डाली जाती हैं और फिर बराबर बराबर की 15 वार्षिक किस्तों में राजस्व में वापस डाल दी जाती हैं।

चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में नवम्बर, 1968 में की गयी अदायगी के खर्च को पूरा करने के लिए 11.20 करोड़ रुपये की और राजस्व में अन्तरण के लिए 5.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार इस शीर्षक के अन्तर्गत 6.14 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च होगा 1969-70 में यद्यपि 11.2 करोड़ रुपये की अदायगी की जायगी, लेकिन राजस्व में 5.81 करोड़ रुपये वापस डाले जायेंगे और इस प्रकार वास्तविक व्यय 5.39 करोड़ रुपया होगा।

रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय : ब्यौरा रक्षा बजट में दिया गया है। इस वर्ष के गजट में कुल व्यय के लिए 130.90 करोड़ रुपये और पूंजी खाते में वसूलियों के लिए 10.10 करोड़ रुकमें दिखायी गयी थी। संशोधित अनुमान में अब 118.32 करोड़ रुपयपये और अगले वर्ष के बजट में 131.12 करोड़ रुपये के कुल खर्च के लिए व्यवया की गई है। पूंजीखाते में इस वष 10.57 करोड़ रुपये की वसूली होगी और अगले वर्ष 6.90 करोड़ रुपये की ,

रेलें :—ब्यौरा रेलवे बजट में दिया गया है।

डाक-तार का पूंजी परिव्यय

ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपयों में)	
1. कुल व्यय :			
(क) डाक	156.36	328.69	307.90
(ख) तार	713.00	686.00	840.11
(ग) रेडियो	36.50	31.50	21.50
(घ) टेलीफोन	3874.14	2903.81	3330.49
(ङ) उचन्त सामान और निर्मित वस्तुएं	1371.50	1509.00	12.7000
कुल	6151.50	5459.00	5770.00
2. घटाइए—वसूलियां			
(1) पूंजीखाते की प्राप्तियां और वसूलियां	–1375.96	–1514.25	–1283.59
(2) नवीकरण प्रारक्षित निधि से व्यय	–400.00	–300.00	–450.00
(3) अपने टेलीफोन के मालिक आप बनिए और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पेशगी किराये से व्यय	–865.00	–500.00	–500.00
(4) पूंजी प्रारक्षित निधि से मदद	–465.00	–100.00	–120.00
जोड़—वसूलियां	–2105.96	–2414.25	–2353.59
शुद्ध पूंजी परिव्यय	3045.54	3044.75	3416.41

ऋण और अग्रिम

(क) राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र—ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था का स्थूल ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपयों में)	
(1) राज्य सरकारें	8,27,82	8,90,82	7,66,91
(2) संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारें	27,89	24,37	26,83
जोड़	855,71	951,19	793,74
घटाइए—प्रतिशत निधियों से व्यय	–3	–3	..
	855,68	915,16	793,74

(1) **राज्य सरकारें**:—आयोजनागत योजनाओं, दैवी विपत्तियों आदि के व्यय को पूरा करने के लिए और अर्थोपाय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में ऋण दिये जाते हैं। आयोजनागत योजनाओं के लिए, ऋण और अनुदान दोनों के रूप में, केन्द्रीय सहायता अब अप्रल से आरम्भ करके बराबर-बराबर की 10 मासिक किस्तों में (प्रत्येक किस्त बजट में की गई व्यवस्था के 1/12वें हिस्से के बराबर होती है) दी जाती है। ऋणों आदि की ये अदायगियां इस शीर्षक के अन्तर्गत खर्च के रूप में दिखा दी जाती हैं किन्तु वर्ष के समाप्त होने से पहले अन्तिम रूप से स्वीकृति मिलने पर उन्हें सम्बन्धित शीर्षकों म अन्तरित कर दिया जाता है।

राज्य सरकारों को देने के लिए जिन ऋणों और अग्रिमों की व्यवस्था की गई है उनका वर्गों के अनुसार स्थूल ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
		(लाख रुपयों में)	
(क) राज्यों की आयोजनागत योजनाएं	4,90,89	4,80,83	4,26,00
(ख) केन्द्र की आयोजनागत योजनाएं	11,08	8,96	8,54
(ग) कन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं . . .	28,55	29,78	9,67
(घ) गैर-आयोजना प्रयोजन	2,32,30	3,06,25	2,97,70
(ङ) अर्थोपाय सहायता	65.00	65,00	25,00
जोड़ .	8,27,82	8,90,82	7,66,91

(क) जैसा कि विभाग 1 में "राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान" के अन्तर्गत दी गयी टिप्पणी में बताया गया है, राज्यों की आयोजनागत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता चौथी पंचवर्षीय आयोजना के शुरू से अर्थात् 1969–70 से इकट्ठे अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जायगी, और सहायता की रकम विकास के शीर्षकों से सम्बद्ध नहीं होगी।

कुछ राज्यों को उनके द्वारा जारी किये गये बाजार-ऋणों को चुकाने के सम्बन्ध में उन्हें विशेष सहायक अनुदान देने के कारण विशेष विकास प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के अन्तर्गत कमी होने के कारण संशोधित अनुमान में मुख्यतः कमी हुई है। इसके अलावा गांवों में बिजली लगाने के लिए दिये जाने वाले ऋणों के अन्तर्गत भी कमी हुई। लेकिन ये कमियां सिंचाई और बिजली प्रायोजनाओं, जलपूर्ति और जल निकासी योजनाओं, भूमि संरक्षण और कृषि उत्पादन तथा नागालैण्ड की विकास योजनाओं के अधिक व्यवस्था करने के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायंगी।

अगले वर्ष के बजट अनुमान में होने वाली कमी राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए सहायक अनुदानों के रूप में दी जाने वाली अधिक रकम के कारण हुई है।

(ख) चालू वर्ष के बजट अनुमान में छिद्रिल कंक्रीट के कारखानों के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। संशोधित अनुमान में और अगले वर्ष के बजट अनमान में कमी का कारण इन कारखानों के लिए व्यवस्था का न किया जाना है।

(ग) संशोधित अनुमान में वद्धि का कारण यह है कि मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील लिमिटेड में निवेश के लिए मैसूर सरकार को ऋण देने का निश्चय किया गया है। पहले यह ऋण सीधा कम्पनी को दिया जाता था। अनुदान के 'स्वीकृत' भाग में कम्पनी को ऋण देने की जो व्यवस्था (1.96 करोड़ रुपया) की गयी है उसे दूसरे उपक्रमों के खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भूमिबन्धक बैंकों में निवेश के लिए दी जाने वाली सहायता की प्रणाली में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण अगले वर्ष के बजट में 15 करोड़ रुपये की कमी हो गयी है। अगले वर्ष से केन्द्रीय सरकार स्वयं ही इन बैंकों में निवेश करेगी। पहले यह निवेश राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता था।

(घ) राज्य सरकारों को गैर-आयोजना प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋण मुख्यत: रासायनिक खादों की खरीद के लिए दिये जाने वाले अल्पावधिक ऋणों, अप्रत्याशित दैवी विपत्तियों, अल्प बचत संग्रह के हिस्से और ऋण छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए दिये जाने वाले ऋणों के रूप में होते हैं। अर्थोपाय कठिनाइयों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को तदर्थ ऋण भी दिये जाते हैं ।

संशोधित अनुमान में वृद्धि राज्य सरकारों को, दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत-कार्यों पर किये गये खर्च के लिए अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने के कारण हुई है। चालू वर्ष के बजट में राज्यों को ऋण देने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस आधार पर की गयी थी कि इस वर्ष किसी असाधारण दैवी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा और यह वर्ष सामान्य रहेगा । परन्तु पश्चिम बंगाल और गुजरात में बाढ़ आ जाने, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में सूखा पड़ने तथा उड़ीसा और आन्ध्र में बवंडर आने की वजह से इन राज्यों को राहत कार्यों के लिए अधिक सहायता देनी पड़ी । इन कामों के लिए आवश्यक रकम का संशोधित अनुमान 83 करोड़ रुपया लगाया गया है अर्थात् अब इस मद के अन्तर्गत 63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है ।

दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में सहायता देने के लिए अगले वर्ष के बजट अनुमान में 48 करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी है । परन्तु यह बचत छोटी बचतों के हिस्से (6.47 करोड़ रुपया) और राज्य सरकारों को तदर्थ ऋण देने के लिए 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायगी ।

(ङ) राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए अगले वर्ष में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जब कि इस वर्ष 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी ।

(ii) संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों के अन्तर्गत विधान मण्डल वाले संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जाती है क्योंकि इन सरकारों को केन्द्रीय सरकार के अलावा और कहीं से ऋण लेने का अधिकार नहीं है । चंकि संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास पिछले वर्ष की बची काफी रकमें थीं, इसलिए संशोधित अनुमान में ऋण देने के लिए कम रकम की व्यवस्था की गयी । अगले वर्ष के बजट में इन संघीय राज्य क्षेत्रों को विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के सम्बन्ध में ऋण देने के लिए पूंजी खाते के अन्तर्गत अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है ।

(iii) (क) सरकारी कम्पनियों और वित्तीय संस्थाओं के लिए की गयी व्यवस्था का ब्योरा बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध 3 में दिया गया है । संशोधित अनुमान में वृद्धि का कारण खाद्य विभाग का कुछ काम भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिये जाने के परिणामस्वरूप उसे 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया गया है । कुछ और सरकारी कम्पनियों और निगमों को, और बातों के अलावा, उनकी कार्यचालन पूंजी की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संशोधित अनुमान में अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है । यह वृद्धि निम्नलिखित कम्पनियों/निगमों के लिए अधिक व्यवस्था किये जाने के कारण हुई है :—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (10.04 करोड़), फर्टिलाइजर कारपोरेशन (6.00 करोड़ रुपये), फर्टिलाइजर ऐण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर (4.65 करोड़ रुपये), हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) (3.19 करोड़ रुपया), और माईनिंग ऐण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन (2.35 करोड़ रुपये) । संशोधित अनुमान में इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को ऋण देने के लिए 6.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । ये वृद्धियां इण्डियन आयल लिमिटेड (4.20 करोड़ रुपये), मद्रास फर्टिलाइजर्स (5 करोड़ रुपये) और पाइराइट्स फास्फेट ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड (2.81 करोड़ रुपये) के लिए कम रकम की व्यवस्था करने के कारण कुछ हद तक प्रतिसन्तुलित हो जायगी।

खाद्य निगम को ऋण देने के लिए संशोधित अनुमान में 190 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जबकि अगले वर्ष के बजट अनुमान में केवल 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है अर्थात् यह रकम संशोधित अनुमान में रखी गयी रकम से 165 करोड़ रुपये कम है । अगले वर्ष के बजट अनुमान में और कमी का कारण निम्नलिखित कम्पनियों/निगमों के लिए ऋणों की कम व्यवस्था करना है । मद्रास रिफाइनरीज (8.30 करोड़ रुपया), तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (5.8 करोड़ रुपया) फर्टिलाइजर ऐण्ड ट्रावनकोर लिमिटेड (6.43 करोड़ रुपया) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (1.52 करोड़ रुपया) हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) (1.99 करोड़ रुपया) और माईनिंग ऐण्ड अलाइड कारपोरेशन (1.87 करोड़ रुपया) । कमी का एक और कारण हिन्दुस्तान स्टील, राष्ट्रीय गोयला विकास निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए कोई व्यवस्था न करना है। परन्तु दूसरी ओर, इण्डियन आयल कारपोरेशन, मद्रास फर्टिलाइजर्स, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को ऋण देने के लिए क्रमश: 4.93 करोड़ रुपये, 3.26 करोड़ रुपये, 3.71 करोड़ रुपये और 2.58 करोड़ रुपये की अधिक रकम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (6 करोड़ रुपया), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (1.30 करोड़ रुपया) और मशीन टूल्स कारपोरेशन (1.32 करोड़ रुपया) को ऋण देने के लिए भी अगले वर्ष के बजट में व्यवस्था की गयी है ।

(iii) (क) यद्यपि जहाजरानी विकास निधि समिति को ऋण देने के लिए अधिक रकम (4 करोड़ रुपया) की व्यवस्था करनी पड़ेगी, परन्तु औद्योगिक वित्त निगम के लिए कम ऋण की (3.79 करोड़ रुपये) की आवश्यकता होगी। अगले वर्ष के बजट में कमी का मुख्य कारण औद्योगिक विकास बैंक (13 करोड़ रुपया) और औद्योगिक वित्त निगम (5 करोड़ रुपया) के लिए कम रकम की व्यवस्था का किया जाना है। परन्तु यह कमी जहाजरानी विकास निधि समिति (2 करोड़ रुपया), कृषि पुनर्वित्त निगम (3 करोड़ रुपया) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (0.97 करोड़ रुपया) के लिए अधिक रकम की आवश्यकता के कारण कुछ हद तक प्रतिसन्तुलित हो जायगी।

(iv) अन्य :—विदेशी सरकारों, पत्तन न्यासों, नगर पालिकाओं और अन्य पार्टियों और सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियों आदि की खरीद के लिए ऋण देने के लिए मूल बजट में 176.98 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जबकि चालू वर्ष में और अगले वर्ष में इनके लिए क्रमशः 144.85 करोड़ रुपये और 203.47 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

लाख रुपयों में

	बजट अनुमान 1968—69	संशोधित अनुमान 1968—69	बजट अनुमान 1969—70
विदेशी सरकारों को अग्रिम :			
(क) तकनीकी अग्रिम	45,00	41,00	50,00
(ख) अन्य ऋण			
इण्डोनेशिया	2,00	2,95	..
मलेशिया	2,00	5	2,00
कीनिया	1,00	1	3,00
श्री लंका	2,50	2,50	7,50
तंजानिया	2,48	..	..
संयुक्त अरब गणराज्य	..	..	20
नेपाल	57	18	34
भूटान	..	30	30
सिक्किम	20	20	..
नये ऋण	..	..	3,00
	60,75	47,19	66,34
रेलवे विकास निधि	2024	15,87	18,68
डाक तार राजस्व प्रारक्षित निधि	..	7,90	..
रेज़ीमेण्टल और अन्य ऋण	27,50	18,02	14,10
पत्तन न्यास	15,75	15,70	18,50
दिल्ली नगर निगम	15,58	12,09	12,09
नयी दिल्ली नगरपालिका	..	..	25
खादी और ग्रामोद्योग आयोग	6,45	6,45	43,29
केन्द्रीय रज्जु मार्ग कोयला बोर्ड	2,00	1,31	1,10

(हजार रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1968-69
छात्रावासों का निर्माण	2,24	1,01	83
आवासन योजनाएं	1,39	72	75
कहवा बोर्ड	32	18	28
नारियल रेशा बोर्ड	3	3	..
इलायची बोर्ड	3	2	3
डाक श्रमिक बोर्ड	10	7	10
पर्यटक टैक्सी विकास	15	3	20
पुनर्वास योजनाएं	29	32	32
कारखानों के स्थानान्तरण के लिए औद्योगिक एकक . . .	30	21	25
उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं और सहकारी समितियां . . .	65	57	52
सिक्कम खनन निगम	..	2	..
होटल विकास ऋण निधि	50	50	2,00
किसान	41	17	7
स्वयंसेवी संगठन	2	..	..
अन्य पार्टियां	13,09	3,09	12,44
सरकारी कर्मचारी	9,19	13,38	11,31
जोड़	1,76,98	1,44,85	2,03,47
घटाइए—प्रारक्षित निधियों से व्यय . . .	-58	-58	-32
	176,40	144,27	203,15

विदेशी सरकारों को दिये जाने वाले अग्रिमों के अन्तर्गत संशोधित अनुमान में कमी का मुख्य कारण यह है कि संयुक्त अरब गणराज्य, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और पूर्वी यूरोप के कुछ अन्य देशों के साथ किये गये करारों के अनुसार, इन देशों द्वारा भारत में की जाने वाली खरीद की वित्त व्यवस्था करने के लिए उन्हें कम रकम का दिया जाना है। कमी का एक कारण मलयेशिया, तंजानिया और कुछ अन्य देशों को भारत में उपभोक्ता सामान की खरीद के लिए कम ऋण का दिया जाना है। अगले वर्ष के बजट में विदेशी सरकारों को तकनीकी ऋण देने के लिए और भारत में उपभोक्ता सामान की खरीद के लिए ऋण देने के लिए अधिक रकम की व्यवस्था की गयी है।

"अन्य" के अन्तर्गत संशोधित अनुमान में कम व्यवस्था करने का कारण रेजिमैंटल ऋणों, रेलवे विकास निधि और दिल्ली नगर निगम के लिए कम रकम की आवश्यकता का होना है। यह कमी बाढ़ और सूखे से प्रभावित सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम देने तथा डाक तार राजस्व प्रारक्षित निधि को ऋण देने के लिए की गयी अधिक व्यवस्था के कारण कुछ हद तक प्रतिसन्तुलित हो गयी है। डाक और तार विभाग को यह ऋण इसलिये दिया गया था ताकि वह सामान्य राजस्व सम्बन्धी अपनी लाभांश की कुछ देनदारी चुका सके और पिछले वर्ष मंजूर किये गये ऋण की पहली किस्त अदा कर सके। अगले वर्ष के बजट में वृद्धि मुख्यतः खादी ग्रामोद्योग आयोग को 43.29 करोड़ रुपये का ऋण देने के कारण हुई हैं। संशोधित अनुमान में यह रकम 6.45 करोड़ रुपया थी। यह ऋण मुख्य रूप से पुराने ऋणों के नवीकरण करने के लिए दिया गया है। रेलवे विकास निधि को भी अगले वर्ष अधिक ऋण दिया जायगा। परन्तु ये वृद्धियां डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि के लिए अगले वर्ष ऋण की व्यवस्था न करने से कुछ हद तक प्रतिसन्तुलित हो जायेंगी।

सरकारी कम्पनियों और निगमों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य निकायों को ऋण तथा अग्रिम देने के लिए चालू वर्ष में 594.85 करोड़ रुपये की और अगले बजट में 461.32 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जब कि अगले वर्ष के बजट में 456.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी हैं।

राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों आदि को दिये जाने वाले ऋणों की आंशिक पूर्ति, कोयला खान, अबरक खान, तथा कच्चा लोहा खान श्रम कल्याण-निधियों से की जायगी। ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
कोयला खान श्रम कल्याण निधि	—58	—59	—26
अबरक खान श्रम कल्याण निधि	—1	..	..
कच्चा लोहा खान श्रम कल्याण निधि	—3	—2	—6
	—62	—61	—32

ऋणों का परिशोधन

(क) भारत में लिया जाने वाले ऋण :— अनुमानों में 4 प्रतिशत ऋण, 1969 के लिए व्यवस्था शामिल है जो पहली बार 8 मई, 1963 को और उसका दूसरा भाग 22 जुलाई, 1963 को जारी किया गया था और 8 मई 1969 को देय है। 1 जुलाई, 1959 को जारी किये गये $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत बांडों की वापसी के लिए भी व्यवस्था की गई है। 16 वर्षीय वार्षिकी प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में वार्षिकी की अदायगी का अनुमान इस वर्ष 45 लाख रुपये और अगले वर्ष 50 लाख रुपया है। "भारत में लिए गये सरकारी ऋण" के अंतर्गत शामिल किये गये इन प्रमाण पत्रों की बिक्री की रकम को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक अदायगी की रकम का अनुमान इस वर्ष 20 लाख रुपये और अगले वर्ष 25 लाख रुपये है।

(लाख रुपयों में)

ऋण परिशोधन: ब्यौरा इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनमान 1969–70
(क) भारत में लिया जाने वाला ऋण :			
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड (तीसरा क्रम), 1967	1,55,50	156,62	..
$3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड (चौथा क्रम), 1967	69,50	70,00	..
4 प्रतिशत ब्याज वाले हैदराबाद राज्य विकास ऋण, 1967	10,00	10,28	..
5 वर्षीय ब्याजमुक्त इनामी बाण्ड, 1965 } 5 वर्षीय प्रीमियम इनामी बाण्ड, 1963 }	2,00	2,15	..
$3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड (पांचवां क्रम), 1968	5,00	4,00	3,00
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1968	..	..	202,00
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968	..	..	190,00
4 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद राज्य विकास ऋण, 1968	..	10	3
वार्षिकी पत्र	40	45	50
अवसित ऋण	200	2,85	4,97
	2,44,40	246,45	400,50

(ख) भारत से बाहर लिए गये ऋण--चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में कमी मुख्य रूप से गेहूं की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1951 में स्वीकृत किये गये ऋणों के और जापान तथा विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों की वापसी के नये कार्यक्रम का बनाया जाना है । मंहगाई भत्ते की दरों में की गयी वृद्धि के वर्ष पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण 1969-70 के अनुमान में वृद्धि हुई है । अनुमानों का विवरण इस ज्ञापन के अनुबन्ध ।।। में दिया गया है ।

अंतर्राज्यीय निपटारा

1968-69 के संशोधित अनुमानों में, 4 प्रतिशत पंजाब ऋण, 1968 के सम्बन्ध में संघ की जिम्मेदारी के रूप में उसके अनन्तिम हिस्से के 34 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । इस अदायगी में से 14 लाख रुपये की रकम हिमाचल प्रदेश से वसूल की जायगी ।

भारत सरकार की ऋण सम्बन्धी स्थिति

अनुमान है कि भारत सरकार के सरकारी ऋण की बकाया रकम चालू वर्ष के अन्त तक 12769.06 करोड़ रुपये और 1969-70 के अन्त तक 13902.19 करोड़ रुपये होगी । इसमें ये ऋण शामिल हैं :--

(करोड़ रुपयों में)

	31 मार्च, 1969 तक	31 मार्च, 1970 तक
भारत में लिया जाने वाला ऋण	6802.89	7254.12
भारत के बाहर से .लया जाने वाला ऋण	5927.10	6569.50

भारत में लिये गये ऋणों के अन्तर्गत "स्थायी ऋण" और "अस्थायी ऋण" आते हैं । "स्थायी ऋण" के अन्तर्गत खुले बाजार से लिये जाने वाले ऋण आते हैं जिनमें सरकार द्वारा बिक्री के लिए जारी किये गये इनामी बांड और वार्षिकी पत्र शामिल हैं और "अस्थायी ऋणों" के अन्तर्गत अस्थायी अवधि के लिए लिये गये ऋण आते हैं, जिनमें भारत के रिजर्व बैंक, राज्य सरकारें, भारतीय राज्य बैंक तथा अन्य पक्षों के नाम जारी की गयी तदर्थ राजकोष हुंडियां, जनता के नाम जारी की गयी अन्य राजकोष हुंडियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को जारी की गयी अहस्तांतरणीय और गैर-ब्याजू प्रतिभूतियां शामिल हैं । तीनों पंचवर्षीय आयोजनाओं के आरम्भ में सरकारी ऋणों की बकाया रकमों और चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के अन्त तक की सरकारी ऋणों की अनुमानित बकाया रकमों का विश्लेषण विवरण 8 में दिया गया है । बकाया रकमों से, बकाया ऋणों के अंकित मूल्य के अनुसार, भारत सरकार की देनदारी प्रकट होनी है

इसके अलावा सरकार को विभिन्न अल्प बचत योजनाओं, अर्थात डाकघर बचत बैंक की जमा, बढ़ने वाली मीयादी जमा, डाकघर नकद, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय आयोजना, राष्ट्रीय आयोजना बचत, राष्ट्रीय रक्षा राजकोष बचत जमा, आयकर वार्षिकी जमा पत्र और रक्षा जमा पत्रों, भविष्य निधियों, अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधियों के निवशों, अनिवार्य जमा योजना की जमा रकमों, रेलों तथा डाक व तार विभाग जैसे विभागों की मूल्यह्रास और प्रारक्षित निधियों और आयकर अधिकर आदि जैसी कुछ अन्य जमा रकमों तथा स्थानीय निधियों और असैनिक खातों में जमा रकमों आदि की वापसी की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है । सरकारी ऋणों समेत भारत सरकार की कुल देनदारी इस प्रकार है :--

इन अवधियों के अन्त तक

(करोड़ रुपयों में)

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1967-68	1968-69	1969-70
सरकारी ऋण .	2054.33	2443.35	4738.96	8009.27	11,959.84	127,29.99	138,23.62
अल्प बचत योजनाएं .	336.87	574.81	969.99	1538.21	1,765.64	19,04.10	2039.35
भविष्य निधियां .	95.05	165.57	289.14	527.02	647.55	695.59	758.30
लोक भविष्य निधियां	..	..	..	..	..	2.00	7.00
पी० एल० 480 की जमा .	..	..	240.41	561.48	629.78	592.83	632.94

*31 मार्च, 1967 को विदेशी बकाया ऋणों (पी० एल० 480 के ऋणों को छोड़कर) की रकमों को, रुपये के सममूल्य में परिवर्तन के कारण, 6 जून, 1966 से 57.5 प्रतिशत बढ़ाकर दिखाया गया है ।

	इन अवधियों के अन्त तक						
	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1967–68	1968–69	1969–70
							(करोड़ रुपयों में)
अनिवार्य जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमें . . .	..	..	..	30.12	28.97	28.73	3.73
आयकर वार्षिकी पत्र . .	..	..	..	77.61	133.65	135.74	125.49
प्रारक्षित निधियां और जमा .	363.05	309.93	283.92	560.05	629.48	729.58	753.28
अन्य मदें . . .	16.10	17.41	21.82	25.36	64.32	30.65	21.07
कुल देनदारी . .	2865.40	3511.07	6544.24	11329.12	15,859.23	168,49.21	181,64.78
घटाइये—पाकिस्तान द्वारा देय अनुमानित रकम, जो विभाजन पूर्व के ऋणों के हिस्से के रूप में उसके जिम्मे है . .	–300.00	–300.00	–300.00	–300.00	–300.00	–300.00	300.00
शुद्ध	2565.40	3211.07	6244.24	11029.12	15,559.23	165,49.21	178,64.78

दायित्वों का ब्यौरा विवरण 9 में दिखाया गया है।

बकाया देनराशि का विश्लेषण उस प्रयोजन को देख कर किया जाना चाहिये जिस के लिए सरकार ने अपने द्वारा इकट्ठी की गयी रकम लगायी है।

विश्लेषण इस प्रकार है :—

	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1967–68	1968–69	1969–70
विभागीय प्रतिष्ठानों पर पूंजी परिव्यय	894.73	1064.30	1682.63	3029.98	3504.30	3688.11	3918.72
निम्नलिखित में निवेश :							
(1) सरकारी कम्पनियों और निगमों में . .	9.43	69.81	591.83	1340.70	1626.21	1828.75	2125.80
(2) वित्तीय संस्थाओं में .	250.05	250.14	357.95	424.23	641.83	648.83	656.61
(3) अन्य कम्पनियों और निगमों में	0.25	0.80	9.97	32.89	35.80	36.76	37.25
रक्षा सेवाओं, लोक निर्माण-कार्यों, राज्य व्यापार योजनाओं सहित अन्य पूंजी परिव्यय . .	333.55	481.16	947.83	1756.86	2377.97	2464.22	2690.85
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों, विदेशी सरकारों और अन्यों को ऋण . .	220.68	942.89	2534.48	5379.57	7255.24	8242.14	8747.48
जोड़ . .	1708.69	2809.10	6124.69	11964.23	15441.35	169,08.81	181,76.71

ब्योरा विवरण 10 में दिया गया है।

अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की कुल रकम, कुल देनदारियों की रकम से 1968–69 के अंत तक 359.60 करोड़ रुपये और 1969–70 के अन्त तक 311.93 करोड़ रुपये अधिक होंगी

विवरण 8

केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण

निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक

(करोड़ रुपयों में)

ब्यौरा	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
1	2	3	4	5	6	7
क—भारत में लिये जाने वाला ऋण—						
(क) स्थायी ऋण						
(i) चालू–ऋण (ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है)	1438.46	1508.63	2555.72	3417.28	3879.02	3985.22
(ii) इनामी बांड .	..	..	15.63	11.35	4.71	1.71
(iii) 15 वर्षीय वर्षिकी–पत्र .	..	0.96	3.45	3.78	3.06	2.81
(iv) चुकाये जा रहे ऋण .	6.49	12.22	22.73	33.72	43.84	40.64
जोड़—स्थायी ऋण .	1444.95	1521.81	2597.53	3466.13	3930.63	4030.38
(ख) अस्थाई ऋण—						
(i) राजकोष हुंडियां .	358.02	595.25	1106.29	1611.82	2184.41	2534.41
(ii) विशेष अस्थायी ऋण .	212.60	212.60	274.18	340.70	687.85	689.33
(iii) राजकोष जमा प्राप्तियां और अन्य अस्थायी ऋण .	6.73	.06	..	..	..	..
जोड़—अस्थायी ऋण .	577.35	807.91	1380.47	1952.52	2872.26	3223.74
जोड़—भारत में लिया जाने व ला ऋण . .	2022.30	2329.72	3978.00	5418.65	6802.89	7254.12
ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण—						
(i) रक्षा पत्र . .	..	..	..	.09	.09	.09
(ii) इंग्लैंड* . .						
इण्डिया स्टाक, रेलवे ऋण–पत्र और रेलवे वार्षिकियां .	12.37	2.61	0.12	.04	.04	0.04
ब्रिटेन सरकार से ऋण . .	..	..	106.52	263.41	609.32	620.77
लेजर्ड ब्रादर्स ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड .	..	..	15.33	..	.	..

1	2	3	4	5	6	7
(3) संयुक्त राज्य अमेरिका—						
संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण .	..	91.72	210.84	749.55	1667.98	1915.38
अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक .	..	..	25.41	101.30	115.95	103.11
पी० एल० 480 रुपया ऋण .	..	..	77.88	528.36	1435.28	1492.17
पी० एल० 480—स्थानीय परिवर्तनीय मुद्रा ऋण . .	..	..	..	..	60.00	175.00
(4) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	..	..	57.48	243.47	351.16	372.34
(5) कनाडा . .	..	..	14.07	17.95	73.03	95.80
(6) जर्मन संघीय गणराज्य .	..	..	103.19	206.25	377.31	377.47
(7) जापान . .	..	..	9.93	62.29	219.85	213.94
(8) स्विटजरलैंड . .	..	..	..	5.70	15.52	18.24
(9) चेकोस्लोवाकिया . .	..	..	..	9.96	41.38	51.84
(10) यूगोस्लाविया . .	..	..	..	7.92	15.10	12.55
(11) पोलैंड . .	..	..	..	4.49	10.58	10.71
(12) आस्ट्रिया . .	..	..	..	2.98	11.86	12.55
(13) नीदरलैंड . .	..	..	..	7.56	24.66	28.84
(14) डेन्मार्क . .	..	..	..	0.50	5.69	7.65
(15) उत्तरी रोडेशिया .	..	..	..	0.53	0.06	.06
(16) न्यूजीलैंड . .	..	..	..	0.27	0.12	.03
(17) स्वीडन . .	..	..	..	..	2.99	7.76
(18) कुवैत . .	..	..	..	19.28	22.23	17.89
(19) इटली . .	..	..	..	..	1.46	1.47
(20) बहरीन . .	..	..	..	7.86	6.00	5.29
(21) फ्रांस . .	..	..	..	..	12.70	31.51
(22) बेल्जियम . .	..	..	..	..	1.68	2.73
(23) कातार . .	..	..	..	..	9.37	8.43
(24) हंगरी . .	..	..	..	..	..	0.04
(25) बलगारिया .	..	..	..	..	..	0.04
(26) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक . .	19.66	19.30	40.19	179.77	276.53	265.39
(27) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ .	..	..	..	171.09	559.16	638.85
नये ऋण . .	..	..	..	..	..	81.52
जोड़-ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	32.03	113.63	760.96	2590.62	5927.10	6569.60
जोड़—सरकारी ऋण* .	2054.33	2443.35	4738.96	8009.27	12,729.99	13,823.62

टिप्पणी—रुपये के सम-मूल्य में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप 6 जून, 1966 को पी०एल० 480 ऋणों को छोड़कर, बकाया विदेशी ऋणों की रकम 57.5 प्रतिशत बढ़ाकर आंकी गयी है।

विवरण 9

केन्द्रीय सरकार की देनदारियां

निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक

(करोड़ रुपयों में)

ब्योरा	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
1	2	3	4	5	6	7
1. सरकारी ऋण जैसा विवरण 8 में दिखाया गया है .	2054.33	2443.35	4738.96	8009.27	1272.94	13823.62
2. छोटी बचत योजनाएं*						
(क) डाकखाना बचत बैंक जम	188.46	293.62	431.05	644.75	819.90	887.90
(ख) डाकखाना पत्र .	142.28	239.36	459.43	732.50	875.11	924.01
(ग) डाकघर मीयादी जमा	..	..	..	..	1.00	2.00
(घ) सरकारी मीयादी जमा	..	..	..	..	0.50	1.00
(ङ) बढ़ने वाली सावधिक जमा	..	..	2.64	36.67	76.53	92.53
(च) राजकीय बचत जमा और रक्षा जमापत्र . .	5.47	41.40	76.75	124.29	130.05	131.75
(छ) अन्य छोटी बचत-पत्र	0.66	0.43	0.12	..	0.11	0.16
जोड़ 2—छोटी बचत योजनाएं*	336.87	574.81	969.99	1538.21	1904.10	2039.35
3. अन्य अनिधिबद्ध ऋण—						
(क) राज्य भविष्य निधियां .	95.05	165.57	289.14	527.02	695.59	758.30
(ख) लोक भविष्य निधियां .	..	..	..	..	2.00	7.00
(ग) पी०एल० 480 की जमा	..	..	240.41	561.48	592.83	632.94
(घ) अनिवार्य जमा योजना की जमा . .	..	..	..	30.12	28.73	3.73
(ङ) आयकर वार्षिकी जमा .	..	..	..	77.61	135.74	125.49
(च) अन्य मदें .	16.10	17.41	21.82	25.36	30.65	21.07
जोड़—अन्य अनिधिबद्ध ऋण	111.15	182.98	551.37	1221.59	1485.54	1548.53
4 प्रारक्षित निधियां और जमा—						
(क) ब्याजू:						
(1) प्रारक्षित निधियां .	165.26	174.38	116.01	249.64	224.81	237.27
(2) अन्य जमा खाते .	95.59	14.58	26.18	25.39	6.22	6.01
(ख) गैर-ब्याजू:						
(1) स्थानीय निधियों की जमा	1.67	2.17	3.42	.79	1.61	1.49
(2) असैनिक जमा . .	34.13	56.35	57.09	112.99	261.02	279.24
(3) अन्य जमा .	34.98	43.17	81.09	80.46	100.06	105.10

*विवरण 7 में सम्मिलित 15 वर्षीय पत्रों को छोड़कर ।

(करोड़ रुपयों में)

ब्योरा		1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
1	2	3	4	5	6		7
(4) संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा निधि .		—	—	—	42.90	51.40	53.27
(5) अन्य बीमा निधि . .		—	—	—	.72	2.44	3.07
(6) अन्य खाते . .		31.42	19.28	0.13	47.16	67.02	67.83
जोड़ 4—प्रारक्षित निधियां और जमा		363.05	309.93	283.92	560.05	729.58	753.28
जोड़—देनदारियां . .		2865.40	3511.07	6544.24	11329.12	168,49.21	181,64.78
घटाइए—पाकिस्तान द्वारा विभाजन पूर्व के ऋणों के उसके हिस्से की देय रकम (लगभग)		−300.00	−300.00	−300.00	−300.00	−300.00	−300.00
केन्द्रीय सरकार की वास्तविक देनदारियां .		2565.40	3211.07	6244.24	11029.12	165,49.21	178,64.78
दायित्वों से पूंजीगत व्यय और ऋणों का अतिरेक		—	—	—	935.11	359.60	311.93
		2565.40	3211.07	6244.24	11964.23	169,08.81	181,76.71

*विवरण 7 में सम्मिलित 15 वर्षीय पत्रों को छोड़कर।

विवरण 10

पूंजी परिव्यय और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण

निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक

(करोड़ रुपयों में)

ब्यौरा	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
1	2	3	4	5	6	7
क. पूंजी परिव्यय						
2. विभागीय प्रतिष्ठान पर पूंजी परिव्यय						
रेल	817.93	959.87	1512.57	2672.02	3103.80	3236.40
डाक और तार	49.98	89.26	139.99	264.98	351.69	385.85
समुद्रपारीय संचार सेवा	0.77	1.35	2.40	3.88	7.86	11.21
टकसालें	1.95	3.09	4.13	4.44	5.20	5.70
सड़क और जल परिवहन योजनाएं	0.03	0.08	1.23	0.59	1.44	1.49
बिजली योजनाएं	0.02	0.43	2.88	1.05	8.84	45.75
सिंचाई	0.71	1.19	1.37	3.24	5.28	6.12
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस	0.50	0.73	0.81	1.43	2.03	2.70
परमाणुशक्ति विकास	..	0.56	15.34	68.55	189.87	208.42
औद्योगिक और आर्थिक विकास के उपक्रम	22.84	7.74	1.91	5.38	6.07	8.11
कोलार की सोने की खोनें	..	..	..	4.42	6.03	6.97
जोड़ 1—विभागीय उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय	894.73	1064.30	1682.63	3029.98	3688.11	3918.72
2. स्वायत्त कम्पनियों, निगमों आदि में निवेश						
(क) सरकारी कम्पनियां और निगमें :						
दामोदर घाटी निगम	4.86	22.66	36.67	57.51	54.55	56.05
वाय निगमें	..	12.24	35.40	48.76	52.76	56.26
जहाजरानी निगम	1.96	4.55	20.68	23.45	23.45	23.45
हेवी इलेक्ट्रिकल्स (I)	..	..	22.91	50.00	50.00	50.00
हिन्दुस्तान स्टील	..	..	300.00	528.00	557.00	557.00
बोकारो	..	..	..	19.80	202.99	372.99
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	..	..	17.10	106.12	117.71	116.25
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स	..	1.14	2.18	2.06	2.05	2.05
इंडियन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज	0.60	2.99	3.59	3.59	3.59	3.59
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	..	2.80	5.10	10.79	11.99	11.99
हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	..	..	6.65	88.95	100.00	100.00
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	..	..	26.98	61.06	93.26	109.06
नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन	..	..	48.29	79.42	79.39	79.39
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	..	3.15	4.70	5.97	6.81	8.31
इण्डियन आयल कारपोरेशन	..	..	6.90	65.29	71.08	71.08
नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	..	..	..	1.37	3.13	3.38
हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी	..	..	..	1.79	1.53	1.53
हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड	..	..	..	.94	0.97	0.97
कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	..	..	..	3.67	3.70	3.70

ब्यौरा	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	संशोधित 1968-69	बजट 1969-70
1	2	3	4	5	6	7
					(करोड़ रुपयों में)	
पाइराइटस एण्ड केमिकल्स डवलपमेंट कम्पनी	..	..	..	1.15	5.27	5.67
इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	..	..	..	2.58	3.90	3.90
हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	..	..	..	2.21	7.56	7.56
नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल्स लिमिटेड	..	..	..	2.50	2.50	2.50
मुगल लाइन लिमिटेड	..	..	..	2.95	2.95	2.95
इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड	..	..	..	1.00	1.50	1.50
पुनर्वास उद्योग निगम	..	..	.	2.20	2.63	3.03
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स तिरुवांकुर लिमिटेड	..	..	..	3.50	10.65	12.49
हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स	..	..	..	.82	0.82	0.82
नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन	..	..	..	1.35	1.45	1.53
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेनुफैक्चरिंग कम्पनी	..	..	..	4.70	5.82	5.82
सीमेंट कारपोरेशन	..	..	..	0.47	4.35	4.65
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	..	..	..	46.61	65.00	65.00
मद्रास रिफाइनरीज	..	..	..	0.35	9.53	9.53
केन्द्रीय संग्रहण निगम	..	..	..	1.00	7.36	8.87
फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया	..	17.04	39.64	51.50	72.75	96.55
अशोक होटल	..	0.26	1.34	1.34	2.34	2.34
इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड	..	..	..	21.50	21.75	21.75
फूड कारपोरेशन आफ इंडिया	..	..	..	9.00	26.69	44.99
हिन्दुस्तान केबल्स	..	1.06	1.06	1.79	4.29	6.07
मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड		..	..	..	7.01	7.01
मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	..	..	..	..	2.17	3.51
भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स	..	..	..	..	7.00	7.00
केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	..	..	..	..	1.35	1.85
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	..	..	..	0.50	0.50	0.50
सिंगरेनी कोयला खानें	..	..	1.20	2.24	2.72	2.72
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	..	..	1.68	10.47	25.06	37.36
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन	..	..	..	1.00	1.00	1.00
राज्य व्यापार निगम	..	..	2.00	2.00	2.00	2.00
खनिज और धातु व्यापार निगम	..	..	..	2.00	3.00	3.00
नेशनल सीड्स कारपोरेशन	..	..	..	.16	1.58	1.76
राज्य कृषि उद्योग निगम	..	..	..	.25	10.75	15.15
सेंट्रल फिशरीज कारपोरेशन	..	..	..	.15	.31	.31
हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	..	..	..	..	.70	1.05
माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन	..	..	..	1.12	19.06	20.01
तुंगभद्रा स्टील लिमिटेड	..	..	..	..	.51	.51
मैसूर आयरन एण्ड स्टील	..	..	..	.05	1.53	1.53
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	..	..	..	.05	1.97	1.97
भारत एल्युमीनियम लिमिटेड	..	..	..	.09	4.37	13.12
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	..	..	..	1.38	6.18	6.18
सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	..	..	..	.25	0.54	0.66
इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इण्डिया	..	..	..	..	2.90	3.40

ब्योरा	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
1	2	3	4	5	6	7
					(करोड़ रुपयों में)	
यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया .	..	..	..	..	7.44	7.79
हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड . .	..	..	..	..	16.27	33.27
राज्य फार्म निगम .	..	..	..	..	..	1.00
ड्रग्स निगम	..	..	..	..	1.16	3.04
गुजरात पैट्रोकेमिकल्स .	..	..	..	..	1.14	4.39
अन्य सरकारी कम्पनियां और निगम .	2.01	1.88	7.76	..	5.46	10.14
जोड़—(क)—सरकारी कम्पनियां और निगम	9.43	69.81	591.83	1340.70	1828.75	2125.80
(ख) वित्तीय संस्थाएं						
भारतीय रिजर्व बैंक . . .	11.12	11.12	11.12	5.93	5.93	5.93
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष . .	201.00	201.00	296.28	353.18	527.05	527.05
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	36.93	36.93	36.93	36.93	56.73	56.73
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ . .	..	..	4.42	10.22	29.16	29.16
जीवन बीमा निगम . .	..	..	5.00	5.00	5.00	5.00
औद्योगिक वित्त निगम . .	1.00	1.00	1.00	..	..	..
एशियाई विकास बैंक . .	..	..	..	..	20.93	27.91
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम . .	..	..	2.11	2.11	2.11	2.11
निर्यात ऋण और गारंटी निगम . .	..	..	.50	.50	1.00	1.00
फिल्म वित्त निगम . .	..	..	.20	.50	0.50	0.50
अन्य संस्थाएं . .	..	0.99	0.39	.86	0.42	1.22
जोड़—(ख)—वित्तीय सस्थाएं .	250.05	250.14	357.95	424.23	648.83	656.61
(ग) अन्य कम्पनियां, निगम आदि :						
बोलोनी ओर्स लिमिटेड . .	..	..	0.35	.51	.51	.51
आयल इण्डिया लिमिटेड . .	..	..	8.00	26.50	26.50	26.50
सिन्धु पुनः स्थापन निगम . .	0.25	.25	.50	.50	.50	.50
मशीन निर्माण निगम . .	..	.25	.25	.28	.32	.32
सिक्किम खनन निगम . .	..	..	.07	.25	.25	.25
इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड .	..	.10	.60	.60	2.03	2.51
मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड .	..	..	..	.37	.37	.37
ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन . .	..	..	..	1.06	1.06	1.06
ल्यूबे इण्डिया लिमिटेड . .	..	..	..	..	2.40	2.40
अन्य कम्पनियाँ . . .	..	.20	.20	2.82	2.82	2.83
जोड़—(ग) अन्य कम्पनियाँ आदि .	0.25	0.80	9.97	32.89	36.76	37.25
जोड़—2—स्वायत्त निगमों, कम्पनियों आदि में निवेश . . .	259.73	320.75	959.75	1797.82	2514.34	2819.66

ब्योरा	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
1	2	3	4	5	6	7
					(करोड़ रुपयों में)	
3. अन्य पूंजी परिव्यय :						
रक्षा सेवाएं	260.93	314.43	454.34	874.13	1199.37	1323.59
कृषि संबंधी सुधार . . .	0.47	1.22	18.05	31.64	29.17	33.56
प्रसारण	1.12	3.31	7.20	13.55	23.14	26.83
सरकारी निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) .	21.02	83.19	180.37	424.96	565.68	621.68
दिल्ली पूंजी परिव्यय . .	25.13	35.79	62.40	106.95	127.70	145.53
दण्डकारण्य विकास . .	..	..	7.23	26.90	35.83	38.83
मुद्रा और सिक्का ढलाई . .	.22	.25	9.05	35.19	54.46	22.77
उड्डयन	6.89	14.04	28.63	14.15	61.55	74.38
सरकारी व्यापार की योजनाएं						
(1) अनाज की खरीद . .	−3.98	18.63	137.21	89.73	96.75	71.63
(2) अन्य योजनाएं . .	11.29	−13.11	−15.12	19.54	40.24	29.23
बन्दरगाह	4.78	14.07	24.89	43.01	54.13	60.46
औद्योगिक और आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाएं	2.69	5.14	20.63	39.19	45.98	61.17
अन्य मदें	2.99	4.20	12.95	46.00	130.22	151.64
जोड़—3—अन्य पूंजी परिव्यय .	333.55	481.16	947.83	1756.86	2464.22	2690.85
जोड़—पूंजी परिव्यय . .	1488.01	1866.21	3590.21	6584.66	8666.67	9429.23
ख—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण						
राज्य सरकारें . . .	195.58	819.39	1909.63	3970.57	5508.50	5937.55
संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें .	..	13.36*	..	40.61	99.61	124.30
विदेशी सरकारें आदि . . .	0.01	.11	29.17	27.65	45.66	64.62
सरकारी कर्मचारी . . .	.51	4.15	5.32	11.63	24.28	22.86
अन्य पार्टियाँ	24.58	105.88	590.36	1329.11	2564.09	2798.15
जोड़—ख—दिये गये ऋण . .	220.68	942.89	2534.48	5379.57	8242.14	8747.48
जोड़—पूंजी परिव्यय और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण . .	1708.69	2809.10	6124.69	11964.23	16908.81	18176.71
पूंजी परिव्यय और ऋण से देनदारियों की अधिकता	856.71	401.97	119.55	..	..	..
जोड़—दायित्व (विवरण 2 के अनुसार) .	2565.40	3211.07	6244.24	11964.23	16908.81	18176.71

*भूतपूर्व भाग "ग" के राज्य ।

परिशिष्ट 'क'

[संदर्भ : विवरण 8—मद संख्या क (क) (1)]

केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्योरा

निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक

ऋण का नाम	पकने की सब से पहली तारीख	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
1	2	3	4	5	6	7	8
							(करोड़ रुपयों में)
3 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1951–54 .	15–9–51	86.73		..	.	..	..
3 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1953–55 .	15–7–53	114.60	..	.	.	.	.
$7\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1954 .	15–11–54	35.06			..	..	..
$2\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1954–59 .	15–12–54	12.87		.	..	.	..
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1955–60 .	15–9–55	9.00	..	..	..	..	..
$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1955 .	1–10–55	60.45	..	..	..	..	..
3 प्रतिशत ब्याज वाला विजय ऋण, 1957 .	1–9–57	114.07	114.07	..	..	..	..
$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला भोपाल ऋण, 1957.	1–11–57	..	0.26	..	..	..	..
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1958–68 .	1–6–58	5.85	5.85	..	..		
3 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1958 .	16–8–58	..	50.36	..			
3 प्रतिशत ब्याज वाला द्वितीय विजय ऋण, 1959–60 . . .	15–8–59	113.66	113.66	..	..		
$2\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1960 .	15–7–60	45.63	45.63	..			
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1960–70 .	15–9–60	63.30	63.30	.	.	.	
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड 1961	1–6–61	..	75.29	75.29	..		..
$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1961 .	1–8–61	57.01	57.01	57.01	..		
$3\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले बाण्ड 1962 .	16–7–62	..	..	107.27	..		
$2\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1962	15–9–62	75.87	75.87	75.87	..		..
3 प्रतिशत ब्याज वाले बाण्ड 1963	12–5–63	.	..	58.06	..	.	
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1963–65	1–6–63	116.17	116.17	116.17			
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला राष्ट्रीय आयोजना ऋण, 1964	19–4–64	..	158.13	158.13	..		
3 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1964 .	15–6–64	30.33	30.33	30.33	..	.	
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड 1965 . .	1–7–65	..	103.68	153.68	..	..	.
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले बाण्ड 1966 .	18–7–66	..	..	82.65	82.65	..	.

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7	8
3 प्रतिशत ब्याज वाला निधि बद्ध ऋण, 1966-68 . .	1-10-66	110.12	110.12	110.12	110.12	..	..
3 प्रतिशत ब्याज वाला भोपाल ऋण, 1966-76	13-11-66	..	1.22	1.22	01.22	..	..
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले आयोजना बाण्ड 1967	16-7-67	..	..	103.82	197.41	..	..
3 प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड 1967 . .	1-8-67	..	.	56.99	56.99	..	..
$3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड 1968 . .	12-5-68	..	.	64 34	156.64		.
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1968 .	26-8-68	..	..	70.00	70.00		..
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 .	27-10-68	..	..	..	10.43		.
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1969 .	8-5-69	..	..	..	202.57	202.58	..
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले बाण्ड 1969	1-7-69	..	.	147.91	190.86	190.86	..
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1970	15-4-70	..	..	..	178.15	178.25	178.25
3 प्रतिशत ब्याज वाला पहला विकास ऋण, 1970-75	15-10-70	115 6	115.06	115.06	115.06	115 06	115.06
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण, 1971 .	1-7-71	..		..	164.83	332.10	332.10
$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 .	27-10-72	..	..	.	28.22	28.22	28 22
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1972 . .	1-8-72	..	..	49.17	154.71	154.71	154.71
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय रक्षा बाण्ड 1972	10-11-72	..	..	..	17.16	17.16	17.16
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1973 . .	12-5-73	..	.	349.51	394.52	394.51	394.51
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1973 .	22-7-73	..		.	158.41	158.41	158.41
$3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1974 .	16-7-74	..	..	86.64	86.64	186.64	186.64
$2\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1976 .	16-9-76	14.77	14.77	14.77	14.78	14.78	14.78
$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले स्वर्ण बांड, 1977 .	12-11-67	..	.	..	8.62	8.62	8.62
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1979 . .	1-7-79	..	..	81.06	81.06	106.06	106.06
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1980 . .	18-7-80	..	..	98.05	98.05	98.05	98.05
7 प्रतिशत ब्याज वाले स्वर्ण बांड 1980 .	2-3-80			..	3.25	3.26	3.26
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 . .	27-10-80	..	..	..	2.01	6.95	6.95
4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1981 .	24-7-81	..		..	65.97	65.97	65.97
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1985	12-7-85	..		..	114.03	114.03	114.03
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1986	8-5-86	.		..	103.0	103.10	103.10
$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1989 .	15-4-89	..	..	.	140.27	140..6	140.26
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1990 .	1-7-90	.	..	..	136.16	136.16	136.16
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1991	18-7-91	.	..	..	..	108.03	108.03
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1972 .	15-7-72	.	.	.	..	100.13	100.13
5 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1982 , .	15-7-82	..	.	.		150.15	150 15
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1992 .	15-7-92	..	..	..	..	150.20	150.20
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1995	11-5-95	..		..	..	178.56	178.56
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1975	26-7-75	..		..	..	167.11	167.11
*3 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1996-97 .	*तीन महीने के नोटिस. पर सरकार की इच्छा के अनुसार	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93

1	2	3	4	5	6	7	8
*3 प्रतिशत ब्याज वाला परिवर्तनीय ऋण, 1946	16-9-86 को या उसके बाद तीन महीने के नोटिस पर सरकार की इच्छा अनुसार	248.92	248.92	248.92	248.91	248.91	248.91
4 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद राज्य विकास ऋण, 1963	15-10-63	..	..	.35	..	..	..
4 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद राज्य विकास ऋण, 1967	1-9-67	..	..	2.13	2.13	..	..
4 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद राज्य विकास ऋण, 1968	3-9-68	..	..	2.18	2.18	..	..
3 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद ऋण, 1951-61	1-8-51	..	..	6.59	..	..	..
2 3/4 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद ऋण, 1974	1-5-71	..	..	4.40	4.40	4.40	4.40
2 3/4 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद ऋण, 1975	1-1-75	..	..	6.86	6.86	6.86	6.86
2 1/2 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद ऋण, 1953-64	16-10-53	..	..	5.38	..	..	..
1 1/5 प्रतिशत ब्याज वाला हैदराबाद ऋण, 1964	30-10-64	..	..	3.86	..	..	..
नये लिये जाने वाले ऋण	..	..	..	..	..	..	500.00
जोड़--चालू ऋण		4138.46	1508.63	2555.72	3417.28	3879.38	3935.58

*असमापनीय ऋण

अनुबन्ध

S/155 M. of Fin.—18.

अनुबन्ध 1

1969-70 के बजट में खाते के शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये व्यय का अनुदानों के मांगों के अनुसार वितरण का विवरण

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
राजस्व से व्यय				
करों, शुल्कों और अन्य मख्य राजस्वों का संग्रह—				
1. सीमा-शुल्क .	15. सीमा-शुल्क	8,29,50	—18	8,29,22
2. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	16. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क .	16,18,67	—2,91,52	13,27,15
3. निगम-कर .	17. निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	3,28,88	..	3,28,88
4. निगम कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	17. निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	12,75,82	..	12,75,82
5. मत सम्पत्ति शुल्क .	17. निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर . . .	18,29	..	18,29
6. सम्पत्तिकर .	17. निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	26,80	..	26,80
7. व्यय कर .	17. आय आदि पर कर . .	7	..	7
8. दान कर .	17. आय आदि पर कर .	3,65	..	3,65
9. भू-राजस्व .	51. दिल्ली	8,24	..	8,24
	52. चंडीगढ़ . . .	1	..	1
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	3,18	..	3,18
	54. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र . .	5,55	..	5,55
	55. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी समूह	1,23	..	1,23
	जोड़—भू-राजस्व .	18,21	..	18,21
10. राज्य उत्पादन-शुल्क	51. दिल्ली. . . .	3,50	..	3,50
	54. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र . .	2,23	..	2,23
	जोड़—राज्य उत्पादन शुल्क .	5,73	..	5,73
11. गाड़ियों पर कर	51. दिल्ली . . .	8,31	..	8,31
	52. चण्डीगढ़ . .	10	..	10
	54. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र . .	4	..	4
	जोड़—गाड़ियों पर कर . .	8,45	..	8,45
12. बिक्री कर .	51. दिल्ली	43,25	..	43,25
13. अन्य कर और शुल्क	51. दिल्ली	40,30	..	40,30
	52. चडीगढ़	1,18	..	1,18
	जोड़—अन्य कर और शुल्क. .	41,48	..	41,48

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	माँग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात माँग की रकम)	रकम: वसूलियाँ जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	रकम: बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
14. स्टाम्प .	18. स्टाम्प	5,33,27	−5,36	5,27,91
	51. दिल्ली	2,29	..	2,29
	52. चंडीगढ़	35	..	35
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	2	..	2
	54. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र . .	1	..	1
	55. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1	..	1
	जोड़—स्टाम्प .	5,35,95	−5,36	5,30,59
15. रजिस्ट्री फीस.	51. दिल्ली.	1,86	..	1,86
	54. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र . .	7	..	7
	जोड़—रजिस्ट्री फीस . . .	1,93	..	1,93
	जोड़—करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह . .	47,68,68	−2,97,16	44,59,52
ऋण व्यवस्था				
16. ऋण और अन्य देनदारियों पर ब्याज	ऋणों और अन्य देनदारियों पर ब्याज .	5,63,86,07	4.22	5,63,81,85
17. ऋण में कमी या ऋण से बचाव के लिये विनियोग .	तदेव	5,00,00	..	5,00,00
प्रशासनिक सेवाएं—				
18. संसद, राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों के विधान मंडल	74. विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,92,00	..	1,92,00
	96. संसद विषयक विभाग . .	9,13	..	9,13
	100. लोक सभा . . .	1,74,68	..	1,74,68
	101. राज्य-सभा . . .	78,37	—3	78,34
	जोड़—संसद, आदि . . .	4,54,18	—3	4,54,15

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	रकम: वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	रकम: बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
19. सामान्य प्रशासन				
	1. रक्षा मंत्रालय . . .	96,91	..	96,91
	6. शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य .	1,24,41	..	1,24,41
	2. विदेश मंत्रालय . . .	2,77,19	..	2,77,19
	4. वित्त मंत्रालय . . .	3,09,94	−129	3,08,,65
	29. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय . .	1,89,87	−8	1,89,79
	34. विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय .	1,39,96	..	1,39,96
	38. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	71,31	..	72,31
	43. गृह मंत्रालय . . .	1,75,15	−50	1,74,65
	44. मंत्रिमंडल . . .	66,68	..	66,68
	51. दिल्ली. . . .	1,30,96	..	1,30,96
	52. चण्डीगढ़	11,88	..	11,88
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	44,15		44,15
	54. आदिम जाति-क्षेत्र . .	2,09,10	−18,27	1,90,83
	51. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र . .	3,62	..	3,62
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	8,87	..	8,87
	57. गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय.	1,49	..	1,49
	58. औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय . .	86,92	..	86,92
	62. सूचना और प्रसारण मंत्रालय. .	23,79	..	23,79
	65. सिंचाई और बिजली मंत्रालय .	39,10	−39	38,71
	68. श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय .	84,72	..	84,72
	73. विधि मंत्रालय . .	86,53	−85	85,68
	75. पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय . . .	52,46	..	52,46
	78. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय .	1,40,62	−501	1,35,61
	83. इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय.	22,80	..	22,80
	85. पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय	23,58	−3,28	20,30
	89. परमाणु-शक्ति विभाग . .	42,05	..	42,05
	91. संचार विभाग . .	19,05	−1,50	17,55
	97. समाज कल्याण विभाग . .	19,78	..	19,78
	99. योजना आयोग . .	1,39,55	..	1,39,55
	102. उपराष्ट्रपति का सचिवालय .	3,02	..	3,02
	राष्ट्रपति के कर्मचारी, परिजन और भत्ते	39,99	..	39,99
	संघ लोक सेवा आयोग . .	95,31	..	95,31
	जोड़—सामान्य प्रशासन . .	27,31,76	−31,17	27,05,59

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
20. लेखा-परीक्षा	19. लेखा-परीक्षा	25,93,87	-5,79,83	20,14,04
21. न्याय प्रशासन	45. न्याय प्रशासन			
	51. दिल्ली	30,32	..	30,32
	52. चण्डीगढ़	53,20	-5,32	47,88
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34,79	-31,20	3,59
	55. दादरा नगरहवेली क्षेत्र	70	..	70
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	58	..	58
		1,04	..	1,04
	जोड़--न्याय प्रशासन	1,20,63	-36,52	84,11
22. जेल	51. दिल्ली			
	52. चण्डीगढ़	15,76	-61	15,15
	53. अण्डामान और निकोबार द्वीपसमूह	77	..	77
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र	1,29	..	1,29
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	5	..	5
		1	..	1
	जोड़--जेलें	17,88	-61	17,27
23. पुलिस	46. पुलिस			
	51. दिल्ली	57,96,14	-1,70,72	56,25,42
	52. चण्डीगढ़	5,64,13	..	5,64,13
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	61,03	-1,70	59,33
	54. आदिम जाति क्षेत्र	90,24	..	90,24
	55. दादरा नगरहवेली क्षेत्र	12,68,33	-1,42,43	11,25,90
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	3,04	..	3,64
		3,18	..	3,18
	जोड़--पुलिस	77,86,09	-31,485	74,71,24
24. वैदेशिक कार्य	12. विदेश मंत्रालय	20,68,59	-18	20,68,41
25. संभरण और निपटान	35. संभरण और निपटान	4,26,49	..	4,26,49
	37. विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	36,51	..	36,51
	जोड़--सम्भरण और निपटान	4,63,00	..	4,63,00

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम		
		कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जानी हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
26. विविध विभाग	11. शिक्षा मंत्रालय युवक सेवा कार्य का अन्य राजस्व व्यय	19,79	..	19,79
	25. वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,43,45	..	1,43,29
	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	12,52	−42	12,10
	36. विदेशी व्यापार . . .	1,16,09	..	1,16,09
	37. विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	11,33	..	11,33
	51. दिल्ली . . .	30,11	..	30,11
	52. चण्डीगढ़ . .	1,16	..	1,16
	53. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	2,02	..	202
	55. दादरा–नगरहवेली क्षेत्र . .	53	..	53
	55. गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	5,83,57	−2,02	5,81,55
	61. औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,20,11	..	1,20,11
	64. सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1,24,96	−2,79	1,22,17
	जोड़—विविध विभाग . .	11,65,48	−5,23	11,60,25
	जोड़—प्रशासनिक सेवाएं . .	1,74,51,48	−9,68,42	1,64,83,06
सामाजिक और विकास संबन्धी योजनाएं				
27. वैज्ञानिक विभाग	1. रक्षा मंत्रालय . .	80,18	..	80,18
	8. पुरातत्व . . .	1,61,58	..	1,61,58
	9. भारतीय सर्वेक्षण . .	5,71,49	−73,77	4,97,72
	10. वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् को अनुदान . .	19,48,12	..	19,48,12
	11. शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य का अन्य राजस्व व्यय .	2,66,12	..	2,66,12
	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहाकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	12,11	..	12,11
	52. चण्डीगढ़ . . .	2,38	..	2,38
	69. खानों का मुख्य निरीक्षक . .	58,28	..	58,28
	76. भूगर्भ सर्वेक्षण . . .	10,11,38	−14,40	9,96,98
	77. पेट्रोलियम और रसायन खान तथा और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,98,73	..	1,98,73

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	रकम: वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	रकम: बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
	86. अन्तु विज्ञान . . .	4,69,99	−17,61	4,52,38
	90. परमाणु शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय . . .	17,66,24	..	17,66,24
	जोड़—वैज्ञानिक विभाग . .	65,47,00	−1,05,78	64,41,22
28. शिक्षा	7. शिक्षा . . .	60,26,33	−78,32	59,48,01
	51. दिल्ली . . .	14,00,59	..	14,00,59
	52. चण्डीगढ़ . . .	1,51,18	−31,73	1,19,45
	53. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	41,00	..	41,00
	54. आदिम जाति क्षेत्र . .	78,51	..	78,51
	55. दादरा नगर हवेली क्षेत्र . .	11,96	..	11,96
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीपसमूह	18,06	..	18,06
	98. समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय . . .	77,94	..	77,94
	जोड़—शिक्षा . . .	78,05,57	−1,10,05	96,95,52
29. चिकित्सा	39. चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य .	12,98,57	−83,99	12,14,58
	51. दिल्ली . . .	2,21,38	..	2,21,38
	52. चण्डीगढ़ . . .	22,46	−9,93	12,53
	53. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	22,82	..	22,82
	54. आदिम जाति क्षेत्र . .	63,89	..	63,89
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र . .	1,32	..	1,32
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	5,17	..	5,17
	जोड़—चिकित्सा	16,35,61	−93,92	15,41,69
30. लोक-स्वास्थ्य	96. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	11,01,09	−11,69	10,89,40
	51. दिल्ली . . .	25,51	..	25,51
	52. चण्डीगढ़ . . .	21,01	..	21,01
	53. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	6,75	..	6,75
	54. आदिम जाति क्षेत्र . .	25,65	..	25,65
	55. दादरा नगर हवेली क्षेत्र . .	2,44	..	2,44
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . . .	2,02	.	2,02
	96. समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय . . .	12,00	..	12,00
	जोड़—लोक-स्वास्थ्य . .	11,96,47	−11,69	11,84,78

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	 वसूलियां जो बजट व्यय में से घटायी जाती है	 बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
31. कृषि . .	30. कृषि . . .	10,62,01	−1,15,96	9,46,05
	31. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अदायगियां . .	12,93,95	. .	12,93,95
	51. दिल्ली . . .	32,43	−5,52	26,91
	52. चण्डीगढ़ . .	2,14	. .	2,14
	53. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	23,17	. .	23,17
	54. आदिम जाति क्षेत्र .	40,11	. .	40,11
	55. दादरा नगर हवेली क्षेत्र .	6,18	. .	6,18
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह	19,42	. .	19,42
	जोड़—कृषि . .	24,79,41	−1,21,48	23,57,93
32. ग्राम-विकास .	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	67	−24	43
				6
32. पशु-पालन .	31. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को अदायगियां . .	1,48,46	. .	1,48,4
				4
	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	40,12	2,58	37,53
	51. दिल्ली . . .	15,53	. .	15,50
	52. चण्डीगढ़ . .	7,00	. .	7,08
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	3,68	. .	3,63
	55. दादरा-नगर हवेली	23	. .	20
	56. लक्षदीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह	1,10	. .	1,10
	जोड़—पशु-पालन . .	2,16,12	258	2,13,54
34. सहकारिता .	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,01,54	. .	2,01,54
	51. दिल्ली . . .	15,50	. .	15,50
	52. चण्डीगढ़	90	. .	90
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	2,19	. .	2,19
	54. आदिम जाति क्षेत्र .	5,03	. .	5,03
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र .	1,00	. .	1,00
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह	2,04	. .	2,04
	जोड़—सहकारिता . .	2,28,20	. .	2,28,20

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम		
		कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
35. उद्योग . .	37. विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,60,77	..	6,60,77
	51. दिल्ली . . .	17,10	..	17,10
	52. चण्डीगढ़ . .	57	..	57
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,64	..	2,64
	54. आदिम जाति क्षेत्र .	19,03	..	19,03
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र .	17	..	17
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह	1,54	..	1,54
	59. उद्योग . . .	4,97,11	−1,20	4,95,91
	60. नमक . . .	61,40	−7,20	54,20
	61. औद्योगिक विकास, अतिरिक्त व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	13,58,00	..	..
	77. पेट्रोलियम, रसायन खान धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	34,44	..	34,44
	82. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का राजस्व व्यय . .	2,00,00	..	2,00,00
	84. इस्पात, और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1,60,42	−85,00	75,42
	90. परमाणु-शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,70,95	..	1,70,95
	जोड़—उद्योग . .	31,84,14	−93,40	30,90,74
36. प्रसारण .	63. प्रसारण . .	11,87,57	−1,19,65	10,67,92
37. सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	15,11	−20	14,91
	51. दिल्ली . .	7,70	..	7,70
	52. चण्डीगढ़ . .	69	..	69
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,58	..	8,58
	54. आदिमजाति क्षेत्र .	30,50	..	30,50
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र .	100	..	100
	56. लक्षद्वीप, मिनीकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह . . .	10	..	10
	जोड़—सामुदायिक विकास आदि .	63,68	−20	63,48

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटायी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
38. श्रम और नियोजन	51. दिल्ली . . .	1,02,66	..	1,02,66
	52. चण्डीगढ़ . .	18,50	..	18,50
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	9,98	−4,76	5,22
	54, आदिमजाति क्षेत्र . .	200	..	200
	56, लक्षद्वीप मिनोकोम और अमीनदीवि द्वीपसमूह . .	13	..	13
	70. श्रम और नियोजन .	16,44,44	−6,31,01	10,13,43
	जोड़—श्रम और नियोजन .	17,77,71	−6,35,77	11,41,94
39. सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन .	11. शिक्षा और युवक सेवा कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	44,58	−16	43,42
	31. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को अदायगियां . .	73,00	..	73,00
	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	53,58	−50	53,38
	36. विदेशी व्यापार . .	36,512	.	16,512
	37. विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1	..	1
	42. स्वास्थ्य, और परिवार नियोजन निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय . .	62,13	..	62,13
	47. जनगणना . .	1,57,84	..	1,57,84
	48. अंक-संकलन . .	3,72,18	..	3,72,18
	51. दिल्ली . . .	48,72	..	48,72
	52. चण्डीगढ़ . .	1,42	..	1,42
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,23	..	1,23
	54. आदिम जाति क्षेत्र .	5,34	..	5,34
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र .	7,45	..	7,45
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह . .	13	..	13
	64. सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	5,01,54	—48,81	4,52,73
	67. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	2,10,17	—58,60	1,51,57
	82. जहाजरानी परिवहन और मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	98,71	..	98.71
	88, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	2,55,02	..	2,55,02

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
	95. संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	27,35	..	27,35
	98. समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	20,52	..	20,52
	जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन . .	23,05,34	–1 08,07	21,97,27
40. औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय (राजस्व खाते के अन्तर्गत पूंजी खाता)	60. नमक . .	2,90	..	2,90
41. प्रसारण पर पूंजी परिव्यय	63. प्रसारण . .	5,01	..	5,01
	जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	2,86,35,40	–14,02,83	2,72,32,57
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं :				
42. बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	66. बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं .	2,17,45	–43,40	1,74,05
44. सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक)	51. दिल्ली . . .	27,84	8,40	19,44
	67. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,89	–1,16	73
	जोड़—सिंचाई आदि . .	29,73	–9,56	2,017
45 बिजली योजनाएं	52. चण्डीगढ़ . . .	38,51	..	38,51
	53. अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह . . .	19,20	..	19,20
	54. आदिम जाति क्षेत्र .	9,50	..	9,50
	55. दादरा-नगरहवेली क्षेत्र .	1,70	..	1,70
	56. लक्षद्वीप मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह	4,88	..	4,88
	67. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1,27,15	—56,25	70,90
	90. परमाणु शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,00,00	..	1,00,00
	जोड़—बिजली योजनाएं .	3,00,94	—56,25	2,44,69
	जोड़—बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं सिंचाई आदि .	5,48,12	—1,09,21	4,38,91

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
		(रकम)		
50. लोक निर्माण-कार्य				
	40. लोक निर्माण-कार्य .	40,81,52	28,07,60	12,73,92
	51. दिल्ली . . .	2,93,95	−1,55,75	1,38,20
	52. चण्डीगढ़ . . .	1,09,62	..	1,09,62
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	1,63,18	−1,22,40	40,78
	54. आदिम जाति क्षेत्र .	2,54,82	−1,27,40	1,27,42
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र .	8,60	..	8,60
	56. लक्षद्वीप मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह . .	2,2,30	−15,28	7,02
	79. सड़कें . . .	20,00,86	−31,91	19,68,95
	जोड़—लोक निर्माण कार्य .	69,34,85	−32,60,34	36,74,51
52. लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	40. लोक निर्माण-कार्य .	23,32	..	23,32
	51. दिल्ली . . .	6,00	..	6,00
	62. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24,70	..	24,70
	53. आदिम जाति क्षेत्र .	47,00	..	47,00
	54. दादरा—नगर हवेली क्षेत्र .	3,50	..	3,50
	55. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह . . .	8,32	..	8,32
	79. सड़कें .	6,00	..	6,00
	जोड़—लोक निर्माण-कार्य पर पूंजी परिव्यय . .	1,18,84	..	1,18,84
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)				
53. बन्दरगाह और नौचालन	53. अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	10	..	10
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीप-समूह	1,00,00	−28,00	72,00
	. . . .	1,00,10	−28,00	72,10
54. व्यापारिक समुद्री बेड़ा	80. व्यापारिक बेड़ा .	2,97,65	−1,89	2,95,76
55. प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	81. प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत .	1,44,00	..	1,44,00
56. उड्डयन . .	87. उड्डयन . .	16,27,42	−7,63,44	8,63,98

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात मांग की रकम)	रकम: वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटायी जाती हैं	रकम: बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
57. सड़क और जल-परिवहन योजनाएं				
	52. चण्डीगढ़ . .	31,76	–4,76	27,00
	53. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	28,34	..	28,34
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीप समूह . .	16,81	..	16,81
	जोड़—सड़क और जल-परिवहन योजनाएं .	76,91	–4,76	72,15
58. समुद्रपारीय संचार सेवा	92. समुद्र–पारीय संचार सेवा .	2,85,07	–6	28,01
	जोड़–परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	25,31,15	–7,98,15	17,33,00
मुद्रा और टकसाल				
62. मुद्रा और सिक्का ढलाई	20. मुद्रा और सिक्का ढलाई .	17,25,62	–19,50	–17,33,12
63. टकसाल	21. टकसाल . . .	3,30,39	–33	3,30,06
63-क, कोलार की सोने की खानें	22. कोलार की सोने की खानें .	6,75,91	–95,37	5,80,54
	जोड़—मुद्रा और टकसाल . .	27,58,92	1,15,20	26,43,72
विविध :				
64. दुर्भिक्ष सहायता	51. दिल्ली . . .	50	..	50
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह .	1	..	1
	जोड़—दुर्भिक्ष सहायता . .	51	..	51
65. पेंशनें और अन्य सेवा निर्वृत्ति लाभ	23. पेंशनें और अन्य सेवा निर्वृत्ति लाभ	8,07,08	–40,57	7,66,51
66. प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	50. प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें .	18,93	..	18,93
67. भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	49. भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते . .	4,80,66	..	4,80,66
68. लेखन-सामग्री और छपाई	41. लेखन-सामग्री और छपाई	14,22,09	–10,11,88	–4,10,21
	51. दिल्ली . . .	31	..	31
	52. चंडीगढ़ . . .	73,28	–65,00	8,28

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
	54. अंडमान और निकोबार द्वीप-समह	1,93	..	1,93
	56. लक्षद्वीप मिनिकोय और अमीनदीवि-द्वीपसमूह . . .	23	..	23
	जोड़—लेखन-सामग्री और छपाई .	14,97,84	−10,76,88	4,20,96
69. अफीम	24. अफीम . . .	4,59,14	..	4,59,14
70. वन	31. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अदायगियां . . .	34,62	..	34,62
	32. वन . . .	1,78,06	−7,95	1,70,11
	51. दिल्ली . . .	4,40	..	4,40
	52. चंडीगढ़ . . .	3,54	..	3,54
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,61,96	−18,10	1.43,86
	54. आदिम जाति क्षेत्र . .	97,69	−41,0,0	56,69
	55. दादरा-नगर हवली क्षेत्र	2,61	..	2,61
	जोड़—वन . . .	4,82,88	−67,05	4,15,83
71. विविध	11. शिक्षा और युवक सेवाकार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय. . .	73,49	..	73,49
	13. विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	25,03,28	..	25,03,28
	25. वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	37,07,93	−98,04	36,06,89
	33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	42,55,14	..	42,55,14
	36. विदेशी व्यापार . .	88,05,37	−44,00,00	44,05,37
	37. विदशो व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	40,19	..	40,19
	42. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	2,80,00	−3,47	2,04,53
	51. दिल्ली . . .	3,94,13	−14	3,93,99
	52. चंडीगढ़ . . .	16,26	−28	15,98
	53. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21,32	..	21,32
	54. आदिम जाति क्षेत्र . .	3,87,95	−55,00	3,32,95
	55. दादरा-नगर हवेली क्षेत्र .	37	..	37

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात, मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
	56. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवि द्वीपसमूह	4,29	..	4,29
	57. गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,35,32	−13,24	5,22,80
	58. औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	11,44	..	11,44
	64. सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	21,27	..	21,27
	67. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	23,87	..	23,87
	71. विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	18,64,48	..	18,64,48
	72. श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,64	−20	8,44
	74. विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	10,25	..	10,25
	75. पेट्रोलियम, रसायन, खान तथा धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	13,56,82	−10	13,56,72
	82. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	10,86	..	10,86
	88. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	21,04	..	21,04
	90. परमाणुशक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	15,54	..	15,54
	95. संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	10,24	..	10,24
	98. समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,44,02	..	3,44,02
	99. योजना आयोग	18,40	−3,28	15,12
	100. लोक-सभा	10,66	..	10,66
	जोड़—विविध	2,46,80,57	−45,73,75	2,01,06,82
	जोड़—विविध विभाग	2,84,27,61	−57,58,25	2,26,69,36
73. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से राज्यों के हिस्से की अदायगी	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों के हिस्से की अदायगी	3,02,39,91	..	3,02,39,91
74. राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	21. राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	6,05,18,16	−9,00,05	5,96,18,11

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम		
		कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती है	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
75. केन्द्रीय और राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोज	27. केन्द्रीय और राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविधि समायोजन .	38,90	..	38,90
76. अन्य विविध अंशदान और समर्पण . . .	51. दिल्ली . . .	8,34,24	..	8,34,24
77. असाधारण व्यय . .	67. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	5,80,74	..	5,80,74
78. विभाजन पूर्व की अदायगियां	28. विभाजन पूर्व की अदायगियां	7,87	..	7,87
79. रक्षा सेवाएं, सक्रिय	2. रक्षा सेवाएं सक्रिय-स्थल सेना	7,74,63,25	−16,75,00	7,57,88,25
80. रक्षा सेवाएं, सक्रिय-नौ सेना	3. रक्षा सेवाएं, सक्रिय-नौ सेना .	46,92,15	−6,00	46,86,15
81. रक्षा सवाएं सक्रिय-वायु सेवा	4. रक्षा सेवाएं सक्रिय-वायु सेना .	1,97,72,60	..	1,97,72,60
82. रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय .	5. रक्षा सेवाएं निष्क्रिय .	32,80,00	..	32,80,00
	जोड़-रक्षा .	10,52,08,00	−16,81,00	10,35,27,00
	जोड़ . .	34,64,76,94	−1,52,94,65	33,11,82
जोड़िये—रेलवे बजट के अनुसार रेलों सम्बन्धी व्यय . .		9,47,32,05	..	9,47,32,05
	जोड़—राजस्व व्यय .	44,12,08,81	−1,52,94,65	42,59,14,16

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम कुल व्याज (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दखाया गया शुद्ध व्यय
डाक और तार				
90. डाक और तार . .	93. भारतीय डाक और तार विभाग (कार्यचालन व्यय) . .	2,16,83,14	13,74,36	2,03,08,78
	94. डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणोंकी वापस अदायगी .	33,97,48	−10,40,26	23,57,22
	जोड़—डाक और तार .	2,50,80,62	−24,14,62	2,26,66,00
	कुल जोड़ . .	46,62,89,61	−1,77,09,45	44,85,80,16
	घटाइये—रेलों सम्बन्धी व्यय .	−9,47,32,05	..	−9,47,32,05
जोड़—राजस्व से व्यय, जैसा कि अनुदानों की मांगों में दिखाया गया		37,15,57,38	−1,77,09,27	35,38,48,11
II—राजस्व से न किया जाने वाला पूंजी परिव्यय				
93. सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पर पूंजी परिव्यय . .	105. इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय . .	66,56	..	66,56
94. लोक स्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी परिव्यय . . .	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	11,82	..	11,82
95. कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	114. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	4,14,57	..	4,14,57
	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय . . .	24,00	..	24,00
	जोड़—कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	4,38,57	..	4,38,57

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम		
		कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घाटा दी जानी है	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
96. औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	103. विदेशी व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,01,00	..	2,01,00
	104. शिक्षा और युवक सेवाकार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	3,00	..	3,00
	110. वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	1,15,00	..	1,15,00
	114. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	40,53,90	..	40,53,90
	116. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास और नगर विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	42,50	..	42,50
	119. संघीय राज्य-क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	18,55	..	18,55
	121. औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	4,64,32	..	4,64,32
	124. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	20,00	..	20,00
	125. श्रम, नियोजन, और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	41,15	−1,15	40,00
	126. पैट्रोलियम, रसायन खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	86,60,69	−2,56,96	84,03,73
	129. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	3,12,00	−3,00	3,09,00
	130. इस्पात, और भारी इंजीनीयरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,71,01,50	−7,00	1,70,94,50
	132. पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	4,60,00	..	4,60,00
	133. परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . .	19,55,50	−16,00	19,39,50
	135. संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय . .	1,00,00	..	1,00,00
जोड़—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय . .		3,35,51,11	−2,84,11	3,32,67,00
97. प्रसारण पर पूंजी परिव्यय	122. सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	5,18,04	−1,49,33	3,68,71

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती है	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं आदि का पूंजी खाता :				
98. बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	123. बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	20,50,56	..	20,50,56
100. सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जलनिकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (अवाणिज्यिक)	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परि-व्यय	1,04,65	−20,50	84,15
101. बिजली योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय . .	99,18	−26,00	63,18
	124. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	12,73,59	..	12,73,59
	133. परमाणू शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	23,54,00	..	23,54,00
	जोड़—बिजली योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	37,16,77	−26,00	36,90,77
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि . . .		58,71,98	−46,50	58,25,48
103. लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	117. लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परि-व्यय . . .	9,12,95	—8,00	9,04,95
	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय . .	3,57,80	..	3,57,80
	127. सड़कों पर पूंजी परिव्यय .	43,37,15	..	43,37,15
	जोड़—लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	56,07,90	—8,00	55,99,90
104. दिल्ली पूंजी परिव्यय .	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	14,19,00	−3,42,00	10,77,00
	136. दिल्ली पूंजी परिव्यय .	7,36,00	—30,00	7,06,05
	जोड़—दिल्ली पूंजी परिव्यय .	21,55,05	—3,72,00	17,83,05
105. चंडीगढ़ पूंजी परिव्यय .	119. संघीय राज्य क्षत्रों और आदिम जाति क्षत्रों पर पूंजी परिव्यय	2,04,05	—1,18,00	86,05
108. दण्डकारण्य विकास योजना पर जी परिव्यय . .	125. श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	3,00,00	..	3,00,00

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम: कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	रकम: वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटायी जाती हैं	रकम: बजट में दिखाया गया वास्तविक व्यय
108-क कांडला के अबाध व्यापार क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय .	115. विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	7,62	—3,50	4,12
109 अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	114. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	1,96,89	—9,30,13	7,33,24
	120. गृह-मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	43,00	..	43,00
	125. श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,50,00	..	1,50,00
	132. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	90,15	..	90,15
	133. परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . .	2,65,50	..	2,65,50
	जोड़ . .	7,45,54	—9,30, 13	1,84,59
110. बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम-जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	1,30,00	..	1,30,00
	128. बंदरगाहों पर पूंजी परिव्यय .	6,07,79	—1,05,29	5,02,50
	जोड़—बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	7,37,79	—1,05,29	6,32,50
111. प्रकाशस्तम्भों और प्रकाशपोतों पर पूंजी परिव्यय .	129. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,10,28	—74,88	35,40
112. उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	131. उड्डयन पर पूंजी परिव्यय.	12,83,01	..	12,83,01
114. सड़कों और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी पव्यिय .	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम-जाति क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	3,10	..	3,10
	129. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	200	..	2,00
	जोड़ . .	5,10	..	5,10

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम		
		कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
115. समुद्रपारीय संचार सेवा पर पूंजी परिव्यय .	135. संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय . .	3,50,00	—15,00	3,35,00
116. जहाजरानी, तैलवाहक जहाजों आदि पर पूंजी परिव्यय	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम-जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	19,22	..	19,22
	129. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	2,44,33	..	2,44,33
	जोड़—जहाजरानी, तैलवाहक जहाजों आदि पर पूंजी परिव्यय .	2,63,55	..	2,63,55
117. मुद्रा और सिक्का-ढलाई पर पूंजी परिव्यय .	106. मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	15,56,24	—10,72,68	4,83,56
118. टकसालों पर पूंजी परिव्यय	107. टकसालों पर पूंजी परिव्यय	50,27	..	50,27
118-क. कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय .	108—कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय .	1,25,87	—31,85	94,02
119. वनों पर पूंजी परिव्यय	114. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	20,00	..	20,00
	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम-जाति क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	5,20	..	5,20
	जोड़—वनों पर पूंजी परिव्यय	25,20	..	25,20
120. पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी .	109. पेंशनोंका राशीकृत मूल्य	6,05,29	—1,25,43	4,79,80
121. स्टर्लिंग पेंशनों पर पूंजी परिव्यय	स्टर्लिंग पेंशनों पर पूंजी परिव्यय	..	—3,96,55	—3,96,55
124. सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय				
	104. शिक्षा और युवक सेवा काय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	7,21,55	—7,21,55	..
	110. वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	77,00	—77,00	..
	113. अन्न और रसायनिक खाद की खरीद . .	2,70,61,79	—3,07,61,00	36,99,21

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य-शीर्षक	मांग की संख्या और नाम	रकम कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	 वसूलियां, जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	 बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
	114. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	9,55,83	—8,71,93	83,90
	118. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	19,43,19	—19,18,42	25,87
	119. संघीय राज्य क्षेत्र और आदिम-जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	3,88,63	—4,17,76	—29,13
	120. गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	5,00	—5,00	..
	121. औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	5	—5	..
	124. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	25	..	25
	125. श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	17,92	—12,61	5,31
	130. इस्पात और भारी इंजीनीयरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	3,00	—3,10	—10
जोड़—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .		3,11,74,31	—3,47,87,42	—36,13,11
126. राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के विकास के लिए दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय . .	111. विकास के लिए राज्यों सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों का पूंजी परिव्यय	34,98,06	—30,17,67	4,80,36
	118. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	4,00	—4,63	—63
	119. संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	20,00	—35,03	15,04
	127. सड़कों पर पूंजी परिव्यय .	3,30,17	—1,66,51	1,63,66
जोड़—अनुदानों पर पूंजी परिव्यय . .		38,52,20	32,23,85	6,28,35
127. विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास अनुदानों की अदायगियां करने पर पूंजी-परिव्यय	125. श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परि-व्यय . . .	35,10	—5,87,64	—5,52,54

(हजार रुपयों में)

खाते का मुख्य-शीर्षक		मांग की संख्या और नाम	रकम		
			कुल व्यय (अर्थात् मांग की रकम)	वसूलियां जो बजट में व्यय में से घटा दी जाती हैं	बजट में दिखाया गया शुद्ध व्यय
129. सिंधु नदी सन्धि के अनुसार अदायगियों पर पूंजी-परिव्यय		124. सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	11,20,00	--5,80,72	5,39,28
130. रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय		103. रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,31,12,00	--6,90,00	1,24,22,00
134. डाक और तार पर पूंजी परिव्य		135. डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से न किया जाने वाला)	57,70,00	--23,53,59	34,16,41
		जोड़--राजस्व से न किया जाने वाला पूंजीगत व्यय . .	10,96,54,45	--4,59,56,47	6,36,97,98
जोड़िये--रेलवे बजट में दिखायी गयी रेल पूंजी . .		. .	1,32,60,00	..	1,32,60,00
		जोड़--पूंजी . . .	12,29,14,45	--4,59,56,47	7,69,57,98
क--केन्द्रीय सरकार के पूंजी खाते के भुगतानों का विवरण।					
ख--केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम-राज्य सरकारों को अग्रिम . .	7,66,91,30	112. केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम .	12,50,65,83	-31,69	12,50,34,14
अन्य ऋण और अग्रिम	4,83,74,53				
	12,50,65,83				
सरकारी ऋण:					
क--भारत में लिया जाने वाला ऋण--					
1--रुपया ऋण	4,00,50,00	ऋण-परिशोध . .	1,00,41,11 06	..	1,00,41,11,06
2--अस्थायी ऋण	94,00,00,00				
ख--भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	2,09,61,86				
ग--अन्तर्राज्यीय निपटारा	..				
	1,00,10,11,06				

अनुबन्ध 2

विदेशी सहायता

इस अनुबन्ध में मित्रराष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विभिन्न विदेशी ऋणों का संक्षेप में ब्योरा दिया गया है। इसके अन्त में दो विवरण और जोड़ दिये गये है जिन में से एक में अधिकृत ऋणों की रकम और उन ऋणों से ली गई वास्तविक रकमें तथा दूसरे में इन ऋणों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में वापस की जाने वाली रकमें दिखाई गई हैं ।

क—ऋण

1. संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं ऋण

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा 1951 में 1900 लाख डालर का एक ऋण गेहूं की खरीद के लिए स्वीकृत किया गया था। इसे 1957 से शुरू करके 60 छमाही किस्तों में अदा किया जाना था। अमेरिका की सरकार 1958 से 1967 तक देय मूल रकम और ब्याज की किस्तों की अदायगी स्थगित करने के लिए और कैलेंडर वर्ष 1968 के 1978 के दौरान देय मूल धन और ब्याज के एक भाग की अदायगी के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करने पर भी सहमतहो गई है ।

(ख) विकास सहायता ऋण :

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ 1955, 1956 और 1957 में जो करार किये गये थे उन के अनुसार भारत सरकार को रेल के इंजनों और डिब्बों, इस्पात, रासायनिक खाद, नलकूपों के केसिंग आदि जैसी कुछ सामग्री और साजसामान तथा कृषि की अतिरिक्त वस्तुओं जैसे गेहूं, कपास आदि की खरीद के लिये 1300 लाख डालर की ऋण सहायता उपलब्ध की गई। उक्त तीनों ऋण 73 छमाही किस्तों में चुकाये जाने हैं किन्तु 1955 के ऋण की पहली किस्त की अदायगी 31 मार्च 1959 को की जानी थी। प्रत्येक ऋण से जिस महीने में पहला भुगतान किया जाय उस महीने के समाप्त होने के चार वर्ष बाद उस ऋण का परिशोध प्रारम्भ होगा ।

(ग) विकास ऋण निधि से ऋण (जिसका नाम अब अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण है)

अमेरिका की सरकार ने यह निधि 1957 में स्थापित की थी । इस निधि से मित्र देशों की अर्थ-व्यवस्था का विकास करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं । इन ऋणों की अदायगी स्थानीय मुद्रा में 9 से 40 तक की छमाही किस्तों में करनी होती है ।

1961 में विकास ऋण निधि को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (एजेंसी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेंट) में मिला दिया गया है जिसका उद्देश्य कम विकसित राष्ट्रों के दीर्घकालीन और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करना है। इस अभिकरण से प्राप्त ऋणों को ऋण लेने के ग्यारहवें वर्ष से शुरु करके 30 वर्षों में डालरों में चुकता करना होता हैं ।

सरकार को ऋण देने के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को भी कुछ ऋण सीधे ही देता है। ऐसे ऋणों की वापसी भारत सरकार और अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के बीच हुए विशेष ऋण वापसी प्रणाली सम्बन्धी करारों के अनुसार की जाती है। इन मामलों में ऋण लेने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा करार की शर्तो के अनुसार ऋणों की वापसी भारत सरकार को कई किस्तों में रुपयों में की जाती है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को डालरों में मूलधन की वापसी 40 वर्ष की अवधि में करने की जिम्मेदारी ले लेती है लेकिन पहले 10 वर्ष में कोई वापसी नहीं करनी पड़ती।

(घ) अमेरिका के राष्ट्रपति की एशियाई आर्थिक विकास निधि से ऋण

1958 में किये गये एक करार के अनुसार अमेरिका की सरकार ने उड़ीसा की कच्चे लोहे की खानों के विकास के लिए अमेरिका की राष्ट्रपति की एशियाईं आर्थिक विकास निधि से 183.48 लाख डालर अर्थात् 8.74 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। मूलधन की अदायगी 31 छमाही किस्तों में की जानी है और यह अदायगी उस मास के समाप्त होने के तीन वर्ष बाद आरम्भ होगी जिस मास में इससे पहला भुगतान किया जाये।

(ङ) पब्लिक ला 480 के अधीन ऋण

अमेरिका की सरकार के 1954 के कृषि व्यापार विकास सहायता अधिनियम के (जिसे आम तौर से पब्लिक ला 480 कहा जाता है) प्राप्तव्य खाता 1 के अधीन अमेरिका की सरकार ने भारत के साथ तेरह करार किये हैं जिन के अनुसार 2271 करोड़ रुपये के मूल्य के गेहूं चावल, कपास, सोयाबीन का तेल, तम्बाकू, चर्बी आदि जैसे कृषि पदार्थ, रुपयों में अदायगी के बदले, भारत को दिये जायेंगे।

इन करारों की शर्तों के अनुसार 50 प्रतिशत माल अमरीकी जहाजों से, जिनके भाड़े की दर ऊंची होती है, लाना जरुरी होने के परिणाम-स्वरूप भाड़े में जो अन्तर होता है उसे अमरीका की सरकार वहन करती है।

भारत में अमरीकी सरकार के प्राप्तव्य खाते में इन पदार्थों के डालर मूल्य के बराबर रुपयों की रकम जमा की जाती है। रुपये के रुप में जमा की गई रकम में से भारत सरकार को अधिक से अधिक 1416.00 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जायगा। अब तक 1323.07 करोड़ रुपये के ऋण के करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। करार के अनुसार मूलधन 40 वर्षों में चुकाया जाना है।

1968 में किए गए पी० एल० 480 वस्तुकरारों के अनुसार 40 प्रतिशत अन्न का आयात परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण के आधार पर होगा, जो दूसरे डालर ऋणों के समान होगा। यह ऋण 31 वार्षिक किस्तों में अदा किया जायगा, अदायगी आयात किये जाने के 10 वर्ष बाद से शुरू की जायेगी। पहले दस वर्ष में ब्याज की दर एक से दो प्रतिशत के बीच होगी और बाद के 31 वर्षों में $2\frac{1}{2}$ से तीन प्रतिशत होगी।

2. अमेरिका के आयात-निर्यात बैंक से ऋण

वाशिंगटन के आयात निर्यात बैंक ने, भारत सरकार को अब तक, अमेरिका से भारत के आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए गत साजसामान और अन्य फालतू पुर्जो और सेवाओं का आयात करने के मामले में सहायता पहुंचाने के लिए 3187·5 लाख डालर क ऋण मंजूर किये हैं। बैंक ने 143 लाख डालर के दो अन्य ऋण भी बोइंग एअर प्लेन कम्पनी के साथ मिल कर देने स्वीकार किये हैं ताकि एयर इंडिया तीन बोइंग 707 विमान खरीद सके। पहला ऋण 6 अप्रैल 1966 तक पूरा-पूरा चुका दिया गया था इन ऋणों और बोइंग एयर क्राफ्ट संबंधी ऋण की अदायगी 14 छमाही किस्तों में और दूसरे मामलों से संबंधित ऋण 20 से 24 छमाही किस्तों में दिये जायगें। इन ऋणों की अदायगी शुरू के पांच वर्ष के बाद शुरू होगी।

3. सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ से ऋण

(क) भिलाई इस्पात कारखाने के लिए ऋण

1955 को रूस सरकार के साथ भिलाई में लोहा और इस्पात का एक संयुक्त कारखाना स्थापित करने के लिये करार किया गया था। इस कारखाने के लिये रूस की सरकार ने साजसमान उधार दिया था। ऋण की रकम की वापसी बराबर बराबर की 12 वार्षिक किस्तों में की जानी है। किस्तें उस वर्ष से अगले वर्ष की 15 मार्च या उससे पहले से प्रारम्भ होंगी जिस वर्ष ऋण लिया गया है। ऋण की सारी रकम 1961-62 तक प्रयोग में लायी जा चुकी थी।

(ख) सात अन्य करारों के अधीन, सोवियत सरकार ने नीचे बताये प्रयोजनों के लिये और ऋण दिये हैं:—

	ऋण की रकम	प्रयोजन
1. . . .	5,000 लाख रूबल (पुराने) (59.63 करोड़ रुपये)	भारत में औद्योगिक उपक्रमों के लिए भारी मशीनें बनाने के कारखाने, विशेष कांच के कारखाने, कोयला खनन मशीनों का कारखाना तथा लिगनाइट पर आधारित तापीय बिजलीघर की स्थापन आदि।
2.	800 लाख रूबल (पुराने) (9·5 करोड़ रुपये)	औषधियों, दवाओं और शल्य चिकित्सा के औजारों के निर्माण के लिए कारखानों की स्थापना।
3.	1000 लाख रूबल (पुराने) (11·91 करोड़ रुपये)	बिहार राज्य में बरौनी के स्थान पर पैट्रोलियम साफ करने के कारखाने का निर्माण।
4.	15,000 लाख रूबल (पुराने) (178·58 करोड़ रुपये)	भिलाई के इस्पात कारखाने और भारी मशीनें बनाने के संयंत्र का विस्तार; खनन सम्बन्धी मशीनें बनाने के संयंत्र का विस्तार और विविधता लाना; बरौनी रिफाइनरी को पूरा करना, बिजली के भारी सामान

	ऋण की रकम	प्रयोजन
		का निर्माण, सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण, तेल और गैस की खोज, विकास और उत्पादन, नेवेली बिजली संयंत्र की क्षमता का विस्तार, कोरबा के तापीय बिजलीघर का विस्तार और सिंगरोली में तापीय बिजलीघर की स्थापना ।
5.	1125 लाख रूबल (नये) (59.53 करोड़ रुपया)	भाखड़ा के दायें किनारे का पन–बिजलीघर, तापीय बिजलीघर समेत गुजरात का तेल साफ करने का कारखाना, कठारा (बिहार) में कोयला धोने का कारखाना, तापसह वस्तुओं का कारखाना, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खम्बात अंकलेश्वर और अन्य क्षेत्रों में तेल का उत्पादन और विकास, पम्पों और कम्प्रेसरों का उत्पादन और तकनीकी–आर्थिक रिपोर्ट को तैयार करना ।
6.	2000 लाख रूबल (नये) (105.82 करोड़ रुपया)	बोकारो का इस्पात का कारखाना (बिहार)
7:	3000 लाख रूबल (नये) (250 करोड़ रुपया) (अवमूल्यन के बाद की दर)	इस्पात, अलौह धातु, कोयला और खनिज धातु खनन, तेल का पता लगाने, बिजली और अन्य उद्योगों के कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों और प्रायोजनाओं ; भू-वैज्ञानिक और अन्वेषण कार्य, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अति कुशल तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अन्य निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता ।

इन सभी ऋणों की वापसी मद संख्या 2 के ऋण को छोड़कर, 12 बराबर बराबर की वार्षिक किस्तों में की जानी हैं। ऋण की पहली किस्त, प्रत्येक उपकरण के लिए पूरा साज सामान आदि देने के एक वर्ष बाद चुकानी होगी। मद संख्या 2 के ऋण की अदायगी 7 वार्षिक किस्तों में की जायेगी।

4. ब्रिटेन से ऋण

(i) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए ऋण

दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को दिये गये ठेके के स्टर्लिंग भाग के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये भारत सरकार को सहायता करने के उद्देश्य से 1957 में मेसर्स लेजर्ड ब्रदर्स ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ 1.15 करोड़ पौंड (15.33 करोड़ रुपये) के ऋण के लिये एक समझौता किया गया था। इस ऋण की अदायगी 1962 से शुरू करके 5 छमाही किस्तों में की जानी थी। यह ऋण 1964 तक पूर्णतः चुका दिया गया है। इस्पात कारखाने के लिये साजसामान सप्लाई करने वालों को अदा किये जाने वाले धन की व्यवस्था करने के लिये ब्रिटेन के निर्यात ऋण गारन्टी विभाग ने 1.5 करोड़ पौंड (20 करोड़ रुपया) का एक और ऋण दिया है। यह ऋण 1966 से शुरू होने वाली 4 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है।

(ii) अन्य ऋण

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ऋण देने के अलावा ब्रिटेन की सरकार ने बहुत सी पूंजीगत प्रायोजनाओं जैसे हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, नाहरकटिया तेल –पाइपलाइन प्रायोजना, नाहरकटिया उर्वरक कारखाना, सिक्योरिटी पेपर मिल, हिन्दुस्तान केबल्स आदि की स्थापना के लिए और भारत में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित उद्योगों के लिये इस्पात और विभिन्न प्रकार की मशीनों की खरीद और उनकी विशेष आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहायता दी है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा दी गयी सहायता का बहुत सा भाग इंजीनियरी, इलेक्ट्रिकल मोटर गाड़ी, सीमेंट, रासायनिक और वस्त्र (सूती और जूट दोनों) उद्योगों के लिये विभिन्न किस्म की मशीनों और उनके हिस्सों के आयात के लिए दी गयी सहायता के रूप में है। नाहरकटिया तेल-पाइप लाइन प्रायोजना संबंधी ऋण की पूरी अदायगी 1967 तक कर दी गयी थी। अन्य ऋणों की अदायगी 20–25 वर्षों की अवधि के अन्दर की जानी है और ऋणों की अदायगी पहले 5 से लेकर 7 साल तक स्थगित भी की जा सकती है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कुल तीन और ब्याजमुक्त ऋण, आवश्यक मशीनें और अनाज खरीदने के लिये दिये गये हैं। ये ऋण 25 वर्ष की अवधि के लिये हैं। इनकी अदायगी बराबर-बराबर की छमाही किस्तों में की जानी है। इनकी अदायगी के संबंध में 7-8 वर्ष तक की छूट दी गई है।

5. कनाडा से ऋण

(क) **गेहूं ऋण :** 1958 में किये गये करारों के अनुसार कनाडा सरकार ने कनाडा का गेहूं और आटा खरीदने के लिये 3.38 करोड़ कनाडियन डालर (लगभग 15.71 करोड़ रुपये) का ऋण दिया है। इस ऋण की अदायगी कनाडियन डालरों में 7 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है। खाद्य संबंधी और शोधन सन्तुलन संबंधी नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कनाडा की सरकार ने इन दोनों ऋणों की कुल बकाया मूल रकम तथा ब्याज दोनों की कुल 100 लाख डालर कनाडियन डालर (4.4 करोड़ रुपये) की रकम छोड़ दी गई है।

(ख) राजस्थान परमाणु शक्ति प्रायोजना (कांडू परमाणु शक्ति प्रायोजना) : कांडू परमाणु शक्ति प्रायोजना के विदेशी मुद्रा संबंधी व्यय तथा सेवाओं पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कनाडा के निर्यात ऋण बीमा निगम ने 370 लाख कनाडियन डालर का ऋण जो 1968 में बढ़ाकर 438.90 लाख डालर कर दिया गया था, दिया है। उसी प्रायोजना के दूसरे दौर के लिए कनाडा के निर्यात ऋण बीमा निगम ने 385 लाख कनाडियन डालर का एक और ऋण दिया है। इन ऋणों की अदायगी कनाडा के डालरों में लगभग 15 वर्षों में की जानी है।

(ग) विकास ऋण : कनाडा की सरकार ने कलकत्ता बन्दरगाह और भारतीय रेलों के लिए डीजल से चलने वाले रेल-इन्जनों की प्राप्ति, रासायनिक खाद की खरीद, औद्योगिक वस्तुओं, भारतीय भूगर्भ विभाग के लिए भूछेदन उपकरणों और इड्डिक्की पन-बिजली घर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग आदि के लिए अब तक आठ ऋण दिये हैं, जिनकी रकम 906.90 लाख कनाडियन डालर है। ये ऋण कनाडियन डालरों में 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाये जाने हैं। कलकत्ता के लिए डीजल से चलने वाले रेल इंजनों को छोड़ कर जिस के सम्बन्ध में वचनबद्धता और सेवा प्रभार के रूप में एक प्रतिशत का तीन चौथाई भाग देय है, बाकी सभी ऋण ब्याज, सेवा और वचनबद्धता प्रभार से मुक्त हैं। यह ऋण 80 छमाही किस्तों में वापस किये जाने हैं।

(घ) **अन्य ऋण :**—कनाडा की सरकार ने भी कनाडा के निर्यात ऋण बीमा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राणा प्रताप सागर पनबिजली प्रायोजना को कनाडा के 80 लाख डालर, भारतीय रेलों के लिए, डीजल के इंजनों के लिए कनाडा के 77 लाख डालर वेलर में वायु सुरंग प्रायोजना (राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला) के लिए कनाडा के 42 लाख डालर दुर्गापुर मिश्र इस्पात प्रायोजना को (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ए० एम० सी० ओ० भट्टों की खरीद के लिए) कनाडा के 19.6 लाख डालर कोटा बांध पनबिजली प्रायोजना के लिए कनाडा के 80 लाख डालर और इंडियन एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड के विस्तार के लिए कनाडा के 19 लाख डालर के ऋण दिये हैं। इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड की प्रायोजना और विस्तार के लिए निर्यात ऋण बीमा निगम ने 315.90 लाख कनाडियन डालर के और ऋणों की और मंजूरी दी है।

कनाडा की सरकार ने 27.60 लाख कनाडियन डालर की निर्दिष्ट मूल रकम की अदायगियों को 10 वर्ष के लिए स्थगित करके भारत के लिए "ऋण राहत" के 3 वर्षीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अब औपचारिक कार्रवाई पूरी कर ली है। इसके अलावा, इस प्रकार स्थगित की गयी अदायगियों पर ब्याज में छूट देने के बदले कनाडा की सरकार द्वारा कुल मिला कर 11.60 लाख रुपये के नकद अनुदान की मंजूरी भी दे दी गयी है।

6. जर्मन संघीय गणराज्य से ऋण

1958 में जर्मन संघीय गणराज्य के साथ राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए 66 करोड़ ड्यूश-मार्क (लगभग 77.79 करोड़ रुपये) के ऋण के लिए करार किया गया था। इस ऋण को तीन वर्षों के अन्दर चुकाया जाना था। राउरकेला-ऋण के एक देयभाग की पुनः वापसी के लिए वित्त प्रबन्ध करने के लिए पश्चिम जर्मनी ने और भी ऋण दिये हैं। राउरकेला-ऋण पूर्णरूप से चुकाया गया है इसके अतिरिक्त मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने और नेवेली लिगनाइट खनन प्रायोजना, सावंग के कोयला धोने के कारखाने, रेलों, टेल्को आदि नयी प्रायोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने और वस्तुओं, रासायनिक खाद, पूंजीगत वस्तुओं, पुर्जों, विविध साजसामान मशीन और कच्चे माल की खरीद के लिए भी ऋण दिये गये हैं। राउरकेला संबंधी पुराने ऋणों को चुकाने के लिए दिये गये 1961 के 983.6 लाख ड्यश-मार्क के ऋण को छोड़ कर जो 4 वर्षों की अवधि के बाद चुका दिया गया था—12 से 13 वर्षों के अन्दर चुकाया जायगा। अन्य ऋण 20-25 वर्षों की अवधि में चुकाये जाने हैं।

चालू वर्ष में रासायनिक खाद आदि जिंसों की खरीद के लिए 2509 लाख ड्यूश मार्क का ऋण भी दिया गया है।

6 मार्च, 1961 से ड्यूश मार्क के पुनर्मूल्यन के कारण

पहले के जर्मन ऋणों के अन्तर्गत 1968–69 में देय अदायगियों को फिर से वित्तपोषित करने और 194 लाख ड्यूश मार्क की व्याज की रकम की अदायगी के लिए जर्मन जनतंत्र संघ द्वारा चालू वर्ष में 577.50 लाख ड्यूश मार्क का एक ऋण दिया है

7. जापान से ऋण

जापान की सरकार ने अब तक जापान के निर्यात आयात बैंक की मार्फत 150.61 बिलियन येन के आठ ऋण दिये हैं। ये ऋण रेलों, बिजली की प्रायोजनाओं, कोयला और कच्चा लोहा निकालने और उसे साफ करने के सम्बन्ध में साज-सामान, बन्दरगाहों का सामान, मशीनी औजारों, जहाजों और अन्य औद्योगिक मशीनों तथा पुर्जों, वस्तुओं और कच्चे माल, जिन के बारे में दोनों सरकारों में समय समय पर समझौता होता है, के लिए हैं। इन ऋणों में से सब से बाद का ऋण अन्न सहायता के रूप में है। ये ऋण 10 से 18 वर्षों की अवधि में चुकाये जाने हैं। इसके अलावा जापान सरकार ने 1966–67 से 1968–69 के तीन वार्षिक ऋणों के अन्तर्गत रकमों की वापसी के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करने के लिए 25.20 लाख डालर, 61.10 लाख डालर और 165 लाख डालर के ऋण दिये हैं।

8. स्विट्जरलैंण्ड से ऋण

1960 में स्विट्ज़रलैण्ड की सरकार के साथ 10 करोड़ स्विस फ्रैंक (10.90 करोड़ रुपया) के ऋण सम्बन्धी एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस बीच इस ऋण की रकम को बढ़ा कर 14.00 करोड़ स्विस (15.25 करोड़ रुपया) कर दिया गया है। 1966 में 700 लाख स्विस फ्रैंकों (7.63 करोड़ रुपये) के लिए एक और ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिससे सहायता की रकम बढ़ कर 2100 लाख स्विस फ्रैंक हो गयी। इस ऋण से भारत के विकास कार्यक्रमों के लिए स्विट्जरलैण्ड से मंगाये गये ऐसे पूंजीगत सामान और मशीनों की जो दोनों देशों को मंजूर हों, 90 प्रतिशत लागत अदा की जा सकेगी। 14.00 करोड़ फ्रैंक का यह ऋण 6 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ स्विस फ्रैंक के तीन भागों में होगा और स्विस बैंकों के संघ द्वारा दिया जायेगा। प्रत्येक अन्तरण ऋण, ऋण लेने की तारीख के 10 वर्षों के अन्दर अन्दर अदा किया जाना है। पहले तीन वर्षों में कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी और ऋण की अदायगी सात वर्षों के दौरान समान छमाही किस्तों में की जायेगी, 700 लाख स्विस फ्रैंकों के संबंध में स्विट्जलैण्ड की सरकार द्वारा दी गयी रकम पन्द्रह वर्ष की अवधि में लौटायी जानी है और जो रकम बैंकों के संघ ने दी है उसके बारे में क्रमशः दस और पांच वर्ष तक ऋण की अदायगी न करने की सुविधा है।

9. चेकोस्लोवाकिया से ऋण :

1959 में चेकोस्लोवाकिया की सरकार के साथ 23.1 करोड़ रुपये के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस ऋण से ढलाई-गढ़ाई के कारखाने के तीसरे दौर, भारी मशीनों के औजार बनाने के कारखाने, बिजली का भारी सामान बनाने के दो कारखानों और दोनों देशों के द्वारा स्वीकृत दूसरी प्रायोजनाओं के लिए मशीनें और साज सामान मंगाया जायगा।

प्रायोजनाओं के निर्माण और विभिन्न प्रायोजनाओं के उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में मशीनों, औद्योगिक साजसामान और दूसरे सामान की खरीद के लिये धन की व्यवस्था करने के लिए 1964 में 40 करोड़ रुपये के दूसरे करार पर हस्ताक्षर किये गये।

पहले ऋण की अदायगी आठ वार्षिक किस्तों में की जानी है। पहली किस्त की अदायगी मशीनों और उपकरणों की डिलीवरी पूरी होने के एक साल बाद की जाएगी। दूसरे ऋण के उस भाग की अदायगी जिसका संबंध औद्योगिक प्रायोजनाओं को पूरा करने से है बराबर बराबर की 12 वार्षिक किस्तों में की जानी है और जिस भाग का संबंध मशीनी हिस्सों से है उसकी अदायगी बराबर बराबर की 8 वार्षिक किस्तों में की जानी है।

10. यूगोस्लाविया से ऋण

यूगोस्लाविया की सरकार से 19.05 करोड़ रुपये के ऋण के लिए जिसकी रकम बढ़ा कर अब 21.43 करोड़ रुपया कर दी गयी है, 1960 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस ऋण की रकम का उपयोग जहाजों की खरीद और पूंजीगत सामान और साज-सामान मंगाने के लिए मछली पकड़ने की सहकारी समितियों के लिए समुद्री डीजल इंजन मंगाने के लिए किया जायेगा। इसकी अदायगी लगातार दी जाने वाली अर्धवार्षिक किस्तों में ऐसी अवधि में की जानी है जो प्रत्येक ठेके के संबंध में आपसी रजामन्दी में से निर्धारित की जायेगी। युगोस्लाविया के इंजनों और जहाजों की सहायता से भारत में स्थापित प्रायोजनाओं को पूरा करने और उन के उपकरणों को बदलने के लिए आवश्यक उपकरणों सहित पूंजीगत माल और उपकरणों की प्राप्ति के लिए युगोस्लाविया की सरकार के साथ 1966 में 60 करोड़ रुपये की रकम के एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

11. पोलैंड से ऋण

पोलैंड की सरकार ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए तीन ऋण दिये हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	वर्ष	ऋण की रकम	प्रायोजना	वापसी की शर्तें
1.	1960	14.30 करोड़ रुपया	मशीनी औजार, प्रायोजना के विकास, बिजली के उत्पादन, कोयला-खनन और कोयला धोने के कारखानों और साइकिल तथा स्कूटरों के निर्माण के लिए ।	8 वार्षिक किस्तों में—पहली किस्त सामान की सुपुर्दगी पूरी होने के एक वर्ष बाद अदा की जाएगी ।
2.	1962	15.50 करोड़ रुपया	कोयला खनन और कोयला धोने के कारखानों के विकास और खानों में काम आने वाली मशीनों, छेददार कंकरीट बनाने के कारखानों और जिंक स्मेल्टर प्रायोजनाओं के निर्माण के लिए ।	8 वार्षिक किस्तों में—पहली किस्त मशीनों और उपकरणों की सप्लाई पूरी होने के 3 वर्ष बाद अदा की जाएगी ।
3	1965	10.50 करोड़ रुपया	नागपुर के बिजली घर के लिए यांत्रिक और बिजली के सहायक उपकरणों सहित 125–125 मेगावाट के दो जेनरेटिंग एककों की खरीद के लिए ।	12 वार्षिक किस्तों में—पहली किस्त सम्बद्ध जेनरेटिंग एकक को चलाने के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों की आखिरी खेप की सुपुर्दगी के एक वर्ष बाद अदा की जाएगी ।

12. आस्ट्रिया से ऋण

आस्ट्रिया की सरकार ने आस्ट्रियन ई० आर० पी० निधियों के साधनों से आस्ट्रियन वस्तुओं की खरीद के लिए अब तक कुल 65.27 करोड़ आस्ट्रियन शिलिंग के सात ऋण दिये हैं। ये ऋण 10 से 18 वर्ष की अवधि में लगातार 20 बराबर छमाही किस्तों में चुकाये जायेंगे। आस्ट्रिया की सरकार ने पहले और दूसरे आस्ट्रियन ऋणों के सम्बन्ध में मूल रकम की वापसी के पुनर्वित्तपोषण के लिए 230 लाख आस्ट्रियन शिलिंग का एक ऋण भी दिया है ।

13. कुवैत सरकार से ऋण

भारतीय मुद्रा के जो विशेष नोट और सिक्के कुवैत में चलते थे वे पहली अप्रैल 1961 से विधिमान्य (लीगल टेंडर) नहीं रहे और उस तारीख से उनके स्थान पर दीनार-नामक स्थानीय मुद्रा चालू की गयी है। कुवैत सरकार के साथ 1961 में किये गये करार के अनुसार उस सरकार से बदली गयी और भारत के रिजर्व बैंक को लौटायी गयी मुद्रा के मूल्य की रकम भारत सरकार को अन्तरित कर दी गयी है और इस अन्तरित रकम को कुवैत सरकार से भारत सरकार को दिया गया ऋण मान लिया गया है जिसे स्टर्लिंग में लौटाना होगा। इस ऋण की रकम 34.19 करोड़ रुपये है और यह 1961 से ग्यारह वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है ।

14. नीदरलैंड से ऋण

नीदरलैण्ड की सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल की खरीद के लिए, अब तक 1955 लाख डच गिल्डरों की रकम का एक ऋण दिया है । यह ऋण, 768 लाख डच गिल्डरों के उन वित्तिय (निर्यात) ऋणों के, जिनके बारे में पहले ही वचन दिया जा चुका है, अलावा है । इन ऋणों की अदायगी लगातार 19 बराबर की वार्षिक किश्तों में की जायगी । 1968–69 के दौरान 845 लाख डच गिल्टरों की रकम के ऋण पर ब्याज की दर को $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत कर दिया गया था जिससे 17 लाख डच गिल्टरों की ऋण सम्बन्धी राहत मिली है ।

15. डेनमार्क से ऋण

डेनमार्क की सरकार ने दुग्धशालाओं संबंधी मशीनों और पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए 7.50 करोड़ डेनिश क्रोनर (6.41 करोड़ रुपये) के दो ऋण दिये हैं। ऋणों की अदायगी 12–20 साल में की जानी है इसके अलावा डेनमार्क की सरकार ने रासायनिक खाद और दूध से बनी वस्तुओं की खरीद के लिए 6 करोड़ डेनिश क्रोनर की खाद्य सहायता भी प्रदान की है। इसे 15 से 20 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है।

16. ऊन खरीदने के लिए न्यूजीलैंन्ड सरकार से ऋण

1963 में 2,50,000 पौंड (लगभग 33 लाख रुपये) का एक ऋण करार न्यूजीलैण्ड की सरकार के साथ किया गया था। इस करार के अनुसार न्यूजीलैण्ड में खरीदी गई ऊन का 2,50,000 पौड तक का मूल्य भारत सरकार को लौटा दिया जायेगा और इसे ऋण माना जायग। यह सारी रकम जुलाई 1964 में ले ली गई थी। यह ऋण पांच बराबर बराबर की किस्तों में लौटाया जाना है। इनमें से पहली किस्त ऋण लेने की तारीख से एक साल बाद देनी होगी।

17. स्वीडन की सरकार से ऋण

सामान और मछली पकड़ने की नौकाओं (ट्रालर्ज) भू-छेदन और खान खुदाई के उपकरणों और भारत-स्वीडन के संयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए स्वीडन की सरकार ने अब तक कुल मिला कर 12.30 करोड़ स्वीडिश क्रोनर के चार विकास ऋण दिये हैं। ये ऋण 15 वर्षों की अवधि में छमाही किस्तों में चुकाये जाने हैं और पांच वर्षों की अवधि के लिए कोई किस्त देनी नहीं पड़ेगी।

18. बहरीन की सरकार से ऋण

विशेष भारतीय रुपया नोट और भारतीय सिक्के जो बहरीन में चालू थे, 1965 से वैध मुद्रा नहीं रहे और उन के स्थान पर "दीनार" नाम की स्थानीय मुद्रा चला दी गयी। बहरीन की सरकार के साथ हुए करार के अनुसार उस भारतीय मुद्रा को जिसका विनिमय बहरीन की सरकार के साथ हुआ और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक को वापस किया गया, भारत सरकार को अन्तरित कर दिया गया है और इस तरह से अंतरित रकम को बहरीन की सरकार से भारत सरकार को दिया गया ऋण मान लिया गया है जिसे स्टर्लिंग मुद्रा में अदा किया जाना है। यह ऋण 7.86 करोड़ रुपये का था। ऋण का एक-तिहाई भाग अर्थात् 2.62 करोड़ रुपया 30 अप्रैल 1966 को वापस कर दिया गया था। बाकी रकम 5 फरवरी 1967 से शुरू करके दस वार्षिक किस्तों में वापस की जानी है

19. इटली से ऋण

इटली की सरकार ने 1966 में किये गये करार के अन्तर्गत इटली से रासायनिक खाद के आयात के लिए 125 करोड़ लीरा (150 लाख रुपये) का ऋण देने और यदि आवश्यक हो तो खाद के परिवहन संबंधी खर्च की अदायगी करने की पेशकश की है। यह ऋण बराबर बराबर की 25 छमाही किस्तों में देना है।

20. बेल्जियम से ऋण

1967 में किये गये एक करार के अन्तर्गत, बेल्जियम राज्य ने 6 करोड़ बेल्जियम फ्रैंक का एक ऋण भारत सरकार को उसकी विकास आयोजनाओं के संबंध में बेल्जियम के माल की खरीद के लिये दिया है। ऋणों को 1972 से 15 बराबर वार्षिक की किस्तों में चुकाया जाना है।

21. फ्रांस से ऋण

फ्रांस की सरकार ने अब तक कुल मिला कर 520 लाख डालर के मूल्य के तीन ऋण दिये हैं। 470 लाख डालर के पहले दो ऋण फ्रांस से कच्चा माल, मशीनों के हिस्से और पूंजीगत मशीनें आदि मंगाने के लिए हैं। 50 लाख डालर का तीसरा ऋण पहले के सम्भरण ऋणों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में चुकायी जाने वाली भारत की देनदारियों के सम्बन्ध में राहत देने के लिए है। ये ऋण 10 से 12 वर्ष तक की अवधि में चुकाये जाने हैं।

22. हंगरी से ऋण

हंगरी लोक गणराज्य की सरकार ने सम्पूर्ण प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक संयंत्रों, मशीनी उपकरणों आदि का आयात करने के लिए 15 जून, 1968 को 12.5 करोड़ रुपये का एक ऋण देना मंजूर किया है। ऋण-करार के अन्तर्गत दिये गये आर्डरों में जहाज तक के मूल्य की $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत रकम की पेशगी अदायगी करने की व्यवस्था है। प्रत्येक आर्डर के अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं के अन्तिम लदान के 60 दिन के अन्दर अन्दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और रकम दी जायगी। बाकी 85 प्रतिशत रकम अत्यावश्यक वस्तुओं के अन्तिम लदान की तारीख के बाद 10 वार्षिक किस्तों में अदा की जायगी।

23. बलगारिया से ऋण

विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिए बलगारिया की सरकार ने 2 मई, 1967 को 11.25 करोड़ रुपये का एक ऋण देना स्वीकार किया। इस ऋण से मशीनों और उपकरणों आदि का खर्च पूरा किया जायगा।

प्रत्येक आर्डर के अन्तर्गत, आर्डर की तारीख से 60 दिन के अन्दर अन्दर, माल के डिलीवरी मूल्य का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अदा करना होता है, 7 प्रतिशत कागज़ात पेश करने के बाद और बाकी 85 प्रतिशत 32.50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की प्रायोजनाओं के मामले में 20 बराबर छमाही किस्तों में और 32.50 लाख रुपये से कम मूल्य की प्रायोजनाओं के मामले में 10 बराबर छमाही किस्तों में अदा करना होता है।

24. कातार की सरकार से ऋण

कातार, दुबई आदि फारस की खाड़ी के राज्यों में जो विशेष भारतीय मुद्रा चलती थी, उसका चलन 1966 और 1967 में बन्द कर दिया गया और यह मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक को वापस सौंप दी गयी। इन राज्यों ने कुल मिलाकर 12.88 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट वापस किये और अप्रैल 1968 में यह रकम भारत सरकार को दे दी गयी जो उसे पोण्डों में चुकायेगी। ऋण का पांचवां भाग अर्थात् 2.58 करोड़ रुपया की रकम 5 अप्रैल, 1968 को अदा कर दी गयी थी। बाकी रकम पहली जनवरी, 1969 से बराबर बराबर की 11 किस्तों में चुकायी जानी है।

25. विविध ऋण

विविध ऋणों में से इस वर्ष 8.55 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 4.45 करोड़ रुपये की अदायगी की जायगी।

26. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक 1949 से भारत की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं के लिए ऋण दे रहा है। केन्द्रीय सरकार को सीधे दिये गये ऋणों की कुल रकम 263.68 करोड़ रुपया है जिसमें रेलवे के लिये 179.91 करोड़ रुपयों के छः ऋण, कृषि संबंधी मशीनों की प्रायोजना के लिए 3.43 करोड़ रुपये का एक ऋण, दामोदर घाटी निगम के लिए 23.44 करोड़ रुपये के तीन ऋण, महाराष्ट्र की कोयला प्रायोजना के लिए 8.90 करोड़ रुपये का और गैर सरकारी कोयला खानों के विकास (कोयला) उद्योग के लिए 13.71 करोड़ रुपये का एक ऋण, आंध्र प्रदेश से कोटागुडाम, प्रायोजना के दूसरें दौर के लिये 6.67 करोड़ रुपये का एक ऋण और विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और एजेन्सियों द्वारा प्रेषण लाइनों के निर्माण के लिए 27.62 करोड़ रुपये का एक ऋण शामिल है। 3.43 करोड़ रुपये कृषि मशीन प्रायोजना ऋण और 15.62 करोड़ रुपये के रेल आयोजना ऋण की अदायगी की जा चुकी है। इन ऋणों की अवधि सामान्यतः 10 से 25 वर्ष तक है।

जून 1968 में, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने, ऋण के फिर से निर्धारित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1967-68 में देय 1.50 करोड़ डालर की मूल रकम और 1968-69 के दौरान देय 1.50 करोड़ रुपये डालर की एक और रकम की वापसी को, विलम्बित करना मान लिया है। तदनुसार 1967-68 में दी गयी 11.25 करोड़ रुपये की रकम को चालू वर्ष के बजट में फिर से डाल दिया गया है।

27. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से सम्बद्ध संस्था है। यह संस्था विकासोन्मुख देशों के लिए ऐसी शर्तों पर, जो अधिक लचीली है और जिनसे उनकी शोधन सन्तुलन की स्थिति पर अधिक दबाव नहीं पड़ता, पूंजी की व्यवस्था करती रहती है। इस संस्था ने नवम्बर 1968 के अन्त तक भारत सरकार को कुल 506.89 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न पूंजीगत प्रायोजनाओं जैसे राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण, सिंचाई और बिजली की प्रायोजनाएं, जिनमें दामोदर घाटी प्रायोजना और कोयला प्रायोजनाएं भी

शामिल हैं, जल निकासी प्रायोजना, बम्बई पत्तन का विकास, दूर संचार सेवाओं का विकास, औद्योगिक आयात और रेलवे प्रायोजनाओं के लिए दिया है। अब तक मंजूर किये गये ऋणों का व्यौरा संलग्न है जो विवरण में दिया गया है । ये ऋण 80 छमाही किस्तों में चुकाये जाने हैं और उन्हें चुकाने के लिए दस वर्ष की छूट मिलती है ।

28. नये ऋण

ऊपर बताये गये विभिन्न ऋणों के अलावा नये ऋणों से अगले वर्ष 81.52 करोड़ रुपया लिये जाने की सम्भावना है।

ख-अनुदान

1. कोलम्बो आयोजना के अनुसार सहायता

कोलम्बो आयोजना के अनुसार राष्ट्रमंडलीय देशों से उपकरण, सामग्री, आदि के रूप में सहायता प्राप्त होती है। इस में उद्योग के लिये कच्चे माल, दुग्धशाला विकास के लिये उपकरण, दिल्ली के इंजीनियरी कालेज के लिए उपकरण और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये गैर-प्रायोजना और वस्तुओं से भिन्न आयात आदि के लिए नकदी के रूप में प्राप्त अनुदान शामिल है।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से प्राप्त सहायता

(क) पी० एल० 480 के अनुसार सहायता

अनुमान है कि इस वर्ष पी० एल० 480 के अन्तर्गत 16.47 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 27.60 करोड़ रुपये के अनुदान की प्राप्ति होगी। इस वर्ष 8 करोड़ रुपये की रकम और अगले वर्ष 7.6 करोड़ रुपये की रकम, विशेषज्ञ के स्थानीय व्यय की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को चुका दी जायेगी।

(ख) तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अनुसार सहायता

भारत-अमेरिका तकनीकी सहयोग कार्यक्रम करार 1952 में यह व्यवस्था है कि अमेरिका की सरकार परस्पर स्वीकार की नयी प्रायोजनाओं के लिए धन उपलब्ध करती है जिसमें विकास ऋण और अनुदान भी शामिल होते हैं। कृषि और प्राकृतिक साधनों उद्योग और प्रशिक्षण, परिवहन और संचार, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और लोक-प्रशासन जैसे क्षेत्रों के लिए भी अनुदान दिये गये हैं। अनुदान सामग्री और उपकरणों के रूप में दिए जाते हैं ।

3. मीन-क्षेत्र विकास के लिए नार्वे की सरकार से प्राप्त सहायता

1952 से नार्वे की सरकार मीन-क्षेत्र विकास के लिए इस देश की सहायता कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रायोजना का उद्देश्य यह है कि मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार करके ताजा मछलियों के कुशल वितरण और मछली से बनायी जाने वाली वस्तुओं में सुधार कर के मछुवों के काम के बदले उनकी आमदनी बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जाय। प्रायोजना सम्बन्धी काम पहले केरल राज्य तक ही सीमित था। अब इसका विस्तार मद्रास और मैसूर राज्य में भी कर दिया गया है।

4. अन्य सहायता

अन्तर्राष्ट्रीय लोकोपकारी संगठनों जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन से शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुधार, सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्र में भी विदेशी सहायता मिलती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तकनीकी सहायता प्रशासन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष निधि, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल सहायता निधि, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघीय संगठनों के कुछ विकास अभिकरणों से भी सहायता मिलती है ।

इस वर्ष विदेशों से, खास तौर से आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन से लगभग 45 करोड़ रुपये के मूल्य की खाद्य सहायता प्राप्त हुई है और अगले वर्ष 9 करोड़ रुपये की अन्न सहायता प्राप्त होने का अनुमान है ।

इसके अलावा, सहायता के रूप में आस्ट्रिया, संघीय जर्मन गणराज्य, स्वेडन, आदि देशों से रासायनिक खाद भी प्राप्त होने की सम्भावना है ।

विदेशी ऋण

प्राप्तियों का विवरण—I

(लाख रुपयों में)

ऋण का ब्यौरा	ऋण की स्वीकृत रकम	वास्तविक 1955–56 तक	वास्तविक 1956–57 से 1960–61 तक	वास्तविक 1961–62 से 1965–66 तक	वास्तविक अनुमान 1966–67	वास्तविक अनुमान 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	31 मार्च 69 को अनुमानित बकाया	बजट अनुमान 1969–70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) देश										
1. अमेरिका से ऋण										
(1) अमेरिका से गेहूं ऋण	90,31	90,31	..	..	..	..		..	..	.
(2) विकास सहायता ऋण	61,91	2,29	55,73	3,89	..	..		..	..	..
(3) विकास ऋण निधि/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण	11,81,75	..	76,87	5,88,41	1,63,65	2,64,96	1,56 76	2,24,96	10,12,28	2,74,36
(4) एशियाई आर्थिक विकास निधि से ऋण	8,74	..	2	8,44	24	15	..	..	..	..
(5) पी० एल० 480 रुपया ऋण	11,04,50	..	77,88	4,50,97	3,50,00	2,50,00	1,75,00	1,80,00	14,22	60,00
(6) पी० एल० 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण	67,58	..	..	..	..	30,58	69,00	60,00	7,58	1,15,00
जोड़	25,14,79	92,60	2,10,50	10,51,71	5,13,89	5,45,13	4,00,73	4,64,96	10,34,08	4,49,36
2. अमरिका के आयात-निर्यात बैंक से ऋण :										
(1) पहला ऋण	71,43	..	28,14	43,29	..	..		..	..	..
(2) दूसरा ऋण	23,81	..	..	23,81	..	..		..	..	..
(3) तीसरा ऋण	11,90	..	..	11,90	..	..		..	..	..
(4) चौथा ऋण	11,90	..	..	3,36	6,08	..		98	..	..
(5) वाराणसी स्थित डीज़ल इंजन के कारखाने के लिये ऋण—(पहला अंश)	9,05	..	..	8,71	30	..		..	..	..

टिप्पणी :—जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, कालम 2 से 7 तक के आंकड़े अवमूल्यन से बाद की दरों के अनुसार हैं।

*अवमूल्यन के बाद की दरों के हिसाब से।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(6) वाराणसी स्थित डीज़ल इंजन के कारखाने के लिए ऋण (दूसरा अंश)	8,10	..	..	7,29	61	67	..	..	..	..
(7) वाराणसी स्थित डीजल इंजन के कारखाने के लिए ऋण (तीसरा अंश)	9,57	..	..	..	2,00	5,04	3,00	2,52	..	..
(8) पांचवां ऋण	15,00	..	..	..	..	..	..	3,52	11,48	900
(9) एअर इंडिया को ऋण										
(क) पहला ऋण	2,29	..	..	2,29	..	..	..	..	..	..
(ख) दूसरा ऋण	4,53	..	..	4,53	..	..	..	..	..	..
जोड़ .	1,67,58	..	28,14	1,05,18	884	12,09	3,00	7,02	11,48	900
3. रूस से ऋण :										
(1) भिलाई ऋण	64,74	..	64,73	1	..	..	..	..	..	..
(2) औद्योगिक योजनाएं	59,53		8,08	36,43	75	67	32	70	21,53	30
(3) औषध-सम्बन्धी ऋण	9,52	..	..	9,46	..	8	2	3	..	..
(4) बरौनी के लिए ऋण	11,91		42	10,89	38	10	4	4	42	..
(5) 3375 लाख रूबल का ऋण	1,78,58	..	1,82	1,31,73	11,69	8,50	7,24	5,00	45,66	3,87
(6) 1125 लाख रूबल का ऋण	59,53	..	..	18,49	16,83	2,96	15,00	7,00	37,84	10,79
(7) बोकारो ऋण	1,05,82	..	.	..	39,4	20,62	43,31	43,00	99,10	50,07
(8) 3000 लाख रूबल का ऋण	2,50,00@	..	..	..	..	13,47	2,09	15	2,36,38	1,15
जोड़ .	7,39,63	..	75,05	2,07,01	23,59	†46,40	68,02	55,92	4,40,93	66,18
4. ब्रिटेन से ऋण										
(क) ब्रिटिश सरकार से ऋण										
(1) दुर्गापुर ऋण .	20,00	..	20,00	..	..	..	..	..	..	..
(2) निर्यात ऋण गारंटी विभाग-दूसरा ऋण	38,00	..	38,00	..	..	..	..	..	..	..
(3) ब्रिटेन-भारत (तेल की पाइप लाइन) ऋण .	4,00	..	3,19	81	..	..	..	..	.	..
(4) ब्रिटेन-भारत (सामान्य) ऋण, 1959	25,33	..	25,33	..	..	..	..	..	..	..
(5) ब्रिटेन-भारत (सामान्य) पहला ऋण, 1960 .	13,33	..	13,33	..	..	..	..	..	..	..
(6) ब्रिटेन-भारत (सामान्य) दूसरा ऋण, 1960 .	6,67	..	6,67	..	..	..	..	..	..	..
(7) ब्रिटेन-भारत (सामान्य) पहला ऋण, 1961 .	13,33	..	..	13,33	..	..	..	..	..	..
(8) ब्रिटेन-भारत (पंचवर्षीय आयोजना) ऋण, 1961	40,00	..	..	37,19	2,23	1,92	..	..	..	..

@ऋणों के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है

*89,900 लाख रुपयां अवमूल्यन पूर्व की विनिमय दरों पर और 5,28,37 लाख रुपया अवमूल्यन के बाद की विनिमय दरों पर।

†आगामी मंजूरियां।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4. ब्रिटेन से ऋण—जारी										
(9) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) दूसरा ऋण, 1961 .	6,67	..	..	6,67	..	..	..	..	..	
(10) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) पहला ऋण, 1962 .	13,33	..	..	10,42	2,64	177	..	..	..	..
(11) ब्रिटेन भारत (दुर्गापुर) (विस्तार) ऋण, 1962	29,33	..	..	15,48	4,39	205	11,57	300	950	720
(12) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) दूसरा ऋण, 1962 .	6,67	..	..	6,67	..	..	..	..	..	..
(13) ब्रिटेन–भारत (पंचवर्षीय आयोजना) ऋण, 1962.	17,33	..	..	9,83	3,96	318	201	131	126	126
(14) ब्रिटेन–भारत (इस्पात) ऋण, 1963 .	4,67	..	..	4,27	37	22	..	3	..	..
(15) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) पहला ऋण, 1963 .	13,33	..	..	13,33	..	..	..	..	..	..
(16) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) दूसरा ऋण, 1963 . (पहला किपिंग ऋण)	5,33	..	..	2,19	2,20	54	240	113	117	117
(17) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) पहला ऋण, 1964 .	6,67	..	..	6,67	..	..	..	..	..	..
(18) ब्रिटेन–भारत (भोपाल) पहला ऋण, 1964 .	3,33	..	..	1,36	2,44	37	..	9	..	..
(19) ब्रिटेन–भारत (पंचवर्षीय आयोजना) पहला-ऋण, 1964 . .	6,67	..	..	1,68	2,26	1,26	1,97	1,62	144	144
(20) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) दूसरा ऋण, 1964 .	13,33	..	..	13,33	..	..	..	..	..	..
(21) ब्रिटेन–भारत (पंचवर्षीय आयोजना) दूसरा ऋण, 1964 (आयल इंडिया लि०)	2,00	..	..	..	165	99	35	42	..	..
(22) ब्रिटेन–भारत (पंचवर्षीय आयोजना) तीसरा ऋण, 1964 . .	2,03	..	..	..	57	26	1,96	114	90	90
(23) ब्रिटेन–भारत (पंचवर्षीय आयोजना) चौथा ऋण, 1964 . .	1,33	..	..	..	53	9	116	73	54	54
(24) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) तीसरा ऋण, 1964 (दूसरा किपिंग ऋण) .	5,33	..	..	..	107	305	360	114	180	180
(25) ब्रिटेन–भारत (पंचवर्षीय आयोजना) पांचवां ऋण, 1964 (सिंगरेनी कोलियरीज लि०) .	1,67	..	..	40	56	77	60	17	32	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. ब्रिटेन से ऋण—समाप्त										
(26) ब्रिटेन–भारत (भोपाल) दूसरा ऋण, 1964 .	2,67	..	..	17	1,86	1,26	52	54	..	..
(27) ब्रिटेन-भारत (पंचवर्षीय आयोजना) छठा ऋण, 1964 . .	4,30	..	..	..	1,20	2,90	2,00	2,08	..	..
(28) ब्रिटेन–भारत (सामान्य) प्रथम ऋण, 1965 .	6,67	..	..	6,18	41	3	..	..	..	..
(29) ब्रिटेन-भारत (पंचवर्षीय आयोजना) ऋण, 1965	67	..	..	19	..	14	..	51	..	..
(30) ब्रिटेन-भारत (सामान्य) द्वितीय ऋण, 1965 .	6,67	..	..	6,67	..	..	..	..	..	..
(31) ब्रिटेन–भारत (सामान्य प्रयोजन) ऋण, 1965	13,33	..	..	13,33	..	..	..	..	..	..
(32) ब्रिटेन-भारत (गैर-प्रायोजना) ऋण, 1965 (तीसरा किपिंग ऋण)	5,53	..	..	9	2,64	3,34	86	1,08	79	79
(33) ब्रिटेन-भारत खाद्य संकट ऋण, 1966 .	10,00	..	..	..	67	4,91	2,11	1,60	56	36
(34) पहला ब्रिटन-भारत (भोपाल) ऋण, 1966	5,37	..	..	..	27	3,70	5,31	3,58	1,36	36
(35) ब्रिटेन-भारत (सामान्य प्रयोजन) ऋण, 1966	13,33	..	..	..	21,00	..	..	..	..	..
(36) पहला ब्रिटेन-भारत गैर-प्रायोजना ऋण, 1966 (चौथी किपिंग ऋण .	5,53	..	..	..	..	1,36	6,69	3,22	2,68	1,49
(37) दूसरा ब्रिटेन—भारत (गैर-प्रायोजना) ऋण, 1966 . .	28,35@	..	..	..	38,35	..	..	..	..	..
(38) दूसरा ब्रिटेन—भारत (भोपाल) ऋण, 1966	4,00	..	..	..	..	..	3,60	60	4,80	2,34
(39) ब्रिटेन भारत सिन्दरी ऋण, 1966 .	36	..	..	..	..	..	17	..	30	30
(40) ब्रिटेन भारत गैर–प्रायोजना ऋण, 1967 (किपिंग ऋण) .	14,70	..	..	..	..	..	7,11	3,07	9,53	6,73
(41) ब्रिटेन भारत ऋण परिशोधन और सामान्य प्रयोजन ऋण, 1967 .	25,20	..	..	..	..	..	25,20	..	..	..
(42) ब्रिटेन भारत सामान्य प्रयोजन ऋण, 1967 .	21,60	..	..	..	..	20,88	..	75	..	..
(43) ब्रिटेन भारत सामान्य प्रयोजन ऋण, 1968 .	*	..	..	..	..	..	30,02	15,30	..	..

(@) अवमूल्यन के बाद की दरों के हिसाब से ।

(*) ऋण करारों पर अभी हस्ताक्षर नहीं किय गये है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(44) ब्रिटेन भारत पुनर्वित्त ऋण 1968 . .	13,50	..	..	..	..	..	..	13,50	..	..
(45) ब्रिटेन भारत पूंजीगत ऋण . .	15,30	..	..	..	..	..	..	..	15,30	3,85
(46) ब्रिटेन भारत गैर प्रायोजना ऋण .	1260	..	..	..	..	..	..	..	12,60	3,15
(47) ब्रिटेन भारत मिश्र प्रायो-जना ऋण . .	3,60	..	..	..	..	..	..	..	3,60	90
(48) ब्रिटेन भारत सामान्य प्रयोजन ऋण .	2,70	..	..	..	..	..	..	2,70	..	..
(49) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के लिए ब्रिटेन भारत ऋण	1,80	..	..	..	..	..	..	..	1,80	45
(ख) 'लेजर्ड ब्रदर्स' .	15,33	..	15,33	..	..	..	..	..	..	..
जोड़ . . .	5,47,69	..	1,21,85	1,70,26	81,27	84,01	93,31	70,25	35,35	74,12
5. कनाडा से ऋण :										
(1) गेहूं ऋण . .	15,71	..	15,71	..	..	..	..	..	..	..
(2) राणा प्रताप सागर पन बिजली प्रायोजना .	3,52	..	..	3,19	25	8	7	12	6	6
(3) भारतीय रेलों के लिए डीजल इंजन . .	3,39	..	..	3,39	..	..	..	..	..	..
(4) राजस्थान परमाणु शक्ति प्रायोजना (काण्डू परमाणु शक्ति प्रायोजना) .	2079†	..	..	1,71	6,76	786	300	388	998	257
(5) वायु सुरंग प्रायोजना .	1,85	..	..	1,18	48	21	2	25	..	..
(6) दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात प्रायोजना (एमकी भट्टी) .	87	..	..	42	47	6	..	..	..	..
(7) इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी का विस्तार . .	83	..	..	66	5	12	..	..	..	..
(8) कोटा-बांध पन-बिजली प्रायोजना . .	3,52	..	..	41	1,89	65	171	48	..	
(9) विकास संबंधी ऋण										
(क) कलकत्ता बन्दरगाह के लिये डीजल इंजन . .	97	..	..	..	1,19	30	..	9	..	

†अवमूल्यन के बाद की दरों से 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ख) रेलों के लिये डीजल इंजन	4,86*	..	..	..	..	448	31	38	..	..
(ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण .	6,25*	..	..	..	..	..	40	17	568	117
(घ) इद्दीकी पन-बिजली प्रायोजना	13,53*	..		..	..	..	40	190	1163	190
(ङ) रासायनिक खाद और रासायनिक खाद संबंधी सामग्री की खरीद . .	6,94*	..	..	..	..	..	634	500	194	194
(च) औद्योगिक वस्तुओं की खरीद	6,94*	..	..	..	..	197	208	290	207	220
(छ) प्रायोजना से भिन्न विकास-संबंधी ऋण . .	8,22*	..	..	..	..	385	734	350	87	87
(ज) गैर प्रायोजना गैर वस्तु ऋण	1467*	..	..	..	..	..	..	200	1267	300
(झ) औद्योगिक वस्तु ऋण .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	347
(ञ) रासायनिक खाद ऋण	..	..	..	..	..	..	..	..	..	509
(10) राजस्थान परमाणु शक्ति प्रायोजना II .	26,72*	..	..	..	..	36	3,80	2,94	23,42	3,80
जोड़ . .	1,20,40	..	15,71	10,96	11,09	19,94	2547	23,61	68,32	24,52

6. जर्मन संघीय गणराज्य से ऋण :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**(1) 6600 लाख ड्यूश मार्क ऋण—(राउरकेला) .	75,50	..	61,31	13,26	..	..	..	..	..	..
**(2) 16 करोड़ 80 लाख ड्यूश मार्क का ऋण . .	19,05	..	19,05	..	..	..	..	..	..	..
**(3) 12 करोड़ 51 लाख ड्यूश मार्क का पहला ऋण .	14,18	..	14,18	..	..	..	..	..	..	..
**(4) 12 करोड़ 1 लाख ड्यूश मार्क का दूसरा ऋण .	14,18	..	14,18	..	..	..	..	..	..	..
**(5) 983.6 लाख ड्यूश मार्क का ऋण-राउरकेला अवधि विस्तार ऋण (पहला) .	11,16	..	..	11,16	..	..	..	..	..	..
(6) 23,00 लाख ड्यूश मार्क का ऋण 1961—राउरकेला अवधि विस्तार ऋण (दूसरा)	27,38	..	..	27,38	..	..	..	..	..	..
(7) 7 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण 1961	8,33	..	..	8,33	..	..	..	..	..	..

**6 मार्च, 1961 से ड्यूश मार्क का पुनर्मूल्यांकन कर दिये जाने से वापस की गयी वास्तविक रकम या वापस की जाने वाली रकम वास्तव में ली गयी रकम से अधिक है । *अवमूल्यन के बाद की दरों के हिसाब से ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(8) 17 करोड़ ड्यश मार्क का ऋण 1961	20,24	..	..	20,24	..	..	..	..	..	..
(9) 8.5 करोड़ ड्यश मार्क का ऋण 1962— राउरकेला अवधि विस्तार ऋण (तीसरा)	10,12	..	..	10,12	..	..	..	..	..	..
(10) 10 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण 1962	11,90	..	..	11,90	..	..	..	..	..	..
(11) 26 करोड़ 40 लाख का ऋण 1964	31,43	..	..	31,43	..	..	..	..	..	..
(12) राउरकेला के ऋण की अदा-यगी के लिये 40 करोड़ ड्यश मार्क का ऋण	47,62	..	..	33,14	844	559	1120	845	..	..
(13) राउरकेला में पुनः निवेश के लिये 6.14 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण	7,31	..	..	7,31	..	..	..	..	..	..
(14) 4 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण 1964	4,76	..	..	3,08	1,99	33	..	..	..	..
(15) 2.81 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण 1964	3,35	..	..	3,35	..	..	..	..	..	..
(16) 9 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण 1965	10,71	..	..	10,71	..	..	..	..	..	..
(17) 5.5 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण 1965	6,55	..	..	1,34	7,76	119	..	..	..	..
(18) 4 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण, 1965 (चुनी हुई प्रयोजनाएं)	4,76	..	..	2,47	1,16	69	1,39	1,21	1,97	50
(19) 9.36 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण 1965 (राउरकेला के दायित्वों का समूहीकरण)	11,14	..	..	11,14	..	..	..	..	..	..
(20) 1 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण, 1965 (नेवेली खनन योजना का विस्तार)	1,19	..	..	77	29	17	5	22	..	..
(21) 64 लाख ड्यूश मार्क ऋण, 1965 (कोल वाशरी, सावांग)	76	..	..	10	36	18	30	39	17	10
(22) 2.35 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण, 1966 (वस्तुएं V)	2,80	..	..	36	3,19	66	..	..	..	..
(23) 72.5 लाख ड्यूश मार्क ऋण (टलको टूल फैक्ट्री)	86	..	..	..	56	44	20	26	10	10
(24) 1.8 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण (भारतीय रेलें I)	2,15	..	..	39	23	2,23	63	7	46	10
(25) 6 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण 1966 (वस्तुएं VI)	7,14	..	..	..	3,41	2,96	2,77	4,60	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(26) 1.2 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण 1966 (उर्वरक)	1,43	..	..	..	2,25	2	..	..	..	..
(27) 5.21 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण 1967. . .	9,76*	..	..	..	3,67	1,58	5,02	53	..	4,00
(28) 18.00 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण, 1967 . .	33,75*	..	..	..	..	25,85	21,75	7,90	..	..
(29) 2.825 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण, 1967 (भारतीय रेलें II)	5,29*	..	..	..	..	1,13	40	40	3,77	1,50
(30) 3.00 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण, 1967 . .	5,62*	..	..	..	..	..	..	..	..	
(31) 4.00 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण, 1967 . .	7,50*	..	..	..	..	6,28	7,50	9,97	10,00	10,00
(32) 7.00 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण, 1967 .	13,12*	..	..	..	..	..	7,13			
(33) 1.6 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण 1968 (भारतीय रेलें III)	3,00	..	..	..	..	..	..	..	3,00	50
(34) 1.74 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण 1968 (नेवेली लिगनाइट प्रायोजना)	3,26	..	..	..	..	..	..	50	2,76	1,00
(35) 10.2 करोड़ ड्यूश मार्क										
(36) 5.806 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण–ऋण परि-शोधन कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण .	33,75	..	..	..	..	..	..	19,00	14,75	6,00
(37) 1.904 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण (ऋण सम्बन्धी सहायता)										
(38) 2.897 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण (ऋण परि-शोधन कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण) .	5,43	..	..	..	..	..	..	5.43	..	..
जोड़ . .	4,76,48	..	1,08,72	2,07,98	33,31	49,30	58,34	58,93	36,98	23,80

7. जापान से ऋण :

(1) पहला येन ऋण .	21,93	..	14,94	6,99	..	..	..	..	..	..
(2) दूसरा येन ऋण .	45,24	..	..	45,12	..	..	..	..	..	..
(3) तीसरा येन ऋण .	30,95	..	..	21,05	7,24	1,13	..	..	5,69	..
(4) चौथा येन ऋण .	28,57	..	..	6,24	9,32	7,00	15,69	11,10	6,54	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(5) पांचवां येन ऋण .	28,57	..	..	2,04	8,90	10,15	14,00	12,60	10,18	6,22
(6) छठा येन ऋण .	32,11*	..	..	..	..	22,86	13,09	9,25	..	..
(7) सातवां येन ऋण .	29,40*	..	..	..	..	..	17,35	23,17	6,23	6,23
(8) अन्न सहायता . .	5,29	..	..	..	..	..	5,25	5,29	..	..
जोड़ . .	2,22,06	..	14,94	81,44	25,34	41,14	65,38	61,41	28,64	12,55
8. स्विटजरलैंड से ऋण :										
तीसरी आयोजना के लिये ऋण . . .	22,88	..	..	5,94	7,10	3,08	5,00	3,00	12,79	444
9. चेकोस्लोवाकिया से ऋण :										
(1) तीसरी आयोजना के लिये पहला ऋण . .	23,10	..	..	12,60	5,43	2,81	3,03	2,50	5,90	203
(2) तीसरी आयोजना के लिये दूसरा ऋण . .	40,00	..	..	..	7,28	4,62	11,80	11,80	38,60	1500
जोड़ . .	63,10	..	..	12,60	12,71	7,43	14,83	14,30	44,50	1703
10. युगोस्लाविया से ऋण										
पहला ऋण . .	21,43	..	..	9,21	2,59	3,44	3,35	3,42	9,79	59
दूसरा ऋण . .	60,00	..	..	..	..	..	..	..	60,00	8
जोड़ . .	81,43	..	..	9,21	2,59	3,44	3,35	3,42	69,79	67
11. पोलैंड से ऋण :										
(1) पहला ऋण . .	14,30	..	..	10,96	81	90	1,47	1,47	2,64	150
(2) दूसरा ऋण . .	15,50	..	..	38	6	8	1,96	35	22,49	50
(3) तीसरा ऋण . .	10,50	..	..	..	..	..	28	..	9,29	28
जोड़	40,30	..	..	11,34	87	98	3,71	1,82	34,42	228
12. आस्ट्रेलिया से ऋण :										
(1) पहला ऋण . .	2,38	..	..	2,25	1	..	..	..	19	..
(2) दूसरा ऋण . .	1,83	..	..	1,40	43	17	2	2	5	2
(3) तीसरा ऋण . .	1,90	..	..	1,07	44	30	13	40	11	15
(4) चौथा ऋण :	1,90	..	..	..	2,30	49	18	14	..	..
(5) पांचवां ऋण . .	3,52	..	..	..	37	190	1,15	30	95	95
(6) छठा ऋण . .	1,92	..	..	..	..	33	..	75	84	38
(7) अन्न सहायता ऋण .	75	..	..	..	..	..	..	75	..	..
(8) पूंजी परिशोधन 1968–69 . .	66	..	..	..	..	..	..	66	..	..
जोड़ . .	14,86	..	..	4,72	3,55	3,19	1,48	3,02	2,14	150

*अवमूल्यन के बाद की विनिमय दरों पर

13. कुवैत सरकार से ऋण :	34,19	..	..	34,19	..	..	..	..	..	..
14. नीदरलैंड से ऋण सामान्य प्रयोजन के लिये	32,16	..	..	9,53	6,20	5,47	3,35	5,00	8,37	418
15. डेनमार्क से ऋण :										
(1) पहला ऋण	1,03	..	..	73	36	1	..	7	4	1
(2) दूसरा ऋण	1,38	..	..	9	82	66	24	22	15	10
(3) तीसरा ऋण	4,00	..	..	..	..	..	..	12	388	5
(4) पहला खाद्य ऋण	2,07	..	..	..	117	19	..	..	..	..
(5) दूसरा खाद्य ऋण	3,00	..	..	..	..	..	..	1,50	1,50	1,50
जोड़	11,48	..	..	82	235	86	24	1,91	5,57	2,11
16. न्यूजीलैंड से ऋण : ऊन की खरीद के लिये ऋण	33	..	..	33	..	..	..	..	..	..
17. स्वीडन से ऋण										
(1) पहला ऋण, 1964–65	3,48	..	..	..	1,30	104	93	126	..	..
(2) दूसरा ऋण, 1965–66	3,48	..	..	..	13	38	2,00	70	2,25	2,25
(3) तीसरा ऋण	6,42	.	..	..	..	..	..	14	6,38	1,16
(4) चौथा ऋण	4,35	..	..	..	..	..	..	7	4,28	1,45
जोड़	17,83	..	..	..	1,43	1,42	2,93	2,17	1291	486
18. बहरीन से ऋण	7,86	..	..	7,86	..	..	..	..	..	..
19. इटली से ऋण (उर्वरकों के लिये)	1,50	..	..	..	..	1,46	..	..	4	1
20. बेलजियम से ऋण	2,78	..	..	..	..	1,87	30	1,68	5	105
21. फ्रांस से ऋण										
(1) 170 लाख डालर का ऋण	12,75	..	..	..	..	731	6,25	3,42	2,02	2,01
(2) 300 लाख डालर का ऋण	22,50	..	..	..	..	..	..	3,00	19,50	12,00
(3) 50 लाख डालर का ऋण	3,75	..	..	..	..	..	..	..	2,95	90
(4) 250 लाख डालर का ऋण	..	..	..	..	..	..	..	..	..	500
जोड़	39,00	..	..	..	..	731	6,25	9,27	2244	19,91
22. हंगरी से ऋण 3	12,50	..	..	..	..	..	..	..	12,50	4
23. बैल्जियम से ऋण	11,25	..	..	..	..	..	..	..	11,25	4
24. कत्तार की सरकार से ऋण	12,88	..	..	..	..	..	..	12,88	..	..
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण (एजेंसी)										
25. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक से ऋण :										
(1) कृषि सम्बन्धी मशीन प्रायोजना के लिये ऋण	3,43	3,43	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेलवे प्रायोजना ऋण 1	15,62	15,62	..	..	..	..	..	..	..	—

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(3) रेलवे प्रायोजना ऋण 2 .	42,86	..	42,86	..	..	..	..	..	..	..
(4) रेलवे प्रायोजना ऋण 3 .	40,48	..	40,48	..	..	..	..	..	..	..
(5) रेलवे प्रायोजना ऋण 4 .	23,81	..	23,81	..	..	..	..	..	..	..
(6) रेलवे प्रायोजना ऋण 5 .	33,33	..	6,88	26,45	..	..	..	..	..	..
(7) रेलवे प्रायोजना ऋण 6 .	23,81	..	..	23,81	..	..	..	..	..	..
(8) दामोदर घाटी निगम ऋण 1	7,96	7,96	..	..	..	..	..	..	..	..
(9) दामोदर घाटी निगम ऋण 2	5,00	1,96	3,04	..	..	..	..	..	..	..
(10) दामोदर घाटी निगम ऋण 3	10,48	..	8,67	1,81	..	..	..	..	..	..
(11) कोयना प्रायोजना ऋण (पहला दौर) . .	8,90	..	4,35	4,55	..	..	..	..	..	..
(12) कोयला उद्योग . .	13,71	..	..	13,46	40	..	..	..	..	..
(13) बिजली पारेषण .	27,62	..	..	..	328	8,90	24,90	16,28	14,87	9,19
(14) कोठागुड़म बिजली प्रायोजना-2	6,67	..	..	2,79	2,68	1,45	1,85	1,60	80	80
जोड़	2,63,68	28,97	1,30,09	72,87,	6,36	10,35	26,75	17,88	15,67	9,99
26. अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण :										
(1) सड़क प्रायोजना .	28,32	..	..	24,61	3,02	1,96	..	..	..	..
(2) उत्तर प्रदेश नलकूप प्रायोजना	2,86	..	..	2,86	..	..	..	..	..	..
(3) शतरुञ्जी सिंचाई प्रायोजना	2,14	..	..	1,60	..	..	..	..	..	..
(4) सालन्दी सिंचाई प्रायोजना	3,81	..	..	75	1	3,00	1,16	84	97	97
(5) पंजाब जल निकासी प्रायोजना	4,76	..	..	4,48	43	..	..	..	..	..
(6) दामोदर घाटी निगम–IV	8,81	..	..	5,70	1,48	81	1,29	64	1,74	17
(7) सोन सिंचाई प्रायोजना	7,14	..	..	5,54	2,17	36	..	..	..	..
(8) पुरना सिंचाई प्रायोजना	6,19	..	..	4,48	1,43	1,23	5	2	..	..
(9) कोयना प्रायोजना (दूसरा दौर)	8,33	..	..	4,31	1,35	47	2,33	1,50	3,00	2,50
(10) बम्बई बन्दरगाह प्रायोजना	7,76	..	..	1,63	4,14	190	1,65	2,87	1,86	1,30
(11) दूर संचार प्रायोजना–I	19,90	..	..	16,91	2,36	43	..	..	..	..
(12) रेल प्रायोजना ऋण–VII	32,14	..	..	32,14	..	..	..	..	..	..
(13) कोठागुड़म बिजली प्रायोजना	9,52	..	..	6,41	1,98	1,63	..	1,28	..	..
(14) औद्योगिक आयात—I	42,86	..	..	42,60	26	..	..	..	..	..
(15) दूर संचार प्रायोजना—II	15,71	..	..	9,66	8,84	..	..	..	..	..
(16) रेलवे प्रायोजना ऋण–VIII	29,52	..	..	29,52	..	..	..	..	..	..
(17) औद्योगिक आयात II	47,62	..	..	7,41	58,39	1,34	..	..	..	..
(18) ब्यास प्रायोजना	17,25*	..	..	..	300	3,35	5,13	3,37	7,52	3,50
(19) रेल प्रायोजना ऋण IX	51,00*	..	..	..	19,78	20,39	4,25	10,83	..	..
(20) औद्योगिक आयात–III	1,12,50*	..	..	..	19,80	92,70	..	..	..	..
(21) बंगलौर जल पूर्ति	4875*	..	..	..	..	31,57	7,50	17,18	..	..
(22) औद्योगिक आयात V	1,12,50	..	..	..	..	..	..	22,50	90,90	71,25
जोड़	5,06,89	..	..	2,00,61	1,28,44	1,61,14	23,36	61,03	1,05,19	79,69
27. नये ऋण	..	..	..	..	..	..	2,22,50	..	..	81,52
कुल जोड़	64,48,90	1,2,157	705,00	22,04,56	8,78,93	10,02,19	10,19,00	8,68,54	20,49,56	8,50,00

*अवमूल्यन के बाद की विनिमय दरों पर।

विदेशी ऋण

अदायगियों का विवरण—II

(लाख रुपयों में)

ऋण का ब्यौरा		वास्तविक 1955–56	वास्तविक 1956–57 से 1960–61	वास्तविक 1961–62 से 1965–66	वास्तविक 1966–67	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(क) देश									
1. अमेरिका से ऋण :									
(1) अमेरिका से गहूं ऋण	..		1,63	..	..	2,22	4,52	..	4,64
(2) विकास सहायता ऋण	..		7	90	61	74	85	85	97
(3) विकास ऋण निधि (अब अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण)	..		5,14	42,15	17,40	19,06	19,77	19,71	20,45
(4) एशियाई आर्थिक विकास निधि से ऋण	..		..	48	41	75	90	90	90
(5) पब्लिक ला 480 रुपया ऋण	..		..	48	76	1,31	1,80	2,06	3,11
जोड़	..		6,84	44,01	19,18	24,08	27,84	23,52	30,07
2. अमेरिका के आयात-निर्यात बैंक से ऋण :									
(1) पहला ऋण	..		..	17,85	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
(2) दूसरा ऋण	..		..	..	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
(3) तीसरा ऋण	..		..	99	1,28	1,56	1,56	1,56	1,56
(4) चौथा ऋण	..		..	..	..	1,56	1,56	1,56	1,56
(5) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी का ऋण (पहली किस्त)	..		..	..	97	1,19	1,19	1,19	1,19
(6) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी का ऋण (दूसरी किस्त)	..		..	..	..	53	1,06	1,06	1 06
(7) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी (तीसरी किस्त)	..		..	..	..	..	..	..	..
(8) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल को ऋण :			..	..	..	..	..	..	..
(क) पहला ऋण	..		..	1,48	82	..	96	96	96
(ख) दूसरा ऋण	..		..	2,27	83	1,02	1,02	1,02	51
जोड़	..		..	22,59	18,90	20,86	22,35	22,35	21,84

टिप्पणी:—इस विवरण के कालम 2 से 4 में दिखाये गये आंकड़े अवमूल्यन से पहले की विनिमय दरों के अनुसार हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से ऋण							
(1) भिलाई ऋण . ..	16,73	26,98	8,50	10,12	8,45	11,71	1,42
(2) औद्योगिक प्रतिष्ठान . ..	..	3,44	2,37	14,34	6,14	5,78	5,88
(3) भेषज ऋण	..	49	1,36	2,14	2,14	2.14	4,24
(4) बरौनी ऋण	..	90	1,42	1,64	1,56	1,54	1,54
(5) 33.75 करोड़ रूबल का ऋण ..	..	5,36	4,06	17,63	18,68	17,44	18,23
(6) 11.25 करोड़ रुबल का ऋण ..	..	1	8	2,84	3,68	3,90	4,09
(7) बोकारो ऋण . ..	..	..	..	24	1,28	1,31	4,35
				..	..	..	1,13
जोड़ . ..	16,73	37,18	17,79	48,95	41,73	43,82	40,88
4. ब्रिटेन से ऋण							
(क) ब्रिटेन सरकार से ऋण:							
(1) दुर्गापुर	..	..	7,87	7,87	6,75	6,75	6,75
(2) ई०सी०जी०डी० दूसरा ऋण ..	..	8,45	6,65	6,18	5,70	5,70	2,28
(3) ब्रिटेन-भारत (तेल पाइप लाइन) ऋण	..	2,66	2,10	..	..	..	..
(4) ब्रिटेन-भारत (सामान्य) ऋण, 1959	..	2,81	3,62	4,11	3,79	3,79	3,79
(5) पहला ब्रिटेन-भारत (सामान्य ऋण), 1960	..	..	1,90	2,15	1,99	1,99	1,99
(6) दूसरा ब्रिटेन-भारत (सामान्य) ऋण, 1960	..	..	35	65	60	60	60
(7) पहला ब्रिटेन-भारत (सामान्य) ऋण, 1961 . ..	..	..	36	98	90	90	90
(8) पहला ब्रिटेन-भारत (पंच वर्षीय आयोजना) ऋण, 1961 ..	..	..	..	..	2,92	2,92	2,92
(9) दूसरा ब्रिटेन-भारत (सामान्य) ऋण, 1961	..	..	..	..	49	49	49
(10) पहला ब्रिटेन-भारत (सामान्य) ऋण 1962 ..		..	..	..	..	..	97
(11) ब्रिटेन-भारत सामान्य (दुर्गापुर विस्तार ऋण) ..		..	..	..	..	..	2,14
(12) ब्रिटेन-भारत (सामान्य) ऋण 1962 . ..		..	..	..	..	..	2,14
(13) ब्रिटेन-भारत (पंचवर्षीय आयोजना) ऋण, 1962 ..	..	..	..	..	..	..	64
(ख) लेजर्ड ब्रदर्स	..	15,33,	..	..	..	.	..
जोड़ . ..	..	29,25	23,35	21,94	23,14	23,14	32,71
5. कनाडा से ऋण							
(1) गेहूं ऋण I . ..	1,64	6,58	..	..		..	..
(2) गेहूं ऋण II	..	2,95	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8
(3) भारतीय रेलों के लिए डीजल इंजन	..	..	43	43	43	..	..
(4) भारतीय एल्यूमीनियम कम्पनी का विस्तार		..	8	10	11	11	11
(5) राणा-प्रताप सागर पन-बिजली प्रायोजना	..	..	..	..	36	36	36
(6) राजस्थान परमाणु बिजली-घर आयोजना (कांडू परमाणु बिजली प्रायोजना)	..	..	..	..	83	..	1,04
(7) वायु सुरंग प्रायोजना	..	..	..	..	25	4	8
(9) दुर्गापुर एलाय इस्पात प्रायोजना	..	..	..	..	4	..	18
जोड़	1,64	9,53	51	53	2,02	51	1,77
6. जर्मन संघीय गणराज्य से ऋण :							
*(1) 66 करोड़ ड्यूश मार्क का राउरकेला ऋण	5,58	72,06	..	..	..	..	..
*(2) 16 करोड़ 80 लाख ड्यूश मार्क का ऋण	..	2,86	6,89	5,25	1,50	1,50	1,50
*(3) 12.51 करोड़ ड्यूश मार्क का पहला ऋण	..	1,14	1,84	1,58	1,58	1,58	1,57
*(4) 12.51 करोड़ ड्यूश मार्क का दूसरा ऋण	..	..	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
*(5) 983.6 लाख ड्यूश मार्क का ऋण, 1961 राउरकेला अवधि-विस्तार ऋण (पहला)	..	11,71	..	..	..	.	..
(6) 23 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण, 1961 राउरकेला अवधि-विस्तार ऋण (दूसरा)	..	13,69	9,65	..	1,78	3,56	1,78
(7) 10 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण, 1961	..	90	3,59	1,72	1,85	1,90	86
(8) 8.5 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण, 1962 (राउरकेला अवधि-विस्तार ऋण, (तीसरा)	..	..	3,75	..	1,50	3,00	1,09
(9) 1000 लाख ड्यूश मार्क का ऋण 1962	..	..	..	..	..	..	1,39
(10) 6.14 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण (राउरकेला पुर्नवित व्यवस्था के लिए)	..	..	..	1,28	1,28	1,28	1,28

*6 मार्च, 1961 से ड्यूश मार्क का पुनर्मूल्यन कर दिये जाने के कारण वापस की गयी वास्तविक रकम या वापस की जाने वाली रकम वास्तव में ली गयी रकम से अधिक है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
(11) 9 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण, 1965	..	67	1,06	..	1,05	2,10	1,05
(12) 9.36 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण, 1965	..	35	1,31	..	1,10	2,20	1,10
(13) डी० एम० 17 करोड़ का ऋण 1963	..	..	..	..	2,25	2,25	3,25
(14) डी० एम० 10.7 करोड़ का ऋण, 1963	..	..	..	..	2,01	2,01	2,01
(15) डी० एम० 39.6 करोड़ का ऋण, 1963	..	..	..	..	2,47	4,95	4,95
(16) डी० एम० 40 लाख का ऋण 1963	..	..	..	..	..	..	5
जोड़	5,58	1,03,38	30,44	12,18	20,72	28,68	23,64
7. जापान							
(1) पहला येन ऋण	..	8,21	2,68	..	2,18	..	4,15
(2) दूसरा येन ऋण	..	..	3,59	7,14	7,18	1,39	7,12
(3) तीसरा येन ऋण	..	..	..	..	2,46	..	4,88
(4) चौथा येन ऋण	..		..	..	..	..	2,08
जोड़—जापान	..	8,21	6,27	7,14	11,82	1,39	18,23
8. स्विटजरलैंड से ऋण तीसरी आयोजना केलिए ऋण	..	..	12	41	74	75	1,72
9. चेकोस्लोवाकिया से ऋण:							
(1) तीसरी आयोजना के लिए पहला ऋण	..	..	..	75	3,60	4,03	4,06
(2) तीसरी आयोजना के लिए दूसरा ऋण	..	..	..	61	1,14	1,16	2,51
जोड़	..	..	..	1,36	4,74	5,19	6,57
10. यूगोस्लाविया से ऋण: तीसरी आयोजना के लिए	..	18	1,18	1,87	2,50	2,08	3,22
11. पोलैंड से ऋण:							
(1) पहला ऋण	..	11	79	1,90	2,10	1,90	2,15
(2) दूसरा ऋण	..	..	..	..	11	..	..
जोड़	..	11	79	4,90	2,21	1,90	2,15
12. आस्ट्रिया से ऋण:							
पहला ऋण	..	36	38	37	37	37	37
दूसरा ऋण	..	..	14	29	29	29	29
तीसरा ऋण	..	..	..		..	..	15
जोड़	..	36	52	66	66	66	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(13) कुवैत से ऋण .	..	..	14,91	3,80	5,06	4,34	4,34	4,34
(14) डेनमार्क से ऋण : पहला ऋण	..	..	10	13	16	15	15	15
(15) न्यूजीलैंड से ऋण : ऊन की खरीद के लिए ऋण	..	..	7	11	11	9	9	9
(16) स्वीडन से ऋण : पहला ऋण . .	..	..	..	..	..	..	..	9
(17) बहरीन से ऋण	..		.	3,44	71	71	71	71
(18) फ्रांस से ऋण								
(I) 170 लाख डालर का फ्रांसीसी ऋण .	..	..	..	..	..	60	80	90
(II) 300 लाख डालर का फ्रांसीसी ऋण .	..	..	..	..	..	..	..	20
जोड़ .	..	..	..	..	..	60	80	110
(19) कातार ऋण .	..	..	..	..	..	..	3,51	94
(1) विविध ऋण .	..	..	.	..	..	8 31	8,55	5,45
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण								
19. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण .								
(1) कृषि सम्बन्धी मशीनों की प्रायोजना के लिए ऋण .	2,87	56	..	..	..	..	..	..
(2) रेलवे प्रायोजना ऋण I .	5,40	5,59	4,63	..	..	..	..	..
(3) रेलवे प्रायोजना ऋण II .	..	..	15,36	5,69	6,02	6,17	6,02*	†6,72
(4) रेलवे प्रायोजना ऋण III .	..	..	5,74	2,93	3,10	3,28	(−)40*	3,47
(5) रेलवे प्रायोजना ऋण IV .	..	..	3,15	1,62	1,72	1,83	(−)1,56 1,83 }*	1,94
(6) रेलवे प्रायोजना ऋण V .	..	..	3,13	2,18	2.30	2,44	(−)25 206 }*	2,58
(7) रेलवे प्रायोजना ऋण VI .	..	..	1,30	1,47	1,55	1,64	1,64 −79 }*	1,74
(8) दामोदर घाटी निगम ऋण I .	41	2,13	2,60	76	96	1,00	1,00	1,03
(9) दामोदर घाटी निगम ऋण II.	..	75	95	35	36	38	(−)36*	40
(10) दामोदर घाटी निगम ऋण III .	..	..	2,09	76	81	85	(−)81	90
(11) कोयना प्रायोजना ऋण—पहला दौर . .	..	..	25	35	45	48	48 (−)23 }*	51
(12) कोयला उद्योग .	..	..	..	1,28	1,65	1,73	1,73 (−)83 }*	1,83
जोड़ .	8,68	9,03	39,20	17,39	18,92	19,80	8,94	21,12
कुल जोड़ .	8,68	39,82	3,09,08	1,43,92	1,68,84	1,94,47	−11,25 1,80,88 — −11,25 — 1,69,63	2,07,90

*ऋण परिशोधन के कार्यक्रम के पुनर्निधारण के कारण 1967-68 में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों के सम्बद्ध में मूलधन की वापसी।

अनुबन्ध 3

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लगायी गयी पूंजी और उन्हें दिये गये ऋण

इस अनुबन्ध में सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए चालू वर्ष और अगले वर्ष में पूंजी और ऋणों के लिए की जाने वाली व्यवस्था के अनुमान एक ही जगह दिये गये हैं।

क—वित्तीय संस्थाएं

(लाख रुपयों में)

संस्थाओं का नाम	बजट अनुमान, 1968–69			संशोधित अनुमान, 1968–69			बजट अनुमान, 1969–70		
	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़
औद्योगिक विकास बैंक	..	25,00	25,00	..	25,00	25,00	..	12,00	12,00
औद्योगिक वित्त निगम	..	13,79	13,79	..	10,00	10,00	..	5,00	5,00
जहाजरानी विकास निधि समिति	..	12,00	12,00	..	16,00	16,00	..	18,00	18,00
कृषि पुनर्वित्त निगम	..	10,00	10,00	..	5,54	5,54	..	6,50	6,50
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	..	5,52	5,25	..	25	25	..	30	30
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम	..	60	60	..	18	18	..	..	..
दिल्ली वित्त निगम	..	32	32	..	..	..	..	..	..
भूमि बन्धक बैंक	..	..	..	..	..	..	14,00	..	14,00
उर्वरक ऋण और गारंटी निगम	..	..	..	..	..	..	15	..	15
राज्य कृषि ऋण निगम	..	..	..	..	..	..	65	..	65
जोड़	..	67,23	67,23	..	66,97	66,97	..	54,80	69,60

ख—सरकारी क्षेत्र के उपकम

(लाख रुपयों में)

प्रतिष्ठान का नाम	बजट अनुमान, 1968–69			संशोधित अनुमान, 1968–69			बजट अनुमान, 1969–70		
	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़
विदेशी व्यापार और पूर्ति मंत्रालय									
राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम	50	50	100	50	50	1,00	2,00	2,00	4,00
शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय									
राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम	5	5	10	..	..	..	5	5	10
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय									
भारतीय खाद्य निगम	6,00	40,00	46,00	11,73	1,90,00	2,01,73	18,30	25,00	43,30
केन्द्रीय संग्रहण निगम	21	..	21	67	28	95	1,51	22	1,73
राष्ट्रीय बीज निगम	38	37	75	38	37	75	18	12	30
केन्द्रीय मीन क्षेत्र निगम	..	..	..	..	..	..	..	5	5
राज्य कृषि उद्योग निगम	4,50	..	4,50	4,50	..	4,50	4,40	10	4,50
माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड	49	45	85	20	35	55	15	15	30
महाराष्ट्र मीनक्षेत्र निगम	1	..	1	..	..	..	..	..	..
राज्य फारम निगक	..	..	..	..	..	..	10	25	1,25

(क) इसका पंजीकरण होना बाकी है।

(लाख रुपयों में)

प्रतिष्ठान का नाम	बजट अनुमान, 1968–69			संशोधित अनुमान, 1968–69			बजट अनुमान, 1969–70		
	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय									
हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	40	25	65	20	39	59	35	30	65
हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी . .	£	..	..	£	..	..	..	..	..
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम . .	10	30	40	10	30	40	7	20	27
औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय									
हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड .	..	8,40	8,40	..	11,55	11,55	..	9,50	9,50
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड .	..	22,63	22,63	..	20,60	20,60	..	22,65	22,85
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड .	71	2,50	3,21	71	3,58	4,29	..	3,16	3,16
नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड . .	25	24	49	19	49	68	25	45	70
हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड	1,40	..	1,40	1,10	..	1,10	1,78	27	2,05
इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	.	39	39	12	62	74	..	1,12	1,12
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड .	47	83	1,30	47	2,78	3,25	..	1,25	1.25
नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन .	..	2,17	2,17	..	2,26	2,26	..	2,06	2,06
सीमेंट कारपोरेशन .	50	2,51	3,01	50	1,90	2,40	30	2,65	2,95
पेपर कारपोरेशन .	10	..	10	..	..	..	10	.	10

(लाख रुपयों में)

प्रतिष्ठान का नाम	बजट अनुमान, 1968–69			संशोधित अनुमान, 1968–69			बजट अनुमान, 1969–70		
	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़
नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड	..	1,75	1,75	..	2,00	2,00	..	1,13	1,13
मशीन टूल्स कारपोरेशन	1,50	..	1,50	1,30	..	1,30	1,34	1,32	2,66
टैन्नरी ऐण्ड फुटवेयर निगम (क)	..	..	..	20	20	40	15	15	30
सिंचाई और बिजली मंत्रालय									
ग्रामीण बिजली निगम .	..	..	..	..	..	..	20	1,30	1,50
श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय									
पुनर्वास उद्योग निगम	31	40	71	31	60	91	40	60	1,00
पट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय									
इंडियन आयल कारपोरेशन	..	8,72	8,72	..	4,52	4,52	..	9,45	9,45
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग .	(–)71	8,21	7,50	3,75	18,25	22,00	(–)1,46	12,38	10,9
पाईराइट्स ऐण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड .	21	4,02	4,23	21	1,21	1,42	40	1,28	1,68
इंडियन ड्रग्स ऐण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटेड	..	..	..	94	6,15	7,09	1,88	2,00	3,88
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	..	..	..						
हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	4,00	..	4,00	4,00	..	4,00	..	6,00	6,00
हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स	..	..	..	..	..	..	..	..	..
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया .	5,15	13,15	18,30	5,85	19,15	24,30	23,80	21,73	45,53
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड	5,01	4,73	9,74	6,65	9,38	16,03	1,84	2,95	4,79
मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड	..	13,00	13,00	..	12,23	12,33	..	3,93	3,93
लुब्रिज़ोल इंडिया लिमिटेड	(ख)	36	36	(ख)	60	60	..	30	30
गुजरात पेट्रोकेमिकल्ज	80	20	1,00	1,14	..	1,14	3,25	3,75	7,00
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	..	11,50	11,50	..	6,50	6,50	..	9,76	9,76
सिगरेनी कोलियरीज	..	..	..	48	92	1,40	..	..	..

(ख) 46,000 रुपये के निवेश की व्यवस्था।

(ग) यह प्रायोजना इण्डियन आयल कारपोरेशन करफिाइनरी प्रभाग को सौंप दी गई है।

(लाख रुपयों में)

प्रतिष्ठान का नाम	बजट अनुमान, 1968-69			संशोधित अनुमान 1968-69			बजट अनुमान, 1969-70		
	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़
नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन .	7,10	7,10	14,20	7,96	7,10	15,06	15,80	..	15,80
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन .	1,00	6,25	7,25	1,00	4,60	5,60	12,30	..	12,30
नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड .	..	1,25	1,25	..	1,25	1,25	..	1,25	1,25
भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	5,50	..	5,50	3,00	..	3,00	8,75	..	8,75
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	75	1,33	2,08	13	37	50	..	79	79
दुर्गापुर कोक अोवन्स प्रोजेक्ट लिमिटेड	..	..	..	..	..	..	..	..	..
हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	9,00	..	9,00	16,26	..	16,26	17,00	..	17,00
इस्पात, और भारी इंजीनियरी मंत्रालय									
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	5,00	14,00	19,00	5,00	14,00	19,00	..	..	..
बोकारो स्टील लिमिटेड	1,10,00	..	1,10,00	1,10,00	..	1,10,00	1,70,00	..	1,70,00
मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड .	..	1,96	1,96	..	..	..	..	..	..
हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन . .	..	27,36	27,36	..	27,36	27,36	..	31,07	31,07
माइनिंग ऐण्ड एलाइड मेशीनरी कारपोरेशन	..	4,79	4,79	..	7,14	7,14	95	5,27	6,22
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	..	1,50	1,50	51	99	1,50	..	28	28
भारत हेवी प्लेट्स ऐण्ड वेसल्स लिमिटेड .	..	4,35	4,35	5,26	40	5,66	..	6,12	6,12
पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय									
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन .	4,00	..	4,00	4,00	..	4,00	3,50	..	3,50
भारत पर्यटन विकास निगम .	1,50	..	1,50	1,17	..	1,17	1,00	1,00	2,00

(घ) ऋण के लिए भी संशोधित व्यवस्था की गयी है।

( ) की गई व्यवस्था।

(लाख रुपयों में)

प्रतिष्ठान का नाम	बजट अनुमान, 1968–69			संशोधित अनुमान, 1968–69			बजट अनुमान, 1969–70		
	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़	पूंजी	ऋण	जोड़
जनपथ होटल .	3	9	12	3	14	17	10	13	23
अशोक होटल लिमिटेड	..	30	30	..	25	25	..	42	42
जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय									
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	1,00	2,00	3,00	55	1,09	1,64	1,50	2,00	3,50
केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	(£)	15	15	25	15	40	12	16	28
सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन .	25	..	15	25	..	25	50	..	50
परमाणु शक्ति विभाग									
इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया .	2,10	..	2,10	2,10	..	2,10	50	..	50
यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया .	1,65	90	2,55	1,60	..	1,60	35	..	35
इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड .	..	..	..	50	..	50	..	..	..
संचार विभाग									
हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारतीय टेलीफोन उद्योग	..	50	50	..	..	..	..	..	..
न्यू ट्रांसमिशन फैक्टरी (च)	25	..	25	..	..	..	1,00	..	1,00
जोड़ .	1,85,73	2,17,11	4,02,84	2,05,08	3,83,03	5,88,11	2,95,61	1,98,28	4,93,89

(ण) हर मामले में 25,000 रुपये के निवेश की व्यवस्था की गयी है।

(ङ) इसमें भूतपूर्व रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड को दी गई 40 लाख रुपये की रकम शामिल है। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने उक्त कम्पनी के दायित्वों का भार अपने ऊपर ले लिया है।

(क) रजिस्ट्री होनी बाकी है।

अनुबन्ध 4

सरकारी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रम में निवेश और उनसे होने वाली आय का विवरण

इस अनुबन्ध का उद्देश्य सरकारी वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के, चाहे वे विभागीय तौर पर चलाये जा रहे हों या किसी कानून या भारतीय समवाय अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित किये गये हों, लाभ और उनसे सरकार को प्राप्त होने वाली आय को एक ही जगह दिखाना है। इस अनुबन्ध को दो भागों में बांटा गया है—भाग 'क' में विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले मुख्य प्रतिष्ठानों में निवेश और उनकी आमदनी और भाग 'ख' में अन्य वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निवेश और उनसे होने वाली आमदनी का विवरण है। जो संस्थाएं वाणिज्यिक या औद्योगिक स्वरूप की नहीं हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम आदि वे इस में शामिल नहीं हैं। इसी तरह से इसमें वे संस्थाएं भी शामिल नहीं हैं, जिन में सरकार का अधिकांश रुपया नहीं लगा हुआ है। ठीक-ठीक समझने के लिए, इस अनुबन्ध के भाग 'ख' को तीन अनुभागों में बांट दिया गया है। भाग I में वे प्रतिष्ठान हैं, जो अभी बनाये जा रहे हैं; भाग II में वे उपक्रम हैं, जो चालू संस्थाएं हैं; और भाग III में संवर्धन विकास सम्बन्धी उपक्रम हैं।

अनुबन्ध

भाग--क विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले सरकारी वाणिज्यिक

			1967–68 वास्तविक								
क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	1965 66 के अन्त तक पूंजी निवेश	कुल प्राप्तियां	कार्यचालन व्यय (पूंजी के ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़ कर)	पूंजी परिव्यय पर ब्याज	कुल मूल्यह्रास	कार्य चालन व्यय (5+6+7)	वास्तविक लाभ (4–8)	1966-67 के अन्त तक पूंजी निवेश	कुल प्राप्तियां	कार्यचालन व्यय (पूंजी के ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़ कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	रेलें	29,69,71	8,18,35	6,13,35	1,41,53*	95	8,49,88	(−)31,53**	31,03,80	9,02,46	6,66, 4
2.	डाक और तार विभाग .	3,21,24	1,74,31	1,61,16	17,99	14,77	1,93,92	(−)19,61	3,51,72	2,08,10	1,78,87
3.	इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस .	4,58	4,54	4,13	17	3	4,33	21	5,19	3,98	3,36
4.	करेंसी नोट प्रेस	5,30	9,06	7,50	19	6	7,75	1,31	5,84	9,30	8,12
5.	नीमच और मंदसौर के अफीम के कारखाने	27	9	4	1	..	5	4	41	29	4
6.	अफीम और एलकालायड का सरकारी कारखाना, गाजीपुर	2,61	4,62	3,33	10	1	3,44	1,18	1,72	5,16	3,79
7.	समुद्रपारीय संचार सेवा	5,01	4,97	2,18	17	17	2,52	2,45	9,62	5,37	1,90
8.	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	8,47	1,49	74	1	15	90	59	9,11	1,39	61
9	दिल्ली दुग्ध योजना	2,09	6,85	7,96	11	25	8,32	(−)1,45	2,52	7,91	8,39
10.	चण्डीगढ़ परिवहन	4	17	18	2	2	22	(−)5	46	23	21
11.	कोलार की सोने की खानें	5,21	2,14	4,71	39	18	5,28	(−)3,14	6,03	2,59	5,01
12.	वन विभाग, अण्डमान	7,75	2,38	1,75	29	8	2,12	26	8,75	2,52	1,76
	जोड़ .	33,32,28	10,28,97	8,07,03	1,60,98	1,10,72	10,78,73	(−)49,76	35,05,17	11,49,30	8,79,10

*सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश का द्योतक है, इसमें रेल यात्रा किराया कर के बद राज्यों को दिया जाने वाला अंशदान

** सामान्य राशस्व से पूरे किये जायेंगे ।

***1967–68 के दौरान सामान्य राजस्व से लिये जाने वाले ऋण की वापसी के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे ।

7

प्रतिष्ठानों में निवेश

(लाख रुपयों में)

1968–69 (संशोधित अनुमान)						1969–70 (बजट अनुमान)					
पूंजी परिव्यय पर ब्याज	मूल्यह्रास	कुल कार्यचालन व्यय (12+13) +14)	वास्तविक लाभ (11+15)	1967–68 के अन्त तक पूंजी निवेश	कुल प्राप्तियां	कार्यचालन व्यय (ब्याज और मूल्य-ह्रास को छोड़ कर)	पूंजी परिव्यय पर ब्याज	मूल्यह्रास	कुल कार्यचालन व्यय (19+20 +21)	वास्तविक लाभ (18—22	क्रम सख्या
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1,51,33*	95,00	9,12,47	(–) 10,01	32,36,40	9,47,32	6,91,40	1,59,01	* 95,00	9,45,41	1,91	1
11,96	16,58	2,08,41	** (–) 31	3,85,88	2,26,66	1,84,78	13,17	18,31	2,16,26	*** 10,40	2
20	3	3,59	39	5.58	3,88	3,21	24	5	3,50	38	3
20	5	8,37	93	6,84	9,83	8,60	20	5	8,85	98	4
1	..	5	24	49	27	4	2	..	6	21	5
6	1	3,86	1,30	1,49	5,21	3,94	4	1	3,99	1,22	6
32	46	2,68	2,69	13,12	5,39	1,97	38	50	2,85	2,54	7
..	15	76	63	10,17	1,44	64	1	17	82	62	8
11	25	8,65	(–) 74	3,10	8,49	9,00	11	25	9,36	(–) 87	9
3	3	27	(–) 4	49	26	21	3	3	27	(–) 1	10
32	18	5,51	(–) 2,92	6,97	2,64	5,16	38	26	5,80	(–) 3,16	11
34	8	2,18	34	9,90	2,71	1,79	38	8	2,25	46	12
1,64,88	1,12,82	11,56,80	(–) 7,50	36,80,43	12,14,10	9,10,74	1,73,97	1,14,71	11,99,42	14,68	

और रेल सुरक्षा कार्यों के अंशदान भी शामिल हैं।

***के लिए इस्तेमाल किया जायगा।

अनुबन्ध 4

भाग 'ख'—अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में निवेश और उन से होने वाली आमदनी का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या प्रतिष्ठान का नाम	1967–68 तक शेयर पूंजी में निवेश	1967–68 में अर्जित वास्तविक लाभ	विनियोग: लाभांश	विनियोग: सामान्य और अन्य प्रारक्षित निधियां	विनियोग: विकास संबंधी छूट	1966–67 में सरकार द्वारा प्राप्त लाभांश/लाभ	संशोधित अनुमान 1968–69: पूंजी निवेश	संशोधित अनुमान 1968–69: सरकार को मिलने वाला अनुमित लाभांश/लाभ	बजट अनुमान 1969–70: पूंजी निवेश	बजट अनुमान 1969–70: सरकार को मिलने वाला अनुमित लाभांश/लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. निर्माणाधीन प्रतिष्ठान										
रक्षा मंत्रालय										
1. रक्षा उपकरणों के लिए नयी कम्पनी (क) .	..	..	..	..	..	..	..	..	10	..
(क) राज्य फार्म निगम	..	..	..	..	..		..	..	100	..
विदेशी व्यापार और पूर्ती मंत्रालय										
राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम .	1	..	..	..	..	..	50	..	200	..
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय										
1. सीमेंट कारपोरेशन .	3,85	..	..	..	..	..	50		30	..
2. पेपर कारपोरेशन . .	..	..	..	..	..	..	..	..	10	..
3. मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड . .	87	..	..	..	..	..	1,30	..	1,34	..
4. टेन्नरी ऐण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया (क) .		..	..	..	..	..	20	..	15	.
सिंचाई और बिजली मंत्रालय गावों में बिजली लगाने सम्बन्धी निगम (क) .	..	..	..	..	..	..	..	..	20	..
पैट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय										
1. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड . . .	3,56	..	..	..	..	..	4,00	..	•.	..

(क] अभी स्थापित किया जाना है

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं।

*46,000 रुपये की रकम लगाने के लिए व्यवस्था की गयी है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
. निर्माणाधीन प्रतिष्ठान—जारी										
2. पाइराइट्स फासफेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड .	5,06	..	..	..	..	..	21	..	40	..
3. मद्रास रिफाइनरीज़ .	9,53	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4. लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड .	30	..	..	..	..	..	(ख)	..	..	1
5. मद्रास फर्टीलाइज़र्स .	696	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6. गुजरात पेट्रोकेमिकल्स .	..	..	..	..	..	..	1,14	..	3,25	..
7 भारत अल्मूनियम कम्पनी लिमिटेड		..	..	..	..	..	3,00	..	8,75	..
8 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	..	..	..	..	..	..	16,26	..	17,00	..
इस्पात खान और धातु मंत्रालय :										
1. बोकारो स्टील लिमिटेड .	92,99	(ग)	(ग)	(ग)	(ग)	(ग)	110,00	(..)	170,00	(..)
2. त्रिवेनी स्ट्रक्चर्ल लिमिटेड . . .	102	..	..	..	..	..	51	..	..	..
3. भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स . लिमिटेड .	1,74	..	..	..	..	..	526	..	..	..
परमाणु शक्ति विभाग :										
1. भारतीय इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन . .	80	..	..	..	..	..	2,10	..	50	..
2. भारतीय यूरेनियम निगम .	5,85	..	..	..	..	..	1,60	..	35	..
संचार विभाग :										
न्यू ट्रांसमिशन फैक्टरी (ग) .	..	..	..	..	..	..	..	..	1,00	..
जोड़ . . .	1,33,91	..	..	..	..	..	1,45,58	..	2,06,44	..
चालू प्रतिष्ठान										
रक्षा मंत्रालय :										
1. गार्डन-रीच वर्कशाप लिमिटेड .	1,50	26	11	10	4	8	1,00	10	50	17
2. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	38,53	1,30	..	10	1,21	..	4,50	..	6,00	..
3. माझगांव डाक लिमिटेड .	3,00	41	14	..	39	10	..	14	..	14
4. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड .	5,21	2,11	42	1,33	44	36	..	42	..	49

(क) ये कम्पनियां अभी स्थापित होनी हैं।

(ख) सूचना प्राप्त नहीं।

(घ) इसमें भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड, जो राज्य व्यापार निगम का सहायक कार्यालय है, के लाभ और उसके द्वारा लगायी गयी रकमें शामिल हैं।

(ङ) अनुमान नहीं लगाया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. चालू प्रतिष्ठान—जारी										
5. प्रागा टूल्स लिमिटेड .	2,46	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड .	9,00	1,01	27	64	10	..	..	27	2,90	27
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय										
1 माडर्न बेकरीज़ .	80	..	..	..	..	..	20	..	15	..
विदेशी व्यापार और पूर्ती मंत्रालय :										
1 राज्य व्यापार निगम .	200	231	30	217	1	20	..	42	..	30
2 खनिज और धातु निगम .	300	126	23	103	5	30	..	23	..	..
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय :										
1 हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड . .	49	8	3	4	1	3	(£)	(ङ)	..	(ङ)
2 नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड .	1,35	..	..	..	..	..	10	..	7	..
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय :										
1. हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड .	3,19	59	17	11	7	17	1,10	26	1,78	36
2. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड .	1,79	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड .	2,94	..	..	..	..	..	19	..	25	..
4. नेशनल न्यूज प्रिंट ऐंड पेपर मिल्स लिमिटेड . . .	2,55	19	(ङ)	19	1	19	..	10	..	..
5. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स .	12,00	..	..	..	..	..	71	..	..	..
6. इन्स्ट्रूमेनटेशन .	3,78	..	..	..	..	..	12	..	..	..
7. हेवी इलेक्ट्रिकल्स .	50,00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैकचरिंग कम्पनी लिमिटेड	5,35	..	..	..	..	..	47	..	..	..
9. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स	65,00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय :										
1. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड. .	1,01	..	..	..	..	3	..	..	..	..
पैट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय :										
1. कोचीन रिफ़ायनरी लिमिटेड	3,70	78	..	..		.	..	..	..	..
2. फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया . . .	67,60	1,81	..	..	1,62	..	5,15	..	23,80	..
3. भारतीय तेल निगम .	71,08	10,83	4,98	3,00	3,00	3,94	..	4,98	..	4,98
4. भारतीय ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	21,75	..	..	..	..	..	94	..	1,88	..

(च) सूचना अभी प्राप्त नहीं ।

(छ) इस अवस्था में अज्ञात ।

(ङ) अनुमान नहीं लगाया गया ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. फर्टिलाइजर्स ऐंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड .	4,00	20	..	..	63	..	6,65	..	1,84	..
6. हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स .	2,47	62	35	27	7	37	..	25	..	25
7 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स .	1,25	31	8	16	1	8	..	8	..	8
8 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड .	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड .	6,05	(छ)	..	..	..	..	13	(छ)	..	(छ)
10 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम .	84,82	..	..	27	2,28	..	7,96	..	15,80	..
11 नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन .	80,00	..	..	..	..	..	1,00	..	..	..
12. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	24,06	..	..	..	..	..	..	..	12,30	..
इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय :										
1 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन .	23	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	..	(छ)	..	(छ)
2. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	5,52,00	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	5,00	..	..	(छ)
3 भारी इंजीनियरिंग निगम .	10,000	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4 माइनिंग ऐण्ड अलाइड मशीनी कारपोरेशन . .	19,05	..	..	..	..	..	..	..	95	..
5 तुंगाभद्र स्टील प्रोडक्ट्स .	51	7	8	..	..	4	..	4	..	4
पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय :										
1 एअर इंडिया . .	26,82	1,89	80	90	12	80	..	80	..	80
2 इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन . .	21,94	..	..	..	12	..	4,00	..	3,50	..
3 अशोक होटल्स लिमिटेड .	1,34	31	17	4	9	7	..	16	..	7
4 जनपथ होटल्स लिमिटेड .	21	..	..	..	..	..	3	..	10	..
जहाजरानी परिवहन और मंत्रालय :										
1 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड .	6,26	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	55	(छ)	1,50	(छ)
2 केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	54	..	..	..	11	..	25	..	12	..
3 शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड .	23,93	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	(छ)	..	(छ)	..	(छ)
4 मुगल लाइन्स लिमिटेड .	2,95	66	8	15	35	6	..	6	..	6
परमाणु शक्ति विभाग :										
1 इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड .	1,00	22	..	19	2	8	50	8	..	12
संचार विभाग :										
1 इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड . . .	3,59	1,52	40	99	14	26	..	30	..	30
2 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड	82	91	8	23	8	2	..	8	..	8
जोड़ . .	13,43,06	29,66	8,69	11,90	10,85	7,30	40,55	8,77	73,44	8,51

(च) सूचना उपलब्ध नहीं।

(छ) इस समय मालूम नहीं।

(£) 25,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. संवर्धन और विकास सम्बन्धी प्रतिष्ठान—										
शिक्षा मंत्रालय :										
1 भारतीय राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम . .	39	..	..	..	..	..	..	..	5	..
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय										
1 केन्द्रीय संग्रहण निगम	6,79	14	..	..	..	21	67	23	151	24
2 राष्ट्रीय बीज निगम .	1,20	25	4	12	2	..	38	7	18	(ज)
3 खाद्य निगम . .	14,96	16	..	..	..	..	11,73	..	18,30	..
4 केन्द्रीय मीनक्षेत्र निगम .	31	..	..	..	..	..	..	..	..	..
III. संवर्धन और विकास सम्बन्धी प्रतिष्ठान : (समाप्त)										
स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय :										
1 हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड .	50	..	..	..	..	..	20	..	35	..
औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय										
1 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड . .	10	..	..	..	..	..	..	..	..	
2 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड . . .	50	..	..	..	..	..	..	..	..	..
श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय :										
1 पुनर्वास आवास निगम	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2 औद्योगिक पुनर्वास निगम .	2,32	..	..	..	..	..	31	..	40	..
पेट्रोलियम रसायन खान और धातु मंत्रालय :										
1 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	1,19,53	12,78	..	..	5,69	..	3,75	..	(–)1,46	..
पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय :										
1 भारतीय पर्यटन विकास निगम . .	88	2	..	..	..	..	117	8	1,00	14
परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय :										
1 केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल-परिवहन निगम . .	110	..	..	..	..	..	25	..	50	..
जोड़ . .	14,863	13,35	4	12	5,11	21	1847	38	20,83	38
कुल जोड़ . .	16,25,60	43,01	8,73	12,02	15,96	7,51	2,05,60	9,15	3,00,71	8,89

(ज) इस स्थिति में नहीं दिखाया गया।

(क) रुपये के अवमूल्यन के कारण 47.37 लाख रुपये की हानि को हिसाब में लेने के बाद हुई हानि, 1966–67 के दौरान लाभ-हानि लेखों पर प्रभारित।

अनुबन्ध 5

भारत में जनता से लिया गया ऋण

निम्नलिखित विवरण में 1966-67 में समाप्त हुए पांच वर्षों में जारी किये गये और चुकाये गये रुपया ऋणों (स्वर्णबांडों, वार्षिकी पत्रों और इनामी बाण्डों सहित) की मद में हुई प्राप्तियों की तुलना उक्त वर्षों के बजट अनुमानों में दिये गये आंकड़ों से की गई है। अनुमान है कि 1967-68 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में इन ऋणों से 908.62 करोड़ रुपयों की वास्तविक प्राप्ति होगी।

(लाख रुपयों में)

रुपयों में ऋण		रुपया ऋण		
		जारी किये गये*	चुकाये गये	वास्तविक
1964-65	बजट	3,00,45	1,92,35	1,08,10
	वास्तविक	3,49,06	1,89,42	1,59,64
1965-66	बजट	2,70,40	1,70,35	1,00,05
	वास्तविक	3,34,10	1,73,77	1,60,33
1966-67	बजट	2,84,40	1,94,00	90,40
	वास्तविक	3,28,72	1,83,04	1,45,68
1967-68	बजट	3,51,70	2,58,50	93,20
	संशोधित	4,27,04	2,58,79	1,68,25
1968-69	बजट	3,00,70	2,44,40	56,30
	संशोधित			

*रिजर्व बक के पास रखी दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तित तदर्थ राजकोष हुंडियों सहित।

अनुबंध 6

अनिधिबद्ध ऋण

निम्नलिखित विवरण में 'अनिधिबद्ध ऋण' शीर्षक के अन्तर्गत 1964-65 से 1968-69 तक के जमा और खर्च के आंकड़े दिये गये हैं :—

(लाख रुपयों में)

		जमा	खर्च	वास्तविक जमा
	बजट	5,65,26	4,02,55	1,62,71
1964-65	वास्तविक	5,71,76	3,54,32	2,17,44
	बजट	8,17,13	3,73,35	4,43,78
1965-66	वास्तविक	7,97,10	4,20,91	3,76,19
	बजट	6,30,41	5,21,32	1,09,09
1966-67	वास्तविक	6,78,29	4,86,54	1,91,75
	बजट	8,25,67	4,82,73	3,42,94
1967-68	वास्तविक	8,95,94	5,43,59	3,52,35
1968-69	बजट	7,48,79	5,67,39	1,81,40
	वास्तविक	7,33,49	6,44,72	88,77

मार्च, 1968 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में राज्य भविष्य निधियों, डाकघर बचत बैंक जमा, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पी० एल० 480 सम्बन्धी जमा, रक्षा जमा पत्र, राष्ट्रीय रक्षा पत्र, आयकर वार्षिकी जमा और 'अनिधिबद्ध ऋण' के अधीन अन्य मदों में कुल 12,26.50 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति होगी।

अनुबन्ध 7

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिये जाने वाले अंशदानों का विवरण

(हज़ार रुपयों में)

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
रक्षा मंत्रालय					
1. अन्तर्राष्ट्रीय जल-सर्वेक्षण कार्यालय .	वार्षिक अंशदान .	31	29	36	36
2. राष्ट्रमंडल परामर्शदात्री वैमानिकीय गवेषणा परिषद् . . .	अंशदान . .	8	7	7	7
3. राष्ट्रमंडल रक्षा विज्ञान संगठन, लन्दन का केन्द्रीय सचिवालय . .	अंशदान . .	5	4	4	4
जोड़ .	. . . .	44	40	47	47
शिक्षा और युवक सेवा का मंत्रालय					
4. संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को)	(i) वार्षिक अंशदान .	26,62	21,00	21,00	24,00
	(ii) अफ्रीकी अधिछात्रवृत्ति कार्यक्रम और नूबिया की प्राचीन इमारतों को बचाने के अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अंशदान .	15,86	27,45	33,45	36.03
5. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यालय . .	वार्षिक अंशदान		17	16	16
6. रायल सोसाइटी ऐण्ड नफ्फील्ड फाउंडेशन कामनवैल्थ बरसरीज स्कीम . .	—तदेव—	5	6	6	6
7. राष्ट्र मंडल शिक्षा सम्पर्क एकक, लन्दन .	—तदेव—	..	..	..	.9
8. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रणाधिकार (कापीराइट) संघ, बर्न .	—तदेव—	27	23	27	27
9. अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ . .	—तदेव—	1,61	2,28	2,18	
10. भूगर्भ और खनिज साधनों के सम्बन्ध में राष्ट्रमंडलीय समिति . .	वार्षिक अंशदान	23	25	25	25
11. सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण और पुनरुद्धार सम्बन्धी अध्ययन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र .	—तदेव—	39	40	39	48
जोड़ .	. .	45,03	51,74	57,76	64,01
विदेश मंत्रालय					
12. अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कार्यालय . .	वार्षिक अंशदान	9	8	9	9

(हजार रुपयों में)

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
13. संयुक्त राष्ट्र संघ . .	—तदेव—	1,57,89	1,77,48	1,80,51	1,80,51
तदेव	संयुक्त राष्ट्र संघीय आपात-कालीन सेना के बारे में अंशदान . .	..	..	..	..
14. एशियाई-अफ्रीकी कानूनी परामर्श समिति	वार्षिक अंशदान . .	29	29	29	29
15. संयुक्त राष्ट्र संघीय सहायता और निर्माण कार्य अभिकरण . .	फिलस्तीन के शरणार्थियों के लिये सहायता-कार्यक्रम में अंशदान . .	1,00	1,00	1,00	1,00
16. राष्ट्रमण्डल सचिवालय राष्ट्रमंडल आर्थिक समिति संहित	वार्षिक अंशदान .	6,98	7,20	7,20	10,89
17. राष्ट्रमण्डल फाउंडेशन .	—तदेव—	2,90	3,65	3,65	3,65
जोड़		1,69,15	1,89,70	1,92,74	1,96,43

वित्त मंत्रालय

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
18. संयुक्त राष्ट्र संघीय तकनीकी सहायता परिवर्द्धित कार्यक्रम .	वार्षिक अंशदान	63,75	63,75	63,75	63,75
19. संयुक्त राष्ट्रसंघीय तकनीकी सहायता बोर्ड	निवासी (रेंसिडेंट) प्रतिनिधि के व्यय में अंशदान .	2,32	2,52	7,57	5,98
20. संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष प्रायोजना निधि	वार्षिक अंशदान .	1,61,25	1,61,25	1,61,25	1,61,25
21. संयुक्तराष्ट्र संघीय पूंजी विकास निधि .	—तदेव—	..	37,50	..	37,50
22. कोलम्बो आयोजना कार्यालय . .	—तदेव—	47,40	34,60	42,36	38,10
जोड़		2,74,72	2,99,62	2,74,93	3,06,58

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास और सहकारिता मंत्रालय

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
23. राष्ट्रमंडल कृषि कार्यालय . .	वार्षिक अंशदान	6,23	5,34	5,34	5,34
24. अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् . .	—तदेव—	..	13		
25. अन्तर्राष्ट्रीय दुग्धशाला (डेरी) संघ .	वार्षिक सदस्यता शुल्क	11	15	15	15
26. संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य और कृषि संगठन	वार्षिक अंशदान	39,76	45,91	49,07	49,07
—तदेव—	भारत में व्यय के लिए अंशदान	73	4,48	73	73
27. विश्व खाद्य कार्यक्रम . . .	अंशदान	10,47	15,00	19,00	2,00
28. पशु महामारी का अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	—तदेव—	69	23	23	23

(हजार रुपयों में)

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
29. अन्तर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ .	—तदेव—	3	18	3	3
30. अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद . .	—तदेव—		19		
31. राष्ट्रमण्डलीय वन विज्ञान शाला .	—तदेव—	21	18	18	18
32. एफ्रो-एशियाई ग्राम पुनर्निमणि संगठन .	—तदेव—	4,57	4,19	4,63	4,63
33. पूर्वी क्षेत्र में रेगिस्तानी टिड्डी के लिए खाद्य और कृषि संगठन आयोग की न्यास निधि	—तदेव—	3,56	2,04	2,04	2,04
34. अन्तर्राष्ट्रीय रेगिस्तानी टिड्डी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी निधि . .	—तदेव—	76	76	75	75
35. संयुक्तर्राष्ट्रीय संघीय विशेष प्रयोजना .	—तदेव—	..	23	..	..
जोड़		67,12	79,01	82,15	65,15

विदेशी व्यापार और पूर्ती मंत्रालय

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
36. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-शुल्क-सूची कार्यालय	वार्षिक अंशदान .	91	45	29	29
37. आयात-निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार . .	करार करने वाली पार्टियों के कार्यचालन व्यय के लिए अंशदान .	334	3,29	3,29	3,06
38. अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्बन्धी ऋतु-विज्ञान संगठन . . .	वार्षिक अंशदान .	18	19	19	20
39. अन्तर्राष्ट्रीय कहवा संगठन . .	—तदेव—	492	3,88	9,86	18,28
40. अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति वाशिंगटन, ...	—तदेव—	38	46	88	43
41. अन्तर्राष्ट्रीय कपास संस्था . .	—तदेव—	38	75	75	75
जोड़		10,11	9,02	15,26	23,01

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण आवासन और नगर विकास मंत्रालय

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
42. विश्व स्वास्थ्य संगठन . .	वार्षिक अंशदान	66,04	64,27	64,38	73,54
43. रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति .	—तदेव—	83	79	79	79
44. रेड क्रास समिति संघ (लीग आफ रेड क्रास सोसाइटीज), जेनेवा . .	—तदेव—	83	79	79	79
जोड़		67,70	65,85	65,85	75,12

(हजार रुपयों में)

संस्था का नाम	अनुदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधित अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1969–70
गृह मंत्रालय					
45. अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी पुलिस आयोग .	वार्षिक अंशदान		51	70	70
औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय					
46. एशियाई उत्पादकता परिषद .	वार्षिक अंशदान	..	4,88	10,09	3,75
47. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	वार्षिक अंशदान	..	..	..	3,60
जोड़ . .		..	4,88	10,09	7,35
सूचना और प्रसारण मंत्रालय					
48. अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय संघ, पेरिस . . .	वार्षिक अंशदान	1	1	2	2
49. एशियाई प्रसारण संघ . .	—तदेव—	12	15	12	..
50. सिनेमा और टेलीविजन स्कूल का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केन्द्र, पेरिस . . .	सदस्यता शुल्क	..	2	1	2
51. रूरल ब्रोडकास्टर (राष्ट्रमंडल की पत्रिका)	अंशदान	..	1	..	..
52. राष्ट्र मंडल प्रसारण सम्मेलन सचिवालय, लन्दन	वार्षिक अंशदान	7	6	7	7
जोड़ .		20	25	22	11
सिंचाई और बिजली मंत्रालय					
53. विश्व बिजली सम्मेलन . .	वार्षिक अंशदान	..	3	3	3
54. बड़ बांधों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग	—तदेव	..	6	7	
55. अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल नकासी आयोग	—तदेव—	..	7	12	12
56. ब्रिटिश एलेक्ट्रिकल ऐंड इलाइड इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन . .	—तदेव—	..	2	2	2
57. अन्तर्राष्ट्रीय पन–बिजली अनुसंधान संघ और नौपरिवहन कांग्रेस का स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संघ	—तदेव—	..	2		
जोड़ . .		..	20	24	24
श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय					
58. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन . .	वार्षिक अंशदान	53,25	58,00	55,29	58,50
69. अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ .	सदस्यता शुल्क	11	12	14	14
जोड़ . . .		53,36	58,12	55,43	58,64
पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय					
60. अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद . .	वार्षिक अंशदान	35	30	28	28
61. सीसे और जस्ता संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन दल . . .	तदेव	12	11	12	12
जोड़ . . .		47	41	40	40

(हज़ार रुपयों में)

संस्था का नाम	अंशदान का रूप और उद्देश्य	वास्तविक 1967–68	बजट अनुमान 1968–69	संशोधन अनुमान 1968–69	बजट अनुमान 1989–60
जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय					
62. नौपरिवहन संस्था (इंस्टिट्यूट आफ नेवीगेशन), ब्रसल्स . .	वार्षिक अंशदान	..	..	2	2
63. अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी परामर्श संगठन	—तदेव—	..	59	79	79
64. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशस्तम्भ प्राधिकारी संघ	सदस्यता शुल्क	5	4	5	5
जोड़		5	63	86	86
पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालम					
65. अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन	वार्षिक अंशदान	13,19	15,45	15,03	13,76
66. अन्तर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान संगठन .	—तदेव—	4,72	3,85	4,86	6,23
67. अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी यात्रा संगठन संघ, जेनेवा	वार्षिक अंशदान	14	20	27	27
68. दक्षिण एशिया यात्रा आयोग .	तदेव	1	1	..	1
79. प्रशान्त महासागर क्षेत्र यात्रा संघ .	तदेव	94	1,05	1,05	1,05
		19,00	20,56	21,21	31,32
परमाणुशक्ति विभाग					
70. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति अभिकरण .	वार्षिक अंशदान	15,58	14,73	15,54	15,54
71. अन्तर्राष्ट्रीय गणित संघ . .	—तदेव—	2	2	2	..
72. अन्तरिक्ष गवेषणा समिति . .	—तदेव	19	19	19	..
73. शुद्ध और व्यावहारिक जीव भौतिकी विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन .	—तदेव—	3	3	3	..
जोड़		15,82	14,97	15,78	15,54
संचार विभाग					
74. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा .	सम्मेलनों में भाग लेने के सामान्य व्यय और प्रकाशनों के खर्च के लिए अंशदान .	10,29	11,10	10,56	10,24
75. विश्व डाक संघ, बर्न का अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय . . .	वार्षिक अंशदान	4,92	3,35	3,17	3,66
जोड़		15,21	14,85	13,73	13,90
समाज कल्याण विभाग					
76. संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि . . .	वार्षिक अंशदान	45,00	52,00	52,00	60,00
लोक-सभा					
77. अंत: संसदीय संघ और राष्ट्रमंडलीय संसद संघ . . .	वार्षिक अंशदान	67	72	72	72
कुल जोड़ .		7,84,05	8,63,44	8,60,54	9,10,55

अनुबन्ध

केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी 31

क्रम संख्या	सरकारी या अन्य संस्था का नाम जिसके लिए गारण्टी दी गयी	गारण्टी का रूप और सीमा
1	2	3
		रक्षा
1	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड,	स्टेट बैंक के साथ नकद ऋण की व्यवस्था करने के लिये गारंटी जिस का सम्बन्ध मूलधन तथा ब्याज की अदायगी से है ।
	(क) बंगलौर प्रभाग	वित्त (रक्षा) मंत्रालय पत्र संख्या 554/एच०ए०एल०/297/प्रायोजना दिनांक 27–3–68 और संख्या 554/एच०ए०एल०/207/एस/प्रायोजना–II दिनांक 19–9–68.
	(ख) कानपुर प्रभाग	–तदेव–
	(ग) हैदराबाद प्रभाग	वित्त (रक्षा) मंत्रालय पत्र संख्या 554/एच०ए०एल०/374/प्रायोजना–II दिनांक 27–3–68 और पत्र संख्या 554/एच०ए०एल०/894/एस/प्रायोजना–II दिनांक 19–9–68
	(घ) कोरापुट प्रभाग	वित्त (रक्षा) मंत्रालय पत्र संख्या 554/एच०ए०एल०/375-क/प्रायोजना–II, दिनांक 23–3–68 और संख्या 554/एच०ए०एल०/894/एस/बी/प्रायोजना–II /13/9/दिनांक 19–9–68
	(ङ) नासिक प्रभाग	वित्त (रक्षा) मंत्रालय पत्र संख्या 554/एच०ए०एल०/375/प्रायोजना–II दिनांक 27–3–68 और संख्या 554/एच०ए०एल०/894/एस/प्रायोजना–II/13/8 दिनांक 19–7–68
2	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	वित्त मंत्रालय (रक्षा) पत्र संख्या बी०ई०एल०/41/II/535/प्रयोजना–II, दिनांक 27–3–68 और संख्या 41 II 1367–प्रायोजना–II, दिनांक 27–9–68
	तदेव	नीदरलैण्ड के अलगेम्ने बैंक से ऋण
		स्टेट बैंक आफ इन्डिया से नगद ऋण सम्बन्धी सुविधा प्राप्त करने के लिए
3	गार्डन रीच वर्कशाप, लिमिटेड,	वित्त मंत्रालय (रक्षा) पत्र संख्या सी/जी०आर०डब्यू०/2/537/प्रायोजना–II दिनांक 27–3–68 और संख्या सी/जी०आर०डब्यु०/2 दिनांक 23–2–68
		वित्त मंत्रालय (रक्षा) पत्र संख्या 7(57)/167/डी (जी०आर०डब्यू) एम०डी/ दिनांक 25–5–68 द्वारा मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए पश्चिम जर्मनी की मेसर्स एम०ए०एन० को गारंटी
		स्टेट बैंक आफ इंडिया से नकद ऋण सम्बन्धी सुविधा प्राप्त करने क लिए
4	मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई	वित्त मंत्रालय (रक्षा) पत्र संख्या सी/एम०डी/4/538/प्रायोजना–II, दिनांक 27–3–68

8

दिसम्बर, 1968 तक बकाया गारंटियों का विवरण

यदि गारंटी वाली रकम पर ब्याज दिया जाना हो तो ब्याज की दर (वार्षिक प्रतिशत)	अधिकतम रकम जिसके लिए गारण्टी दी गयी (हजार रुपयों में)	31-12-68 को गारण्टी की बकाया रकम (हजार रुपयों में)	गारण्टी के बदले सरकार के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूति	मन्तव्य
4	5	6	7	8
मंत्रालय				
$7\frac{1}{2}$ से $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत	4,00,000	1,63,38	नहीं	..
$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत	50,00	49,13	नहीं	..
$8\frac{1}{2}$ प्रतिशत	40,00	शून्य	नहीं	..
3 प्रतिशत	9,88 और ब्याज	10,80 (ब्याज सहित)	नहीं	..
शून्य	75,00	शून्य	स्टेट बैंक ने नकद ऋण की सुविधा अभी नहीं दी है	
7 प्रतिशत से $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक	6,50,00	5,45,21	नहीं	..
$6\frac{3}{4}$ प्रतिशत	1,22,93	55,36	नहीं	..
7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक	1,50,00	1,18,09		..
6 प्रतिशत	1,26,21	1,19,90	नहीं	..
स्टेट बैंक की अग्रिम दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक अधिक कम से कम $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक	1,50,00	शून्य	नहीं	..

1	2	3
5	भारत अर्थ मवर्ज़ लिमिटेड, बंगलौर	वित्त मंत्रालय (रक्षा) पत्र संख्या बी० ई० एम० एल०/13/536/प्रोजेक्ट II दिनांक 27—3—68 और संख्या बी० ई० एम० एस०/13/1376/ प्रोजेक्ट II दिनांक 28—9—68
	—तदेव—	मेसर्स एल० डब्ल्यू० मेन्यूफैक्चरिंग एस० ए० बेल्जियम के पक्ष में स्टेट बैंक की गारंटी प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक के पक्ष में प्रति-गारंटी
		स्टट बैंक आफ इडिया से नकद ऋण की सुविधा प्राप्त करन के लिए
6	गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोआ	वित्त मंत्रालय (रक्षा) पत्र संख्या एफ० एस/3, दिनांक 1—5—68
		स्टेट बैंक आफ इडिया स नकद ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए
		शिक्षा और युवक सेवा कार्य
7	केन्द्रीय खनन-गवेषणा केन्द्र, धनबाद	केन्द्रीय खनन गवेषणा केन्द धनबाद द्वारा बिहार राज्य बिजली बोर्ड को बिजली के खर्च की अदायगी न करने पर क्षतिपूर्ति करना ।
8	राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला, बंगलौर (सी० एस० आई० आर०)	रेल के भाड़े और अन्य शुल्क की अदायगी न करने पर क्षतिपूर्ति करना ।
9	राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोग शाला, जमशेदपुर	विलम्बत आदयगी गारंटी संख्या एल० जी० 68/16 संख्या 24-12-1968।
		वित्त
10	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड	विदेशी सरकारों से ऋणों के लिए मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभारों की अदायगी की गारंटी
	तदेव	11 जून, 1968 के गारंटी करार के अनुसार 75 लाख ड्यूशमार्क के ऋण के मूलधन और ब्याज की अदायगी की गारंटी ।
11	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	मूलधन की वापसी और 31—12—67 तक 8.346 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी के वार्षिक लाभांश की अदायगी के संबंध में गारंटी
	तदेव	31—12—67 तक के विदेशी ऋणों के मूलधन की वापसी तथा ब्याज की अदायगी ।
	तदेव	निगम द्वारा जारी किये गये बाण्डों के बारे में मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी ।
	तदेव	के० एफ० डब्ल्यू० (पश्चिमी जर्मनी) का 75 लाख ड्यूशमार्क का ऋण—(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 27(2) और 29 मार्च 1968 का गारंटी करार) मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी ।
	तदेव	निगम द्वारा जारी किये गये 8.33 करोड़ रुपये के बाण्डों के सम्बन्ध में मूलधन की वपासी और ब्याज की अदायगी । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 27(2) और 12—9—68 की अधिसूचना और आदेश संख्या एफ० 2(45) कारपोरेशन/68)

4	5	6	7	8
$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक	3,50,00	25,11	नहीं	..
स्टेट बैंक का 1/16 प्रतिशत प्रति तिमाही कमीशन और 6 प्रतिशत	3,34,70 और 6 प्रतिशत ब्याज	3,71,00 ब्याज सहित	नहीं	..
स्टेट बैंक की अग्रिम दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक कम से कम लेकिन/9 प्रतिशत	30,00	27,62	नहीं	..
मंत्रालय				
..	शून्य	शून्य	..	..
..	शून्य	शून्य	..	..
1/16 प्रतिशत प्रति तिमाही	11,49	11,49	नहीं	भारतीय राज्य बैंक द्वारा जारी की गयी
मंत्रालय				
45/8 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक	1,29,50,78 और इसके अतिरिक्त ब्याज	52,69,40	नहीं	..
	1,40,63 और इसके अतिरिक्त ब्याज	शून्य	नहीं	..
21/2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक	8,34,60	8,34,60	नहीं	..
3 प्रतिशत से 51।2 प्रतिशत तक	33,75,00 और इसक अतिरिक्त ब्याज	24,53,87	नहीं	
4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक	42,15,95 और इसके अतिरिक्त ब्याज	38,90,95		
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	1,40,62 और इसके अतिरिक्त ब्याज	..	नहीं	
4 प्रतिशत	8,33,31	8,33,31	नहीं	बौंडों की अवधि 14 अक्टूबर 1980 को पूरी हो जायगी

1	2	3
12	दिल्ली/असम/हिमाचल प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य वित्ती निगम	निगम द्वारा जारी की गयी शेयर पूंजी, बाण्डों और ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी के लिए गारंटी ।
13	दिल्ली वित्तीय निगम	निगम द्वारा 1968 में जारी किये गये 34 लाख रुपये के तदर्थं बाण्डों के मूलधन और ब्याज की 4:1 के अनुपात से दिल्ली और चण्डीगढ़ प्रशासनों के बीच क्रमशः वापसी और अदायगी की गारंटी ।
14	महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम	निगम द्वारा 1968 में जारी किये गये 1.75 करोड़ रुपये के बाण्डों की पूंजी की वापसी और उन पर लगने वाले ब्याज की अदायगी के महाराष्ट्र तथा गोआ, दमन और दीव सरकारों के बीच 5 : 1 के अनुपात से विभाजन के सम्बन्ध में गारंटी ।
15	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	निगम द्वारा जारी किये गये 7 लाख रुपये के बाण्डों की पूंजी की वापसी और उनके ब्याज की अदायगी की गारंटी ।
16	असम वित्त निगम	निगम द्वारा स्वीकार की गयी 17.00 लाख रुपये की स्थिर जमाओं के मूलधन की वापसी और उन पर ब्याज की अदायगी के लिए गारंटी ।
17	मद्रास/मध्य प्रदेश/आंध्र प्रदेश/मैसूर/उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड	मूलधन और ब्याज की समय पर अदायगी तथा ऋण पर अन्य व्यय और देय रकम के लिए जमानत ।
18	कृषि पुनर्वित्त निगम	मूलधन की वापसी और उसके न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी में निगम के हिस्से के लिए गारंटी ।
19	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नयी दिल्ली	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नयी दिल्ली नगर पालिका को पानी और बिजली के खर्चे की अदायगी ।
20	थोक—उपभोक्ता सहकारी भंडार	बैंकों से नगद ऋण की सुविधा की गारटी —तदेव—
21	तंजावर सहकारी थोक भण्डार . . .	संख्या 12-5/67 जी० ओ० पी० दिनांक 4-1-68 (बैंक दर से $\frac{1}{2}$ प्रति अधिक) —तदेव—
22	दक्षिण भारतीय सहकारी थोक और खुदरा भण्डार लिमिटेड बम्बई	संख्या 2-103/67 जी० ओ० पी० दि० 5-1-68 —तदेव— —तदेव—
23	राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, नई दिल्ली	संख्या 2-128/67-जी० ओ० पी० दि० 15-1-68 —तदेव— —तदेव—
24	त्रिचूर थोक सहकारी भण्डार	संख्या 2-52/67-जी० ओ० पी० दि० 19-10-68 —तदेव— —तदेव—

4	5	6	7		8
3½ प्रतिशत से 7¼ प्रतिशत तक	4,87,18 इसके अतिरिक्त ब्याज	4,72,82	नहीं	..	..
3 प्रतिशत से 5¾ प्रतिशत तक	दिल्ली 84,99 चंडीगढ़ 21,25	दिल्ली 73,50 चंडीगढ़ 18,38		.. ..	.. ..
5 प्रतिशत	दिल्ली 27,20 चंडीगढ़ 6,80	दिल्ली 27,20 चं डीगढ़ 6,80	नहीं	..	..
6 प्रतिशत	गोग्रा दमन और दीव सरकार 29,17	गोग्रा दमन और दीव सरकार 29,17	नहीं	..	..
6 प्रतिशत	7,00	7,00	नहीं	..	
6 प्रतिशत		(क) त्रिपुरा 4,42 (ख) मणिपुर 3,40	नहीं		
6 प्रतिशत	3,71,76	1,28,60	नहीं		
4 प्रतिशत	5,00,00	5,00,00	नहीं		
		सूय	36	36	नहीं
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय					
	10,47,00	27,626			31-12-67 को बढ़ाया
	1,200	1,200		नहीं	
	1,200	1,200		"	
	5,000	5,000			
	2,900	2,900			

1	2	3	4
25	केन्द्रीय सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड, जलना	संख्या 2-82/66 जी० ओ० पी० दि० 30-1-68 —तदेव—	—तदेव—
26	तिरुनलवेल्ली जिला सहकारी सप्लाई और विपणन समिति लिमिटेड	संख्या 2-34/67-जी० ओ० पी० दि० 31-1-68 —तदेव—	—तदेव—
27	कांजीपुरम सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड	संख्या 2-31/67-जी० ओ० पी० दि० 31-1-68 —तदेव—	—तदेव—
28	तिरुचिनापल्लीसहकारी थोक भण्डार	संख्या 2-9/67-जी० ओ० पी० दि० 31-1-68 —तदेव—	—तदेव—
29	तिरुचिनापल्ली जिला सहकारी सप्लाई और विपणन समिति लिमिटेड	संख्या 2-28/67-जी० ओ० पी० दि० 1/5-2-68 —तदेव—	—तदेव—
30	कोयम्बत्तूर जिला सहकारी सप्लाई और विपणन समिति लिमिटेड	संख्या 2-71/67-जी० ओ० पी० दि० 6-2-68 —तदेव—	—तदेव—
31	चन्द्रपुर केन्द्रीय सहकारी थोक और खुदरा भण्डार चन्द्रपुर	—तदेव— संख्या 2-69/66 जी० ओ० पी० दि० 14-2-68 संख्या 2-68/66 जी० ओ० पी० 14-2568	—तदेव—
32	पालघाट थोक सहकारी भण्डार लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-92/66 जी० ओ० पी० दि० 14-2-68	—तदेव—
33	बड़ौदा केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड बड़ौदा	—तदेव— संख्या 2-19/66 जी० ओ० पी० दि० 17-2-68	—तदेव—
34	डिंडीगाल सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-106/68 जी० ओ० पी० दि० 17-2-68	—तदेव—
35	मदुराई जिला सहकारी सप्लाई और निपटान समिति लिमिटेड	संख्या 2-26/66-जी० ओ पी दि० 17-2-68	—तदेव—
36	शिवाजी विश्वविद्यालय केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कोल्हापुर	—तदेव— संख्या 2-148/67 जी० ओ० पी० दि० 13-3-68	—तदेव—
37	जलपाइगुडी थोक उपभोक्ता सहकारी समिति	—तदेव— संख्या 2-80/67 जी० ओ० पी० दि० 20-3-68 और 3-1-68	—तदेव—
38	सिलूगुडी थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-92/67 जी० ओ० पी० दि० 20-3-68	—तदेव—
39	श्री गंगानगर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड श्री गंगानगर	—तदेव— संख्या 2-10/67 जी० ओ० पी० दि० 23-3-68	—तदेव—
40	दी बंगलौर जिला केन्द्रीय सहकारी थोक भंडार लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-13/67 जी० ओ० पी० दि० 28-3-68	—तदेव—
41	दी सतना थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड सतना	—तदेव— संख्या 2-168/67 जी० ओ० पी० दि० 4-4-68	—तदेव—

5	6	7	8
2,900	2,900	..	..
250	25	..	..
3,500	3,500	..	..
1,000	1,000	..	..
3,000	3,000	..	..
2,500	2,500	..	..
10500	10500	..	..
360	360	..	..
2,342	2,342	..	..
300	300	..	..
500	500	..	..
3,500	3,500		
100	100		
700	700		
500	500		
300	300		
1,650	1,650		
500	500		

1	2	3	4
42	एलेप्पी जिला उपभोक्ता थोक सहकारी भण्डार	—तदेव— संख्या 2–51/67 जी० ग्रो० पी० दि० 3–4–68	—तदेव—
43	पश्चिम बंगाल राज्य थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संघ लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2–178/67 जी० ग्रो० पी० दि० 3–4–68	—तदेव—
44	हावड़ा थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2–90/67 जी० ग्रो० पी० दि० 3–4–68	—तदेव—
45	झुझुनूं जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, झुझुनूं	—तदेव— संख्या 2–160/67 जी० दि० 16–4–68	—तदेव—
46	दी चिंगलपट जिला सहकारी सप्लाई ग्रौर विपणन समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2–24/67–जी० ग्रय० पी० दि० 18–4–68	—तदेव—
47	पाली जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड, पाली	—तदेव— संख्या 2–57/67 जी० ग्रो० पी० दि० 20–4–68	—तदेव—
48	कोलावा केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक ग्रौर खुदरा भण्डार लिमिटेड, बम्बई	—तदेव— संख्या 2–23/66 जी० दि० 19–4–68	—तदेव—
49	बरदवान थोक उपभोक्ता सहकारी समिति	—तदेव— संख्या 2–46/67 जी० ग्रो० पी० दि० 27–4–68	—तदेव—
50	त्रिपलीकेन शहरी सहकारी समिति लिमिटेड, मद्रास	—तदेव— संख्या 2–53/66 जी० ग्रो० पी० दि० 29–4–68	—तदेव—
51	रामनन्द जिला सहकारी सप्लाई ग्रौर विपणन समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2–13/66 जी० ग्रो० पी० दि० 30–4–68	—तदेव—
52	राजपालयम सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2–111/66 जी० ग्रो० पी० दि० 30–4–68	—तदेव—
53	रागत मण्डल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई	—तदेव— संख्या 2–45/66 जी० ग्रो० पी० दि० 1–5–68	—तदेव—
54	विरुदनगर थोक सहकारी भण्डार	—तदेव— संख्या 2–112/66 जी० ग्रो० पी० दि० 1–5–68	—तदेव—
55	ग्रासनसोल थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2–70/67 जी० ग्रो० पी० दि० 6–5–68	—तदेव—
56	राष्ट्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी समिति	—तदेव— संख्या 2–79/67 जी० ग्रो० पी० दि० 8–5–68	—तदेव—
57	लटूर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक ग्रौर खुदरा भंडार लिमिटेड, लेटूर	—तदेव— संख्या 2–43/66 जी० ग्रो० पी० दि० 6–5–68	—तदेव—
58	नार्थ सबर्बनी थोक सहकारी समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2–68/67 जी० ग्रो० पी० दि० 6–5–68	—तदेव—
59	बैरकपुर केन्द्रीय क्षेत्र थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	—तदेव— संख्या 2–61/67 जी० ग्रो० पी० दि० 10–5–68	—तदेव—
60	मूर्वि केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड मूर्वि	—तदेव— संख्या 2–33/67 जी० ग्रो० पी० दि० 13–5–68	—तदेव—

5	6	7	8
1,500	1,500		
5,400	5,400		
1,000	1,000		
300	300		
2,700	2,700		
300	300		
800	800		
600	600		
6,500	6,500		
5,500	5,500		
540	540		
400	400		
800	800		
1,000	1,000		
1,000	1,000		
1,000	1,000		
1,200	1,200		
500	500		
125	125		

1	2	3	
61	दी कोआपरेटिव सेंट्रल स्टोर्स लिमिटेड महबूबनगर	—तदेव— संख्या 2-147/67-जी० ओ० पी० दि० 21-5-68	—तदेव—
62	बरसात थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-8/68 जी० ओ० पी० दि० 31-5-68	—तदेव—
63	ककीवाड़ा उपभोक्ता सहकारी केन्द्रीय भण्डार लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-59/67 जी० ओ० पी० दि० 21-5-68 और 22-7-68	—तदेव—
64	करीमनगर जिला सहकारी केन्द्रीय भण्डार लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-162/67 जी० ओ० पी० दि० 10-5-68	तदेव—
65	मिराज और सांगली शहर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड, मिराज	—तदेव— संख्या 2-48/67 जी० दि० 1-6-68	—तदेव—
66	जयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड जयपुर	—तदेव— संख्या 2-11/66 जी० ओ० पी० दि० 4-6-68	—तदेव—
67	अहमदनगर केन्द्रीय सहकारी थोक सहकारी भण्डार लिमिटेड, अहमदाबाद	—तदेव— संख्या 2-14/67 जी० ओ० पी० दि० 18-6-68	—तदेव—
68	सलीम जिला सहकारी सप्लाई और विपणन समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-22/67 जी० ओ० पी० दि० 20-6-68	—तदेव—
69	कृष्णा नगर थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-98/67 जी० ओ० पी० दि० 21-6-68	—तदेव—
70	के० पी० के० थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड पनहाडी	—तदेव— संख्या 2-99/67 जी० ओ० पी० दि० 1-7-68	—तदेव—
71	जादवपुर थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-17/68 जी० ओ० पी० दि० 8-7-68	—तदेव—
72	दी कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड नई दिल्ली	—तदेव— संख्या 2-17/68 जी० ओ० पी० दि० 11-7-68	—तदेव—
73	पुडूकोट्टाई केन्द्रीय सहकारी सप्लाई और विपणन समिति लिमिटेड	—तदेव— संख्या 2-56/66 जी० ओ० पी० दि० 26-7-68	—तदेव—
74	दून सहकारी भण्डार लिमिटेड, देहरादून	—तदेव— संख्या 2-87/66 जी० ओ० पी० दि० 17-8-68	—तदेव—
75	महाराष्ट्र राज्य थोक उपभोक्ता सहकारी समिति संघ लिमिटेड, बम्बई	संख्या 2-4/66 जी० ओ० पी० दि० 14-8-68 —तदेव—	—तदेव—
76	सहकारी कामगर मध्यवर्ती गृह सहकारी मण्डल, बम्बई	संख्या 2-55/66 जी० ओ० पी० दि० 18-8-68 —देव—	—तदेव—
77	जनता केन्द्रीय थोक सहकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, अकोला	संख्या 2-49/66 जी० ओ० पी० दि० 19-8-68 —तदेव—	—तदेव—
78	जोधपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड जोधपुर	संख्या 2-8/67 जी० ओ० पी० दि० 2-9-68 —तदेव—	—तदेव—

4	5	6	7	8
	400	400	..	..
	900	900	..	..
	500	500	..	..
	200	200	..	..
	700	700	..	..
	1,000	1,000	..	..
	800	800	..	..
	11,500	11,500	..	..
	800	800	..	..
	1,432	14,32	..	..
	500	500	..	..
	8,000	8,000	..	..
	500	500	..	..
	1,050	10,50	..	..
	1,600	1,600	..	..
	1,700	1,700	..	..
	600	600	..	..
	3,50	350	..	..

1	2	3	
79	नीलगिरी जिला सहकारी सप्लाई और विपणन समिति लिमिटेड	संख्या 2-10/67 जी० ओ० पी० दि० 5-9-68 —तदेव—	—तदेव—
80	खड़गपुर थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	संख्या 2-62/66 जी० ओ० पी० दि० 11-9-68 —तदेव—	—तदेव—
81	इरोड सहकारी थोकभण्डार	संख्या 2-11/67 जी० ओ० पी० दि० 12-9-68	
82	त्रिपुरा सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड	संख्या 2-30/67 जी० ओ० पी० दि० 12-9-68 —तदेव—	—तदेव—
83	डिब्रूगढ़ सहकारी उपभोक्ता थोक समिति लिमिटेड, डिबरूगढ़	संख्या 2-67/68 जी० ओ० पी० दि० 13-9-68 —तदेव—	—तदेव—
84	उत्तर अरकाट जिला सहकारी सप्लाई और विपणन समिति वेलूर	संख्या 2-114/66 जी० ओ० पी० दि० 16-9-68 —तदेव—	—तदेव—
85	बलपराई सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार	संख्या 2-35/67 जी० ओ० पी० दि० 16-9-68 —तदेव—	—तदेव—
86	अचलपुर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक और खुदरा भण्डार लिमिटेड, अचलपुर	संख्या 2-47/67 जी० ओ० पी० दि० 15-10-68 —तदेव—	—तदेव—
87	सुपारी बाग मध्यवर्ती गृह सहकारी संघ लिमिटेड, सुपारी बाग	—तदेव— संख्या 2-75।2/66-जी० ओ० पी० दि० 15-10-68	बैंक ½ से 2% अधिक।
88	यवतमाल जिला केन्द्रीय सहकारी थोक और खुदरा भण्डार लिमिटेड, यवतमाल	—तदेव— संख्या 2-27/66-जी० ओ० पी० दि० 15-10-68	
89	समर्थ सहकारी उपभोक्ता केन्द्रीय भण्डार लिमिटेड समुद्री	—तदेव— संख्या 2-21/ii/66 जी० ओ० पी० दि० 15-10-68	—तदेव—
90	टोंक सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड, टोंक	—तदेव— संख्या 2-146/67 जी० ओ० पी० दि० 24-10-68	—तदेव—
91	भुसावल केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक और खुदरा भण्डार लिमिटेड, भुसावल	—तदेव— संख्या 2-33/66 जी० ओ० पी० दि० 25-10-68	—तदेव—
92	क्विलोन जिला सहकारी थोक भण्डार	—तदेव— संख्या 2-94/66 जी० ओ० पी० दि० 26-10-68	—तदेव—
93	केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड बिहार शरीफ	—तदेव— संख्या 2-76/67 जी० ओ० पी० दि० 12-11-68	—तदेव—
94	खामगांव सहकारी उपभोक्ता थोक और खुदरा भंडार लिमिटेड, खामगांव	संख्या 2-27/66अजी० दि० 13-11-68 —तदेव—	—तदेव—
95	नांदेड़ जिला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक और खुदरा भंडार लिमिटेड, नांदेड़	संख्या 2-41/66-जी० दि० 13-11-68 —तदेव—	—तदेव—

4	5	6	7	8
1,500		1,500	..	..
600		600	..	..
300		300	..	..
1,000		1,000	..	..
300		300	..	..
1,500		1,500	..	..
640		640	..	..
250		250	..	..
500		500		
800		800		
500		500		
300		300		
325		325		
2,600		2,600		
200		200		
300		300		
1,000		1,000		

1	2	3	4
96	केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, बुलन्दशहर	संख्या 2–114/67–जी० ग्रो० पी० दि० 22–11–68 —तदेव—	—तदेव—
97	रत्नागिरी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक और खुदरा भंडार लिमिटेड, रत्नागिरी	संख्या 2–117/67–जी० ग्रो० पी० दि० 23–11–68 —तदेव—	—तदेव—
98	बीरभूम थोक उपभोक्ता सहकारी समिति	संख्या 2–26/68–जी० ग्रो० पी० दि० 23–11–68 —तदेव—	—तदेव—
99	नार्थ मद्रास सहकारी थोक भंडार लिमिटेड	संख्या 2–37–68–जी० ग्रो० पी० दि० 23–11–68 —तदेव—	—तदेव—
100	मद्रास राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ	संख्या 2–55/67–जी० ग्रो० पी० दि० 26–1–68 —तदेव—	—तदेव—
101	मालेगांव शहर मध्यवर्ती सहकारी गृह भंडार लिमिटेड, मालेगांव	संख्या 2–110/66–जी० ग्रो० पी० दि० 30–11–68 —तदेव—	—तदेव—
102	विशाल उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, गोंदिया	संख्या 2–89/67–जी०ग्रो०पी० दि० 30–11–68 —तदेव—	—तदेव—
103	सहकारी भंडार लिमिटेड, हैदराबाद	संख्या 2–89/67–जी०ग्रो०पी० दि० 30–11–68 —तदेव—	—तदेव—
104	पोट्टाचाई सहकारी थोक भंडार लिमिटेड	संख्या 2–66/67–जी०ग्रो०पी० दि० 17–12–68 —तदेव—	—त व—
105	ग्रडीलाबाद उपभोक्ता सहकारी केन्द्रीय भंडार लिमिटेड	संख्या 2–61/66–जी० ग्रो०पी० दि० 23–12–68 —तदेव—	—तदेव –
106	शिवाजी मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक फंडार लिमिटेड, बम्बई	संख्या 2–49/67–जी०ग्रो०पी० दि० 27–12–68 —तदेव—	—तदेव—
107	ग्रमरावती केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक और खुदरा भंडार लिमिटेड, ग्रमरावती	संख्या 2–64/66–जी० दि० 28–12–68 —तदेव—	—तदेव
108	विशाखापत्तनम सहकारी केन्द्रीय भंडार लिमिटेड	संख्या 2–81/66–जी०ग्रो०पी० दि० 24–12–68	—तदेव—
109	केन्द्रीय बेल्लारी सहकारी भंडार लिमिटेड, पांडवपुर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, मालूराकनलाकम सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, नार्थ ग्रर्काट जिला सहकारी शूगर मिल्स लिमिटेड, ग्रमरावती सहकारी शूगर मिल्स लिमिटेड, ग्रमादलावलास सहकारी एग्रीकलचरल ग्रौद्योगिक सोसाइटी लिमिटेड, छोदावरम सहकारी एग्रीकलचरल एन्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, पालाकोले कोग्रापरेटिव एग्रीकलचरल ऐन्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, दी चित्तौड़ कोग्रापरेटिव शुगर्स लिमिटेड, हरियाणा कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, बटाला कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड,	ग्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा सम्बद्ध समितियों को स्वीकृत किये गये ऋणों के सम्बन्ध में मूलधन की वापसी, ब्याज की ग्रदायगी ग्रौर ग्रन्य रकमों के लिए 50:50 के ग्राधार पर सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ चालू संयुक्त गारंटी ।	$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक

5	6	7	8
200	200	..	..
400	400	..	..
300	300	..	..
500	500	..	..
3,500	3,500	..	..
400	400	..	..
100	100	..	..
1,000	1,000	..	..
400	400	..	..
200	200	..	..
400	400	..	..
650	650	..	..
1,400	1,400	..	..
36,57,60	26,35,00	..	31-12-67 को बकाया रकम

1	2	3	4
	बाजपुर कोग्रापरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, भागपत कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, असम कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, शिवराम सहकारी साखर लिमिटेड, मालेगांव सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, अशोक सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गणेश (राहाटा) एस० एस० के० लिमिटेड, दी गिरना, एस० एस० के० लिमिटेड, भोगवती, एस० एस० के० लिमिटेड, श्री वारना एस० एस० के० लिमिटेड, श्री पंचगंगा एस० एस० के० लिमिटेड, शेतकारी एसङ एस० के० लिमिटेड, श्री हिरण्यकेशी एस० एस० के० लिमिटेड, किसान कोग्रापरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, सारस्व निजामाबाद कोग्रापरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, अशोक कोग्रापरेटिव शगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गंजम, मानभूम कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कुम्भी केसरी एस० एस० के० लिमिटेड, सोमेश्वर एस० एस० के० लिमिटेड, चित्तौड़ खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, गंदेवी सेड़म कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, नेशनल कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कल्ला कुरीची कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, दूधगंगा वेदगंगा एस० एस० के० लिमिटेड, संजीवनी टाकली एस० एस० के० लिमिटेड, किसान कोग्रापरेटिव शुगर फैक्टरी, माझोला, यशवन्त एस० एस० के० लिमिटेड, निफाड़ एस० एस० के० लिमिटेड, पूनिया कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, गौरी बिदनौर एस० एस० के० लिमिटेड, मोरिंदा कोग्रापरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड		
110	मालप्रभा सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड	मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए 50:50 के आधार पर मैसूर सरकार के साथ चालू संयक्त गारंटी	$8\frac{1}{2}$%
111	वानी बिलास सहकारी चीनी कारखाना लिमिटड	—तदेव—	—तदेव—

5	6	7	8
12,000	शून्य	समिति की सारी स्थिर परिसम्पतियां जीवन बीमा निगम के पास बन्धक है ।	31-12-67 को बकाया रकम अभी निकाली जानी है ।
12,000@	शून्य	फिर भी ब्याज के बचाव के रूप में केन्द्रीय सरकार का करार सहकारी चीनी कारखाने के साथ किया गया है ।	@यह रकम 8500 रुपये कर दी गई है क्योंकि जीवन बीमा निगम ने 3500 रुपये देने को सहमत हो गया है और देना भी स्वीकार कर लिया है । 3500 रुपये की गारंटी अभी दी जानी है ।

1	2	3	4
112	मेसर्स ऊनातालुका एस० के० यू० एम० लिमिटेड	मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए 50:50 के आधार पर गुजरात सरकार के साथ संयुक्त चालू गारंटी	
113	माधी विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड	—तदेव—	
114	तेरना सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये 50:50 के आधार पर महाराष्ट्र सरकार के साथ संयुक्त चालू गारंटी	
115	कालम्बर एस० एस० के० लिमिटेड	—तदेव—	
116	वारना एस० एस० के० लिमिटेड	—तदेव—	
117	केशोराय पाटन एस० एस० के० लिमिटेड	मूलधन और ब्याज की वापसी के लिए 50:50 के आधार पर राजस्थान सरकार के साथ चालू संयुक्त गारन्टी ।	
118	मुरेना मंडल एस० एस० के० लिमिटेड	मूलधन और ब्याज की वापसी के लिए 50:50 के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ चालू संयुक्त गारण्टी ।	

4	5	6	7	8
½ प्रतिशत छूट के साथ 8½ प्रतिशत	1,05,00*	60,00	—तदेव—	*यह रकम 65,00,000 रुपये कर दी गई है क्योंकि जीवन बीमा निगम ने 40,00,000 रुपये देने को सहमत हो गया है और देना भी स्वीकार कर लिया है। 40,00,000 रुपये की गारंटी अभी दी जानी है।
—तदेव—	1,05,00*	50,00	—तदेव—	*यह रकम 65,00,000 रुपये दी गयी है क्योंकि जीवन बीमा निगम ने 40,00,000 रुपये स्वीकृत किये हैं और उन्हें देने को सहमत हो गया है। 40,00,000 रुपये की गारंटी अभी दी जानी है।
—तदेव—	1,20,00*	94,00	—तदेव—	*यह रकम 80,00,000 रुपये कर दी गयी है क्योंकि जीवन बीमा निगम ने उन्हें 40,00,000 रुपये स्वीकृत किये हैं और उन्हें देने को सहमत हो गया है। 40,00,000 रुपये की गारंटी अभी दी जानी है।
—तदेव—	1,20,00*	8,60,00	—तदेव—	*—तदेव—
—तदेव—	60,00**	60,00	—तदेव—	**अतिरिक्त ऋण समिति ने 65,00,000 पहले ही निकाल लिये हैं जिन में से 19,82,000 रुपये बकाया हैं (पहला ऋण)।
—तदेव—	1,20,00**	शून्य	फिर भी ब्याज के बचाव के उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार का करार सहकारी चीनी कारखाने के साथ किया गया है।	*रकम अभी निकाली जानी है। **यह रकम 80,00,00 कर दी गयी है। क्योंकि जीवन बीमा निगम ने 40,00,000 देने को सहमत हो गया है और देना भी स्वीकार कर लिया है। 40,00,000 रुपये का गारण्टीनामा अभी लिखा जाना है।
—तदेव—	1,20,000	शून्य	—तदेव—	—तदेव—

1	2	3
118	सहकारी बैंक/बन्धक बैंक	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड/पांडीचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड/मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड/गोआ सहकारी बैंक लिमिटेड/हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक/पांडीचेरी राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक
119	पांडीचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पांडीचेरी	मूलधन और ब्याज की अदायगी खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय संख्या 3-16/68 क्रेडिट दि० 28-8-68 । -तदेव-
120	त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अगरतला	संख्या 3-8-68 क्रेडिट दि० 30-8-68 । -तदेव-
121	गोआ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पणजी	संख्या 3-15/68 क्रेडिट दि० 30-8-68 । -तदेव-
122	पांडीचेरी राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड	संख्या 2-44/68 क्रेडिट दि० 20-11-68 । -तदेव-
123	हिमाचल प्रदश केन्द्रीय सहकारी भूमि बन्धक लिमिटेड	संख्या 2-21/66 क्रेडिट दि० 10-5-68 -तदेव-
	तदेव	संख्या 2-21/66-क्रेडिट दि० 22-6-68 । -तदेव-
	तदेव	संख्या 2-17/68-क्रेडिट दि० 24-8-66 ।
124	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	वापसी और ब्याज की और शेयर पूंजी पर लाभांश की अदायगी की गारण्टी ।
125	भारतीय खाद्य निगम	भारतीय खाद्य निगम को नकद ऋण देने के लिए स्टेट बैंक को गारण्टी ।

विदेशी व्यापार और

126	भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड	स्टेट बैंक द्वारा दिया गया 3 करोड़ रुपये का नकद ऋण

4	5	6	7	8
बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 2 प्रतिशत कम और $3\frac{1}{4}$ प्रतिशत से $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत	1,61,20	79,89		
बैंक दर से 2 प्रतिशत कम	20,00	9,00		
–तदैव–	15,00	15,00		
–तदैव–	10,00	शून्य		
6 प्रतिशत	10,00	शून्य		
6 प्रतिशत	10,00	10,00		
6 प्रतिशत	8,15	8,15		
—	20,00	17,95		
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	10 करोड़ रुपये और उस का लाभांश (इस समय एक एक हजार रुपये के 87,273 शेयरों में से भारत सरकार के पास 67,900 शेयर हैं)	30,80	नहीं	..
$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत	50,00,00	50,00,00	नहीं	..
पूर्ति मंत्रालय]				
6 से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत			निगम ने सरकार को मांग वचन पत्र दिया है जिसके बदले गारण्टी भी दी है । मांग वचन पत्र सरकार द्वारा पृष्ठांकित कर के स्टेट बैंक को भेजा गया है ।	..

1	2	3
127	जूट तथा जट के सामान की बफर स्टाक एसोसिएशन, कलकत्ता	5 करोड़ तक, 25 प्रतिशत के बैंक मार्जन की गारण्टी
128.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नयी दिल्ली	स्टेट बैंक, नयी दिल्ली द्वारा नकद ऋण सुविधा। 3 करोड़ रुपये की रकम की गारन्टी दी गयी है ।
129.	नेशनल कम्पनी लिमिटेड	स्टेट बैंक द्वारा 50 लाख रुपये की अस्थायी वित्तीय सहायता सम्बन्धी गारण्टी ।
130.	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम	मैसर्स क्रेडिट लायनाज, पेरिस द्वारा निगम को जमा से अधिक रकम निकालने के सम्बन्ध में दी गयी सुविधा के लिए स्टेट बैंक द्वारा दी गयी गारन्टी के सम्बन्ध में प्रति गारन्टी ।
131	श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पाण्डीचेरी	मिल को 35 लाख रुपये के ऋण के लिए स्टेट बैंक को गारण्टी
132	दी म्युर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	मिल को 80 लाख रुपये के ऋण के लिए भारतीय राज्य बैंक को गारण्टी
133	दिग्विजय स्पिनिंग, वीविंग ऐण्ड मैन्यफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	30 लाख के ऋण के लिए स्टेट बैंक को गारण्टी
134	इण्डियन युनाइटिड मिल्स लिमिटेड, बम्बई	416 लाख रुपये तक की नकद ऋण सुविधाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक को गारण्टी

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय

135	हिन्दुस्तान लेटेक्स, लिमिटेड, नयी दिल्ली	पत्र संख्या 3–34/68–डिवेलपमेंट दिनांक 11–1–68 के अनुसार जापान से करार के अधीन मंगवाये जाने वाले उपकरण आदि के सम्बन्ध में देय रकम की समय पर अदायगी
136	भारतीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	स्टेट बैंक और पटियाला राज्य बैंक में 117 लाख रुपये तक का नकद ऋण खाता खोलना
137	हिन्दुस्तान हाउसिंग लिमिटेड	स्टेट बैंक में 40 लाख रुपये तक का नकद ऋण खाता खोलना

गृह

138	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नयी दिल्ली	10 लाख रुपये तक की समर्थित गारण्टी। पत्र संख्या 23/14/67-डब्ल्यू दिनांक 28–12–68

4	5	6	7	8
9 प्रतिशत	5,00,00	7,98	नहीं	
भारतीय राज्य बैंक की अग्रिम दर पर	3,00,00	2,67,41	नहीं	..
9। प्रतिशत	50,00	16,00	नहीं	..
८ प्रतिशत	18,00 जमा ब्याज	16,81	नहीं	..
लाग नहीं होता	35,00	32,83	..	..
—तदेव—	40,00 उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर	78,85	..	..
—तदेव—	30,00 महाराष्ट्र और केन्द्रीय सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर	30,00	..	..
—तदेव—	4,16,00 महाराष्ट्र और केन्द्रीय सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर	2,73,33	..	..
..	[40,46	[36,53	नहीं	.
$7\frac{3}{4}$ से $8\frac{1}{4}$ प्रतिशत	1,17,00	भारतीय राज्य बैंक के पास 4,97 पटियाला राज्य बैंक के पास 4,81	नहीं	
$7\frac{1}{2}$ से 8 प्रतिशत	[40,00	..	नहीं	..
मंत्रालय				
$8\frac{1}{2}$ प्रतिशत]	[10,00	..	समिति के स्टाक को बन्धक रख कर	..

1	2	3	4
			औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार
139	(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बम्बई (ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास (iii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता	भारत सरकार ने मशीनों के आयात के लिए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की शाखाओं को क्रमश: 30 लाख रुपये, 15 लाख रुपये और 20 लाख रुपये की स्थायी गारण्टी दी हुई है ।	
140	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नयी दिल्ली	भारत सरकार और क्रेडिटांम्टाल्ट के बीच ऋण करार के अन्तर्गत सभी दावों के निपटाने के लिए मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी	
		तदेव 30–8–68 के ऋण संख्या 345 के अधीन ।	
		अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा निगम को दिये गये 7.50 लाख रुपये के ऋण के मूल और ब्याज की अदायगी	
141	पश्चिम तट कागज मिल्स, बम्बई	औद्योगिक वित्त निगम को ऋण और उस पर ब्याज की वापसी	
142	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	भारतीय राज्य बैंक द्वारा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को जमा से 150 लाख रुपये तक की अधिक रकम निकालने की सुविधाएं—और नकद ऋण	
		एक्स-रे फिल्म, जम्बो रोल्स के आयात के लिए इटेलियन ऋण के सम्बन्ध में ड्राफ्टों की अदायगी नियत तारीखों में को जाने के लिए स्टेट बैंक को प्रति गारन्टी	
143.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	स्टेट बैंक द्वारा मैसर्स मोरगन ग्रीनफेल एण्ड कम्पनी लिमिटेड लन्दन नामक ब्रिटिश कम्पनी को दी गयी गारण्टी के सम्बन्ध में सभी दावों की क्षतिपूर्ति की गारण्टी ।	
	–तदेव–	खरीद एजेंसी करार के संचालन में हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की किसी गल्ती से होने वाले किसी हानि के लिए एसोसिएटिड इलेक्ट्रिकल्स आफ इण्डिया को क्षतिपूर्ति ।	
	–तदेव–	परामर्शदाताओं द्वारा हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिये गये ऋणों और उन पर ब्याज की वापसी ।	
	–तदेव–	कच्ची सामग्री, पुर्जों, तैयार माल और चालू निर्माण कार्यों को रहन रख कर प्राप्त नकद ऋण खाता ।	

5	6	7	8	9
और समवाय मंत्रालय				
शून्य	(i) 30,00	7,86	नहीं	
	(ii) 20,00	7,79	नहीं	
	(iii) 15,00	3,04	नहीं	
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	6,56,25	2,87,84	नहीं	..
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	93,75	शून्य	नहीं	..
5 प्रतिशत	7,50,00	7,24,30	नहीं	..
6 प्रतिशत	1,50,00	72,00	कम्पनी की परिसम्पतियां औद्योगिक वित्त निगम के पास रहन हैं।	..
कम से कम बैंक दर $8\frac{1}{4}$ प्रतिशत	15,00	15,00	नहीं	..
6 प्रतिशत	37,50	30,33	नहीं	..
5 प्रतिशत या बैंक आफ इंग्लैण्ड की दर से 1 प्रतिशत ज्यादा, जो भी अधिक हो	4,90,00	शून्य	नहीं	..
बिना ब्याज	7,20,00	6	नहीं	..
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत जिस पर भारतीय कानून के अधीन आय कर लगेगा	28,80 जमा एसोसिएटिड इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ब्रिटेन और ब्रिटेन में अन्य परामर्शदाताओं द्वारा अदायगियों का 10 प्रतिशत	1,32,93 (इसमें एसोसिएटिड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ब्रिटेन द्वारा प्राप्त 95,45 शामिल हैं)	नहीं	..
कम से कम $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत	24,50,00	12,62,25	नहीं	..

1	2	3
144	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड—हाई प्रैशर बायलर प्लान्ट, तिरुची	मशीनों आदि को सप्लाई और निर्माण तथा उत्पादन के दौरान तकनीकी सहयोग के लिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स और स्कोडा एक्सपोर्ट, प्राहा के बीच 30-5-63 को किये गये करार के अधीन देय दावों की अदायगी के लिए गारण्टी ।
145	स्विचगीयर यूनिट, हैदराबाद	एशिया, स्वीडन और मेसर्स स्कोडा एक्सपोर्ट, चेकोस्लोवाकिया के बीच किये गये खरीद करार के सभी दावों की अदायगी ।
146	मेसर्स मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, अजमेर	कारपोरेशन के सभी दायित्वों के सम्बन्ध में मशीन टूल्स कारपोरेशन द्वारा नियत समय पर अदायगियां ।
147	नेशनल न्यूजप्रिंट ऐण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर	मेसर्स वार्टिसिले एं/बी हेलसिंकी, फिनलैंड और मेसर्स इलोफ हनसन, स्वीडन द्वारा कम्पनी को दी गयी 200 लाख रुपये तक की स्टेट बैंक को गारण्टी ।
	—तदेव—	मेसर्स इलोफ हनसन, स्वीडन के साथ करार के सम्बन्ध में स्टेट बैंक को 80 लाख की गारण्टी
148	रिचर्डसन ऐण्ड क्रूडास लिमिटेड, कलकत्ता	नकद ऋण प्रबन्ध के लिए गारण्टी
	—तदेव—	दरमियानी अवधि का 14 लाख रुपये (मूल) और 3.78 लाख रुपये (ब्याज) का ऋण
149	इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	स्टेट बैंक द्वारा नकद ऋण सहायता के लिए गारण्टी
150	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता	—तदेव—
151	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	विलम्बित अदायगी के बदले गारण्टी
	—तदेव—	—तदेव—
		7 जनवरी, 1966 को प्रोमाशेपोर्ट मास्को के साथ किये गये भारत-सोवियत संलेख के अन्तर्गत किये गये करारों के बदले : (1) 10,11,000 रुपये के लिए संख्या एल० ई० आई० (ए)-45 (1)/67-I, दिनांक 5-7-68 (2) 3,22,080 रुपये के लिए संख्या एल० ई० आई० (ए)-45(1)/67-II, दिनांक 5-7-68 (3) 10,04,670 रुपये के लिए संख्या एल० ई० आई० (ए)-45 (1)/67-III दिनांक 5-7-68 (4) 4,45,780 रुपये के लिए संख्या एल० ई० आई० (ए)-45(1)/67-IV दिनांक 5-7-68 माशप्रिबो-रिन्टूर्ग, मास्को के साथ किये गये करार संख्या 69/02-223—81840 दिनांक 23-8-68 (1) 6,88,315 रुपये की रकम के लिए—संख्या एल० ई० आई० (ए)—46(8)/68 दिनांक 2-12-68 (2) संख्या एल० ई० आई० (ए)-43(7)/67 दिनांक 10-4-1968

4	5	6	7	8
बिना ब्याज	5,17,22	1,94,40	नहीं	..
बिना ब्याज	15,12,23	5,83,82	नहीं	..
शून्य	83,06	9,35	नहीं	..
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत	2,00,00	1,74,08	नहीं	..
		जमा ब्याज		
..	80,00	57,57	..	..
1 अप्रैल, 1968 से $8\frac{1}{4}$ प्रतिशत से $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक	1,10,00	1,10,00	गारण्टी के समर्थन में माँग बचत-पत्र लिखा जाना	
$9\frac{1}{4}$ प्रतिशत	17,78	14,00	नहीं	—
2— —तदेव—	1,55,00	1,55,00	नहीं	—
8 प्रतिशत	35,00	27,60	नहीं	—
3 प्रतिशत	14,24	12,11	नहीं	—
3 प्रतिशत	10,11	9,96	भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रति गारण्टी	—
3 प्रतिशत	3,22	3,17	—तदेव—	—
3 प्रतिशत	10,05	9,85	—तदेव—	—
3 प्रतिशत	4,46	4,39	—तदेव—	—
3 प्रतिशत	6,88	6,77	—तदेव—	—
$8\frac{3}{4}$ प्रतिशत	50,00	1,40	स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर, कोटा द्वारा नकद ऋण की गारण्टी।	—

1	2	3
152	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार	मेसर्स सोशियेट डी० ई० एस0 फोरजेज, पेरिस का देय सभी रकमों की अदायगी की गारंटी
	--तदेव	भारत सरकार ने इस उद्‌देश्य से स्टेट बैंक आफ इण्डिया को प्रति गारंटी दी है कि उक्त बैंक, मशीनों के हिस्से मुहैया करने के लिए वी०/ओ० प्रामाएक्सपोर्ट को, विलम्बित अदायगी के सम्बन्ध में बैंक गारंटी दे (पत्र संख्या एफ 16-25/67-एच० ई० सी0 एच0 ई0 दिनांक 30-7-68)
153	ऋण संस्थाएं (65) लघु उद्योगों के लिए ऋण गारण्टी योजना की धारा 2(ग) के अन्तर्गत निर्दिष्ट	ऋण संस्थाओं द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों में से यदि कोई हानि हो तो उसके सम्बन्ध में दी गयी गारंटी
		सिंचाई और
154	टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड, टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी, लिमिटेड और आन्ध्र वेली पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	ऋण लेने वाले और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बीच ऋण करार के अनुसार मूल रकम और ब्याज तथा अन्य खर्चों की अदायगी
155	राष्ट्रीय प्रायोजना निर्माण निगम लिमिटेड	निगम को अधिक से अधिक 250 लाख रुपये तक की अदायगी के लिए स्टेट बैंक आफ पटियाला की ओर से नकद ऋण की गारंटी
	तदेव--	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नयी दिल्ली को, 16 लाख रुपये की सामान्य गारंटी
156	उत्तर प्रदेश मद्रास राज्य बिजली बोर्ड	निर्धारित तिथि पर मूलधन और ब्याज की अदायगी
157	जे० ऐण्ड के० मिनरल्स, जम्मू और कश्मीर सरकार	--तदेव--
158	उकई प्रायोजना, गुजरात सरकार	--तदेव--
		श्रम, नियोजन
159	अम्बरनाथ मिल्स नामक निष्क्रीत संस्थान के खरीदार कवंर राजनाथ	बम्बई राज्य वित्त निगम द्वारा कंवर राजनाथ को मिल चलाने के लिए दिये गये 7,00,000 रुपये के कुल ऋण की गारंटी सम्पत्ति पर दूसरे बन्धक के रूप में दी गयी है
		पेट्रोलियम और रसायन
160	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	(1) कोचीन रिफाइनरीज और अमरीकी बैंकों के बीच के करारों की क्षतिपूर्ति की गारण्टी

4	5	6	7	8
शून्य	86,58	35,70	नहीं	..
कोई व्यजि नहीं	4,75,50	4,72,44	नहीं	..
एक प्रतिशत का $\frac{1}{10}$ प्रतिशत	1,46,87,91	87,91	योजना 1 अक्टूबर, 1968 से लागू है और इसका प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक के पास है	..
बिजली मंत्रालय				
$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत से $5\frac{5}{8}$ प्रतिशत	17,64,22	8,44,50	नहीं	..
150 लाख रुपये से अधिक के अग्रिम पर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत, मासिक विराम सहित	2,50,00	2,40,03	नहीं	..
शून्य	16,00	15,98	नहीं	..
6 प्रतिशत (आयकर मुक्त)	1,33,74	1,05,99	नहीं	..
तदेव	30,70	23,45	नहीं	..
6 प्रतिशत	43,09	35,37	नहीं	..
और पुनर्वास मंत्रालय				
$6\frac{1}{2}$ प्रतिशत	उपक्रम को, 12 नवम्बर, 1968 को 75,129 रुपये के व्याज समेत 7 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शेष—2 लाख रुपये का ऋण उपक्रम के 23 मार्च, 1965 के पत्र के अनुसार रद्द कर दिया गया क्योंकि उपक्रम ने उसे नहीं लिया। मिल वित्तीय निगम ने बाकी ऋण के सम्बन्ध में वचन बद्ध व्यय की वसूली की।		नहीं	खाजकुन्तसुता विकास योजना 15 अम्बर-नाहर बम्बई के कृषि से भिन्न प्लाट संख्या 2—में स्थित अहमदाबाद मिल को बन्धक रख कर
तथा खान और धातु मंत्रालय				
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत	13,50,00	11,10,00	नहीं	..

1	2	3
		(2) गारंटी करार दिनांक 31 दिसम्बर, 1967 के अनुसार 1,58,25 रुपये की गारंटी फिलिप पेट्रोलियम इण्टरनेशनल कारपोरेशन से लिये गये डालर ऋण के सम्बन्ध में है
161	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (नंगल एकक) .	भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से स्टेट बैंक को दी गई प्रति-गारण्टी कि बैंक विलम्बित भुगतानों के लिए कम्पनी के सम्भरकों को गारंटी पत्र दे सके
162	फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	मूलधन की वापसी तथा व्याज और अन्य प्रभारों की वापसी विलम्बित अदायगी के आधार पर उपकरण और मशीनें सप्लाई करने वालों को किस्तों की अदायगी के लिये भारतीय राज्य बैंक को गारंटी
	--तदेव--	--तदेव--
133	भारतीय तेल निगम (रिफाइनरी डिवीजन)	पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय का पत्र संख्या 2(6)/67 दिनांक, 10 मई, 1968 तदेव
		पत्र संख्या 14(1)-ए० ई०-II/68 दिनांक 18-12-68 एल० ए० संख्या 735/आई० ओ० सी० (सोवियत स्पेशल)
	कोयली रिफाइनरी	कारखाना पत्र संख्या 2 (103)/64 केम I दिनांक 7-8-65 और पत्र संख्या II (16)/64-ओ० आर० दिनांक 11-12-67 और पत्र संख्या II (16)/64-ओ० आर० दिनांक 22-6-68 के अनुसार
164	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (पाइप लाइन प्रभाग)	स्नाम एस० पी० ए० मिलान, इटली तथा सर्नामिलोम शोजी केशा लिमिटेड टोकियो और मिशनी ऐण्ड कम्पनी टोकियो को विलम्बित अदायगी के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया को प्रति-गारंटी
165	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग)	12 जून 1966 के करार के सम्बन्ध में कभी भी एक बार 15 करोड़ रुपये तक के ऋण लेने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मार्फत ऋण पत्र खोलने के लिये दी गयी गारंटी
	--तदेव--	स्टेट बैंक आफ इण्डिया बम्बई में 12 करोड़ रुपये के लिए नकद जमा खाता खोलने के सम्बन्ध में उक्त बैंक को दी गयी प्रति-गारंटी (संख्या 106 दिनांक 14-7-68) (मन्त्रालय पत्र संख्या 7(14)/66-आई० ओ० सी० दिनांक 5-6-68)
166	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड,	12-6-66 के करार के सम्बन्ध में
167	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग . .	निर्धारित तारीखों पर स्वीकृत ड्राफ्टों के सम्बन्ध में अदायगी के लिए
	--तदेव--	--तदेव--
		पत्र संख्या 18/80/68-ओ० एन० जी० दिनांक 28-12-68
168	इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड .	इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को नकद ऋण सहायता देने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया को दी गयी गारंटी

4	5	6	7	8
6 प्रतिशत	1,87,50	1,31,87	नहीं	..
			नहीं	मेसर्स सेंट गोवन, पेरिस द्वारा मुहैया किये गये उर्वरक वर्ग के संयंत्रों की सप्लाई से सम्बन्धित
4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक	3,06,00	1,55,90	नहीं	..
$\frac{1}{16}$ प्रतिशत तिमाही	11,25,00	11,25,00	नहीं	..
6 प्रतिशत	1,35,09	1,35,09	नहीं	..
$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक	7,84,01	52,90	नहीं	..
$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत	8	8	नहीं	..
6 प्रतिशत	1,20,60	83,48	नहीं	..
6 प्रतिशत	19,44,57	10,21,13	नहीं	..
कोई ब्याज नहीं	15,00,00	6,39,48	नहीं	..
$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत	12,00,00	10,33,31	नहीं	..
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	16,74,00	16,74,00	नहीं	..
5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक	19,98,78	11,42,91	नहीं	..
6 प्रतिशत	16,12	16,12	नहीं	..
..	2,70,00	2,70,00	..	कम्पनी की पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद ऋण सहायता आवश्यक हुई है ।

1	2	3
169	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर . .	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा की जाने वाली सीमा शुल्क, घाट-शुल्क, विलम्ब-शुल्क, गोदाम खर्च आदि की अदायगी
	—तदेव—	स्टेट बैंक आफ इण्डिया बीकानेर और जयपुर द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए नकद ऋण सहायता दिये जाने के लिए दी गयी गारंटी पत्र संख्या 8(5)/67–एम० आई० वी० दिनांक 8–3–68
170	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड . .	निगम की ओर से जारी किये गये अधिकार-पत्र
	—तदेव—	पत्र संख्या 14(I) ई० II/68 दिनांक 15–2–68 एल० ए० 669 नेवली
	—तदेव—	जापान से लिये जाने वाले तदर्थ ऋण के सम्बन्ध में मूलधन और ब्याज आदि की अदायगी निर्धारित समय पर करने के लिए दी गयी गारंटी
171	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . .	किरीबुरू खनिज लोहा प्रायोजना के संचालन सम्बन्धी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा से अधिक रकमें निकालने की सुविधा
	—तदेव—	निम्नलिखित प्रायोजनाओं के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया से नकद ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए :— (i) किरीबुरू खनिज लोहा खान के लिए 20 लाख रुपये की रकम जिसकी स्वीकृति पत्र संख्या 9/17/68—VI दिनांक 27-12-68 के अन्तर्गत दी गयी थी । (ii) पत्र संख्या 7(1)।68–एम० वी० आई० दिनांक 25-1-68 के अनुसार हीरा खान प्रायोजना के लिए 20 लाख रुपये की रकम की सहायता के लिए पत्र संख्या 9(8)/68–एस० बी० आई० (iii) दिनांक 5/7-10-68 के अन्तर्गत बेलाडिला खनिज लोहा प्रायोजना के लिए 50 लाख रुपये की रकम की सहायता के लिए
172	ल्यूबे इण्डिया लिमिटेड . . .	ऋण करार दिनांक 10-5-58 के अनुसार अमेरिका की हनोवर ट्रस्ट कम्पनी आफ न्यूयार्क नामक निर्माता कम्पनी से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की ब्याज की दर से लिये जाने वाले 75 लाख अमरीकी डालर के ऋण की गारण्टी
		रेल
173	अहमदपुर-कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड, फतुआं इस्लामपुर रेलवे कम्पनी लिमिटेड, बांकुड़ा दामोदर रिवर रेलवे कम्पनी लिमिटेड, चपरमुख सिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कटखा लाला बाजार रेलवे कम्पनी लिमिटेड	गारण्टी की रकम रेलवे कम्पनी को चुकता शेयर पूंजी पर प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत तक शुद्ध प्राप्तियों तक सीमित है । जब कम्पनी की शुद्ध प्राप्तियां उसकी चुकता शेयर पूंजी से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाने के लिए न्यूनतम सीमा से अधिक बढ़ जाती है तब अधिक रकम सरकार और कम्पनी के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाती है । प्रबन्ध अभिकरण की 5,000 6000, 1000, 6000, और 3500 रुपये प्रतिवर्ष पारिश्रमिक और अन्य छोटे मोटे खर्च, जिनकी लेखा परीक्षा होती है, कम्पनी की शुद्ध प्राप्तियां निर्धारित करने के लिए कम्पनी के कार्य चालन व्यय का एक भाग समझे जाते हैं ।

4	5	6	7	8
बिना ब्याज	56,30	56,30	नहीं	..
रिजर्व बैंक की दर से $2\frac{3}{4}$ प्रतिशत अधिक लेकिन कम से कम $8\frac{3}{4}$ प्रतिशत	30,60	..	नहीं	..
शून्य	25,69,01	87,59	नहीं	..
	5,30	..	नहीं	..
शून्य	3,53	51	नहीं	..
स्टेट बैंक के राष्ट्रीय अग्रिम की ब्याज दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक लेकिन कम से कम 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज।	20,00	4,00	नहीं	..
$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत	20,00		खाते खोलने के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से अभी हिदायतें नहीं मिली हैं।	
अभी अन्तिम रूप नहीं दिया	50,00		नकद ऋण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से बात चीत चल रही है	
$7\frac{1}{3}$ प्रतिशत	5,62,50	2,80,44	नहीं	..
मंत्रालय				
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	1,02,65	2,02,65	फतुआं रेलवे कम्पनी को छोड़ कर शेष लाइनों पर रेलवे प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार रेल चला रही है	..

1	2	3
		जहाजरानी और
174	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड . .	जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा दिये गये ऋणों की गारंटी
		जापान में निर्मित तेलवाहक जहाज के पूरे मूल्य के सम्बन्ध में निगम द्वारा की जाने वाली अदायगी में चूक करने के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इंडिया को क्षतिपूर्ति की गारंटी
		तिलोवो ब्रोदोग्रेडिलिस्ते, ऋल्जीविका यूगोस्लाविया [एस० वाई० 43 (1)/67 तारीख 28–2–68 से एक मोटर सहित माल (सब मौसमों में काम आने वाला] जहाज के आर्डर के सम्बन्ध में किस्तों की शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा की जाने वाली अदायगी की गारंटी
175	साउथ इण्डियन शिपिंग कारपोरेशन, मद्रास . .	मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए गारण्टी बाण्ड
176	मुगल लाइंस लिमिटेड . . .	तदेव
177	सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लि० . .	तदेव
178	दामोदर बल्क कैरियर लिमिटेड. . .	तदेव
179	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमिटेड . .	तदेव
180	सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड . . .	तदेव
181	जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड . .	कम्पनी द्वारा जापानी शिपयार्ड में निर्मित ग्यारह जहाजों के सम्बन्ध में मित्सुबिशी शिपयार्ड को दिये गये गारंटी बांडों के बारे में किये जाने वाले दावों या मांगों के बारे में स्टेट बैंक को क्षतिपूर्ति की गारंटी
182	बम्बई बन्दरगाह के न्यासी	(i) मेरीन हेवी इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, जयपुर से खरीदी गयी "शशी" नामक चलती-फिरती क्रेन के सम्बन्ध में मूलधन और ब्याज की 18 छमाही किस्तों की समय पर अदायगी
		(ii) बम्बई बन्दरगाह के लिए विस्तार और सुधार प्रायोजना
183	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	मूलधन, ब्याज और अन्य व्यय की अदायगी
184	कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्त	पहले अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों की कुल रकम के लिए प्राथमिक दायित्व (198 इन)

4	5	6	7	8
परिवहन मंत्रालय				
शून्य	10,98,00	9,77,28	नहीं	..
शून्य	14,02,84	7,41,36	नहीं	..
शून्य	..	..	नहीं	..
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	18,09,00	13,57,20	..	..
तदेव	5,37,70	4,83,93	..	..
तदेव	4,70,00	3,76,60	..	..
शून्य	7,38,99	7,38,99	..	..
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	2,26,98	2,26,98	..	..
तदेव	4,70,00	3,76,60	..	..
शून्य	27,63,70	10,26,94	..	..
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत	66,88	20,65	नहीं	..
बिना ब्याज	9,79,53	9,79,53	नहीं	..
7 प्रतिशत से $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक	4,00,00	3,52,56	शिपयार्ड से 3 करोड़ रुपये का बचनपत्र लेकर स्टेट बैंक श्राफ इण्डिया के नाम कर दिया गया	..
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक	34,69 50	28,55,28	नहीं	..

1	2	3
185	मद्रास पत्तन न्यास	मद्रास पत्तन न्यास द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास से लिये ऋण के मूलधन और ब्याज सम्बन्धी खर्च की समय पर अदायगी
	तदेव	तदेव
		(i) पत्र संख्या 13–पी०डी०आई० (27)/68 29–1–68 मद्रास बन्दरगाह के बाहरी डाक से मिट्टी निकालना
		(ii) पत्र संख्या 13–पी०डी०आई० (27)/68 25–5–68
186	विशाखापत्तनम पत्तन	150 टन की चलती-फिरती क्रेन ठेका मूल्य का 90 प्रतिशत डच ऋण के लिए
		एक बकट ह्वील रिक्लेमर की सप्लाई, निर्माण और स्थापना के लिए ठेका मूल्य के 85 प्रतिशत पश्चिम जर्मनी ऋण के लिए पत्र संख्या 17–पी०डी०आई० (46) 6/7 29–10–68
187	मार्मागोआ पत्तन न्यास	मिट्टी निकालने की मशीन "जुहारी" की खरीद के लिए नेडरलैण्चे हैण्डल मौत्सचप्पी एम वी एम्सटर्डम को दी गयी गारंटी
188	कोचीन पत्तन न्यास	पश्चिम जर्मन शिपयार्ड द्वारा सप्लाई किये गये दो जहाजों के सम्बन्ध में मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए गारंटी
		इस्पात और भारी
189	इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड .	ऋण लेने वाले और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बीच ऋण करार के अनुसार, मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभारों की अदायगी।
190	टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड .	तदेव
191	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची .	विदेशी संभरकों द्वारा मुहैया की गयी मशीनों, उपकरणों आदि के मूल्यों की अदायगी के सम्बन्ध में दी गयी गारण्टी
192	भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड . .	कोरबा एल्युमीनियम संयंत्र के लिए तकनीकी सहायता के लिए हंगरी के मैसर्स केमोकोमप्लैक्स को भारत एल्युमीनियम कम्पनी द्वारा कुल 1,44,67,000 रुपये की अदायगी के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गयी गारण्टी और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी हानि या क्षति की पूर्ति के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया को दी गयी प्रति गारण्टी
193	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा 16 करोड़ रुपये की और 4 करोड़ रुपये के लिए नकद ऋण की व्यवस्था (सी०ओ०वाई० 12(29)।65, दिनांक 29–3–68) की गारण्टी
		हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विभिन्न विदेशी करारों के अन्तर्गत देनदारियों की समय पर अदायगी की गारण्टी

4	5	6	7	8
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	7,29,80	5,31,99	नहीं	..
6 प्रतिशत	29,77	29,77	नहीं	..
$7\frac{1}{4}$ प्रतिशत	1,19,06	76,81	नहीं	..
3 प्रतिशत छमाही	99,54	99,54	नहीं	..
6 प्रतिशत	27,12	27,12	नहीं	..
$5\frac{1}{4}$ प्रतिशत	1,54,33	82,39	नहीं	..
6 प्रतिशत	95,28	17,62	नहीं	..
इंजीनियरी मंत्रालय				
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक	37,12,25	6,90,77		कम्पनी की सारी सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और भारत सरकार के पास बन्धक रखी गयी है।
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक	80,62,50	19,02,90	नहीं	..
3 प्रतिशत	12,18,98	11,16,61	नहीं	..
शून्य	1,44,67	1,24,76	नहीं	..
8 प्रतिशत	20,00,00	8,99,41	नहीं	
2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत	96,20,21	11,15,72		

1	2	3
194	मैसर्स बोलानी ग्रोर्स लिमिटेड . . .	मैसर्स बोलानी ग्रोर्स लि० द्वारा ग्रदायगी न करने की स्थिति में मूलधन और ब्याज के लिए स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, कलकत्ता को सरकार द्वारा ग्रदायगी की गारण्टी
195	मैसूर ग्रायरन ऐण्ड स्टील लिमिटेड . .	मूलधन ग्रौर ब्याज की बकाया ग्रौर समय पर ग्रदायगी की जमानत
196	बोकारो स्टील लिमिटेड . .	उपकरणों के लिए विलम्बित ग्रदायगी की गारण्टी
	तदेव	रेल भाड़े की गारण्टी
		पर्यटन ग्रौर नागर
197	एग्रर इण्डिया . . .	एग्रर इण्डिया निगम बांड 1953—58, मूलधन का परिशोधन ग्रौर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज की ग्रदायगी
	तदेव	मूलधन ग्रौर ऋणों पर ब्याज की ग्रदायगी
198	एग्रर इण्डिया . . .	भारत के राष्ट्रपति, निर्यात ग्रायात बैंक, ग्रौर संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के 13 बैंक ग्रौर बोइंग कम्पनी के बीच 5–1–68 को हुए ऋण करार के ग्रनुसार मूलधन ग्रौर ऋणों पर ब्याज की ग्रदायगी
199	इण्डियन एग्ररलाइन्स कारपोरेशन . .	$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले इण्डियन एग्ररलाइन्स कारपोरेशन के 1953—58 के बाण्डों के मूलधन की वापसी ग्रौर ऋणों की ग्रदायगी
	तदेव	हालैण्ड ग्रौर ब्रिटेन से खरीदे गये हवाई जहाजों ग्रौर फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में इण्डियन एग्रर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा सभी किस्तों की समय पर ग्रदायगी की गारण्टी
		परमाणु
200	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया, लिमिटेड	ग्रतिरिक्त कार्यचालन पूंजी को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया द्वारा कम्पनी को दिये गये 40 लाख रुपये के नकद ऋणों के परिशोधन के लिए गारंटी
		संचार
201	हिन्दुस्तान टेलीप्रिटर्स लिमिटेड	उधार माल की सप्लाई के लिए देय रकम की किस्तों के ड्राफ्टों की समय पर ग्रदायगी
202	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर	परिशोधन की शर्तों के ग्रनुसार मूलधन ग्रौर ब्याज की ग्रदायगी
		मंत्रिमण्डल सचिवालय
	भारतीय ग्रंक-संकलन संस्थान, कलकत्ता	स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया, शाम बाजार, कलकत्ता में जमा रकम से 5 लाख रुपये तक रुपया निकालने की सुविधा

4	5	6	7	8
8 प्रतिशत	40,000	17,49	कम्पनी ने नकद उधार सुविधा के लिए अपनी स्थिर परिसम्पत्ति को स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास रहन रख दिया है।	
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत	13,74,75	12,71,35	नहीं	..
ब्याज नहीं	5,34,50	4,15,81	नहीं	..
तदेव	रकम तय नहीं की गयी	10,41	नहीं	..
विमानन मंत्रालय :				
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	2,54,00	1	नहीं	..
(i) ब्याज सम्बन्धी व्यय $5\frac{3}{4}$ से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत (ii) प्रीमियम सम्बन्धी व्यय $\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष (iii) वचनबद्धता सम्बन्धी फीस $\frac{1}{2}$ प्रतिशत	36,06,33		नहीं	..
ब्याज 6 प्रतिशत (निर्यात आयात बैंक और बोइंग कम्पनी) $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत स 8 प्रतिशत तक (वाणिज्यिक बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका)	45,00,00	1,82,25	नहीं	..
$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	2,62,31	1	नहीं	..
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $7\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक	3,25,07	2,70,15	नहीं	
शक्तिविभाग				
$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत	40,00	6,87	नहीं	गारंटी, ऋण लिये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रभावकारी है।
विभाग				
6 प्रतिशत	27	18	नहीं	..
6 प्रतिशत	8	8	नहीं	..
(अंक संकलन विभाग)				
$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत	5,00	5,00	नहीं	..

GMGIPND—RS II—S/155 M. of Fin.—26-2-69—1,800.

वित्त विधेयक, 1969

(फाइनेन्स बिल, 1969 का हिन्दी अनुवाद)

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 1969

खंडों का क्रम

खंड

खंड

अध्याय 4

अन्य प्रत्यक्ष कर

अध्याय 5

अप्रत्यक्ष कर

वित्त विधेयक, 1969

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय
प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम वित्त अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) उसके सिवाय जैसा इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित है, धाराएं 2 से 25 तक 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

अध्याय 2

आयकर की दरें

2. (1) उपधाराओं (2) और (3) के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष के लिए आयकर प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और उन दशाओं में, जिनमें उस भाग के पैरा क, ख, ग और घ लागू होते हैं, उसमें संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार और उन दशाओं में जिनमें पैरा ग लागू होता है संघ के प्रयोजनार्थ विशेष अधिभार भी बढ़ा दिए जायेंगे, और जो हरएक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित किए जाएंगे। आयकर।

(2) 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष के
1956 का 31 लिए कोई निर्धारण करने में, जहां कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956

के अधीन स्थापित भारत के जीवन बीमा निगम से भिन्न कंपनी की कुल आय में जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हों वहां उसके द्वारा देय आयकर निम्नलिखित रूप से परिकलित आयकर का योग होगा:—

(i) इस प्रकार सम्मिलित जीवन बीमा कारबार से लाभों और अभिलाभों की रकम पर — भारत के जीवन बीमा निगम की दशा में प्रथम अनुसूची के भाग के 1 के पैरा ङ• के अनुसार उसकी कुल आय के उस भाग को लागू दर से जो जीवन बीमा कारबार से लाभों और अभिलाभों से बनती है; तथा

(ii) उसकी कुल आय के शेष भाग पर — उस कंपनी को उसकी कुल आय पर लागू दर से ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें कि आयकर अधिनियम, 1961 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयकर अधिनियम कहा गया है) अध्याय 12 लागू होता है, प्रभार्य कर का अवधारण उस अध्याय में उपबन्धित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा आरोपित दरों के या उस अध्याय में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा । 1961 का 43

(4) उन दशाओं में, जिनमें कि प्रवृत्त दरों से कर आयकर अधिनियम की धाराओं 193, 194, 194क और 195 के अधीन काटा जाना हो, कटौती प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कि प्रवृत्त दर या दरों से, आयकर, आयकर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (5) के प्रथम परन्तुक के अधीन परिकलित किया जाना है, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4), या धारा 174 की उपधारा (2), या धारा 175, या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है, अथवा "संबलम्" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 80 ङ• की उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी संदाय से उक्त उपधारा (9) के अधीन काटा जाना है, अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन देय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आयकर या "अग्रिम कर" प्रथम अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से ऐसे परिकलित किया जाएगा, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जायेगा ।

(6) इस धारा और प्रथम अनुसूची के प्रयोजनार्थ, —

(क) "कंपनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जैसी आयकर अधिनियम की धारा 108 में निर्दिष्ट है;

(ख) "देशीय कंपनी" से भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अधीन आयकर की दायी अपनी आय के बारे में विहित इंतजाम इस बात के लिए कर दिए हैं कि उस अधिनियम की धारा 194 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी आय में से देय लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी अंशों पर लाभांश आते हैं) घोषणा और उनका संदाय भारत में किया जाए;

(ग) "औद्योगिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो मुख्यतः विद्युत् या किसी अन्य रूप की शक्ति के उत्पादन या वितरण के कारबार में, अथवा पोतों के सन्निर्माण में, अथवा माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में, अथवा खनन में लगी हुई है।

<u>स्पष्टीकरण</u> — इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई कंपनी मुख्यतः विद्युत् या किसी अन्य रूप की शक्ति के उत्पादन या वितरण के कारबार में, अथवा पोतों के सन्निर्माण में, अथवा माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में अथवा खनन में लगी हुई समझी जाएगी, यदि उसकी पूर्व वर्ष की (आयकर अधिनियम के अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती किए बिना संगणित) कुल आय में सम्मिलित ऐसी आय, जो पूर्वोक्त क्रियाकलाप में से एक या अधिक के कारण हुई मानी जा सकती हो, ऐसी कुल आय के 51 प्रतिशत से कम न हो;

(घ) "कर-मुक्त प्रतिभूति" से केन्द्रीय सरकार की ऐसी प्रतिभूति जो आयकर-मुक्त के रूप में पुरोधृत या घोषित की गई है, अथवा आयकर-मुक्त पुरोधृत की गई राज्य सरकार की ऐसी प्रतिभूति, जिस पर आयकर राज्य सरकार द्वारा देय है, अभिप्रेत है;

(ङ) अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इस धारा में और प्रथम अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आयकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन्हें उस अधिनियम में समनुदिष्ट हैं।

अध्याय 3

आयकर

धारा 2 का संशोधन।

3. आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) में, उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) वह ऐसी कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथा-परिभाषित प्राइवेट कम्पनी नहीं है, और या तो मद (क) में या मद (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:— 1956 का 1

(क) उस कंपनी के ऐसे अंश (जो ऐसे अंश नहीं हैं जो नियत दर से लाभांश के हकदार हैं, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित हों या उससे रहित हों) सुसंगत पूर्व वर्ष के अंतिम दिन भारत में किसी मान्यता-प्राप्त स्टाक-एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीगत थे; 1956 का 42

(ख) (i) उस कंपनी के ऐसे अंश (जो ऐसे अंश नहीं हैं जो नियत दर से लाभांश के हकदार हैं, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित हों या उससे रहित हों) जो पचास प्रतिशत से अन्यून मतदान-शक्ति रखने वाले हैं,—

(क) सरकार को, अथवा

(ख) ऐसे निगम को, जो केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, अथवा

(ग) किसी ऐसी कम्पनी को, जिसको यह खण्ड लागू होता है, या ऐसी कम्पनी की किसी ऐसी समनुषंगी कंपनी को, जहां ऐसी समनुषंगी कंपनी धारा 108 के खंड (ख) में अधिकथित शर्तें पूरी करती हो (जिस समनुषंगी कंपनी को इसके पश्चात् इस खण्ड में समनुषंगी कंपनी कहा गया है), अथवा

(घ) जनता को (जो निदेशक या ऐसी कम्पनी नहीं है जिसे यह खण्ड लागू नहीं होता है),

बिना शर्त आबंटित किए गए हैं अथवा उसके द्वारा बिना

शर्त अर्जित किए गए हैं तथा सुसंगत पूर्व वर्ष भर उसके द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित थे;

(ii) उक्त अंश सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान धारक द्वारा जनता के अन्य सदस्यों को निर्बाध रूप से अन्तरणीय थे; तथा

(iii) कम्पनी के कार्यकलाप, अथवा ऐसे अंश जो उसकी कुल मतदान-शक्ति के पचास प्रतिशत से अधिक मतदान-शक्ति रखने वाले हों, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय पांच या उस से कम व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित या धारित नहीं थे ।

स्पष्टीकरण 1 — पूर्वोक्त पांच या उससे कम व्यक्तियों की संख्या की संगणना करने में,—

(i) सरकार को, या किसी ऐसे निगम को, जो केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, या ऐसी कम्पनी को, जिसे यह खण्ड लागू होता हो, या ऐसी कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी को गिनती में नहीं लिया जाएगा, तथा

(ii) वे व्यक्ति जो एक दूसरे के नातेदार हैं, और वे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम-निर्देशिती हैं उस अन्य व्यक्ति के सहित एकल व्यक्ति माने जाएंगे ।

स्पष्टीकरण 2 — किसी ऐसी भारतीय कम्पनी को, जिस का कारबार मुख्यतः पोत-सन्निर्माण अथवा माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण अथवा खनन अथवा विद्युत् या किसी अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण है, लागू होने में मद (ख) ऐसे प्रभावी होगी मानो "पचास प्रतिशत से अन्यून" और "पचास प्रतिशत से अधिक" शब्दों के स्थान पर "चालीस प्रतिशत से अन्यून" और "साठ प्रतिशत से अधिक" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों;" ।

4. आयकर अधिनियम की धारा 16 के खंड (iv) में, मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 16 का संशोधन।

"(1) जहां कि प्रवहण मोटर कार है और निर्धारिती को पूर्व वर्ष

के बारे में शोध्य संवलम् की रकम—

(क) 25,000 रु. से अधिक नहीं है 200 रु.;

(ख) 25,000 रु. से अधिक है 250 रु.;" ।

धारा 40क का संशोधन ।

5. आयकर अधिनियम की धारा 40क में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि जहां कि किसी व्यय के बारे में कोई संदाय बैंक पर लिखे गए क्रास चेक द्वारा या क्रास बैंक ड्राफ्ट द्वारा इस लिए किया जाना हो कि वह उपधारा (3) के अधीन कटौती के रूप में नामंजूर न कर दिया जाए, वहां वह संदाय ऐसे चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकेगा; और जहां कि संदाय ऐसे किया जाए या निविदत्त किया जाए वहां किसी व्यक्ति को किसी वाद या अन्य कार्यवाही में इस बात पर आधारित अभिवचन न करने दिया जाएगा कि संदाय नकदी में या किसी अन्य रीति से नहीं किया गया, या निविदत्त नहीं किया गया।" ।

धारा 80ग का संशोधन ।

6. आयकर अधिनियम की धारा 80ग में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में, जहां भी "निर्धारिती की पत्नी या पति के जीवन" शब्द आये हैं, उन के स्थान पर "निर्धारिती की पत्नी या पति या बच्चे के जीवन" शब्द 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जायेंगे;

(ii) खंड (ख) में, "कुटुम्ब के किसी पुरुष सदस्य के या ऐसे सदस्य की पत्नी के जीवन का" शब्दों के स्थान पर "कुटुम्ब के किसी सदस्य के जीवन का" शब्द 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ख) के अंत के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में "(जो निर्धारिती हो या जहां कि निर्धारिती हिंदू अविभक्त कुटुंब हो वहां उस कुटुंब का कोई सदस्य हो)" कोष्ठकों और शब्दों का 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (i) में, परंतुक का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) खंड (ii) में, "(जिसके अंतर्गत ऐसा लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ या अभिनेता आता है जिसे खंड (i) के उपबंध लागू नहीं होते हैं)" कोष्ठकों, शब्दों और अक्षर का लोप कर दिया जाएगा ।

7. आयकर अधिनियम की धारा 80ञ में,— धारा 80ञ का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) के खंड (iii) में, "तेइस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अट्ठाइस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के खंड (iii) में, "तेइस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अट्ठाइस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

8. आयकर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) में, जहां भी "पांच सौ रुपए" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर "एक हज़ार रुपए" शब्द 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जाएंगे । धारा 80ठ का संशोधन ।

9. आयकर अधिनियम की धारा 80ड के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 80डड का अंतःस्थापन ।

"80डड. (1) जहां कि ऐसे निर्धारिती की, जो भारतीय कंपनी हो, सकल कुल आय में कोई ऐसी आय सम्मिलित हो जो, उसके द्वारा भारत में कारबार करने वाले किसी व्यक्ति से, निर्धारिती द्वारा ऐसे व्यक्ति से 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन या तत्पश्चात् किए गए और सुसंगत निर्धारण-वर्ष के अक्तूबर के प्रथम दिन के पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित करार के अधीन निम्नलिखित के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त स्वामिस्व, कमीशन, फीस या अन्य संदाय (जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय न हो) के रूप में हो वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना में ऐसी आय के चालीस प्रतिशत के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी :— भारतीय कंपनी की दशा में, भारत में के किसी समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व आदि की बाबत कटौती ।

(i) तकनीकी व्यवहार-ज्ञान का उपबंध, जिसके बारे में यह संभाव्यता है कि वह माल या सामग्रियों के विनिर्माण या प्रसंस्करण में, अथवा ऐसे विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए मशीनरी या प्लांट अधिष्ठापित या खड़ा करने में, अथवा खान,

तैलकूप या खनिज-भंडार के अन्य स्रोत को चलाने में, अथवा खनिज-भंडार की तलाश या उसका पता लगाने या उसे परखने में, अथवा उस तक पहुंच अभिप्राप्त करने में, अथवा कृषि, पशु-पालन, डेरी उद्योग, कुक्कुट-पालन, वनोद्योग या मछली पकड़ने में सहायक होगा, अथवा

(ii) ऐसे तकनीकी व्यवहार-ज्ञान के उपबंध के संबंध में सेवा करना।

(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ "तकनीकी व्यवहार-ज्ञान का उपबंध" से अभिप्रेत है,—

(i) पेटेंट, उद्भावन, प्रतिमान, डिज़ायन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या तत्सदृश संपत्ति की बाबत अधिकारों में से सब का या किसी का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना आता है);

(ii) किसी पेटेंट, उद्भावन, प्रतिमान, डिज़ायन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या तत्सदृश संपत्ति को काम में लाने या उसका उपयोग करने से संबंधित कोई जानकारी देना;

(iii) किसी पेटेंट, उद्भावन, प्रतिमान, डिज़ायन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या तत्सदृश संपत्ति का उपयोग;

(iv) औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित कोई जानकारी देना।

(3) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसी आय के संबंध में लागू न होंगे जिसके बारे में निर्धारिती धारा 80ण में विनिर्दिष्ट कटौती का हकदार हो।" ।

धारा 80त का संशोधन।

10. आयकर अधिनियम की धारा 80त में, -

(क) उपधारा (2) के खंड (ग) में "पंद्रह हज़ार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हज़ार रुपए" शब्द 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) का 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन से लोप कर दिया जाएगा।

11. आयकर अधिनियम की धारा 80द के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 80दद का अंतःस्थापन।

"80दद. जहां कि भारत में निवासी ऐसे व्यष्टि की, जो लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ या अभिनेता हो, सकल कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित हो जो अपनी वृत्ति को करने में उसे किसी विदेशी राज्य की सरकार से या भारत में अनिवासी व्यक्ति से व्युत्पन्न हुई हो और ऐसी आय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 तथा तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार उसके द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त की या लाई जाए, वहां ऐसी आय में से इस प्रकार प्राप्त की या लाई गई आय के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती उस व्यष्टि की कुल आय की संगणना में अनुज्ञात की जाएगी।"

विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के बारे में कतिपय दशाओं में कटौती।

1947 का 7

12. आयकर अधिनियम की धारा 208 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 208 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"208. (1) अग्रिम कर वित्तीय वर्ष के दौरान वहां देय होगा— अग्रिम कर देने के दायित्व की शर्त।

(क) जहां कि पूंजी अभिलाभों को छोड़ कर, निर्धारिती की, धारा 209 के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट कुल आय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, अथवा

(ख) जहां कि वह धारा 212 की उपधारा (3) के उपबंधों के आधार पर देय हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट रकम—

(क) कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में 2,500 रुपए होगी;

(ख) रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में 30,000 रुपए होगी;

(ग) कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकृत फर्म से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—

(i) जहां कि ऐसा व्यक्ति धारा 209 के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पूर्व वर्ष के

दौरान भारत में निवासी नहीं था, या ऐसा व्यक्ति धारा 212 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति होते हुए यह संभाव्य न हो कि वह जिस वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर देय है उसके निकट आगामी निर्धारण-वर्ष के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान भारत में निवासी होगा वहां, 5,000 रुपए होगी;

(ii) किसी अन्य दशा में, 10,000 रुपए होगी।"।

धारा 209 का संशोधन।

13. आयकर अधिनियम की धारा 209 में,—

(क) खंड (क) के उपखंड (iii) में, "उक्त कुल आय में सम्मिलित किसी आय पर" शब्दों के स्थान पर "(इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई कटौतियां अनुज्ञात करने के पूर्व यथा संगणित) ऐसी कुल आय पर, जिस पर कर काटा जाना उक्त धाराओं के अधीन अपेक्षित हो और उक्त कुल आय की संगणना करने में जिस पर विचार किया गया हो" कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ग) में, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 210 का संशोधन।

14. आयकर अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (3) में, "उस वित्तीय वर्ष की फरवरी के पंद्रहवें दिन के पूर्व" शब्दों के स्थान पर "उस तारीख से, जब धारा 211 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम कर की अंतिम किस्त निर्धारिती द्वारा शोध्य हो, पंद्रह दिन पहले की तारीख के पूर्व किसी समय" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 211 का संशोधन।

15. आयकर अधिनियम की धारा 211 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस धारा के तथा धारा 212 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि अग्रिम कर वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित तारीखों में से हर एक को तीन बराबर किस्तों में देय होगा, अर्थात्:—

(i) ऐसे निर्धारिती की दशा में जिसकी कुल आय उसके

75 प्रतिशत या अधिक तक, ऐसे स्रोत या स्रोतों से व्युत्पन्न होती है जिसके या जिनके लिए (पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष के निकट आगामी निर्धारण-वर्ष के लिए सुसंगत) पूर्व वर्ष दिसम्बर के इकत्तीसवें दिन या उसके पूर्व समाप्त होता है — जून का पंद्रहवां दिन, सितंबर का पंद्रहवा दिन और दिसम्बर का पंद्रहवां दिन;

(ii) किसी अन्य दशा में — सितंबर का पंद्रहवां दिन, दिसंबर का पंद्रहवां दिन और मार्च का पंद्रहवां दिन।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में "कुल आय" से अभिप्रेत है,—

(क) उस दशा में जब कि अग्रिम कर निर्धारिती द्वारा आयकर अधिकारी के धारा 210 के अधीन आदेश के अनुसार दिया जाता है—उस कुल आय में से, जिसके प्रति निर्देश से देय अग्रिम कर का परिकलन उस आदेश में किया गया है, उसमें सम्मिलित पूंजी अभिलाभों को, यदि कोई हों, घटा कर शेष रकम ;

(ख) उस दशा में जब कि अग्रिम कर निर्धारिती द्वारा धारा 212 के अधीन किए गए प्राक्कलन के अनुसार दिया जाता है, उस कुल आय में से, जिसके प्रति निर्देश से अग्रिम कर का ऐसा प्राक्कलन किया जाता है, उसमें सम्मिलित पूंजी अभिलाभों को यदि कोई हों, घटा कर शेष रकम।";

(ख) उपधारा (2) में, "मार्च के प्रथम दिन" तथा "दिसंबर के प्रथम दिन" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "मार्च के पंद्रहवें दिन" और "दिसंबर के पंद्रहवें दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

16. आयकर अधिनियम की धारा 212 में,— धारा 212 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(1) यदि कोई निर्धारिती, जिससे धारा 210 के अधीन आदेश द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह अग्रिम कर दे, उसकी दशा में अग्रिम कर की अंतिम किस्त शोध्य होने के पूर्व किसी

समय, यह प्राक्कलन करे कि उसके द्वारा देय अग्रिम कर, उसकी, उस कालावधि की, जो अव्यवहित आगामी निर्धारण-वर्ष के लिए पूर्व वर्ष होगी, (पूंजी अभिलाभों को, यदि कोई हों, छोड़ कर) कुल आय (जिस कुल आय को इसके पश्चात् इस धारा में चालूवर्षीय आय कहा गया है) उस आय से, जिस पर उसके द्वारा धारा 210 के अधीन देय अग्रिम कर की संगणना की गई है, कम होने की संभाव्यता के कारण, या किसी अन्य कारण से, उस रकम से कम होगा जिसे देना उससे ऐसे अपेक्षित है, तो वह आयकर अधिकारी को —

(i) चालूवर्षीय आय, तथा

(ii) चालूवर्षीय आय पर, धारा 209 में अधिकथित रीति से परिकलित अपने द्वारा देय अग्रिम कर,

का एक प्राक्कलन स्वविकल्प से भेज सकेगा और अग्रिम कर की ऐसी रकम, जो उसके प्राक्कलन के अनुसार हो, उसकी दशा में धारा 211 के अधीन लागू तारीखों में से उन तारीखों को, जो अवसित न हुई हों, या यदि ऐसी तारीखों में से केवल अन्तिम अवसित न हुई हो तो एकमुश्त, देगा।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) कोई व्यक्ति, जिसका इस अधिनियम के अधीन या इंडियन इनकम टेक्स ऐक्ट, 1922 के अधीन नियमित निर्धारण के रूप में निर्धारण पहले न किया गया हो, उस दशा में जब कि संभाव्यता यह हो कि उसकी चालूवर्षीय आय धारा 208 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक होगी, हर एक वित्तीय वर्ष में उस तारीख के पूर्व जब उसकी दशा में अग्रिम कर की अंतिम किस्त धारा 211 की उपधारा (1) के अधीन शोध्य हो, आयकर अधिकारी को— 1922 का 11

(i) चालूवर्षीय आय, तथा

(ii) चालूवर्षीय आय पर, धारा 209 में अधिकथित रीति से परिकलित अपने द्वारा देय अग्रिम कर,

का एक प्राक्कलन भेजेगा, और अग्रिम कर की ऐसी रकम जो

उसके प्राक्कलन के अनुसार हो, उसकी दशा में धारा 211 के अधीन लागू तारीखों में से उन तारीखों को, जो अवसित न हुई हों, किस्तों में देगा, जिनका पुनरीक्षण उपधारा (2) के अनुसार किया जा सकेगा।

(3क) ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिससे धारा 210 के अधीन आदेश द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह अग्रिम कर दे, यदि, चालूवर्षीय आय पर (जिसका प्राक्कलन निर्धारिती द्वारा किया जाएगा) धारा 209 में अधिकथित रीति से संगणित अग्रिम कर की रकम, उसकी चालूवर्षीय आय उस आय से जिस पर उसके द्वारा धारा 210 के अधीन देय अग्रिम कर की संगणना की गई हो, अधिक होने की संभाव्यता के कारण या किसी अन्य कारण से अग्रिम कर की उस रकम की तुलना में, जिसकी मांग उससे धारा 210 के अधीन की गई हो, उसके $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक अधिक हो, तो वह उस तारीख के, जब अग्रिम कर की अंतिम किस्त उसके द्वारा शोध्य हो, पूर्व किसी समय, आयकर अधिकारी को —

(i) चालूवर्षीय आय, तथा

(ii) चालूवर्षीय आय पर, धारा 209 में अधिकथित रीति से परिकलित अपने द्वारा देय अग्रिम कर,

का एक प्राक्कलन भेजेगा, और अग्रिम कर की ऐसी रकम, जो उसके प्राक्कलन के अनुसार हो, उसकी दशा में धारा 211 के अधीन लागू तारीखों में से उन तारीखों को, जो अवसित न हुई हों, किस्तों में देगा, जिनका पुनरीक्षण उपधारा (2) के अनुसार किया जा सकेगा।"

17. आयकर अधिनियम की धारा 213 में, "त्रिमासिक" शब्द का लोप कर दिया जाएगा। — धारा 213 का संशोधन।

18. आयकर अधिनियम की धारा 215 में, — — धारा 215 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारिती ने धारा 212 के अधीन अग्रिम कर स्वयं अपने प्राक्कलन के

आधार पर दिया हो, और इस प्रकार दिया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम हो, वहां उक्त वित्तीय वर्ष के निकट आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से लगाकर नियमित निर्धारण की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सादा ब्याज निर्धारिती द्वारा उतनी रकम पर देय होगा जितना कि इस प्रकार दिया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम हो।";

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) में "उक्त पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "निर्धारित कर" शब्द 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) इस धारा में और धाराओं 217 तथा 273 में, "निर्धारित कर" से नियमित निर्धारण के आधार पर अवधारित कर (उसमें से धाराओं 192 से 194 तक, धारा 194क और धारा 195 के उपबंधों के अनुसार कटौती योग्य कर की रकम घटा कर), वहां तक अभिप्रेत है जहां तक कि ऐसा कर अग्रिम कर के अध्यधीन आय के संबंध में हो और जहां तक कि वह उस वर्ष के लिए जिसके लिए नियमित निर्धारण किया जाए, अधिनियमित वित्त अधिनियम द्वारा किए गए दरों में परिवर्तन के कारण न हो।"।

धारा 216 का संशोधन। 19. आयकर अधिनियम की धारा 216 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(क) अपने द्वारा देय अग्रिम कर का धारा 212 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (3क) के अधीन न्यून-प्राक्कलन किया है और इस प्रकार उस रकम को घटा दिया है जो पहली दो किस्तों में से किसी में देय थी; अथवा"।

धारा 217 का संशोधन। 20. आयकर अधिनियम की धारा 217 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) जहां कि नियमित निर्धारण करने पर आयकर अधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि धारा 212 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी व्यक्ति ने उसमें निर्दिष्ट प्राक्कलन नहीं भेजा है, वहां उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अग्रिम कर उक्त उपधारा के अनुसार देय था, निकट आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से लगाकर नियमित निर्धारण की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सादा ब्याज निर्धारिती द्वारा उस रकम पर देय होगा जो धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर के बराबर हो ।

(1क) जहां कि नियमित निर्धारण करने पर आयकर अधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि धारा 212 की उपधारा (3क) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी व्यक्ति ने उसमें निर्दिष्ट प्राक्कलन नहीं भेजा है, वहां उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अग्रिम कर उक्त उपधारा के अनुसार देय था, निकट आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से लगाकर नियमित निर्धारण की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सादा ब्याज निर्धारिती द्वारा उतनी रकम पर देय होगा जितना कि उसके द्वारा दिया गया अग्रिम कर धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर से कम हो ।"।

धारा 218 का संशोधन ।

21. आयकर अधिनियम की धारा 218 की उपधारा (2) में, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 273 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

22. आयकर अधिनियम की धारा 273 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अग्रिम कर का मिथ्या प्राक्कलन या अग्रिम कर देने में असफलता ।

"273. यदि 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारंभ होने वाले निर्धारण-वर्ष के लिए या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण-वर्ष के लिए नियमित निर्धारण से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आयकर अधिकारी का समाधान हो जाए कि—

(क) किसी निर्धारिती ने धारा 212 के अधीन, अपने द्वारा देय अग्रिम कर का ऐसा प्राक्कलन दिया है जिसके बारे में वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह मिथ्या है, अथवा

(ख) कोई निर्धारिती धारा 212 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार अपने द्वारा देय अग्रिम कर का प्राक्कलन देने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहा है, अथवा

(ग) कोई निर्धारिती धारा 212 की उपधारा (3क) के उपबंधों के अनुसार अपने द्वारा देय अग्रिम कर का प्राक्कलन देने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहा है,

तो वह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति अपने द्वारा देय कर की रकम के, यदि कोई हो, अतिरिक्त शास्ति के रूप में एक राशि देगा,—

(i) जो खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में, उतनी रकम के दस प्रतिशत से कम या ड्योढ़े से अधिक न होगी, जितना कि निर्धारण-वर्ष के अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अध्याय 17-ग के उपबंधों के अधीन वस्तुत: दिया गया कर, निम्नलिखित में से जो भी कम हो उससे कम हो, अर्थात् :—

(1) धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर का पचहत्तर प्रतिशत, अथवा

(2) जहां कि निर्धारिती को धारा 210 के अधीन सूचना दी गई हो वहां तदधीन देय रकम;

(ii) जो खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत के दस प्रतिशत से कम या ड्योढ़े से अधिक न होगी; तथा

(iii) जो खंड (ग) में निर्दिष्ट दशा में, उतनी रकम के दस प्रतिशत से कम या उसके ड्योढ़े से अधिक न होगी, जितना कि धारा 210 के अधीन निर्धारिती को दी गई सूचना के अधीन देय कर धारा 215 की उपधारा (5) में यथापरिभाषित निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम हो ।"।

पांचवीं अनुसूची का संशोधन ।

23. आयकर अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में, मद 31 के पश्चात् निम्नलिखित मदें 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"32. वस्त्र (जिनके अंतर्गत रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत वस्त्र आते हैं) जो पूर्णत: या मुख्यत: सूत के बने हों, जिनके अंतर्गत सूती धागा, होज़री और रस्सी आती हैं।

33. वस्त्र (जिनके अंतर्गत रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत वस्त्र आते हैं) जो पूर्णत: या मुख्यतः पटसन के बने हों, जिनके अंतर्गत पटसन की डोरी और पटसन की रस्सी आती हैं।"

अध्याय 4

अन्य प्रत्यक्ष कर

24. धन-कर अधिनियम, 1957 में, — 1957 के अधिनियम सं. 27 का संशोधन।

(क) धारा 2 में, खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

'(ङ) 'अस्तियों' के अंतर्गत हर प्रकार की जंगम या स्थावर संपत्ति आती है, किन्तु —

(1) 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारंभ होने वाले निर्धारण-वर्ष या उससे पूर्व के निर्धारण-वर्ष के संबंध में निम्नलिखित उसके अंतर्गत नहीं आते हैं: —

(i) कृषि-भूमि और ऐसी भूमि पर की उगती हुई फसलें, घास या खड़े वृक्ष;

(ii) कृषि-भूमि के कृषक या कृषि-भूमि से भाटक या राजस्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व या अधिभोग में का कोई भवन:

परन्तु यह तब जब कि भवन उस भूमि पर या उसके अव्यवहित सामीप्य में हो और ऐसा भवन हो जिसकी निवासगृह या भांडागार या उपगृह के रूप में अपेक्षा उस कृषक अथवा भाटक या राजस्व के प्रापक को उस के उस भूमि से संबंध के कारण हो;

(iii) जीव-जन्तु;

(iv) किसी वार्षिकी का अधिकार, उस दशा में जब कि तत्संबंधी निबंधन और शर्तें उसके किसी भी प्रभाग का एकमुश्त अनुदान के रूप में संराशिकरण प्रवारित करती हों;

(v) सम्पत्ति में कोई हित, उस दशा में जब कि वह हित निर्धारिती को, उसके उसमें

निहित होने की तारीख से छह से अनधिक वर्षों की कालवधि के लिए उपलभ्य हो ;

(2) 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के संबंध में निम्नलिखित इसके अंतर्गत नहीं आते हैं : —

(i) जीव-जन्तु ;

(ii) किसी वार्षिकी का अधिकार, उस दशा में जब कि तत्सम्बन्धी निबंधन और शर्तें उसके किसी भी प्रभाग का एकमुश्त अनुदान के रूप में संराशिकरण प्रवारित करती हों ;

(iii) संपत्ति में कोई हित, उस दशा में जब कि वह हित निर्धारिती को, उसके उसमें निहित होने की तारीख से छह से अनधिक वर्षों के लिए उपलभ्य हो ; " ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) में, -

(i) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: —

"(viii क) कृषि-भूमि पर की उगती हुई फसलें (जिनके अंतर्गत वृक्षों पर के फल आते हैं) और ऐसी भूमि पर की घास ;"

(ii) खंड (ix) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित खंड और स्पष्टीकरण 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को और से प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : —

" (ix) औज़ार, उपकरण और उपस्कर, जिनका निर्धारिती द्वारा उपयोग कृषि-भूमि पर कृषि करने या उसके संरक्षण, सुधार या अनुरक्षण के लिए, अथवा ऐसी भूमि पर कोई कृषिक या उद्यानकृषिक उत्पाद उगाने या काटने के लिए किया जाता है; "

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनार्थ औज़ार, उपकरण और उपस्कर के अंतर्गत ऐसा प्लांट या मशीनरी नहीं

आती है जिसका उपयोग चाय या अन्य बागान में किसी कृषिक उत्पाद को प्रसंस्कृत करने के संसंग में या ऐसे उत्पाद से किसी वस्तु का विनिर्माण करने में किया जाता है;";

(ग) धारा 18 की उपधारा (1) में खंड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड और स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशाओं में — उसके द्वारा देय धन-कर की रकम, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, हर ऐसे मास के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहा, एक राशि जो, यथास्थिति, धारा 16 के अधीन निर्धारित शुद्ध धन के, अथवा धारा 17 के अधीन निर्धारित शुद्ध धन में से धारा 16 या धारा 17 के अधीन पहले निर्धारित शुद्ध धन, यदि कोई हो, घटाकर शेष के, आधे प्रतिशत के बराबर होगी, किन्तु कुल मिलाकर उस रकम से अधिक न होगी जो, यथास्थिति, धारा 16 के अधीन निर्धारित शुद्ध धन के या धारा 17 के अधीन निर्धारित शुद्ध धन के यथापूर्वोक्त शेष के बराबर हो;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशाओं में — उसके द्वारा देय धन-कर की रकम के अतिरिक्त एक राशि जो निर्धारित शुद्ध धन के एक प्रतिशत से कम न होगी और निर्धारित शुद्ध धन से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण — यथास्थिति, धारा 16 के अधीन निर्धारित शुद्ध धन में से वह शुद्ध धन, जो उस व्यक्ति द्वारा दी गई विवरणी में, यदि कोई हो, घोषित हो, घटाकर शेष को, या धारा 17 के अधीन निर्धारित शुद्ध धन में से —

(i) पहले धारा 16 या धारा 17 के अधीन निर्धारित शुद्ध धन, यदि कोई हो, अथवा

(ii) धारा 17 के अधीन दी गई विवरणी में, यदि कोई हो, घोषित शुद्ध धन,

जो भी अधिक हो, घटाकर शेष को खंड (ii) के प्रयोजनार्थ निर्धारित शुद्ध धन माना जाएगा;'।

1964 के अधिनियम सं0 7 का संशोधन ।

25. कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की तृतीय अनुसूची में परंतुक का लोप कर दिया जाएगा ।

अध्याय 5

अप्रत्यक्ष कर

1934 के अधिनियम सं0 32 का संशोधन ।

26. भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् टैरिफ अधिनियम कहा गया है), —

(क) धारा 2क में, —

(i) उपधारा (1) के नीचे के स्पष्टीकरण में, "इस उपधारा और उपधारा (1क) में" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर "इस धारा में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि लोकहित में यह आवश्यक है कि किसी आयातित वस्तु पर (चाहे उस वस्तु पर उपधारा (1) के अधीन शुल्क उद्ग्रहणीय हो या नहीं) ऐसा अतिरिक्त शुल्क उद्गृहीत किया जाए जो उस वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग मे लाई गई कच्ची सामग्री, संघटकों और अवयवों की ही प्रकृति की या तत्सदृश कच्ची सामग्री, संघटकों और अवयवों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का प्रतिसंतुलन करे, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसी आयातित वस्तु ऐसे अतिरिक्त शुल्क की भी दायी होगी जो ऐसी कच्ची सामग्री, संघटकों और अवयवों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के ऐसे प्रभाग के रूप में हो जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित किया जाए ।";

(ख) प्रथम अनुसूची उस रीति से संशोधित की जाएगी जो द्वितीय अनुसूची के भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट है ।

विशेष सीमा-शुल्क ।

27. (1) उस सीमा-शुल्क से प्रभार्य माल की दशा में जो टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, या किसी पश्चात्वर्ती केन्द्रीय अधिनियम (यदि कोई हो) द्वारा यथासंशोधित उस अनुसूची में, या केन्द्रीय सरकार की किसी तत्समय प्रवृत्त

अधिसूचना के साथ पठित उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, इस प्रकार प्रभार्य कुल रकम के अतिरिक्त और उसी की रीति से एक विशेष सीमा-शुल्क, जो ऐसी रकम के दस प्रतिशत के बराबर होगा, उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा :

परन्तु इस प्रकार प्रभार्य कुल रकम की संगणना करने में टैरिफ अधिनियम की धारा 2क या इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन प्रभार्य शुल्क को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1), उन बातों के बारे में के सिवाय जिन्हें उसके ऐसे प्रभावहीन होने के पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, 1970 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी; और ऐसे
1897 का 10 प्रभावहीन होने पर साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे लागू होगी मानो उक्त उपधारा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा तब निरसित की गई हो ।

28. (1) आयात को विनियमित करने या उसमें अधिक मितव्ययिता लाने की दृष्टि से एक विनियामक सीमा-शुल्क उस तारीख को और से और उस दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में या किसी पश्चात्वर्ती केन्द्रीय अधिनियम (यदि कोई हो) द्वारा यथा संशोधित उस अनुसूची में वर्णित सब माल पर या उसमें से किसी पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जो निम्नलिखित में जो भी अधिक हो, उससे अधिक न होगा— विनियामक सीमा-शुल्क।

(क) टैरिफ अधिनियम की धारा 3क या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर (यदि कोई हो) का 25 प्रतिशत; अथवा

1962 का 52 (ख) माल के सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मूल्य का 10 प्रतिशत:

परन्तु विभिन्न किस्मों के माल के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न तारीखें और विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(2) उपधारा (1), उन बातों के बारे में के सिवाय जिन्हें उसके ऐसे प्रभावहीन होने के पूर्व किया गया हो करने का लोप किया गया हो, 1970 की मई के 15वें दिन के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी; और ऐसे प्रभावहीन होने पर
1897 का 10 साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे लागू होगी मानो उक्त उपधारा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा तब निरसित की गई हो ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल के बारे में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय विनियामक सीमा-शुल्क ऐसे माल पर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन प्रभार्य किसी भी सीमा-शुल्क के अतिरिक्त होगा । 1962 का 52

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के और तदधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत प्रतिदायों और शुल्कों से छूटों से सम्बन्धित उपबन्ध आते हैं, किसी माल के बारे में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय विनियामक सीमा-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में यथाशक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे ऐसे माल पर उस अधिनियम या उन नियमों और विनियमों के अधीन सीमा-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं । 1962 का 52

(5) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के हरएक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

1949 के अधिनियम सं० 1 का संशोधन ।

29. भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1949 की धाराओं 4 और 5 में अंक "1969" के स्थान पर अंक "1970" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

1944 के अधिनियम सं० 1 का संशोधन ।

30. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है), प्रथम अनुसूची में,—

(i) मद सं० 1 में उपमद (1) और (2) के सामने की तीसरे स्तंभ की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: "मूल्य का उन्नीस प्रतिशत" और "मूल्य का दस प्रतिशत" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(ii) मद सं० 1क में, उपमद (2) के सामने की द्वितीय स्तंभ की प्रविष्टि में "चाकलेट" शब्द के पश्चात् "जो प्रपुंज में हों या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) मद सं० 1क के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"1ख. तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्य जो एकक आधानों में रखे गए हों और मामूली तौर पर विक्रय के लिए आशयित हों, जिनके अंतर्गत शाकों, फलों, दूध धान्यों, आटा, स्टार्च, पक्षियों के अंडों, मांस,	मूल्य का दस प्रतिशत ।";

मांस-क्षेप, जीव-जंतु के रुधिर, मछली, क्रस्टेसियन या मोलस्क से तैयार की गई वस्तुएं आती हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं

(iv) मद सं0 4 में, "2 विनिर्मित तम्बाकू—" के नीचे उपमद (2) के सामने की तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का एक सौ पच्चीस प्रतिशत" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(v) मद सं0 6 में, तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर "सेंटीग्रेड थर्मामीटर की पंद्रह डिग्री पर प्रति किलोलिटर पर छह सौ पच्चीस रुपये" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(vi) मद सं0 13 में, तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का दस प्रतिशत" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(vii) मद सं0 14क में, तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का पांच प्रतिशत" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) मद सं0 14ख के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"14ख. कास्टिक सोडा, चाहे वह घन रूप में हो या घोल रूप में	मूल्य का पांच प्रतिशत।";

(ix) मद सं0 14खख में, तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का पच्चीस प्रतिशत" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) मद सं0 14ज के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"14जज. सब प्रकार के उर्वरक, किन्तु अन्य प्राकृतिक पशु या वनस्पति उर्वरकों को जब वे रासायनिक प्रक्रियाकृत न हों छोड़ कर	मूल्य का दस प्रतिशत।";

(xi) मद सं0 15 में, —

(i) उपमद I (1) और I (2) के सामने की तीसरे स्तंभ की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: "मूल्य का साढ़े छह प्रतिशत" और "मूल्य का साढ़े नौ प्रतिशत" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ii) उपमद II के स्थान पर निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

II. साबुन, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया गर्म करने के लिए वाष्प या शक्ति की सहायता से न की गई हो	मूल्य का साढ़े छह प्रतिशत ।";

(xii) मद सं0 19 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"19. सूती फेब्रिक —

'सूती फेब्रिक' से सब किस्मों के फेब्रिक अभिप्रेत हैं जो या तो पूर्णत: या भागत: सूत से विनिर्मित हैं और इनके अंतर्गत धोतियां, साड़ियां, चादरें, पलंगपोश, पलंग के आवरक, खिड़की के पर्दे, मेजपोश, कसीदा जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में हो, और फेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हों, आते हैं किन्तु ऐसा कोई फेब्रिक तब नहीं आता है जब उसमें—

(i) ऊन भार का 40 प्रतिशत या अधिक हो;

(ii) रेशम भार का 40 प्रतिशत या अधिक हो; अथवा

(iii) रेयन या कृत्रिम भार का 60 प्रतिशत या अधिक हो :

परंतु टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा तथा

सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित फेब्रिक की दशा में, ऊपर (i) से (iii) तक निर्दिष्ट प्रतिशत आधारिक फेब्रिक के, यथास्थिति, जिन पर कसीदा किया गया है या जिन्हें गर्भित या विलेपित किया गया है, संबंध में होगा;

I. सूती फेब्रिक, जो (i) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा तथा (ii) सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों से गर्भित या विलेपित फेब्रिक से भिन्न हैं,—

(1) कोट का कपड़ा, सूट का कपड़ा, टसर, लट्ठा, गेवर्डीन, बेड-फोर्ड, साटन, दनिम, लपेट, लेस, बुना फेब्रिक, टेपस्ट्री, फर्निशिंग फेब्रिक, जिसके अंतर्गत जकर्द पर्दों का कपड़ा, गदलपेट, गद्दे का फेब्रिक, टेरी तौलिया, जिसके अंतर्गत तुर्की तौलिया आती है, टेरी तौलिया का कपड़ा, जिसके अंतर्गत तुर्की तौलिया का कपड़ा आता है, कम्बल, किरमिच, डक, फिल्टर कपड़ा, ड्रेसिंग कपड़ा और बकरम कपड़ा	मूल्य का साढ़े बारह प्रतिशत।
(2) अन्य—	
(क) सूती फेब्रिक—सुपरफाइन, अर्थात् वे	अस्सी पैसे प्रति वर्ग मीटर।

फेब्रिक जिनमें लगे धागे का औसत काउंट 48 स0 या अधिक होता है	
(ख) सूती फेब्रिक— फाइन, अर्थात् वे फेब्रिक जिनमें लगे धागे का औसत काउंट 35 स0 या अधिक किंतु 48 स0 से कम होता है	अस्सी पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(ग) सूती फेब्रिक— मध्यम-क, अर्थात् वे फेब्रिक जिनमें लगे धागे का औसत काउंट 26 स0 या अधिक किंतु 35 स0 से कम होता है	साठ पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(घ) सूती फेब्रिक— मध्यम-ख, अर्थात् वे फेब्रिक जिनमें लगे धागे का औसत काउंट 17 स0 या अधिक किंतु 26 स0 से कम होता है	साठ पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(ङ.) सूती फेब्रिक— मोटे, अर्थात् वे फेब्रिक जिनमें लगे धागे का औसत काउंट 17 स0 से कम होता है	साठ पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(च) सूती फेब्रिक जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	अस्सी पैसे प्रति वर्ग मीटर।
II. टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली	आधारिक फेब्रिक पर तत्समय उद्-ग्रहणीय शुल्क,

तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	यदि वह न दिया गया हो, + मूल्य का बीस प्रतिशत।
III. सूती फेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हैं	आधारिक फेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो, + मूल्य का पच्चीस प्रतिशत।

<u>स्पष्टीकरण I</u> — 'आधारिक फेब्रिक' से इस मद की उपमद I के अंतर्गत आने वाले ऐसे फेब्रिक अभिप्रेत हैं जिन पर कसीदा की प्रक्रिया की गई है या जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हैं।

<u>स्पष्टीकरण II</u> — 'काउंट' से ग्रे धागे का काउंट अभिप्रेत है।

<u>स्पष्टीकरण III</u> — धागे का औसत काउंट अवधारित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) किनारों या छोरों पर उपयोग में लाया गया धागा छोड़ दिया जाएगा;

(ख) बहुवलित धागे के लिए आधारिक इकहरे धागे का काउंट देखा जाएगा और, यथास्थिति, रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में जितने सिरे हों

या प्रति 25.4 मिलीमीटर में जितने पिक हों उनमें धागे की प्लाइयों का गुणा कर दिया जाएगा;

(ग) सूती तथा अन्य धागे से विनिर्मित फेब्रिक की दशा में अन्य धागा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सूती धागा समझा जाएगा;

(घ) औसत काउंट निम्नलिखित सूत्र को लगा कर निकाला जाएगा, अर्थात्: —

(ताने का काउंट X रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की संख्या) + (बाने का काउंट X प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या)

(रीड में प्रति 25.4 मिलीमीटर में सिरों की संख्या) + (प्रति 25.4 मिलीमीटर में पिकों की संख्या),

जहां भी आवश्यक हो, फल को निकटतम पूर्णांक तक इस प्रकार ले जाया जाएगा कि आधे या अधिक के भिन्न को एक माना जाए और आधे से कम के भिन्न को छोड़ दिया जाए।";

(xiii) मद सं0 20 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

"20. रेशमी फेब्रिक —

'रेशमी फेब्रिक' से सब किस्मों के फेब्रिक अभिप्रेत हैं जो या तो पूर्णत: या भागत: रेशम से विनिर्मित हैं और इनके अंतर्गत टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा आता है किन्तु ऐसा कोई फेब्रिक तब नहीं आता है जब —

(i) उसमें ऊन भार का 40 प्रतिशत या अधिक हो;

(ii) उसमें सूत या कृत्रिम रेशम या दोनों हों और रेशम भार के 40 प्रतिशत से कम हो;

(iii) उसमें न सूत हो न कृत्रिम रेशम, तथा रेशम भार के 40 प्रतिशत से कम हो; अथवा

(iv) वह हथकरघे पर विनिर्मित हो:

परन्तु टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा की दशा में, ऊपर (i) से (iv) तक निर्दिष्ट प्रतिशत आधारिक फेब्रिक के, जिन पर कसीदा किया गया है, संबंध में होगा —

(1) रेशमी फेब्रिक, जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा से भिन्न हैं	36 पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(2) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	आधारिक फेब्रिक पर तत्समय उद्-ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो, + मूल्य का बीस प्रतिशत।

स्पष्टीकरण —'आधारिक फेब्रिक' से उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले ऐसे फेब्रिक अभिप्रेत हैं जिन पर कसीदा की प्रक्रिया की गई है।";

(xiv) मद सं0 21 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"21. ऊनी फेब्रिक —

'ऊनी फेब्रिक' से सब किस्मों के फेब्रिक अभिप्रेत हैं जो पूर्णतः ऊन से विनिर्मित हैं या जिनमें भार का 40 प्रतिशत या अधिक ऊन है और इनके अंतर्गत कंबल, लोई, रग, शाल और टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा आते हैं :

परंतु टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा की दशा में, ऊपर निर्दिष्ट प्रतिशत आधारिक फेब्रिक के, जिन पर कसीदा किया गया है, संबंध में होगा —

(1) ऊनी फेब्रिक, जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा से भिन्न हैं	मूल्य का सवा छह प्रतिशत ।
(2) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	आधारिक फेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह दिया न गया हो, + मूल्य का बीस प्रतिशत ।

<u>स्पष्टीकरण</u> — 'आधारिक फेब्रिक' से इस मद की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले ऐसे फेब्रिक अभिप्रेत हैं जिन पर कसीदा की प्रक्रिया की गई है ।";

(xv) मद सं0 22 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"22. <u>रेयन या कृत्रिम रेशम के फेब्रिक</u> —

'रेयन या कृत्रिम रेशम के फेब्रिक' से सब किस्मों के फेब्रिक अभिप्रेत हैं जो या तो पूर्णतः या भागतः रेयन या कृत्रिम रेशम से विनिर्मित हैं और इनके अंतर्गत टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा और फेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हों, आते हैं किंतु ऐसा कोई फेब्रिक तब नहीं आता है —

(i) जब उसमें ऊन भार का 40 प्रतिशत या अधिक हो;

(ii) जब उसमें रेशम भार का 40 प्रतिशत या अधिक हो;

(iii) जब उसमें सूत हो तथा रेशम या कृत्रिम रेशम भार के 60 प्रतिशत से कम हो;

(iv) जब उसमें सूत न हो और ऊन भार के 40 प्रतिशत से कम हो तथा रेयन या कृत्रिम रेशम भार के 40 प्रतिशत से कम हो:

परंतु टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, तथा सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित फेब्रिक की दशा में, ऊपर (i) से (iv) तक निर्दिष्ट प्रतिशत, आधारिक फेब्रिक के, यथास्थिति, जिन पर कसीदा किया गया है या जिन्हें गर्भित या विलेपित किया गया है, संबंध में होगा —

(1) रेयन या कृत्रिम रेशम के फेब्रिक, जो (i) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा तथा (ii) सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित फेब्रिक से भिन्न हैं	सात पैसे प्रति वर्ग मीटर ।

(2) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	आधारिक फेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह दिया न गया हो, + मूल्य का बीस प्रतिशत ।
(3) फेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हैं	आधारिक फेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो, + मूल्य का पच्चीस प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण — 'आधारिक फेब्रिक' से इस मद की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले ऐसे फेब्रिक अभिप्रेत हैं जिन पर कसीदा की प्रक्रिया की गई है या जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हैं ।";

(xvi) मद सं0 22क में, उपमदों (i) और (ii) के सामने की तीसरे स्तंभ की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "पांच सौ पचास रुपये प्रति मीटरी टन" तथा "तीन सौ पचास रुपये प्रति मीटरी टन" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xvii) मद सं0 22ख के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"22ख. टेक्सटाइल फेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हैं, और जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं	मूल्य का पच्चीस प्रतिशत ।";

(xviii) मद सं0 22ग का लोप कर दिया जाएगा;

(xix) मद सं0 23 में, तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का इक्कीस प्रतिशत" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xx) मद सं0 26क में, उपमद (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) तार के सरिए, तार की छड़ें और ढली वस्तुएं, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	एक हजार पांच सौ रुपये प्रति मीटरी टन।";

(xxi) मद सं0 27 में, उपमद (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(कक) तार के सरिए, तार की छड़ें और ढली वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	नौ सौ पचास रुपये प्रति मीटरी टन।";

(xxii) मद सं0 30 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"30क. द्रवों के लिए शक्ति चालित पंप (जिनके अंतर्गत मोटर पंप, टर्बो पंप और मानोब्लाक पंप सेट आते हैं), चाहे उनमें नापने की युक्तियां लगी हों या नहीं	मूल्य का बीस प्रतिशत।";

(xxiii) मद सं0 32 में, —

(i) उपमद (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1) निर्वात और गैस-पूरित बल्ब	मूल्य का ग्यारह प्रतिशत।";

(ii) उपमदों (2), (3) और (4) के सामने की तीसरे स्तंभ की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "मूल्य का बाइस प्रतिशत", "मूल्य का छह प्रतिशत", और "मूल्य का सोलह प्रतिशत" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxiv) मद सं0 33 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"33. बिजली के पंखे, जिनके अंतर्गत वायु परिसंचारक आते हैं, किन्तु उन्हें छोड़ कर जो किसी औद्योगिक प्रणाली में उसे चलाने के अनिवार्य भागों के रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित हैं और उस प्रयोजनार्थ उन्हें कोई ऐसा विशेष आकार या क्वालिटी प्रदान की गई है जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनके उपयोग के लिए आवश्यक न होगी —	
(1) मेज, केबिन तथा वाहन के तथा पेडेस्टल और वायु परिसंचारक पंखे, जो 40.6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हैं	मूल्य का छह प्रतिशत ।
(2) सब अन्य पंखे	मूल्य का साढ़े आठ प्रतिशत ।";

(xxv) मद सं0 33ख के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"33ग. घरेलू विद्युत उपकरण, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं	मूल्य का दस प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण I — 'घरेलू विद्युत उपकरण' से अभिप्रेत हैं ऐसे विद्युत उपकरण जो प्रसामान्यतः घरेलू काम में उपयोग में लाए जाते हैं, और वैसे ही उपकरण जो होटलों, रेस्टोरेंटो, होस्टलों, कार्यालयों,

शिक्षा-संस्थाओं, अस्पतालों, रेलगाड़ी के रसोईघरों, वायु-यानों या पोतों की पैंट्रियों, केंटीनों, सिलाई स्थापनों, वस्त्र धुलाई की दुकानों तथा केश-प्रसाधक सेलूनों में उपयोग में लाए जाते हैं

स्पष्टीकरण II — अंतर्बदलनीय पुर्जों या सहायक युक्तियों पर, जो किसी उपकरण के साथ इसलिए होती हैं कि वह विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयुक्त हो जाए, शुल्क का निर्धारण उपकरण के साथ किया जाएगा।";

(xxvi) मद सं० 37 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"37. सिनेमा फिल्में —

I. अनुच्छन्न — दो पैसे प्रति मीटर।

II. उच्छन्न

	30 मिलीमीटर या अधिक चौड़ाई की	30 मिलीमीटर से कम चौड़ाई की
(1) समाचार रीलें तथा टुकड़े जो 500 मीटर से अधिक न हों	पचास पैसे प्रति मीटर	तीस पैसे प्रति मीटर।
(2) फीचर फिल्में, विज्ञापन वाले टुकड़े और फिल्में जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	एक रुपया पचास पैसे प्रति मीटर	एक रुपया प्रति मीटर।";

(xxvii) मद सं0 37 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"37क. ग्रामोफोन, जिनके अंतर्गत रेकर्ड प्लेयर, रेकर्ड बजाने के डेक और रेकर्ड बदलने के डेक आते हैं, चाहे वे मशीन से चलते हों या विद्युत से, उनमें चाहे ध्वनि के प्रत्युत्पादन या प्रवर्धन की अंतर्निर्मित प्रणाली (ध्वनिक, इलेक्ट्रानिक या ट्रांजिस्टरित) हो या नहीं तथा उनके पुर्जे और उपसाधन जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं, तथा सब प्रकार के ग्रामोफोन रेकर्ड —

(i) ग्रामोफोन, रेकर्ड प्लेयर, रेकर्ड बजाने के डेक या रेकर्ड बदलने के डेक	मूल्य का बीस प्रतिशत ।
(ii) ग्रामोफोनों, रेकर्ड प्लेयरों, रेकर्ड बजाने के डेकों, रेकर्ड बदलने के डेकों के पुर्जे और उपसाधन	मूल्य का तीस प्रतिशत ।
(iii) सब प्रकार के ग्रामोफोन रेकर्ड, जो मेट्रिस नहीं हैं	मूल्य का पंद्रह प्रतिशत ।
(iv) रेकर्डों की मेट्रिसें —छापित	मूल्य का तीस प्रतिशत ।
(v) ग्रामोफोन की सुइयां और कंटिकाएं —	
(क) पूर्णतः स्टील की बनी	मूल्य का बीस प्रतिशत ।

(ख) अन्य	मूल्य का पच्चीस प्रतिशत ।";

(xxviii) मद सं0 41 के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतः-स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"42. पैकिंग के लिए सब प्रकार के चौर्यरक्षित ढकने, चाहे उनमें वाशर अथवा कार्क, रबड़, पोलीथीलीन या अन्य सामग्री की अन्य फिटिंग हों या नहीं	हर एक पर एक पैसा ।
43. ऊन की पूनियां	पांच रुपये प्रति किलोग्राम ।"।

कतिपय माल पर विशेष उत्पाद-शुल्क।

31. (1) जब कि इस धारा में वर्णित प्रकार के माल पर, जो उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य, ऐसे प्रभार्य शुल्क के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई किसी तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना के साथ पठित (इस अधिनियम या किसी पश्चात्वर्ती केन्द्रीय अधिनियम द्वारा यथासंशोधित) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन हो, शुल्क का निर्धारण किया जाए तब निम्नलिखित का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मदों सं0 6, 8, 9, 14घ, 22क, 23क (उसकी उपमद (1) को छोड़कर), 23ख, 28, 29, मद सं0 31 की उपमदों (2) और (3) और मद सं0 32 में समाविष्ट माल के बारे में—ऐसे माल पर ऐसे प्रभार्य कुल रकम के 10 प्रतिशत के बराबर विशेष उत्पाद-शुल्क;

(ख) उस अनुसूची की मदों सं0 2, 3 (1), मद सं0 4 की उपमदों I, II (2) और II (3), मदों सं0 13, 14, 14च, 15, 15क, 15ख, 16, 16क, 17, 18क (2), 21, 22, 23, 23क (1), 27, 30, 31 (1), 33, मद सं0 34 की उपमदों (1), (3क) और (4), और मद सं0 37 की उपमदों II (1) और II (2) में समाविष्ट माल के बारे में—ऐसे माल पर ऐसे प्रभार्य कुल रकम के 20 प्रतिशत के बराबर विशेष उत्पाद-शुल्क; तथा

(ग) उस अनुसूची की मद सं0 4 की उपमद II(1) और मदों सं0 18, 18क(1), 18ख, 20, 29क, 33क, और मद सं0 34 की उपमदों (2) और (3) में समाविष्ट माल के बारे में — ऐसे माल पर ऐसे प्रभार्य कुल रकम के 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत के बराबर विशेष उत्पाद-शुल्क ।

(2) उपधारा (1), उन बातों के बारे में के सिवाय जिन्हें उसके ऐसे प्रभावहीन होने के पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, 1970 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी; और ऐसे प्रभावहीन होने पर साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे लागू होगी मानो उक्त धारा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा तब निरसित की गई हो ।

1897 का 10

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट माल के बारे में उस उपधारा में निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क उन उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होंगे जो ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या किसी अन्य तत्समयप्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य हों और ऐसे विशेष शुल्क संघ के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किए जाएंगे और उनके आगम राज्यों में वितरित नहीं किए जाएंगे ।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अंतर्गत प्रतिदायों और शुल्कों से छूटों से सम्बन्धित उपबन्ध आते हैं, किसी माल के बारे में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में यथाशक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे ऐसे माल पर उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

विनियामक उत्पाद-शुल्क ।

32. (1) उपभोग को विनियमित करने या उसमें अधिक मितव्ययिता लाने की दृष्टि से एक विनियामक उत्पाद-शुल्क उस तारीख को और से और उस दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम या किसी पश्चात्वर्ती अधिनियम द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित सब माल पर या उसमें से किसी पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जो माल के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक न होगा;

परन्तु विभिन्न किस्मों के माल के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न तारीखें और विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(2) उपधारा (1), उन बातों के बारे में के सिवाय जिन्हें उसके ऐसे प्रभावहीन होने के पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, 1970 की मई के 15वें दिन के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी; और ऐसे प्रभावहीन होने पर साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे लागू होगी मानो उक्त उपधारा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा तब निरसित की गई हो। 1897 का 10

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट माल के बारे में उस उपधारा में निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क उन उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होंगे जो ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या किसी अन्य तत्समयप्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य हों और ऐसे विनियामक शुल्क संघ के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किए जाएंगे और उनके आगम राज्यों में वितरित नहीं किए जाएंगे।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अंतर्गत प्रतिदायों और शुल्कों से छूटों से सम्बन्धित उपबन्ध आते हैं, किसी माल के बारे में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय विनियामक उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में यथाशक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे ऐसे माल पर उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(5) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

1957 के अधिनियम सं0 58 का संशोधन।

33. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में,—

(i) मद सं0 1 में, तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का चार प्रतिशत" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) मद सं0 19 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"19. सूती फ़ेब्रिक —

I. निम्नलिखित से भिन्न सूती फेब्रिक—

(i) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, तथा

(ii) सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित फ़ेब्रिक,—

(1) कोट का कपड़ा, सूट का कपड़ा, टसर, लट्ठा, गेवर्डीन, बेडफोर्ड, साटन, दनिम, लपेट, लेस, बुना फेब्रिक, टेपस्ट्री, फर्निशिंग फ़ेब्रिक, जिसके अंतर्गत जकर्द पर्दों का कपड़ा आता है, गदलपैट, गद्दे का फेब्रिक, टेरी तौलिया, जिसके अंतर्गत तुर्की तौलिया आती है, टैरी तौलिया का कपड़ा, जिसके अंतर्गत तुर्की तौलिया का कपड़ा आता है, कंबल, किरमिच, डक, फ़िल्टर कपड़ा, ड्रेसिंग कपड़ा और बकरम कपड़ा	मूल्य का ढाई प्रतिशत।
(2) अन्य —	
(क) सूती फ़ेब्रिक — सुपरफ़ाइन	15.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(ख) सूती फ़ेब्रिक — फ़ाइन	9.6 पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(ग) सूती फ़ेब्रिक — मध्यम-क	4.8 पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(घ) सूती फेब्रिक — मध्यम-ख	4.8 पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(ङ) सूती फ़ेब्रिक — मोटे	3.6 पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(च) सूती फ़ेब्रिक जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	15.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर।

II. टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	आधारिक फ़ेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो।
III. सूती फ़ेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित हैं	आधारिक फ़ेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो।";

(iii) मद सं0 20 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"20. रेशमी फ़ेब्रिक —

(1) रेशमी फ़ेब्रिक जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा से भिन्न हैं	तीस पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(2) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	आधारिक फ़ेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो।";

(iv) मद सं0 21 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"21. ऊनी फ़ेब्रिक —

(1) ऊनी फ़ेब्रिक, जो टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा से भिन्न हैं	मूल्य का पांच प्रतिशत।
(2) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	आधारिक फ़ेब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो।";

(v) मद सं० 22 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"22. रेयन या कृत्रिम रेशम के फ़ेब्रिक —

(1) रेयन या कृत्रिम रेशम के फ़ेब्रिक, जो (i) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा तथा (ii) सेसुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की निर्मितियों से गर्भित या विलेपित फेब्रिक से भिन्न हैं	3.6 पैसे प्रति वर्ग मीटर।
(2) टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदा, जिसके विनिर्माण में या के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है	आधारिक फ़ेब्रिक पर तत्समय उद्-ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो।
(3) फ़ेब्रिक जो सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों की विनिर्मितियों से गर्भित या विलेपित है	आधारिक फ़ेब्रिक पर तत्समय उद्-ग्रहणीय शुल्क, यदि वह न दिया गया हो।"।

34. 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या टैरिफ़ अधिनियम के अधीन कोई भी शुल्क भारत में विनिर्मित या आयातित नमक पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा। नमक-शुल्क का चालू न रहना।

अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंडों 26, 27, 29, 30, 31 और 33 के उपबन्ध अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरन्त प्रभावी हों। (1931 का 16)

प्रथम अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आयकर तथा आयकर पर अधिभार

पैरा क

हर व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या अरजिस्ट्रीकृत फ़र्म की या अन्य व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट हर कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा न हो जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है, —

आयकर की दरें

(1)	जहां कि कुल आय 5,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 5 प्रतिशत;
(2)	जहां कि कुल आय 5,000 रु० से अधिक है किन्तु 10,000 रु० से अधिक नहीं है	250 रु० + कुल आय 5,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 10 प्रतिशत;
(3)	जहां कि कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 15,000 रु० से अधिक नहीं है	750 रु० + कुल आय 10,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 15 प्रतिशत;
(4)	जहां कि कुल आय 15,000 रु० से अधिक है किन्तु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,500 रु० + कुल आय 15,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 20 प्रतिशत
(5)	जहां कि कुल आय 20,000 रु० से अधिक है किन्तु 25,000 रु० से अधिक नहीं है	2,500 रु० + कुल आय 20,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 30 प्रतिशत;
(6)	जहां कि कुल आय 25,000 रु० से अधिक है किन्तु 30,000 रु० से अधिक नहीं है	4,000 रु० + कुल आय 25,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 40 प्रतिशत;

(7)	जहाँ कि कुल आय 30,000 रु0 से अधिक है किन्तु 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	6,000 रु0 + कुल आय 30,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 50 प्रतिशत;
(8)	जहाँ कि कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किन्तु 70,000 रु0 से अधिक नहीं है	16,000 रु0 + कुल आय 50,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 60 प्रतिशत;
(9)	जहाँ कि कुल आय 70,000 रु0 से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	28,000 रु0 + कुल आय 70,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 65 प्रतिशत;
(10)	जहाँ कि कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है किन्तु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	47,500 रु0 + कुल आय 1,00,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 70 प्रतिशत;
(11)	जहाँ कि कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	1,52,500 रु0 + कुल आय 2,50,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 75 प्रतिशत:

परन्तु इस पैरा के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी न हो, —

(i) निम्नलिखित सीमा से अनधिक की कुल आय पर कोई आयकर देय न होगा, अर्थात्:—

(क) 7,000 रु0 — हर ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई भी पूरी कर दे, अर्थात्:—

(1) उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो विभाजन का दावा करने के हक़दार हैं और अठारह वर्ष से कम आयु के नहीं हैं; अथवा

(2) उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो विभाजन का दावा करने के हक़दार हैं और जो एक दूसरे की संतान नहीं हैं और जो कुटुम्ब के किसी अन्य जीवित व्यक्ति की संतान नहीं हैं;

(ख) 4,000 रु0 — हर अन्य दशा में;

(ii) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि है जिसकी कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है और जिसने पूर्व वर्ष के दौरान अपने ऐसे एक या अधिक माता-पिता, पितामह, पितामही, मातामह या मातामही के, जो मुख्यत: उस पर आश्रित है, भरण-पोषण पर व्यय उपगत किया है वहां एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर में से उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी यहां नीचे विनिर्दिष्ट है और जो ऐसे संगणित आयकर की रकम से अधिक नहीं है —

(क) 145 रु0 — अविवाहित व्यष्टि की दशा में;

(ख) 220 रु0 — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी कोई सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित नहीं है;

(ग) 240 रु0 — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक संतान मुख्यत: उस पर आश्रित है;

(घ) 260 रु0 — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक से अधिक सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित है,

किन्तु इस प्रकार कि ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में, जिसके पति या पत्नी की कुल आय 4,000 रु0 से अधिक हो, यह खण्ड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो रकमों 220 रु0, 240 रु0 और 260 रु0 के स्थान पर क्रमश: रकमें 145 रु0, 165 रु0 और 185 रु0 प्रतिस्थापित की गई हों;

(iii) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि है जो खंड (ii) के अधीन नहीं आता, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है वहां एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर में से उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी यहां नीचे विनिर्दिष्ट है और जो ऐसे संगणित आयकर की रकम से अधिक नहीं है —

(क) 125 रु0 — अविवाहित व्यष्टि की दशा में;

(ख) 200 रु0 — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी कोई सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित नहीं है या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जिसका कोई अप्राप्यवय सहदायिक नहीं है;

(ग) 220 रु0 — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक सन्तान मुख्यतः उस पर आश्रित है या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जिसका एक अप्राप्तवय सहदायिक ऐसा है जो मुख्यतः उस कुटुम्ब की आय से पोषित होता है;

(घ) 240 रु0 — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक से अधिक संतान मुख्यतः उस पर आश्रित है या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जिसका एक से अधिक अप्राप्तवय सहदायिक ऐसा है जो मुख्यतः उस कुटुम्ब की आय से पोषित होता है,

किन्तु इस प्रकार कि ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसके पति या पत्नी की कुल आय 4,000 रु0 से अधिक हो, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो रकमों 200 रु0, 220 रु0 और 240 रु0 के स्थानपर क्रमशः रकमें 125 रु0, 145 रु0 और 165 रु0 प्रतिस्थापित की गई हों;

(iv) (क) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि है जिसकी कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किन्तु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है, और जिसने पूर्व वर्ष के दौरान अपने ऐसे एक या अधिक माता-पिता पितामह, पितामही, मातामह या मातामही के, जो मुख्यतः उस पर आश्रित है, भरण-पोषण पर व्यय उपगत किया है वहां ऐसी कुल आय के बारे में उसके द्वारा देय आयकर निम्नलिखित के योग से अधिक नहीं होगा —

(1) वह आयकर जो उस व्यष्टि द्वारा देय होता यदि उसकी कुल आय 10,000 रु0 होती, तथा

(2) उस व्यष्टि की कुल आय 10,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 40 प्रतिशत;

(ख) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि नहीं है जो उपखंड (क) के अधीन आता है और ऐसे व्यक्ति की कुल आय 20,000 रु0 से अधिक नहीं है वहां उस पर देय आयकर उस रकम के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जितनी कुल आय इस परन्तुक के खंड (i) के, यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> — इस परन्तुक के खंड (ii) और खंड (iv) के उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ किसी व्यष्टि का माता-पिता, पितामह, पितामही, मातामह या मातामही ऐसे व्यष्टि पर मुख्यत: आश्रित न मानी जाएगी यदि, यथास्थिति, उस माता-पिता, पितामह, पितामही, मातामह या मातामही की निर्धारण-वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान सब स्रोतों से आय एक हजार रुपये से अधिक हो।

आयकर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार संगणित आयकर की रकम में ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा ख

हर सहकारी सोसायटी की दशा में, —

आयकर की दरें

(1)	जहां कि कुल आय 5,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 5 प्रतिशत;
(2)	जहां कि कुल आय 5,000 रु० से अधिक है किन्तु 10,000 रु० से अधिक नहीं है	250 रु० + कुल आय 5,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 10 प्रतिशत;
(3)	जहां कि कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 15,000 रु० से अधिक नहीं है	750 रु० + कुल आय 10,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 15 प्रतिशत;
(4)	जहां कि कुल आय 15,000 रु० से अधिक है किन्तु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,500 रु० + कुल आय 15,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 20 प्रतिशत;
(5)	जहां कि कुल आय 20,000 रु० से अधिक है किन्तु 25,000 रु० से अधिक नहीं है	2,500 रु० + कुल आय 20,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 25 प्रतिशत;

(6)	जहाँ कि कुल आय 25,000 रु0 से अधिक है	3,750 रु0 + कुल आय 25,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 40 प्रतिशत :

परन्तु —

(i) 4,000 रु0 से अनधिक की कुल आय पर कोई आयकर देय न होगा; तथा

(ii) जहाँ कि कुल आय 20,000 रु0 या उससे कम हो, वहाँ आयकर उस रकम के 40 प्रतिशत से अधिक न होगा जितनी कुल आय 4,000 रु0 से अधिक हो ।

आयकर पर अधिभार

एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम में ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

हर रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में, —

आयकर की दरें

(1)	जहाँ कि कुल आय 25,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहाँ कि कुल आय 25,000 रु0 से अधिक है किन्तु 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय 25,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 6 प्रतिशत;
(3)	जहाँ कि कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,500 रु0 + कुल आय 50,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 12 प्रतिशत;
(4)	जहाँ कि कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है	7,500 रु + कुल आय 1,00,00 रु0 से जितनी अधिक है उसका 20 प्रतिशत ।

आयकर पर अधिभार

एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम में यहां नीचे विनिर्दिष्ट रीति से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभारों का योग बढ़ा दिया जाएगा:—

(क) ऐसी रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में जिसकी कुल आय में उसके द्वारा चलाई गई वृत्ति से व्युत्पन्न आय सम्मिलित है और इस प्रकार सम्मिलित आय ऐसी कुल आय की इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं है—एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार;

(ख) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में—एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम के बीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार; तथा

(ग) निम्नलिखित रकमों के योग पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित विशेष अधिभार, अर्थात्:—

(i) एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम, तथा

(ii) इस उप-पैरा के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार परिकलित अधिभार की रकम।

पैरा घ

हर स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आयकर की दर

सम्पूर्ण कुल आय पर —50 प्रतिशत

आयकर पर अधिभार

एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम में ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा ङ

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारत के जीवन बीमा निगम की दशा में,— 1956 का 31

आय़कर की दरें

(i) उसकी कुल आय के उस भाग पर जो जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों से बनता है	52.5 प्रतिशत;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	ऐसी देशीय कम्पनी की, जो ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, कुल आय को इस भाग के पैरा च के अनुसार लागू आयकर की दर।

पैरा च

1956 का 31 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारत के जीवन बीमा निगम से भिन्न कम्पनी की दशा में,—

आयकर की दरें

I. देशीय कम्पनी की दशा में—

(1) जहां कि कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, —

(i) उस दशा में जब कि कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 45 प्रतिशत;
(ii) उस दशा में जब कि कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है	कुल आय का 55 प्रतिशत;

(2) जहां कि कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, —

(i) औद्योगिक कंपनी की दशा में—

(क) कुल आय के उतने पर जो 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	55 प्रतिशत;
(ख) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	60 प्रतिशत;

(ii) किसी अन्य दशा में — कुल आय का 65 प्रतिशत;

परन्तु ऐसी देशीय कम्पनी द्वारा, जो ऐसी कंपनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और जिसकी कुल आय 50,000 रु० से अधिक है, देय आयकर निम्नलिखित के योग से अधिक नहीं होगा:—

(क) वह आयकर जो उस कंपनी द्वारा देय होता यदि उसकी कुल आय 50,000 रु० होती (इस प्रयोजनार्थ 50,000 रु० की आय की संगणना ऐसे की जाएगी मानो ऐसी आय में विभिन्न स्रोतों से आय उसी अनुपात में सम्मिलित हो जिसमें वह कंपनी की कुल आय में सम्मिलित है); तथा

(ख) उसकी कुल आय 50,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 80 प्रतिशत।

II. देशीय कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में—

(i) कुल आय के उतने पर जितना निम्नलिखित से बनता है:—

(क) 1961 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् उसके द्वारा किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा

(ख) 1964 की फरवरी के 29वें दिन के पश्चात् उसके द्वारा किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस भारतीय समुत्थान से प्राप्त वे फीसें जो तकनीकी सेवाएं करने के लिए हों,

और जहां कि दोनों में से किसी भी दशा में ऐसा करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो — 50 प्रतिशत;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 70 प्रतिशत।

भाग 2

कतिपय दशाओं में कर की स्रोत पर कटौती के लिए दरें

हर दशा में, जिसमें कि आयकर अधिनियम की धाराओं 193, 194, 194क और 195 के उपबन्धों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, कटौती के अध्यधीन आय में से कटौती निम्नलिखित दरों से की जाएगी :—

	आयकर	
	आयकर की दर	अधिभार की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में —		
(क) जहां कि व्यक्ति निवासी है —		
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत	कुछ नहीं;
(ii) किसी अन्य आय पर (कर-मुक्त प्रतिभूति पर देय ब्याज को अपवर्जित करके)	20 प्रतिशत	2 प्रतिशत;
(ख) जहां कि व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है —		
(i) कुल आय पर (कर-मुक्त प्रतिभूति पर देय ब्याज को अपवर्जित करके)	आय की रकम के 30 प्रतिशत की दर से आयकर और 3 प्रतिशत की दर से अधिभार, अथवा आय के बारे में आयकर तथा आयकर पर अधिभार उस दर से जो इस अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में विहित है, यदि ऐसी आय कुल आय होती, इनमें से जो भी अधिक हो;	

	आयकर	
	आयकर की दर	अधिभार की दर
(ii) कर-मुक्त प्रतिभूति पर देय ब्याज के रूप में आय पर	15 प्रतिशत	1.5 प्रतिशत;
2. कंपनी की दशा में —		
(क) जहां कि कंपनी देशीय कंपनी है —		
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत	कुछ नहीं;
(ii) किसी अन्य आय पर (कर-मुक्त प्रतिभूति पर देय ब्याज को अपवर्जित करके)	22 प्रतिशत	कुछ नहीं;
(ख) जहां कि कंपनी देशीय कंपनी नहीं है —		
(i) आयकर अधिनियम की धारा 80ड की उप-धारा (1) के खंड (क) (i) में यथानिर्दिष्ट भारतीय कंपनी द्वारा देय लाभांशों के रूप में आय पर	14 प्रतिशत	कुछ नहीं;
(ii) एतस्मिन्पूर्व (i) में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न देशीय कंपनी द्वारा देय लाभांशों के रूप में आय पर	24.5 प्रतिशत	कुछ नहीं;

	आयकर	
	आयकर की दर	अधिभार की दर
(iii) 1961 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् किसी भारतीय समुत्थान से किए गए ऐसे करार के अनुसरण में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया है, उस भारतीय समुत्थान द्वारा देय स्वामिस्वों के रूप में आय पर	50 प्रतिशत	कुछ नहीं;
(iv) 1964 की फरवरी के 29वें दिन के पश्चात् किसी भारतीय समुत्थान से किए गए ऐसे करार के अनुसरण में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया है, उस भारतीय समुत्थान द्वारा देय ऐसी फीसों के रूप में, जो तकनीकी सेवाएं करने के लिए हैं, आय पर	50 प्रतिशत	कुछ नहीं;
(v) कर-मुक्त प्रतिभूति पर देय ब्याज के रूप में आय पर	44 प्रतिशत	कुछ नहीं;
(vi) किसी अन्य आय पर	70 प्रतिशत	कुछ नहीं।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आयकर के परिकलन या प्रभारण के लिए "संबलम्" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से, या धारा 80ङ की उपधारा (9) में निर्दिष्ट संदाय से आयकर की कटौती के लिए और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें कि प्रवृत्त दर या दरों से,आयकर, आयकर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (5) के प्रथम परन्तुक के अधीन परिकलित किया जाना है, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है, अथवा "संबलम्" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 80ङ की उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी संदाय से उक्त उपधारा (9) के अधीन काटा जाना है,या उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन देय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आयकर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित दर या दरों से ऐसे परिकलित किया जाएगा, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा: —

पैरा क

हर व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या अरजिस्ट्रीकृत फर्म की या अन्य व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट हर कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा न हो, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आयकर की दरें

(1)	जहां कि कुल आय 5,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 5 प्रतिशत;
(2)	जहां कि कुल आय 5,000 रु० से अधिक है किन्तु 10,000 रु० से अधिक नहीं है	250 रु०+कुल आय 5,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 10 प्रतिशत;

(3) जहां कि कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किन्तु 15,000 रु0 से अधिक नहीं है	750 रु0+कुल आय 10,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 17 प्रतिशत;
(4) जहां कि कुल आय 15,000 रु0 से अधिक है किन्तु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1600 रु0+कुल आय 15,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 23 प्रतिशत;
(5) जहां कि कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है किन्तु 25,000 रु0 से अधिक नहीं है	2,750 रु0+कुल आय 20,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 30 प्रतिशत;
(6) जहां कि कुल आय 25,000 रु0 से अधिक है किन्तु 30,000 रु0 से अधिक नहीं है	4,250 रु0+कुल आय 25,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 40 प्रतिशत;
(7) जहां कि कुल आय 30,000 रु0 से अधिक है किन्तु 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	6,250 रु0+कुल आय 30,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 50 प्रतिशत;
(8) जहां कि कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किन्तु 70,000 रु0 से अधिक नहीं है	16,250 रु0+कुल आय 50,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 60 प्रतिशत;
(9) जहां कि कुल आय 70,000 रु0 से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	28,250 रु0+कुल आय 70,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 65 प्रतिशत;
(10) जहां कि कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है किन्तु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	47,750 रु0+कुल आय 1,00,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 70 प्रतिशत;
(11) जहां कि कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	1,52,750 रु0+कुल आय 2,50,000 रु0 से जितनी अधिक है उसका 75 प्रतिशत;

परन्तु इस पैरा के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी न हो,—

(i) निम्नलिखित सीमा से अनधिक की कुल आय पर कोई आयकर देय न होगा, अर्थात्:—

(क) 7,000 रु०—हर ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जो 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय निम्न-लिखित दो शर्तों में से कोई भी पूरी कर दे, अर्थात्:—

(1) उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो विभाजन का दावा करने के हकदार हैं और अठारह वर्ष से कम आयु के नहीं हैं; अथवा

(2) उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे हैं जो विभाजन का दावा करने के हकदार हैं और जो एक दूसरे की संतान नहीं हैं और जो कुटुम्ब के किसी अन्य जीवित व्यक्ति की संतान नहीं हैं;

(ख) 4,000 रु० —हर अन्य दशा में;

(ii) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि है जिसकी कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है और जिसने 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अपने ऐसे एक या अधिक माता-पिता, पितामह, पितामही, मातामह या मातामही के, जो मुख्यत: उस पर आश्रित है, भरण-पोषण पर व्यय उपगत किया है वहां एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर में से उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी यहां नीचे विनिर्दिष्ट है और जो ऐसे संगणित आयकर की रकम से अधिक नहीं है:—

(क) 145 रु० — अविवाहित व्यष्टि की दशा में;

(ख) 220 रु० — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी कोई संतान मुख्यत: उस पर आश्रित नहीं है;

(ग) 240 रु० — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित है;

(घ) 260 रु० — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक से अधिक सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित है,

किन्तु इस प्रकार कि ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसके पति या पत्नी की 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के बारे में कुल आय 4,000 रु० से अधिक हो यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो रकमों 220 रु०, 240 रु० और 260 रु० के स्थान पर क्रमश: रकमें 145 रु०, 165 रु० और 185 रु० प्रतिस्थापित की गई हों;

(iii) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि है जो खंड (ii) के अधीन नहीं आता, या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है वहां एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर में से उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी यहां नीचे विनिर्दिष्ट है और जो ऐसे संगणित आयकर की रकम से अधिक नहीं है:—

(क) 125 रु० — अविवाहित व्यष्टि की दशा में;

(ख) 200 रु० — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी कोई सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित नहीं है या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जिसका कोई अप्राप्तवय सहदायिक नहीं है;

(ग) 220 रु० — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित है या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जिसका एक अप्राप्तवय सहदायिक ऐसा है जो मुख्यत: उस कुटुम्ब की आय से पोषित होता है;

(घ) 240 रु० — ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसकी एक से अधिक सन्तान मुख्यत: उस पर आश्रित है या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में जिसका एक से अधिक अप्राप्तवय सहदायिक ऐसा है जो मुख्यत: उस कुटुम्ब की आय से पोषित होता है,

किन्तु इस प्रकार कि ऐसे विवाहित व्यष्टि की दशा में जिसके पति या पत्नी की 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के बारे में कुल आय 4,000 रु० से अधिक हो यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो रकमों 200 रु० , 220 रु०, और 240 रु०, के स्थान पर क्रमश: रकमें 125 रु०, 145 रु०, और 165 रु० प्रतिस्थापित की गई हों;

(iv) (क) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि है जिसकी कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 20,000 रु० से अधिक नहीं है, और जिसने 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अपने ऐसे एक या अधिक माता-पिता, पितामह, पितामही, मातामह या मातामही के, जो मुख्यत: उस पर आश्रित है, भरण-पोषण पर व्यय उपगत किया है वहां ऐसी कुल आय के बारे में उसके द्वारा देय आयकर निम्नलिखित के योग से अधिक नहीं होगा:—

(1) वह आयकर जो उस व्यष्टि द्वारा देय होता यदि उसकी कुल आय 10,000 रु० होती, तथा

(2) उस व्यष्टि की कुल आय 10,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 40 प्रतिशत;

(ख) जहां कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यष्टि नहीं है जो उपखंड(क) के अधीन आता है और ऐसे व्यक्ति की कुल आय 20,000 रु० से अधिक नहीं है वहां उस पर देय आयकर उस रकम के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जितनी कुल आय इस परन्तुक के खंड (i) के, यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो ।

स्पष्टीकरण — इस परन्तुक के खंड (ii) और खंड (iv) के उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ किसी व्यष्टि का माता-पिता, पितामह, पितामही, मातामह या मातामही ऐसे व्यष्टि पर मुख्यत: आश्रित न मानी जाएगी यदि, यथास्थिति, उस माता-पिता, पितामह, पितामही मातामह या मातामही की 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण-वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान सब स्रोतों से आय एक हजार रुपए से अधिक हो ।

आयकर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार संगणित आयकर की रकम में ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा ख

हर सरकारी सोसायटी की दशा में,—

आयकर की दरें

(1)	जहां कि कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 15 प्रतिशत;
(2)	जहां कि कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,500 रु०+कुल आय 10,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 25 प्रतिशत;
(3)	जहां कि कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	4,000 रु०+कुल आय 20,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 40 प्रतिशत;

आयकर पर अधिभार

एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम में ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा ग

हर रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में, —

आयकर की दरें

(1)	जहां कि कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कि कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 25,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय 10,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 4 प्रतिशत;

(3)	जहां कि कुल आय 25,000 रु० से अधिक है किन्तु 50,000 रु० से अधिक नहीं है	600 रु०+कुल आय 25,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 6 प्रतिशत;
(4)	जहां कि कुल आय 50,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	2,100 रु०+कुल आय 50,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 12 प्रतिशत;
(5)	जहां कि कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है	8,100 रु०+कुल आय 1,00,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 20 प्रतिशत ।

आयकर पर अधिभार

एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम में यहां नीचे विनिर्दिष्ट रीति से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभारों का योग बढ़ा दिया जाएगा:—

(क) ऐसी रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में जिसकी कुल आय में, उसके द्वारा चलाई गई वृत्ति से व्युत्पन्न आय सम्मिलित है और इस प्रकार सम्मिलित आय ऐसी कुल आय की इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं है—एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार;

(ख) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में—एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम के बीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार; तथा

(ग) निम्नलिखित रकमों के योग पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित विशेष अधिभार, अर्थात्:—

(i) एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम, तथा

(ii) इस उप-पैरा के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार परिकलित अधिभार की रकम ।

पैरा घ

हर स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आयकर की दर

सम्पूर्ण कुल आय पर—50 प्रतिशत

आयकर पर अधिभार

एतस्मिन्पूर्व विनिर्दिष्ट दर से संगणित आयकर की रकम में ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा ङ

1956 का 31 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारत के जीवन बीमा निगम की दशा में,—

आयकर की दरें

(i)	उसकी कुल आय के उस भाग पर जो जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों से बनता है	52.5 प्रतिशत;
(ii)	कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	ऐसी देशीय कंपनी की, जो ऐसी कंपनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, कुल आय को इस भाग के पैरा च के अनुसार लागू आयकर की दर।

पैरा च

1956 का 31 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारत के जीवन बीमा निगम से भिन्न कंपनी की दशा में,—

आयकर की दरें

I. देशीय कंपनी की दशा में—

(1) जहां कि कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है—

(i)	उस दशा में जब कि कुल आय 50,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 45 प्रतिशत;
(ii)	उस दशा में जब कि कुल आय 50,000 रु० से अधिक है	कुल आय का 55 प्रतिशत;

(2) जहां कि कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है,—

(i) औद्योगिक कंपनी की दशा में —

(क)	कुल आय के उतने पर जो 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	55 प्रतिशत;
(ख)	कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	60 प्रतिशत;

(ii)	किसी अन्य दशा में	कुल आय का 65 प्रतिशत :

परन्तु ऐसी देशीय कंपनी द्वारा, जो ऐसी कंपनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और जिसकी कुल आय 50,000 रु० से अधिक है, देय आयकर निम्नलिखित के योग से अधिक नहीं होगा:—

(क) वह आयकर जो उस कंपनी द्वारा देय होता यदि उसकी कुल आय 50,000 रु० होती (इस प्रयोजनार्थ 50,000 रु० की आय की संगणना ऐसे की जाएगी मानो ऐसी आय में विभिन्न स्रोतों से आय उसी अनुपात में सम्मिलित हो जिसमें वह कंपनी की कुल आय में सम्मिलित है); तथा

(ख) उसकी कुल आय 50,000 रु० से जितनी अधिक है उसका 80 प्रतिशत ।

II. देशीय कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में —

(i) कुल आय के उतने पर जितना निम्नलिखित से बनता है —

(क) 1961 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् उसके द्वारा किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा

(ख) 1964 की फरवरी के 29वें दिन के पश्चात् उसके द्वारा किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस भारतीय समुत्थान से प्राप्त वे फीसें जो तकनीकी सेवाएं करने के लिए हों,

और जहां कि दोनों में से किसी भी दशा में ऐसा करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो — 50 प्रतिशत;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 70 प्रतिशत।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 26 देखिए)

भाग 1

टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, -

(i) मद सं० 75(11) (v) में, द्वितीय स्तंभ की प्रविष्टि में "रालर बेयरिंग" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) मद 87क में, द्वितीय स्तंभ में की प्रविष्टियों (ii), (iii) और (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्: —

"(ii) अलकोहाली पेय"।

भाग 2

मद सं0	वस्तु का नाम	शुल्क की प्रकृति	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अधिमानी दर यदि माल इनके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित है		शुल्क की संरक्षात्मक दरों की अवधि
				यूनाइटेड किंगडम	ब्रिटिश उपनिवेश	
1	2	3	4	5	6	7
	टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, —					
	(i) मद सं0 8(2) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —					
"8(2)	फल, सूखे (लवणित और अन्य सब किस्में), जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	अधिमानी राजस्व	मूल्य का 100 प्रतिशत	--	मूल्य का 90 प्रतिशत	--";
	(ii) मद सं0 72(35) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —					
"72(35)	बाल बेयरिंग (जिनके अंतर्गत एडाप्टर बाल बेयरिंग आते हैं) जिनका बोर व्यास 60 मिलीमीटर से अधिक न हो	राजस्व	मूल्य का 100 प्रतिशत	--	--	--";
	(iii) मद सं0 72(36) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —					
"72(36)	बाल बेयरिंग (जिनके अंतर्गत एडाप्टर बाल बेयरिंग आते हैं) जिनका बोर व्यास 60 मिलीमीटर से अधिक हो	राजस्व	मूल्य का 40 प्रतिशत	--	--	--";
	(iv) मद सं0 72(37) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —					
"72(37)	रालर बेयरिंग (एडाप्टर रालर बेयरिंग को छोड़कर) जिनका बोर व्यास 85 मिलीमीटर से अधिक न हो	राजस्व	मूल्य का 100 प्रतिशत	--	--	--";
	(v) मद सं0 72(38) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —					
"72(38)	रालर बेयरिंग, जिनका बोर व्यास 85 मिलीमीटर से अधिक हो, तथा सब आकारों के एडाप्टर रालर बेयरिंग	राजस्व	मूल्य का 40 प्रतिशत	--	--	--";

मद सं0	वस्तु का नाम	शुल्क की प्रकृति	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अधिमानी दर यदि माल इनके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित है		शुल्क की संरक्षात्मक दरों की अवधि
				यूनाइटेड किंगडम	ब्रिटिश उपनिवेश	
1	2	3	4	5	6	7
	(vi) मद सं0 87क के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —					
"87ख	सब शुल्कादेय वस्तुएं, यद्यपि वे अन्यत्र विनिर्दिष्ट हों, जो निजी उपयोग के लिए आशयित हों और डाक या वायु द्वारा आयातित की गई हों, तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन उनके आयात के बारे में किसी प्रतिषेध से छूट-प्राप्त हों, किंतु अलकोहाली पेयों को छोड़ कर, —					
	(i) औषधें और औषधियां	राजस्व	मूल्य का 50 प्रतिशत	--	--	--
	(ii) अन्य	राजस्व	मूल्य का 100 प्रतिशत	--	--	--
87ग	जलयान या वायुयान के फलक पर भंडार की निम्नलिखित वस्तुएं, जिन पर शुल्क सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन उद्ग्रहणीय है, यद्यपि वे अन्यत्र विनिर्दिष्ट हों, अर्थात्: —					
	(i) तैयार किया गया या परिरक्षित मांस, मछली और शाक; डेरी-उत्पाद; सूप; चरबी; ताज़े फल	राजस्व	मूल्य का 25 प्रतिशत	--	--	--
	(ii) सब अन्य उपभोज्य भंडार, उसमें से ईंधन, स्नेहक तेल, अल्कोहाली पेयों, और तंबाकू उत्पादों को छोड़ कर	राजस्व	मूल्य का 100 प्रतिशत	--	--	--"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित किया जाए और कुछ सम्बन्धित बातों के लिए उपबन्ध किया जाए । आयकर अधिनियम के कुछ उपबंधों को सरल और अधिक युक्तियुक्त बनाने के लिए भी इस अवसर का उपयोग किया गया है । इस विधेयक के विभिन्न उपबन्ध खंडों पर टिप्पण में स्पष्ट किए गए हैं ।

नई दिल्ली,
28 फरवरी, 1969

मोरारजी देसाई

खंडों पर टिप्पण

खंड 2 विधेयक की प्रथम अनुसूची के साथ पठित होने पर यह उन दरों को विहित करने के लिए है जिन से आयकर (जिसके अंतर्गत अधिभार लागू होने की दशा में अधिभार आते हैं) निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए कर-प्रभार्य आय पर लिया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह वे दरें नियत करता है जिन से वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती उस आय में से की जानी है जो आयकर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौती के योग्य है। वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिए "अग्रिम कर" की संगणना जिन दरों से की जानी है और विशेष परिस्थितियों में जिन दरों से कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है वे भी इसमें दी गई हैं।

<u>निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए आयकर की दरें</u>

निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए कर-योग्य आयों पर आयकर (जिसके अंतर्गत अधिभार आते हैं) की दरें अनिगमित करदाताओं की दशा में वही हैं जो वित्त अधिनियम, 1968 की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान "संबलम्" में से स्रोत पर कर की कटौती तथा देय "अग्रिम कर" की संगणना के प्रयोजनार्थ दी गई हैं। इसी प्रकार से निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए कर-योग्य आयों पर आयकर की दरें निगमित करदाताओं की दशा में वही हैं जो वित्त अधिनियम 1968 की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान कंपनियों द्वारा देय अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजनार्थ दी गई हैं। ये दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में दी गई हैं।

विधेयक की प्रथम अनुसूची का भाग 2 वे दरें बताता है जिनसे आयकर (जिसके अंतर्गत अधिभार लागू होने की दशा में अधिभार आता है) वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती "संबलम्" तथा धारा 80ङ (9) में निर्दिष्ट निवृत्ति वार्षिकियों से भिन्न आय में से की जानी है। ये दरें वही हैं जो वित्त अधिनियम, 1968 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान "संबलम्" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए दी गई हैं।

विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में वे दरें दी गई हैं जिन से वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिए "संबलम्" में से और आयकर अधिनियम की धारा 80ङ (9) में निर्दिष्ट निवृत्ति वार्षिकियों में से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है और जिनसे "अग्रिम कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आयकर की संगणना या उसका प्रभारण किया जाना है। ये दरें प्रथम अनुसूची में दी गई

निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए लागू कर की दरों से निम्नलिखित बातों में भिन्न हैं:—

(i) व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब और अन्य अनिगमित करदाता

(भाग 3 का पैरा क)

आधारिक आयकर की दर 10,001 — 15,000 रु० के स्लैब में 2 प्रतिशत (15 प्रतिशत से 17 प्रतिशत) बढ़ाई जा रही है तथा 15,001—20,000 रु० के स्लैब में 3 प्रतिशत (20 प्रतिशत से 23 प्रतिशत) बढ़ाई जा रही है। 10,000 रु० से ऊपर की आय पर आयकर की सूची तदनुसार परिवर्तित कर दी गई है।

(ii) सहकारी सोसायटियां

(भाग 3 का पैरा ख)

सहकारी सोसायटियों के लिए एक नई दर-सूची विहित की जा रही है। इस दर-सूची के अनुसार आधारिक आयकर की दर 1—10,000 रु० के स्लैब में 15 प्रतिशत, 10,001— 20,000 रु० के स्लैब में 25 प्रतिशत, तथा 20,000 रु० से ऊपर की आय पर 40 प्रतिशत होगी। आधारिक आयकर में उसके 10 प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। 4,000 रु० या अन्य सीमा तक की छोटी आय को कर से छूट नहीं होगी। यह इस बात को ध्यान में रख कर है कि विधेयक के खंड 10 के अधीन उस रकम को 5,000 रु० (15,000 रु० से 20,000 रु०) बढ़ाया जा रहा है जिस तक साधारणत: सहकारी सोसायटियों की दशा में कारबार की आय कर से छूट-प्राप्त होगी। सहकारी बीमा कारबार से होने वाली आय भी इसके अंतर्गत आती है।

(iii) रजिस्ट्रीकृत फ़र्में

(भाग 3 का पैरा ग)

रजिस्ट्रीकृत फ़र्मों की दशा में कर से छूट-प्राप्त आरंभिक स्लैब की रकम को 25,000 रु० से घटा कर 10,000 रु० करने की प्रस्थापना है। 10,001 — 25,000 रु० के स्लैब में आधारिक आयकर की दर 4 प्रतिशत पर नियत करने की प्रस्थापना है। अन्य स्लैबों में आधारिक आयकर की दरें तथा मामूली और विशेष अधिभारों की दरें वही हैं जो निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए रजिस्ट्रीकृत फर्मों पर कर के प्रभारण की दर-सूची में हैं।

अन्य सब दशाओं में अग्रिम कर की संगणना आदि के लिए प्रथम अनुसूची के भाग 3 में दी गई कर की दरें वही हैं जो निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए निर्धारणीय आय पर कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ हैं।

खंड 3 आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) का संशोधन करने के लिए है। यह खंड "कंपनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" पद की परिभाषा देता है। प्रस्थापित संशोधन के उपरांत इस खंड के अधीन स्थिति यह होगी कि ऐसी लोक कंपनी, जिसकी साम्या-पूंजी के भागभूत अंश भारत में किसी मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सूचीगत हों "कंपनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" मानी जाएगी और उसके लिए उसे आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) में दी गई वर्तमान परिभाषा के उपखंड (ख) में दिए गए विभिन्न मानदंड लागू नहीं किए जाएंगे। कुछ पारिणामिक संशोधनों सहित ये मानदंड प्रस्थापित उपखंड (ख) की मद (ख) में दे दिए गए हैं और "कंपनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" के आनुकल्पिक मानदंड के रूप में लागू होंगे।

यह संशोधन 1-4-1970 से—अर्थात् निर्धारण-वर्ष 1970-71 तथा उसके बाद के वर्षों के सम्बन्ध में—प्रभावी किए जाने के लिए है।

खंड 4 आयकर अधिनियम की धारा 16 के खंड (iv) का 1-4-1970 से संशोधन करने के लिए है। प्रस्थापित संशोधन के अधीन स्थिति यह होगी कि "संबलम्" आय की संगणना में करदाता के स्वामित्व की और उसके नियोजन के लिए उपयोग में लाई गई मोटरकार के अनुरक्षण, व्यय और घिसाई के बारे में अनुज्ञेय मानक कटौती, उस दशा में जब कि करदाता की सकल "संबलम्" आय 15,000 रु० से अधिक न हो, प्रतिमास या उसके भाग के लिए 150 रु० की वर्तमान रकम से बढ़कर 200 रु० हो जाएगी। इससे अधिक "संबलम्" वाले करदाताओं के लिए मोटरकार के सम्बन्ध में मानक कटौती वही रहेगी जो इस समय है।

खंड 5 आयकर अधिनियम की धारा 40क में एक नई उपधारा (4) जोड़ने के लिए है। यह नई उपधारा किसी वाद या अन्य कार्यवाही में इस अभिवचन का प्रतिषेध करने के लिए है कि किसी निर्धारिती द्वारा उक्त धारा 40क की उपधारा (3) के अनुसार बैंक पर लिखे गए क्रास चैक या क्रास बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया या निविदत्त कोई संदाय नकदी में या किसी अन्य रीति से किया जाना चाहिए था।

खंड 6 आयकर अधिनियम की धारा 80ग का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क) धारा 80ग की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है। प्रस्थापित संशोधन का प्रभाव यह होगा कि निर्धारण-वर्ष 1970-71 से जीवन बीमा पालिसियों के लिए दिए गए प्रीमियमों के बारे में कर-राहत उन प्रीमियमों के बारे में भी उपलभ्य होगी जो किसी व्यष्टि द्वारा (अपनी कर-प्रभार्य आय में से) अपने अप्राप्तवय बालक के जीवन की बीमा पालिसी (जिसके अंतर्गत आस्थगित वार्षिकी की संविदा आती है) पर या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा (अपनी कर-प्रभार्य आय में से) उस कुटुंब की किसी स्त्री सदस्य के जीवन की बीमा पालिसी पर दिए जाएं।

उपखंड (ख) धारा 80ग की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जो संशोधन 1-4-1969 को अर्थात् निर्धारण-वर्ष 1970-71 तथा तत्पश्चात् के लिए प्रभावी होगा। इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ या अभिनेता को धारा 80ग में विनिर्दिष्ट माध्यमों (जीवन बीमा, भविष्य-निधि, संचयी सावधि निक्षेप) में बचत पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट उच्चतर सीमा तक कर-राहत मिल जाएगी, और वह इस वर्तमान शर्त के लागू हुए बिना कि लेखक, नाटककार आदि ने अपना या अपने पति या पत्नी का बीमा 1-3-1964 से पहले करा लिया हो।

खंड 7 आयकर अधिनियम की धारा 80ञ की उपधारा (4) और उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्थापित संशोधनों का प्रभाव यह होगा कि धारा 80ञ के अधीन भारत में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में तथा भारतीय कंपनियों द्वारा पोतों से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में "कर-अवकाश" उन औद्योगिक उपक्रमों को उपलभ्य होगा जो 31-3-1976 के पूर्व किसी समय उत्पादन या कार्य प्रारंभ करते हैं और उन पोतों के सम्बन्ध में उपलभ्य होगा जिनका उपयोग 31-3-1976 के पूर्व प्रारंभ किया जाता है। धारा 80ञ के वर्तमान उपबन्धों के अधीन "कर-अवकाश" उन औद्योगिक उपक्रमों को प्राप्त है जो 31-3-1971 के पूर्व उत्पादन या कार्य प्रारंभ करते हैं तथा उन पोतों को उपलभ्य है जिनका उपयोग उक्त तारीख के पूर्व प्रारम्भ किया जाता है।

खंड 8 आयकर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) का 1-4-1970 अर्थात् निर्धारण-वर्ष 1970-71 से संशोधन करने के लिए है। प्रस्थापित संशोधनों का प्रभाव यह होगा कि सब कोटियों के अंश-धारकों की दशा में भारतीय कंपनियों से लाभांश 1,000 रु० तक कर से छूट-प्राप्त होंगे, जबकि वर्तमान विधि के अधीन वे 500 रुपये तक ही छूट-प्राप्त होते हैं।

खंड 9 आयकर अधिनियम में 1 अप्रैल, 1970 से एक नई धारा 80डड जोड़ने के लिए है। प्रस्थापित नई धारा 80डड के अधीन स्थिति यह होगी कि भारतीय कंपनी भारत में कारबार करने वाले किसी व्यक्ति के लिए 'तकनीकी व्यवहार-ज्ञान' उपबंधित करेगी या 'तकनीकी व्यवहार-ज्ञान' के उपबन्ध से सम्बन्धित तकनीकी सेवाएं करेगी वह उस व्यक्ति से अपने द्वारा प्राप्त स्वामिस्व, कमीशन, फ़ीस या अन्य संदाय (जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय न हो) का 40 प्रतिशत अपनी कुल आय की संगणना में कटौती की हकदार होगी। यह कटौती वहां उपलभ्य होगी जहां कि उस "तकनीकी व्यवहार-ज्ञान" के बारे में यह संभाव्यता हो कि वह माल या सामग्री के विनिर्माण या प्रसंस्करण में, अथवा मशीनरी या प्लांट को अधिष्ठापित या खड़ा करने में, खनन में (जिसके अंतर्गत पूर्वेक्षण आता है), अथवा कृषि, पशुपालन, डेरीउद्योग या वन-उद्योग में अथवा मछली पकड़ने में सहायक होगा। इस कटौती के लिए यह अपेक्षा भी होगी कि 'तकनीकी व्यवहार-ज्ञान' का उपबन्ध या तकनीकी सेवाएं ऐसे करार के अधीन की जाएं जो उस व्यक्ति के साथ भारतीय कंपनी द्वारा 1-4-1969 को या तत्पश्चात् किया गया हो और वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा सुसंगत निर्धारण-वर्ष में अक्तूबर के पहले दिन के पूर्व इस निमित्त अनुमोदित कर दिया गया हो। 'तकनीकी व्यवहार-ज्ञान का उपबन्ध' पद की परिभाषा नई धारा 80डड की उपधारा (2) में दे दी गई है।

उक्त उपबंध भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी कंपनी से प्राप्त की गई आय के बारे में वहां लागू न होगा जहां कि आयकर अधिनियम की धारा 80ण के अधीन उक्त संपूर्ण आय की कटौती भारतीय कंपनी की कर-योग्य आय में से अनुज्ञात है।

खंड 10 आयकर अधिनियम की धारा 80त का 1-4-1970 से संशोधन करने के लिए है।

इन संशोधनों में एक का प्रभाव यह होगा कि साधारणत: जिस रकम तक सहकारी सोसाइटियों की कारबार की आय आयकर से छूट-प्राप्त होती है वह 15,000 रु० से बढ़कर 20,000 रु० हो जाएगी।

दूसरा संशोधन साधारणतः सहकारी सोसाइटियों की कारबार की आय के बारे में कर से उक्त छूट उस आय पर भी लागू करने के लिए है जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा बीमा कारबार से प्राप्त की जाए।

खंड 11 आयकर अधिनियम में 1-4-1970 से एक नई धारा 80दद जोड़ने के लिए है। इस नई धारा 80दद के अधीन स्थिति यह

होगी कि यदि भारत में निवासी कोई लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ या अभिनेता अपनी वृत्ति को करने में किसी विदेशी स्रोत से आय करता है तो वह ऐसी आय के उस भाग के, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसके द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त किया या लाया जाए, 25 प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अपनी कर-योग्य आय की संगणना में से किए जाने का हकदार होगा । प्रस्थापित उपबंध निर्धारण-वर्ष 1970-71 से प्रभावी किए जाने के लिए है ।

<u>खंड 12</u> आयकर अधिनियम की धारा 208 का संशोधन करने के लिए है । यह संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि अग्रिम कर देने की अपेक्षा तभी हो जब ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिस पर पहले कर निर्धारित किया जा चुका हो उस की अन्तिम निर्धारित कुल आय, अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिस पर पहले कर निर्धारित न किया गया हो, उसकी चालूवर्षीय आय विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो । इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रकम कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में 2,500 रु0 और रजिस्ट्रीकृत फ़र्म की दशा में 30,000 रु0 होगी । रजिस्ट्रीकृत फ़र्मों से भिन्न अनिगमित व्यक्तियों की दशा में यह रकम (क) वहां 5,000 रु0 होगी जहां कि वह व्यक्ति उस अंतिम पूर्व वर्ष में, जिसके लिए उसका कर-निर्धारण किया गया हो, भारत में निवासी न रहा हो या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसका पहले नियमित कर-निर्धारण न हुआ हो, जहां कि यह संभाव्यता न हो कि वह उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अग्रिम कर देय है, सुसंगत निर्धारण-वर्ष में भारत में निवासी होगा, तथा (ख) किसी अन्य दशा में 10,000 रु0 होगी ।

<u>खंड 13</u> आयकर अधिनियम की धारा 209 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 209 के खंड (क) (iii) का संशोधन करने के लिए है । प्रस्थापित संशोधन का प्रभाव यह होगा कि जहां उस कुल आय में, जिसके प्रति निर्देश से अग्रिमकर की संगणना की जाए, उस आय का, जिससे स्रोत पर कटौती की गई, केवल एक भाग ही शामिल हो, वहां कटौती के अध्यधीन सम्पूर्ण आय से स्रोत पर काटने योग्य कर, अग्रिम कर के अध्यधीन आय पर संगणित अग्रिम कर में मुजरा दिया जाएगा और केवल अतिशेष ही अग्रिम कर के रूप में देय होगा ।

उपखंड (ग) का संशोधन इस बात का पारिणामिक है कि विधेयक के खंड 16 के अधीन आयकर अधिनियम की धारा 212 में एक नई उपधारा (3क) जोड़ी जा रही है ।

खंड 14 आयकर अधिनियम की धारा 210 का संशोधन करने के लिए है। प्रस्थापित संशोधन उस संशोधन का पारिणामिक है जो आयकर अधिनियम की धारा 211 में विधेयक के खंड 15 द्वारा किया जा रहा है।

खंड 15 आयकर अधिनियम की धारा 211 का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क) धारा 211 की वर्तमान उपधारा (1) को नई उपधारा द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्थापित उपधारा (1) के अधीन हर व्यक्ति द्वारा (जो अग्रिम कर देने का दायी हो) अग्रिम कर वित्तीय वर्ष के दौरान तीन बराबर किस्तों में देय होगा। ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसकी कुल आय का कम से कम 75 प्रतिशत ऐसे स्रोत या स्रोतों से प्राप्त होता है जिनके लिए वह अपने लेखे उस वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर को या उसके पहले समाप्त होने वाली कालावधि के हिसाब से तैयार करता है, ये किस्तें उस वित्तीय वर्ष के 15 जून, 15 सितम्बर और 15 दिसम्बर को देय होंगी। अन्य दशाओं में ये किस्तें उस वित्तीय वर्ष के 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च को शोध्य होंगी।

उपखंड (ख) धारा 211 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है। यह संशोधन खंड (क) में दिए गए संशोधन का पारिणामिक है।

खंड 16 आयकर अधिनियम की धारा 212 का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क) धारा 212 की उपधारा (1) के स्थान पर एक नई उपधारा रखने के लिए है। प्रस्थापित संशोधन प्रारूपण-विषयक है और इस बात का पारिणामिक है कि उपखंड (ख) द्वारा धारा 212 में एक नई उपधारा जोड़ी जा रही है।

उपखंड (ख) धारा 212 की वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर एक नई उपधारा रखने तथा उसके पश्चात् एक नई उपधारा (3क) जोड़ने के लिए है। प्रतिस्थापित उपधारा (3) के परिवर्तन प्रारूपण-विषयक है और इस बात के पारिणामिक हैं कि धारा 212 में एक नई धारा (3क) जोड़ी जा रही है तथा विधेयक के खंड 15 द्वारा धारा 211 की उपधारा (1) में संशोधन किया जा रहा है।

नई उपधारा (3क) के अधीन निर्धारिती के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपनी चालू वर्षीय आय का तथा उस पर देय अग्रिम कर का प्राक्कलन दे (चालू आय से तात्पर्य उस आय से है जो उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अग्रिम

कर देने की अपेक्षा है, निकट आगामी निर्धारण-वर्ष में कर-निर्धारण योग्य होगी) । यह अपेक्षा वहां लागू होगी जहां कि ऐसी चालूवर्षीय आय उससे मांगे गए अग्रिम कर की तुलना में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक अधिक हो, चाहे ऐसा आधिक्य इस कारण हो कि चालूवर्षीय आय उस अंतिम निर्धारित आय से, जिसके प्रति निर्देश से अग्रिम कर मांगा गया था, अधिक हो चाहे वह आधिक्य किसी अन्य कारण से हो ।

खंड 17 आयकर अधिनियम की धारा 213 का संशोधन करने के लिए है । प्रस्थापित संशोधन उस संशोधन का पारिणामिक है जो विधेयक के खंड 15 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 211 में किया जा रहा है ।

खंड 18 आयकर अधिनियम की धारा 215 का 1-4-1970 से संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धारा 215 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर एक नई उपधारा 1-4-1970 से रखने के लिए है । प्रतिस्थापित की जाने के लिए प्रस्थापित उपधारा (1) के अधीन स्थिति यह होगी कि उस दशा में जब कि निर्धारिती द्वारा स्वयं अपने प्राक्कलन के आधार पर दिया गया अग्रिम कर नियमित निर्धारण पर अवधारित कर के 75 प्रतिशत से कम हो वहां उससे 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चालू दर पर सादा ब्याज उतनी पूरी रकम पर लिया जाएगा जितना कि उसके द्वारा वस्तुतः दिया गया अग्रिम कर नियमित निर्धारण पर अवधारित कर से कम हो; जबकि वर्तमान विधि के अधीन यह ब्याज निर्धारित कर के 75 प्रतिशत से जितनी कमी रही हो, उस पर लगाया जाता है ।

उपखंड (ख) धारा 215 की उपधारा (2) के खंड (ii) का संशोधन करने के लिए है । प्रस्थापित संशोधन उपखंड (क) में दिए गए संशोधन का पारिणामिक है ।

उपखंड (ग) धारा 215 में एक नई उपधारा (5) जोड़ने के लिए है, जिससे कि उक्त धारा तथा धाराओं 217 और 273 में प्रयुक्त "निर्धारित कर" पदावली परिभाषित हो जाए ।

खंड 19 आयकर अधिनियम की धारा 216 का 1-4-1970 से संशोधन करने के लिए है । यह संशोधन इस बात का पारिणामिक है कि विधेयक के खंड 16 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 212 में एक नई उपधारा (3क) जोड़ी जा रही है ।

खंड 20 आयकर अधिनियम की धारा 217 का यह संशोधन करने के लिए है कि उसकी वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर एक नई उपधारा 1-4-1970 से रख दी जाए। प्रतिस्थापित की जाने के लिए प्रस्थापित उपधारा (1) उन दशाओं के सम्बन्ध में है जब कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिस पर पहले कर निर्धारित नहीं हुआ है, अपने द्वारा धारा 212 की उपधारा (3) के अधीन देय अग्रिम कर का प्राक्कलन देने में असफल रहता है। ऐसी दशा में नियमित निर्धारण के समय ऐसे व्यक्ति से सादा ब्याज प्रभार्य होगा जिसकी दर नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल कर पर 9 प्रतिशत की चालू दर होगी; जबकि वर्तमान विधि के अधीन यह ब्याज उक्त कर के 75 प्रतिशत पर लगाया जाता है।

नई उपधारा (1क) उन दशाओं के सम्बन्ध में है जब कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे अग्रिम कर की मांग की जा चुकी है, अपने द्वारा धारा 212 की नई उपधारा (3क) के अधीन (जो विधेयक के खंड 16 द्वारा जोड़ी जा रही है) देय अग्रिम कर का प्राक्कलन देने मे तब भी असफल रहता है जब कि उसकी चालूवर्षीय आय पर देय कर उससे मांगे गए अग्रिम कर से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से भी अधिक अधिक है। ऐसी दशाओं में नियमित निर्धारण के समय ऐसे व्यक्ति से सादा ब्याज प्रभार्य होगा जिसकी दर उतनी रकम पर 9 प्रतिशत की चालू दर होगी जितना कि दिया गया अग्रिम कर नियमित निर्धारण पर अवधारित कर से कम हो।

खंड 21 आयकर अधिनियम की धारा 218 का संशोधन करने के लिए है। प्रस्थापित संशोधन इस बात का पारिणामिक है कि विधेयक के खंड 16 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 212 में एक नई उपधारा (3क) जोड़ी जा रही है।

खंड 22 आयकर अधिनियम की धारा 273 के स्थान पर 1-4-1970 से एक नई धारा रखने के लिए है। वर्तमान धारा में किए गए संशोधन इस बात के पारिणामिक हैं कि विधेयक के खंड 16 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 212 में एक नई उपधारा (3क) जोड़ी जा रही है तथा विधेयक के खंड 18 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 215 संशोधित की जा रही है तथा विधेयक के खंड 20 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 217 का संशोधन किया जा रहा है। प्रस्थापित संशोधनों का प्रभाव यह होगा कि धारा 212 की प्रस्थापित उपधारा (3क) के अधीन अपेक्षित प्राक्कलन देने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना व्यतिक्रम होने पर निर्धारण-वर्ष 1970-71 के लिए तथा तत्पश्चात् के लिए आयकर अधिनियम की धारा 273 के अधीन शास्ति लगाई जा सकेगी। ऐसे

व्यतिक्रम के लिए शास्ति उतनी रकम की कम से कम 10 प्रतिशत तथा अधिक से अधिक ड्योढ़ी होगी जितना कि धारा 210 के अधीन मांगा गया कर नियमित निर्धारण पर अवधारित कर के 75 प्रतिशत से कम हो ।

<u>खंड 23</u> आय कर अधिनियम की पांचवी अनुसूची में 1-4-1970 से दो नई मदें 32 और 33 जोड़ने के लिए है । पांचवी अनुसूची में जोड़ी जाने वाली ये मदें हैं - वस्त्र (जिनके अतंर्गत रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत वस्त्र आते हैं) जो पूर्णत: या मुख्यत: सूत के बने हों जिनके अंतर्गत सूती धागा होज़री और रस्सी आती है और वे वस्त्र (जिनके अंतर्गत रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत वस्त्र आते हैं) जो पूर्णत: या मुख्यत: पटसन के बने हों, जिनके अंतर्गत पटसन की डोरी और पटसन की रस्सी आती हैं । इन संशोधनों का प्रभाव यह होगा कि सूती और पटसन वस्त्रों के उद्योग विकासार्थ मोक खाते इस बात के हकदार होंगे कि लागत के 35 प्रतिशत की उच्चतर दर से कटौती मिले । यह तब होगा जब कि वह प्लांट और मशीनरी 31-3-1970 तक लगाई जाए । जब यह उक्त तारीख के बाद लगाई जाएंगी तो यह दर 25 प्रतिशत की होगी । इस संबंध में वर्तमान दरें क्रमश: 20 और 15 प्रतिशत हैं ।

<u>खंड 24</u> धन-कर अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) धन-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) में दी गई "आस्तियों" की परिभाषा का संशोधन करने के लिए है । प्रस्थापित संशोधन का प्रभाव यह होगा कि निर्धारण-वर्ष 1970-71 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के सम्बन्ध में धन-कर के प्रयोजनार्थ "आस्तियों" के अंतर्गत कृषि-भूमि तथा ऐसी भूमि पर की फसलें, घास और खड़े वृक्ष तथा कृषि-भूमि के कृषक अथवा कृषि-भूमि से भाटक या राजस्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व और अधिभोग या उपयोग में का कोई भवन भी आएगा ।

उपखंड (ख) धन-कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) का 1-4-1970 से संशोधन करने के लिए है । प्रस्थापित संशोधनों में से एक कृषि-भूमि पर की उगती फसलों (जिनके अंतर्गत उस भूमि पर के पेड़ों पर के फल आते हैं) तथा घास के मूल्य को धन-कर से छूट देने के लिए है । अन्य संशोधन धन-कर से उस छूट की, जो धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट है, व्याप्ति को बढ़ाने के लिए है, जिससे कि उसके अंतर्गत वे औज़ार, उपकरण और उपस्कर आ जाएं जिनका निर्धारिती द्वारा उपयोग कृषि-भूमि पर कृषि करने या उसके संरक्षण, सुधार या अनुरक्षण के लिए या ऐसी भूमि पर कोई कृषिक या उद्यान-कृषिक उत्पाद उगाने या काटने के लिए किया जाता है ।

उपखंड (ग) धन-कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) का 1-4-1969 से संशोधन करने के लिए है। उसके द्वारा धन-कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों में (जो धन की विवरणी देने में और उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन सूचना द्वारा मांगे गए लेखे, अभिलेख और साक्ष्य पेश करने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना व्यतिक्रम के लिए उद्ग्रहणीय शास्तियों के मान से संबंधित है), निम्नलिखित संशोधन करने की प्रस्थापना है:—

(i) धन की विवरणी देने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना व्यतिक्रम के लिए शास्ति वह रकम होगी जो हर मास के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहा, निर्धारण पर अवधारित शुद्ध धन (उसमें से पुनः निर्धारण की दशा में, पहले निर्धारित शुद्ध धन घटा कर) के आधे प्रतिशत के बराबर हो, किन्तु कुल मिलाकर यह ऐसे शुद्ध धन के बराबर रकम से अधिक न होगी।

(ii) लेखे, दस्तावेज और साक्ष्य पेश करने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना व्यतिक्रम के बारे में अधिरोपणीय न्यूनतम शास्ति "निर्धारित शुद्ध धन" की एक प्रतिशत होगी, किन्तु शास्ति ऐसे निर्धारित शुद्ध धन के बराबर रकम से अधिक न होगी।

इस प्रयोजनार्थ निर्धारित शुद्ध धन से वह शुद्ध धन अभिप्रेत है जो धन-कर अधिनियम की धारा 16 के अधीन मूल निर्धारण कार्यवाही में निर्धारित शुद्ध धन में से वह शुद्ध धन घटाने पर बचे जिसे विवरणी में (यदि कोई हो) दिखाया गया हो या जो धारा 17 के अधीन पुनर्निर्धारण कार्यवाही में निर्धारित शुद्ध धन में से पहले निर्धारित किया गया शुद्ध धन या ऐसी पुनर्निर्धारण कार्यवाही में दी गई विवरणी में दिखाया गया शुद्ध धन (जो भी अधिक हो) घटाने पर बचे।

<u>खंड 25</u> कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की तृतीय अनुसूची का 1-4-1969 से यह संशोधन करने के लिए है कि उस अनुसूची में से परंतुक निकाल दिया जाए। इस परंतुक के अधीन स्थिति यह थी कि ऐसी देशीय कंपनी का, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है (जिसके अंतर्गत ऐसी कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व की समनुषंगी कम्पनी आती है), आयकर तथा अतिकर का दायित्व उस कम्पनी की आयकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ कुल आय के अधिकतम 70 प्रतिशत तक सीमित था। 70 प्रतिशत की यह अधिकतम सीमा उक्त प्रकार की कंपनियों के बारे में निर्धारण-वर्ष 1969-70 के लिए आयकर

और अतिकर की प्रचलित दरों को देखते हुए महत्वशून्य हो गई है । आयकर और अतिकर की इन दरों से ऐसी कम्पनी का इन करों के लिए दायित्व कुल आय के 70 प्रतिशत से सभी दशाओं में बहुत कम होगा ।

खंड 26 उपखंड (क) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 2क में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार आयातित वस्तु पर एक अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहीत कर सके । यह शुल्क ऐसी वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री, संघटकों और अवयवों के समान प्रकृति की या तत्सदृश कच्ची सामग्री, संघटकों और अवयवों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए होगा ।

उपखंड (ख) द्वितीय अनुसूची के साथ पढ़े जाने पर इस बात का उपबन्ध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट दरों से उद्ग्रहण की वर्तमान कानूनी व्यवस्था के स्थान पर मूल्यानुसार निर्धारण की व्यवस्था कुछ प्रकार के मेवों के लिए हो जाए जिससे कि यह मूल्यानुसार दर उन आयातों को, जिनके निर्धारणीय मूल्य बढ़ गए हैं, लागू किए जाने पर अधिक राजस्व प्रदान करे । विभिन्न प्रकार के बेयरिंग पर आयात शुल्क के उद्ग्रहण के लिए एक युक्तियुक्त आधार का भी उपबन्ध किया जा रहा है । दो नई टैरिफ मदें भी बनाई गई हैं जिन पर समदर से शुल्क लगेगा । इनमें से प्रथम उन सब आयातों के लिए है जो निजी उपयोग के लिए हैं तथा आयात व्यापार नियंत्रण की अपेक्षाओं से मुक्त हैं । दूसरी मद के अंतर्गत पोत भंडारों की शुल्कादेय वस्तुएं आती हैं किन्तु इन्धन, स्नेहक तेल, अलकोहली पेय और तम्बाकू उत्पाद इनके अंतर्गत नहीं आते । वर्तमान मद 87क में भी उपयुक्त परिवर्तन किया जा रहा है जिससे मोटर गाड़ियों तथा अलकोहली पेयों को छोड़कर यात्री-माल की सब शुल्कादेय वस्तुएं उसके अंतर्गत आ जाएं ।

खंड 27 31-3-1970 तक विशेष सीमा-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है ।

खंड 28 आयातों के विनियमन के लिए या उनमें अधिक मितव्ययिता लाने की दृष्टि से 15-5-1970 तक के लिए विनियामक सीमा-शुल्कों के उद्ग्रहण का उपबन्ध करता है जिन शुल्कों का आधार विनिर्दिष्ट उच्चतम दरों के भीतर रहते हुए परिवर्तन-योग्य होगा ।

खंड 29 भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1949 के उपबन्धों को एक वर्ष तक और चालू रखने के लिए है ।

खंड 30—

उपखंड (i) चीनी के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है।

उपखंड (ii) शक्ति की सहायता से विनिर्मित प्रपुञ्ज रूप चाकलेटों पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है।

उपखंड (iii) ऐसे तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्यों पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है जो एकक आधानों में रखे गए हों और मामूली तौर पर विक्रय के लिए आशयित हों।

उपखंड (iv) सिगरेटों पर शुल्क की दर बढ़ाने के लिए है।

उपखंड (v) मोटर स्पिरिट पर शुल्क-दर बढ़ाने के लिए है।

उपखंड (vi) वनस्पति-उत्पाद के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है।

उपखंड (vii) धोने के सोडा के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है।

उपखंड (viii) कास्टिक सोडा के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है।

उपखंड (ix) सोडियम सिलिकेट के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है।

उपखंड (x) उर्वरकों पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है।

उपखंड (xi) साबुन के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है।

उपखंड (xii) कुछ किस्मों के सूती फ़ैब्रिकों के निर्धारण का आधार बदल कर मूल्यानुसार करने के लिए है। यह "सूती फ़ैब्रिक" शीर्ष वाली टैरिफ मद की व्याप्ति बढ़ाने के लिए भी है जिससे टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदों, नकली लैदर-क्लाथ, रेक्सीन इत्यादि पर, जो सादे सूती कपड़े पर बनाए गए हों, उक्त मद के अधीन शुल्क अवधारित किया जा सके।

उपखंड (xiii) और (xiv) "रेशमी फ़ेब्रिक" तथा "ऊनी फ़ेब्रिक शीर्ष वाली टैरिफ मदों की व्याप्ति बढ़ाने के लिए हैं जिससे टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदों पर, जो सादे रेशमी या ऊनी कपड़ों पर बनाए गए हों, क्रमश: उक्त मदों के अधीन शुल्क अवधारित किया जा सके।

उपखंड (xv) "रेयन या कृत्रिम रेशम के फ़ेब्रिक" शीर्ष वाली टैरिफ मद की व्याप्ति बढ़ाने के लिए है जिससे टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदों तथा नकली लैदर-क्लाथ, रेक्सीन इत्यादि पर, जो सादे रेयन या कृत्रिम रेशम के फ़ेब्रिक से बने हों, उक्त मद के अधीन शुल्क अवधारित किया जा सके।

उपखंड (xvi) पटसन विनिर्मितियों पर शुल्क की दर बढ़ाने के लिए है।

उपखंड (xvii) सेलुलोस व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री की विनिर्मितियों से गर्भित या विलेपित टैक्सटाइल संबंधी मद में स्पष्टीकारक परिवर्तन करने के लिए है क्योंकि ऐसी गर्भित या विलेपित फ़ेब्रिक की कुछ किस्में उन मदों के अंतर्गत आ रही हैं जो सूती फ़ेब्रिक तथा रेयन या कृत्रिम रेशम के फेब्रिक से संबंधित हैं।

उपखंड (xviii) कसीदे सम्बन्धी मद को निकाल देने के लिए है।

उपखंड (xix) सीमेंट के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है।

उपखंड (xx) ताम्र और ताम्रमिश्र के तारों की कुछ सरियों, छड़ों और ढली वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है।

उपखंड (xxi) अलमोनियम के तार की कुछ सरियों, छड़ों और ढली वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है।

उपखंड (xxii) द्रवों के लिए शक्ति चालित पम्पों पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है।

उपखंड (xxiii) कुछ विद्युत् बल्बों और प्रतिदीप्ति नलिकाओं के निर्धारण का आधार बदल कर मूल्यानुसार कर देने के लिए है तथा इस बात के लिए भी है कि ग्लास शैल पर प्रभार्य उत्पाद-शुल्क को उसमें सम्मिलित करके विद्युत् बल्बों और प्रतिदीप्ति नलिकाओं पर शुल्क की दरें उपयुक्त रीति से समायोजित कर दी जाएं।

उपखंड (xxiv) बिजली के पंखों के निर्धारण का आधार मूल्यानुसार कर देने के लिए तथा बिजली के पंखों सम्बन्धी मद में से बिजली के पंखों के पुर्जे निकाल देने के लिए है ।

उपखंड (xxv) कुछ घरेलू विद्युत् उपकरणों पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है ।

उपखंड (xxvi) अनुच्छन्न सिनेमा फिल्मों पर शुल्क के उद्ग्रहण तथा उच्छन्न सिनेमा फिल्मों पर शुल्क की दरें बढ़ाने के लिए है ।

उपखंड (xxvii) ग्रामोफोन सम्बन्धी मद में कुछ ऐसे परिवर्तन करने के लिए है जो स्पष्टीकारक हैं ।

उपखंड (xxviii) पैकिंग के चौर्य-रक्षित ढकनों तथा ऊन की पूनियों पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है ।

<u>खंड 31</u> वर्तमान विशेष सीमा-शुल्क को 31-3-1970 तक चालू रखने के लिए है ।

<u>खंड 32</u> उपभोग के विनियमन के लिए या उसमें अधिक मितव्ययिता लाने की दृष्टि से 15-5-1970 तक के लिए विनियामक उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने के लिए है, जिन शुल्कों का आधार विनिर्दिष्ट अधिकतम दर के भीतर रहते हुए परिवर्तनयोग्य होगा ।

<u>खंड 33</u> :—

उपखंड (i) चीनी के लिए (विक्रय-कर के बदले) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के निर्धारण का आधार भार के स्थान पर मूल्य को बनाने के लिए है ।

उपखंड (ii) "सूती फ़ैब्रिक" शीर्ष वाली टैरिफ मद की व्याप्ति बढ़ाने के लिए है जिससे टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदे तथा नकली लैदर-क्लाथ, रेक्सीन आदि पर, जो सादे सूती फ़ैब्रिक से बने हों, उक्त मद के अधीन अतिरिक्त शुल्क अवधारित किया जा सके ।

उपखंड (iii) और (iv) "रेशमी फ़ेब्रिक" तथा "ऊनी फ़ेब्रिक" शीर्ष वाली टैरिफ मदों की व्याप्ति बढ़ाने के लिए है जिससे टुकड़ों पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदों पर, जो सादे रेशमी या ऊनी कपड़ों पर बनाए गए हों, क्रमश: उक्त मदों के अधीन अतिरिक्त शुल्क अवधारित किया जा सके ।

उपखंड (v) "रेयन या कृत्रिम रेशम के फ़ैब्रिक" शीर्ष वाली टेरिफ मद की व्याप्ति बढ़ाने के लिए है, जिससे टुकड़ों, पट्टियों या अलग बने रूपों में कसीदों तथा नकली लैदर-क्लाथ, रेक्सीन इत्यादि पर, जो सादे रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक से बने हों, उक्त मद के अधीन अतिरिक्त शुल्क अवधारित किया जा सके।

खंड 34 वित्त अधिनियम, 1968 की धारा 42 की तरह यह उपबन्ध करता है कि नमक एक वर्ष और शुल्क-मुक्त रहेगा।

वित्तीय ज्ञापन

आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर

वित्त विधेयक, 1969 के खंड 24 में का उपबन्ध धन-कर के उद्ग्रहण का विस्तार कृषि-भूमियों पर तथा ऐसे भवनों पर करता है जो ऐसी भूमि पर या उसके पास हों तथा जो कृषि-भूमि के कृषक के,या ऐसी भूमि से भाटक या राजस्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व और दखल या उपयोग में हों। इस से आयकर विभाग पर कार्य-भार काफी बढ़ जाएगा तथा अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता होगी। प्रशासन पर होने वाले आनुषंगिक व्यय सहित इस खाते खर्च नीचे लिखे अनुसार लगभग 75 लाख रुपये होने का अनुमान है।

	सं0	वार्षिक परिलब्धियां	खर्च
क-आवर्ती व्यय			
		रु0	रु0
I. अधिकारी			
आयकर आयुक्त	4	4×25,200	1,00,800
सहायक आयुक्त	10	10×16,800	1,68,000
आयकर अधिकारी (प्रथम वर्ग)	150	150×11,040	16,56,000
			19,24,800
II. कर्मचारिवृंद			
निरीक्षक	300		
पर्यवेक्षक	20		
प्रधान लिपिक	50		
आशुलिपिक	14		
उच्चश्रेणी लिपिक	500		40,64,544
स्टेनो टायपिस्ट	150		
निम्नश्रेणी लिपिक	150		
सूचना तामीलकर्ता	150		

	सं0	वार्षिक परिलब्धियां	खर्च
		रु0	रु0
III. आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत चतुर्थ वर्ग कर्मचारिवृंद आता है			10,00,000
			69,89,344

<u>ख--अनावर्ती व्यय</u>

फर्नीचर, कार्यालय-उपस्कर, आदि		5,00,000
		74,89,344
	या समझिये	75,00,000

<u>अप्रत्यक्ष कर</u>

विधेयक का खंड 30 निम्नलिखित पर नए उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए है:--

1- प्रपुंज रूप में चाकलेट;
2- उर्वरक;
3- शक्तिचालित पम्प;
4- घरेलू विद्युत् उपकरण;
5- तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्य;
6- अनुच्छन्न सिनेमा फिल्में;
7- पेकिंग के लिए चौर्य-रक्षित ढकने; तथा
8- ऊन की पूनियां।

इसके अतिरिक्त प्रस्थापना यह भी है कि नौ वस्तुओं पर वर्तमान विनिर्दिष्ट दरों को मूल्यानुसार दरों में परिवर्तित कर दिया जाए।

इन नए उद्ग्रहणों के कारण कार्य-स्थलों पर ही नहीं अपितु निरीक्षण निदेशालय और सचिवालय में भी अतिरिक्त कर्मचारिवृंद रखने की आवश्यकता होगी ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की व्याप्ति बढ़ाने, विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणों का स्थान मूल्यानुसार उद्ग्रहणों को देने तथा वर्तमान वस्तुओं पर शुल्क की दरें बढ़ाने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलक्टरों के कार्यालयों में माल के टैरिफ-वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के लिए उच्चतर पर्यवेक्षण को अधिक सबल बनाया जाए;

(ii) निरीक्षण निदेशालय के निरीक्षक कर्मचारियों में वृद्धि की जाए;

(iii) उत्पाद-शुल्क-योग्य माल के उत्पादन, उपभोग और मूल्यांतरण की प्रवृत्तियों और पद्धतियों पर कड़ी नजर रखी जाए जिससे कि कर-स्तरों में उपयुक्त समायोजन किया जा सके; तथा

(iv) बोर्ड/मंत्रालय के सचिवालय में आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए जो अतिरिक्त कार्यभार को सम्हाल सकें ।

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ अतिरिक्त कर्मचारिवृंद की अपेक्षा यथा निम्नलिखित है: —

	सं०	वार्षिक परिलब्धियां	खर्च
क—आवर्ती व्यय			
		रु०	रु०
क. सचिवालय के लिए			
(क) अधिकारी			
अवर सचिव	2	2x14,000	28,000
अनुभाग अधि-कारी	2	2 x 9,000	18,000

	सं0	वार्षिक परिलब्धियां	खर्चे
		रु0	रु0
(ख) कर्मचारिवृंद			
सहायक	8	8x5,000	40,000
आशुलिपिक	1	1x5,000	5,000
निम्नश्रेणी लिपिक	4	4x3,000	12,000
कलक्टरों के कार्यालयों के लिए			
अधिकारी			
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक — द्वितीय वर्ग	14	14x9,000	1,26,000
सहायक कलक्टर	7	7x11,000	77,000
ग. निरीक्षण, सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के निदेशालय के क्षेत्रीय यूनिटों के लिए			
अधिकारी			
निरीक्षक अधिकारी (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक-प्रथम वर्ग)	4	4x11,000	44,000
घ. सांख्यिकीय और आसूचना शाखा (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क)			
अनुसंधान अधिकारी	2	2x10,000	20,000
ङ. आनुषंगिक व्यय, आकस्मिकताएं, आदि			50,000
		योग	4,20,000

ख—अनावर्ती व्यय

कुछ नहीं

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खंड 26 का उपखंड (क) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934, की धारा 2क की उपधारा (2) को एक नई उपधारा द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए समर्थ हो जाए कि वह आयातित वस्तु पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क अवधारित करने के लिए नियम बना सके। यह शुल्क भारत में वैसी ही वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री, संघटकों या अवयवों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के अनुसार होगा।

पूर्वोक्त जिस विषय में नियम बनाए जाएंगे वह प्रक्रिया और विवरण का विषय है और स्वयं विधेयक में उनका उपबन्ध प्राय: असाध्य है। इस प्रकार वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन प्रसामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिए केन्द्रीय
सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को
प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) और (3) तथा अनुच्छेद 274 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति ने इस विधेयक के पुरःस्थापन और उस पर विचार करने की सिफारिश लोक सभा से की है।

एस० एल० शकधर
सचिव

(श्री मोरारजी देसाई
उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

वित्त विधेयक 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

MEMORANDUM EXPLAINING THE PROVISIONS IN THE FINANCE BILL, 1969

(जिन खण्डों के प्रति निर्देश किया गया है वे विधेयक के खण्ड हैं)

(Clauses referred to are clauses in the Bill)

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) द्वारा निर्गत

ISSUED BY THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE)

वित्त विधेयक 1969 के उपबन्धों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

MEMORANDUM EXPLAINING THE PROVISIONS IN THE FINANCE BILL, 1969

वित्त विधेयक, 1969

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में उपबन्ध

विधेयक में, प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं:

(i) निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए कर के दायित्वाधीन आयों पर आयकर (अधिभारों सहित, जहां वे लागू होते हैं) की दरों का, और उन दरों का, विहित किया जाना जिनपर 1969-70 के दौरान कर की कटौती, ब्याज, लाभांशों, संबलमों और आय के अन्य प्रवर्गों से, जो आयकर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौती के दायित्वाधीन हैं, स्रोत पर की जानी है; और वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिए कतिपय दशाओं में चालू आयों पर अग्रिम कर की संगणना करने तथा आयकर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 में, उसके उपबन्धों में से कुछ को, जिसके अन्तर्गत "ऐसी कम्पनी, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" की परिभाषा भी आती है, और अग्रिम कर के संदाय की स्कीम को सुव्यवस्थित और सरल बनाने, व्यक्तिगत बचतों को और व्यापक क्षेत्र में, तथा भारतीय कम्पनियों के अंशों में विनिधानों को सुकर बनाने और कतिपय दिशाओं में विकासार्थ प्रोत्साहन और कर-राहत का उपबन्ध करने की दृष्टि से संशोधन।

(iii) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में बहुजनधारित घरेलू कम्पनियों की दशा में, उनकी कुल आय के 70 प्रतिशत पर निगम कर के उनके संकलित दायित्व की अधिकतम सीमा के लिये वर्तमान उपबन्ध का विलोप करने के लिए संशोधन, क्योंकि इस अधिकतम सीमा का अब कोई महत्व नहीं रहा और वह भ्रामक है।

(iv) धनकर अधिनियम, 1957 में, निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए और से कृषिक सम्पत्ति पर धनकर के उद्ग्रहण को विस्तारित करने के लिए, और शुद्ध धन की विवरणी देने में तथा सूचना द्वारा अपेक्षित दस्तावेजें और लेखा पेश करने में, बिना युक्तियुक्त हेतुक के, असफलता के लिए शास्ति के उद्ग्रहण के लिए उपबन्धों को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन।

2. विधेयक में इस सिद्धान्त का (जिसे 1967 से अपनाया गया है) अनुसरण किया गया है कि कर की दरों में एवं कर-विधि के अन्य उपबन्धों में तब्दीलियों को मामूली तौर पर चालू आयों के सम्बन्ध में भविष्य-लक्षी रूप से, न कि पिछले वर्ष की आयों के लिए, लागू करना चाहिए।

3. विधेयक में के प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मुख्य उपबन्धों के सार का स्पष्टीकरण निम्नलिखित पैराओं में किया गया है।

आयकर

I. निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए कर के दायित्वाधीन आयों के बारे में आयकर की दरें।

4. व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों, रजिस्ट्रीकृत फर्मों और अनिगमित करदाताओं के अन्य प्रवर्गों की दशा में निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए निर्धारण के दायित्वाधीन आयों पर आयकर (जिसके अन्तर्गत आयकर पर अधिभार आते हैं) की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान अग्रिम कर की संगणना और 'संबलमों' में से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 1968 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा क से लेकर घ तक में उपबन्धित हैं। ये दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग I के पैरा क से लेकर घ तक में विनिर्दिष्ट की गई हैं। उपाबन्ध 'क' में की सारणी में (इस ज्ञापन का पृष्ठ 59) वह कर (जिसके अन्तर्गत अधिभार आता है) दर्शित है जो विभिन्न व्यक्तिगत परिस्थितियों में के व्यष्टियों (अविवाहित, विवाहित और एक सन्तानवाला तथा दो या अधिक सन्तानोंवाला) की दशा में 4,000 रुपए से 10,00,000 रुपए तक की कुल आय के चुने हुए स्तरों पर इन दरों पर संदेय है।

5. भारत के जीवन बीमा निगम और अन्य कम्पनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए निर्धारणीय आयों पर आयकर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान संदेय अग्रिम कर की संगणना के लिए वित्त अधिनियम, 1968 की प्रथम अनुसूची (भाग III, पैरा ङ और च) में उपबन्धित हैं। ये दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची (भाग I, पैरा ङ. और च) में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

II. वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान "संबलमों" से भिन्न आयों में से स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरें।

6. वे दरें, जो वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान "संबलमों" से भिन्न आयों (अर्थात् प्रतिभूतियों पर ब्याज और अन्य ब्याज, लाभांश और अनिवासियों की संबलम् - बाह्य आय के अन्य प्रवर्ग) में से स्रोत पर कर की कटौती के लिए हैं, वही हैं जो वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए वित्त अधिनियम, 1968 की प्रथम अनुसूची (भाग II) के अधीन लागू हैं। ये दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग II में उपवर्णित हैं।

III. वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान "संबलमों" में से स्रोत पर कर की कटौती और अग्रिम कर की संगणना तथा विशेष दशाओं में आयकर प्रभारित करने के लिए दरें।

7. वे दरें जो वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान व्यष्टियों की दशा में "संबलमों" में से स्रोत पर कर की कटौती के लिए हैं और करदाताओं के सभी प्रवर्गों की दशाओं में उस वर्ष में संदेय अग्रिम कर की संगणना के लिए भी हैं, विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें कतिपय वृत्तियों (चार्टर्ड एकाउन्टेंट, सालिसिटर, विधि व्यवसायी, आदि) में लगी रजिस्ट्रीकृत फर्मों के भागीदारों को संदेय

निवृत्ति वार्षिकियों से 1969-70 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए और विशेष दशाओं में, उदाहरणार्थ, अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोतपरिवहन लाभों के अनंतिम निर्धारण के लिए, चालू आयों पर 1969-70 के दौरान आयकर प्रभारित करने के लिए भी लागू होती हैं।

8. ऊपर वर्णित दरें कर की ऐसी दरों से भिन्न हैं जो निम्नलिखित पैराओं में स्पष्टीकृत कतिपय क्षेत्रों में निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए कर के दायित्वाधीन आयों के निर्धारण के लिए विधेयक में विनिर्दिष्ट हैं।

9. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, अरजिस्ट्रीकृत फर्में, व्यक्ति-संगम, आदि — इस समय करदाताओं के इन प्रवर्गों की आयों पर आधारिक आयकर की दरें 1–5,000 रुपए के स्लैब की आय पर 5 प्रतिशत से लेकर 2,50,000 रुपए से अधिक आयों पर 75 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर बढ़ती हैं। आधारिक आयकर पर 10 प्रतिशत की दर से संघ अधिभार भी सभी दशाओं में प्रभार्य है। 10,001–15,000 रुपए के स्लैब की आय पर इस समय आधारिक आयकर की दर 15 प्रतिशत; 15,001–20,000 रुपए के स्लैब की आयों पर 20 प्रतिशत; 20,001–25,000 रुपए के स्लैब में 30 प्रतिशत है; और 25,001–30,000 रुपए के स्लैब में दर 40 प्रतिशत है। विधेयक में आयों पर आधारिक आयकर की दर में, 10,001–15,000 रुपए के स्लैब में 15 प्रतिशत से 17 प्रतिशत करके, 2 प्रतिशत वृद्धि और 15,001–20,000 रुपए के स्लैब की आयों पर 20 प्रतिशत से 23 प्रतिशत करके, 3 प्रतिशत वृद्धि की जा रही है। इन प्रस्थापित वृद्धियों से 10,000 रुपए और 30,000 रुपए के बीच की आयों पर आधारिक आयकर की दरों में बराबर उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। आय के सभी स्तरों पर आधारिक आयकर के 10 प्रतिशत की दर पर संघ अधिभार को चालू रखने की प्रस्थापना है।

10. निम्नलिखित सारणी, दो या अधिक आश्रित सन्तानवाले निवासी विवाहित व्यष्टि की आय के चुने गये स्तरों पर कर (जिसके अंतर्गत अधिभार है) का तुलनात्मक आपतन (क) ऐसी दरों पर दर्शित करती है जो वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान अग्रिम कर की संगणना और "संबलमों" से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए लागू हैं [और निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए निर्धारणीय आयों को लागू की जानी प्रस्थापित हैं], और (ख) ऐसी दरों पर दर्शित करती है जो वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान अग्रिम कर की संगणना और "संबलमों" से स्रोत पर कर की कटौती के लिए विधेयक में प्रस्थापित हैं।

एक से अधिक आश्रित सन्तान वाला निवासी विवाहित व्यष्टि
आय के चुने गए स्तरों पर कर का तुलनात्मक आपतन

आय	वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान लागू दरों पर कर (जिसके अन्तर्गत अधिभार भी आता है) [ऊपर (क) में यथाकथित]	1969-70 के दौरान "अग्रिम कर" की संगणना और "संबलमों" से स्रोत पर कर की कटौती के लिए विधेयक में की दरों पर कर (जिसके अन्तर्गत अधिभार भी आता है) [ऊपर (ख) देखिए]	कर में वृद्धि
1	2	3	4
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
5,000	11	11	--
7,500	286	286	--

1	2	3	4
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
10,000	561	561	--
12,500	974	1,029	55
14,000	1,221	1,309	88
15,000	1,386	1,496	110
16,000	1,606	1,749	143
18,000	2,046	2,255	209
20,000	2,486	2,761	275
25,000	4,136	4,411	275
40,000	11,836	12,111	275
70,000	30,536	30,811	275
1,00,000	51,986	52,261	275
2,00,000	1,28,986	1,29,261	275
3,00,000	2,08,736	2,09,011	275
5,00,000	3,73,736	3,74,011	275

11. ऊपर की सारणी से यह प्रतीत होगा कि 10,001 – 15,000 रुपए और 15,001 – 20,000 रुपए के स्लैबों की आयों पर आधारिक आयकर की दरों में प्रस्थापित वृद्धियों के परिणामस्वरूप, 15,000 रुपए के स्तर पर की आय पर संदेय अतिरिक्त कर की रकम (जिसके अन्तर्गत उसके 10 प्रतिशत की दर से अधिभार आता है), 100 रुपए होगी और 20,000 रुपए और उससे अधिक के आय के स्तरों पर संदेय अतिरिक्त कर, हर-एक दशा में, केवल 275 रुपए होगा ।

11.1 उपाबन्ध 'ख' में की सारणी में (इस ज्ञापन का पृष्ठ 60) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों, अरजिस्ट्रीकृत फर्मों, व्यक्ति-संगमों आदि की दशा में वह आयकर दर्शित है जो 6,000 रुपए से लेकर 20,00,000 रुपए तक की कुल आयों पर, वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान, अग्रिम कर की संगणना और संबलमों से कर की कटौती करने के लिए विधेयक में यथा प्रस्थापित दरों पर संदेय है ।

12. सहकारी सोसाइटियां — सहकारी सोसाइटियां इस समय अपनी कराधेय आय की संगणना में आय-कर अधिनियम के अधीन विभिन्न रियायतों की हकदार हैं और वे वार्षिक वित्त अधिनियमों के अधीन अपनी प्रभार्य आय पर कर की रियायती दरों का भी फायदा उठाती हैं । सहकारी सोसाइटियों की दशा में जो कर की वर्तमान दर-संरचना है वह कतिपय फेरफारों के अध्यधीन रहते हुए, कर की ऐसी दर-संरचना के साथ ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई है, जैसी कि व्यष्टियों की दशा में है और वह सरल नहीं है । सहकारी सोसाइटियों को विनिर्दिष्ट कारबार-क्रियाकलापों से, अर्थात् बैंककारी; कुटीर उद्योग; अपने सदस्यों के कृषि-उत्पाद का विपणन, कृषि उपकरणों, बीजों आदि का अपने सदस्यों को प्रदाय, सदस्यों के कृषि उत्पाद के विद्युत शक्ति की सहायता बिना प्रसंस्करण से, अपनी संपूर्ण आय पर और प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की दशा में उस आय पर छूट प्राप्त है जो उसके सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध का संघीय दुग्ध सहकारी सोसाइटी को प्रदाय करने से

प्राप्त हुई है । सहकारी सोसाइटियों को साधारणतः 15,000 रुपए की रकम तक किसी अन्य कारबार-आय पर भी (बीमा कारबार से प्राप्त आय को छोड़कर) कर से छूट प्राप्त है ।

13. इसके अतिरिक्त, सहकारी सोसाइटी को ब्याज और लाभांशों की ऐसी सम्पूर्ण रकम पर कर से छूट प्राप्त है जो उसने किसी अन्य सहकारी सोसाइटी से प्राप्त की है और उसे ऐसी आय पर भी, जो उसने गोदामों और भांडागारों को वस्तुओं के भंडारकरण, प्रसंस्करण या विपणन को सुकर बनाने के लिए पट्टे पर देने से प्राप्त की है, कर से छूट प्राप्त है । जहां किसी सहकारी सोसाइटी की सकल कुल आय 20,000 रुपए से अधिक नहीं है और वह आवासन सोसाइटी या नगरीय उपभोक्ता सोसाइटी या ऐसी सोसाइटी नहीं है जो परिवहन कारबार या विद्युत शक्ति की सहायता से विनिर्माण संक्रियाएं चला रही है तो उसे गृह-सम्पत्ति और प्रतिभूतियों पर ब्याज से प्राप्त अपनी संपूर्ण आय पर भी कर से छूट प्राप्त है । जहां कोई सहकारी आवासन सोसाइटी, सहकारी गृह-निर्माण स्कीम के अधीन अपने भवनों को अपने सदस्यों को आबंटित करती है या पट्टे पर देती है, वहां ऐसी गृह-सम्पत्ति से प्राप्त आय सीधे उन सदस्यों के हाथों में निर्धारणीय है न कि सोसाइटी के हाथों में ।

14. इस समय, ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी प्रभार्य आय (कर से छूट प्राप्त आय, जिसके अन्तर्गत पैरा 12 में निर्दिष्ट 15,000 रुपए हैं, की कटौती करने के पश्चात् यथासंगणित) 4,000 रुपए से अधिक नहीं है, किसी कर के दायित्वाधीन नहीं है । वह सहकारी सोसाइटी जिसकी प्रभार्य आय 4,000 रुपए से अधिक है, ऐसी उत्तरोत्तर दरों पर जो 1 — 5,000 रुपए के स्लैब की आय पर 5 प्रतिशत से लेकर 25,000 रुपए से अधिक आय पर 40 प्रतिशत तक है, कर के दायित्वाधीन है । आधारिक आयकर पर 10 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय अधिभार भी सभी दशाओं में उद्गृहीत किया जाता है । प्रभार्य आय के 20,000 रुपए तक, सहकारी सोसाइटी की दशा में कर की दरें वही हैं जो व्यष्टि की दशा में हैं । सहकारी सोसाइटी की 20,001 — 25,000 रुपए के स्लैब की प्रभार्य आय पर आधारिक आयकर की दर 25 प्रतिशत है जबकि वह व्यष्टि की दशा में 30 प्रतिशत है । सहकारी सोसाइटी की 25,000 रुपए से अधिक प्रभार्य आय पर 40 प्रतिशत की समान दर पर आयकर लगता है, जबकि व्यष्टि की दशा में दरें 40 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर बढ़ती गई हैं ।

15. जहां तक उपर्युक्त का सम्बन्ध है, विधेयक में सहकारी सोसाइटियों की आय के कराधान की स्कीम में, उसको सुव्यवस्थित एवं सरल बनाने के लिए, निम्नलिखित तब्दीलियां की जा रही हैं :

(i) कारबार-आय की वह रकम, जो सहकारी सोसाइटियों की दशा में साधारणतः कर से छूट प्राप्त है, 5,000 रुपए बढ़ाकर, 15,000 रुपए से 20,000 रुपए की जा रही है । इसके अतिरिक्त, 20,000 रुपए तक की इस छूट का फायदा सहकारी सोसाइटियों को बीमा-कारबार से प्राप्त आयों के बारे में भी देने की प्रस्थापना है ।

ऊपर वर्णित तब्दीलियां 1-4-1970 से, अर्थात् निर्धारण वर्ष 1970-71 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए, प्रवर्तित की जाने के लिए हैं ।

(ii) वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजन के लिए, सहकारी सोसाइटियों की दशा में कर को ऐसी नई दर-संरचना का अधिकथित किया जाना प्रस्थापित है, जो व्यष्टियों की दशा में लागू दर-संरचना से भिन्न है ।

कर की नई दर-संरचना के अधीन, आधारिक आयकर की दर, सहकारी सोसाइटियों के 1–10,000 रुपए के स्लैब की प्रभार्य आय पर (कर से छूट प्राप्त आय की कटौती करने के पश्चात् यथासंगणित) 15 प्रतिशत होगी, 10,001 – 20,000 रुपए के स्लैब की प्रभार्य आय पर 25 प्रतिशत होगी और 20,000 रुपए से अधिक की प्रभार्य आय पर वह 40 प्रतिशत होगी। आधारिक आयकर के 10 प्रतिशत पर संघ अधिभार इस समय की भाँति ही सभी दशाओं में उद्ग्रहणीय होगा।

16. उस रकम में, जिस तक सहकारी सोसाइटियों की दशा में साधारणतः कारबार-आय कर से छूट प्राप्त होगी, 5,000 रुपए की (15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए) प्रस्थापित वृद्धि के परिणामस्वरूप, उन सहकारी सोसाइटियों को, जिनकी प्रभार्य आय 4,000 रुपए से अधिक नहीं है, दी जाने वाली कर से वर्तमान छूट बन्द करने की प्रस्थापना है।

17. निम्नलिखित सारणी, सहकारी सोसाइटियों की दशा में, कारबार (बैंककारी, कुटीर उद्योग आदि से, जिनकी संपूर्ण आय कर से छूट प्राप्त है, और बीमा कारबार से भिन्न) से प्राप्त आय के चुने हुए स्तर पर वर्तमान विधि और विधेयक के अधीन तब्दील की जाने के लिए यथाप्रस्थापित विधि के अधीन कर के तुलनात्मक आपतन को दर्शित करती है:

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, ऊपर यथाकथित कारबार-आय के चुने गये स्तरों पर कर के तुलनात्मक आपतन को दर्शित करने वाला विवरण।

कारबार-आय (कर से छूट प्राप्त आय की कटौती से पूर्व)	सदेय अधिभार सहित कर		स्तम्भ (2) और (3) के बीच अन्तर	
	विद्यमान आधार पर	प्रस्थापित आधार पर	कमी	वृद्धि
1	2	3	4	5
रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
15,000	--	--	--	--
16,000	--	--	--	--
17,000	--	--	--	--
18,000	--	--	--	--
19,000	--	--	--	—
19,500	220	--	220	--
20,000	275	--	275	--
21,000	385	165	220	--
22,000	495	330	165	--
23,000	605	495	110	--
24,000	715	660	55	--

1	2	3	4	5
रु0.	रु0	रु0	रु0	रु0
25,000	825	825	--	--
26,000	990	990	--	--
27,000	1,155	1,155	--	--
28,000	1,320	1,320	--	--
29,000	1,485	1,485	--	--
30,000	1,650	1,650	--	--
31,000	1,870	1,925	--	55
32,000	2,090	2,200	—	110
33,000	2,310	2,475	--	165
34,000	2,530	2,750	--	220
35,000	2,750	3,025	--	275
36,000	3,025	3,300	--	275
37,000	3,300	3,575	--	275
38,000	3,575	3,850	--	275
39,000	3,850	4,125	--	275
40,000	4,125	4,400	--	275
41,000	4,565	4,840	--	275
42,000	5,005	5,280	--	275
43,000	5,445	5,720	--	275
44,000	5,885	6,160	--	275
45,000	6,325	6,600	--	275

18. ऊपर की सारणी से यह विदित होगा कि 30,000 रुपए तक की सकल कुल आय पर, प्रस्थापित आधार पर सहकारी सोसाइटियों पर कर का आपतन या तो वही होगा जैसा कि विद्यमान विधि के अधीन है या उससे किंचित् कम होगा। 30,000 रुपए से अधिक की सकल कुल आय पर प्रस्थापित आधार पर कर का आपतन उससे किंचित् अधिक होगा जो विद्यमान विधि के अधीन है, और संदेय अतिरिक्त कर किसी भी दशा में 275 रुपए से अधिक नहीं होगा। यह वृद्धि विधेयक की ऐसी प्रस्थापनाओं के अधीन, जो ऊपर पैरा 9–11 में स्पष्ट की गई हैं, व्यक्तिगत आय पर कर के आपतन में समरूप वृद्धि के अनुरूप ही है।

19. रजिस्ट्रीकृत फर्में:—इस समय रजिस्ट्रीकृत फर्में अपनी कुल आय पर पृथक् रूप से कर के लिए प्रभार्य हैं किन्तु उनके द्वारा संदेय कर फर्म की आय में भागीदारों के व्यष्टिक अंशों को संगणित करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है। रजिस्ट्रीकृत फर्मों की दशा में, कर की विद्यमान दर-अनुसूची के अधीन उनकी कुल आय के प्रथम 25,000 रुपए पर कोई कर नहीं है, किन्तु अतिशेष पर कर ऐसी आधारिक आय कर की दरों पर प्रभार्य है जो 25,001 – 50,000 रुपए के स्लैब की आय पर 6 प्रतिशत से उत्तरोत्तर बढ़कर 1,00,000 रुपए से अधिक की आय पर 20 प्रतिशत तक हो जाता है। रजिस्ट्रीकृत फर्में

आधारिक आय-कर के 20 प्रतिशत (मुख्यतः वृत्ति से आय प्राप्त करने वाली रजिस्ट्रीकृत फर्म की दशा में 10 प्रतिशत) की दर पर मामूली अधिभार और आधारिक आयकर तथा मामूली अधिभार की संकलित रकम के 10 प्रतिशत की दर पर विशेष अधिभार के संदाय के लिए भी दायी हैं।

20. विधेयक में इस समय कर से छूट प्राप्त आय की आरम्भिक स्लैब की रकम को 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करके रजिस्ट्रीकृत फर्मों की आय के कराधान के क्षेत्र में वृद्धि करना प्रस्थापित है। 10,001 – 25,000 रुपए के स्लैब में की आय पर कर की दर 4 प्रतिशत पर नियत करने की प्रस्थापना है। मामूली अधिभार और साथ ही साथ विशेष अधिभार की दरों को कोई तब्दीली किए बिना, बनाए रखने की प्रस्थापना है। रजिस्ट्रीकृत फर्मों की दशा में कर की पुनरीक्षित दर-अनुसूची को वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान संदेय अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित करने की प्रस्थापना है।

21. रजिस्ट्रीकृत फर्मों की 10,001 – 25,000 रुपए के स्लैब में की आय पर 4 प्रतिशत की दर पर आधारिक आयकर के प्रस्थापित उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप, वह फर्म जिसकी कुल आय 25,000 रुपए और उससे अधिक है, हरएक दशा में, 792 रुपए के (जहां फर्म मुख्यतः वृत्ति से आय प्राप्त करती हो वहां 726 रुपए) कर की (अधिभारों सहित) अतिरिक्त रकम का संदाय करने के लिए दायी होगी। फर्म के भागीदार, वस्तुतः, इस अतिरिक्त कर के एक भाग को पूरा कर लेंगे, क्योंकि यह फर्म की आय में के उनके व्यष्टिक अंश की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है। नीचे दी गई सारणी, विधि के विद्यमान उपबन्धों के अधीन और विधेयक में प्रस्थापित आधार पर रजिस्ट्रीकृत फर्म और उसके भागीदारों पर, सम्मिलित रूप में, कर के तुलनात्मक आपतन को ऐसी दशा में दर्शित करती है जिसमें फर्म कारबार से आय प्राप्त करती है और उसके ऐसे (क) दो भागीदार और (ख) चार भागीदार हैं जो फर्म के लाभों में समान अनुपात में अंश धारण करते हैं :

रजिस्ट्रीकृत फर्म और उसके भागीदारों पर, सम्मिलित रूप में विद्यमान आधार पर और प्रस्थापित आधार पर, कर का तुलनात्मक आपतन।

रजिस्ट्रीकृत फर्म की आय	रजिस्ट्रीकृत फर्म और उसके सभी भागीदारों द्वारा संदेय कर की संकलित रकम		कर में वृद्धि [स्तम्भ 3 ऋण स्तम्भ 2]
	विद्यमान आधार	प्रस्थापित आधार	
1	2	3	4
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
	फर्म, जिसके दो भागीदार हैं		
16,000	682	963	281
20,000	1,122	1,592	470
24,000	1,782	2,399	617
40,000	5,900	6,516	616
60,000	14,670	15,110	440
1,00,000	39,128	39,480	352

1	2	3	4
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
	फर्म, जिसके चार भागीदार हैं		
16,000	--	317	317
20,000	44	544	500
24,000	484	1,143	659
40,000	3,300	4,008	708
60,000	8,520	9,180	660
1,00,000	23,184	23,712	528

[खण्ड 2 और 10, और प्रथम अनुसूची]

IV. कम्पनियों के प्रभार्य लाभों पर अतिकर

22. अतिकर — कम्पनियों के शुद्ध प्रभार्य लाभों पर अतिकर की दर को निर्धारण वर्ष 1969-70 से 10 प्रतिशत कम, अर्थात् 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत, करने के लिए कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का संशोधन वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा किया गया था। इस विधेयक में कम्पनियों पर अतिकर की दरों में किसी तब्दीली की प्रस्थापना नहीं की गई है।

23. बहुजन-धारित घरेलू कम्पनियों की दशा में, (अर्थात् ऐसी कम्पनियों की दशा में जिनमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है), उनके आयकर और अतिकर के संकलित दायित्व की अधिकतम सीमा का, जो 70 प्रतिशत है, हटाया जाना। — कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में बहुजन-धारित घरेलू कम्पनी की दशा में, आयकर और अतिकर के लिए उसके संकलित दायित्व के ऊपर, उसकी कुल आय के 70 प्रतिशत पर अधिकतम सीमा का उपबन्ध है। यह उपबन्ध उस समय सार्थक था जब यह 1965 में प्रवृत्त किया गया था, जबकि कम्पनियों के शुद्ध प्रभार्य लाभों पर अतिकर की दर 40 प्रतिशत थी और घरेलू कम्पनियां अपने साम्या-लाभांशों के वितरणों के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयकर के भी दायित्वाधीन थीं। निर्धारण वर्ष 1969-70 से, अतिकर की दर 25 प्रतिशत तक कम हो जाने के और घरेलू कम्पनियों के साम्या-लाभांशों के वितरणों के सम्बन्ध में ऐसी कम्पनियों पर अतिरिक्त आयकर के उद्ग्रहण की समाप्ति के भी साथ ही, आयकर और अतिकर के लिए बहुजन-धारित कम्पनियों का संकलित दायित्व ऐसी कम्पनी की दशा में जो पूर्विकता-प्राप्त उद्योग में लगी हुई है, 60.95 प्रतिशत के और अन्य दशाओं में 66.25 प्रतिशत के परे, किसी भी दशा में, नहीं जा सकता। वस्तुतः, लाभ-योग्यता के प्रसामान्य स्तरों पर, ऐसे मामलों में आयकर और अतिकर के लिए संकलित दायित्व उपर्युक्त प्रतिशतताओं से उल्लेखनीय रूप से अधिक नीचा है। इस प्रकार, किसी ऐसी बहुजन-धारित घरेलू कम्पनी की दशा में, जो विनिर्दिष्ट पूर्विकता-प्राप्त उद्योगों में से किसी में लगी हुई है, और जिसे अपने पूंजी-आधार के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत आरक्षितियां, डिबेंचर और दीर्घकालिक

उधार आते हैं) 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की लाभ-योग्यता प्राप्त है, आयकर और अतिकर के लिए संकलित दायित्व क्रमशः 50.95 प्रतिशत, 52.69 प्रतिशत और 54.70 प्रतिशत होगा । जहां ऐसी कम्पनी किसी अन्य क्रियाकलाप से आय प्राप्त करती है, वहां 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की लाभ-योग्यता के इन स्तरों पर आयकर और अतिकर के लिए उसका संकलित दायित्व क्रमशः 56.25 प्रतिशत, 57.92 प्रतिशत और 60 प्रतिशत होगा ।

24. उपरि-वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कुल आय के 70 प्रतिशत की उस अधिकतम सीमा का जो बहुजन-धारित घरेलू कम्पनियों की दशा में, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में अधिकथित है, अब कोई महत्व नहीं रहा तथा वह भ्रामक भी है क्योंकि इससे यह गलत धारणा उत्पन्न होने की संभावना है कि ऐसी कम्पनी की दशा में आयकर और अतिकर का संकलित दायित्व इतना अधिक है कि 70 प्रतिशत तक हो सकता है । अतः, इस विधेयक द्वारा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम के उस उपबन्ध का विलोप किया जाना प्रस्थापित है, जो ऊपर वर्णित अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में है ।

[खण्ड 25]

V. आयकर अधिनियम में प्रस्थापित संशोधन

25. आयकर अधिनियम के उन उपबन्धों में, जो सहकारी सोसाइटियों के सम्बन्ध में हैं, संशोधनों की चर्चा इसके पूर्व पैरा 12 से लेकर 18 तक में की गई है । इस विधेयक के अधीन आयकर अधिनियम के अन्य संशोधनों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है ।

आयकर अधिनियम के उपबन्धों में से कुछ को सुव्यवस्थित करने और सरल बनाने के लिए अध्युपाय

26. ऐसी लोक कम्पनियों, जिनके अंश भारत में के मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, के सम्बन्ध में बहुजन-धारित कम्पनियों के रूप में (अर्थात् ऐसी कम्पनियों के रूप में जिनमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) व्यवहार ।—आयकर अधिनियम में ऐसी घरेलू कम्पनी, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और अल्पजन-धारित घरेलू कम्पनी (अर्थात् ऐसी घरेलू कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध नहीं है) के बीच कर-व्यवहार के सम्बन्ध में विभेद किया गया है। अल्पजन-धारित कम्पनियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे लाभांशों का वितरण अपनी वितरणीय आय की कानूनी प्रतिशतता तक करें, जिसमें असफलता की दशा में वे अपने अवितरित लाभों के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयकर का संदाय करने के लिए दायी हैं। अल्पजन-धारित कम्पनियां (कतिपय अपवादों के अध्यधीन) अपनी आय पर आयकर के लिए भी,ऐसी दरों पर, जो बहुजन-धारित घरेलू कम्पनियों की दरों से उच्चतर हैं, दायित्वाधीन हैं ।

27. आयकर के प्रयोजन के लिए, लोक कम्पनी को "ऐसी कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" के रूप में केवल तभी समझा जाता है, जबकि वह उन विभिन्न मानदण्डों की तुष्टि कर देती है जोकि आयकर अधिनियम में उस पद की परिभाषा में अधिकथित हैं । इन मानदण्डों में से एक यह है कि 50 प्रतिशत से अन्यून उसकी साम्या-पूंजी सरकार, कानूनी निगम, किसी ऐसी अन्य कम्पनी द्वारा जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है (या उस समनुषंगी कम्पनी द्वारा जो पूर्णतः ऐसी कम्पनी के स्वामित्वाधीन है) या (कम्पनी के निदेशक या किसी अल्पजन-धारित कम्पनी का अपवर्जन करके) जनता द्वारा सुसंगत लेखा-वर्ष भर

फायदाप्रद रूप से धारित की जानी चाहिये। दूसरा मानदण्ड यह है कि कम्पनी में के अंश सुसंगत लेखा-वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यौहार के विषय थे तथा वे अंशधारियों द्वारा जनता के अन्य सदस्यों को निर्बाध रूप से अन्तरणीय थे। एक और मानदण्ड, जिस पर कम्पनी को खरा उतरना है, यह है कि उसके कार्यकलाप अथवा ऐसे अंश जो उसकी कुल मतदान शक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक मतदान की शक्ति रखने वाले हों, सुसंगत लेखा-वर्ष के दौरान किसी भी समय, पांच या उनसे कम व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं थे अथवा धारित नहीं थे। इस मानदण्ड का प्रयोग करने में, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के नातेदार हैं, और वे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशिती हैं, उस अन्य व्यक्ति के सहित, एकल व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। ऐसे सभी मानदण्डों का, जिनकी कम्पनी को आकलित रूप से तुष्टि करनी होती है, प्रयोग करने में सुसंगत लेखा-वर्ष भर उसके साम्या-अंशों के स्वामित्व के नियंत्रण और वितरण की जांच करनी होती है, जिसमें समय लगता है तथा मुकदमेबाज़ी के अलावा, कम्पनी के कर-दायित्व के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

28. अतः इस विधेयक द्वारा आयकर अधिनियम में एक उपबन्ध करने की प्रस्थापना है जिससे सुनिश्चित हो जाए कि उस लोक कम्पनी को जिसके साम्या-अंश प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, ऊपर वर्णित मानदण्डों में से किसी का उस पर प्रयोग किए बिना "कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" के रूप में माना जाएगा। ये मानदण्ड (ऐसे मानदण्ड को छोड़कर जो कम्पनी के उन अंशों से सम्बन्धित हैं जोकि भारत में के मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यौहारों के विषय हैं, जिसे उपर्युक्त नए उपबन्ध के परिणामस्वरूप विलुप्त किया जाना प्रस्थापित है) केवल ऐसी लोक कम्पनी की दशा में लागू होंगे जिसके साम्या-अंश भारत में मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

29. ये नए उपबन्ध 1-4-1970 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1970-71 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए, प्रभावी किए जाने वाले हैं।

[खण्ड 3]

आयकर अधिनियम के अधीन अग्रिम कर के संदाय की विद्यमान स्कीम को सुव्यवस्थित करना और सरल बनाना

30. अग्रिम कर के संदाय की विद्यमान स्कीम — आयकर अधिनियम में करदाता की (पूंजी-अभिलाभों से भिन्न) ऐसी चालू आय पर, जो वित्तीय वर्ष के निकटतम आगामी निर्धारण वर्ष के लिए कर के दायित्वाधीन है, हर वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट तारीखों तक अग्रिम कर का, बराबर किस्तों में, संदाय करने की अपेक्षा की गई है। अग्रिम कर केवल वहां ही संदेय है जहां कि ऐसी आय, जो अग्रिम कर के अध्यधीन है, उन विनिर्दिष्ट परिसीमाओं से अधिक है, जोकि, इस समय, कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, 2,500 रुपए, रजिस्ट्रीकृत फर्म की दशा में, 27,500 रुपए तथा अन्य किसी दशा में 6,500 रुपए है।

31. किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसका आयकर के लिए निर्धारण पहले ही हो चुका है, अग्रिम कर का संदाय आयकर अधिकारी द्वारा मांग की सूचना निकाली जाने पर, करदाता की अन्तिम निर्धारित आय के सम्बन्ध में, किया जाना अपेक्षित है। उस व्यक्ति से, जिसका कर के लिए निर्धारण अब तक नहीं

किया गया है, उसके द्वारा यथा-प्राक्कलित अपनी चालू आय के सम्बन्ध में, अग्रिम कर का स्वेच्छया संदाय करने की अपेक्षा की गई है। अग्रिम कर की रकम की संगणना अग्रिम कर के अध्यधीन आय पर (अर्थात्, पूंजी-अभिलाभों को, यदि कोई हों, घटाकर यथास्थिति, अन्तिमनिर्धारित कुल आय अथवा करदाता द्वारा प्राक्कलित चालू आय) वार्षिक वित्त अधिनियम में विहित दरों पर की जाएगी। इस प्रकार परिकलित अग्रिम कर ऐसे कर की रकम से कम कर दिया जाता है, जो उस आय की जोकि ऐसी कटौती (उदाहरणार्थ, ब्याज, लाभांश आदि) के अध्यधीन है, शुद्ध रकम पर स्रोत पर ही कटौती-योग्य हो। अतिशेष की ऐसी रकम, जो ऐसी कटौती के पश्चात् निकाली गई हो, अग्रिम कर के रूप में संदेय है।

32. अग्रिम कर, ऐसी आय के स्रोतों के सम्बन्ध में, जिनके लिए करदाता ने या तो कोई लेखा रखा ही नहीं है या 1 जनवरी और 30 अप्रैल के बीच की किसी तारीख को समाप्त होनेवाली कालावधि के लिए लेखा रखा है, वित्तीय वर्ष में 1 सितम्बर, 1 दिसम्बर और 15 मार्च तक तीन बराबर किस्तों में संदेय होता है। आय के अन्य स्रोतों के सम्बन्ध में (जिनके लिए लेखा ऐसी कालावधि के लिए रखा गया है जो 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व समाप्त होती है) अग्रिम कर वित्तीय वर्ष की 1 जून, 1 सितम्बर, 1 दिसम्बर और 1 मार्च तक चार बराबर किस्तों में संदेय होता है। जहां करदाता के आय-स्रोत एक से अधिक हैं और वह इन स्रोतों के लिए ऐसे लेखा रखता है जो विभिन्न तारीखों को समाप्त होते हैं, अर्थात् आय के एक स्रोत के लिए कलेन्डर वर्ष और दूसरे स्रोत के लिए 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष, वहां आय के ऐसे स्रोतों के सम्बन्ध में संदेय अग्रिम कर वर्तमान विधि के अधीन पृथक् रूप में परिकलित किया जाना है, जबकि पूर्वकथित स्रोत की बाबत अग्रिम कर चार बराबर किस्तों में और पश्चात्कथित स्रोत के लिए तीन बराबर किस्तों में संदेय होगा।

33. ऐसे करदाता को, जिससे अपनी अन्तिम निर्धारित आय के आधार पर अग्रिम कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, अपनी ही संगणना पर अग्रिम कर को निम्नतर रकम का संदाय करने का विकल्प ऐसी दशा में होगा जिसमें कि उसके अपने ही प्राक्कलन के अनुसार उसकी चालू आय उस आय से निम्नतर होगी जिस पर अग्रिम कर की मांग उससे की गई है। वर्तमान विधि के अधीन करदाता ऐसे अग्रिम कर से, जिसकी मांग उससे की गई है, उच्चतर रकम का संदाय करने के लिए वहां बाध्य नहीं है जहां उसके प्राक्कलन के अनुसार उसकी चालू आय उससे अधिक होगी जिस पर अग्रिम कर की मांग उससे की गई है।

34. जहां किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त अग्रिम कर, ऐसे कर की रकम से अधिक है, जिसके बारे में अवधारित किया गया हो कि वह नियमित निर्धारण पर सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा संदेय है, वहां वह सुसंगत निर्धारण वर्ष की 1 अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की जिसको निर्धारण पूरा होता है, कालावधि के लिए अधिक संदाय पर सरकार से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्राप्त करने का हक़दार है। इसके विपरीत, जहां किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही प्राक्कलन पर संदत्त अग्रिम कर, ऐसे कर की रकम के 75 प्रतिशत से कम पड़ जाता है, जिसके बारे में यह अवधारित किया गया हो कि वह नियमित निर्धारण पर उसके द्वारा संदेय है, वहां वह सुसंगत निर्धारण वर्ष की 1 अप्रैल से निर्धारण के पूरे हो जाने की तारीख तक की कालावधि के लिए कम पड़ गई रकम पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी है। इसी प्रकार, वह व्यक्ति जिस पर अभी तक कर निर्धारित नहीं किया गया है और जो अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर का प्राक्कलन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, निर्धारित कर के 75 प्रतिशत पर परिकलित साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी है। ब्याज वहां भी संदेय है, जहां करदाता पहली तीन किस्तों में से किसी में अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर का अवप्राक्कलन करता है तथा अतिशेष की पूर्ति केवल अन्तिम किस्त में करता है।

35. इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर की रकम का जान-बूझ कर अवप्राक्कलन करता है, या उस दशा में जिसमें कि उस पर कर अब तक निर्धारित नहीं किया गया है, अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर का प्राक्कलन प्रस्तुत करने में, किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल रहता है, शास्ति अधिरोपणीय होगी ।

36. अग्रिम कर के संदाय की स्कीम में प्रस्थापित तब्दीली — अग्रिम कर के संदाय की वर्तमान स्कीम में, स्कीम को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए और छोटे आयकर-दाताओं पर अनुपालन करने का भार कम करने के लिए भी, निम्नलिखित रूप में कतिपय तब्दीलियां करना प्रस्थापित है ।

36.1 वहां कोई अग्रिम कर संदेय नहीं होगा, जहां कि वह आय, जो अग्रिम कर के अध्यधीन है, नीचे उपवर्णित परिसीमाओं से अधिक नहीं है :

(क) कम्पनी और स्थानीय प्राधिकारी की दशा में [इन दशाओं में परिसीमा वही है जैसी कि इस समय है]	2,500 रुपए
(ख) रजिस्ट्रीकृत फर्म की दशा में [वर्तमान परिसीमा 27,500 रुपए है]	30,000 रुपए
(ग) कम्पनी, स्थानीय प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकृत फर्म से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में —	
(1) अनिवासी की दशा में	5,000 रुपए
(2) अन्य दशाओं में	10,000 रुपए
[इस समय अनिवासियों की दशा में परिसीमा 2,500 रुपए है और अन्य दशाओं में यह 6,500 रुपए है]	

36.2 कुल आय पर परिकलित अग्रिम कर में से उस सकल आय पर, जो ऐसी कटौती के दायित्वाधीन हो (उदाहरणार्थ, ब्याज, लाभांश आदि) और जो कुल आय संगणित करने में लेखा में ले ली गई हो स्रोत पर कटौती-योग्य कर की पूरी रकम घटाना अनुज्ञात किया जाएगा । यह उस वर्तमान उपबन्ध को प्रतिस्थापित करेगा, जिसके अधीन अग्रिम कर में से ऐसे कर के बराबर रकम घटा दी जाती है, जो कर की कटौती के दायित्वाधीन आय की (अर्थात् ऐसी आय की जैसी आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों को अनुज्ञात करने के पश्चात् संगणित की गई हो) शुद्ध रकम पर ही स्रोत पर कटौती-योग्य हो ।

36.21 प्रस्थापित तब्दीली का प्रभाव निम्नलिखित दो उदाहरणों में स्पष्ट किया गया है।

उन दशाओं में अग्रिम कर की संगणना, जिनमें कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित है जिस पर कर स्रोत पर कटौती-योग्य हो।

I. बहुजन-धारित घरेलू कम्पनी:

कारबार-आय		2,00,000 रुपए
अन्तर-निगम लाभांश	2,50,000 रुपए	
ऋण आयकर अधिनियम की धारा 80 ड के अधीन उनके 60 प्रतिशत की कटौती	1,50,000 रुपए	
शुद्ध लाभांश		1,00,000 रुपए
अन्तिम निर्धारित कुल आय		3,00,000 रुपए

अग्रिम कर की संगणना:

क. विद्यमान आधार

3,00,000 रुपए पर 55 प्रतिशत की दर से आयकर	1,65,000 रुपए
ऋण कुल आय में सम्मिलित 1,00,000 रुपए के अन्तरनिगम लाभांशों में से स्रोत पर 22 प्रतिशत की दर से कटौती-योग्य कर	22,000 रुपए
[2,50,000 रुपए के सकल अन्तरनिगम लाभांश में से, 22 प्रतिशत की दर से वस्तुत: कटौती-योग्य कर 55,000 रुपए होगा, जिनमें केवल 22,000 रुपए अग्रिम कर में से मुजरा दिया जाता है]	
कम्पनी द्वारा संदेय शुद्ध अग्रिम कर	1,43,000 रुपए

ख. प्रस्थापित आधार

3,00,000 रुपए पर 55 प्रतिशत की दर से आयकर	1,65,000 रुपए

ऋण 2,50,000 रुपए के अन्तर्-निगम लाभांशों की सकल रकम पर (जो 3,00,000 रुपए की कुल आय की संगणना करने में लेखा में ली गई है) स्रोत पर 22 प्रतिशत की दर से कटौती-योग्य कर — 55,000 रुपए

संदेय शुद्ध अग्रिम कर — 1,10,000 रुपए

विद्यमान आधार पर संदेय अग्रिम कर (जैसा कि ऊपर क में है) — 1,43,000 रुपए

प्रस्थापित आधार पर संदेय अग्रिमकर (जैसा कि ऊपर ख में है) — 1,10,000 रुपए

प्रस्थापित आधार पर संदेय अग्रिम कर में कमी — 33,000 रुपए

II. भारतीय कम्पनी :

कारबार-आय	1,00,000 रुपए
प्राप्त सकल ब्याज	50,000 रुपए
ऋण अपने ही उधारों पर संदत्त ब्याज	30,000 रुपए
शुद्ध ब्याज	20,000 रुपए
अन्तिम निर्धारित कुल आय	1,20,000 रुपए

अग्रिम कर की संगणना

क. विद्यमान आधार

1,20,000 रु. पर 55 प्रतिशत की दर से आय कर — 66,000 रुपए

ऋण कुल आय में सम्मिलित 20,000 रुपए के शुद्ध ब्याज पर 20 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती-योग्य कर — 4,000 रुपए

[50,000 रुपए के सकल ब्याज से 20 प्रतिशत की दर से वस्तुतः कटौती-योग्य कर, 10,000 रुपए होगा जिसमें केवल 4,000 रुपए अग्रिम कर में से मुजरा दिया जाता है।]

संदेय शुद्ध अग्रिम कर — 62,000 रुपए

ख. प्रस्थापित आधार

1,20,000 रुपए की कुल आय पर 55 प्रतिशत की दर से आयकर,		66,000 रुपए
ऋण 50,000 रुपए के (जिसे 1,20,000 रुपए की कुल आय की संगणना में लेखा में ले लिया गया है) सकल ब्याज से 20 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती-योग्य कर		10,000 रुपए
संदेय शुद्ध अग्रिम कर		56,000 रुपए
विद्यमान आधार पर संदेय अग्रिम कर (जैसाकि ऊपर क में है)	62,000 रुपए	
प्रस्थापित आधार पर संदेय अग्रिम कर (जैसाकि ऊपर ख में है)	56,000 रुपए	
प्रस्थापित आधार पर संदेय अग्रिमकर में कमी	6,000 रुपए	

36.22 पूर्वगामी उदाहरणों से यह विदित होगा कि प्रस्थापित आधार को अपनाने से अग्रिम कर के अधिक संदायों का निवारण हो जाएगा ।

36.3 अग्रिम कर वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी दशाओं में तीन बराबर किस्तों में संदेय होगा । इन किस्तों के लिए नियत तारीखें निम्नलिखित होंगी ।

(क)	ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आय का (जिसके सम्बन्ध में अग्रिमकर संदेय है) 75 प्रतिशत या उससे अधिक उस स्रोत से प्राप्त होता है जिसके लिए लेखा-वर्ष 31 दिसम्बर को या उससे पहले समाप्त होता है	15 जून, 15 सितम्बर, और 15 दिसम्बर
(ख)	किसी अन्य दशा में --	15 सितम्बर, 15 दिसम्बर, और 15 मार्च ।

36.31 उपर्युक्त स्कीम वर्तमान स्कीम को प्रतिस्थापित करती है जिसके अधीन उस करदाता से, जिसका लेखा-वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् समाप्त होता है या जो कोई लेखा नहीं रखता है, अग्रिमकर तीन किस्तों में संदत्त करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि दूसरे ऐसे कर दाता को, जिसका लेखा-वर्ष पहले, अर्थात् 31 दिसम्बर को या उससे पहले, समाप्त होता है अग्रिम कर के संदाय के लिए चार किस्तें अनुज्ञात की जाती हैं । प्रस्थापित संशोधन इस भेदभाव को दूर कर देगा ।

36.4 कोई व्यक्ति अपने ही प्राक्कलन पर अग्रिम कर का संदाय करने के लिए उस दशा में बाध्य होगा, जबकि उसकी चालू आय (अर्थात् सुसंगत वित्तीय वर्ष के निकट आगामी निर्धारण वर्ष के लिए कर के दायित्वाधीन

आय) पर संगणित अग्रिम कर उससे माँगे गए अग्रिम कर की रकम से, $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है। अतः जहाँ कर-दाता की चालू आय, जैसी कि उसके द्वारा प्राक्कलित की गई है उस आय से, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम कर उससे माँगा गया है, अधिक हो और ऐसी चालू आय पर परिकलित अग्रिम कर उससे, जोकि उ माँगा गया है, एक तिहाई से अधिक हो वहाँ उससे अपनी चालू आय पर परिकलित अग्रिम कर की अधिक रकम संदत्त करने की अपेक्षा की जाएगी। संदाय किस्तों के लिए नियत ऐसी तारीखों को करना पड़ेगा जो अवसित नहीं हुई हैं। कर-दाता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह उन किन्हीं तारीखों के पहले, जिनको कि अग्रिम कर की किस्तें उसके द्वारा संदेय हों, अपने प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर ले।

36.41 जहाँ सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय के निर्धारण के समय यह पाया जाता है कि करदाता द्वारा उसके प्राक्कलन पर, जैसा कि ऊपर कथित है, संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर के 75 प्रतिशत से कम है, वहाँ वह उस रकम पर, जिससे कि वस्तुतः संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर की पूरी रकम से कम हो, 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज संदत्त करने के लिए दायी होगा।

36.42 जहाँ कि, निर्धारण कार्यवाही के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा संदेय अग्रिम कर के यथा उपरिकथित प्राक्कलन को देने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहा है, वहाँ वह शास्ति के अधिरोपण के दायित्वाधीन होगा। ऐसी शास्ति की न्यूनतम रकम उस रकम की, जिससे कि उससे माँगा गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 75 प्रतिशत से न्यून हो, 10 प्रतिशत और अधिकतम रकम उससे 1-½ गुनी होगी।

36.43 वर्तमान विधि के अधीन करदाता को, यदि उसकी चालू आय पर कर माँगे गए अग्रिमकर से कम है, अपने ही प्राक्कलन पर अग्रिमकर संदत्त करने का विकल्प है किन्तु यदि चालू आय पर कर बढ़ने वाला हो तो अधिक संदाय करने के लिए उस पर कोई तत्सम्बन्धी बाध्यता नहीं है। प्रस्थापित तब्दीली इस कमी को दूर करेगी।

36.5. किसी व्यक्ति पर, उस दशा में जिसमें कि उसके स्वयं के प्राक्कलन पर संदत्त किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 75 प्रतिशत से कम होता है, प्रभार्य ब्याज उतनी रकम पर परिकलित किया जाएगा जितनी के बराबर वस्तुतः संदत्त किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर (अर्थात् वह कर जो नियमित निर्धारण पर अवधारित किया गया है) की सम्पूर्ण रकम से, न कि, जैसा वर्तमान विधि के अधीन है, निर्धारित कर के 75 प्रतिशत से, कम पड़ता है। इसी तरह उस व्यक्ति की दशा में, जिस पर अभी तक कर का निर्धारण नहीं किया गया है और जो अपने द्वारा संदेय अग्रिमकर के प्राक्कलन को देने में असफल रहता है, प्रभार्य ब्याज पूरे निर्धारित कर के, न कि निर्धारित कर के 75 प्रतिशत पर, जैसा कि वर्तमान विधि के अधीन है, परिकलित किया जाएगा।

36.6 अग्रिम कर के संदाय की स्कीम में ऊपर वर्णित तब्दीलियों को, जिनका सम्बन्ध करदाता के अपने ही प्राक्कलन पर अग्रिमकर के कम संदाय के लिए ब्याज के प्रभार या उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर के प्राक्कलन को देने में असफलता से, और संदेय अग्रिम कर के प्राक्कलन को देने में, बिना युक्ति युक्त हेतुक के, असफल रहने के लिए शास्ति के उद्ग्रहण से भी है, निर्धारण वर्ष 1970-71 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 1-4-1970 से प्रभावी किये जाने की प्रस्थापना है। अग्रिम कर के संदाय की स्कीम में सभी अन्य तब्दीलियों को वित्तीय वर्ष 1969-70 और उत्तरवर्ती वर्षों के सम्बन्ध में 1-4-1969 से प्रभावी किया जाने वाला है।

[खण्ड 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22]

37. करदाता के स्वामित्वाधीन और उसके नियोजन के लिए उपयोग में आने वाली मोटर कार पर अनुरक्षण-व्यय के लिए और उसकी घिसाई के लिए मानक कटौती को प्रतिमास 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर के उन दशाओं में वृद्धि जहां कि सकल सम्बलम् आय 15,000 रुपये तक हो — वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा आय कर अधिनियम में, कर दाता के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा अपने नियोजन के लिए उपयोग में आने वाले प्रवहण पर अनुरक्षण-व्यय और उसकी घिसाई के लिए, संबलम्-आय की संगणना में मानक कटौती अनुज्ञात करने का उपबन्ध किया गया था। मोटर कार की दशा में मानक कटौती की रकम उस कर दाता के लिए, जिसकी सकल संबलम्-आय 15,000 रुपए तक है, 150 रुपये उस हर महीने के लिए है जिसके दौरान कार का उपयोग नियोजन के प्रयोजनों के लिए होता है; यह उनके लिए, जो 25,000 रुपये तक की संबलम-रेंज में है, प्रति मास 200 रुपए है, और उन कर दाताओं के लिए जिनकी सकल संबलम्-आय 25,000 रुपये से अधिक है, प्रति मास 250 रुपए है ।

38. अपने देश में उत्पादित मोटर कारों की वर्तमान कीमतों को और मोटर कारों के अनुरक्षण और उसके चलाने पर होने वाले व्यय के चालू साधारण स्तर को ध्यान में रखते हुए अब मोटर कार के लिए मानक कटौती की रकम में वृद्धि उन करदाताओं की दशा में जिनकी सकल संबलम् आय 15,000 रुपए तक है, 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए ऐसे हरमास के लिए प्रस्थापित की गई है जिसके दौरान मोटर कार नियोजन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है ।

39. उपरोक्त तबदीली, निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए और से, अर्थात् वित्तीय वर्ष 1969-70 और पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान उपार्जित संबलम्-आय के सम्बन्ध में, प्रभावी होगी ।

[खण्ड 4]

40. ऐसे कारबारों और वृत्तियों में व्यय, जिसके लिए आय कर अधिनियम की धारा 40 क (3) के अधीन किसी एक समय में 2,500 रुपये से अधिक का कोई संदाय, क्रास बैंक चैक या ड्राफ्ट द्वारा, किया जाना है —करदाताओं को केवल इस आधार पर, कि संदाय नगद या किसी अन्य रीति में नहीं किया या निविदत्त नहीं किया गया है, विधिक कार्यवाहियों से अनुरक्षण देने वाले उपबन्ध —वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 40 क (3) में ऐसे कारबारों और वृत्तियों में, जिनके लिए (सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख के पश्चात्) 2,500 रुपए से अधिक रकम का संदाय किया जाता है, व्यय अननुज्ञात करने का उपबन्ध उस दशा में किया गया था जब तक कि ऐसा संदाय क्रास बैंक चैक या ड्राफ्ट द्वारा न किया गया हो । यह उपबन्ध आयकर नियमों में अधिसूचित मामलों और परिस्थितियों में लागू नहीं होना है ।

41. सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 623, तारीख 14-2-1969 के अधीन, उपरिवर्णित उपबन्ध 31 मार्च 1969 के पश्चात किए जाने वाले संदायों के सम्बन्ध में प्रभावी होना है । वे मामले और परिस्थितियां भी, जिनमें यह उपबन्ध प्रवर्तित नहीं होगा, अधिसूचना सं. का. आ. 624, तारीख 14-2-1969 के अधीन आय कर नियमों में विनिर्दिष्ट की गई हैं । इन अपवादों के अन्तर्गत— जो इससे पूर्व प्रकाशित नियमों के प्रारूप पर चैम्बर्स आफ कामर्स और अन्य लोक निकायों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचित किए गए हैं—स्थूल रूप से संदायों के निम्नलिखित प्रवर्ग आते हैं:

(i) वे संदाय जो कर दाता द्वारा 1 अप्रैल 1969 के पहले की गई संविदा के अधीन वैध मुद्रा में किए जाने हैं ।

(ii) वे संदाय जो किसान, उगाने वाले या कृषि, उद्यान-कृषि, मधु मक्खी-पालन, पशु-पालन (जिसके अन्तर्गत चर्म और खाल आती हैं) दुग्ध-उद्योग या कुक्कुट-पालन के उत्पादों के या मत्स्य या मत्स्य-उत्पादों के, या विद्युत शक्ति की सहायता के बिना चलाए जाने वाले कुटीर-उद्योग के उत्पादों के उत्पादकों को किए गए हैं।

(iii) वे संदाय जो ऐसे ग्राम या नगर में, जिसमें कोई बैंक नहीं है, किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को किए गए हैं, जो ऐसे किसी ग्राम या नगर में मामूली तौर पर निवास करता है या कोई कारबार या वृत्ति करता है।

(iv) वे संदाय जो भारत के रिजर्व बैंक, भारत के स्टेट बैंक और ऐसी अन्य बैंककारी संस्थाओं को किए गए हैं जिनके अन्तर्गत सहकारी बैंक और भूमि बंधक बैंक, कृषि उधार सोसाइटियां, जीवन बीमा निगम, भारत का यूनिट न्यास और विनिर्दिष्ट वित्त-पोषण-संस्थाएं आती हैं।

(v) उन संदायों के कतिपय प्रवर्ग, जो बैंककारी पद्धति द्वारा, उदाहरणार्थ प्रत्यय-पत्र, डाक या तार द्वारा अन्तरण, अन्तर्-बैंक बुक समायोजन और केवल बैंक को ही संदेय किए गए विनिमय पत्र के माध्यम से, किए गए हैं।

(vi) अल्प आय-प्राप्त कर्मचारियों या उनके कुटुम्बों के सदस्यों को संदेय सेवांत-फायदों, जैसे उपदान या छंटनी-प्रतिकर के संदाय।

इसके अतिरिक्त, धारा 40 क (3) के उपबन्धों के प्रवर्तन में, अवशिष्टीय अपवाद ऐसी दशा में है, जहां करदाता यह साबित कर देता है कि संदाय असाधारण या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण क्रास बैंक चैक या ड्राफ्ट द्वारा नहीं किया जा सकता था और संदाय के असली होने और पाने वाले की पहचान के बारे में भी साक्ष्य देता है।

42. संसद् में वित्त विधेयक, 1968 पर विचार करते समय कुछ लोगों ने यह आशंका प्रकट की थी कि यदि ऐसे व्यक्तियों को, जो क्रास चैकों या बैंक ड्राफ्टों द्वारा संदाय करते हैं, इस आधार पर, कि संदाय वैध मुद्रा में नहीं किया गया, की गई विधिक कार्यवाही से संरक्षित नहीं किया गया तो ऊपर वर्णित उपबन्ध के प्रवर्तन में कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं। धारा 40 क (3) के उपबन्धों के अबाध प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए आयकर अधिनियम में इस भाव का एक और उपबन्ध करना प्रस्थापित है कि जहां कोई करदाता 2,500 रुपये से अधिक रकम का संदाय उस धारा के अनुसार क्रास बैंक चैक या ड्राफ्ट द्वारा करता है, वहां कोई व्यक्ति, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में, इस आधार पर आधारित अभिवचन, कि संदाय नगद या किसी अन्य रीति में किया या निविदत्त नहीं किया गया था, करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इस उपबन्ध को 1-4-1969 से प्रभावी करने की प्रस्थापना है।

[खण्ड 5]

विकासार्थ प्रोत्साहन

43. सूती वस्त्र और पटसन-वस्त्र उद्योगों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के अधीन विकास-रिबेट अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्विकता-प्राप्त उद्योगों के रूप में व्यवहार किया जाना — करदाता जो अपने कारबार के प्रयोजन के लिए नया पोत अर्जित करता है अथवा नई मशीनरी या प्लाण्ट लगाता है, ऐसे पोत

या मशीनरी या प्लान्ट की लागत की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर परिकलित विकास-रिबेट मद्धे अपनी कराधेय आय की संगणना में, आयकर अधिनियम के अधीन कटौती का हक़दार है। विकास-रिबेट मद्धे कटौती अवक्षयण-मोक के अतिरिक्त अनुदत्त की जाती है। नये पोतों पर विकास-रिबेट की दर 40 प्रतिशत है। 31-3-1970 तक लगाई गई नई मशीनरी और प्लान्ट के बारे में, वर्तमान विधि के अधीन विकास-रिबेट की दर 'पूर्विकता-प्राप्त उद्योग' (अर्थात् वह उद्योग जो आयकर अधिनियम की पंचम् अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा चीजों में से किसी का विनिर्माण या उत्पादन करता है) के लिए मशीनरी और प्लाण्ट की लागत का 35 प्रतिशत है, और किसी अन्य उद्योग के लिए वह 20 प्रतिशत है। 31-3-1970 के पश्चात् लगाई गई नई मशीनरी और प्लान्ट के बारे में विकास-रिबेट की दरें, वर्तमान विधि के अधीन घटकर क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत हो जाएंगी।

44. विकास-रिबेट की ऊपर वर्णित दरों को (जिनके अन्तर्गत वे घटी दरें भी आती हैं जो 31-3-1970 के पश्चात् लगाई गई नई मशीनरी और प्लान्ट के सम्बन्ध में लागू होंगी) बिना किसी तब्दीली के चालू रखना प्रस्थापित है। किन्तु, विकास-रिबेट की पूर्विकता-प्राप्त उद्योग दर का विस्तार सूती वस्त्र उद्योग और पटसन-वस्त्र उद्योग में लगाई गई नई मशीनरी और प्लान्ट के सम्बन्ध में 1-4-1970 से, अर्थात् निर्धारण वर्ष 1970-71 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए,बढ़ा दिया जाना प्रस्थापित है। इसका अभिप्राय यह होगा कि निर्धारण वर्ष 1970-71 (उदाहरणार्थ,1969 में दीपावली के दिन समाप्त होने वाला सम्वत् वर्ष, 1969 का कैलेन्डर वर्ष या वित्तीय वर्ष 1969-70) या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष से सुसंगत किसी लेखा-वर्ष में सूती वस्त्र मिल या पटसन-वस्त्र मिल में लगाई गई सभी नई मशीनरी और प्लान्ट के लिए उच्चतर दर पर विकास-रिबेट, जैसाकि पूर्विकता प्राप्त उद्योगों के बारे में है,अनुज्ञेय होगा।ऐसी उच्चतर दर नई मशीनरी और प्लान्ट की लागत का 35 प्रतिशत उस दशा में होगी जहां कि उसको 31-3-1970 तक लगाया गया है और यदि उसे इस तारीख के बाद लगाया जाएगा तो 25 प्रतिशत होगी। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित दो मदों को (जो मद 32 और 33 के रूप में संख्यांकित हैं) आयकर अधिनियम की पंचम् अनुसूची में अन्तर्विष्ट पूर्विकता-प्राप्त उद्योगों से सम्बन्धित वस्तुओं और चीजों की सूची में जोड़ देने की प्रस्थापना है:

"32. रुई के सूत, होजरी और रस्सी सहित, पूर्णतः या मुख्यतःसूत से बने वस्त्र (जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जो रंगे हुए,छपे हुए या अन्यथा, संसाधित हैं)।

33. पटसन के डोरे और पटसन की रस्सी सहित,पूर्णतःया मुख्यतःपटसन से बने वस्त्र (जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जो रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा संसाधित हैं)।"

ऊपर वर्णित दो मदों का वर्णन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में के वर्णन के अनुसार है किन्तु विधेयक के उपबन्ध के अन्तर्गत पश्चात् कथित, जिसमें भागतः सूत से बने सूती वस्त्र और भागतः पटसन से बने पटसन-वस्त्र हैं, से भिन्न मुख्यतः सूत से बने सूती वस्त्र और मुख्यतः पटसन से बने पटसन-वस्त्र भी हैं।

45. पूर्विकता-प्राप्त उद्योग व्यवहार का सूती और पटसन वस्त्र उद्योगों पर विस्तारण,इन दो प्रमुख उद्योगों के उपस्कर के आधुनिकीकरण के लिए आन्तरिक साधनों का उपबन्ध करने के लिए प्रकल्पित है ताकि उनकी उत्पादन-सामर्थ्य बढ़ायी जा सके और विश्व के बाजारों में उनकी प्रतियोगितात्मक स्थिति दृढ़तर बनायी जा सके।

[खण्ड 23]

46. आयकर अधिनियम के अधीन 'कर-अवकाश' का ऐसे नए औद्योगिक उपक्रमों पर, जो 31-3-1971 के पश्चात् 31-3-1976 तक की पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय उत्पादन या प्रचालन प्रारंभ करते हैं और ऐसे जहाजों पर, जो भारतीय कम्पनियों द्वारा उक्त कालावधि में उपयोग में लाए जाते हैं, विस्तारण — आयकर अधिनियम ऐसे लाभों के सम्बन्ध में, जो किसी करदाता को नव-स्थापित ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त हुए हैं जो भारत में वस्तुओं का विनिर्माण करता है या कोल्ड स्टोर प्लाण्ट प्रचालित करता है तथा उन लाभों के सम्बन्ध में भी जो भारतीय कम्पनी को अपने स्वामित्वाधीन पोत और चलाए जा रहे अनुमोदित होटल-कारबार से प्राप्त हुए हैं, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन, कर-अवकाश का उपबन्ध करता है। 'कर-अवकाश' उपक्रम, पोत या होटल में लगी पूंजी के 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक के लाभों पर कर से छूट के रूप में है। सहकारी सोसाइटी के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रम की दशा में 'कर-अवकाश' की कालावधि उस वर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम उत्पादन या प्रचालन प्रारम्भ करता है, 7 वर्ष है और अन्य दशाओं में 5 वर्ष है। पोत या अनुमोदित होटल की दशा में, 'कर-अवकाश' की कालावधि उस वर्ष से जिसमें पोत उपयोग में लाया जाता है अथवा होटल चालू होता है, 5 वर्ष है। उस रकम को जो 'कर-अवकाश' कालावधि के दौरान पूंजी पर होने वाले 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के प्रत्यागम से न्यून है, अग्रनीत किए जाने के लिए तथा प्रारम्भिक वर्ष से 8 वर्ष की कालावधि तक पश्चात्वर्ती वर्षों के लाभों के प्रति उसका मुजरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। कम्पनियों के अंशधारियों को ऐसे लाभांशों पर कर से छूट प्राप्त है जो लाभांश का संदाय करने वाली कम्पनी के 'कर-अवकाश' सम्बन्धी लाभों के फलस्वरूप हुए माने जा सकते हैं।

47. वर्तमान विधि के अधीन 'कर-अवकाश' सम्बन्धी रियायत ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की, जो 31 मार्च, 1971 तक उत्पादन या प्रचालन प्रारंभ कर देते हैं और उस तारीख तक भारतीय कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए गए पोतों की, दशा में उपलभ्य है। भारतीय कम्पनियों द्वारा चलाए जाने वाले अनुमोदित होटलों की दशा में ऐसी कोई समय-परिसीमा नहीं है।

48. अपने उद्योगों के उत्तरभावी विकास और अपने पोत परिवहन के विस्तारण की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, 'कर अवकाश' सम्बन्धी रियायत को पांच वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए चालू रखना प्रस्थापित है ताकि वह उत्पादन या प्रचालन प्रारम्भ करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को और भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रयोग में लाए गए पोतों को भी 31 मार्च, 1976 तक किसी समय उपलब्ध हो सके।

[खण्ड 7]

वैयक्तिक बचतों और विनिधानों को सुकर बनाने के लिए अध्युपाय

49. जीवन बीमा पालिसियों आदि के माध्यम से उसमें कतिपय ऐसी पालिसियों के प्रीमियमों को, जो इस समय कर-राहत के योग्य नहीं हैं, मिलाकर, वैयक्तिक बचतों पर आय कर अधिनियम के अधीन कर-राहत की परिधि में विस्तारण,और लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा अभिनेताओं के लिए सभी दशाओं में बचतों के व्यापक आधार पर कर-राहत का उपबन्ध करना — कोई व्यक्ति जो कर के लिए प्रभार्य अपनी आय में से विनिर्दिष्ट माध्यमों, जैसे जीवन बीमा, भविष्य निधि (जिसके अन्तर्गत लोक भविष्य निधि आती है), डाक घर बचत बैंकों में 10 वर्षीय या 15-वर्षीय संचयी सावधि निक्षेप, आदि के द्वारा बचत करता है, ऐसी बचतों पर एक विनिर्दिष्ट परिसीमा तक आयकर अधिनियम के अधीन कर-राहत का

हकदार है । हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब भी जीवन बीमा के माध्यम से बचतों पर एक विनिर्दिष्ट परिसीमा तक, कर-राहत का हकदार है । जीवन बीमा के माध्यम से होने वाली बचतों के बारे में कर-राहत इस समय, व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि के जीवन पर या उसके पति या पत्नी के जीवन पर जोवन बीमा की पालिसी या आस्थगित वार्षिकी के सम्बन्ध में संदत्त प्रीमियमों पर उपलभ्य है, किन्तु व्यष्टि की किसी संतान के जीवन पर किसी बीमा पालिसी के सम्बन्ध में किसी प्रीमियम पर उपलभ्य नहीं है। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर-राहत कुटुम्ब के किसी नर-सदस्य या ऐसे नर-सदस्य की पत्नी के जीवन पर बीमा पालिसी पर संदत्त प्रीमियमों पर उपलभ्य है किन्तु कुटुम्ब की किसी अन्य नारी-सदस्य के जीवन की बीमा पालिसी पर के प्रीमियमों पर उपलभ्य नहीं है ।

50. व्यष्टि की दशा में, जीवन बीमा और कर-राहत योग्य बनाने वाले अन्य विनिर्दिष्ट माध्यमों द्वारा बचतों की समस्त रकम एक वर्ष के लिए साधारणतः सकल कुल आय के 30 प्रतिशत या 15,000 रुपये, इन में से जो भी कम हो, तक परिसीमित है । जहां व्यष्टि कोई लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ या अभिनेता हो, वहां बचतों पर कर-राहत ऐसी उच्चतर सीमाओं तक अनुज्ञेय है जैसी कि आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट हैं किन्तु इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञेय है कि लेखक, नाटककार, आदि ने अपने जीवन पर या अपने पति या अपनी पत्नी के जीवन पर 1 मार्च, 1964 के पूर्व बीमा पालिसी ली है और वह ऐसी पालिसी को प्रवृत्त बनाए रखने के लिए सुसंगत वर्ष के दौरान प्रीमियमों का संदाय करता है । आयकर नियमों के अधीन, लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, आदि की दशा में, कर-राहत के योग्य बनाने वाली बचतों के ऊपर उच्चतर परिसीमा वृत्तिक आय का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत धन किसी अन्य आय का 30 प्रतिशत अथवा 25, 000 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, है ।

51. हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जीवन बीमा से होने वाली ऐसी बचतों की, जो कर-राहत के योग्य हैं, रकम की परिसीमा सकल कुल आय का 30 प्रतिशत या 30, 000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, है ।

52. कराधेय आय संगणित करने में, राहत-योग्य बचतों के प्रथम 5, 000 रुपए के 60 प्रतिशत की, और अतिशेष के 50 प्रतिशत की, कटौती, हर एक दशा में, अनुज्ञात करके उपर्युक्त परिसीमाओं तक की बचतों पर कर-राहत दी गई है ।

53. यह प्रस्थापित किया गया है कि 1 अप्रैल 1970 से (अर्थात् निर्धारण वर्ष 1970-71 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए) वैयक्तिक बचतों पर दी जाने वाली कर-राहत से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के उपबन्धों में कतिपय तब्दीलियां (जैसीकि नीचे स्पष्ट की गई हैं) की जाएं जिससे कि जीवन बीमा की पालिसियों में होनेवाली बचतों पर कर-राहत का क्षेत्र बढ़ जाए, और यह कि लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, आदि की दशा में, 1 अप्रैल 1970 से (अर्थात् निर्धारण वर्ष 1969-70 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए) सभी दशाओं में कर-राहत बड़े पैमाने पर दी जा सके ।

53.1. <u>जीवन बीमा की पालिसियां</u> — किसी व्यष्टि की दशा में, निर्धारण वर्ष 1970-71 से तथा उसके आगे ऐसे प्रीमियमों पर भी जो ऐसे व्यष्टि की किसी संतान के जीवन पर ली गई बीमा पालिसी (जिसके अन्तर्गत आस्थगित वार्षिकी पालिसी आती है) पर संदत्त किए गए हों, कर-राहत का विस्तार किया गया है । इस उपबन्ध की परिधि में ऐसे प्रीमियम आएंगे जो ऐसे व्यक्ति की दो या दो से अधिक संतानों के जीवनों

की बीमा-पालिसियों पर संदत्त किए गए हों, और इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संतान अप्राप्तवय है अथवा प्राप्तवय। कर-राहत के योग्य होने के लिए, व्यष्टि की ऐसी आय में से जिस पर कर प्रभार्य हो, प्रीमियमों का संदाय किया जाना चाहिए।

53.2 निर्धारण वर्ष 1970-71 से तथा उसके आगे, इस कर-राहत का विस्तारण ऐसे प्रीमियमों पर किया जाना प्रस्थापित है, जो किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा अपनी आय में से, कुटुम्ब के किसी सदस्य की पत्नी से भिन्न ऐसे कुटुम्ब की किसी नारी-सदस्य के जीवन पर ली गई बीमा पालिसी पर, संदत्त किये गए हों। ऐसे प्रीमियम जो उस कुटुम्ब के सदस्य की पत्नी के जीवन पर ली गई किसी बीमा पालिसी पर संदत्त किए गए हों, वर्तमान विधि के अधीन कर-राहत के लिए पहले से ही पात्र हैं और इस प्रकार पात्र बने रहेंगे।

53.3 जीवन बीमा से या अन्य विनिर्दिष्ट माध्यमों से होने वाली बचतों की, जो कि व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों की दशा में, कर-राहत योग्य हों, परिसीमाओं के बारे में और ऐसी बचतों के सम्बन्ध में कुल आय की संगणना करने में उपलभ्य कटौती की मात्रा में कोई तब्दीली करना प्रस्थापित नहीं है।

53.4 <u>लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ तथा अभिनेता</u> — ऐसे व्यष्टियों की दशा में, विधि की इस विद्यमान शर्त को हटा देने की प्रस्थापना है, कि उन्हें आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट उच्चतर परिसीमा तक की (जीवन बीमा आदि के माध्यम से) बचतों पर कर-राहत का पात्र होने के लिए, 1 मार्च, 1964 के पूर्व जीवन बीमा पालिसी ले लेनी चाहिए थी। इसका प्रभाव यह होगा कि निर्धारण वर्ष 1969-70 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए, लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ तथा अभिनेता जीवन बीमा, भविष्य निधि, डाकघरों आदि में रखे गए दस-वर्षीय अथवा पंद्रह-वर्षीय संचयी सावधि निक्षेप खातों से होने वाली अपनी बचतों पर कर-राहत के पात्र वहां भी होंगे जहां कि उन्होंने 1 मार्च, 1964 को या उसके पश्चात् जीवन बीमा कराया था। यह कर-राहत उन दशाओं में भी अनुज्ञेय होगी जहांकि जीवन बीमा की कोई भी पालिसी नहीं ली गई है किन्तु बचतें अन्य विनिर्दिष्ट माध्यमों, उदाहरणार्थ, लोक भविष्य निधि या डाकघरों में रखे गए दस-वर्षीय अथवा पंद्रह-वर्षीय संचयी सावधि निक्षेप से की गई हैं।

[खण्ड 6]

54. <u>अंशधारियों के सभी प्रवर्गों की दशा में, भारतीय कम्पनियों से लाभांशों की ऐसी रकम में जिसे वर्ष के दौरान कर से छूट प्राप्त है, वृद्धि करके उसे 500 रुपए से 1,000 रुपए करना</u>। — आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अधीन, सभी प्रवर्गों के करदाताओं को, 500 रुपये की रकम तक के ऐसे लाभांशों पर, जोकि वर्ष के दौरान उनके द्वारा भारतीय कम्पनियों से प्राप्त किए जाते हैं, कर से छूट प्राप्त है। भारतीय कम्पनियों के अंशों में और अधिक विनिधान करने के लिए अल्प और मध्यम वर्गीय आय वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विनिधान वातावरण में सुधार करने के लिए यह प्रस्थापना की गई है कि ऐसे अंशधारियों के सभी प्रवर्गों के हाथों में ऐसी कम्पनियों से प्राप्त लाभांशों की इस समय छूट-प्राप्त 500 रुपए की रकम को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया जाए। इस तब्दीली को 1-4-1970 से (अर्थात् निर्धारण वर्ष 1970-71 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए) प्रभावी किया जाना ईप्सित है।

कतिपय दिशाओं में कर-राहत के लिए उपबन्ध

55. किसी अनुमोदित करार के अधीन तकनीकी जानकारी अथवा तकनीकी सेवाओं का उपबन्ध करने के प्रतिफलस्वरूप भारत में कारबार चलाने वाले किसी व्यक्ति से प्राप्त रायल्टियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों आदि के रूप में हुई अपनी आय के 40 प्रतिशत पर भारतीय कम्पनियों को कर से छूट — ऐसी भारतीय कम्पनियों की दशा में जो भारत में कारबार चलाने वाले किसी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति को तकनीकी जानकारी का उपबन्ध करने के या तकनीकी सेवाओं के करने के प्रतिफल-स्वरूप प्राप्त होने वाली रायल्टियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें, कमीशन या (पूंजी-अभिलाभ को छोड़कर) कोई अन्य आय प्राप्त करती हैं, उनकी कराधेय आय संगणित करने में ऐसी आय के 40 प्रतिशत की कटौती अनुज्ञात करने के लिए आयकर अधिनियम में उपबन्ध करना प्रस्थापित किया गया है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत ऐसी तकनीकी जानकारी (चाहे उसका पेटेंट कर दिया गया हो अथवा नहीं) आएगी जिससे माल या सामग्रियों के विनिर्माण या संसाधन अथवा ऐसे विनिर्माण या संसाधन के लिए मशीनरी और प्लान्ट के प्रतिष्ठापन या परिनिर्माण में, अथवा ऐसी संक्रियाओं में, जो पूर्वेक्षण-सहित खनन, कृषि, पशु-पालन, दुग्ध-उद्योग या कुक्कुट-पालन, वनरक्षण या मत्स्य-पालन के सम्बन्ध में हैं, सहायता पहुंचना संभाव्य है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत आनेवाली तकनीकी सेवाएं ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित हैं जो उपर्युक्त तकनीकी-जानकारी का उपबन्ध करने के सम्बन्ध में की जाती हैं। नए उपबन्ध के अधीन, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों या रायल्टियों के रूप में प्राप्त आय के 40 प्रतिशत की कटौती का पात्र होने के लिए, तकनीकी-जानकारी और तकनीकी सेवाओं का उपबन्ध, 1 अप्रैल 1969 को या उसके पश्चात् किसी भारतीय कम्पनी द्वारा किसी संपृक्त व्यक्ति के साथ किए गए करार के अधीन किया जाना चाहिए और ऐसे करार का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा, सुसंगत निर्धारण वर्ष के 1 अक्तूबर के पूर्व किसी भी समय किया जाना चाहिए। इस उपबन्ध का उद्देश्य विदेशों से तकनीकी-जानकारी के पुनरावर्ती आयात को कम करना तथा भारतीय कम्पनियों को अपनी तकनीकी-जानकारी का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

56. उपरिवर्णित उपबन्ध को 1-4-1970 से, अर्थात् निर्धारण-वर्ष 1970-71 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए, प्रवृत्त करना ईप्सित है।

[खण्ड 9]

57. लेखकों, नाटककारों, संगीतज्ञों, तथा अभिनेताओं को अपनी ऐसी आय के 25 प्रतिशत पर छूट, जो उनके द्वारा अपनी वृत्ति करते हुए विदेशी स्रोतों से प्राप्त की गई है और विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में प्राप्त हुई है —भारत में निवासी ऐसे लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा अभिनेताओं को, जो अपनी वृत्ति करते हुए विदेशी-स्रोतों से कोई आय प्राप्त करते हैं और उसे भारत में प्राप्त करते हैं अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा के रूप में उसे भारत में ले आते हैं, कर-राहत देने के लिए आय-कर अधिनियम में उपबन्ध करना प्रस्थापित किया गया है। यह कर-राहत लेखक, नाटककार, कलाकार आदि की कराधेय आय संगणित करने में ऐसी आय के 25 प्रतिशत की कटौती अनुज्ञात करके दी जाएगी। इस उपबन्ध का उद्देश्य अपने देश में के सफल लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा अभिनेताओं को भारत के बाहर अपने क्रियाकलाप दिखाने के लिए इस दृष्टि से

प्रोत्साहित करना है जिससे कि वे विदेशों में अपने देश और उसकी संस्कृति के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त कराने में योग दे सकें और विदेशी-मुद्रा के हमारे स्रोतों को भी बढ़ा सकें।

58. उपरिवर्णित उपबन्ध को 1-4-1970 से, अर्थात् निर्धारण-वर्ष 1970-71 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए, प्रवृत्त करना ईप्सित है।

[खण्ड 11]

VI. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 में प्रस्थापित संशोधन

59. बहुजन-धारित घरेलू कम्पनी की दशा में, आयकर और अतिकर के लिए उसके संकलित दायित्व की उसकी कुल आय के 70 प्रतिशत पर अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपबन्ध का हटाया जाना — कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम की तृतीय अनुसूची में बहुजन-धारित घरेलू कम्पनी की दशा में ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट है जिसके अधीन आय-कर और अतिकर के लिए उसका संकलित दायित्व उसकी कुल आय के 70 प्रतिशत तक परिसीमित है। यह प्रस्थापित किया गया है कि पैरा 23 और 24 में स्पष्ट किए गए कारणों से इस उपबन्ध को हटा दिया जाए।

[खण्ड 25]

VII. धन-कर अधिनियम, 1957 में प्रस्थापित

संशोधन

60. व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों की दशा में, धन-कर के उद्ग्रहण का, कृषि-सम्पत्ति समाविष्ट करने वाले धन पर, विस्तारण — कृषि-धन को धन-कर अधिनियम के अधीन अभी तक धन-कर से छूट प्राप्त थी। इस प्रयोजन के लिए, धन-कर अधिनियम में "आस्तियां" पद की विद्यमान परिभाषा जिसमें हर प्रकार की सम्पत्ति, चाहे स्थावर हो अथवा जंगम, समाविष्ट है, कृषि-भूमि और ऐसी भूमि पर उगी हुई फ घास या खड़े वृक्ष को तथा ऐसे किसी निर्माण को भी जो उस भूमि पर या उसके ठीक समीपवर्ती भूमि पर स्थित तथा जो खेतिहर अथवा उस भूमि में से भाटक या आमदनी पाने वाले के स्वामित्व में और अधिभोग में हों अथवा जिनका उपयोग उस के द्वारा किया जाता हो, विनिर्दिष्टतया अपवर्जित करती है। इस छूट का प्रारम्भ परम्परागत है, और यह कृषि-धन पर धन-कर के उद्ग्रहण के लिए संसद् की विधि बनाने की सक्षमता पर संविधान में के किसी वर्जन के कारण नहीं है।

61. ऐसे व्यक्तियों के, जिन्होंने कृषि-सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति में विनिधान किए हैं और उन व्यक्तियों के जिन्होंने कृषि-सम्पत्ति में विनिधान किए हैं, सम्बन्ध में समान व्यवहार करने की दृष्टि से व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों द्वारा धारित कृषि-सम्पत्ति के मूल्य पर धन-कर का उद्ग्रहण 1-4-1970 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1970-71 से विस्तारित करने की विधेयक में प्रस्थापना की गई है।

62. इस विधेयक में की गई प्रस्थापनाओं के अधीन, कृषि-भूमि को जिसके अन्तर्गत उस पर खड़े वृक्ष आते हैं, और ऐसे निर्माणों को भी जो उस भूमि पर या उसके ठीक समीपवर्ती भूमि में स्थित हैं तथा जो खेतिह

अथवा उस भूमि में से भाटक या आमदनी पाने वाले के स्वामित्व में और अधिभोग में हों अथवा जिनका उपयोग उसके द्वारा किया जाता हो, निर्धारण-वर्ष 1970-71 से और उसके आगे, धन-कर के क्षेत्र के भीतर लाया जाएगा। (क) खड़ी फसल के (जिसके अन्तर्गत वृक्षों पर लगे फल आते हैं) और कृषि-भूमि पर की घास के मूल्य की बाबत तथा (ख) ऐसे औजारों, उपकरणों और उपस्करों (जैसे कि ट्रैक्टर) के मूल्य की बाबत, जिनका उपयोग कृषि-भूमि पर खेती करने, उसका संरक्षण, सुधार या अनुरक्षण करने या उस भूमि पर किसी कृषिक अथवा उद्यान-कृषिक उत्पाद को उगाने या काटकर एकत्र करने की बाबत विनिर्दिष्ट रूप से छूट देने का उपबन्ध किया गया है। कृषि-सम्पत्ति का मूल्य जो मूल्यांकन की तारीख को हो, उसी आधार और उन्हीं सिद्धांतों पर अवधारित किया जाएगा जो धन-कर अधिनियम में किसी अन्य सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए अधिकथित किए गए हैं। व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों की कृषि-सम्पत्ति का मूल्य कृषि-सम्पत्ति से भिन्न उनकी सम्पत्ति के मूल्य के साथ संकलित कर दिया जाएगा और संकलित शुद्ध आय को उन्हीं दरों पर धन-कर के अध्यधीन किया जाएगा जो कृषि-सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति पर धन-कर के उद्ग्रहण के लिए धन-कर अधिनियम के अधीन इस समय लागू हैं।

63. ऐसी शास्तियों के मापमान में वृद्धि जो धन की विवरणी देने में तथा सूचना द्वारा मांगे गए लेखा, दस्तावेजों आदि को पेश करने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल होजाने के कारण धन-कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय हैं। — इस समय, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो अपने शुद्ध धन की विवरणी देने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल रहता है या उतने समय के भीतर जो उसे अनुज्ञात किया गया हो तथा उस रीति में जो अपेक्षित हो, उसे देने में असफल रहा है, धन-कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति ऐसी राशि होती है जो हर ऐसे मास के लिए, जिस के दौरान व्यतिक्रम बना रहा, संदेय धन-कर के 2 प्रतिशत के बराबर हो, और कुल मिलाकर धन-कर के 50 प्रतिशत तक परिसीमित हो। वह शास्ति जो सूचना द्वारा मांगे गए लेखा, दस्तावेज़ोंआदि को देने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल होने के कारण अधिरोपणीय है उस धन-कर की रकम का, यदि कोई हो, जिसे उस दशा में बचा लिया जाता यदि ऐसा शुद्ध धन जैसा करदाता द्वारा विवरणी में दर्शित किया गया है सही शुद्ध धन के रूप में मान लिया जाता, न्यूनतम 10 प्रतिशत और अधिकतम 50 प्रतिशत है।

64. धन की विवरणी देने और सूचना द्वारा मांगे गए लेखा और दस्तावेजों के पेश करने में होने वाले व्यतिक्रमों के विरुद्ध प्रभावी भयोपरक उपबन्ध करने के लिए, धन-कर अधिनियम के अधीन ऐसे व्यतिक्रमों के लिए उद्ग्रहणीय शास्तियों के मापमान में नीचे वर्णित तब्दीलियों का किया जाना प्रस्थापित है।

64.1. धन की विवरणी देने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफलता — ऐसे व्यतिक्रम के लिए शास्ति का मापमान हर ऐसे मास के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम बना रहा, कुल मिलाकर इतनी अधिकतम रकम के अध्यधीन रहते हुए जो निर्धारित शुद्ध धन के बराबर है, निर्धारित शुद्ध धन की रकम के आधे प्रतिशत की दर से नियत किया जाना प्रस्थापित है। जहांकि व्यतिक्रम ऐसे धन के, जो सुसंगत वर्ष के लिए किए गए किसी पूर्वतर निर्धारण के समय निर्धारण से छूट जाए, पुनः निर्धारण के लिए की गई कार्यवाहियों के अनुक्रम में होता है, वहां शास्ति हर ऐसे मास के लिए जिस के दौरान व्यतिक्रम बना रहे, ऐसे शुद्ध धन के आधा प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय होगी जो पूर्व निर्धारित शुद्ध धन को कम करके पुनः निर्धारण पर अवधारित की जाए। ऐसी शास्ति कुल मिलाकर इतनी अधिकतम रकम के अध्यधीन होगी जो ऊपर यथाकथित, पूर्व निर्धारित शुद्ध धन को कम करके पुनः निर्धारित शुद्ध धन के बराबर है।

64.2. सूचना द्वारा माँगे गए लेखा और दस्तावेजों को पेश करने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफलता— ऐसे व्यतिक्रमों की बाबत, शास्ति का न्यूनतम मापमान 'निर्धारित शुद्ध धन' का 1 प्रतिशत तथा अधिकतम मापमान 'निर्धारित शुद्ध धन' की रकम होगी। इस प्रयोजन के लिए, 'निर्धारित शुद्ध धन' के बारे में यह माना जाएगा कि वह ऐसी रकम है जो निर्धारण पर अवधारित शुद्ध धन में से करदाता द्वारा दी गई विवरणी में, यदि कोई हो, घोषित शुद्ध धन को कम करने पर आती है। जहां कि ऐसे धन के पुनः निर्धारण का मामला हो, जो पूर्वतर निर्धारण के समय निर्धारण से छूट गया था, वहां उपरिवर्णित शास्ति-उपबन्ध के प्रयोजन के लिए 'निर्धारित शुद्ध धन' निम्नलिखित दो रकमों में से बड़ी रकम माना जाएगा : (i) वह रकम जो निर्धारण पर अवधारित शुद्ध धन में से पहले निर्धारित शुद्ध धन को घटाने पर आती है, (ii) विवरणी में, यदि कोई हो, घोषित शुद्ध धन की रकम।

65. शास्तियों के मापमान में उपरोक्त तब्दीलियां इस स्थिति के संदर्भ में प्रस्थापित की गई हैं कि धन-कर अधिनियम के अधीन धन के छिपाव के लिए (जिसके अन्तर्गत किन्हीं आस्तियों के मूल्य का अवकथन भी है) उद्ग्रहणीय शास्तियों का मापमान वित्त अधिनियम, 1968 के अधीन बढ़ाकर न्यूनतम छिपाए गए धन के बराबर और अधिकतम उस रकम का दुगना कर दिया गया था।

66. धन-कर अधिनियम के शास्ति-उपबन्धों में उपरिवर्णित तब्दीलियों को 1-4-1969 से प्रभावी करना ईप्सित है और वे ऐसे व्यतिक्रमों के सम्बन्ध में लागू होंगी, जो उस तारीख को या उसके पश्चात् बने रहेंगे या होते रहेंगे।

[खण्ड 24]

सीमा शुल्क

प्रस्थापनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं —

(क) स्नेहक तेल पर आधारिक आयात-शुल्क में वृद्धि;

(ख) पूर्णतः समंजित रूप में आयातित मोटर-कारों पर आधारिक आयात-शुल्क में वृद्धि;

(ग) खजूर से भिन्न सूखे फलों पर शुल्क की विभिन्न विनिर्दिष्ट दरों का मूल्यानुसार दर द्वारा प्रतिस्थापन और कतिपय सूखे फलों की बाबत टैरिफ मूल्यों का उत्सादन;

(घ) सीमाशुल्क-निर्धारण को सरल बनाने के प्रयोजनार्थ बाल और रोलर बेयरिंगों से सम्बन्धित मद सं0 72(35), 72(36), 72 (37) और 72(38) के और असबाब से सम्बन्धित मद सं0 87-क के शब्दविन्यास को सुव्यवस्थित करना;

(ङ) दो नई टैरिफ मदों — मद सं0 87ख और 87ग — का सृजन — सीमा शुल्क निर्धारण को सरल बनाने के प्रयोजनार्थ डाक या विमान द्वारा आयातित निजी उपयोग के लिए शुल्क-योग्य वस्तुओं, जिन्हें आयात व्यापार नियंत्रण (आई. टी. सी.) निर्बन्धनों से छूट प्राप्त है, और शुल्क-योग्य पोत भंडारों के बारे में (ईंधन, स्नेहक तेल, अलकोहालिक पेय और तम्बाकू-उत्पादों का अपवर्जन करके) शुल्क की समान दरें रखी गई हैं;

(च) वित्त अधिनियम, 1968 की धारा 35 में के उपबन्धों के अनुरूप विशेष सीमाशुल्कों को, ऐसे शुल्कों की जो अन्यथा संदेय हैं, 10 प्रतिशत की समान दर पर, 31 मार्च, 1970 तक चालू रखना। किन्तु यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए, एक अधिसूचना सभी आयातित माल को इस उद्ग्रहण से छूट देने के लिए निकाली जा रही है;

(छ) विनियामक सीमा-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए समर्थ बनानेवाले उपबन्धों का, जो वित्त अधिनियम, 1968 की धारा 36 में के उपबन्धों के समरूप हैं, 15 मई, 1970 तक चालू रखा जाना;

(ज) पटसन-विनिर्मितियों की कतिपय किस्मों पर निर्यात शुल्क का उत्सादन या घटाया जाना;

(झ) पैकेज चाय और अन्य चाय पर निर्यात शुल्क का उत्सादन या घटाया जाना;

(ञ) कतिपय श्रेणियों के अभ्रक की खुली पर्तों पर शुल्क में कमी;

(ट) वसारिक्त अपरिष्कृत ऊन पर निर्यात शुल्क का उत्सादन।

2. उप-पैरा (ग) से (ङ) में प्रगणित तबदीलियां भारतीय टैरिफ अधिनियम में संशोधन करके प्रभावी की जा रही हैं और उप-पैरा (क), (ख) और (ज) से (ञ) में प्रगणित तबदीलियां पहले से ही प्रवृत्त अधिसूचनाओं का संशोधन करके या नई अधिसूचनाएं निकाल कर प्रभावी की जा रही हैं।

3. आधारिक सीमा-शुल्क में कमी या वृद्धि, जो विधेयक के माध्यम से या अधिसूचना द्वारा की गई है, सारणी I में दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सीमा-शुल्कों में तब्दीलियों के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त (प्रतिलाभी) शुल्कों से 2600 लाख रुपए के शुद्ध अतिरिक्त राजस्व की प्रत्याशा है। इनके ब्यौरे सारणी II में दिए गए हैं।

4. वित्त विधेयक में की गई और अधिसूचनाओं द्वारा प्रभावी की गई प्रस्थापनाओं के परिणामस्वरूप 1969-70 में कुल अतिरिक्त सीमाशुल्क राजस्व 920 लाख रुपए प्राक्कलित किया गया है जो इस प्रकार है—

आयात शुल्क	लाख रुपयों में
आधारिक शुल्क	+ 620
अतिरिक्त (प्रतिलाभी) शुल्क	+ 2600
योग	= 3220
निर्यात शुल्क	- 2300
शुद्ध वृद्धि	+ 920

सारणी I

क्रम सं0	भारतीय टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में मद सं0	माल का संक्षिप्त वर्णन	शुल्क की वर्तमान प्रभावी दर	शुल्क की प्रस्थापित प्रभावी दर	प्रति वर्ष प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व (+) अथवा उपगत होनी संभाव्य हानि (-) (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		आयात टैरिफ			
1.	8(2)	सूखे फल और बीजरहित खजूर		मूल्यांकन-आधार के पुनरीक्षण द्वारा	+ 300
2.	27(8)	स्नेहक तेल	15 प्रतिशत	27½ प्रतिशत	+ 260
3.	75(1)	पूर्णत: समंजित आयातित मोटर कारें	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत	+ 60
		निर्यात टैरिफ			
4.	2	पटसन-विनिर्मितियां			— 1175
		(i) कार्पेट बैकिंग और पटसन की विशेषता-प्राप्त वस्तुओं को अपवर्जित करके हेशन कपड़ा और बैग	500 रुपए प्रति मीटरी टन	200 रुपए प्रति मीटरी टन	
		(ii) ऊनी बोरियां	250 रुपए प्रति मीटरी टन	शून्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(iii) सूती बैगिंग	200 रुपए प्रति मीटरी टन	शून्य	
		(iv) सैकिंग (कपड़ा और बैग) जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	250 रुपए प्रति मीटरी टन	150 रुपए प्रति मीटरी टन	
		(V) सूत के कतिपय प्रकार, ट्विस्ट, रस्सी और ट्वाइन तथा प्रकीर्ण पटसन-विनिर्मितियां	250 रुपए प्रति मीटरी टन	150 रुपए प्रति मीटरी टन	
5.	5	चाय			1055
		(i) उपभोक्ता पैकों में से भिन्न ।	20 प्रतिशत 35 पैसे प्रति किलोग्राम घटाकर, अधिकतम 2 रुपए 65 पैसे प्रति किलोग्राम के अध्यधीन रहते हुए ।	15 प्रतिशत 55 पैसे प्रति किलोग्राम घटाकर, अधिकतम 1 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के अध्यधीन रहते हुए ।	
		(ii) उपभोक्ता पैकों में, धातु के बने पात्रों में पैक की गई ।	10 प्रतिशत या 2 रुपए 76 पैसे प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी कम हो ।	शून्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(iii) उपभोक्ता पैकों में, धातु के पात्रों से भिन्न पात्रों में पैक की गई।	15 प्रतिशत या 2 रुपए 76 पैसे प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी कम हो।	5 प्रतिशत अधिकतम 1 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के अध्यधीन रहते हुए।	
6.	12	वसारिक्त अपरिष्कृत ऊन	10 प्रतिशत	शून्य	— 30
7.	25	श्रेणी सं0 5½ और 6 की अभ्रक की खुली पर्तें	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत	— 40
					— 1680

सारणी II

अतिरिक्त (प्रति लाभी) सीमा शुल्क के मद्धे राजस्व में पर्याप्त वृद्धि या कमी का ब्यौर।

क्रम सं0	सीमा शुल्क टैरिफ अनुसूची में मद (मदें)	माल का संक्षिप्त वर्णन	प्रतिवर्ष प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व (+) अथवा उपगत होनी संभाव्य हानि (-) (लाख रुपयों में)
1.	27(4)	केरोसिन	+ 75
2.	27(6)	मोटर स्पिरिट	+ 45
3.	28, 28(8), 35 और 35(1)	खाद	+ 2500
4.	46(6)	संश्लिष्ट रेशे	+ 100
5.	47(2)	संश्लिष्ट सूत	— 120
			+ 2600

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

क - विधेयक द्वारा प्रस्थापित तब्दीलियां

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	वर्णन	यूनिट	शुल्क की दर: वर्तमान: आधारिक	वर्तमान: विक्रय कर के बदले में अतिरिक्त	प्रस्थापित: आधारिक	प्रस्थापित: विक्रय कर के बदले में अतिरिक्त	एक पूर्ण वर्ष के दौरा प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5		6		7
				रुपए	रुपए			(लाख रुपयों
1	1	चीनी						
		(1) खंडसारी या पामीरा से भिन्न चीनी	क्विंटल	30.50	6.50	19% मूल्यानुसार	4% मूल्यानुसार	2745
		(2) खंडसारी चीनी	क्विंटल	15.00	6.50	10% मूल्यानुसार	4% मूल्यानुसार	30
		प्रभावी दरें						
		(1) खंडसारी या पामीरा से भिन्न चीनी	क्विंटल	22.15	6.50	19% मूल्यानुसार	4% मूल्यानुसार	
		(2) खंडसारी चीनी						
		(क) सल्फाइटीकरण प्लांट की सहायता से उत्पादित	क्विंटल	15.00	6.50	10% मूल्यानुसार	2.5% मूल्यानुसार	
		(ख) सल्फाइटीकरण प्लांट की सहायता के बिना उत्पादित	क्विंटल	15.00	2.50	10% मूल्यानुसार	2.5% मूल्यानुसार	

टिप्पण :— विशेष प्रक्रिया के अधीन कार्य करना अपनाने वाली यूनिटों द्वारा उत्पादित खंडसारी चीनी के लिए संयुक्त उद्ग्रहण-दरों में यथोचित वृद्धि की जा रही है ।

यह ऐसा राजस्व-उपाय है, जो नियंत्रित चीनी पर प्रभारित शुल्क में केवल थोड़े से फेर-फार के साथ, खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के उच्चतर मूल्य पर समानुपातिक रूप से उच्चतर शुल्क उद्ग्रहीत करने के लिए है ।

2. छूट प्राप्ति सम्बन्धी यथोचित अधिसूचना द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नियंत्रित चीनी पर शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत कीमतों पर मूल्यानुसार दरों से प्रभारित किया जाए ।

[खण्ड 30 (i) और 33 (i)]

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर (आधारिक) वर्तमान	प्रस्थापित	एक पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7
						(लाख रुपयों में)
2	1क	कनफैक्शनरी और चाकलेट				

इस मद की उप-मद (2) के टैरिफ वर्णन में संशोधन किया जाना इस दृष्टि से प्रस्थापित है कि इसके अन्तर्गत ऐसा प्रपुंज-चाकलेट भी आ जाए जो इस समय के टैरिफ वर्णन के अन्तर्गत नहीं आता है।

[खण्ड 30 (ii)]

3	Iख	संपाकित या परिरक्षित खाद्य-पदार्थ			10% मूल्यानुसार	150

यह नया उद्ग्रहण राजस्व-उपाय के रूप में प्रस्थापित किया गया है। इस समय जो उद्ग्रहण है वह उस अधिसूचना में, जो अन्य सभी को छूट देती है, सूचीबद्ध परिरक्षित और संसाधित (प्रोसैस्ड) खाद्य-पदार्थों की मदों के समूहों तक ही परिसीमित रहेगा।

[खण्ड सं0 30 (iii)]

4	4 II (2)	सिगरेट				1584
		आधारिक		100% मूल्यानुसार	125% मूल्यानुसार	
		विक्रय-कर के बदले में अतिरिक्त		25% मूल्यानुसार	25% मूल्यानुसार	
		विशेष		आधारिक शुल्क का 20%	आधारिक शुल्क का 20%	

1	2	3	4	5	6	7

(लाख रुपयों में)

प्रभावी दरें

1000 के लिए मूल्य		मूल्यानुसार			मूल्यानुसार		
निम्नलिखित से अधिक है	निम्नलिखित से अधिक नहीं है	आ	वि	अ	आ	वि	अ
रुपए	रुपए	%	%	%	%	%	%
25.00	-	95.00	19.0	20.0	107.5	21.5	23.0
7.50	25.00	65.00	13.0	11.0	72.5	14.5	14.0
-	7.50	35.0	7.0	5.0	40.0	8.0	5.0

आ - आधारिक उत्पाद-शुल्क

वि - विशेष उत्पाद-शुल्क

अ - विक्रय कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

यह राजस्व-उपाय है।

[खण्ड 30 (iv)]

1	2	3	4	5	6	7
				रुपए	रुपए	
5.	6	मोटर स्पिरिट	कि0लि0	550.0	620.0	1400
						[खण्ड 30 (v)]
6.	14जज	उर्वरक, सभी किस्में आदि	-	-	10% मूल्यानुसार	2200

यह नया उद्ग्रहण राजस्व-उपाय के रूप में प्रस्थापित किया गया है।

[खण्ड 30 (x)]

1	2	3	4–6	7
7.	18क	रूई का सूत	शुल्क की दरों की वर्तमान अधिकतम सीमा में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। शुल्क को प्रभावी दरों के लिए सारणी में "I-रुई का सूत" के सामने की प्रविष्टियाँ को देखिये।	(-)260
	19	सूती फैब्रिक	निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए टैरिफ-वर्णन को नया रूप दिया जा रहा है: (क) कसीदा और संसेचित (इम्प्रेग्नेटेड) टैक्सटाइल फैब्रिक आदि जिनका आधार सूती फैब्रिक है।	(-) 2

1	2	3	4	5	6	7

(लाख रुपयों में)

(ख) विक्रय-कर के बदले में 12.5% आधारिक उत्पाद-शुल्क और 2.5% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दर से शुल्क की मूल्यानुसार दरें विनिर्दिष्ट प्रकार के नौ सूती फैब्रिक, जैसे कि कोटिंग, सूटिंग, टसर, कार्ड्रीय, गबर्डीन, टैपस्ट्री आदि, के लिए नियत की गई हैं। इन्हें रुई के सूत पर के शुल्क से छूट दी जा रही है।

*इस आंकड़े के पृथक्-पृथक् ब्यौरे नीचे दर्शित हैं:

i) फैब्रिक शुल्क में तब्दीली होने के कारण	(-) 370
ii) शक्ति-चालित करघा संयुक्त (कम्पाउन्डेड) शुल्क में वृद्धि होने के कारण	(+) 50
iii) निम्नलिखित में से राजस्व के अन्तरण के कारण	
(1) कसीदा (मद 22ग विलुप्त)	(+) 70
(2) संसेचित या विलेपित (कोटेड) फैब्रिक आदि (मद 22ख उपान्तरित)	(+) 230
शुद्ध	(-) 20

रुई के सूत और सूती फैब्रिक की बाबत प्रस्थापनाओं के अन्तर्गत, अन्य तब्दीलियों के साथ, निम्नलिखित महत्वपूर्ण तब्दीलियां आती हैं —

i) हथकरघाओं द्वारा प्रसामान्यतया उपयोग में लाये जाने वाले लटी-सूत पर के शुल्क में राहत;

ii) शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कलफ लगे और बिना कलफ लगे सूत के बीच का विभेद हटा दिया गया है;

iii) 'कोरे' और 'संसाधित' मध्यम-क, मध्यम-ख के और मोटे फैब्रिक पर आधारिक उत्पाद-शुल्क में राहत;

iv) सभी प्रवर्गों के छपे हुए फैब्रिक पर अधिभार का उद्ग्रहण;

v) मध्यम-ख के और मोटे फैब्रिक की नियंत्रित किस्में आधारिक उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह से छूट-प्राप्त बनी रहेंगी;

vi) मिल द्वारा बनाए गए फैब्रिक के लिए संसाधन-अधिभारों की दरों के मुकाबले में शक्ति-चालित करघा और हथकरघा फैब्रिक के लिए अधिभारों की निम्नतर दरें उस दशा में नियत की गई हैं जिसमें कि फैब्रिक स्वतंत्र संसाधनकर्ताओं द्वारा संसाधित किए जाते हैं।

रुई के सूत और सूती फैब्रिक पर शुल्क के ढांचे और उसकी दरों में तब्दीलियां पर्याप्त राहत के उपाय के रूप में प्रस्थापित की गई हैं। जबकि हथकरघा और शक्तिकरघा के सैक्टरों को मुख्यतः सूत के शुल्क में व्यापक कमी होने से राहत मिलेगी, मिल सैक्टर को राहत मध्यम-क, मध्यम-ख के और मोटे फैब्रिक पर दोनों प्रकार के शुल्कों अर्थात् कोरी स्टेज तथा संसाधन शुल्कों के उत्सादन या और उनमें कमी के द्वारा मिलेगी। हथकरघा और शक्ति-चालित करघा सैक्टरों को इन सैक्टरों में निर्मित ऐसे फैब्रिक की बाबत जो संसाधित किए जाते हैं, संसाधन-शुल्क की कमी / उत्सादन से फायदा होगा।

शुल्क की प्रभावी दरों के लिए, सारणी में "II- सूती फैब्रिक," के सामने दी गई प्रविष्टियां देखिये।

टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर						एक पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
			वर्तमान				प्रस्थापित		
			लटी में		अन्य		लटी में	अन्य	
			कलफ लगी	बिना कलफ लगी	कलफ लगी	बिना कलफ लगी			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	शुल्क की प्रभावी दरें		रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	(लाखों रुपयों
I. रुई का सूत									
	क) संमिश्रित मिलों से भिन्न सैक्टरों द्वारा उपयोग में लाए गए सूत के शुल्क की प्रभावी दरें —								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	(लाख रुपयों में)
		काउन्ट समूह (एन. एफ.)									
		निम्नलिखित का या से अधिक का	निम्नलिखित से कम का								
		69	-	कि0 ग्रा0	0.90	1.08	1.10	3.50	0.90	1.50	
		51	69	"	0.90	1.08	1.10	3.50	0.65	1.25	
		40	51	"	0.65	0.78	1.10	3.50	0.40	1.10	
		34	40	"	0.40	0.48	0.70	1.45	-	0.80	
		29	34	"	-	-	0.70	1.45	-	0.70	
		22	29	"	-	-	0.40	0.44	-	0.40	
		14	22	"	-	-	0.25	0.28	-	0.25	
		इससे कम	14	"	-	-	0.13	0.15	-	0.13	

ख) **संमिश्रित मिल-फैब्रिक में अन्तर्विष्ट सूत के लिए संयुक्त शुल्क की दरें**

			वर्तमान पैसे	प्रस्थापित पैसे
1)	सुपर फाइन	वर्ग मीटर	22.0	20.0
2)	फाइन	"	14.0	12.0
3)	मध्यम-क	"	6.60	6.60
4)	मध्यम-ख	"	4.40	4.40
5)	मोटा	"	2.20	2.20

टिप्पण: कसीदा के बेस फैब्रिक में या ऐसे बेस फैब्रिक में जो कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों से संसेचित या विलेपित हों, उपयोग में लाए गए सूत पर शुल्क ऐसा शुल्क होगा जो बेस फैब्रिक में अन्तर्विष्ट सूत पर उद्ग्रहणीय हो ।

मद सं0 19 के अधीन मूल्यानुसार दरों पर शुल्क के लिए निर्धारित किए जाने वाले सूती फैब्रिक को रुई के सूत-शुल्क से छूट दी जा रही है ।

ग) निम्नलिखित के टुकड़ों में अन्तर्विष्ट सूत पर शुल्क की दरें:

(i)	सुपर फाइन फैब्रिक	कि. ग्राम	1.20	2.00

(ii)	फाइन फैब्रिक	कि॰ ग्रा॰	0.90	0.80
(iii)	मध्यम-क फेब्रिक	कि॰ ग्रा॰	0.44	0.45
(iv)	मध्यम-ख फेब्रिक	कि॰ ग्रा॰	0.44	0.30
(v)	मोटे फैब्रिक	कि. ग्रा.	0.165	0.15

टिप्पण   कसीदा के टुकड़ों में या फैब्रिक के ऐसे टुकड़ों में जो कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों से संसेचित या विलेपित हों, अन्तर्विष्ट सूत के लिए, प्रभार्य शुल्क ऐसा शुल्क होगा जो बेस फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय हो ।

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य और वर्णन	यूनिट	शुल्क की दर (आधारिक) बजट-पूर्व	बजटोत्तर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
				पैसे	पैसे	
	II —	सूती फेब्रिक (मिल-निर्मित)				
		क) सुपरफाइन —				
		i) कोरे (असंसाधित)	वर्ग मीटर	7.0	7.0	
		ii) विरंजित/ रंगे हुए	"	22.0	22.0	
		iii) विरंजित या रंगे हुए जिनपर छपाई की गई हो	"	22.0	27.0	
		iv) मर्सरीकृत, आदि	"	42.0	42.0	
		v) मर्सरीकृत, आदि जिनपर छपाई की गई हो	"	42.0	47.0	
		vi) सिकुड़न-सह, आदि	"	57.0	57.0	
		vii) सिकुड़न-सह आदि जिनपर छपाई की गई हो ।	"	57.0	62.0	
		ख) फाइन —				
		i) कोरे (असंसाधित)	वर्ग मीटर	6.0	6.0	
		ii) विरंजित/ रंगे हुए	"	21.0	21.0	
		iii) विरंजित या रंगे हुए जिनपर छपाई की गई हो	"	21.0	26.0	

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य और वर्णन	यूनिट	शुल्क की दर (आधारिक) बजट-पूर्व	बजटोत्तर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
		iv) मर्सरीकृत, आदि	वर्ग मीटर	41.0	41.0	
		v) मर्सरीकृत आदि जिनपर छपाई की गई हो	"	41.0	46.0	
		vi) सिकुड़न-सह, आदि	"	56.0	56.0	
		vii) सिकुड़न-सह आदि जिनपर छपाई की गई हो।	"	56.0	61.0	
		ग) मध्यम-क —				
		i) कोरे (असंसाधित)	वर्ग मीटर	2.5	शून्य	
		ii) विरंजित/रंगे हुए	"	10.0	2.5	
		iii) विरंजित या रंगे हुए जिनपर छपाई की गई हो	"	10.0	5.0	
		iv) मर्सरीकृत आदि	"	27.5	20.0	
		v) मर्सरीकृत आदि जिनपर छपाई की गई हो	"	27.5	22.5	
		vi) सिकुड़न-सह, आदि	"	42.5	35.0	
		vii) सिकुड़न-सह आदि जिनपर छपाई की गई हो	"	42.5	37.5	
		घ) मध्यम-ख — (अनियंत्रित)				
		i) कोरे (असंसाधित)	"	1.5	शून्य	
		ii) विरंजित/रंगे हुए	"	6.5	शून्य	
		iii) विरंजित या रंगे हुए जिनपर छपाई की गई हो	"	6.5	2.5	

1	2	3	4	5	6	7
		iv) मर्सरीकृत आदि	वर्ग मीटर	16.5	10.0	
		v) मर्सरीकृत आदि जिनपर छपाई की गई हो	,,	16.5	12.5	
		vi) सिकुड़न-सह आदि	,,	31.5	25.0	
		vii) सिकुड़न-सह आदि जिनपर छपाई की गई हो।	,,	31.5	27.5	
	ङ.) मध्यम ख (नियंत्रित)		वर्ग मीटर	शून्य	शून्य	
	च) मोटा (अनियंत्रित)					
		i) कोरे (असंसाधित)	वर्ग मीटर	1.0	शून्य	
		ii) विरंजित/रंगे हुए	,,	6.0	शून्य	
		iii) विरंजित या रंगे हुए जिनपर छपाई की गई हो	,,	6.0	2.5	
		iv) मर्सरीकृत आदि	,,	16.0	10.0	
		v) मर्सरीकृत आदि जिनपर छपाई की गई हो	,,	16.0	12.5	
		vi) सिकुड़न-सह आदि	,,	31.0	25.0	
		vii) सिकुड़न-सह आदि जिनपर छपाई की गई हो।	,,	31.0	27.5	
	छ) मोटा (नियंत्रित)		वर्ग मीटर	शून्य	शून्य	
	ज) टुकड़े— (मिल फैब्रिक)			रुपए	रुपए	
		i) सुपरफाइन —				
		(क) कोरे	कि. ग्रा.	0.661	0.58	
		(ख) संसाधित	,,	0.661	2.28	

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य और वर्णन	यूनिट	शुल्क की दर (आधारिक) बजट-पूर्व	बजटोत्तर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
		ii) फाइन —				
		(क) कोरे	कि. ग्रा.	0.661	0.20	
		(ख) संसाधित	"	0.661	1.10	
		iii) मध्यम-क				
		(क) कोरे	"	0.11	शून्य	
		(ख) संसाधित	"	0.11	0.10	
		iv) मध्यम-ख				
		(क) कोरे	"	0.11	शून्य	
		(ख) संसाधित				
		(1) रंजित, रंगे हुए	"	0.11	शून्य	
		(2) अन्य	"	0.11	0.10	
		v) मोटे —				
		(क) कोरे		0.11	शून्य	
		(ख) संसाधित —				
		(1) रंजित, रंगे हुए	"	0.11	शून्य	
		(2) अन्य	"	0.11	0.10	

टिप्पण : इन फैब्रिक और टुकड़ों पर (विक्रय-कर के बदले में) वर्तमान अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और हथकरघा उपकर का संदाय किया जाता रहेगा ।

झ) शक्ति-करघा द्वारा उत्पादित फैब्रिक के लिए शुल्क की संयुक्त दरें —

यदि शुल्क का संदाय		यदि शुल्क का संदाय	
त्रैमासिक किया जाता है	वार्षिक किया जाता है	त्रैमासिक किया जाता है	वार्षिक किया जाता है

(रुपए , प्रतिष्ठापित प्रति शक्ति-करघा)

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य और वर्णन		यूनिट	शुल्क की दर(आधारिक) बजट-पूर्व	बजटोत्तर	टिप्पणी
1	2	3		4	5	6	7
		जहाँ प्रतिष्ठापित शक्ति-करघे —					
		इनसे अधिक हैं	इनसे अधिक नहीं हैं				
			4	6.50	25.00	13.00	50.00
		4	24	20.00	75.00	40.00	150.00
		24	49	40.00	150.00	80.00	300.00

[खण्ड 30 (xii) और 33 (ii)]

8	20	रेशमी फैब्रिक	--
	21	ऊनी फैब्रिक	

इन मदों के टैरिफ वर्णन का संशोधन कसीदा से सम्बन्धित पृथक् मद सं0 22-ग के विलोप के परिणाम-स्वरूप है ।

[खण्ड 30 (xiii) और (xiv) तथा 33 (iii) और (iv)]

9	22	रेयन का कृत्रिम रेशमी फैब्रिक	55

इस मद के टैरिफ वर्णन का संशोधन कसीदा से सम्बन्धित मद सं0 22-ग के विलोप के और संसेचित टेक्सटाइल फैब्रिक आदि से सम्बन्धित मद सं0 22 ख के संशोधन के परिणाम-स्वरूप है ।

[खण्ड 30 (xv) और 33 (v)]

10	22-क	पटसन-विनिर्मितियाँ			495
		i) हेशन	मीटरी टन	450.00	550.00
		ii) अन्य	मीटरी टन	250.00	350.00

1) आधारिक शुल्क के 10 प्रतिशत का वर्तमान विशेष उत्पाद-शुल्क बना रहेगा ।
2) वृद्धि राजस्व-उपाय के रूप में प्रस्थापित की गई है ।

[खण्ड 30 (xvi)]

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर वर्तमान	शुल्क की दर प्रस्थापित	एक पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7
				रुपए	रुपए	(लाख रुपयों में)
11	22-ख	सेलुलोस व्युत्पादितों के और ऐसे अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्रियों के जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों, विनिर्मित पदार्थों से संसेचित या विलेपित टेक्सटाइल फैब्रिक				(-) 245

इस मद के टैरिफ वर्णन का संशोधन किया जाना प्रस्थापित है जिससे उन संसेचित फैब्रिकों को अपवर्जित किया जा सके, जो सूती फैब्रिक कृत्रिम रेशम के फैब्रिक को आधार-सामग्री के रूप में रखते हैं।

इस मद के सामने राजस्व में हानि के रूप में जो भी दर्शित किया गया है, उसका मुजरा उस अभिलाभ से हो जायगा जो सूती फैब्रिक और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक के अधीन दर्शित किया गया है।

[खण्ड 30 (xvii)]

12	22-ग	कसीदा, आदि				(-) 175

इस मद को केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ से विलुप्त किया जा रहा है किन्तु कसीदाकृत फैब्रिक को क्रमश: सूती फैब्रिक, रेशमी फैब्रिक, ऊनी फैब्रिक और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक से सम्बन्धित मद 19, 20, 21 और 22 के टैरिफ वर्णन में आवश्यक रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

2. आधारिक शुल्क तथा संयुक्त उदग्रहण की ऐसी कमी द्वारा जिसका प्रभाव राजस्व में 65 लाख रुपए की हानि के रूप में होगा। इस मद के सामने दर्शित 110 लाख रुपए की शेष हानि का मुजरा उस अभिलाभ से हो जाएगा जो सूती फैब्रिक और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक की मदों के सामने राजस्व के रूप में दर्शित है।

[खण्ड 30 (xviii)]

13	26-क	ताम्र और ताम्र मिश्रधातु				
	27	ऐलुमिनियम				

टैरिफ वर्णन के संशोधन की प्रकृति व्याख्यात्मक है और इसका राजस्व महत्व शून्य है।

[खण्ड 30 (xx) और (xxi)]

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर वर्तमान	प्रस्थापित	एक पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7
						(लाखों रुपयों में)
14	30-क	द्रवों के लिए शक्ति चालित पम्प आदि।		—	20 प्रतिशत मूल्यानुसार	200

यह नया उद्ग्रहण राजस्व-उपाय के रूप में प्रस्थापित किया गया है।

[खण्ड 30 (xxii)]

15	33-ग	घरेलू विद्युत उपकरण जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।			10.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	200

यह नया उद्ग्रहण राजस्व उपाय के रूप में प्रस्थापित किया गया है। यह उद्ग्रहण छूट देने वाली अधिसूचना द्वारा इस समय घरेलू विद्युत उपकरणों की बीस मदों के समूहों तक परिसीमित रखा गया है।

[खण्ड 30 (xxv)]

16	37	सिनेमा-फिल्में				
		I - अनुच्छन्न	मीटर	-	2 पैसे	(+) 10
		II - उच्छन्न				(-) 18

	वर्तमान		प्रस्थापित	
	30 मि0 मीटर या अधिक चौड़ाई की	30 मि0 मीटर से कम चौड़ाई की	30 मि0 मीटर या अधिक चौड़ाई की	30 मि0 मीटर से कम चौड़ाई की
	(प्रति मीटर रुपयों में)			
i) समाचार रीलें और टुकड़े (शार्ट्स) जो 500 मीटर से अधिक न हों	0.15	0.10	0.50	0.30
ii) फीचर फिल्में, विज्ञापन शार्ट्स और वे फिल्में जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	0.50	0.33	1.50	1.00

उप-मद II (2) के अधीन आने वाली फीचर फिल्मों आदि पर शुल्क की प्रभावी दरें

वर्णन	वर्तमान दरें			प्रस्तावित दरें		
	30 मि0मी0 से कम चौड़ाई की फिल्मों के लिए	30 मि0 मी0 या अधिक चौड़ाई की फिल्मों के लिए		30 मि0 मी0 से कम चौड़ाई की फिल्मों के लिए	30 मि0 मी0 या अधिक चौड़ाई की फिल्मों के लिए	
		जो लंबाई में 4000 मीटर से अधिक नहीं हैं	जो लंबाई में 4000 मीटर से अधिक हैं		जो लंबाई में 4000 मीटर से अधिक नहीं हैं	जो लंबाई में 4000 मीटर से अधिक हैं
1	2	3	4	5	6	7
			(प्रति मीटर पैसों में)			
क) केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक आगामी 12 मासों के भीतर गृह उपभोग के लिए निकासी की गई						
I वर्णहीन फिल्मों के लिए						
i) हर एक चित्र के प्रथम 8 प्रिन्ट	7	10	15			
ii) अनुगामी 12 प्रिंट				शून्य	शून्य	
क) प्रथम 4 प्रिंट	10	15	25			
ख) बाकी 8 प्रिंट	10	15	25	7	10	15
iii) अनुगामी 15 प्रिंट	13	20	35	12	18	27
iv) अनुगामी 15 प्रिंट	25	35	50	22	32	45

1	2	3	4	5	6	7
			(प्रति मीटर पैसों में)			
v) बाकी के						
क) प्रथम 25 प्रिंट	33	45	50	33	45	55
ख) अतिशेष	33	45	50	45	60	70
II रंगीन फिल्मों के लिए						
i) हर एक चित्र के प्रथम 8 प्रिंट	7	10	15	5	7.5	10
ii) अनुगामी 12 प्रिंट	10	15	25	10	15	20
iii) अनुगामी 15 प्रिंट	13	20	35	18	27	36
iv) अनुगामी 15 प्रिंट	25	35	50	33	48	64
v) बाकी के						
क) प्रथम 25 प्रिंट	33	45	50	50	67	90
ख) अतिशेष	33	45	50	67	90	120
ख) केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के पश्चात् गृह उपभोग के लिए निकासी की गई						
क) वर्णहीन फिल्मों के लिए	10	15	25	शून्य	शून्य	शून्य
ख) रंगीन फिल्मों के लिए	10	15	25	10	15	25

ख) वर्तमान विशेष उत्पाद-शुल्क, जो आधारिक शुल्क का 20 प्रतिशत है, चालू है।

[खण्ड 30 (xxvi)]

1	2	3	4	5	6	7
						(लाखों रुपयों में)
17	37-क	ग्रामोफोन और उसके पुर्जे				

1	2	3	4	5	6	7

(लाखों रुपयों में)

टैरिफ वर्णन के संशोधन की प्रकृति व्याख्यात्मक है और इसका राजस्व महत्व कम है ।

खण्ड 33 (xxvii)

18	42	पैकिंग के लिए सब प्रकार के चौर्यरक्षित ढक्कन	प्रति ढक्कन	-	एक पैसा	50
	43	ऊन की पूनियां	किलोग्राम	-	पांच रुपए (प्रभावी दर दस पैसे प्रति किलोग्राम)	6

पैकिंग के लिए चौर्यरक्षित ढक्कनों पर नया उद्ग्रहण राजस्व उपाय के रूप में प्रस्थापित किया गया है ।

ऊन की पूनियों पर नया उद्ग्रहण इस दृष्टि से प्रस्थापित किया गया है कि ऊनी सूत पर के संपूर्ण शुल्क या उसके भाग को ऊनी-पूनी स्टेज पर अधिसूचना द्वारा अन्तरित कर दिया जाए । इससे राजस्व का बेहतर संग्रहण सुनिश्चित हो जाएगा ।

[खण्ड 30 (xxviii)]

19		विनिर्दिष्टतः रेटित उद्ग्रहणों को मूल्यानुसार उद्ग्रहणों में तबदील करने की प्रस्थापनाएं				
	13	वनस्पति-उत्पाद	क्विन्टल	32.00 रुपए (प्रभावी दर 20.00 रुपए)	10.0 प्रतिशत मूल्यानुसार (प्रभावी दर 5.0 प्रतिशत मूल्यानुसार)	260
	14-क	सोडा-क्षार	क्विन्टल	2.00 रुपए	5.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	
	14-ख	कास्टिक सोडा	क्विन्टल	4.00 रुपए	5.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	

2	3	4	5	6	7
					(लाखों रुपयों में
14खख	सोडियम सिलीकेट	क्विन्टल	8.00 रुपए (प्रभावी दर 6.00 रुपए)	25.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	
15	साबुन				
	(क) शक्ति की सहायता से उत्पादित				
	i) घरेलू और लांडरी	क्विन्टल	18.00 रुपए	6.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	
	ii) अन्य किस्में	क्विन्टल	38.00 रुपए	9.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	
	(ख) शक्ति की सहायता के बिना उत्पादित				
	i) सादे बार जो भार में 454 ग्राम से अन्यून हैं	क्विन्टल	13.25 रुपए (छूट-प्राप्त)	6.5 प्रतिशत मूल्यानुसार (छूटप्राप्त)	
	ii) अन्य किस्में	क्विन्टल	15.50 रुपए (छूट-प्राप्त)		
23	सीमेंट	मीटरी टन	23.60 रुपए	21.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	
32	विद्युत प्रकाश बल्ब और प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिकाएं				
	(1) निर्वात और गैस पूरित बल्ब				

1	2	3	4	5	6	7
		(i) 100 वाट आदि से अनधिक	प्रति	10 पैसे	11.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	
		(ii) 100 वाट आदि से अधिक किन्तु 300 वाट से अनधिक	प्रति	40 पैसे		
		(iii) 300 वाट से अधिक	प्रति	80 पैसे		
		(2) प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिकाएँ	मीटर	1.31 रुपए	22.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	
		(3) सोडियम तथा पारद वाष्प विसर्जन (मर्करी वेपर डिस्चार्ज) लैम्प		5 प्रतिशत मूल्यानुसार	6 प्रतिशत मूल्यानुसार	
		(4) सभी किस्में जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नही हैं।		15 प्रतिशत मूल्यानुसार	16.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	
	33	बिजली के पंखे				
		क) टेबुल, केबिन, कैरेज, आदि पंखे जो 40.6 से. मी. से अधिक नही हैं।	प्रति	7.50 रुपए	6.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	
		ख) अन्य सभी पंखे	प्रति	15.00 रुपए	8.50 प्रतिशत मूल्यानुसार	

[बिजली के पंखों के कतिपय भागों से सम्बन्धित मद सं० 33 की उपमद (3) को विलुप्त कर दिया गया है।]

1	2	3	4	5	6	7

वर्तमान विशेष उत्पाद-शुल्क, जो आधारिक उत्पाद-शुल्क की प्रतिशतता के रूप में है, जहां भी लागू है, बिना किसी तब्दीली के बना रहेगा।

2. प्रस्थापनाओं में शुल्क की वर्तमान विनिर्दिष्ट दरों को शुल्क की मूल्यानुसार दरों में, यथोचित रूप से पूर्णांकित करके, तब्दील करना ईप्सित है।

[खण्ड 30 (vi), (vii), (viii), (ix), (xi), (xix), (xxiii) और (xxiv)]

ख - विशेष उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद (विक्रयकर के बदले) शुल्क, विनियामक शुल्क, और लवण शुल्क की समाप्ति

विशेष उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद (विक्रय कर के बदले) शुल्क की वर्तमान दर में, वहां के सिवाय जहां कि पहले से ही अन्यथा उपदर्शित है, कोई तब्दीली नहीं की गई है।

2. उत्पाद विनियामक शुल्क के लिए समर्थ बनाने वाले उपबन्ध, जैसे कि गत वर्ष थे, चालू रखे जा रहे हैं। किन्तु, विनियामक शुल्क इस समय किसी वस्तु पर नहीं लगाया जा रहा है।

3. लवण शुल्क की समाप्ति के उपबन्धों को, वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान भी चालू रखने की प्रस्थापना है।

[खण्ड 31, 32, 33 और 34]

ग - अधिसूचना द्वारा प्रस्थापित तब्दीलियां

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर (आधारिक) वर्तमान	प्रस्थापित	एक पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7
				रुपए	रुपए	(लाख रुपए में)
1	1क	कन्फैक्शनरी	कि0ग्रा0	0.80	0.30	(-) 80

यह उपाय चाकलेट से भिन्न कन्फैक्शनरी पर शुल्क के आपतन (इन्सिडेन्स) को कम करने के लिए है।

1	2	3	4	5	6	7
				रुपए	रुपए	(लाखों रुपयों में)
2.	7	कैरोसिन	कि०लि०	235.00	235.00	1440

शुल्क की प्रभावी दर

बढ़िया कैरोसिन	कि०लि० 165.25	205.25

यह राजस्व उपाय है। घटिया कैरोसिन पर जो अधिकत: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, शुल्क में तब्दीली करने की प्रस्थापना नहीं है।

3.	16क	रबर के उत्पाद	60

रबर-उत्पादों पर, मुख्यत पारेषण (ट्रान्समिशन) बेल्टिंग पर, शुल्क को - रबर संयुक्त अन्तर्वस्तु की ऐसी सीमा को पुन परिभाषित करके जिस तक इस मद के अधीन उद्ग्रहण किया जाएगा, सुव्यवस्थित बनाना।

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर: वर्तमान आधारिक	विशेष	योग	प्रस्थापित आधारिक	विशेष	योग	एक पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	(लाख रुपयों में)
4	18	रेयन और संश्लिष्ट तंतु और सूत	कि0 ग्रा0	45.0	15.0	60.0	45.0	15.0	60.0	547

शुल्क की प्रभावी दरें

I. तंतुक								
(क) सेलुलोस उत्पत्ति	कि0 ग्रा0	0.60	0.20	0.80	0.75	0.25	1.00	
(ख) अन्य सभी	कि0 ग्रा0	12.00	4.00	16.00	21.00	7.00	28.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	(लाख रुपयों में)
II तन्तु सूत										
(1) विसकोस और एसिटेट										
(क) बड़े उत्पादकों के लिए										
	निम्नलिखित का और अधिक का	निम्नलिखित से कम का								
i)		75डे	कि0 ग्रा0	8.10	2.25	10.35	8.60	2.80	11.40	
ii)	75डे	100डे	,,	5.20	1.50	6.70	5.65	1.75	7.40	
iii)	100डे	120डे	,,	3.75	1.00	4.75	4.10	1.15	5.25	
iv)	120डे	150डे	,,	3.00	0.95	3.95	3.35	1.00	4.35	
v)	150डे	350डे	,,	2.60	0.80	3.40	2.85	0.90	3.75	
vi)	350डे किन्तु 1100 डे से अनधिक		,,	2.50	-	2.50	2.50	-	2.50	
vii)	1100डे से अधिक		,,	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	
(ख) लघु उत्पादकों के लिए										
	निम्नलिखित से अधिक का	निम्नलिखित से कम का								
i)	-	75डे	कि0 ग्रा0	6.20	2.00	8.20	7.85	2.50	10.35	
ii)	75डे	100डे	,,	5.00	1.50	6.50	5.55	1.75	7.30	
iii)	100डे	120डे	,,	3.75	1.00	4.75	4.10	1.15	5.25	
iv)	120डे	150डे	,,	2.10	0.65	2.75	2.85	0.90	3.75	
v)	150डे	350डे	,,	2.00	0.60	2.60	2.55	0.80	3.35	
vi)	350डे और 1100डे से अनधिक		,,	2.50	-	2.50	2.50	-	2.50	
vii)	1100डे से अधिक		,,	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. अन्य संश्लिष्ट सूत —

(क) पोलैमाइड (नाइलोन) सूत

	निम्नलिखित का और अधिक का	निम्न-लिखित से कम का								
i)	-	30डे	कि0ग्रा0	28.50	9.50	38.00	22.50	7.50	30.00	
ii)	30डे	75डे	,,	24.75	8.25	33.00	21.00	7.00	28.00	
iii)	75डे	90डे	,,	15.00	5.00	20.00	18.00	6.00	24.00	
iv)	90डे	100डे	,,	15.00	5.00	20.00	15.00	5.00	20.00	
v)	100डे	150डे	,,	12.00	4.00	16.00	15.00	5.00	20.00	
vi)	150डे और 750डे से अनधिक		,,	12.00	4.00	16.00	6.00	2.00	8.00	
vii)	750डे से अधिक		,,	3.00	1.00	4.00	3.00	1.00	4.00	

टिप्पण — ऐसे विनिर्माताओं के सम्बन्ध में जिनकी सैलुलोस तंतुओं और सैलुलोस सूत (विस्कोस सूत और एसिटेट सूत) की निकासी 1966-67 में मिलाकर —

(क) 36.5 लाख कि0ग्रा0 से अधिक हो, बड़े उत्पादक के रूप में व्यवहार किया गया है ।

(ख) 36.5 लाख कि0ग्रा0 से अधिकन हो, लघु उत्पादकों के रूप में व्यवहार किया गया है ।

(ख) पोलैमाइड (नाइलोन) से भिन्न सूत

	निम्नलिखित का और अधिक का	निम्न-लिखित से कम का								
i)		30डे	कि0ग्रा0	28.50	9.50	38.00				
ii)	30डे	75डे	,,	24.75	8.25	33.00				
iii)	75डे	100डे	,,	15.00	5.00	20.00	कोई तब्दीली नहीं है			
iv)	100डे किन्तु 750डे से अनधिक		,,	12.00	4.00	16.00				
v)	750डे से अधिक		,,	3.00	1.00	4.00				

प्रस्थापनाएं —

i) सेलुलोस और अ-सेलुलोस (टेरीन) रेशे पर शुल्क बढ़ाने के लिए,
ii) विस्कोस और एसिटेट तंतु सूत पर शुल्क बढ़ाने के लिए और
iii) नाइलोन सूत पर शुल्क घटाने के लिए हैं

टायर-कार्डों और मत्स्यजालों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले डेनियरों के सेलुलोस और अ-सेलुलोस सूतों पर शुल्क की वर्तमान रियायती दरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है।

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर वर्तमान	प्रस्थापित	एक वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7
						(लाख रुपयों में)
5	23क	कांच और कांच के पात्र				(-) 17

विद्युत प्रकाश बल्बों और प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिकाओं (ट्यूबों) के विनिर्माण में जाने वाले कांच पट्टिकाओं पर शुल्क की छूट देने की प्रस्थापना है और इस प्रकार छोड़े गए शुल्क को विद्युत प्रकाश बल्बों और प्रदीप्ति प्रकाश नलिकाओं पर मूल्यानुसार दर नियत करने की प्रस्थापना में लेखे में गया है, देखिए खण्ड 30 (xxiii)

6.	26	इस्पात की सिल्लियां	
	26कक	लोह या इस्पात उत्पाद	(-) 100

विद्युत आर्क भट्टी के उन स्वामियों को, जो अधिकतर ऐसे बाजार स्क्रैप (रद्दी लौह) का उपयोग करते हैं जिसपर किसी न किसी प्रक्रम पर शुल्क संदत किया गया है, राहत-उपाय के रूप में प्रति टन 75 रु0 सिल्ली शुल्क की सीमा तक इस्पात सिल्ली और स्क्रैप (रद्दी लौह) में से निर्मित उत्पादों पर छूट की प्रस्थापना है।

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर वर्तमान आधारिक	शुल्क की दर वर्तमान विशेष	शुल्क की दर प्रस्थापित आधारिक	शुल्क की दर प्रस्थापित विशेष	एक वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(लाख रुपयों में)
7.	33क	बेतार ग्राही (वायरलैस रिसीविंग) सेट		20% मूल्यानुसार	आधारिक शुल्क का $33\frac{1}{3}$%	20% मूल्यानुसार	आधारिक शुल्क का $33\frac{1}{3}$%	६०

शुल्क की प्रभावी दरें

ऐसे बेतारग्राही (वायरलैस रिसीविंग) सेट जिनकी, उपभोक्ता को विक्रय करने के समय, कीमत

	निम्नलिखित से अधिक है रु0	निम्नलिखित से अधिक नहीं है रु0		प्रति सेट रुपए		प्रति सेट रुपए
i)		165.00				
क) ऐसे औद्योगिक उपक्रम द्वारा विनिर्मित जिसे औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) लागू होता है			शून्य	शून्य	7.50	2.50
ख) अन्य			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii)	165.00	225.00		15.00	आधारिक शुल्क का 33-1/3 %	शुल्क की वर्तमान दर में कोई तब्दीली नहीं है।
iii)	225.00	300.00		21.00		
iv)	300.00	375.00		30.00		
v)	375.00	475.00		50.00		
vi)	475.00	575.00		70.00		
vii)	575.00	675.00		90.00		
viii)	675.00	और उससे अधिक		100.00		

यह राजस्व-उपाय है। बेतारग्राही (वायरलैस रिसीविंग) सेटों को, जिनकी उपभोक्ताओं को विक्रय करने के समय, हर एक की कीमत, 165 रु0 से अधिक नहीं है और वे लघु विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित किए गए हैं, छूट मिलना चालू रहेगा।

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	यूनिट	शुल्क की दर वर्तमान	शुल्क की दर प्रस्थापित	पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व
1	2	3	4	5	6	7
				रुपए	रुपए	(लाख रुपयों में)
8.	33कक	बेतारग्राही (वायरलैस रिसीविंग) सेटों के कतिपय पुर्जे	हरएक	5.00	5.00	(-) 120

1	2	3	4	5	6	7
				रुपए	रुपए	(लाख रुपयों में)
	शुल्क की प्रभावी दरें					
	i) विद्युत बल्ब और नलिकाएं		हरएक	3.00	1.50	
	ii) ट्रांजिस्टर और अर्ध-चालक डायोड		हरएक	1.00	0.50	

बेतार ग्राही सेटों के इन पुर्जों का उपयोग यदि बेतार ग्राही सेटों से भिन्न ऐलेक्ट्रानिक उपस्करों के विनिर्माण में किया जाता है, तो उन्हें छूट मिलनी चालू रहेगी।

संक्षिप्ति-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

(लाख रुपयों में)

क्रम सं0	टैरिफ मद सं0	पण्य	एक पूर्ण वर्ष में प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व: आधारिक उत्पाद शुल्क		विशेष उत्पाद शुल्क		आधारिक उत्पाद शुल्क जो विक्रय कर के बदले है।		योग	
1	2	3	4		5		6		7	
			(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)
	I. वर्तमान मदें									
1.	1(1)	निर्वात पात्र चीनी	2630	-	-	-	115	-	2745	-
2.	1(2)	खंडसारी चीनी	30	-	-	-	-	-	30	-
3.	1क	कन्फैक्शनरी	-	80	-	—	-	-	-	80
4.	4II(2)	सिगरेटें	1005	-	201	-	378	-	1584	-
5.	6	मोटर स्पिरिट	1400	-	-	-	-	-	1400	-
6.	7	बढ़िया केरोसिन	1440	-	--	-	-	-	1440	—
7.	16क	रबर उत्पाद	50	-	10	-	-	-	60	-
8.	18	रेयन और संश्लिष्ट तंतु और सूत	410	-	137	-	-	-	547	-

1	2	3	4 (+)	4 (-)	5 (+)	5 (-)	6 (+)	6 (-)	7 (+)	7 (-)
9.	18क	रुई का सूत	-	260	-	-	-	-	-	260
10.	19	सूती फैब्रिक	-	110	-	-	90	-	-	20
11.	22	कृत्रिम रेशम फैब्रिक	55	-	-	-	-	-	55	-
12.	22क	पटसन विनिर्मितियां	450	-	45	-	-	-	495	-
13.	22ख	टैक्सटाइल फैब्रिक, संसेचित आदि	-	245	-	-	-	-	-	245
14.	22ग	कसीदा	-	175	-	-	-	-	-	175
15.	23क	कांच और कांच के सामान	-	17	-	-	-	-	-	17
16.	26कक	लौह और इस्पात उत्पाद	-	100	-	-	-	-	-	100
17.	33क	बेतारग्राही सेट	45	-	15	-	-	-	60	-
18.	33कक	बेतारग्राही सेटों के पुर्जे	-	120	-	-	-	-	-	120
19.	37	सिनेमेटोग्राफ फिल्में उच्छन्न	-	15	-	3	-	-	-	18
II.		विनिर्दिष्टत: रेटित उद्ग्रहण को मूल्यानुसार रेटित उद्ग्रहण में तबदीली करने के लिए प्रस्थापनाएं:								
20.	13	वनस्पति उत्पाद								
21.	14क	सोडा ऐश								
22.	14ख	कास्टिक सोडा								
23.	14खख	सोडियम सिलिकेट								
24.	15	साबुन	229	-	31	-	-	-	260	-
25.	23	सीमेन्ट								
26.	32	विद्युत बल्ब और नलिकाएं								
27.	333	विद्युत पंखे								

1	2	3	4 (+)	4 (-)	5 (+)	5 (-)	6 (+)	6 (-)	7 (+)	7 (-)
	III.	नई मदें								
28.	1ख	तैयार और परि-रक्षित खाद्य-पदार्थ	150	-	-	-	-	-	150	-
29.	14जज	उर्वरक	2200	-	-	-	-	-	2200	-
30.	30क	विद्युत शक्ति चालित पम्प	200	-	-	-	-	-	200	-
31.	33ग	घरेलू विद्युत साधित्र	200	-	-	-	-	-	200	-
32.	371	सिनेमैटोग्राफ फिल्म अनुच्छिन्न	10	-	-	-	-	-	10	-
33.	42	ढक्कनें	50	-	-	-	-	-	50	-
34.	43	ऊन की पूनियां	6	-	-	-	-	-	6	-
		I, II और III का योग	10560	1122	439	3	583	-	11492	1035
			= (+) 9438		= (+) 436		= (+) 583		= (+) 10457	

संक्षेप

	राज्यों के अंश	केन्द्र का अंश (लाख रुपयों में)	योग
क) मूल उत्पाद शुल्क	1879	7559	9438
ख) विशेष उत्पाद शुल्क	-	436	436
ग) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो विक्रय कर के बदले है।	583	-	583
योग	2462	7995	10457

उपाबन्ध - क

विवरण जो 4,000 रुपए से 10,00,000 रुपए तक की कुल आयों पर, चुने हुए मामलों में संदेय कर को, और कुल आय के साथ उसकी प्रतिशतता को, दर्शित करता है।

आय	अविवाहित व्यष्टि		विवाहित व्यष्टि		विवाहित व्यष्टि, जिसकी एक आश्रित संतान हो		विवाहित व्यष्टि, जिसकी एक से अधिक आश्रित सन्तानें हों	
	कर		कर		कर		कर	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रुपए	रुपए		रुपए		रुपए		रुपए	
4,000	—	—	—	—	—	—	—	—
5,000	138	2.76	55	1.10	33	0.66	11	0.22
6,000	248	4.13	165	2.75	143	2.38	121	2.02
7,000	358	5.11	275	3.93	253	3.61	231	3.30
8,000	468	5.85	385	4.81	363	4.54	341	4.26
9,000	578	6.42	495	5.50	473	5.26	451	5.01
10,000	688	6.88	605	6.05	583	5.83	561	5.61
12,000	1,018	8.48	935	7.79	913	7.61	891	7.43
14,000	1,348	9.63	1,265	9.04	1,243	8.88	1,221	8.72
15,000	1,513	10.09	1,430	9.53	1,408	9.39	1,386	9.24
16,000	1,733	10.83	1,650	10.31	1,628	10.18	1,606	10.04
18,000	2,173	12.07	2,090	11.61	2,068	11.49	2,046	11.37
20,000	2,613	13.07	2,530	12.65	2,508	12.54	2,486	12.43
24,000	3,933	16.39	3,850	16.04	3,828	15.95	3,806	15.86
25,000	4,263	17.05	4,180	16.72	4,158	16.63	4,136	16.54
30,000	6,463	21.54	6,380	21.27	6,358	21.19	6,336	21.12
36,000	9,763	27.12	9,680	26.89	9,658	26.83	9,636	26.77
42,000	13,063	31.10	12,980	30.90	12,958	30.85	12,936	30.80
48,000	16,363	34.09	16,280	33.92	16,258	33.87	16,236	33.83
60,000	24,063	40.10	23,980	39.97	23,958	39.93	23,936	39.89
72,000	32,093	44.57	32,010	44.46	31,988	44.43	31,966	44.40
90,000	44,963	49.96	44,880	49.87	44,858	49.84	44,836	49.82
1,00,000	52,113	52.11	52,030	52.03	52,008	52.01	51,986	51.99
5,00,000	3,73,863	74.77	3,73,780	74.76	3,73,758	74.75	3,73,736	74.75
10,00,000	7,86,363	78.64	7,86,280	78.63	7,86,258	78.63	7,86,236	78.62

उपाबन्ध – ख

व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, अरजिस्ट्रीकृत फर्म, व्यक्तियों के संगम आदि की दशा में वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान अग्रिम कर संगणित करने और "संबलम्" से कर की स्रोत पर कटौती करने के लिए इस विधेयक में प्रस्थापित दरों पर संदेय आयकर ।

[पैरा 11.1 देखिए]

क. आधारिक आयकर [अर्थात् वैयक्तिक मोकों के मद्धे कटौती करने और अधिभार को जोड़ने से पूर्व]

कुल आय रुपए	कर रुपए	आय के मध्यवर्ती स्तरों पर कर परिकलित करने के लिए:
6,000	350	
7,000	450	
8,000	550	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 1.00 रुपया जोड़िये ।
9,000	650	
10,000	750	
10,000	750	
11,000	920	
12,000	1,090	
13,000	1,260	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 1.70 रुपया जोड़िए ।
14,000	1,430	
15,000	1,600	
15,000	1,600	
16,000	1,830	
17,000	2,060	
18,000	2,290	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 2.30 रुपए जोड़िए ।
19,000	2,520	
20,000	2,750	
20,000	2,750	
21,000	3,050	
22,000	3,350	
23,000	3,650	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 3.00 रुपए जोड़िए ।
24,000	3,950	
25,000	4,250	

25,000	4,250	
26,000	4,650	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 4.00 रुपए जोड़िए ।
27,000	5,050	
28,000	5,450	
29,000	5,850	
30,000	6,250	
30,000	6,250	
31,000	6,750	
32,000	7,250	
33,000	7,750	
34,000	8,250	
35,000	8,750	
36,000	9,250	
37,000	9,750	
38,000	10,250	
39,000	10,750	
40,000	11,250	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 5.00 रुपए जोड़िए ।
41,000	11,750	
42,000	12,250	
43,000	12,750	
44,000	13,250	
45,000	13,750	
46,000	14,250	
47,000	14,750	
48,000	15,250	
49,000	15,750	
50,000	16,250	
50,000	16,250	
60,000	22,250	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 6.00 रुपए जोड़िए ।
70,000	28,250	
70,000	28,250	
80,000	34,750	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 6.50 रुपए जोड़िए ।
90,000	41,250	
1,00,000	47,750	

कुल आय	कर	आय के मध्यवर्ती स्तरों पर कर परिकलित करने के लिए:
रुपए	रुपए	
1,00,000	47,750	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 7.00 रुपए जोड़िए।
1,50,000	82,750	
2,00,000	1,17,750	
2,50,000	1,52,750	
2,50,000	1,52,750	आय के हर अतिरिक्त 10 रुपए के लिए, कर में 7.50 रुपए जोड़िए।
3,00,000	1,90,250	
4,00,000	2,65,250	
5,00,000	3,40,250	
6,00,000	4,15,250	
7,00,000	4,90,250	
8,00,000	5,65,250	
9,00,000	6,40,250	
10,00,000	7,15,250	
11,00,000	7,90,250	
12,00,000	8,65,250	
13,00,000	9,40,250	
14,00,000	10,15,250	
15,00,000	10,90,250	
16,00,000	11,65,250	
17,00,000	12,40,250	
18,00,000	13,15,250	
19,00,000	13,90,250	
20,00,000	14,65,250	

ख. केवल निवासी व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों की दशा में वैयक्तिक मोकों के मद्धे कर-राहत।

ऊपर यथापरिकलित आयकर में से, नीचे उपदर्शित समुचित रकम की कटौती कीजिए:

(i) निवासी व्यष्टि —

अविवाहित — 125 रुपए

विवाहित	200 रुपए
विवाहित व्यष्टि, जिसकी एक आश्रित सन्तान हो	220 रुपए
विवाहित व्यष्टि, जिसकी एक से अधिक आश्रित सन्तानें हों	240 रुपए

टिप्पण : जहां किसी व्यष्टि की कुल आय 10,000 रुपए से अनधिक है और उसने ऐसे माता-पिता या पितामह-पितामही के, जो व्यष्टि पर आश्रित है, भरण-पोषण के लिए व्यय उपगत किया है, वहां उपरिवर्णित रकमें, हर एक दशा में, 20 रुपए बढ़ा दी जाएंगी ।

(ii) निवासी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब :

जहां कुटुम्ब में —

कोई भी अप्राप्तवय सहदायिक नहीं है	200 रुपए
एक ऐसा अप्राप्तवय सहदायिक है जो मुख्यतः कुटुम्ब की आय से अनुपोषित है	220 रुपए
एक से अधिक ऐसे अप्राप्तवय सहदायिक हैं जो मुख्यतः कुटुम्ब की आय से अनुपोषित हैं	240 रुपए

ग. अधिभार :

शुद्ध आयकर में (जैसा कि उपर्युक्त 'ख' में दिए अनुसार वैयक्तिक मोकों के मद्दे कर-राहत की कटौती करने के पश्चात् आता है), अधिभार के रूप में, उसका 10 प्रतिशत जोड़िए ।

घ. कर-परिकलन का उदाहरण :

आय		23,540	रुपए
क — आधारिक आयकर :			
23,000 रुपए पर		3,650	रुपए
540 रुपए पर	54 x 3 (+)	162	रुपए
23,540 रुपए		3,812	रुपए
ख — वैयक्तिक मोकों के मद्धे कटौती (जबकि करदाता निवासी व्यष्टि है — विवाहित है और उसकी एक से अधिक आश्रित सन्तानें हैं) ..	(-)	240	रुपए
शुद्ध आयकर :		3,572	रुपए
ग — आधारिक आयकर के 10 प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़िए		357.20	रुपए
		3,929.20	रुपए
संदेय कर (निकटतम रुपए में पूर्णांकित)		3,929	रुपए

MEMORANDUM EXPLAINING THE PROVISIONS IN THE FINANCE BILL, 1969

FINANCE BILL, 1969

PROVISIONS RELATING TO DIRECT TAXES

In the sphere of direct taxes, the provisions in the Bill relate to the following matters:

(i) Prescription of the rates of income-tax (including surcharges where applicable) on incomes liable to tax for the assessment year 1969-70; rates at which tax is deductible at source during 1969-70 from interest, dividends, salaries and other categories of income liable to such deduction under the Income-tax Act; and the rates for computation of advance tax and charging of income-tax on current incomes in certain cases for the financial year 1969-70.

(ii) Amendments to the Income-tax Act, 1961 with a view to rationalising and simplifying some of its provisions, including the definition of "a company in which the public are substantially interested" and the scheme of payment of advance tax; facilitating personal savings over a wider area and investments in shares of Indian companies; and providing developmental incentives and tax reliefs in certain directions.

(iii) Amendment to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 to delete the present provision in the case of widely-held domestic companies, for a ceiling on their aggregate liability to corporation tax at 70 per cent. of their total income, since this ceiling has now lost its significance and is misleading.

(iv) Amendments to the Wealth-tax Act, 1957, to extend the levy of wealth-tax with effect from the assessment year 1970-71, to agricultural property; and to make more effective the provisions for levying penalty for failure, without reasonable cause, to furnish the return of net wealth and to produce documents and accounts, called for by notice.

2. The Bill follows the principle (adopted since 1967) that changes in the rates of tax as also in other provisions in the tax law should ordinarily be made operative prospectively in relation to current incomes and not to incomes of the past year.

3. The substance of the main provisions in the Bill relating to direct taxes is explained in the following paragraphs.

INCOME TAX

I. Rates of income-tax in respect of incomes liable to tax for the assessment year 1969-70

4. The rates of income-tax (including surcharges on income-tax) on incomes liable to assessment for the assessment year 1969-70 in the case of individuals, Hindu undivided families, registered firms and other categories of non-corporate tax payers are the the same as provided in Paragraphs A to D of Part III of the First Schedule to the Finance Act, 1968 for purposes of computation of advance tax and deduction of tax at source from "Salaries" during the financial year 1968-69. These rates have been specified in Paragraphs A to D of Part I of the First Schedule to the Bill. The Table in Annexure 'A' (pages 52-53 of this Memorandum) shows the tax (including surcharge) payable at these rates in the case of individuals in different personal circumstances (unmarried, married, married and with one child, and with two or more children) at selected levels of total income ranging from Rs. 4,000 to Rs. 10,00,000.

5. In the case of the Life Insurance Corporation of India and other companies, the rates of income-tax on incomes assessable for the assessment year 1969-70 are the same as provided in the First Schedule (Part III, Paragraphs E and F) to the Finance Act, 1968 for computation of advance tax payable during the financial year 1968-69. These rates have been specified in the First Schedule (Part I, Paragraphs E and F) to the Bill.

II. Rates for deduction of tax at source during the financial year 1969-70 from incomes other than "Salaries".

6. The rates for deduction of tax at source during the financial year 1969-70 from incomes other than salaries (i.e. interest on securities and other interest, dividends and other categories of non-salary income of non-residents) are the same as are applicable under the First Schedule (Part II) to the Finance Act, 1968 for deduction of tax at source during the financial year 1968-69. These rates have been set forth in Part II of the First Schedule to the Bill.

III. Rates for deduction of tax at source from "Salaries" and computation of advance tax and charging of income-tax in special cases, during the financial year 1969-70.

7. The rates for deduction of tax at source from "Salaries" in the case of individuals during the financial year 1969-70, and also for computation of advance tax payable in that year in the cases of all categories of tax payers, have been specified in Part III of the First Schedule to the Bill. These rates are also applicable for deduction of tax at source during 1969-70 from retirement annuities payable to partners of registered firms engaged in certain professions (chartered accountants, solicitors, lawyers, etc.) and for charging income-tax during 1969-70 on current incomes in special cases, e.g. for the provisional assessment of shipping profits arising in India to non-residents.

8. The above-mentioned rates are different from the rates of tax specified in the

Bill for the assessment of incomes liable to tax for the assessment year 1969-70, in certain spheres as explained in the following paragraphs.

9. Individuals, Hindu undivided families, unregistered firms, associations of persons, etc. — At present, the rates of basic income-tax on the incomes of these categories of tax payers rise progressively from 5 per cent. on income in the slab Rs.1 - 5,000, to 75 per cent. on incomes above Rs.2,50,000. A Union surcharge at 10 per cent. of the basic income-tax is also chargeable in all cases. On income in the slab Rs.10,001 - 15,000, the rate of basic income-tax at present is 15 per cent.; on income in the slab Rs.15,001 - 20,000, 20 per cent.; in the slab Rs.20,001 - 25,000, 30 per cent.; and in the slab Rs.25,001 - 30,000, the rate is 40 per cent. Under the Bill, it is proposed to make an increase in the rate of basic income-tax on income in the slab Rs.10,001 - 15,000 by 2 per cent., from 15 per cent. to 17 per cent., and on income in the slab Rs.15,001 - 20,000 by 3 per cent., from 20 per cent. to 23 per cent. The proposed increases will bring about a smoother progression in the rates of basic income-tax on incomes between Rs.10,000 and Rs.30,000. The Union surcharge is proposed to be continued at the rate of 10 per cent. of the basic income-tax at all levels of income.

10. The Table below shows, at selected levels of income of a resident married individual with two or more dependent children, the comparative incidence of tax (including surcharge) at (a) the rates applicable during the financial year 1968-69 for purposes of computation of advance tax and deduction of tax at source from "Salaries" [and proposed to be made applicable to incomes assessable for the assessment year 1969-70]; and (b) the rates proposed in the Bill for the computation of advance tax and deduction of tax at source from "Salaries" during the financial year 1969-70.

RESIDENT MARRIED INDIVIDUAL WITH MORE THAN ONE DEPENDENT CHILD
COMPARATIVE INCIDENCE OF TAX AT SELECTED LEVELS OF INCOME

Income	Tax (including surcharge) at the rates applicable during the financial-year 1968-69 [as stated at (a) above]	Tax (including surcharge) at the rates in the Bill for computation of 'advance tax' and deduction of tax at source from "Salaries" during 1969-70 [vide (b) above]	Increase in tax
1.	2.	3.	4.
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
5,000	11	11	--
7,500	286	286	--
10,000	561	561	--
12,500	974	1,029	55
14,000	1,221	1,309	88
15.000	1,386	1,496	110

1.	2.	3.	4.
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
16,000	1,606	1,749	143
18,000	2,046	2,255	209
20,000	2,486	2,761	275
25,000	4,136	4,411	275
40,000	11,836	12,111	275
70,000	30,536	30,811	275
1,00,000	51,986	52,261	275
2,00,000	1,28,986	1,29,261	275
3,00,000	2,08,736	2,09,011	275
5,00,000	3,73,736	3,74,011	275

11. It will be seen from the above Table that as a result of the proposed increases in the rates of basic income-tax on incomes in the slabs Rs.10,001 - 15,000 and Rs.15,001 - 20,000, the amount of additional tax (including surcharge at 10 per cent. thereof) payable on income at the level of Rs.15,000 will be Rs.110 and that, at the income levels of Rs.20,000 and above, the additional tax payable will, in each case, be Rs.275 only.

11.1 The Table in Annexure B (pages 53-56 of this Memorandum) shows, in the case of individuals, Hindu undivided families, unregistered firms, associations of persons, etc., the income-tax payable at the rates as proposed in the Bill for computation of advance tax and deduction of tax from salaries during the financial year 1969-70, on total incomes from Rs.6,000 to Rs.20,00,000.

12. Co-operative societies.—Co-operative societies are at present entitled to several concessions under the Income-tax Act in the computation of their taxable income and they also enjoy the benefit of concessional rates of tax on their chargeable income under the annual Finance Acts. The present rate structure of tax in the case of co-operative societies is historically linked to the rate structure of tax in the case of individuals, subject to certain variations, and is not simple. Co-operative societies are exempt from tax on the whole of their income from specified business activities, viz. banking; cottage industry; marketing of agricultural produce of their members; supply of agricultural implements, seeds, etc. to the members; processing, without the aid of power, of the agricultural produce of the members; and, in the case of a primary co-operative society, the income from supplying milk raised by its members to a federal milk co-operative society. Co-operative societies, in general, are also exempt from tax on any other business income (except from insurance business) upto an amount of Rs.15,000.

13. Further, a co-operative society is exempt from tax on the whole of the amount of interest and dividends received by it from any other co-operative society and also the income from letting of godowns and warehouses for storage or processing or facilitating the marketing of commodities. Where the gross total income of a co-operative society does not exceed Rs.20,000 and it is not a housing society or an urban consumers' society or a society carrying on transport business or manufacturing

operations with the aid of power, it is also exempt from tax on the whole of its income from house property and interest on securities. Where a co-operative housing society allots or leases its buildings to its members under a co-operative house building scheme, the income from such house property is assessable directly in the hands of the members and not in the hands of the society.

14. At present, a co-operative society whose chargeable income (as computed after deducting incomes exempt from tax, including the Rs.15,000 referred to in paragraph 12) does not exceed Rs.4,000 is not liable to any tax. A co-operative society whose chargeable income exceeds Rs.4,000 is liable to tax thereon at progressive rates rising from 5 per cent. on income in the slab Rs.1 - 5,000, to 40 per cent. on income above Rs.25,000. A Union surcharge at 10 per cent. of the basic income-tax is also levied in all cases. Up to Rs.20,000 of the chargeable income, the rates of tax in the case of a co-operative society are the same as in the case of an individual. On the chargeable income of a co-operative society in the slab Rs.20,001 - 25,000, the rate of basic income-tax is 25 per cent., as against 30 per cent. in the case of an individual. The chargeable income of a co-operative society above Rs.25,000 bears income-tax at a flat rate of 40 per cent., as against rates rising progressively from 40 per cent. to 75 per cent. in the case of an individual.

15. As against the above, the Bill proposes to make the following changes in the scheme of taxation of the income of co-operative societies in order to rationalise and simplify it:

(i) The amount of business income exempt from tax in the generality of cases of co-operative societies is sought to be increased by Rs.5,000, from Rs.15,000 to Rs.20,000. Further, the benefit of this exemption upto Rs.20,000 is proposed to be extended also in respect of incomes derived by co-operative societies from insurance business.

The above-mentioned change is sought to be made operative with effect from 1-4-1970 i.e.for the assessment year 1970-71 and subsequent years.

(ii) A new rate structure of tax, different from that in the case of individuals, is proposed to be laid down in the case of co-operative societies for the purpose of computation of advance tax during the financial year 1969-70.

Under the new rate structure of tax, the rate of basic income-tax on a co-operative society's chargeable income (as computed after deducting the incomes exempt from tax) in the slab Rs.1-10,000 will be 15 per cent.; on chargeable income in the slab Rs.10,001 - 20,000, 25 per cent.; and on chargeable income above Rs.20,000, it will be 40 per cent. A Union surcharge at 10 per cent. of the basic income-tax will be leviable in all cases, as at present.

16. In consequence of the proposed increase in the amount upto which business income will be exempt from tax in the generality of cases of co-operative societies by Rs.5,000 (from Rs.15,000 to Rs.20,000), the present exemption from tax of co-operative societies having a chargeable income not exceeding Rs.4,000 is proposed to be discontinued.

17. The Table below shows, in the case of co-operative societies, the comparative incidence of tax under the existing law and the law as proposed to be changed under the Bill, at selected levels of income derived from business (other than banking, cottage industry, etc., the whole of the income from which is exempt from tax, and insurance business):

STATEMENT SHOWING COMPARATIVE INCIDENCE OF TAX IN THE CASE OF CO-OPERATIVE SOCIETIES, AT SELECTED LEVELS OF BUSINESS INCOME AS STATED ABOVE.

Business income (before deduction of the income exempt from tax)	Tax including surcharge payable		Difference between columns (2) and (3)	
	On existing basis	On proposed basis	Decrease	Increase
1.	2.	3.	4.	5.
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
15,000	--	--	--	--
16,000	--	--	--	--
17,000	--	--	--	--
18,000	--	--	--	--
19,000	--	--	--	--
19,500	220	--	220	--
20,000	275	--	275	--
21,000	385	165	220	--
22,000	495	330	165	--
23,000	605	495	110	--
24,000	715	660	55	--
25,000	825	825	--	--
26,000	990	990	--	--
27,000	1,155	1,155	--	--
28,000	1,320	1,320	--	--
29,000	1,485	1,485	--	--
30,000	1,650	1,650	--	--
31,000	1,870	1,925	--	55
32,000	2,090	2,200	--	110
33,000	2,310	2,475	--	165
34,000	2,530	2,750	--	220
35,000	2,750	3,025	--	275
36,000	3,025	3,300	--	275
37,000	3,300	3,575	--	275
38,000	3,575	3,850	--	275
39,000	3,850	4,125	--	275
40,000	4,125	4,400	--	275
41,000	4,565	4,840	--	275
42,000	5,005	5,280	--	275

1.	2.	3.	4.	5.
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
43,000	5,445	5,720	--	275
44,000	5,885	6,160	--	275
45,000	6,325	6,600	--	275

18. It will be observed from the above Table that on a gross total income upto Rs. 30,000, the incidence of tax on co-operative societies on the proposed basis will be either the same as or marginally less than under the existing law. On a gross total income above Rs. 30,000, the incidence of tax on the proposed basis will be marginally higher than under the existing law, the additional tax payable being not more than Rs. 275 in any case. This increase is in line with the similar increase in the incidence of tax on personal incomes under the proposals in the Bill explained in paragraphs 9-11 above.

19. Registered firms.— At present, registered firms are chargeable to tax on their total income separately but the tax payable by them is allowed as a deduction in computing the individual shares of the partners in the income of the firm. Under the existing rate schedule of tax in the case of registered firms, the first Rs. 25,000 of their total income does not bear any tax, but on the balance, tax is chargeable at rates of basic income-tax rising progressively from 6 per cent. on income in the slab Rs. 25,001 - 50,000, to 20 per cent. on income above Rs. 1,00,000. Registered firms are also liable to pay ordinary surcharge at 20 per cent. of the basic income-tax (10 per cent. in the case of a registered firm deriving income mainly from a profession) and a special surcharge at 10 per cent. of the aggregate amount of the basic income-tax and the ordinary surcharge.

20. The Bill proposes to enlarge the area of taxation of the income of registered firms by reducing the amount of the initial slab of income exempt from tax at present, from Rs. 25,000 to Rs. 10,000. The rate of tax on income in the slab Rs. 10,001 - 25,000 is proposed to be fixed at 4 per cent. The rates of ordinary surcharge as well as the special surcharge are proposed to be continued unchanged. The revised rate schedule of tax in the case of registered firms is proposed to be made operative for the purpose of computation of advance tax payable during the financial year 1969-70.

21. In consequence of the proposed levy of basic income-tax on incomes of registered firms in the slab Rs. 10,001 - 25,000 at 4 per cent., a firm with a total income of Rs. 25,000 and above will be liable to pay in each case an additional amount of tax (including surcharges) of Rs. 792 (Rs. 726 where the firm derives income mainly from a profession). The partners of the firm will, of course, recoup a part of this additional tax as it is allowed as a deduction in computing their individual shares in the income of the firm. The Table below shows the comparative incidence of tax on a registered firm and its partners taken together under the existing provisions of the law and on the basis proposed in the Bill in a case where the firm derives income from business and has (a) two partners and (b) four partners, sharing the profits of the firm in equal proportions:

COMPARATIVE INCIDENCE OF TAX ON A REGISTERED FIRM AND ITS PARTNERS TAKEN TOGETHER ON THE EXISTING BASIS AND ON THE PROPOSED BASIS

....

Income of the Registered firm	Aggregate amount of tax payable by the registered firm and all its partners		Increase in tax /Col.3 minus Col.2/
	Existing basis	Proposed basis	
1	2	3	4
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
FIRM WITH TWO PARTNERS			
16,000	682	963	281
20,000	1,122	1,592	470
24,000	1,782	2,399	617
40,000	5,900	6,516	616
60,000	14,670	15,110	440
1,00,000	39,128	39,480	352
FIRM WITH FOUR PARTNERS			
16,000	--	317	317
20,000	44	544	500
24,000	484	1,143	659
40,000	3,300	4,008	708
60,000	8,520	9,180	660
1,00,000	23,184	23,712	528

/Clauses 2 & 10, and the First Schedule /

IV. Surtax on the chargeable profits of companies

22. Surtax. — The Companies (Profits) Surtax Act, 1964 had been amended by the Finance Act, 1968 to reduce the rate of surtax on the net chargeable profits of companies with effect from the assessment year 1969-70 by 10 per cent., from 35 per cent. to 25 per cent. The Bill does not propose to make any change in the rates of surtax on companies.

23. Removal, in the case of widely-held domestic companies (i.e. companies in which the public are substantially interested), of the ceiling on their aggregate liability to income-tax and surtax at 70 per cent. of their total income.— The Companies (Profits) Surtax Act provides, in the case of a widely-held domestic company, a ceiling over its aggregate liability to income-tax and surtax at 70 per cent. of its total income. This provision was meaningful at the time it was introduced in 1965 when the rate of surtax on the net chargeable profits of companies was 40 per cent., and domestic companies were also liable to an additional income-tax with reference to their distributions of equity dividends. With the reduction in the rate of surtax to 25 per cent. from the assessment year 1969-70, and also the discontinuance of the levy of additional income-tax on domestic companies with reference to their distributions of equity dividends, the aggregate liability of a widely-held domestic company to income-tax and surtax can, in no case, go beyond 60.95 per cent. for a company engaged in a priority industry and 66.25 per cent. in other cases. In fact, at normal levels of profitability, the aggregate liability to income-tax and surtax in such cases is significantly lower than the above-mentioned percentages. Thus, in the case of a widely-held domestic company which is engaged in any of the specified priority industries and has a profitability in relation to its capital base (including reserves, debentures and long-term loans) of 25 per cent., 30 per cent., or 40 per cent., the aggregate liability to income-tax and surtax will be 50.95 per cent., 52.62 per cent., and 54.70 per cent., respectively. Where such a company derives income from any other activity, its aggregate liability to income-tax and surtax at these levels of profitability of 25 per cent., 30 per cent., and 40 per cent., will be 56.25 per cent., 57.92 per cent., and 60 per cent., respectively.

24. In view of the position stated above, the ceiling of 70 per cent. of the total income laid down in the Companies (Profits) Surtax Act in the case of widely-held domestic companies has now lost its significance altogether and is even misleading as it is likely to give rise to the erroneous impression that the aggregate liability to income-tax and surtax in the case of such a company could be as high as 70 per cent. The Bill, therefore, proposes to delete the provision in the Companies (Profits) Surtax Act relating to the above-mentioned ceiling.

/Clause 25/

V. Proposed amendments to the Income-tax Act

25. The amendments proposed under the Bill to the provisions in the Income-tax Act relating to co-operative societies have been dealt with before in paragraphs 12 to 18. The substance of the other amendments to the Income-tax Act under the Bill is explained in the following paragraphs.

Measures for rationalising and simplifying some of the provisions of the Income-tax Act.

26. Treatment of public companies whose shares are listed in a recognised stock exchange in India as widely-held companies (i.e. companies in which the public are substantially interested).— The Income-tax Act makes a distinction in tax treatment

as between a domestic company in which the public are substantially interested and a closely-held domestic company (i.e. a domestic company in which the public are not substantially interested). Closely-held companies are required (subject to certain exceptions) to distribute dividends upto the statutory percentage of their distributable income, failing which they are liable to pay an additional income-tax with reference to their undistributed profits. Closely-held companies are (subject to certain exceptions) also liable to income-tax on their income at rates which are higher than in the case of widely-held domestic companies.

27. A public company is treated, for the purpose of income-tax, as "a company in which the public are substantially interested" only if it satisfies the various tests laid down in the definition of that term in the Income-tax Act. One of these tests is that not less than 50 per cent. of its equity capital should have been beneficially held throughout the relevant accounting year by Government, a statutory corporation, any other company in which the public are substantially interested (or a wholly owned subsidiary of such a company) or by members of the public (excluding a director of the company or a closely-held company). Another test is that the shares in the company were dealt with in any recognised stock exchange in India at any time during the relevant accounting year and were freely transferable by the shareholders to other members of the public. A further test required to be satisfied by the company is that its affairs or shares carrying more than 50 per cent. of its total voting power were, at no time during the relevant accounting year, controlled or held by five or fewer persons. In applying this test, persons who are relatives of one another, and persons who are nominees of any other person together with that other person, are treated as a single person. The application of all these tests, which have to be satisfied by a company cumulatively, involves an enquiry into the control and distribution of the ownership of its equity shares throughout the relevant accounting year, which is time-consuming and gives rise to uncertainty about the company's tax liability, besides leading to litigation.

28. The Bill, therefore, proposes to make a provision in the Income-tax Act to secure that a public company whose equity shares are listed in a recognised stock exchange in India in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules made thereunder will be treated as "a company in which the public are substantially interested" without applying to it any of the above-mentioned tests. These tests (other than the one relating to the shares in the company being the subject matter of dealings in a recognised stock exchange in India, which is proposed to be deleted in consequence of the new provision stated above) will be applicable only in the case of a public company whose equity shares are not listed in a recognised stock exchange in India.

29. The new provisins are sought to be made effective from 1.4.1970, i.e. for the assessment year 1970-71 and subsequent years.

/Clause 3/

Rationalisation and simplification of the existing scheme for payment of advance tax under the Income-tax Act

30. Existing Scheme of payment of advance tax.—The Income-tax Act requires the payment of advance tax during every financial year in equal instalments on specified dates on the tax payer's current income (other than capital gains) liable to tax for the assessment year next following the financial year. The advance tax is payable only where the income subject to advance tax exceeds specified limits which, at present, are Rs. 2,500 in the case of a company or a local authority; Rs. 27,500 in the case of a registered firm; and Rs. 6,500 in any other case.

31. In the case of a person who has already been assessed to income-tax, the advance tax is required to be paid, with reference to the last assessed income of the tax payer, on the issue of a notice of demand by the Income-tax Officer. A person who has hitherto not been assessed to tax is required to pay advance tax voluntarily with reference to his current income as estimated by him. The amount of the advance tax is computed on the income subject to advance tax (i.e. the last assessed total income or, as the case may be, the current income estimated by the tax payer, as reduced by the capital gains, if any) at the rates prescribed in the annual Finance Act. The advance tax so calculated is reduced by the amount of the tax deductible at source on the net amount of income subject to such deduction (e.g. interest, dividends, etc.) included in the income subject to advance tax. The balance amount arrived at after such deduction is payable as advance tax.

32. The advance tax is payable in three equal instalments by September 1, December 1 and March 15 in the financial year in relation to the sources of income for which the tax payer has either maintained no accounts or has maintained accounts for a period ending on any date between January 1 and April 30. In relation to other sources of income (for which accounts have been maintained for a period ending on or before December 31), the advance tax is payable in four equal instalments by June 1, September 1, December 1 and March 1 of the financial year. Where the tax payer has more than one source of income and has accounts ending on different dates for these sources, say the calendar year for one source of income and the financial year ending on 31st March for another source, the advance tax payable in relation to these sources of income has to be calculated under the present law separately, the advance tax in respect of the former source being payable in four equal instalments, and for the latter, in three equal instalments.

33. A tax payer who is required to pay advance tax on the basis of his last assessed income has the option to pay a lower amount of advance tax on his own computation if his current income, according to his own estimate, would be lower than the income on which advance tax has been demanded from him. Under the present law, there is no obligation on the tax payer to pay a higher amount of advance tax than that demanded from him where according to his estimate, his current income would be greater than that on which advance tax has been demanded from him.

34. Where the advance tax paid by a person exceeds the amount of tax determined to be payable by him for the relevant assessment year on regular assessment, he is entitled to receive simple interest at 9 per cent. per annum from the Government on the excess payment for the period from April 1 of the relevant assessment year upto the date on which the assessment is completed. Conversely, where the advance tax paid by a person on his own estimate falls short of 75 per cent. of the amount of tax determined to be payable by him on regular assessment, he is liable to pay simple interest at 9 per cent. per annum on the amount of the short-fall for the period from April 1 of the relevant assessment year upto the date of completion of the assessment. Similarly, a person who has hitherto not been assessed to tax and fails to furnish an estimate of the advance tax payable by him is liable to pay simple interest calculated at 9 per cent. per annum on 75 per cent. of the assessed tax. Interest is also payable in cases where the tax payer under-estimates the advance tax payable by him in any of the first three instalments and makes up the balance only in the last instalment.

35. Further, a penalty is imposable in the case of a person who intentionally under-estimates the amount of advance tax payable by him or, in a case where he has hitherto not been assessed to tax, fails, without reasonable cause, to furnish an estimate of the advance tax payable by him.

36. Proposed changes in the scheme of payment of advance tax.— It is proposed to make certain changes in the existing scheme of payment of advance tax, on the following lines, in order to rationalise and simplify the scheme and also to reduce the burden of compliance on small-income tax payers:

36.1. No advance tax will be payable where the income subject to advance tax does not exceed the limits set forth below:

(a) In the case of a company or a local authority — Rs.2,500
[In these cases, the limit is the same as at present]

(b) In the case of a registered firm — Rs.30,000
[The present limit is Rs. 27,500.]

(c) In the case of a person other than a company, a local authority or a registered firm—

(1) In the case of a non-resident .... Rs. 5,000

(2) In other cases Rs.10,000
[Presently, the limit in the case of non-residents is Rs.2,500 and in other cases it is Rs.6,500]

36.2. The advance tax calculated on the total income will be allowed to be reduced by the full amount of the tax deductible at source on the gross income which is liable to such deduction (e.g. interest, dividends, etc.) and which has been taken into account in computing the total income. This will be in replacement of the present provisions under which the advance tax is reduced by the tax deductible at source only on the net amount of the income liable to deduction of tax (i.e. the income as computed after allowing the deductions admissible under the Income-tax Act).

36.21. The effect of the proposed changes is illustrated in the following two examples.

COMPUTATION OF ADVANCE TAX IN CASES WHERE THE TOTAL INCOME INCLUDES INCOME ON WHICH TAX IS DEDUCTIBLE AT SOURCE.

I. WIDELY-HELD DOMESTIC COMPANY:

Business income		Rs. 2,00,000
Inter-corporate dividends	Rs.2,50,000	
Less deduction of 60% thereof under section 80M of the Income-tax Act.	Rs.1,50,000	
Net dividends		Rs. 1,00,000
Total income last assessed		Rs.3,00,000

Computation of advance tax:

A. Existing basis

Income-tax on Rs.3,00,000 @ 55%	Rs.1,65,000
Less tax deductible at source, @ 22%, from the inter-corporate dividends of Rs.1,00,000 included in the total income.	Rs. 22,000
/The tax actually deductible from the gross inter-corporate dividends of Rs.2,50,000 at 22% will be Rs.55,000, as against which only Rs.22,000 is set off against the advance tax./	
Net advance tax payable by the company	Rs.1,43,000

B. Proposed basis

Income-tax on Rs. 3,00,000 @ 55%		Rs.1,65,000
Less tax deductible at source, @ 22%, on the gross amount of inter-corporate dividends of Rs.2,50,000 (which has been taken into account in computing the total income of Rs.3,00,000)		Rs. 55,000
Net advance tax payable		Rs.1,10,000
Advance tax payable on existing basis (as at A above)	....Rs.1,43,000	
Advance tax payable on proposed basis (as at B above)	....Rs.1,10,000	
Reduction in the advance tax payable on proposed basis	...Rs. 33,000	

II. INDIAN COMPANY:

Business income		Rs.1,00,000
Gross interest received	Rs.50,000	
Less interest paid on own borrowings	Rs.30,000	
Net interest		Rs. 20,000
Total income last assessed		Rs.1,20,000

Computation of advance tax

A. Existing basis

Income-tax on Rs.1,20,000 @ 55%	Rs. 66,000
Less tax deductible at source, @ 20%, on the net interest of Rs.20,000 included in the total income.	Rs. 4,000

/The tax actually deductible from the gross interest of Rs.50,000, @ 20% would be Rs.10,000, as against which

only Rs.4,000 is set off against advance tax. /

Net advance tax payable	Rs. 62,000

B. Proposed basis

Income-tax on the total income of Rs.1,20,000, @ 55%	....	.....	...	Rs. 66,000
Less tax deductible at source, @ 20%, from the gross interest of Rs.50,000 (which has been taken into account in computing the total income of Rs.1,20,000)	....		....	Rs. 10,000
Net advance tax payable				Rs. 56,000

Advance tax payable on existing basis (as at A above)	....	Rs.62,000
Advance tax payable on proposed basis (as at B above)	....	Rs.56,000
Reduction in the advance tax payable on proposed basis		Rs. 6,000

36.22 It will be seen from the foregoing examples that the adoption of the proposed basis will obviate excess payments of advance tax.

36.3 Advance tax will be payable in all cases in three equal instalments during the financial year. The due dates of these instalments will be as follows:

(a)	In the case of a person whose total income (with reference to which advance tax is payable) to the extent of 75 per cent. thereof or more is derived from a source for which the accounting year ends on or before December 31.	June 15, September 15, and December 15.
(b)	In any other case	September 15, December 15, and March 15.

36.31 The above scheme is in replacement of the present scheme under which a tax payer whose accounting year ends after December 31 or who does not maintain any accounts, is required to pay advance tax in three instalments while another tax payer whose accounting year ends earlier, i.e., on or before December 31, is allowed four instalments to pay the advance tax. The proposed amendment will remove this discrimination.

36.4 It will be obligatory on a person to pay advance tax on his own estimate if the advance tax computed on his current income (i.e. income liable to tax for the assessment year next following the relevant financial year) exceeds the amount of advance tax demanded from him by more than $33\frac{1}{3}$ per cent. of the latter. Thus, where a tax payer's current income as estimated by him is greater than the income with reference to which advance tax has been demanded from him and the advance tax calculated on such current income is higher than that demanded from him by more than one-third of the latter, he will be required to pay the higher amount of advance tax calculated on his current income. The payment will have to be made on such of the due dates of instalments as have not expired. It will be open to the tax payer to revise his estimate before any of the dates on which the instalments of advance tax are payable by him.

36.41 Where, at the time of the assessment of the income of the relevant assessment year, it is found that the advance tax paid by the tax payer on his estimate, as stated above, is less than 75 per cent. of the assessed tax, he will be liable to pay simple interest at 9 per cent. per annum on the amount by which the advance tax actually paid falls short of the full amount of the assessed tax.

36.42 Where it is found, in the course of the assessment proceedings, that a person has failed, without reasonable cause, to furnish an estimate of the advance tax payable by him as stated above, he will be liable to imposition of penalty. The minimum amount of such penalty will be 10 per cent., and the maximum $1\frac{1}{2}$ times, the amount by which the advance tax demanded from him falls short of 75 per cent. of the assessed tax.

36.43 Under the present law, a tax payer has the option to pay advance tax on his own estimate if the tax on his current income is less than the advance tax demanded but there is no corresponding obligation on him to pay more if the tax on the current income is going to be higher. The proposed change will remove this lacuna.

36.5 The interest chargeable from a person in a case where the advance tax paid on his own estimate is less than 75 per cent. of the assessed tax will be calculated on the short-fall in the advance tax actually paid from the whole of the amount of the assessed tax (i.e. tax determined on regular assessment), instead of on the short-fall from 75 per cent. of the assessed tax as under the present law. Similarly, in the case of a person who has hitherto not been assessed to tax and who fails to furnish an estimate of the advance tax payable by him, the interest chargeable will be calculated on the whole of the assessed tax instead of on 75 per cent. of the assessed tax as under the present law.

36.6 The above-mentioned changes in the scheme of payment of advance tax relating to charging of interest for short-payment of advance tax on the tax payer's own estimate or failure to furnish an estimate of the advance tax payable by him, as also the levy of penalty for failure without reasonable cause, to furnish an estimate of the advance tax payable, are proposed to be made effective from 1.4.1970, for the assessment year 1970-71 and subsequent years. All other changes in the scheme of payment of advance tax are sought to be made effective from 1.4.1969, i.e., in relation to the financial year 1969-70 and later years.

/ Clauses 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 /

37. Increase from Rs.150 to Rs.200 per month in the standard deduction for maintenance expenditure on, and wear and tear of, motor car owned by a tax payer and used for his employment, in cases where the gross salary income is up to Rs.15,000. — A provision was made in the Income-tax Act by the Finance Act, 1968, for the allowance of a standard deduction, in the computation of salary income, for maintenance expenditure on, and wear and tear of, a conveyance owned and used by the tax payer for his employment. In respect of a motor car, the amount of the standard deduction for tax payers with gross salary income up to Rs.15,000 is Rs.150 for every month during which the car is used for purposes of the employment; for those in the salary range up to Rs.25,000, Rs.200 per month; and for tax payers with a gross salary income exceeding Rs.25,000, it is Rs.250 per month.

38. Having regard to the present prices of motor cars produced in our country and the current general level of expenditure on maintenance and running of motor cars, it is now proposed to increase the amount of the standard deduction for a motor car in the case of tax payers with gross salary income up to Rs.15,000 from Rs.150 to Rs.200 for every month during which the motor car is used for the purpose of employment.

39. The above change will be effective for and from the assessment year 1970-71, i.e. in relation to salary incomes earned during the financial year 1969-70 and later years.

/Clause 4/

40. Expenditure in businesses or professions for which any payment exceeding Rs.2,500 at a time is to be made, under section 40A(3) of the Income-tax Act, by a crossed bank cheque or draft - Provision protecting payer against legal proceedings merely on the ground of the payment not having been made or tendered in cash or in any other manner. — A provision was made by the Finance Act, 1968 in section 40A(3) of the Income-tax Act for the disallowance of expenditure in businesses and professions for which payment is made (after a date to be notified by Government) in an amount exceeding Rs.2,500, unless the payment is made by a crossed bank cheque or draft. This provision is not to apply in the cases and circumstances notified in the Income-tax Rules.

41. Under the Government's notification No.S.O.623 dated 14.2.1969, the abovementioned provision is to have effect in relation to payments made after March 31, 1969. The cases and circumstances in which this provision will not be operative have also been specified in the Income-tax Rules under notification No.S.O.624 dated 14.2.1969. These exceptions — notified after considering the views expressed by Chambers of Commerce and other public bodies on the draft rules published earlier — cover broadly the following categories of payments:

(i) Payments which, under a contract entered into by the tax payer before April 1, 1969, have to be made in legal tender.

(ii) Payments to the cultivator, grower or producer of the products of agriculture, horticulture, apiculture, animal husbandry (including hides and skins), dairy

or poultry farming; fish or fish products; or the products of a cottage industry run without the aid of power.

(iii) Payments made in a village or town not served by any bank to persons ordinarily residing or carrying on any business or profession in any such village or town.

(iv) Payments made to the Reserve Bank of India, State Bank of India, other banking institutions including co-operative banks and land mortgage banks, agricultural credit societies, Life Insurance Corporation, Unit Trust of India and specified financial institutions.

(v) Certain categories of payments made through the banking system e.g. letter of credit, mail or telegraphic transfers, inter-bank book adjustments and bills of exchange made payable only to a bank.

(vi) Payments of terminal benefits such as gratuity or retrenchment compensation payable to low-paid employees or members of their families.

Besides, there is a residuary exception to the operation of the provisions of section 40A(3) in a case where the tax payer establishes that the payment could not be made by a crossed bank cheque or draft due to exceptional or unavoidable circumstances and also furnishes evidence as to the genuineness of the payment and the identity of the payee.

42. At the time of the consideration of the Finance Bill, 1968 in Parliament, apprehensions were expressed in certain quarters that difficulties might arise in the operation of the above-mentioned provision unless persons who make payments by crossed cheques or bank drafts were protected from legal action on the ground that the payment was not made in legal tender. In order to secure the smooth operation of the provisions of section 40A(3), it is now proposed to make a further provision in the Income-tax Act to the effect that where a tax payer makes a payment in an amount exceeding Rs.2,500 by crossed bank cheque or draft in accordance with that section, no person shall be allowed to raise, in any suit or other proceeding, a plea based on the ground that the payment was not made or tendered in cash or in any other manner. This provision is proposed to be made effective from 1-4-1969.

/Clause 5/

Developmental Incentives

43. Treatment of the cotton textile and jute textile industries as priority industries for the purpose of grant of development rebate under the Income-tax Act.— A tax payer who acquires a new ship or instals new machinery or plant for the purpose of his business is entitled, under the Income-tax Act, to a deduction, in the computation of his taxable income, on account of development rebate calculated at a specified percentage of the cost of such ship or machinery or plant. The deduction on account of development rebate is granted over and above the depreciation allowance. The rate of development rebate on new ships is 40 per cent. In respect of new machinery and plant installed up to 31-3-1970, the rate of development rebate under the present law for a 'priority

industry' (i.e. an industry manufacturing or producing any of the articles or things specified in the Fifth Schedule to the Income-tax Act) is 35 per cent. of the cost of the machinery and plant; and for any other industry, it is 20 per cent. In respect of new machinery and plant installed after 31-3-1970, the rates of development rebate will, under the present law, stand reduced to 25 per cent., and 15 per cent., respectively.

44. The above-mentioned rates of development rebate (including the reduced rates which will be applicable in respect of new machinery and plant installed after 31-3-1970) are proposed to be continued unchanged. However, it is proposed to extend the priority industry rate of development rebate to new machinery and plant installed in the cotton textile industry and jute textile industry, with effect from 1.4.1970, i.e. for the assessment year 1970-71 and subsequent years. This will mean that for all new machinery and plant installed in a cotton textile mill or a jute textile mill in any accounting year relevant to the assessment year 1970-71 (e.g., Samvat Year ending on the Diwali day in 1969, calendar year 1969 or financial year 1969-70) or any later year, development rebate at the higher rate as for priority industries will be admissible. Such higher rate will be 35 per cent. of the cost of the new machinery and plant where it is installed upto 31.3.1970 and 25 per cent. where it is installed after that date. For this purpose, it is proposed to add the following two items (numbered as items 32 and 33) in the list of articles and things relating to priority industries contained in the Fifth Schedule to the Income-tax Act:

"32. Textiles (including those dyed, printed or otherwise processed) made wholly or mainly of cotton, including cotton yarn, hosiery and rope.

33. Textiles (including those dyed, printed or otherwise processed) made wholly or mainly of jute, including jute twine and jute rope".

The narration of the above-mentioned two items is on the lines of the narration in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, but unlike the latter which covers cotton textiles made partly of cotton, and jute textiles made partly of jute, the provision in the Bill covers cotton textiles made mainly of cotton, and jute textiles made mainly of jute.

45. The extension of the priority industry treatment to the cotton and jute textile industries is designed to provide internal resources to these two major industries for modernisation of their equipment so as to increase their productive capacity and strengthen their competitive position in world markets.

[Clause 23]

46. Extension of the 'tax holiday' concession under the Income-tax Act to new industrial undertakings commencing production or operation, and ships brought into use by Indian companies, after 31.3.1971 at any time during the five-year period upto 31.3.1976.— The Income-tax Act provides a ' tax holiday', for a specified period on profits derived by any tax payer from a newly set-up industrial undertaking manufacturing articles or operating a cold storage plant in India, as also profits derived by an Indian company from a ship owned and the business of an approved hotel carried on by it, subject to certain conditions. The 'tax holiday' consists in the exemption from tax of profits upto 6 per cent. per annum of the capital employed in the undertaking, ship or hotel. In the

case of an industrial undertaking owned by a co-operative society, the period of the 'tax holiday' is 7 years, and in other cases 5 years, from the year in which the undertaking commences production or operation. In the case of a ship or approved hotel, the period of the 'tax holiday' is 5 years from the year in which the ship is brought into use or the hotel starts functioning. Any deficiency from the 6 per cent. per annum return on the capital during the 'tax holiday' period is allowed to be carried forward and set off against the profits of subsequent years up to a period of 8 years from the initial year. Shareholders of companies are exempt from tax on dividends which are attributable to the 'tax holiday' profits of the company paying the dividend.

47. Under the present law, the 'tax holiday' concession is available in the case of industrial undertakings going into production or operation upto March 31, 1971 and ships brought into use by an Indian company upto that date. There is no such time limit in the case of approved hotels run by Indian companies.

48. Having regard to the need for further development of our industries and the expansion of our shipping, it is proposed to continue the concession of the 'tax holiday' for a further period of five years, so as to make it available to industrial undertakings commencing production or operation, as also ships brought into use by Indian companies, at any time upto March 31, 1976.

/Clause 7/

Measures for facilitating personal savings and investments.

49. Enlargement of the scope of tax relief under the Income-tax Act on personal savings through life insurance policies, etc. by covering premiums on certain policies not qualifying for tax relief at present; and providing for tax relief to authors, playwrights, artists, musicians and actors on a wider base of savings in all cases. — An individual effecting savings out of his income chargeable to tax through specified media such as life insurance, provident fund (including the Public Provident Fund), 10-year or 15-year cumulative time deposits in post office savings banks, etc., is entitled to tax relief under the Income-tax Act on such savings upto a specified limit. A Hindu undivided family is also entitled to tax relief on savings through life insurance upto a specified limit. In regard to savings through life insurance, the tax relief is presently available, in the case of an individual, on premiums paid on a policy of life insurance or deferred annuity on the life of the individual or on the life of his or her spouse, but not on premiums in respect of an insurance policy on the life of any child of the individual. In the case of a Hindu undivided family, tax relief is available on premiums paid on an insurance policy on the life of any male member of the family or the wife of such male member, but not on premiums on an insurance policy on the life of any other female member of the family.

50. In the case of an individual, the over-all amount of savings through life insurance and other specified media qualifying for tax relief for a year is limited, in the generality of cases, to 30 per cent. of the gross total income or Rs. 15,000, whichever is less. Where the individual is an author, playwright, artist, musician or actor, tax relief is admissible on savings upto such higher limits as are specified in the Income-tax

Rules, subject, however, to the condition that the author, playwright, etc. has effected an insurance policy on his life or on the life of his or her spouse before March 1, 1964, and pays premiums during the relevant year to keep such policy in force. Under the Income-tax Rules, the higher limit over savings qualifying for tax relief in the case of authors, playwrights, artists, etc., is 33⅓ per cent. of the professional income plus 30 per cent. of any other income, or Rs. 25,000, whichever is less.

51. In the case of a Hindu undivided family, the limit over the amount of savings through life insurance qualifying for tax relief is 30 per cent. of the gross total income or Rs. 30,000, whichever is less.

52. The tax relief on the savings upto the above-mentioned limits is granted in each case by allowing a deduction, in the computation of the taxable income, of 60 per cent. of the first Rs. 5,000, and 50 per cent. of the balance, of the savings qualifying for relief.

53. It is proposed to make certain changes (as explained below) in the provisions relating to tax relief on personal savings in the Income-tax Act, with effect from April, 1, 1970 (i.e. for the assessment year 1970-71 and subsequent years) in order to enlarge the area of tax relief on savings through life insurance policies; and to provide tax relief in the case of authors, playwrights, artists, etc. on the wider base in all cases, with effect from April 1, 1969 (i.e. the assessment year 1969-70 and subsequent years).

53.1 Life Insurance Policies.— In the case of an individual, it is proposed to extend the tax relief (from the assessment year 1970-71, onwards) also to premiums paid on an insurance policy (including a deferred annuity policy) on the life of any child of the individual. This provision will cover premiums paid on insurance policies on the lives of two or more children of the individual, and irrespective of whether the child is minor or major. In order to qualify for tax relief, premiums should be paid out of the individual's income chargeable to tax.

53.2 It is also proposed to extend the tax relief(from the assessment year 1970-71, onwards) to premiums paid by a Hindu undivided family, out of its income, on an insurance policy on the life of any female member of the family other than the wife of a member of the family. The premiums paid on an insurance policy on the life of the wife of a member of the family are already eligible for tax relief under the existing law and will continue to be so eligible.

53.3 No change is proposed to be made in regard to the limits on the savings through life insurance and other specified media qualifying for tax relief in the cases of individuals and Hindu undivided families or in the quantum of the deduction available in the computation of the total income with reference to such savings.

53.4 Authors, playwrights, artists, musicians and actors.— In the case of such individuals it is proposed to remove the existing condition in the law that they should have a life insurance policy effected before March 1, 1964 in order to be eligible for tax relief on savings (through life insurance, etc.) upto the higher limit specified in the Income-tax Rules. The effect of this will be that for the assessment year 1969-70 and subsequent years, authors, playwrights, artists, musicians and actors will be eligible for tax relief on their savings through life insurance, provident funds, 10-year or

15-year cumulative time deposits accounts in post offices, etc., even where they have effected a life insurance on or after March 1, 1964. This tax relief will be admissible even in cases where there is no life insurance policy but the savings have been effected through other specified media e.g. Public Provident Fund or 10-year or 15-year cumulative time deposits in post offices.

[Clause 6]

54. Increase in the amount of dividends from Indian companies exempt from tax during the year in the case of shareholders of all categories from Rs. 500 to Rs. 1,000. - Under the existing provisions of the Income-tax Act, tax payers of all categories are exempt from tax on dividends received by them from Indian companies during a year upto an amount of Rs. 500. In order to encourage persons in the lower and middle income brackets to make larger investments in the shares of Indian companies and also to improve the investment climate, it is proposed to increase the amount of dividends from such companies now exempt from tax in the hands of all categories of shareholders, from Rs. 500 to Rs. 1,000. This change is sought to be made effective from 1-4-1970 (i.e. for the assessment year 1970-71 and subsequent years).

[Clause 8]

Provisions for tax reliefs in certain directions.

55. Exemption from tax of Indian companies on 40 per cent. of their income by way of royalties, technical service fees, etc. received from any person carrying on a business in India in consideration of provision of technical know-how or technical services under an approved agreement . —In the case of Indian companies who derive royalties, technical service fees, commission or any other income (except capital gains) from any person carrying on a business in India in consideration of providing technical know-how or rendering technical services to such person, it is proposed to make a provision in the Income-tax Act for the allowance of a deduction of 40 per cent. of such income in the computation of their taxable income. This provision will cover technical know-how (whether patented or not) which is likely to assist in the manufacture or processing of goods or materials or the installation or erection of machinery and plant for such manufacture or processing, or in operations relating to mining including prospecting, agriculture, animal husbandry, dairy or poultry farming, forestry or fishing. The technical services covered by this provision relate to services rendered in connection with providing the technical know-how stated above. In order to be eligible for the deduction of 40 per cent. of the income by way of royalties, technical service fees, etc., under the new provision, the technical know-how and the technical services should be provided under an agreement entered into by the Indian company with the person concerned on or after April 1, 1969 and such agreement should be approved by the Central Government at any time before October 1 of the relevant assessment year. This provision is designed to minimise the repetitive import of technical know-how from abroad and also to encourage Indian companies to develop their technical know-how.

56. The above-mentioned provision is sought to be made operative with effect from 1-4-1970, i.e. for the assessment year 1970-71 and subsequent years.

[Clause 9]

57. Exemption from tax of authors, playwrights, artists, musicians and actors on 25 per cent. of the income derived by them from foreign sources in exercise of their profession and received in India in foreign exchange. —It is proposed to make a provision in the Income-tax Act for providing tax relief to authors, playwrights, artists, musicians and actors resident in India who derive any income from foreign sources in exercise of their profession and receive it in India or bring it into India in foreign exchange in accordance with the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 and the Rules made thereunder. The tax relief will be granted by allowing a deduction of 25 per cent. of such income in the computation of the taxable income of the author, playwright, artist, etc. This provision is designed to encourage successful authors, playwright, artists, musicians and actors in our country to project their activities outside India with a view to contributing to greater understanding of our country and its culture abroad and also augmenting our foreign exchange resources.

58. The above-mentioned provision is sought to be made operative from 1-4-1970. i.e. for the assessment year 1970-71 and subsequent years.

[Clause 11]

VI. Proposed amendment to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964

59. Removal of the provision, in the case of a widely-held domestic company, for a ceiling on its aggregate liability to income-tax and surtax at 70 per cent. of its total income. —The Third Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act contains a provision in the case of a widely-held domestic company under which its aggregate liability to income tax and surtax is limited to 70 per cent. of its total income. It is proposed to remove this provision for the reasons explained in paragraphs 23 and 24.

[Clause 25]

VII. Proposed amendments to the Wealth-tax Act, 1957.

60. Extension of the levy of wealth-tax in the case of individuals and Hindu undivided families to wealth comprising agricultural property. —Agricultural wealth has so far been exempt from wealth-tax under the Wealth-tax Act. For this purpose, the existing definition of the term "assets" in the Wealth-tax Act, which comprises property of every description, movable or immovable, specifically excludes agricultural land and growing crops, grass or standing trees on such land and also any buildings situated on or in the immediate vicinity of the land and owned and occupied or used by the cultivator or receiver of rent or revenue out of the land. This exemption has a historical origin and is not due to any bar in the Constitution on the competence of Parliament to legislate for the levy of wealth-tax on agricultural wealth.

61. With a view to bringing about equality of treatment as between persons having investments in non-agricultural property and those having investments in agricultural property, the Bill proposes to extend the levy of wealth-tax to the value of agricultural property held by individuals and Hindu undivided families, with effect from 1-4-1970, i.e. from the assessment year 1970-71.

62. Under the proposals in the Bill, agricultural land, including standing trees thereon, and also buildings situated on or in the immediate vicinity of such land and owned and occupied or used by the cultivator or receiver of rent or revenue out of the land will be brought within the purview of wealth-tax from the assessment year 1970-71 onwards. Specific exemption has been provided in respect of (a) the value of standing crops (including fruits on trees) and grass on agricultural land, and (b) the value of tools, implements and equipment (such as tractors) used for the cultivation, conservation, improvement or maintenance of agricultural land, or raising or harvesting any agricultural or horticultural produce on the land. The value of agricultural property as on the valuation date will be determined on the same basis and principles as are laid down in the Wealth-tax Act for the valuation of any other property. The value of agricultural property of individuals and Hindu undivided families will be aggregated with the value of their non-agricultural property and the aggregate net wealth will be subjected to wealth-tax at the same rates as are applicable under the Wealth-tax Act at present for the levy of wealth-tax on non-agricultural property.

63. Increase in the scale of penalties leviable under the Wealth-tax Act for failure, without reasonable cause, to furnish the return of wealth and to produce accounts, documents, etc. called for by notice. —At present, the penalty leviable under the Wealth-tax Act on a person who fails, without reasonable cause, to furnish the return of his net wealth or has failed to furnish it within the time allowed and in the manner required, is a sum equal to 2 per cent. of the wealth-tax payable, for every month during which the default continued, limited, in the aggregate, to 50 per cent. of the wealth-tax. The penalty imposable for failure, without reasonable cause, to furnish the accounts, documents, etc. called for by notice is a minimum of 10 per cent. and a maximum of 50 per cent. of the amount of wealth-tax, if any, which would have been avoided if the net wealth as returned by the tax payer had been accepted as the correct net wealth.

64. In order to provide an effective deterrent against defaults in the matter of furnishing the return of wealth and production of accounts and documents called for by notice, it is proposed to make the under-mentioned changes in the scale of penalties leviable under the Wealth-tax Act for such defaults.

64.1 Failure, without reasonable cause, to furnish the return of wealth.— The scale of penalty for such default is proposed to be fixed at one-half per cent. of the amount of the net wealth assessed, for every month during which the default continued, subject to a maximum, in the aggregate, of an amount equal to the net wealth assessed. Where the default occurs in the course of proceedings for re-assessment of wealth which had escaped assessment at the time of an earlier assessment for the relevant year, penalty will be leviable for every month during which the default continued at one-half per cent. of the net wealth determined on re-assessment as reduced by the net wealth assessed previously. Such penalty will be subject to a maximum, in the aggregate, of an amount equal to the re-assessed net wealth reduced, as stated above, by the net wealth assessed previously.

64.2 Failure, without reasonable cause, to produce accounts and documents called for by notice . - In respect of such defaults, the scale of penalty will be a minimum of 1 per cent. of the 'assessed net wealth' and a maximum of the amount of the 'assessed net wealth'. For this purpose, 'assessed net wealth' will be taken to be the net wealth determined on assessment as reduced by the net wealth declared in the return, if any, furnished by the tax payer. Where the case is one of re-assessment of wealth which had escaped assessment at the time of an earlier assessment, the 'assessed net wealth' for the purpose of the above-mentioned penalty provision will be taken to be the net wealth determined on re-assessment as reduced by the net wealth assessed previously or the net wealth declared in the return, if any, whichever is greater.

65. The above changes in the scale of penalties are proposed in the context of the position that the scale of penalties leviable under the Wealth-tax Act for concealment of wealth (including under-statement of the value of any assets) had been stepped up under the Finance Act, 1968 to a minimum of an amount equal to the concealed wealth and a maximum of twice that amount.

66. The above-mentioned changes in the penalty provisions in the Wealth-tax Act are sought to be made effective from 1-4-1969 and will be applicable in relation to defaults continuing or occurring on or after that date.

[Clause 24]

CUSTOMS

The proposals include:—

(a) increase in the basic import duty on lubricating oil;

(b) increase in the basic import duty on motor cars imported completely assembled;

(c) replacement of various specific rates of duty on dry fruits other than dates by an ad valorem rate and abolition of the tariff values in respect of certain dry fruits;

(d) rationalisation of the wording of Items Nos. 72(35), 72(36), 72(37) and 72(38) relating to ball and roller bearings for the purpose of simplification of customs assessment and Item No. 87A relating to baggage;

(e) creation of two new tariff items - Items Nos. 87B and 87C - carrying flat rates of duty in respect of dutiable articles (excluding alcoholic drinks) for personal use imported by post or air which have been exempted from the I.T.C. restrictions and dutiable ship stores (excluding fuel, lubricating oil, alcoholic drinks and tobacco products), for the purpose of simplification of customs assessment;

(f) continuance upto 31st March, 1970, of the special duties of customs at a flat rate of 10 per cent. of the duty otherwise payable, on the lines of the provi-

sion in section 35 of the Finance Act, 1968. A notification is, however, being issued exempting all imported goods from this levy so as to maintain the status quo ante;

(g) continuance upto 15th May, 1970 of the enabling provision for the levy of a regulatory duty of customs similar to the provision in section 36 of the Finance Act, 1968;

(h) abolition or reduction of export duty on certain varieties of jute manufactures;

(i) abolition or reduction of export duty on package tea and other tea;

(j) reduction of duty on mica loose splittings of certain grades;

(k) abolition of export duty on degreased raw wool.

2. The changes enumerated in sub-paras (c) to (e) are being given effect to by amendment of the Indian Tariff Act and those enumerated in sub-paras (a), (b) and (h) to (k) by amendment of notifications already in force or by the issue of fresh notifications.

3. Details of the increases or decreases in basic customs duty made through the Bill or by notification are given in Table I. Further, net additional revenue amounting to Rs.2600 lakhs is expected from the additional (countervailing) duties consequent on changes in central excise duties. Details of these are given in Table II.

4. The total additional customs revenue in 1969-70 as a result of the proposals in the Finance Bill and those being given effect to by notification, is estimated at Rs.920 lakhs made up as under:—

Import duties	Rs. lakhs
Basic duties	+ 620
Additional (countervailing) duties	+ 2600
Total	+ 3220
Export duties	- 2300
Net increase	+ 920

TABLE I

Serial No.	Item No. in the Schedule to the Indian Tariff Act	Brief description of goods	Present effective rate of duty	Proposed effective rate of duty	Additional revenue expected (+) or loss likely to be incurred (-) per annum (Rs. lakhs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Import Tariff			
1.	8(2)	Dry fruits and seedless dates	By revising the basis of valuation		+ 300
2.	27(8)	Lubricating oil	15%	27½%	+ 260
3.	75(1)	Motor cars imported completely assembled	60%	100%	+ 60
		Export Tariff			
4.	2	Jute manufactures:			-1175
		(i) Hessian cloth and bags excluding carpet backing and jute specia-lities	Rs.500 per tonne	Rs.200 per tonne	
		(ii) wool sacks	Rs.250 per tonne	Nil	
		(iii) cotton bagging	Rs.200 per tonne	Nil	
		(iv) sacking (cloth and bags) not other-wise specified	Rs.250 per tonne	Rs.150 per tonne	
		(v) certain types of yarn, twist, rope and twine and miscellaneous jute manufactures	Rs.250 per tonne	Rs.150 per tonne	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	5	Tea:			- 1055
		(i) other than in consumer packs.	20% reduced by 35 paise per kg. subject to a maximum of Rs.2.65 per kg.	15% reduced by 55 paise per kg. subject to a maximum of Rs.1.70 per kg.	
		(ii) in consumer packs, packed in metal container.	10% or Rs. 2.76 per kg. whichever is less.	Nil	
		(iii) in consumer packs, packed in other than metal container.	15% or Rs. 2.76 per kg. whichever is less	5% subject to a maximum of Rs.1.70 per kg.	
6.	12	Degreased raw wool	10%	Nil	- 30
7.	25	Mica loose splitting of grades nos. $5\frac{1}{2}$ and 6	40%	20%	- 40
					- 1680

TABLE II

Details of substantial increase or decrease in revenue on account of additional (countervailing) duties of Customs.

Sl. No.	Item(s) in the Customs Tariff Schedule	Brief description of the goods	Additional revenue expected (+) or loss likely to be incurred (-) per annum (Rs. lakhs)
1.	27(4)	Kerosene.	+ 75
2.	27(6)	Motor spirit.	+ 45
3.	28,28(8),35 and 35(1)	Manure.	+ 2500
4.	46(6)	Synthetic fibre.	+ 100
5.	47(2)	Synthetic yarn.	- 120
			+ 2600

CENTRAL EXCISE

A - CHANGES PROPOSED BY BILL

S. No.	Tariff Item No.	Description	Unit	Rates of duty: Existing: Basic	Existing: Addl. in lieu of Sales Tax	Proposed: Basic	Proposed: Addl. in lieu of Sales Tax	Estimated additional revenue during one full year
1	2	3	4	5		6		7
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)
1	1	**Sugar**						
	(1)	Sugar other than Khandsari or palmyra	Quintal	30.50	6.50	19% ad. val.	4% ad. val.	2745
	(2)	Khandsari Sugar	Quintal	15.00	6.50	10% ad. val.	4% ad. val.	30
		Effective rates						
	(1)	Sugar other than Khandsari or Palmyra	Quintal	22.15	6.50	19% ad. val.	4% ad. val	
	(2)	Khandsari Sugar						
		(a) produced with the aid of sulphitation plant	Quintal	15.00	6.50	10% ad. val.	2.5% ad. val.	
		(b) produced without the aid of sulphitation plant	Quintal	15.00	2.50	10% ad. val.	2.5% ad. val.	

Note:— Compounded levy rates for Khandsari Sugar produced by units opting to work under special procedure are being suitably increased.

It is a revenue measure which seeks to levy proportionately higher duty on the higher value of sugar sold in the free market with only a marginal variation in the duty charged on controlled sugar.

2. By suitable exemption notification it is being ensured that the duty on controlled sugar is charged at the ad valorem rates on prices fixed by the Central Government.

/Clauses 30(i) and 33(i)/

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty (Basic) Existing	Proposed	Estimated additional revenue in one full year
1	2	3	4	5	6	7
						(Rs. lakhs)
2.	1 A	Confectionery and chocolates				

The tariff description of sub-item (2) of this item is proposed to be amended with a view to include chocolate in bulk which is not covered in the tariff description at present.

/Clause 30(ii)/

3.	1 B	Prepared or preserved foods			10.0% ad valorem	150

This new levy has been proposed as a revenue measure. The levy at present will be confined to groups of ten items of preserved and processed foods listed in a notification which exempts all the others.

/Clause No. 30(iii)/

4.	4 II(2)	Cigarettes				1584
		Basic		100% ad valorem	125% ad valorem	
		Additional in lieu of sales-tax		25% ad valorem	25% ad valorem	
		Special		20% of basic duty	20% of basic duty	

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty (Basic) Existing	Rate of duty (Basic) Proposed	Estimated additional revenue in one full year
1	2	3	4	5	6	7
				Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)

Effective rates

Value for 1000 Exceeds	Value for 1000 Does not exceed	Existing Ad valorem B %	Existing Ad valorem S %	Existing Ad valorem A %	Proposed Ad valorem B %	Proposed Ad valorem S %	Proposed Ad valorem A %
Rs.	Rs.						
25.00	-	95.00	19.0	20.0	107.5	21.5	23.0
7.50	25.00	65.00	13.0	11.0	72.5	14.5	14.0
-	7.50	35.0	7.0	5.0	40.0	8.0	5.0

B - Basic excise duty
S - Special excise duty
A - Additional excise duty in lieu of sales-tax

It is a revenue measure.

/ Clause 30(iv) /

				Rs.	Rs.	
5.	6	Motor spirit	Kl.	550.0	620.0	1400

/ Clause 30(v) /

6.	14HH	Fertilisers, all sorts, etc.	-	-	10.0% ad valorem	2200

This new levy has been proposed as a revenue measure.

/ Clause 30(x) /

7.	18A	Cotton yarn	No change in the present ceiling rates of duty. For effective rates of duty see entries in the table against "I-Cotton Yarn"	(-) 260

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty (Basic) Existing	Proposed	Estimated additional revenue in one full year
1	2	3	4	5	6	7
				Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)
	19	Cotton fabrics	Tariff description is being recast to include the following			(-) 20*

(a) Embroidery and textile fabrics impregnated, etc. having cotton fabric as the base fabric.

(b) Ad valorem rates of duty at 12.5% basic excise and 2.5% additional excise in lieu of sales-tax have been fixed for nine specified types of cotton fabrics, such as coating, suiting, tussors, corduroy, gaberdine, tapestry, etc. These are being exempted from paying cotton yarn duty.

*Break up details of this figure are as shown below:

i) Due to change in fabric duty	(-)	370
ii) Due to increase in powerloom compounded duty	(+)	50
iii) Due to transfer of revenue from		
(1) Embroidery /Item 22C deleted/	(+)	70
(2) Fabrics impregnated or coated, etc. /Item 22B modified/	(+)	230
Net	(-)	20

The proposals in respect of cotton yarn and cotton fabrics include, among others, the following important changes -

i) relief in duty on 'hank' yarn normally used by handlooms;

ii) differential between 'sized' and 'unsized' yarn for the purpose of assessment of duty is removed;

iii) relief in basic excise duty on 'Grey' and 'Processed' medium-A, medium-B and coarse fabrics;

iv) levy of a surcharge on printed fabrics of all categories;

v) controlled varieties of medium-B and coarse fabrics continue to be exempted completely from basic excise duty;

vi) lower rates of processing surcharges have been fixed for powerloom and handloom fabrics if processed by Independent Processors vis-a-vis the rates of processing surcharges fixed for mill-made fabrics.

The changes in the pattern and rates of duty on cotton yarn and cotton fabrics are proposed as a measure of substantial relief. While the relief to the handloom and powerloom sectors will be mainly through an overall reduction in yarn duty, the relief to the mill sector will be mainly by abolition or/and reduction of both grey stage and processing duty on medium-A, medium-B and coarse fabrics. The handloom and powerloom sectors will also benefit by reduction/abolition of processing duty in respect of such fabrics made in these sectors as are processed.

For effective rates of duty, see entries in the table against "II-Cotton fabrics".

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty: Existing: In hank: Un-sized	Existing: In hank: Sized	Existing: Others: Un-sized	Existing: Others: Sized	Proposed: In hank	Proposed: Others	Estimated additional revenue in one full year.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)

Effective rates of duty

I- Cotton Yarn

a) effective rates of duty of yarn used by sectors other than composite mills.

of or more	less than	Unit	5.	6.	7.	8.	9.	10.
(N.F. Counts)								
69	-	Kg.	0.90	1.08	1.10	3.50	0.90	1.50
51	69	"	0.90	1.08	1.10	3.50	0.65	1.25
40	51	"	0.65	0.78	1.10	3.50	0.40	1.10
34	40	"	0.40	0.48	0.70	1.45	-	0.80
29	34	"	-	-	0.70	1.45	-	0.70
22	29	"	-	-	0.40	0.44	-	0.40
14	22	"	-	-	0.25	0.28	-	0.25
Less than	14	"	-	-	0.13	0.15	-	0.13

b) Rates of compounded duty for yarn contained in composite mill fabrics

			Existing	Proposed
			Paise	Paise
1)	Superfine	sq. metre	22.0	20.0
2)	Fine	"	14.0	12.0
3)	Medium-A	"	6.60	6.60
4)	Medium-B	"	4.40	4.40
5)	Coarse	"	2.20	2.20

NOTE: Duty on yarn used in the base fabrics of embroidery or base fabrics impregnated or coated with artificial plastic materials will be the duty leviable on yarn contained in the base fabrics.

Cotton fabrics to be assessed to duty at ad valorem rates under Item No. 19, are being exempted from cotton yarn duty.

c) Rates of duty on yarn contained in 'fents'

			Rs.	Rs.
i)	of superfine fabrics	kg.	1.20	2.00
ii)	of fine fabrics	kg.	0.90	0.80
iii)	of Medium-A fabrics	kg.	0.44	0.45
iv)	of Medium-B fabrics	kg.	0.44	0.30
v)	of coarse fabrics	kg.	0.165	0.15

Note: For yarn contained in the fents of embroidery or fents of fabrics impregnated or coated with artificial plastic materials, the duty chargeable will be the duty leviable on the base fabrics.

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity and description.	Unit.	Rate of duty (Basic) Pre-Budget.	Post Budget.	Estimated additional revenue in one full year.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Paise	Paise	
		II–Cotton fabrics (Mill-made)				
		a) Superfine -				
		i) Grey(unprocessed)	Sq. Mt.	7.0	7.0	
		ii) Bleached/dyed	"	22.0	22.0	

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity and description	Unit.	Rate of duty (Basic) Pre-Budget.	Rate of duty (Basic) Post Budget.	Estimated additional revenue in one full year.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Paise	Paise	
		iii) Bleached or dyed and printed thereon	Sq. Mt.	22.0	27.0	
		iv) Mercerised, etc.	"	42.0	42.0	
		v) Mercerised etc. and printed thereon.	"	42.0	47.0	
		vi) Shrink-proofed etc.	"	57.0	57.0	
		vii) Shrink-proofed etc. and printed thereon	"	57.0	62.0	
		b) Fine -				
		i) Grey(unprocessed)	Sq. Mt.	6.0	6.0	
		ii) Bleached/dyed	"	21.0	21.0	
		iii) Bleached or dyed and printed thereon	"	21.0	26.0	
		iv) Mercerised, etc.	"	41.0	41.0	
		v) Mercerised, etc. and printed thereon.	"	41.0	46.0	
		vi) Shrink-proofed, etc.	"	56.0	56.0	
		vii) Shrink-proofed, etc. and printed thereon	"	56.0	61.0	
		c) Medium-'A'				
		i) Grey(unprocessed)	Sq. Mt.	2.5	Nil	
		ii) Bleached or dyed	"	10.0	2.5	
		iii) Bleached or dyed and printed thereon	"	10.0	5.0	
		iv) Mercerised etc.	"	27.5	20.0	
		v) Mercerised, etc. and printed thereon	"	27.5	22.5	
		vi) Shrink-proofed, etc.	"	42.5	35.0	
		vii) Shrink-proofed, etc. and printed thereon	"	42.5	37.5	
		d) Medium-'B' (non-controlled)				
		i) Grey(unprocessed)	Sq. Mt.	1.5	Nil	
		ii) Bleached/dyed	"	6.5	Nil	
		iii) Bleached or dyed and printed thereon	"	6.5	2.5	

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity and description	Unit.	Rate of duty (Basic) Pre-Budget.	Rate of duty (Basic) Post Budget.	Estimated additional revenue in one full year.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
				Paise	Paise	
		iv) Mercerised, etc.	Sq. Mt.	16.5	10.0	
		v) Mercerised, etc. and printed thereon	"	16.5	12.5	
		vi) Shrink-proofed etc.	"	31.5	25.0	
		vii) Shrink-proofed, etc. and printed thereon	"	31.5	27.5	
		e) Medium-'B' (Controlled)	Sq. Mt.	Nil	Nil	
		f) Coarse (non-controlled)				
		i) Grey(unprocessed)	Sq. Mt.	1.0	Nil	
		ii) Bleached/dyed	"	6.0	Nil	
		iii) Bleached or dyed and printed thereon	"	6.0	2.5	
		iv) Mercerised, etc.	"	16.0	10.0	
		v) Mercerised, etc. and printed thereon	"	16.0	12.5	
		vi) Shrink-proofed etc.	"	31.0	25.0	
		vii) Shrink-proofed etc. and printed thereon.	"	31.0	27.5	
		g) Coarse (Controlled)	Sq. Mt.	Nil	Nil	
		h) Fents - (mill febrics)		Rs.	Rs.	
		i) Superfine				
		a) Grey	Kg.	0.661	0.58	
		b) Processed	"	0.661	2.28	
		ii) Fine -				
		a) Grey	"	0.661	0.20	
		b) Processed	"	0.661	1.10	
		iii) Medium-A				
		a) Grey	"	0.11	Nil	
		b) Processed	"	0.11	0.10	
		iv) Medium-B				
		a) Grey	"	0.11	Nil	
		b) Processed —				
		(1) Bleached/dyed	"	0.11	Nil	
		(2) others.	"	0.11	0.10	

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity and description	Unit	Rate of duty (Basic) Pre-Budget.	Post Budget.	Estimated additonal revenue in one full year.
1	2	3	4	5	6	7
				Paise	Paise	
		v) Coarse -				
		a) Grey	Sq. Mt.	0.11	Nil	
		b) Processed —				
		(1) Bleached/dyed	"	0.11	Nil	
		(2) others.	"	0.11	0.10	

Note: - These fabrics and fents will continue to pay the present additional excise duty (in lieu of sales-tax) and handloom cess.

i) Compounded rates of duty for fabrics produced by powerlooms

where powerlooms installed are more than	not more than	If the duty is paid per quarter	per year	If the duty is paid per quarter	per year
		(Rs. per powerloom installed)			
	4	6.50	25.00	13.00	50.00
4	24	20.00	75.00	40.00	150.00
24	49	40.00	150.00	80.00	300.00

[Clauses 30(xii) and 33(ii)]

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit.	Rate of duty Existing	Proposed	Estimated additional revenue in one full year
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
				Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)
8	20	Silk fabrics				
	21	Woollen fabrics				

The amendment of the tariff description of these items is consequential to the deletion of separate item No. 22C relating to Embroidery and has little revenue significance.

/ Clauses 30(xiii) and (xiv) and 33(iii) and (iv) /

9	22	Rayon or Artificial silk fabrics				55

The amendment of the tariff description of this item is consequential to the deletion of Item No. 22C relating to Embroidery and amendment of Item No. 22B relating to Textile fabrics impregnated, etc.

/ Clauses 30(xv) and 33(v) /

10	22A	Jute manufactures				495
		i) Hessians	Tonne	450.00	550.00	
		ii) Others	Tonne	250.00	350.00	

1) The existing special excise duty of 10 per cent. of basic duty continues.
2) The increase has been proposed as a revenue measure.

/ Clause 30 (xvi) /

11.	22B	Textile fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials not elsewhere specified				(-) 245

Tariff descrption of this item is proposed to be amended to exclude impregnated fabrics etc. having cotton fabrics/artificial silk fabrics as the base material.

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit.	Rate of duty Existing	Rate of duty Proposed	Estimated additional revenue in one full year
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
						(Rs. lakhs)

What is shown as loss in revenue against this item will be offset by gain shown under Cotton Fabrics and Artificial silk fabrics.

/_ Clause 30 (xvii) _/

12	22C	Embroidery, etc.				(-) 175

This item is being deleted from the Central Excise Tariff; but necessary inclusion of embroidered fabrics has been made in the tariff description of Items 19, 20, 21 and 22 relating to Cotton Fabrics, Silk Fabrics, Woollen Fabrics and Artificial Silk Fabrics respectively.

2. Relief is proposed to be granted to embroidered fabrics by reduction of the basic duty as well as the compounded levy of which the revenue effect will be a loss of Rs. 65 lakhs. The remaining loss of Rs. 110 lakhs shown against this item will be offset by gain shown in revenue against the items of Cotton Fabrics and Artificial Silk Fabrics.

/_ Clause 30(xviii) _/

13	26A	Copper and copper alloys				
	27	Aluminium				

The amendment of tariff description is of a clarificatory nature and has little revenue significance.

/_ Clause 30 (xx) and (xxi) _/

14	30A	Power driven pumps for liquids, etc.			20.0% ad valorem	200

This new levy has been proposed as a revenue measure.

/_ Clause 30 (xxii) _/

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit.	Rate of duty Existing	Rate of duty Proposed	Estimated additional revenue in one full year
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						(Rs. lakhs)
15	33C	Domestic electrical appliances, not elsewhere specified		-	10.0% ad valorem	200

This new levy has been proposed as a revenue measure. By an exemption notification, the levy has been confined at present to groups of twenty items of domestic electrical appliances.

/ Clause 30 (xxv) /

16	37	Cinematograph films				
		I - Unexposed	Metre	-	2 paise	(+) 10

	Existing: Width of 30mm or or higher	Existing: Below 30mm in width	Proposed: Width of 30mm or higher	Proposed: Below 30mm in width	
II - Exposed					(-) 18
	(In Rs. per metre)				
i) Newsreels and shorts not exceeding 500 metres	0.15	0.10	0.50	0.30	
ii) Feature films, advertisement shorts and films not otherwise specified	0.50	0.33	1.50	1.00	

Effective rates of duty on feature films etc., falling under sub-item II (2)

Description	Existing rates: For films which are below 30 mm in width	Existing rates: For films which are of a width of 30 mm or higher: Not exceeding 4000 metres in length	Existing rates: For films which are of a width of 30 mm or higher: Exceeding 4000 metres in length	Proposed rates: For films which are below 30mm in width	Proposed rates: For films which are of a width of 30mm or higher: Not exceeding 4000 metres in length	Proposed rates: For films which are of a width of 30mm or higher: Exceeding 4000 metres in length
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			(In paise per metre)			
A) Cleared for home consumption within 12 months immediately following the month of certification by the Central Board of Film Censors						
I) For black and white films						
i) First 8 prints of each picture	7	10	15			
ii) next 12 prints				Nil	Nil	
a) first 4 prints	10	15	25			
b) balance 8 prints	10	15	25	7	10	15
iii) next 15 prints	13	20	35	12	18	27
iv) next 15 prints	25	35	50	22	32	45
v) of the remaining						
a) first 25 prints	33	45	50	33	45	55
b) balance	33	45	50	45	60	70
II) For colour films						
i) first 8 prints of each picture	7	10	15	5	7.5	10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ii) next 12 prints	10	15	25	10	15	20
iii) next 15 prints	13	20	35	18	27	36
iv) next 15 prints	25	35	50	33	48	64
v) of the remaining						
a) first 25 prints	33	45	50	50	67	90
b) balance	33	45	50	67	90	120
B) Cleared for home consumption after 12 months immediately following the month of certification by the Central Board of Film Censors.						
a) For black and white films	10	15	25	Nil	Nil	Nil
b) For colour films	10	15	25	10	15	25

The existing special excise duty of 20% of the basic duty continues.

/ Clause 30 (xxvi) /

17 37A Gramophones and parts thereof

The amendment of tariff description is of a clarificatory nature and has little revenue significance.

/ Clause 30 (xxvii) /

18	42	Pilfer proof caps for packaging	each	-	One paisa	50
	43	Wool tops	Kg.	-	Five rupees / Effective rate ten paise per Kg. /	6

The new levy on pilfer proof caps for packaging has been proposed as a revenue measure.

The new levy on wool tops has been proposed with a view to transferring part or whole of the duty on woollen yarn to the wool top stage by notification. This will ensure better revenue collection.

/ Clause 30(xxviii) /

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19.	Proposals for changing specific rated levies to ad valorem levies.					
13	Vegetable Product		Quintal	Rs. 32.00 (effective rate Rs. 20.00)	10.0% ad valoram (effective rate 5.0% ad valorem)	
14A	Soda Ash		Quintal	Rs. 2.00	5.0% ad valorem	
14B	Caustic Soda		Quintal	Rs. 4.00	5.0% ad valorem	
14BB	Sodium Silicate		Quintal	Rs. 8.00 (effective rate Rs. 6.00)	25.0% ad valorem	
15	Soap					
	a) produced with the aid of power					
	i) household & laundry		Quintal	Rs. 18.00	6.5% ad valorem	
	ii) other sorts		Quintal	Rs. 38.00	9.5% ad valorem	
	b) produced without the aid of power					
	i) plain bars and not less than 454 grams in weight		Quintal	Rs. 13.25 (exempted)	6.5% ad valorem	
	ii) Other sorts		Quintal	Rs. 15.50 (exempted)	(exempted)	
23	Cement		Metric tonne	Rs. 23.60	21.0% ad valorem	
32	Electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes.					260
	(1) Vacuum & gas filled bulbs					
	i) not exceeding 100 watts. etc.		each	10 paise		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ii)exceeding 100 watts but not exceeding 300 watts etc.	each	40 paise	11.0% ad valorem		
	iii)exceeding 300 watts	each	80 paise			
	(2)Fluorescent tubes	Metre	Rs. 1.31	22.0% ad valorem		
	(3)Sodium & mercury vapour discharge lamps		5% ad valorem	6% ad valorem		
	(4)All sorts, N.O.S.		15% ad valorem	16.0% ad valorem		
33	Electric fans					
	a)Table, cabin, carriage, etc. fans not exceeding 40.6 cm	each	Rs. 7.50	6.0% ad valorem		
	b)All other fans	each	Rs. 15.00	8.5% ad valorem		

/ Sub-item (3) of item No. 33 relating to certain parts of Electric fans has been deleted. /

The existing special excise duty as percentage of basic excise duty, wherever applicable, continues unchanged.

2. The proposals seek to change the existing specific rates of duty to ad valorem rates of duty, suitably rounded.

/ Clause 30 (vi), (vii), (viii), (ix), (xi), (xix), (xxiii) and (xxiv) /

B - Special Excise Duty, Additional Excise (in lieu of Sales-tax) Duty, Regulatory Duty and Discontinuance of salt duty.

....

Except where already indicated otherwise, there is no change in the existing effective rates of special excise duty and additional excise (in lieu of sales-tax) duty.

2. The enabling provision for levy of a regulatory duty of excise as in the past year is being continued. However, the regulatory duty is not being imposed on any commodity for the present.

3. Provision for the discontinuance of salt duty is proposed to be continued during the financial year 1969-70 also.

/ Clauses 31, 32, 33 and 34 /

C. CHANGES PROPOSED BY NOTIFICATION

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty (Basic) Existing	Proposed	Estimated addl. revenue in one full year
1	2	3	4	5	6	7
				Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)
1.	1A	Confectionery	Kg.	0.80	0.30	(-) 80
		It is a measure to reduce the incidence of duty on confectionery other than chocolates.				
2.	7	Kerosene	Kl.	235.00	235.00	1440
	Effective rate of duty					
		Superior kerosene	Kl.	165.25	205.25	
		It is a revenue measure. No change is proposed in the duty on inferior kerosene which is used mostly as an illuminant in rural areas.				
3.	16-A	Rubber Products				60
		Rationalisation of the duty on rubber products, mainly on transmission belting, by redefining the extent of rubber compound content which will attract the levy under this item.				

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty: Existing Basic	Existing Special	Existing Total	Proposed Basic	Proposed Special	Proposed Total	Estimated addl. revenue in one full year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)
4.	18	Rayon and synthetic fibres and yarn	Kg.	45.0	15.0	60.0	45.0	15.0	60.0	547
		Effective rates of duty								
		I) Staple fibre								
		(a) Of cellulosic origin	Kg.	0.60	0.20	0.80	0.75	0.25	1.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)
		(b) all others	Kg.	12.00	4.00	16.00	21.00	7.00	28.00	
	II) Filament yarn									
		1. Viscose and acetate —								
		(a) For big producers								
	of and above	below								
i)	-	75d	Kg.	8.10	2.25	10.35	8.60	2.80	11.40	
ii)	75d	100d	Kg.	5.20	1.50	6.70	5.65	1.75	7.40	
iii)	100 d	120d	Kg.	3.75	1.00	4.75	4.10	1.15	5.25	
iv)	120d	150d	Kg.	3.00	0.95	3.95	3.35	1.00	4.35	
v)	150d	350d	Kg.	2.60	0.80	3.40	2.85	0.90	3.75	
vi)	350d	Not above 1100d	Kg.	2.50	-	2.50	2.50	-	2.50	
vii)	above 1100d		Kg.	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	
		(b) For small producers								
	of and above	below								
i)	-	75d	Kg.	6.20	2.00	8.20	7.85	2.50	10.35	
ii)	75d	100d	Kg.	5.00	1.50	6.50	5.55	1.75	7.30	
iii)	100d	120d	Kg.	3.75	1.00	4.75	4.10	1.15	5.25	
iv)	120d	150d	Kg.	2.10	0.65	2.75	2.85	0.90	3.75	
v)	150d	350d	Kg.	2.00	0.60	2.60	2.55	0.80	3.35	
vi)	350d	Not above 1100d	Kg.	2.50	-	2.50	2.50	-	2.50	
vii)	above 1100d		Kg.	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	
		2. Other synthetic yarns-								
		(a) Polyamide (nylon) yarn								
	of & above	below								
i)	-	30d	Kg.	28.50	9.50	38.00	22.50	7.50	30.00	
ii)	30d	75d	Kg.	24.75	8.25	33.00	21.00	7.00	28.00	
iii)	75d	90d	Kg.	15.00	5.00	20.00	18.00	6.00	24.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
iv)	90d	100d	Kg.	15.00	5.00	20.00	15.00	5.00	20.00	
v)	100d	150d	Kg.	12.00	4.00	16.00	15.00	5.00	20.00	
vi)	150d	Not above 750d	Kg.	12.00	4.00	16.00	6.00	2.00	8.00	
vii)	above 750d		Kg.	3.00	1.00	4.00	3.00	1.00	4.00	

Note: Manufacturers whose clearances of cellulosic fibre and cellulosic yarn (viscose yarn and acetate yarn) taken together in 1966-67

(a) exceeded 36.5 lakh kg. are treated as big producers

(b) did not exceed 36.5 lakh kgs are treated as small producers

(b) Other than polyamide (nylon) yarn

	of & above	below					
i)	-	30d	Kg.	28.50	9.50	38.00	No change
ii)	30d	75d	Kg.	24.75	8.25	33.00	
iii)	75d	100d	Kg.	15.00	5.00	20.00	
iv)	100d	Not above 750d	Kg.	12.00	4.00	16.00	
v)	above 750d		Kg.	3.00	1.00	4.00	

The proposals seek to

(i) raise duty on cellulosic and non-cellulosic (terene) fibre;

(ii) raise duty on viscose and acetate filament yarn; and

(iii) reduce duty on nylon yarn.

There is no change in the present concessional rates of duty on cellulosic and non-cellulosic yarns of deniers used in the manufacture of tyre-cords and fishing nets.

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty Existing	Rate of duty Proposed	Estimated additional revenue in one year
1	2	3	4	5	6	7
						(Rs. lakhs)
5.	23A	Glass and Glassware				(-) 17

Duty on glass shells going into the manufacture of electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes is proposed to be exempted and the duty thus given up has been taken into account in the proposal to fix ad valorem rates on electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes, vide Clause 30(xxiii)

Sl. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty Existing	Rate of duty Proposed	Estimated additional revenue in one year
6.	26 26AA	Steel Ingots Iron or Steel Products				(-) 100

The proposal is to exempt steel ingots and products manufactured out of scrap to the extent of the ingot duty of Rs.75 per tonne as a measure of relief to the owners of electric arc furnaces who use mostly bazar scrap on which duty has been paid at some stage or other.

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty Existing Basic	Rate of duty Existing Special	Rate of duty Proposed Basic	Rate of duty Proposed Special	Estimated additional revenue in one year
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								(Rs. lakhs)
7.	33A	Wireless Receiving Sets		20% ad valorem	$33\frac{1}{3}$% of basic duty	20% ad valorem	$33\frac{1}{3}$% of basic duty	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

<u>Effective rates of duty</u>

Wireless receiving sets whose price at the point of sale to the consumer

	Exceeds Rs.	Does not exceed Rs.	Rs. per set		Rs. per set	
i)		165.00				
a) manufactured by an industrial undertaking to which the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) applies			Nil	Nil	7.50	2.50
b) others			Nil	Nil	Nil	Nil
ii)	165.00	225.00	15.00)	33 1/3 % of basic duty	No change in the present rates of duty	
iii)	225.00	300.00	21.00)			
iv)	300.00	375.00	30.00)			
v)	375.00	475.00	50.00)			
vi)	475.00	575.00	70.00)			
vii)	575.00	675.00	90.00)			
viii)	675.00	and above	100.00)			

It is a revenue measure. Wireless receiving sets whose price at the point of sale to the consumer does not exceed Rs. 165/- each and produced by small manufacturers will continue to be exempted.

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Unit	Rate of duty Existing	Rate of duty Proposed	Estimated additional revenue in one full year
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Rs.	Rs.	(Rs. lakhs)
8.	33AA	Certain parts of wireless receiving sets	Each	5.00	5.00	(-)120
		<u>Effective rates of duty</u>				
		i) Electronic valves and tubes	Each	3.00	1.50	
		ii) Transistors and semi conductor diodes	Each	1.00	0.50	

These parts of wireless receiving sets if used in the manufacture of electronic equipments other than wireless receiving sets will continue to be exempted.

ABSTRACT — CENTRAL EXCISES

(Rs. in lakhs)

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Estimated additional revenue in one full year: Basic excise duty (+)	Basic excise duty (-)	Special excise duty (+)	Special excise duty (-)	Additional excise duty in lieu of sales tax. (+)	Additional excise duty in lieu of sales tax. (-)	Total (+)	Total (-)
		I. Existing Items								
1.	1(1)	Vacuum pan sugar	2630	-	-	-	115	-	2745	-
2.	1(2)	Khandsari Sugar	30	-	-	-	-	-	30	-
3.	1A	Confectionery	-	80	-	-	-	-	-	80
4.	4II(2)	Cigarettes	1005	-	201	-	378	-	1584	-
5.	6	Motor Spirit	1400	-	-	-	-	-	1400	-
6.	7	Superior Kerosene	1440	-	-	-	-	-	1440	-
7.	16A	Rubber Products	50	-	10	-	-	-	60	-
8.	18	Rayon and Synthetic fibres and yarn.	410	-	137	-	-	-	547	-
9.	18A	Cotton Yarn	-	260	-	-	-	-	-	260
10.	19	Cotton fabrics	-	110	-	-	90	-	-	20
11.	22	Artificial Silk fabrics	55	-	-	-	-	-	55	-
12.	22A	Jute manufactures	450	-	45	-	-	-	495	-
13.	22B	Textile fabrics impregnated etc.	-	245	-	-	-	-	-	245
14.	22C	Embroidery	-	175	-	-	-	-	-	175
15.	23A	Glass and glassware	-	17	-	-	-	-	-	17
16.	26AA	Iron or steel products	-	100	-	-	-	-	-	100
17.	33A	Wireless Receiving Sets.	45	-	15	-	-	-	60	-
18.	33AA	Parts of Wireless Receiving Sets	-	120	-	-	-	-	-	120
19.	37	Cinematograph films exposed	-	15	-	3	-	-	-	18
		II. Proposals for changing specific rated levies to ad valorem rated levies								
20.	13	Vegetable Product								
21.	14A	Soda Ash								
22.	14B	Caustic Soda								
23.	14BB	Sodium Silicate	229	-	31	-	-	-	260	-
24.	15	Soap								
25.	23	Cement								
26.	32	Electric bulbs and tubes								
27.	33	Electric fans								

S. No.	Tariff Item No.	Commodity	Estimated additional revenue in one full year: Basic excise duty (+)	Basic excise duty (-)	Special excise duty (+)	Special excise duty (-)	Additional excise duty in lieu of sales tax (+)	Additional excise duty in lieu of sales tax (-)	Total (+)	Total (-)
		III. New Items:								
28	1B	Prepared or preserved foods	150	-	-	-	-	-	150	-
29.	14HH	Fertilisers	2200	-	-	-	-	-	2200	-
30.	30A	Power driven Pumps	200	-	-	-	-	-	200	-
31.	33C	Domestic Electrical Appliances	200	-	-	-	-	-	200	-
32.	370 I	Cinematograph films unexposed	10	-	-	-	-	-	10	-
33.	42	Pilfer proof caps	50	-	-	-	-	-	50	-
34.	43	Wool Tops	6	-	-	-	-	-	6	-
		Total of I, II and III	10560	1122	439	3	583	-	11492	1035
			=(+)	9438	=(+)	436	=(+)	583	=(+)	10457

SUMMARY

	States' share	Centre's share	Total
		(Rs. in lakhs)	
a) Basic excise duty	1879	7559	9438
b) Special excise duty	–	436	436
c) Additional excise duty in lieu of sales tax	583	-	583
Total:	2462	7995	10457

ANNEXURE - A

STATEMENT SHOWING IN SELECTED CASES TAX PAYABLE AND AS A PERCENTAGE OF TOTAL INCOME, ON TOTAL INCOMES RANGING FROM RS. 4,000 TO RS. 10,00,000.

[See Paragraph 4]

Income	Unmarried individual		Married individual		Married individual having one dependent child		Married individual having more than one dependent child	
	TAX		TAX		TAX		TAX	
	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Rs.	Rs.		Rs.		Rs.		Rs.	
4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5,000	138	2.76	55	1.10	33	0.66	11	0.22
6,000	248	4.13	165	2.75	143	2.38	121	2.02
7,000	358	5.11	275	3.93	253	3.61	231	3.30
8,000	468	5.85	385	4.81	363	4,54	341	4,26
9,000	578	6.42	495	5.50	473	5.26	451	5.01
10,000	688	6.88	605	6.05	583	5.83	561	5.61
12,000	1,018	8.48	935	7.79	913	7.61	891	7.43
14,000	1,348	9.63	1,265	9.04	1,243	8.88	1,221	8.72
15,000	1,513	10.09	1,430	9.53	1,408	9.39	1,386	9.24
16,000	1,733	10.83	1,650	10.31	1,628	10.18	1,606	10.04
18,000	2,173	12.07	2,090	11.61	2,068	11.49	2,046	11.37
20,000	2,613	13.07	2,530	12.65	2,508	12.54	2,486	12.43
24,000	3,933	16.39	3,850	16.04	3,828	15.95	3,806	15.86
25,000	4,263	17.05	4,180	16.72	4,158	16.63	4,136	16.54
30,000	6,463	21.54	6,380	21.27	6,358	21.19	6,336	21.12
36,000	9,763	27.12	9,680	26.89	9,658	26.83	9,636	26.77
42,000	13,063	31.10	12,980	30.90	12,958	30.85	12,936	30.80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Rs.	Rs.		Rs.		Rs.		Rs.	
48,000	16,363	34.09	16,280	33.92	16,258	33.87	16,236	33.83
60,000	24,063	40.10	23,980	39.97	23,958	39.93	23,936	39.89
72,000	32,093	44.57	32,010	44.46	31,988	44.43	31,966	44.40
90,000	44,963	49.96	44,880	49.87	44,858	49.84	44,836	49.82
1,00,000	52,113	52.11	52,030	52.03	52,008	52.01	51,986	51.99
5,00,000	3,73,863	74.77	3,73,780	74.76	3,73,758	74.75	3,73,736	74.75
10,00,000	7,86,363	78.64	7,86,280	78.63	7,86,258	78.63	7,86,236	78.62

ANNEXURE - B

INCOME TAX PAYABLE IN THE CASE OF AN INDIVIDUAL, HINDU UNDIVIDED FAMILY, UNREGISTERED FIRM, ASSOCIATION OF PERSONS ETC., AT THE RATES PROPOSED IN THE BILL FOR COMPUTATION OF ADVANCE TAX AND DEDUCTION OF TAX AT SOURCE FROM "SALARIES" DURING THE FINANCIAL YEAR 1969-70.

[See Paragraph 11.1]

A. BASIC INCOME-TAX [i.e. before deduction on account of personal allowances and addition of surcharge]

Total Income	Tax	For calculating tax at intermediate levels of income
Rs.	Rs.	
6,000	350	For every additional Rs.10 of income, ADD Re.1.00 to the tax.
7,000	450	
8,000	550	
9,000	650	
10,000	750	
10,000	750	For every additional Rs.10 of income, ADD Rs.1.70 to the tax.
11,000	920	
12,000	1,090	
13,000	1,260	
14,000	1,430	
15,000	1,600	

Total Income	Tax	For calculating tax at intermediate levels of income
Rs.	Rs.	
15,000	1,600	
16,000	1,830	
17,000	2,060	
18,000	2,290	For every additional Rs.10 of income, ADD Rs.2.30 to the tax.
19,000	2,520	
20,000	2,750	
20,000	2,750	
21,000	3,050	
22,000	3,350	
23,000	3,650	For every additional Rs.10 of income, ADD Rs.3.00 to the tax.
24,000	3,950	
25,000	4,250	
25,000	4,250	
26,000	4,650	
27,000	5,050	For every additional Rs.10 of income, ADD Rs.4.00 to the tax.
28,000	5,450	
29,000	5,850	
30,000	6,250	
30,000	6,250	
31,000	6,750	
32,000	7,250	
33,000	7,750	
34,000	8,250	
35,000	8,750	
36,000	9,250	
37,000	9,750	
38,000	10,250	
39,000	10,750	
40,000	11,250	
41,000	11,750	For every additional Rs.10 of income, ADD Rs.5.00 to the tax.
42,000	12,250	
43,000	12,750	
44,000	13,250	
45,000	13,750	
46,000	14,250	
47,000	14,750	
48,000	15,250	
49,000	15,750	
50,000	16,250	

Total Income	Tax	For calculating tax at intermediate levels of income
Rs.	Rs.	
50,000	16,250	For every additional
60,000	22,250	Rs. 10 of income, ADD
70,000	28,250	Rs. 6.00 to the tax.
70,000	28,250	
80,000	34,750	For every additional
90,000	41,250	Rs. 10 of income, ADD
1,00,000	47,750	Rs. 6.50 to the tax.
1,00,000	47,750	For every additional
1,50,000	82,750	Rs. 10 of income, ADD
2,00,000	1,17,750	Rs. 7.00 to the tax.
2,50,000	1,52,750	
2,50,000	1,52,750	
3,00,000	1,90,250	
4,00,000	2,65,250	
5,00,000	3,40,250	
6,00,000	4,15,250	
7,00,000	4,90,250	
8,00,000	5,65,250	
9,00,000	6,40,250	
10,00,000	7,15,250	For every additional
11,00,000	7,90,250	Rs. 10 of income, ADD
12,00,000	8,65,250	Rs. 7.50 to the tax.
13,00,000	9,40,250	
14,00,000	10,15,250	
15,00,000	10,90,250	
16,00,000	11,65,250	
17,00,000	12,40,250	
18,00,000	13,15,250	
19,00,000	13,90,250	
20,00,000	14,65,250	

B. TAX RELIEF ON ACCOUNT OF PERSONAL ALLOWANCES IN THE CASE OF RESIDENT INDIVIDUALS AND HINDU UNDIVIDED FAMILIES ONLY.

From the income-tax as calculated above,
DEDUCT the appropriate amount indicated below:

(i) Resident individual:

Unmarried	Rs. 125
Married	Rs. 200
Married with one dependent child	Rs. 220
Married with more than one dependent child	Rs. 240

Note: Where the individual has a total income not exceeding Rs. 10,000 and has incurred expenditure for maintenance of a parent or grand parent who is dependent on the individual, the above mentioned amounts will be increased by Rs. 20 in each case.

(ii) Resident Hindu undivided family :

Where the family has -

No minor co-parcener	Rs. 200
One minor co-parcener mainly supported from the income of the family	Rs. 220
More than one minor co-parcener mainly supported from the income of the family	Rs. 240

C- SURCHARGE :

To the net income-tax (after deduction of tax relief on account of personal allowances as at 'B' above), ADD 10% thereof, by way of surcharge.

D- EXAMPLE OF TAX CALCULATION :

Income	..	..	Rs. 23,540
A - Basic income-tax :			
On Rs. 23,000	..		Rs. 3,650
On Rs. 540	.. 54 x 3	(+)	Rs. 162
Rs. 23,540			Rs. 3,812
B - Deduction on account of personal allowances (Tax payer being a resident individual - married and having more than one dependent child)		(-)	Rs. 240
Net income-tax :			Rs. 3,572
C - Add surcharge @ 10% of the basic income-tax	..		Rs. 357.20
			Rs. 3,929.20
Tax payable (rounded off to the nearest rupee)			Rs. 3,929

Statement outlining the main features of some of the changes intended to be made later in the Income-tax law and Rules, as referred to in the Budget Speech for 1969-70, Part B, Paragraphs 43 and 50.

A. Changes intended to be sponsored through the Taxation Laws (Amendment) Bill to be introduced <u>in the Lok Sabha later during the current Session.</u>

I. <u>Amortisation against business profits, of capital expenditure not qualifying at present for depreciation allowance or any other deduction :</u>

(1) <u>Preliminary expenses incurred by Indian companies</u>:

Capital expenditure incurred by an Indian company under specified heads (and also any other head which may be notified for this purpose by the Central Government in the Official Gazette) will be allowed as a deduction in computing the taxable income from business, over a period of 10 years, in equal instalments. The aggregate amount of the expenditure to be amortised will be limited to an amount equal to 2.5% of the aggregate of the company's issued share capital, debentures and long-term loans (for a term of 7 years or more) from any banking company or financial institution notified by the Government. The heads of expenditure to be specified in the law for the purpose of this deduction are :

(i) Legal charges for drafting the Memorandum and Articles of Association of the company.

(ii) Expenses on printing of the Memorandum and Articles of Association of the company.

(iii) Fees paid for registering the company under the Company Law.

(iv) Expenditure incurred for -

(a) preparation of a feasibility report,
(b) preparation of a project report,
(c) market survey and any other survey necessary for setting up the business or the industrial project of the company, and
(d) consultancy fees for engineering services relating to the business of the company.

Such expenditure will qualify for amortisation where the payment for it is made to a concern rendering such services in the course of a business or profession carried on by it and which is approved for the purpose of this provision by the Central Government.

(v) Legal charges for drafting agreements entered into by the company for technical collaboration with any other person for the setting up or conduct of its business.

(vi) Expenditure incurred in connection with the issue, for public subscription, of share capital or debentures of the company, namely :

(a) under-writing commission,
(b) brokerage,
(c) legal charges for drafting the prospectus, and
(d) expenses on advertising the prospectus.

The above tax concession is to be allowed in relation to ~~qualifying capital~~ expenditure incurred after 31.3.1969.

In the case of a merger of the company with another company during the 10-year period of amortisation, the expenditure remaining unamortised will be allowed to be amortised against profits of the combined unit over the remainder of the 10-year period.

(2) **Capital expenditure incurred by any tax payer on the shifting of his industrial undertaking from one location to another :-**

In the case of any taxpayer (corporate or

Contd.

non-corporate) shifting his industrial undertaking from one location to another, the expenditure incurred by him on shifting the machinery and plant and other effects of the undertaking and transferring his establishment to the new location will be amortised against profits over a period of 10 successive years beginning with the year in which such shifting has been completed.

This provision will be operative in cases where shifting is undertaken after 31.3.1969 with prior intimation to the Income-tax Officer.

The expenditure on shifting, eligible for amortisation under the above-mentioned provision, will be excluded in computing the amount of tax credit certificates to be granted to a public company, under section 280ZA of the Income-tax Act for the shifting of its enterprise from an 'urban area' to any other area.

In the case of a merger of a company with another company during the 10-year period of amortisation, the expenditure remaining unamortised will be carried forward and amortised against the profits of the combined unit over the remainder of the 10-year period.

II. Provision for countering tax avoidance by an individual through the device of impressing his self-acquired property with the character of property belonging to the joint Hindu family consisting of himself, his wife and minor children:-

An individual who has, at any time after

property into the property of the joint Hindu family of which he is a member, will be chargeable to tax on that part of the income arising to the joint family from such property which is attributable to the shares of the individual himself, his wife and his minor sons.

In order to avoid double assessment of the same income, once in the hands of the individual and again in the hands of the joint Hindu family, such income will be allowed as a deduction in the assessment of the family.

The above provision will be made operative for and from the assessment year 1970-71.

B. Changes intended to be made in the Income-tax Rules to rationalise and simplify the rate schedule of depreciation allowances :

(1) The present rate schedule of depreciation in the Income-tax Rules enumerates about 150 items of plant and machinery with as many as 16 different rates of depreciation ranging from 2.5% to 100%. This leads to complications in calculation of depreciation for the taxpayers as also for the Department. To rationalise and simplify the rate schedule, it is intended to group plant and machinery into a few broad categories of useful lives and prescribe a few rates of depreciation, ranging from 5% to 100%. In particular, the existing general rate of depreciation of 7% will be increased to 10%, which is already the "group rate"

applicable to the whole of the machinery and plant of the undertaking in a large number of industries, and is also the "special rate" for several items of machinery and plant. This will also more closely reflect the useful economic lives of most items of machinery and plant.

(2) It is also intended to simplify the present method of calculation of normal and extra shift depreciation allowances, having regard in particular to the special circumstances of seasonal factories.

GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

MEMORANDUM
SHOWING THE PROPOSED REVISION OF TELEPHONE AND TELEGRAPH TARIFFS

(FEBRUARY, 1969)

Department of Communications
Posts and Telegraphs Board

INTRODUCTORY

For the telegraph and telephone services, Government have the power to make rules under the Indian Telegraph Act, 1885 and to fix or alter the rates at which the services are rendered. The changes in tariffs indicated in the following pages are proposed to be made by amendment of the Indian Telegraph Rules and, as required under the Act, the amendments will be laid before each House of Parliament for 30 days.

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS
POSTS AND TELEGRAPHS BOARD

Memorandum showing the proposed revision of Telephone and Telegraph tariffs.

Section I

Telephones

Item	Existing Tariff			Proposed Tariff	
1. Rentals for Direct Exchange Lines within the local area					
(A) Measured rate systems					
(i) Calcutta, Bombay, Madras and Delhi	Rs.75 per quarter			Rs.90 per quarter	
(ii) All other measured rate exchanges.	Rs.60 per quarter			Rs.75 per quarter	
(B) Flat rate systems					
(i) Exchanges providing 24 hours' service	Rs.300 per annum or Rs.27 per month			Rs.340 per annum or Rs.30 per month	
(ii) Exchanges providing restricted hours of service		Annual	Monthly		
	Exchanges of over 20 lines	Rs.250	Rs.23	No change	
	20 lines and less	Rs. 180	Rs.17		
2. Casual connections.	Period	Rental Rs.		Period	Rental Rs.
(i) Measured rate systems.	1 to 10 days	25		1 to 10 days	30
	11 to 30 days	50		11 to 30 days	60
	31 to 60 days	100		31 to 60 days	120

Item	Existing Tariff			Proposed Tariff	
(ii) Flat rate systems	Rs.2.50 per day subject to a minimum of Rs.25			Rs.3.00 per day subject to a minimum of Rs.30	
3. Directory Enquiry service	Free of charge			As for one local call	
4. Additional charges for Particular Person, Fixed Time and Subscription Fixed Time calls	Basic trunk charge Rs.	Additional charge Rs.		Basic trunk charge Rs.	Additional charge Rs.
	0.50	0.50		0.50	0.25
	1.00	0.50		1.00	0.50
	2.00	1.00		2.00	1.00
	3.00	1.00		3.00	1.50
	5.00	2.00		5.00	2.50
	8.00	2.00		8.00	4.00
	12.00	4.00		12.00	6.00
	16.00	4.00		16.00	8.00
5. Leased speech circuits.	Upto 200 miles	Rs.200 per mile per annum		Uniform rate of Rs.125 per kilometre per annum	
	Beyond 200 miles	Rs.150 per mile per annum			

Section I — Estimated additional revenue in a year ... Rs.5.89 crores.

Section II

Telegraphs

Item	Existing Tariff			Proposed Tariff		
1. Inland Telegrams		Ordinary Rs.	Express Rs.		Ordinary Rs.	Express Rs.
(i) Greeting Telegrams	First 8 words	1.00	2.00	First 8 words	1.20	2.40
	Each additional word	0.10	0.20	Each additional word	0.10	0.20

Item	Existing Tariff		Proposed Tariff	
(ii) Multiple Telegrams (Non-press)	For each address after the first— 25 paise for any number of chargeable words not exceeding 100 and 25 paise for every additional 100 chargeable words or part thereof.		For each address after the first-- 30 paise for any number of chargeable words not exceeding 100 and 10 paise for every additional 20 chargeable words or part thereof.	
(iii) Multiple Press Telegrams For a locality served by one and the same telegraph office, or by different telegraph offices within the free delivery radius of a Central Telegraph Office	35 paise for any number of chargeable words not exceeding 100 and 7 paise for every additional 20 words or part thereof.		40 paise for any number of chargeable words not exceeding 100 and 10 paise for every additional 20 words or part thereof.	
(iv) Multiple press Telegrams for different telegraph offices not within the free delivery radius of a Central Telegraph Office	For the first address in—		For the first address in the second and subsequent telegraph offices	$\frac{3}{4}$th of the charges for a single inland press telegram
	the second telegraph office	$\frac{3}{4}$th of the charges for a single inland press telegram		
	the third telegraph office	$\frac{1}{2}$ of the charges for a single inland press telegram		
	the fourth and subsequent telegraph offices	$\frac{1}{4}$th of the charges for a single inland press telegram		

Item	Existing Tariff		Proposed Tariff	
2. Phonogram fee (Booking of telegrams on telephone)	No charges for booking		20 paise	
3. Charges for telegrams booked on telex	No charges for booking		20 paise	
4. Cancellation of telegrams	(i) Before transmission has begun	25 paise	(i) Before transmission has begun	50 paise
	(ii) In course of transmission or after transmission	Charges for the service advice telegram	(ii) In course of transmission or after transmission	50 paise <u>plus</u> charges for the service advice telegram
5. Inspection of telegrams	50 paise per message		Re. 1 per message	
6. Certified copies of telegrams	25 paise upto the first 100 words and 25 paise for every additional 100 words or part thereof.		Re.1 upto the first 100 words and 50 paise for every additional 100 words or part thereof.	
7. Fee for searching for telegrams	For searching either the sent or the received telegrams of one telegraph office for one day	Rs.2	For searching either the sent or the received telegrams of one telegraph office for one day	Rs.3
	For searching both the sent and the received telegrams of one telegraph office for one day	Rs.3	For searching both the sent and the received telegrams of one telegraph office for one day	Rs.5
8. Late fee	Re.1 for each closed office		Rs.1.50 for each closed office	
9. S.V.H. telegrams	charges as for an express telegram		charges as for an ordinary telegram	

Item	Existing Tariff		Proposed Tariff
10. Leased circuits			
(i) Telegraph/ Teleprinter circuits to parties other than the press	First 25 miles	Rs.60 per mile per annum	Uniform rate of Rs.30 per kilometre per annum
	Next 475 miles	Rs.45 per mile per annum	
	Beyond 500 miles	Rs.30 per mile per annum	
(ii) Telegraph/ Teleprinter circuits to the press	Rs.30 per mile per annum		Rs.20 per kilometre per annum
11. Teleprinter(T/P) machine and telex service within the local area.			
(i) Rent for tele-printer(T/P) machine	Rs.1500 per annum		Rs.1800 per annum
(ii) Rental for telex service with teleprinter machine	Rs.1500 per annum		Rs.1800 per annum
(iii) Rental for telex service/ where T/P machine is provided by the subscriber himself	Rs.200 per annum		Rs.280 per annum
(iv) Call charges for telex service			
(a) Local	50 paise per call for every 3 minutes or part thereof		60 paise per call for every 3 minutes or part thereof

Item	Existing Tariff	Proposed Tariff
(b) Long distance	50 paise per call per unit period	60 paise per call per unit period

Section II — Telegraphs — Estimated additional revenue in a year .. .. Rs.0.57 crores

SUMMARY OF ESTIMATED ADDITIONAL REVENUE IN A YEAR

Section I — Telephone Tariffs	Rs.5.89 crores
Section II — Telegraph Tariffs	Rs.0.57 crores
Total	Rs.6.46 crores

सत्यमेव जयते

PUBLIC SECTOR ENTERPRISES
A MEMORANDUM

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

FEBRUARY, 1969

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI, 1969.

PUBLIC SECTOR ENTERPRISES—A MEMORANDUM

I. INTRODUCTION

The present investment in Central Government industrial and commercial enterprises—over 80 in number—is of the order of about Rs. 3,500 crores. Out of this, investment in the 55 running concerns (including Hindustan Steel Ltd.) accounts for nearly Rs. 3,200 crores. During 1967-68, the last financial year, 31 of these enterprises showed a net profit of over Rs. 48 crores. The other 24 enterprises, however, showed a net loss of Rs. 83 crores, resulting therefore in an overall net loss of Rs. 35 crores, after providing for depreciation (which forms part of the internal resources of the Public Enterprises), interest on loans from Government of India, the State Bank and other agencies and taxes.

2. The losses incurred were mainly those of Hindustan Steel Ltd. and four engineering enterprises—Heavy Engineering Corporation, Bharat Heavy Electricals Ltd., Heavy Electricals (India) Ltd. and Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. Owing to lack of sufficient demand accentuated by the recent recessionary trend in the economy, the capacities which have been built up in these enterprises remain unutilised to an appreciable extent.

3. On the other hand, substantial profits have been earned by Indian Oil Corporation Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd., Fertilizer Corporation of India Ltd., Oil and Natural Gas Commission, Bharat Electronics Ltd., as well as about 25 other Public Enterprises. Many enterprises have also declared dividends varying from 5% to as high a figure as 15%.

4. In assessing the performance of Public Enterprises, no generalisation is, therefore, possible. It should also be remembered that the Public Enterprises, as a group, are not at the same stage of development. While some enterprises have just completed their construction work and have commenced production, others are operating for a number of years and have already broken even. Some others are still in the stage of construction and development. Most of the running concerns are also in the process of implementing substantial expansion schemes.

5. At the same time, it is recognised that every effort should be made to improve the working and profitability of these undertakings.

An analysis of the problems which many of them face showed that these have to be tackled in two main directions:—

(a) Fuller utilisation of existing capacity especially in the Steel and Engineering industries, and

(b) Improvement in Managerial and Operational efficiency.

II. MEASURES FOR FULLER UTILISATION OF CAPACITY

6. The industries in which the major portion of investment has been made are highly capital intensive, entailing long gestation periods, like steel, heavy engineering, heavy electricals, heavy machine tools, petroleum, etc. The investment in Hindustan Steel alone, at the end of 1967-68, was over Rs. 1,000 crores. Taking into account the investment in Bokaro Steel, the total investment in the steel sector was of the order of Rs. 1,180 crores. The investments in the other important sectors amounted to:

(1) Engineering.	Rs. 833 crores.
(2) Chemicals.	Rs. 350 crores.
(3) Petroleum.	Rs. 378 crores.
(4) Minerals and Metals.	Rs. 273 crores.

When these giant projects were set up, their capacities were based upon certain projections of demand, which, however, did not materialise, leading to the present problem of under-utilisation, particularly in case of steel and engineering sectors. It is to be hoped that with recovery in the economy, the position would improve. But the problem will still remain for some time, and meanwhile measures have been taken to bring about better utilisation of the capacities, which are broadly as follows:

(a) Diversification of production;

(b) Promotion of exports; and

(c) Co-ordination with requirements of other Public Enterprises, etc.

Diversification

7. Diversification of production is being undertaken not only for manufacture of new products, with the addition of balancing capital equipment, as in the case of National Instruments Ltd., Instrumentation Ltd., Mining and Allied Machinery Corporation, etc. but also by utilisation of existing capacity for forgings, castings, gear cuttings and other machining jobs for which job orders are also being accepted. Some enterprises like Hindustan Machine Tools Ltd. have also taken steps to diversify their production by undertaking new

lines of manufacture, keeping in view the demand conditions in the home market. As a result of a careful scrutiny, it has been possible also to achieve considerable savings in outlay by (a) modifying, (b) postponing, or (c) abandoning altogether, new investments and achieving the same production where required through existing capacity with minor modifications. Of the new investment proposals, where such savings have been possible, particular mention could be made of the Pumps and Compressors Project, the Agricultural Tractors Project, Wardha Foundry Forge Project, Hardwar Foundry Forge Project, Bhavnagar Machine Tool Project, the Hyderabad Second Cable Factory, etc.

Exports

8. In addition to diversification, a drive has been undertaken to secure export orders. During the year 1967-68, Public Enterprises have earned about Rs. 48 crores in foreign exchange through exports of goods manufactured by them. In the case of Hindustan Steel Ltd. alone, the total value of export on f.o.b. basis increased from Rs. 9 crores in 1966-67 to Rs. 31 crores in 1967-68, and their products were exported to more than 30 countries like the USSR, USA, UK, Australia, Japan, etc. The Company has exported during the first 9 months of the current year up to the end of December, 1968, goods valued Rs. 30·5 crores. Export of petroleum products by Indian Oil Corporation during 1967-68 was valued at Rs. 3·83 crores; during the same period the value of telephone exchange equipment exported by Indian Telephone Industries Ltd. was Rs. 51 lakhs and that of machine tools and wrist watches exported by Hindustan Machine Tools Ltd. Rs. 44 lakhs.

Co-ordination

9. As an important measure for utilisation of idle capacity in the Heavy Engineering and Heavy Electricals Plants, it has been decided to set up two Consortia of the concerned Public Sector Units—one to undertake Power Projects and the other for Industrial Projects. The Consortia will be in a position to take up Power Station jobs or the work of setting up of new projects, on a turn-key basis, both within the country and abroad. Apart from this, the purchase requirements of other Public Enterprises and Government Departments are also being co-ordinated wherever possible with a view to ensuring that the maximum supply of machinery and equipment is procured from these Units, recent examples being Mining Equipment for Kiriburu Iron Ore Project, equipment for the Haldia Port, machinery requirements of the Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd. etc.

III. IMPROVEMENTS IN MANAGERIAL AND OPERATIONAL EFFICIENCY

10. Government have recently taken a number of decisions to bring about improvements in the Managerial and Operational Efficiency of Public Enterprises. These decisions are based, to a large extent, on the recommendations of the Administrative Reforms Commission in their Report on Public Sector Undertakings; on the recommendations made by the Committee on Public Undertakings in their Reports on Financial Management, Materials Management, etc.; as well as on the periodical reviews undertaken by Government on the performance of these enterprises. Government's policy underlying these decisions may be broadly defined as follows:—

(1) It is recognised that in order to enable these undertakings to work with greater autonomy, there should be sufficient delegation of powers to the Public Enterprises.

(2) Simultaneously, every effort should be made to assist the enterprises to secure suitable Managerial talent.

(3) In addition, measures have to be taken and guidelines laid down for improving management techniques in all its various aspects in these enterprises.

(4) There should be an effective machinery for periodical review and appraisal of their performance so that defects may be put right as speedily as possible.

(1) Delegation of powers

11. The following enhanced powers have been delegated to the Public Enterprises relating to both financial and administrative matters.

Financial powers.—(i) The Boards of Directors of Public Enterprises are authorised to sanction capital expenditure without prior reference to Government within specified limits on works and schemes which come within the approved objectives of the enterprises. The Boards are also fully authorised to sanction all capital expenditure in cases where the Detailed Project Reports have been approved by Government and also to permit variations in the estimates of not more than 10% for any particular component part. This delegation also covers invitation to and acceptance of tenders relating to such works.

(ii) Government have accepted that it is not necessary for the Public Enterprises to submit their revenue budgets for prior

approval except in cases where Government is expected to make up the deficit, if any, in the budget. The revenue budgets, as approved by the Boards of Directors of Public Enterprises have to be sent to Government only for information of production targets, profitability etc.

(iii) It has further been decided that Public Enterprises may approach financial institutions such as the Industrial Finance Corporation, the Industrial Development Bank of India and the Unit Trust of India for financial assistance for their expansion programmes, provided they have sufficient internal resources and have declared dividends and provided they do not come to Government for financing their future expansion programmes.

Administrative powers.—(i) Till recently appointments to the top posts of Managing Directors, General Managers, Financial Advisers etc. were to be made by Government. In respect of others also where the pay exceeded Rs. 2,250 p.m. (or in some cases Rs. 2,500 p.m.) many enterprises had to obtain the approval of Government both for creation of posts and for making appointments. But henceforth the Public Enterprises will be competent both to create posts and to make appointments thereto, irrespective of pay for all posts below the Board level (excluding only the General Managers of constituent Units) without any reference to Government. The appointments of Financial Advisers will also be made by the Boards. Only the Chairmen/Members of the Boards of Directors and the General Managers of constituent units will in future be appointed by Government.

(ii) As regards service conditions of employees of Public Enterprises, it has been recognised that uniformity is not possible in the matter of pay and allowances although rationalisation wherever possible, should be effected. The Bureau of Public Enterprises will act as a clearing house of information relating to service conditions, including pay scales and allowances, etc. in force in the different Public Enterprises for making the same available to other Public Enterprises and administrative Ministries. Guidelines are also issued from time to time on important matters in these areas. Thus, in September 1968, guidelines were issued covering dearness allowance, conveyance allowance, travelling allowance etc. taking into account the special features of these industrial and commercial enterprises. Details of a Model Gratuity Scheme have also been circulated to all Public Enterprises in order to enable them to adopt the same for their employees.

(iii) Government have also accepted, pursuant to the recommendations of the Administrative Reforms Commission, that there should be a suitable decentralisation of powers not only from Government to the Boards of Directors of Public Enterprises but also within the various levels of management of the enterprises themselves. For this purpose, the enterprises have been asked to conduct a suitable review of the internal delegation of existing powers.

(iv) It has also been decided that where Government considers it necessary to issue a directive to a Public Enterprise asking it to act in a manner different from that dictated by the economic considerations, this should be in writing, and this fact should specifically find a mention in the Annual Report of the concerned Public Enterprises.

(2) **Managerial Personnel**

12. *Chairman-cum-Managing Director*.—It has been decided that, as a normal rule, there should be a full-time Chairman-*cum*-Managing Director for a Public Enterprise. Where, however, the Chairman might be only part-time, there should be a full-time Managing Director, but even in such cases the Chairman should take on full responsibilities and should be invested with the necessary authority. The posts of many Chief Executives in Public Enterprises like National Mineral Development Corporation Ltd., National Coal Development Corporation Ltd., Shipping Corporation of India Ltd. have already been converted into full-time Chairman-*cum*-Managing Directors of the respective enterprises.

13. *Board of Directors*.—In the larger units full-time Functional Directors should be appointed, who will be the executive Heads of their Departments. Posts of Functional Directors for Departments like Finance, Planning, Production, etc. have already been created in Hindustan Steel Ltd., Heavy Engineering Corporation Ltd., State Trading Corporation of India Ltd., National Coal Development Corporation Ltd., etc.

Government have also decided that, as a rule, no officer of a Ministry should be made Chairman of a public undertaking, nor should the Secretary of a Ministry be included in its Board of Management. This restriction about Secretaries not being included in the Boards of Management would apply, however, only to industrial and commercial undertakings.

14. *Tenure & Recruitment.*—The tenure of appointment of full-time Chairman and Functional Directors should be normally for a minimum period of 5 years, subject to their performance being satisfactory. This will ensure the necessary continuity in top management posts.

Measures for securing top management personnel for Public Enterprises from various possible sources have already been taken up. Top management posts in Public Enterprises (full-time Chairman-*cum*-Managing Director, Managing Director, Functional Directors, and General Managers) have been classified on the basis of responsibility involved into four schedules with remuneration ranging from Rs. 2,000 p.m. to Rs. 4,000 p.m. Panels of names have been drawn up for all these categories.

Selection is made to the panels from Government services, from Public Enterprises as also from private sector.

A system of periodical reporting of anticipated vacancies in the top management posts has also now been introduced so that timely action could be taken to locate suitable incumbents, to ensure that the key management posts do not remain vacant for long.

15. *Policy regarding deputation of civil servants to Public Enterprises.*—As a measure in the direction of developing a homogenous managerial class in the enterprises and reducing the dependence on the deputationists from the various cadres of the permanent civil services in manning posts in them, it has been decided that Government officers deputed to Public Enterprises should be asked to exercise an option between the two alternatives of resignation from Government service and permanent absorption in the concerned Public Enterprise (or) reversion back to the parent cadre. Exceptions will be allowed only in the case of Defence personnel on their appointment to Defence Production Undertakings. The option is to be exercised within one year or three years depending upon the level of the post held by the officer in the enterprise.

16. *Managerial posts at intermediate levels.*—Powers of appointment to managerial posts below top level come within the purview of the Boards of Directors of Public Enterprises. The Administrative Reforms Commission in their report on Public Sector Undertakings had recommended that common cadres for managerial personnel for posts carrying the pay of Rs. 1,300 and above should be organised by each Sector Corporation, who should have the authority of making transfers within the Corporation in consultation with the units concerned. Pursuant to this recommendation, it has been accepted that

inter-changes of managerial personnel may, to the extent possible, be effected between Public Enterprises with the consent of the management of the concerned enterprises. In order to assist Public Enterprises to secure suitable managerial personnel for posts at intermediate levels *i.e.* the posts of Heads as well as Deputy Heads of the departments in General Management, Finance, Accounts, Personnel, Man Power Planning, Industrial Engineering as well as in operating departments like Production, Maintenance, Works Study, Purchase and Stores, etc., the necessary machinery has been set up in the Bureau of Public Enterprises for spotting, pooling and harnessing managerial talents from various sources, *viz.* Public Enterprises, Government services and Private Sector Industries.

17. *Management Training.*—The need for continuous training at the induction stage followed by refresher courses for Managers of Public Enterprises at various levels cannot be over-emphasised. Government have accepted the recommendation of the Administrative Reforms Commission that the survey of additional requirements for managerial and technical man power for the Fourth and Fifth Five Year Plan periods should be further examined by a body of Experts. The Bureau of Public Enterprises has also undertaken in collaboration with the two Institutes of Management at Calcutta and Ahmedabad, Administrative Staff College of India, National Productivity Council and other Institutions in the country, measures for ensuring co-ordination and arranging for the training of managerial personnel from Public Enterprises in these institutions. During the period August 1967 to September 1968, for example, the various Institutes conducted 59 training courses and in all nearly 520 officers from the Public Enterprises participated in these programmes. With the help of the Administrative Staff College an on-the-spot-survey of the Management Training needs of individual Public Enterprises for the next five years has also been undertaken to identify the specific areas and needs of such training, in consultation with the Heads of the Enterprises concerned.

(3) Measures for Improving Management Techniques

18. *Project preparation.*—A study of the performance of the Public Enterprises indicates that in a number of projects, inadequate attention at the planning stage has led to over-estimation of demands, prolongation of the period of construction, increase in capital cost estimates and delays in the attainment of the production targets. In order to remedy these deficencies, the attention of all concerned has

been drawn to the requirement that a Feasibility Study should be made for all projects on the lines indicated in a Manual specially prepared for this purpose by the Planning Commission. This Manual requires that the feasibility studies should incorporate information on the pattern of demand, competitive position, technical data, location of the projects, capital cost estimates, foreign exchange requirements, operating cost, profitability and return on investment. An analysis of the feasibility reports recently prepared in respect of some projects indicates that these are now prepared by and large on these lines. For all projects involving sizeable investment, it has also been prescribed that a complete Master Plan of construction should be drawn up with the help of Net-work Techniques *e.g.* PERT and CPM.

19. *Economy in Construction.*—Civil construction costs account for a substantial part of the total capital investment in the Public Enterprises. Including the cost of township, this varies from 30% to 40% of the total investment in a project. Specific measures have been taken to effect reduction in cost of civil works.

(i) Standards of housing for different pay ranges, specifications to be adopted, scale of amenities to be provided in the quarters and alternative designs for various Types of residential quarters have been issued keeping in view functional requirements and comfort consistent with economy. Public Enterprises have also been instructed to provide amenities in the townships such as Schools, Hospitals, Community Centres, etc., as well as utility services in accordance with certain prescribed standards and to phase the construction of such facilities to meet only immediate needs. In areas where more than one undertaking is located, the desirability of providing common community facilities and services has also been impressed upon the Public Enterprises.

(ii) Guidelines have also been issued on—

(a) use of new building materials such as high strength deformed bars now being produced in this country, which would lead to substantial reduction in the cost of reinforced concrete works;

(b) procedure for detailed soil investigation so as to avoid change of site at any later date;

(c) planning of land requirements for lay out in compact areas, so as to save on outlays on services, internal transport, etc.;

(d) Public Enterprises have been asked to keep rolls of contractors, based upon their performance, which could be of use *inter se* and guidelines issued for the work-load of various categories of Construction Staff, and for supervision charges during construction, etc.

(iii) Assistance is being rendered to the enterprises in the disposal of their surplus construction equipment, materials and stores by bringing the existence of such surpluses to the notice of others. In the deployment of their surplus construction staff to other undertakings, necessary assistance is also being provided.

(iv) In regard to the administration of Townships, it has been decided that the Township and connected facilities should form a separate Unit of Administration to be managed by a Committee consisting of the officers concerned of the Public Enterprise and a few representatives elected by the staff and workers living in the township. Moreover, in view of the fact that capital for construction of the township is provided by the Central Government, the provisions of the subsidy as admissible under the Subsidised Housing Scheme should be made at the very beginning.

20. *Reporting Systems.*—(i) Any purposeful delegation of powers from the Government to the Enterprises as well as within the management of the Enterprises themselves should be accompained by rationalisation of the management information system. In this context it has been accepted that the Annual Reoprts to be drawn up by the Public Enterprises for submission to the Parliament and Government should bring out clearly all essential aspects relating to their working with special reference to (i) production, capacities and targets, (ii) levels of production achieved, and (iii) performance from export angle and foreign exchange earnings. Special problems affecting their performance and the reasons therefor should be incorporated in these reports.

(ii) Within each enterprise also, the reporting system should be rationalised. The timely placement of essential data before the management about the performance of an Enterprise is a necessary requisite for efficient management and facilitates sound business decisions. In this connection enterprises have been asked to prepare Quarterly Profit and Loss Accounts and Cost Statements and place the same before the Management to enable them to review the performance of the enterprise. To facilitate the preparation of

such Quarterly reports Government have drawn up suitable Proformae which *inter alia* cover the information on the following aspects *e.g.*, (a) Production and Sales; (b) Resources and their utilisation; (c) Cash Flow Statement; (d) Capital Expenditure; (e) Profit and Loss position; (f) Expenditure on Overheads; and (g) Man-power deployment.

21. *Financial Management.*—(i) One of the basic essential requirements of sound financial management is proper and up to date maintenance of financial and cost accounts and especially the use of Standard Costing system which is an essential management tool for the purposes of cost control providing necessary data against which the actual performance can be compared and variations analysed. The enterprises have been asked to develop also, wherever possible, an integrated system of cost and financial accounts so as to avoid frequent reconciliation of figures between financial and cost accounts. Nearly 40 enterprises have already developed proper costing systems and others are in the process of adopting this. Over 30 enterprises have adopted the integrated system of cost-*cum*-financial accounts. The Bureau of Public Enterprises is rendering necessary assistance for developing costing systems in the various units.

(ii) A comprehensive Budgetary System is also an integral part of sound financial management. It will help the Management to review the actual performance as compared with the target and estimates. In case of industrial and commercial undertakings, it has been laid down that a comprehensive budgetary system should *inter alia* include (a) Capital Budget—to cover the expenditure to be incurred on the approved schemes; (b) Revenue Budget—to prepare the plan of operation for each year showing profit and loss likely to be made; and (c) Cash Flow Statement showing the inflow and outflow of cash. Enterprises have been asked to prepare Budget Manuals containing the procedure and forms for the preparation of the budget, time schedule, channels of communications, etc. About 50 Enterprises have now laid down the procedures and forms for Budgets and a number of enterprises have prepared their Budget Manuals.

(iii) Public Enterprises have been required to introduce performance budgets or business-type budgets and also undertake monthly reviews of sale, production and yield figures at each plant and unit.

(iv) It is necessary to build up an effective system of internal audit to review the soundness and adequacy of the existing systems, procedures and controls in management and suggest suitable improvements, wherever necessary. As the size of the organisation grows the need for an effective internal audit department becomes all the more necessary. Nearly 50 enterprises have already developed internal audit systems while others which are under construction, are in the process of establishing this.

(v) The Board of Directors of the enterprises have been advised to review their Working Capital requirements periodically and they have been advised to secure cash credit facilities from the State Bank of India on the security of their current assets. In cases where the enterprises are unable to secure their requirements of working capital on the security of their own assets from the bank, the question of providing a Government guarantee for this purpose will be considered.

(vi) In regard to depreciation policy and development rebate, detailed instructions have been issued to public enterprises. They have been instructed that the straight line method may be adopted for determining the amount of annual depreciation charges and the same should be fully adjusted in the accounts of each year.

22. *Pricing policies.*—Guidelines have been recently laid down on the pricing policies to be followed by Public Enterprises.

(i) Wherever there are statutory regulations or voluntary arrangements of a binding type, introduced in the larger interests of the national economy, the enterprises would have to conform to such regulations.

(ii) A number of enterprises produce goods and services in open competition with other indigenous producers in the private sector, and in respect of their products, the normal market forces of demand and supply will operate and their products will be governed by and large by the prices prevailing in the market.

(iii) In the case of enterprises which operate under monopolistic or semi-monopolistic conditions it will be necessary, however, to have a prescribed procedure. The guidelines lay down that the pricing of their products should be within the landed cost of comparable imported goods; such landed cost would be the ceiling and within this ceiling it would be open to the parties concerned to negotiate and fix prices at suitable levels. If, however, in assessing

the landed cost there are reasons to believe that the price of the imported goods are artificially low or in other exceptional circumstances it may be necessary to have the prices higher than the landed cost, the matter should be referred to the administrative Ministry concerned for examination in depth in consultation with the Ministry of Finance, including the Bureau of Public Enterprises and the Cost Accounts Organisation.

In the present context when many of the Public Enterprises have ceased to enjoy sheltered market conditions for their products there is particular need for strengthening their Commercial and Marketing Organisations. Public Enterprises have been, therefore, advised to review and strengthen their organisations for marketing so that they are able to promote the sales of their products both at home as well as abroad.

23. *Inventory Control.*—The total value of inventories held by the Public Enterprises in regular operations as at the end of March 1968 was as high as Rs. 873 crores, and every effort has to be made to effect savings. A series of instructions have already been issued on the introduction of modern and scientific techniques of Materials Management. In addition, a detailed Study of the levels of Inventories and the system of Inventory Planning and Control in selected Public Enterprises was undertaken by a Special Committee set up in the Bureau of Public Enterprises, consisting of representatives both from the Public and the Private Sector. As a result of this Study, the level of Inventories in the six Units so far examined has been scaled down from Rs. 146 crores to about Rs. 70 crores. This Study is being continued so as to cover all the major enterprises.

24. *Labour relations.*—(i) It has been decided that there will be no objection in principle to have a representative of the workers on the Boards of Management. He should, however, be one actually working in the enterprise and moreover such representation should apply only in the case of industrial Units and not in the case of financial and commercial enterprises.

(ii) Government have also accepted the recommendation of the Administrative Reforms Commission that every enterprise should effectively discharge all the statutory obligations imposed on the employer by the labour laws. The Deptt., of Labour and Employment has already undertaken studies of Public Enterprises with a view to preparing a periodical review of the working of

labour laws and industrial relations machinery in each enterprise It has also been accepted that there should be professionally qualified and experienced Labour Officers at sufficiently senior levels in the Personnel Departments of Public Enterprises.

(iii) Public Enterprises have also been asked to adopt appropriate work standards and other control techniques from the very beginning to ensure that surplus labour is not recruited by them. As regards over-staffing which has already taken place in some of the Public Enterprises, the following measures have also been taken:—

(a) Enterprises are being asked not to go in for any further recruitment; all normal vacancies to be taken care of by the existing surplus staff, though there could be exception for skilled categories etc., which cannot be filled except by additional recruitment;

(b) Special training programmes have been taken up so that surplus labour (such as used in construction work) can be employed in vacancies for skilled and semi-skilled staff;

(c) The use of Public Sector Construction Corporations in a larger measure than hitherto; and

(d) The feasibility of framing scheme for Voluntary Retirement Benefits as has been done already by some enterprises like Neyveli Lignite Corporation Ltd., National Mineral Development Corporation Ltd., etc.

(4) Audit and Appraisal

25. It has already been accepted that there should be effective periodical reviews and appraisals of the performance of Public Enterprises.

(i) In the first instance this is being done by a proper system of prescribed Returns and Reports from the enterprises to the Ministries, etc., in respect of their activities. The administrative Ministries have also appointed, wherever necessary, special Committees like the Pande Committee on Durgapur Steel Plant, Tandon Committee on State Trading Corporation, etc., for going into the working of the concerned enterprises and recommend measures for improvement in performance.

(ii) Further, the Bureau of Public Enterprises, in consultation with the administrative Ministries has undertaken periodical performance appraisals. These appraisals seek to review the performance of the enterprises against the background of the rated and installed production capacity to ascertain reasons for shortfall in production, if any, and focus attention on factors that militate against efficiency. Remedial actions, wherever necessary, are also suggested. Such technical-*cum*-financial reviews have been so far prepared in respect of 10 enterprises. The Reviews prepared by the Bureau are brought before Government at appropriate levels and directions are given indicating the lines on which further actions have to be taken.

26. *Appraisal by Audit Boards.*—Pursuant to the recommendations of the Administrative Reforms Commission, it has been decided to set up Audit Boards for specific sectors of Public Enterprises. In effect there wil be one Audit Board with three permanent members, and two part-time members who could be specifically selected for different sectors of Public Enterprises, the three permanent members to be appointed by the Comptroller and Auditor General. The present audit by the Statutory Auditors would also continue under the aegis of the Audit Board. The two part-time members will be appointed in consultation and with concurrence of the Comptroller and Auditor General by the administrative Ministry responsible for the enterprise under review by the Audit Board. The Audit Boards will be under the jurisdiction and control of the Comptroller and Auditor General and will be part of the Comptroller and Auditor General's organisation. The arrangements under the new system will not detract from the Comptroller and Auditor General's right to undertake any special or supplementary audit if he considers it necessary.

Both the regularity and the propriety-*cum*-efficiency audit of Public Enterprises will be conducted through the instrumentality of Audit Boards. The Comptroller and Auditor General even now gives directives and lays down guidelines on the conduct of both such audits. The powers of the Comptroller and Auditor General in this respect will continue even after the Audit Boards are set up and, in the case of the propriety audit, he could, if necessary, use his own staff in co-ordination with the Boards.

These Audit Boards would also conduct, in addition, periodical and comprehensive appraisals of Public Sector Undertakings. The

comments of the Audit Boards will be incorporated in the Audit Report (Commercial) placed before Parliament.

IV. CONCLUSION

27. It is hoped that the above measures directed towards better planning, improved management and more purposeful guidance of Public Enterprises would contribute significantly to the improvement of their performance and profitability in the coming years. This, however, has to be a continuous process and the need for remedying deficiencies, wherever they exist, and for introducing new measures to improve Managerial and Operational efficiency will have to engage the constant attention of the Managements, and the Government.

GMGIPND Minto Road—TSS Wing—209 Finance—21-4-1969—500.